सप्तम माला, खंड 45, अंक 15, मंगलवार, 13 मार्च, 1984/23 फाल्गुन, 1905 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

(खंड 45 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
अंक 15, मंगलवार 13 मार्च, 1984/23 फाल्गुन, 1905 (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 222, 225 और 227 से 230	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—249
तारांकित प्रश्न संख्या : 223, 226, 231 से 242	20—31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2563 से 2717 और 1719 से 2794	31—243
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	249—253
राज्य-सभा से संदेश	253—255
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	255—271
कोचीन तेलशोधक कारखाने में विनाशकारी आग लगने, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुआ और कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, का समाचार	
श्री जायनल अबेदिन	255
श्री पी० शिवशंकर	256
श्री रामविलास पासवान	262
श्री मनी राम बागड़ी	267
कार्य-मंत्रणा समिति	272—275
57वां प्रतिवेदन	

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	277—280
(एक) नया प्रसारण केन्द्र चालू किये जाने के पश्चात लखनऊ में दूरदर्शन कार्यक्रमों का धुंधला दिखाई देना	276—277
श्री चन्द्रपाल शैलानी	
(दो) सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा बड़े उद्योगों को अपनी खरीद लघु उद्योग एककों से करने के लिये जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का कार्यान्वित न किया जाना	277—278
श्री सोमनाथ चटर्जी	
(तीन) केरल में कल्लड बांध के आयाकट क्षेत्र में रहने वाले किसानों के पुनर्वास की योजना को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता	278
श्री पी० के० कोडियन	
(चार) मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में हृदय-रोग केन्द्र खोलने की आवश्यकता	279
श्री बी० डी० सिंह	
(पांच) जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच भदरवाह-चंबा सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने के लिये पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करने की आवश्यकता	279
डा० कर्ण सिंह	
(छः) बाढ़ों को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता	279—280
श्री चिंतामणि जेना	
सामान्य बजट—1984-85—सामान्य चर्चा	280—372
श्री सी० चिन्नास्वामी	280
श्री आर० प्रभु	283
श्री आर० आर० भोले	287
चौधरी सुल्तान सिंह	291
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	298

विषय	पृष्ठ
श्री सतीश अग्रवाल	302
श्री एस० एस० रामास्वामी पदांयाची	316
श्री राजेश कुमार सिंह	318
श्री इन्द्रजीत गुप्त	323
श्री जनार्दन पुजारी	333
श्रीमती शालिनी पाटिल	338
श्री पुचालापल्ली पेंचालैया	343
श्री वाई० एस० महाजन	346
श्री कुंवर राम	352
श्री बी० के० नायर	356
श्रीमती विद्या चेन्नपति	360
श्री रामनाथ दुबे	362
श्री एन० डेनिस	364
श्री जयराम वर्मा	367
श्री विरदा राम फुलवारिया	370
श्री मधुसूदन वैराले	372

लोक सभा

मंगलवार, 13 मार्च 1984/23 फाल्गुन 1905 (शक)

लोक सभा 11.20 म० पू० समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ीसा के आदिवासी जिलों में डाक तथा दूरसंचार सुविधाएं

*222. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा छठी योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त डाक तथा दूरसंचार सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना अवधि में अब तक उड़ीसा के आदिवासी जिलों में डाक तथा दूरसंचार सुविधाओं का कितना विस्तार किया गया है; और

(ग) उपर्युक्त योजना अवधि में आदिवासी जिले क्योंझर में उपलब्ध की गई डाक तथा दूरसंचार सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) (एक) छठी योजना अवधि के दौरान, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में डाक जाल कार्य के विस्तार की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :—

—डाकघर खोलना	—	190
—अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट	—	212
—काउंटर सेवा की व्यवस्था	—	118

(दो) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि 1980-85 के दौरान उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में 7-3-84 तक एक सौ चौबीस लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर। संयुक्त डाक-तारघर खोले जा चुके हैं।

(ग)—(एक) उपरोक्त योजना अवधि के दौरान 25 डाकघर खोले गए, 51 अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों की नियुक्ति की गई और 29 गांवों में डाक काउन्टर सुविधा उपलब्ध कराई गई।

(दो) उपरोक्त योजना अवधि के दौरान क्योंझर आदिवासी जिले में 19 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर। संयुक्त डाक-तारघर खोले जा चुके हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, खान अब्दुल गफ्फार खां हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग नेता हैं। वे पाकिस्तान की जेल में हैं। वे भारत के ही नहीं, दुनिया की मानवता के प्रतीक हैं। भारत की सरकार उनको रिहा करा कर, भारत में उनका इलाज करवाए, यह हमारा फर्ज है।

अध्यक्ष महोदय : आपने और सभी ने सदन में बार-बार यह कहा है कि हम सब की सहानुभूति उनके साथ है। वे मानवता के ही प्रतीक नहीं बल्कि महात्मा जी का भी स्वरूप हैं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन हम जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं। हाउस भी चाहता है कि वे स्वस्थ और जीवित रहें। क्यों वाजपेयी जी, ठीक है न।

श्री हरिहर सोरन : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ क्या भारत सरकार ने यह नीति बनाई है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में कम से कम एक सार्वजनिक टेलीफोन घर हो। यदि हाँ, तो सामान्य रूप से उड़ीसा में तथा विशेष रूप में क्योंझर जिले में इस कार्यक्रम को कहाँ तक कार्यान्वित किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जनजातीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी के कहने पर कुछ समय पहले नीति को उदार बनाया गया था। अब नीति यह है कि जनजातीय क्षेत्रों में अधिक दफ्तर खोले जायेंगे। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन की संख्या इस प्रकार थी : 1980-81—22; 1981-82—26; 1982-83—56; 1983-84 में 7.3.84 तक 20—कुल मिलाकर 124 खोले गये थे।

जहाँ तक माननीय सदस्य के जिले का सम्बन्ध है, आंकड़े इस प्रकार हैं : 1980-81—2, 1981-82—3, 1982-83—11 तथा 1983-84 में 7.3.84 तक—एक। अतः इसकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है तथा जनजातीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक सार्वजनिक टेलीफोन खोले जायेंगे।

श्री हरिहर सोरन : मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि क्या उन्हें मालूम है कि

ग्रामीण क्षेत्रों में जो संचार सुविधाएं प्रदान की गई हैं, खासतौर पर जनजातीय क्षेत्रों में जो सुविधाएं दी गई हैं, वह सुचारु रूप में कार्य नहीं कर रही हैं ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है।

श्री वी० एन० गाडगिल : हाल ही में, एम० आर० आर० बहुमार्गीय ग्रामीण रेडियो टेलीफोन प्रणाली शुरू करने का निश्चय किया गया है। यह पांच क्षेत्रों में शुरू की गई है और अगर यह सफलतापूर्वक कार्य करती है, तो अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जायेगा।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में डाकघर की मांग अपनी जगह बहुत महत्व रखती है। लेकिन पिछड़े हुए क्षेत्रों के अतिरिक्त ऐसे भी क्षेत्र हैं जो कि डकैती क्षेत्र हैं और जहाँ संचार की क्षण-क्षण बहुत सख्त आवश्यकता पड़ती है। क्या सरकार की नीति है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और राजस्थान के डकैती वाले क्षेत्रों का संचार के मामले में प्राथमिकता दी जाये और वहाँ संचार की व्यवस्था समुचित और उपयोगी रूप से चल सके ?

श्री वी० एन० गाडगिल : सामान्य नीति यह है कि प्राथमिकता सूची जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों आदि के लिए तैयार की जाती है। आबादी भी एक मापदण्ड है। कभी-कभी यह तीर्थ-स्थानों, सिंचाई के स्थानों आदि पर भी खोले जाते हैं; और कुछ मामलों में ये माननीय सदस्य द्वारा बताये गयें स्थानों पर खोले गये, अर्थात् जहां डकैती अथवा अन्य बातें होती हैं। अगर विशिष्ट मामले बताये जाते हैं तो उन पर विचार किया जायेगा।

श्री चिन्तामणि जैना : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि छठी योजना में उड़ीसा के लिये सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने तथा अन्य दूर-संचार सुविधाएँ और डाक सुविधाएं प्रदान करने का क्या लक्ष्य है और अभी तक कितनी उपलब्धि हुई है ? मैं जान सकता हूँ क्या उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई है ? क्या मैं जान सकता हूँ कि एक समिति ने उस स्थान का दौरा किया है तथा भुवनेश्वर में टेलीफोन उद्योग लगाने के लिये सिफारिश की है। यदि हाँ, तो क्या प्रगति हुई है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, उड़ीसा में व्यापक रूप में डाकघर खोले गये हैं। इसे पढ़ने में मुझे काफी समय लगेगा। किन्तु मैं आंकड़े दे सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें भेज दीजिएगा।

श्री वी० एन० गाडगिल : मार्च तक लम्बी दूरी के 7600 संयुक्त कार्यालय खोलने का अखिल भारतीय लक्ष्य था तथा उड़ीसा के लिये 110 था। अभी तक छठी योजना के दौरान 104 खोले गये हैं।

जहाँ तक डाकघरों का सम्बन्ध है, छठी योजना अवधि में उड़ीसा के लिए आवंटन का लक्ष्य इस प्रकार है : 1981-82—45। मैं नवीनतम आंकड़े दूंगा। 1982-83 में सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में

10 तथा आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिये 30। 1983-84 में सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 45 तथा आदिवासी एवं पिछड़े इलाकों के लिए 70। कुल मिलाकर 115।

निजी वायरलैस स्टेशन चलाने का अधिकार

*225. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नागरिकों को प्रसारण करने के लिए, वायरलैस स्टेशन चलाने का अधिकार प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता।

(ग) भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन बेतार तार केन्द्र (अथवा रेडियो केन्द्र) की स्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन का विशेषाधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को ही है। यह अधिनियम केन्द्र सरकार को ऐसी शर्तों और निश्चित भुगतान पर जिसे सरकार ठीक समझे अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकार भी देता है।

केन्द्रीय सरकार ने किसी भी व्यक्ति को प्रसारण के उद्देश्य से बेतार केन्द्र चलाने की अनुज्ञप्ति नहीं दी है क्योंकि जनसम्पर्क के साधनों का किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयोग न तो लोकहित में होगा और न ही सार्वजनिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त रहेगा।

श्री अमर राय प्रधान : हाल ही में आंध्र उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति जी० ए० चौधरी ने कहा कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर राज्य का एकाधिकार असंवैधानिक है तथा प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत निजी वायरलैस तथा रेडियो प्रसारण स्टेशन चलाने तथा स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा विज्ञान बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। और एक ओर अन्य विचार यह है कि समूचे विकास में गति को तेज करने के लिए एन० एफ० ए० पी० में विघ्न डाले बिना अप्रयुक्त आर० एफ० एस० का प्रयोग करके संचार मंत्रालय को गैर-सरकारी प्रसारण सुविधाओं को तुरन्त प्रोत्साहन देना चाहिए। इन दो मुद्दों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या यह सत्य है कि निजी वायरलैस तथा प्रसारण को चलाने की अनुमति न देना संविधान के अनुच्छेद 19(1) क का स्पष्ट उल्लंघन है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : लगता है माननीय सदस्य मेरी कानूनी राय जानना चाहते हैं। मैंने उच्च न्यायालय के फैसले को नहीं देखा है जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। किन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय का एक निर्णय है जिसमें एक याचिकादाता ने प्रसारण

लाइसेंस के लिये एक दरख्वास्त दायर की थी। एक विस्तृत निर्णय दिया गया था और अदालत इस निर्णय पर पहुँची कि यदि कोई अधिकार है तो वह एक सीमित अधिकार है तथा सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है तथा याचिका रद्द की गई थी। अभी जनवरी 1984 में एक और प्रार्थी ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की और उच्चतम न्यायालय ने इसे भी रद्द कर दिया। जहाँ तक मेरा संबंध है कानूनी स्थिति यह है। और जहाँ तक दूसरे भाग का संबंध है, हमने यह विचार किया है कि भारत की स्थिति को देखते हुये, प्रसारण के लिए लाईसेंस देना उचित नहीं होगा। मैं एक भेद कर रहा हूँ। वायरलैस दो प्रकार के होते हैं। एक से प्रसारण किया जाता है तथा दूसरे में प्रसारण नहीं किया जाता है। जहाँ तक प्रसारण का संबंध है, हमने यह विचार किया है कि यह सरकार के पास रहना चाहिये, किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान के पास नहीं होना चाहिए। संयोग से पिछली सरकार ने भी यही रवैया अपनाया था कि इसे किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान को नहीं देना चाहिये। जहाँ तक दूसरे वायरलैस का संबंध है, हमने भारतीय तेल निगम तथा अन्य शोध संस्थानों को लाइसेंस दिये हैं जहाँ पर वास्तव में इसकी जरूरत है।

श्री अमर राय प्रधान : मुझे मालूम है कि वायरलैस उपकरण अथवा प्रसारण मशीनरी का बिना वैध लाइसेंस प्राप्त किये प्रयोग करना अथवा रखना भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत दण्डनीय है। मैं यहाँ पर एक मामले का उल्लेख करूँगा जिसमें आपने इजाजत दी है; मैं नहीं जानता यह वैध अथवा अवैध इजाजत है। किन्तु यह सत्य है कि एक उदाहरण है। गुड़गांव के अपर्णा आश्रम को बहुउद्देशीय कार्यों के लिए अनुमति दी गई है जिसमें बन्दूक फैक्ट्री से निजी हवाई अड्डे तक जिसमें वायरलैस प्रसारण केन्द्र भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है। इस आश्रम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? (व्यवधान)

श्री वी० एन० गाडगिल : जहाँ तक मुझे ज्ञात है यह तेल कम्पनियों, पोर्ट ट्रस्ट, बिजली बोर्डों खनन तथा सम्बद्ध उद्योगों, परिवहन उपक्रमों, इस्पात तथा रसायन संयंत्रों, चीनी मिलों, फार्म तथा डेयरी उद्योगों को दिए गए हैं। इस विशेष मामले के बारे में मुझे इस समय कोई जानकारी नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान : क्या आप इसकी जाँच करेंगे ?

श्री वी० एन० गाडगिल : मुझे अभी इसके बारे में बताया गया है किन्तु मुझे इसकी जाँच करनी होगी उसके बिना मैं स्पष्ट वक्तव्य नहीं दे सकता। अथवा हो सकता है, किसी तकनीकी आधार पर ऐसा कहा गया हो किन्तु मैं अभी बिना देखे कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दे सकता। मुझे मालूम करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनवारी लाल। अनुपस्थित।

सिनेमाघरों के निर्माण सम्बन्धी नियम तथा सम्बद्ध मामले

***227. डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "फिल्मों के वितरण तथा प्रदर्शन" विषय को संविधान की समवर्ती

सूची में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को यह आश्वासन दिया है कि इससे मनोरंजन कर लेने का उनका अधिकार प्रभावित नहीं होगा ;

(ग) क्या सरकार सिनेमाघरों के निर्माण तथा सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में समान नियम रखने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस विषय पर सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) : सेंसरशिप को छोड़कर सिनेमा का विषय राज्य विषय है। इसलिए सिनेमाघरों के निर्माण और संबंधित मामलों के बारे में नियम बनाना राज्य सरकारों का काम है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने सिनेमाघरों के निर्माण तथा संबंधित मामलों के सम्बन्ध में एकरूपता सुनिश्चित करने के विचार से राज्य सरकारों को सिनेमाघर लाइसेंसिंग नियमों में संशोधन करने के लिए सुझावों को परिचालित किया है।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि केन्द्र सरकार इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित करने की इच्छुक नहीं है। वास्तव में, इससे राज्य सरकारों, चलचित्रों के वितरकों तथा निर्माताओं तथा प्रदर्शनकर्ताओं को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। तथापि, सरकार सिनेमा देखने वालों के प्रति अपने कर्त्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकती। सरकार ने अभी तक सिनेमा थियेटरों के बारे में कुछ सुझावों संशोधनों तथा, नियमों को परिचालित किया है। थियेटरों को युक्ति संगत बनाने तथा उनका वर्गीकरण करने के बारे में कुछ नहीं किया गया है तथा कोई मानक नहीं निर्धारित किया गया है। आजकल विभिन्न तरह के थियेटर हैं और वे सिर्फ मनोरंजन कर एकत्र करने की वस्तु मात्र बन गये हैं। निसंदेह इससे सरकार को आय होती है। किन्तु बेचारे सिनेमा देखने वालों के लिए सुविधाओं का अभाव थियेटरों की कमी तथा थियेटरों के निर्माण के लिए किसी भी अन्य मानक का अभाव तथा दिखाई जाने वाली फिल्मों की श्रेणियां कौन सी होनी चाहिए के सिवाय कुछ भी नहीं है।

अत: क्या मैं सरकार से जान सकता हूँ कि वास्तव में राज्य सरकारों को क्या परिचालित किया जा रहा है ?

इसमें सम्मिलित सभी संबंधित विषयों के ब्यौरे भी दिये जायें।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं यह कहना चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। किन्तु मैं इसमें सुधार करना चाहता हूं क्योंकि जब वह कहते

हैं कि इससे राज्य सरकारों तथा निर्माण उद्योग की संतुष्टी हुई है। ऐसा नहीं है। इससे कुछ राज्य सरकारों की संतुष्टी होगी। यह सच है कि मैं इस समस्या की पृष्ठभूमि में जाऊँगा—सरकार ने कार्य समिति की नियुक्ति की है। उन्होंने ठोस कारण देकर कहा है कि सिनेमा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करना चाहिये। इस विषय पर सूचना मंत्रियों की बैठक में भी चर्चा की गई थी वहां पर भी यह निर्णय किया गया था कि यह राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए उनकी मनोरंजन कर एकत्र करने के विषय में पूरी सुरक्षा की जानी चाहिए। किन्तु जम्मू एवं काश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिल नाडू तथा केरल सरकारें सिनेमा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने के खिलाफ थीं।

1982 में सूचना मंत्रियों के सम्मेलन, में इस विषय पर फिर से चर्चा की गई थी। उस समय भी यह निश्चय किया गया था कि इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिल्मों के वितरणों के विषय आदि को भी समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। बाद में दो अथवा तीन राज्य सरकारें इसके विरुद्ध थी। यह जानकर कुछ सन्तुष्टी होगी कि सर्वसम्मति इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित किये जाने की थी। इसलिए यह कहना सच नहीं है कि सरकार इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं करना चाहती। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे हमें कुछ संतोष होगा।

किन्तु जैसा कि मैंने कहा है मैं समझता हूं कि इस बारे में सामान्य समिति यह थी कि इसको समवर्ती सूची में लाया जाना चाहिए। किन्तु मन्त्रालय द्वारा इस बारे में यह कार्य किया गया था कि क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है अथवा इसके अलावा भी क्या कोई विकल्प है—यहां विकल्प थे, या तो संविधान में संशोधन करने के लिए कार्यवाही की जा सकती है अथवा कोई अन्य कार्यवाही की जा सकती है। इस कार्यवाही के पश्चात मन्त्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि फिलहाल इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और साथ ही मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को बहुत ठोस और सुस्पष्ट सुझाव भी भेजे। इन सुझावों की एक प्रति सभा पटल पर रखकर अथवा माननीय सदस्य को एक प्रति देकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अतः राज्य सरकारों को सुस्पष्ट सुझाव दिये गये थे ताकि यदि आवश्यक हो तो वे नियमों को संशोधित करने के लिये पग उठा सकें जिससे देश में और अधिक सिनेमा थिएटर हों।

अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड के अनुसार, हमारे देश में 30,000 सिनेमाघर होने चाहिएं जबकि इस समय हमारे देश में 4000 अस्थाई सिनेमाघरों सहित 11,000 सिनेमाघर हैं। सरकार इसके लिए बिल्कुल उत्सुक है कि सिनेमाघरों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जैसा कि मैं बता चुका हूं कुछ कठिनाईयों को दृष्टि में रखते हुए, फिलहाल हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं।

डा० वसंत कुमार पंडित : प्रश्न के भाग (क) और (ख) का जो उत्तर सरकार ने दिया है वह अब संशोधित हो गया है। मुझे खुशी है कि सरकार सिनेमाघरों के निर्माण को अपने कार्यक्षेत्र में लाने की सोच रही है। माननीय मंत्री ने सिनेमाघरों की कमी पर चिंता व्यक्त की। हाल ही में जो सर्वेक्षण हुआ है यह उससे मालूम पड़ता है कि प्रति एक हजार जन संख्या के लिए सिनेमाघरों की केवल 7.30

स्थान प्राप्त हैं। यहां तक कि दिल्ली, जो महानगर है, मैं भी अनुपात सिनेमाघर प्रति 1.1 लाख जनसंख्या है। मुझे ग्रामीण क्षेत्रों—जहां सिनेमाघरों के निर्माण और उनके स्तर का नितान्त अभाव है—की अधिक चिंता है। इसलिए, क्या मैं जान सकता हूं कि कारन्थ समिति, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमाघरों के लिए आदिरूपीय ढांचे के भवन बनाने का सुझाव दिया था, के प्रतिवेदन पर वास्तव में क्या निर्णय लिया गया है ? विशेषकर अब जब छोटे सिनेमाघर बनाए जा रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कुछ विनियम बनाए जाने चाहिएं ताकि वहां के सिनेमाघरों के लिये भी कोई मानक निश्चित हों।

श्री एच० के० एल० भगत : कारन्थ समिति के निष्कर्षों के अनुसार प्रति हजार जनसंख्या पर सिनेमाघर केवल 7 स्थान उपलब्ध हैं जो हमारे कुछ पड़ोसी देशों सहित अधिकतर देशों के स्तर के हिसाब से बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया था कि इस विषय को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। मैं पहले ही इसका कारण बता चुका हूं कि फिलहाल हमने इस मामले को आगे न बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके कुछ बहुत व्यवहारिक और सुस्पष्ट कारण तथा कठिनाइयां हैं जो मैं समझता हूं कि माननीय श्री वसंत कुमार पंडित यदि अपनी दाईं ओर विशेषकर श्री देसाई की ओर देखें तो शायद इस बात को समझ जाएंगे। किन्तु यह कहना सही नहीं है कि केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में कोई पग उठाना नहीं चाहती है। सिनेमाघरों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय फिलम विकास निगम द्वारा ऋण दिया जाता है। इसके फलस्वरूप कुछ प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किन्तु सिनेमाघरों के सम्बन्ध में उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों की अधिक अच्छी स्थिति है।

अब मेरे मित्र ने गांवों का प्रश्न उठाया है। उन्होंने वीडियो थियेटरों के बारे में भी कहा है। कारन्थ समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही करते हुए, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को लिख दिया था कि उन्हें वीडिओ थिएटरों आदि के निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए। किन्तु अब हम वीडिओ घर, इत्यादि देख रहे हैं। वीडिओ ऐसी वस्तु है जिसकी कामना हम नहीं छोड़ सकते हैं। यह एक प्रौद्योगिकीय प्रगति है जिसका हमें सदुपयोग करना होगा। किन्तु दूसरी ओर, यदि वीडिओ घरों को बिना किसी नियन्त्रण और विनियम के अनुमति दी जाती है तो वे कोई भी फिलम दिखा सकते हैं। सभी चोरी की अनधिकृत फिल्में दिखाई जा सकती हैं। बुरी और गंदी फिल्में दिखाई जा सकती हैं। सभी प्रकार की फिल्में दिखाई जा सकती हैं। सभी प्रकार की अनैतिक बातें दिखाई जा सकती हैं। अतः सरकार इस बारे में काफी सतर्क है। हाल ही में, केन्द्र के सूचना सचिव ने राज्य सरकारों के सूचना सचिवों की बैठक बुलाई थीं, उसमें मैं भी शामिल हुआ था। अतः यह मामला विचाराधीन है कि वीडियो का प्रयोग किस प्रकार किया जाए और उसे कैसे विनियमित किया जाए ताकि उसका सदुपयोग किया जा सके और उसके दुरुपयोग की जो सम्भावनाओं से बचा जा सके।

श्री जगदीश टाइटलर : मेरा प्रश्न सिनेमाघरों में दिखाई जा रही फिल्मों से सम्बन्धित है। यह बहुत अच्छी बात है कि अधिक सिनेमाघरों के निर्माण के लिए अनुमति दी जा रही है। मैं मंत्री महोदय से इस बात का उत्तर देने के लिए अनुरोध करूंगा कि फिल्मों में बढ़ती हुई अश्लीलता, गाली-

गलौज, और हिंसा के लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या मंत्री महोदय इससे अवगत हैं ? इतना ही नहीं, हाल ही में ऐसी फिल्मों की बाढ़ आई है, जिनमें राजनीतिज्ञों को बुरे ढंग से चित्रित किया गया है। राजनीतिज्ञों के जीवन पर बनी इन फिल्मों के दिखाए जाने पर अब तक न तो किसी विपक्षी सदस्य ने आपत्ति प्रकट की है और न सत्तारूढ़ दल के सदस्य ने आपत्ति की है। अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि क्या वह इससे अवगत हैं और यदि हाँ, तो क्या वह उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे जो छोटे-छोटे बच्चों को जानबूझकर यह अश्लीलता दिखा रहे हैं ? मेरे छोटे बच्चे पूछते थे, यहाँ तक कि मेरी छोटी लड़की मेरे पास आई और पूछा : "पापा क्या राजनीतिक जीवन में ऐसा होता रहा है ?" मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इन सब बातों की अनुमति देने के लिए कौन उत्तरदायी है ? अध्यक्ष महोदय मुझसे सहमत हैं कि इस प्रकार की बातें की जा रही हैं और राजनीतिज्ञों को बुरे ढंग से चित्रित किया जा रहा है और मुझे आश्चर्य है कि इस पर किसी ने भी आपत्ति नहीं की है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इससे अवगत हैं और सेंसर बोर्ड इस प्रकार की फिल्मों के प्रदर्शन की क्यों अमुमति देता है और इस बात को देखने के लिए क्या पग उठाए गए हैं कि इस प्रकार की अश्लीलता, गाली-गलौज भरी भाषा और हिंसा छोटे-छोटे बच्चों को न दिखायी जाए ?··· (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : श्रीमन्, आपने इस प्रश्न को पूछने की अनुमति दी है और मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। माननीय सदस्य की भावनायें, निस्संदेह, सामान्यरूप में व्यक्त की गई हैं। मैं उनके साथ सहमत हूं। ·· (व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : कृपया इसे गम्भीर रूप से लीजिए, 'सामान्य' शब्द का प्रयोग मत कीजिए। यह एक गम्भीर बात है··· (व्यवधान) ··

आपके बच्चे बड़े हो सकते हैं किन्तु मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं.·· (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : कृपया मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कीजिए। मैं बात समझ रहा हूं और माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्यों की चिन्ता समझता हूं कि अश्लीलता और हिंसा से युक्त फिल्मों में इस सीमा तक नहीं दिखाई जानी चाहिए कि उससे हमारे छोटे बच्चों के मस्तिष्क ही प्रदूषित हो जाएं। माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्यों की इस चिन्ता से मैं पूरी तरह से सहमत हूं··· (व्यवधान) क्या आप प्रतीक्षा करेंगे और मेरी बात सुनेंगे ? फिल्मों के प्रमाणन के लिए हमने कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं;··· (व्यवधान)···मैं प्रश्न के सभी पहलुओं का उत्तर दूँगा। अब फिल्म प्रमाणन का कार्य 'फिल्म-प्रमाणन-बोर्ड' और क्षेत्रीय प्रमाणन बोर्ड द्वारा किया जाता है। उनका पहला मुद्दा यह है कि बहुत सी फिल्मों में राजनीतिज्ञों और यहां तक कि राजनीतिक प्रणाली को भी बुरे ढंग से चित्रित किया जा रहा है और उन फिल्मों में निन्दा की गई है, हिंसा है और राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है। कुछ फिल्मों में ऐसा किया गया है किन्तु बात यह है कि क्या हम कानून के अधीन इसे रोक सकते हैं ? यदि आप मुझसे पूछते ही हैं तो मैं आपको स्पष्ट

बताता हूं कि इस बारे में हमारा स्वयं का अनुभव यह रहा है कि जिन मामलों में हमने ऐसी फिल्मों को रोका, उन लोगों ने न्यायालय जाकर स्थगन आदेश प्राप्त किया और जिस फिल्म को तीन महीने तक चलना था वह एक वर्ष तक चली। अतः यह बात मत भूलिए कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में सिनेमा की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है। सरकार केवल कानून के अनुसार ही कार्य कर सकती है। यदि कुछ अभद्र दिखाया गया है तो हम निश्चित रूप से उसके विरुद्ध हैं और हम यथा सम्भव कार्यवाही करेंगे।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं नहीं समझता कि उस फिल्म के सम्बन्ध में नाम मैं बाद में बता सकता हूं—कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गये हैं। जिसमें एक मुख्य मन्त्री को बताया जाता है—मुझे सदन में यह कहते हुए भी शर्म आती है—और मन्त्री महोदय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में बता रहे हैं··· (व्यवधान) ···कोई भी सम्माननीय सरकार इस प्रकार के दिशानिर्देश जारी नहीं करेगी··· (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : यदि श्री जगदीश टाइटलर यह कहते हैं कि दिशानिर्देश नहीं हैं तो वे सौ फीसदी गलत हैं। इस बारे में बहुत स्पष्ट तथा सुनिश्चित दिशानिर्देश हैं··· (व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : क्या आपने कार्यवाही की ? यदि मैं इन चीजों को आपके सामने लाऊँ तो क्या आप कार्यवाही करेंगे ?··· (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मंत्री महोदय से जारी किए गए इन दिशानिर्देशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का अनुरोध क्यों न किया जाए।

श्री एच० के० एल० भगत : अवश्य, अवश्य। और वाजपेयी जी, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि दिशानिर्देश उसी सरकार के थे जिसमें आप मंत्री थे··· (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनका इसमें कोई योगदान नहीं है··· (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : मैं दिशानिर्देशों की एक प्रति सभा-पटल पर रख दूंगा··· (व्यवधान)

सातवीं योजना में घरेलू कार्यों के लिए ऊर्जा की मांग को पूरा करने को प्राथमिकता देना

*228. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय घरेलू ऊर्जा की, विशेषकर ग्रामीण और शहरी निर्धनों के लिए, मांग पूरा करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में सलाहाकार बोर्ड के सुझाव भी प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सुझावों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय घरेलू कार्यों की ऊर्जा की मांग, विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी गरीब व्यक्तियों, की पूरी करने की आवश्यकता के बारे में सरकार को जानकारी है। ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने भी अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया था कि ईंधन लकड़ी अथवा अन्य उपयुक्त ईंधन की सप्लाई पर समाज की न्यूनतम आवश्यकता के रूप में आयोजना के प्रयोजन के लिए विचार किया जाना चाहिए। बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि लकड़ी की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए गहन तथा विस्तृत वनरोपण कार्यक्रम हाथ में लिए जाने चाहिएं। स्थानीय समुदाय के पूर्ण सहयोग से उनकी ईंधन और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक वनरोपण स्कीमों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बोर्ड ने खाना पकाने के लिए ईंधन के उपयोग में अधिक कार्य कुशलता लाने के लिए बेहतर चूल्हों के उपयोग का प्रचार करने पर भी बल दिया है। बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री के रूप में लकड़ी के उपयोग के लिए अनुमति केवल उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए जिनमें यह अनिवार्य तथा अपरिहार्य हो तथा उपयोग करने वाले उद्योग उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली लकड़ी को पूर्ण रूप से पैदा करने के लिए वचनबद्ध हो।

योजना आयोग ने सातवीं योजना तैयार करने के लिए विद्युत, पैट्रोलियम, कोयला और गैर परम्परागत ऊर्जा साधनों पर कार्यकारी दलों का गठन किया है। ये कार्यकारी दल अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू क्षेत्र की ऊर्जा की मांगों पर विशेष रूप से गरीब ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों की मांगों पर विचार करेंगे। ऊर्जा सलाहकार बोर्ड के सुझावों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की अनुपस्थिति में, विशेषकर ग्रामीण निर्धन लोग जलाने की लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप वनों की कटाई हुई है तथा वन क्षेत्रों का विनाश हुआ है। वे गोबर के उपयोग का भी सहारा ले रहे हैं, जो खेतों में खाद के रूप में दिया जा सकता है। क्या सरकार ग्रामीण निर्धनों की घरेलु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलाने की लकड़ी तथा गोबर के सिवाए किसी वैकल्पिक साधन पर विचार कर रही है ? क्या ग्रामीण निर्धनों की मांगों को पूरा करने के लिए अब तक कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं घरों के लिए ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के क्षेत्र में काफी काम किया जा रहा है। अपनी सिफारिशों में ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने खाना पकाने के ईंधन के उपयोग में दक्षता लाने के लिए बेहतर चूल्हों के उपयोग के महत्त्व पर बल दिया है। प्रश्न के दूसरे भाग को मैं नहीं समझ पाया हूं।

श्री अन्नत रामुलु मल्लु : क्या ग्रामीण निर्धनों की घरेलु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हमारे जैसे इतने बड़े देश में इस प्रकार का कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर कुछ मूल्यांकन किए गए हैं। घरेलू क्षेत्र ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और कुल ऊर्जा खपत का 50 प्रतिशत इसमें खर्च होता है, लेकिन इस क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली अधिकतर ऊर्जा गैर-परम्परागत ऊर्जा के रूप में होती है। वाणिज्यिक उर्जा के खपत तरीके से यह पता चलता है कि घरेलु क्षेत्र में कुल खर्च की गई वाणिज्यिक ऊर्जा की खपत केवल 5 प्रतिशत है।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था। क्या इस बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : वे इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : यदि कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है तो क्या ग्रामीण निर्धनों की घरेलु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार के पास कोई लम्बी अवधि की योजना है ? माननीय मन्त्री विभिन्न अवसरों पर राज्य बिजली बोर्डों को धन-राशि देने की कृपा करते रहे हैं। उनके अवसरों पर भारत सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दी गई धन-राशिओं का अन्य कार्यों में उपयोग किया गया। क्या सरकार इस त्रुटि को दूर करने पर विचार कर रही है ? कुछ समय पहले जब आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस (ई०) सत्ता में थी तो राज्य सरकार के पास प्रत्येक घर में, विशेषकर नव-निर्मित हरिजन कालोनियों में, बिजली पहुंचाने की योजना थी। क्या इस प्रस्ताव को सारे देश में कार्यान्वित करने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सरकार घरेलु ऊर्जा की मांग, विशेषकर ग्रामीण तथा शहरी निर्धनों की मांग को प्राथमिकता दे रही है। और सातवीं पंच वर्षीय योजना तैयार करते समय ऊर्जा सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों का अनुपालन करने के अतिरिक्त इसे भी दृष्टिगत रखा जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया है कि ईंधन लकड़ी अथवा अन्य उपयुक्त ईंधन की सप्लाई पर समाज की न्यूनतम आवश्यकता के रूप में योजना बनाने के प्रयोजन के लिए विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने गहन तथा विस्तृत वनरोपण कार्यक्रमों तथा सामाजिक वनरोपण योजनाओं की भी सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, उद्योगों में लकड़ी के कच्चे माल के रूप में उपयोग के

लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि इसकी अनुमति केवल उन्ही मामलों में दी जानी चाहिए जिसमें यह अनिवार्य तथा अपरिहार्य हो तथा उपयोग करने वाले उद्योग उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली लकड़ी को पूर्ण रूप से फिर पैदा करने के लिए वचनबद्ध हों। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग ने बिजली, पेट्रोल, कोयले तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा साधनों पर कार्यकारी दल नियुक्त किये हैं। तथा ये दल घरेलु क्षेत्र, विशेषकर ग्रामीण तथा शहरी गरीबों की ऊर्जा मांगों पर विचार करेंगे। सातवीं पंच वर्षीय योजना तैयार करते समय उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

जहाँ तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का सम्बन्ध है, सरकार इस पर निगरानी रखती है तथा राज्य बिजली बोर्डों को दिशानिर्देश देती रहती है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। कि जो धन-राशि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दी जाती है, उसे किसी अन्य कार्य में खर्च न किया जाए। प्रत्येक सामुदायिक निर्माण आवास कार्यक्रम को बिजली उपलब्ध कराने की दूसरी योजना के बारे में मैं कहूंगा श्रीमन् यह निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम में शामिल है और हम इसे कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मेरा सवाल गोबर-गैस प्लान्ट के बारे में है। ग्रामीण क्षेत्रों में फ्युएल की ज्यादा जरूरत है। उसके लिए गोबर-गैस प्लान्ट जिसमें से कुछ लाईटिंग की भी व्यवस्था हो सकती है, जैसाकि साइंटिस्ट का कहना है, सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो आप इस प्लान में पूरे देश के लिए हर देहात में एक गोबर गैस प्लान्ट जिसमें ह्यूमन एस्क्रेटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, का कोई टार्गेट बनाने के लिए तैयार हैं क्योंकि यह बहुत अच्छा और महत्त्व का सोर्स है। आपने केवल कन्वेन्शनल सोर्स की बात को इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो गोबर-गैस प्लान्ट के बारे में आपकी क्या योजना है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिया है, सातवीं योजना के बनाते समय उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।

श्री संतोष मोहन देव : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वह कौन सा मापदन्ड है जिससे आप यह मानते हैं कि गाँव का विद्युतीकरण हो गया है। महोदय, अपने अनुभव के आधार पर हमने देखा है कि यदि गाँव में आठ किलोमीटर लम्बी सड़क है तो उस गाँव में एक खम्बा गाड़कर वे अपने रिकार्ड में यह लिख लेते हैं कि सारे गाँव का विद्युतीकरण हो गया है। परिणामस्वरूप गरीब लोगों के लिये बिजली का कनेक्शन लेना बहुत कठिन हो जाता है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, यह कहने का एक मात्र मापदंड कि गांव का विद्युतीकरण हो गया है, यही है कि उस गांव का वास्तव में विद्युतीकरण हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन पहले वहां खम्बा होना जरूरी है। अन्यथा विद्युतीकरण नहीं हो सकेगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अवश्य श्रीमन्। लेकिन फिर भी शिकायतें हो सकती हैं, और यदि माननीय सदस्य मुझे कुछ विशिष्ट मामले दें, तो हम अवश्य इन मामलों की जांच करेंगे।

कोयले का उत्पादन लक्ष्य

*229. **श्री बी० डी० सिंह** : }
श्री रसीद मसूद } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना के लिए कोयले का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने की कोई सम्भावना नहीं है यद्यपि मूल लक्ष्य में कटौती कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कोयला उत्पादन लक्ष्य में पहले कितनी कटौती की गई थी तथा कोयला उत्पादन के संशोधित लक्ष्य को छठी योजना के अन्त तक प्राप्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अब कोयले का कितना उत्पादन होने का अनुमान है और उसके फलस्वरूप मांग तथा पूर्ति में कितना अन्तर रहने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्यमन्त्री (श्री दलवीर सिंह) (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

छठी योजना में योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1984-85 में मूलतः 165 मिलियन टन कोयले के उत्पादन की व्यवस्था थी। यह उस वर्ष तक 160 मिलियन टन की अनुमानित वार्षिक माँग पर आधारित था। छठी योजना के विभिन्न वर्षों के लिए, कोयले की माँग के वर्ष-वार निर्धारण के आधार पर योजना आयोग द्वारा निश्चित वार्षिक लक्ष्य और कोयले का वास्तविक उत्पादन नीचे दिए गए हैं :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1980-81	113.50	113.90
1981-82	121	124.90
1982-83	133	130.60
1983-84	142	139.00 (पूरा होने की सम्भावना है)
1984-85	152	—

छठी योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1984-85 के लिए उत्पादन लक्ष्य घटाकर 152

मिलियन टन कर दिया गया है जिसका मुख्य कारण यह है कि वर्ष 1984-85 के लिए माँग का संशोधित अनुमान केवल 155.7 मिलियन टन है और यह माँग वर्तमान उत्पादन से तथा खान-मुहाना स्टाकों से कोयला लेकर पूरी कर दी जायेगी। छठी योजना के पहले दो वर्षों में कोयले का उत्पादन वार्षिक लक्ष्यों से थोड़ा अधिक हुआ था। अगले दो वर्षों में उत्पादन लक्ष्य से थोड़ा ही कम हुआ था। कोयले के उत्पादन में कमी के मुख्य कारण रहें हैं बिजली की कमी, कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्याएँ, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति और हड़तालें। फिर भी कोयले की माँग ज्यादातर तो इस समय पूरी ही की जा रही है जो कि इस बात से स्पष्ट है कि कोयले के खान-मुहाना स्टाक अक्तूबर, 1983 के अन्त में 15.5 मिलियन टन थे किन्तु फरवरी, 1984 के अन्त तक यह बढ़कर 20.02 मिलियन टन हो गए।

श्री बी० डी० सिंह : अध्यक्ष जी, जहाँ तक कोयले के उत्पादन का सम्बन्ध है, जैसा कि स्टेटमेंन्ट में कहा गया है, सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, जो प्रारम्भ में 165 मिलियन टन रखा गया था वह लक्ष्य से बहुत नीचे रहने के कारण उसको रिवाइज किया, छठी योजना के अन्तिम वर्ष 1984-85 में 165 मिलियन टन से घटाकर 152 मिलियन टन मिला और जो वर्ष चल रहा है 1983-84, उसके लिए इन्होंने घटाकर 142 मिलियन टन किया लेकिन अभी तक जो घटा हुआ 142 मिलियन टन का लक्ष्य है उसके लिए भी उम्मीद है कि 139 मिलियन टन तक ही उत्पादन होगा। इसको देखते हुए यह पता चलता है कि सातवीं योजना के लिए जो लक्ष्य 240 मिलियन टन रख रहे हैं वह प्राप्त नहीं हो सकता। तो कोयले के उत्पादन की यह स्थिति है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यद्यपि अभी कुछ समय पूर्व तक सरकार की यह मान्यता रही है कि जो हमारा कोर सैक्टर है उसमें फारेन इन्वेस्टमेंन्ट इन्वाइट नहीं किया जायेगा लेकिन अब ऐसी सूचनाएँ हैं कि प्रोडक्शन शेरिंग के आधार पर कोल के सेक्टर में फारेन इन्वेस्टमेंन्ट को सरकार इन्वाइट करना चाहती है तो क्या सरकार का ऐसा विचार है फारेन इन्वेस्टमेंन्ट इन्वाइट करने का अथवा नहीं ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने टार्गेट के बारे में पूछा है कि छठी पंचवर्षीय योजना का जो टार्गेट था उसको बाद में कम किया गया तो उसका आधार डिमाण्ड है—अगर डिमाण्ड ही कम हो जाती हैं तो टार्गेट भी कम कर दिया जाता है। 1984-85 में भी 152 मिलियन टन का टार्गेट रखा गया है और यह भी डिमाण्ड के आधार पर हैं। जिस तरह से डिमाण्ड मैटीरियलाइज होती है उसके आधार पर साल के आरम्भ में प्लानिंग कमीशन सारी चीजों को देखकर टार्गेट रिवाइज करता है।

माननीय सदस्य ने दूसरी बात जो फारेन इन्वेस्टमेंन्ट के बारे में पूछी है, तो गवर्नमेंट का न तो कोई ऐसा इरादा है और न कोई ऐसी स्कीम है।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : अध्यक्ष जी, मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूं कि छठी योजना में किसी वर्ष टार्गेट को कम नहीं किया गया है सिवाय 1984-85 के और 1984-85 में पहले जो टार्गेट रखा गया था 168 मिलियन टन का वह जैसा कि मेरे साथी ने बताया है,

माँग कम होने की वजह से उसको घटाकर 152 मिलियन टन कर दिया गया लेकिन बाकी जितने साल हैं उनमें टार्गेट में कमी नहीं की गई है।

श्री बी॰डी॰ सिंह : अध्यक्ष जी, उत्तर में बताया गया है कि पिटहेड स्टाक बहुत बढ़ रहे हैं— अक्तूबर, 1983 में 15.5 मिलियन टन से बढ़कर फरवरी, 1984 में 20.02 मिलियन टन हो गए, इससे मालूम होता है कि डिमाण्ड कम हो रही है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या इसके पीछे ईंट-भट्टों का बन्द होना है या 8 जनवरी को कोयले के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसका छोटे उद्योगों की डिमाण्ड पर तो असर नहीं पड़ा है ? यदि असर पड़ा है तो कितना ?

दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो कोयले का उत्पादन होता है उसमें ऐस कन्टेन्ट ज्यादा रहता है इसलिए कम ऐश कन्टेन्ट वाला कोयला बाहर से सरकार आयात कर रही है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार, जितना फारेन एक्सचेंज कोयले के आयात पर लगा रही है, उतना ही कोयला इस देश से बाहर एक्सपोर्ट करने का भी प्रयास करेगा ?

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्य ने एक्सपोर्ट की बात कही है, एक्सपोर्ट हम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में करते हैं। हमारे जो नेबरिंग कन्ट्रीज, जैसे नेपाल, भूटान वगैरह हैं, इन्हीं के अन्दर थोड़ा कोयला जाता है। अब बहुत ही कम हो रहा है। इंपोर्ट बहुत थोड़ा होता है। आधा मिलियन टन के करीब होता है। उसमें ज्यादा बात नहीं है। ज्यादा इम्पोर्ट की नौबत नहीं है ··(व्यवधान)···

श्री सुनील मैत्रा : आपका आयात 3 मिलियन टन का है।···(व्यवधान)···

श्री दलबीर सिंह : इम्पोर्ट ज्यादा नहीं कर रहे हैं जहां तक क्वालिटी का सवाल है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। कोल-हैंडलिंग प्लांट्स को ज्यादा किया जा रहा है। कोल-हैंडलिंग प्लांट सौ के करीब मिनी चलते हैं और पचास के करीब बड़े हैंडलिंग प्लांट हैं। और ज्यादा व्यवस्था की जा रही है, इसको कवर करने के लिए ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं।

डा॰ कृपासिंधु भोई : उन्होंने बताया है कि लक्ष्य माँग के अनुसार निर्धारित किया जाता है। हमारे देश में कोकिंग कोयले तथा नॉन-कोकिंग कोयले की कुल मांग कितनी है ? क्या उन्हें कोठागुदाम निम्न ताप कार्बनीकरण संयन्त्र से कोई माँग-पत्र प्राप्त हुआ है जो कोयले की कमी के कारण प्रतिष्ठापित क्षमता से कम कार्य कर रहा है, अर्थात्, केवल 50 प्रतिशत ? उनकी कुल माँग क्या है तथा उनकी कुल प्राप्ति कितनी है ?···(व्यवधान) कोकिंग कोयले तथा नान-कोकिंग कोयले की कुल माँग कितनी है ? क्या उनके मंत्रालय ने इस ओर ध्यान दिया है कि देश में कोयले के और भण्डार मौजूद हैं जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है। ऐसा समझा जाता है कि काफी मात्रा में भूमिगत भंडार विद्यमान हैं जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है। क्या मंत्रालय ने विभिन्न अन्वेषी संगठनों से परामर्श किया है ? वे इस विषय पर विस्तृत आँकड़े दे सकते हैं और केवल तभी समस्या सुलझ सकती है।

श्री दलबीर सिंह : मेरे पास जो कागजात हैं, उनमें कोकिंग-कोयले तथा गैर कोकिंग कोयले के सम्बन्ध में माँगे गए आँकड़े नहीं है ।

डा० कृपासिंधु भोई : वे उनमें हैं। प्रश्न आपके उत्तर से पैदा हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं इन कागजात से अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

उन्होंने कहा है कि हम विदेशों का सहयोग नहीं ले रहे हैं। सोवियत संघ भूमिगत खनन में सहयोग कर रहा है। इसका पता उनके भाग.........

अध्यक्ष महोदय : इसका वे उत्तर दे चुके हैं।

श्री पी० शिवशंकर : मेरे मित्र ने यह कहा है कि हमारे पास कोकिंग कोयले तथा गैर कोकिंग कोयले से सम्बन्धित आँकड़े हैं। वे विभिन्न शीर्षों में हैं तथा उन्हें जोड़ना पड़ेगा। इसलिए, वह भाग सभा-पटल पर रखा जा सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । जहाँ तक कोठागुदाम कार्बनीकरण संयत्र का सम्बन्ध है, ऐसा नहीं है कि यह कोयले की कमी के कारण संकट में है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराया जाता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मांग की गणना किसी आधार पर की गई है ? यह आधार ठोस है या नहीं ? क्या माननीय मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि ईस्टर्न कोल फील्ड द्वारा लक्ष्य प्राप्त न करने के बावजूद आसनसोल खानों में कोयला खान-मुहानों जमा हो गया है। वहाँ खान-मुहाना स्टाक की मात्रा गम्भीर रूप से जमा हो गई है । इसलिए, आगामी मौसम में किसी भी समय आग लग सकती है, लेकिन यह मांग की कमी के कारण नहीं है, बल्कि यह इसलिए है कि खान-मुहाने से रेलों तथा ट्रकों आदि द्वारा उठाए जाने वाले कोयले के बारे में कुछ भ्रांति चल रही है । मैं भली प्रकार समझता हूं कि रोडवेज को निरुत्साहित किया जाना चाहिए । लेकिन यह सच है कि आसनसोल क्षेत्र के खान-मुहानों में कोयला नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि रेल मंत्रालय तथा आपके मंत्रालय के बीच कुछ भ्रांति चल रही है। यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आपका मंत्रालय इस पर गौर करेगा ताकि आगामी ग्रीष्म मौसम में आग को रोका जा सके ?

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे विभाग तथा रेल विभाग का सम्बन्ध है, उनमें परस्पर कोई भ्रांति नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि आसनसोल में कोयला ठीक से नहीं उठ रहा है । यह ठीक है कि वहां कोयले का कुछ स्टाक जमा हो गया है क्योंकि हमने कुछ कदम उठाएं हैं जिनके द्वारा कोयले की सड़क द्वारा ढुलाई पूरी तरह बन्द कर दी गई है। यही कारण है कि जितनी मात्रा में कोयला पहले उठ रहा था उतनी मात्रा में नहीं उठ पाया है। लेकिन अधिक वैगनें उपलब्ध हो जाने से कोयले का यह विशेष स्टाक उठ जाएगा।

जहां तक गर्मियों में कोयले को आग लगने के प्रश्न का सम्बन्ध है, सभी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं और ये उपाय जारी रहेंगे। प्रश्न के उस भाग के बारे में कोई कठिनाई सामने नहीं आएगी।

बल्क औषधियों का आयात

*230. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि देश के भीतर उत्पादन क्षमता उपलब्ध होने के बावजूद 27 बल्क औषधियों के आयात में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो हमारी विदेशी मुद्रा के अपव्यय को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) मेरा मन्त्रालय लगभग 600 प्रपुंज औषधों के आयात पर निगरानी रखता है। केवल बारह प्रपुंज औषधों के मामले में, जिनका स्वदेश में भी उत्पादन होता है, पिछले वर्ष के आयात की तुलना में 1982-83 में आयातों का मूल्य काफी बढ़ा है।

(ख) बढ़े हुए आयात मुख्यतः मांग और स्वदेशी उत्पादन में अन्तर के परिणामस्वरूप किए गए थे। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सभी व्यवहार्य उपाय किए जा रहे हैं। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त अन्तर को शीघ्रता से पूरा किया जाए और आयातों को न्यूनतम सीमा पर लाया जाए।

श्री के० राममूर्ति : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने बल्क औषधियों के आयात के सम्बन्ध में कुछ और जानकारी दी। मैंने केवल देश में उत्पादित उन 27 औषधियों के बारे में पूछा है, जिनके आयात में 1981-82 की अपेक्षा 1982-83 में वृद्धि हुई है। यह एक त्रासदी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रशसनीय प्रगति के बावजूद भी हम देश में बल्क औषधियों की सप्लाई के लिए पूर्णतः बहु राष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भर है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि देश में इन 12 बल्क औषधियों के उत्पादन में रत सयंत्रों की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है ? और यदि हाँ, तो मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित क्षमता का पूरा उपयोग हो, क्या कदम उठाये हैं ?

श्री वसन्त साठे : महोदय, जैसा कि मैंने जिक्र किया, मैं माननीय सदस्य तथा सदन के लाभ के लिए उन 12 बल्क औषधियों के नाम बताऊंगा, जिनके आयात में वृद्धि की गई है। उससे पता चलेगा कि कौन-कौन-सी दवाइयाँ तथा बल्क औषधियां हैं, जिनका उत्पादन हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जाता। वे हैं

केफीन, क्लोरफिनारमिन, क्लोरोक्विन साल्टस (मुख्यतः मलेरिया के लिए) डेसोन (कोढ़ के लिए), विटामिन 'ए', फेडराइन, ऑक्सीटेटरासाइक्लिन, ब्यूपरोफन परेडनिसोलोन, फोनोबार-बाइटोन, सलब्युटामोल तथा सल्फाडाइजीन।

ऐसा प्रतीत होता है कि बल इस पर दिया गया है कि हम देश में उत्पादन क्यों नहीं करते ? जबकि इनके आयात में वृद्धि हुई है। हर बार नई औषधियां, जैसे रिफेमपिसिन इत्यादि ईजाद की जा रही हैं, जिनका उत्पादन भारत में नहीं होता। लेकिन यह टी० बी० तथा कोढ़ के लिए बहुत प्रभावी औषधि है तथा इस वर्ष इनका आयात 16 करोड़ रुपये तक का हुआ है। या तो हमें टी० बी० तथा तपेदिक के उन्मूलन के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम मरीजों के लिए नवीनतम दवाइयां जुटानी होंगी अथवा यह कहना होगा कि हम आयात नहीं करेंगे।

हमने देश के निर्माताओं को इन औषधियों का उत्पादन मूल स्थिति से आरम्भ करने की अनुमति दी है। लेकिन तुरन्त, रातों-रात, इन औषधियों का उत्पादन आरम्भ करना सम्भव नहीं है। हमारे लोग समर्थ हैं, वे ऐसा कर रहे हैं।

मैं अपने माननीय मित्र के इस कथन से सहमत हूं कि विशेषकर सरकारी क्षेत्र में क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है और मैं इससे बहुत अधिक चिंतित हूं। कुल 50 क्षमता का उपयोग हो रहा है। हमें बहुत कुछ करना है। लेकिन हम उन औषधियों का निर्माण कर रहे हैं जिनका उत्पादन कोई भी गैर-सरकारी व्यक्ति नहीं करना चाहता अर्थात् हम सरकारी क्षेत्र में कड़ी मजूरी का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि हमें मूल अवस्था से आरम्भ करके पूंजी निवेश करना पड़ा। ये कुछ बाधाएँ हैं। लाभकारी क्षेत्र का उपयोग गैर-सरकारी क्षेत्र करता है और अलाभकारी क्षेत्र का उपयोग सरकारी क्षेत्र में किया जाता है। क्षमता का पूर्ण उपयोग न हो पाने का एक कारण यह भी है।

श्री के० राममूर्ति : मंत्री महोदय ने उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में जहां स्थापित क्षमता का 50% उपभोग नहीं हो रहा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व आई० डी० पी० एल० के धनाभाव के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और इस कारण वे अपने उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और यदि हां तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सक्रिय बनाने तथा स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री वसंत साठे : जहां तक आई. डी. पी. एल. और अन्य सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का संबंध है, हम उनके लिए समुचित धन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन सरकारी उपक्रमों को धन की व्यवस्था अपने निजी संसाधनों के बल पर स्वयं करनी चाहिए हमें यह नहीं समझना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र कल्प वृक्ष के समान है। सरकारी क्षेत्र भी उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां उन्हें अपने संसाधनों और निधि की व्यवस्था करने में स्वयं सूक्षम होना चाहिए। हमने उनको प्राथमिक सहायता दी। लेकिन सरकारी क्षेत्रों को अब कहना ही चाहिए कि उनमें धन तथा संसाधन जुटाने की क्षमता है। यह बहुत आवश्यक है। यदि सरकारी उपक्रम बिन पेंदे का बर्तन बन जाएं और उनको कुछ फल प्राप्त न हो तो हम जनता का धन कब तक उनमें लगा सकते हैं ? मैं वैसा रूख अपनाने का इच्छुक नहीं हूं। अतः मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को भी अच्छे कार्य-निष्पादन का प्रदर्शन करना चाहिए।

मुझे यह बताते हुए खुशी है कि उन्होंने अपनी कमर कस ली है। घाटे कम हो गये हैं। 1980-

81 में हुए 27 करोड़ रुपये का घाटा कम होकर 1982-83 में 24 करोड़ रुपये रह गया है। और यह आशा की जाती है कि इसमें और कमी आयेगी। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। घाटे में कमी लाना ही प्रर्याप्त नहीं है। हमें कहना चाहिए कि हम कुछ लाभ कमाने में भी समर्थ हैं। वह स्थिति भी आनी चाहिए। हमारा यही दृष्टिकोण है।

श्री सतीश अग्रवाल : जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन की पांच आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता औषधियों की प्रर्याप्ति सप्लाई है। महोदय, आपको वह विचित्र घटना याद होगी जब कि राजस्थान के एक ग्रामीण को लिए सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा उसे क्लोरोक्वीन उपलब्ध कराए जाने के निर्देश देने हेतु याचिका दायर करनी पड़ी। समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है। यह स्थिति है।

अब ये 600 प्रपुंज औषधियां आयात की जा रही हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आपका उत्पादन मात्र 20.6% है। वित्त मंत्री द्वारा 1984-85 के घोषित वित्तीय आवंटनों के अनुसार इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के लिए केवल 77 लाख रुपये और दिये गए हैं। इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड को दी गई केवल 77 करोड़ रुपये की राशि से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायेगी। विशेषकर 12 बल्क औषधियों के मामले में आप अधिक आयात कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री कृपया सदन को बताएंगे कि कुल कितनी मात्रा में इन बल्क औषधियों का आयात हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

औषधियों के उत्पादन और बिक्री में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका

*223. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या बाजार में औषधियों के निरन्तर अभाव और इनके ऊंचे मूल्यों को देखते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इनके उत्पादन और वितरण के मामले में उत्साहजनक महत्वपूर्ण और वास्तविक भूमिका निभा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो औषधियों के उत्पादन और बिक्री के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) : सार्वजनिक क्षेत्र के औषध उपक्रम एन्टीबायोटिक्स, सल्फा औषधों, टी० बी० निवारक औषधों, कुष्ठ निवारक औषधों, उच्च रक्तचाप निवारक औषधों, सेरा और वैक्सीन जैसी जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। बल्क औषध उत्पादन में उनका शेयर लगभग 20.62 प्रतिशत है।

औषधों की कमियां, जब कभी ध्यान में आई, वे मुख्य रूप से किसी ब्राण्ड औषध की स्थानीय प्रकृति की होती है जिसके लिए अन्य विकल्प उपलब्ध होते हैं। औषध फार्मूलेशनों की बाजार में उपलब्धता पर मेरे मंत्रालय द्वारा राज्य औषध नियंत्रकों, केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठनों के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त कमी की सूचनाओं और जनता से प्राप्त पत्राचार के आधार पर, निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। जहां भी कमी ध्यान में आती है सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों सहित संबंधित निर्माताओं को तुरन्त सप्लाई भेजने के लिए सलाह दी जाती है।

अधिकतम औषधों के मूल्यों पर मूल्य नियंत्रण आदेश के अधीन नियंत्रण रखा जाता है। औषधों और भेषजों के थोक मूल्य सूचकांक में अन्य सभी वस्तुओं की तुलना में कम वृद्धि हुई है (आधार वर्ष 1970-71)।

बहु-विटामिन फारम्यूलेशनों में "मार्क अप" का निर्णय

226. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) औषध और प्रसाधन अधिनियम की पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली बहु-विटामिन फारम्यूलेशनों में केवल 60 प्रतिशत का "मार्क अप" करने की अनुमति देने का निर्णय किन कारणों से किया गया;

(ख) क्या उक्त निर्णय लेते समय औषध उद्योग पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को ध्यान में रखा गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) 12 अगस्त, 1983 से मल्टिविटामिन फार्मुलेशनों के मुल्य निर्धारित करते समय भारत सरकार के निर्णयों एवं औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के उपबन्धों के अनुसार मल्टिविटामिन फार्मूलेशनों के कारखाने से बाहर की लागत पर 60 प्रतिशत मार्क अप स्वीकृत किया गया था।

मल्टिविटामिन सम्पाकों जिन्हें औषध तथा प्रसाधन अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार पुन: फार्मूलेट किया गया, के अधिकांश उत्पादकों ने अपने फार्मूलेशनों की उनके द्वारा निवेदित मूल्यों पर औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश के पैरा 14 (3) के अधीन सरकार से अनुमति लिए बिना बिक्री आरम्भ कर दी। मूल्यों को संशोधित करने का निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि मल्टिविटामिन फार्मूलेशन बहुसंघटक गैर-मानक संयोजन होते हैं। उत्पादक अपनी लाभप्रदता से सम्बद्ध उच्चतर मार्क अप के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ उत्पादकों ने सरकार द्वारा उनसे पूछे गए लाभप्रदता से संबंधित ब्यौरे देने के बाद मार्क अप पर पुन: विचार करने के लिए यह पहले ही आवेदन किए हैं।

हल्दिया पैट्रो-कैमिकल्स काम्पलेक्स का प्रोडक्ट मिक्स

* 231. **श्री नीरेन घोष** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के हल्दिया पैट्रो-कैमिकल्स काम्पलेक्स के प्रोडक्ट मिक्स के बारे में सरकार ने पुनः विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में किन परिणामों की आशा कर रही है ;

(ग) क्या परियोजना के प्राधिकारियों के परियोजना के लिए प्रोडक्ट मिक्स के बारे में विचार भिन्न है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) संशोधित सम्भाव्यता रिर्पोट की जांच की जा रही है।

(ग) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बालासोर अथवा मयूरभंज में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

*232. **श्री चिन्तामणि सेना** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उडीसा में कटक में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है और यह कितने क्षेत्र के लिए होगा ;

(ग) क्या इससे मयूरमंज के और बालासोर जिले, बालासोर शहर और इसके आसपास के क्षेत्र को भी, जो कि कटक से 150 से 200 किलोमीटर दूर है, लाभ होगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों को दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उडीसा के बालासोर जिला अथवा मयूरभंज में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) भवन और 150 मीटर ऊंचे स्टील टावर का निर्माण कार्य चल रहा है। उच्च शक्ति

वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर और आवश्यक उपकरणों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं । कटक में लगाए जा रहे ट्रांसमीटर की सेवा परिधि के लगभग 120 किलोमीटर होने की उम्मीद है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कटक में लगाए जा रहे उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर से बालासोर और मयूरभंज के जिलों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है । जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं हैं उनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजानाओं में किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में पानी उठाने के लिये सौर ऊर्जा चालित पम्प सेट

*233. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में 50 फीट से अधिक की गहराई से पानी उठाने के लिए सौर ऊर्जा चालित पम्प सेटों का उपयोग किया जाएगा ; और

(ख) इस क्षेत्र में किए गए परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) फिलहाल ऐसा नहीं है । 25 फुट से अधिक गहराई से पानी निकालने के लिए प्रकाशवोल्टीय पंपन प्रणाली को विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । हाईड्रोडायनामिक्स सिद्धांत और सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके भिन्न-भिन्न प्रकार की जल पंपन प्रणालियों पर प्रयोग किए जा रहे है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ (एफ० आइ० सी० सी० आई०) की योजना

*234. **श्री मोहन लाल पटेल** :

श्री बी० वी० देसाई : क्या **ऊर्जा** मन्त्री गैर सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हेतु बड़ी योजनाएं चालू करने के लिए अनुमति सम्बन्धी एफ० आई० सी० सी० आई के सुझाव के बारे में 26 जुलाई, 1983 के अनिरिक्त प्रश्न संख्या 281 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ (एफ० आई० सी० सी० आई०) ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने हेतु विद्युत उत्पादन बढ़ाने के संबंध में किसी योजना का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन्होंने विद्युत उत्पादन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्रों को अनुमति देने के लिए कुछ विशिष्ट प्रस्ताव भी भेजे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिये हैं :—

(1) उद्योग को अपनी लगभग 10 प्रतिशत आवश्यकेताओं को पूरा करने के कैप्टिव विद्युत उत्पादन सुविधायें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

(2) मुख्य रूप से सार्वजनिक यूटिलिटि ग्रिड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए प्राइवेट उद्यमियों को अनुमति देने के अतिरिक्त, मुख्यत: कैप्टिव उपभोग के लिए या तो सहकारिता के आधार पर अथवा सामूहिक आधार पर निजी क्षेत्र द्वारा बृहत विद्युत केन्द्रों की स्थापना के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(3) ऐसे स्थानों के समीप औद्योगिक यूनिटों को, जहां 'मिनी जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं, ऐसे विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल ने एक समान नीति के आधार पर विद्युत उत्पादन प्रस्तावों को स्वीकृति देने, एच० एस० डी० को कीमत कम करने, एच० एस० डी० को कम घरेलू कीमत पर भट्टी तेल एल० एस० एच० एस० द्वारा प्रतिस्थापित करने, विद्युत उपस्कर को आयात शुल्क तथा कैप्टिव विद्युत उत्पादन को बिजली से छूट देने, निर्यात ऋण सुविधाओं और आसान शर्तों पर बृहत विद्युत संयंत्रों के लिए उपस्कर के आयात के लिए अनुमति देने तथा ईक्विटी में छूट देने आदि के सम्बन्ध में भी विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं । यह भी सुझाव दिया गया है कि निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक आधार पर प्रचालन की अनुमति दी जाए तथा राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को जल, कोयले आदि जैसे विभिन्न निवेशों का इष्टतम समुपयोजन करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने में सहयोग देना चाहिए।

औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अन्तर्गत विद्युत का उत्पादन और वितरण सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है । तथापि, यदि राष्ट्रहित में आवश्यक हो तो मौजूदा निजी स्वामित्व वाली मौजूदा यूटिलिटीज के विस्तार पर अथवा नई यूनिटों की स्थापना पर रोक नहीं है। उपर्युक्त नीति के अनुसार निजी क्षेत्र में यूटिलिटिज के अलावा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए अनुमति उन मामलों में दी जाती है, जहां विद्युत की आवश्यकता बहुत अधिक होती है तथा विद्युत की सतत् और विश्वसनीय सप्लाई आवश्यक होती है । निजी क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन से सम्बन्धित अन्य प्रस्तावों का मूल्यांकन, तकनीकी आर्थिक दृष्टि से तथा सृजित किए जाने के लिए प्रस्तावित कुल अतिरिक्त साधनों और राष्ट्रीय विद्युत योजना के अन्तर्गत उनकी उपयुक्तता और अनिवार्यता के संदर्भ में किया जाना अपेक्षित होता है ।

सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाना

*235. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार विभिन्न कार्यों के लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाने का है ;

(ख) विभिन्न कार्यों के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करने वालों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सौर ऊर्जा के विभिन्न कार्यों में प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(एक) व्यक्तिगत रूप से और उद्योगों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों/प्रणालियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन देने की योजना का प्रारम्भ करना ;

(दो) विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों, सहकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों और अन्य सरकारी वाणिज्यिक संगठनों को इन प्रणालियों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता देना ;

(तीन) (क) सौर कुकरों और उनके सहायक कुकिंग पैनों की लागत का 33⅓ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 150 रुपये तक है। अतिरिक्त राजसहायता कुछ राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही है।

(ख) महिला संगठनों, स्वैच्छिक एजेन्सियों, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ निकट संबंधों में विकास और पोषण कार्यक्रम में सौर कुकरों की शुरूआत।

(चार) सौर प्रकाशवोल्टीय पम्पों के लिए सिंचाई मंत्रालय द्वारा छोटे और सीमांतिक किसानों को 75 प्रतिशत (अधिकतम 19,000 रुपये तक) और अन्य वर्ग को 33⅓ प्रतिशत (अधिकतम 83,000 रुपये तक की राजसहायता सरकारी

विभागों/एजेन्सियों को रोशनी के लिए 300 वाट क्षमता के सौर प्रकाशवोल्टीय पैनल की, 35,000 रुपये प्रति पैनल के हिसाब से राजसहायता प्राप्त कीमत पर, सप्लाई करना, 300 वाट क्षमता के पैनल सहित प्रकाशवोल्टीय पंपों की, प्रति पंप 25,000 रुपये के हिसाब से राजसहायता प्राप्त कीमत पर, सप्लाई करना ;

(पांच) राज्य सरकारों में सौर तापीय प्रणालियों/युक्तियों के समन्वयन और स्थापन के के लिए नोडल एजेन्सियों का पता लगाना । इन नोडल एजेन्सियों को, जहां देय होता है, तकनीकी जानकारी और सेवा खर्च दिया जाता है ;

(छ:) आवासीय बिल्डिगों को छोड़कर जिनका स्वामित्व और देखभाल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के पास है, सौर जल-तापन प्रणालियों की केन्द्रीय सरकार के संस्थापनों में स्थापन के लिए गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा 100 प्रतिशत सहायता देना ;

(सात) मौजूदा प्रौधोगिकियों के संवर्धन को सुविधा देने के लिए एक सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र की स्थापना करना, आदि रूप विकास और निर्माण, इंजीनियरिंग प्रणालियां, प्रदर्शन और क्षेत्रीय परीक्षण करना । सौर ऊर्जा के वाणिज्यिकरण को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर प्रयोग के लिए केन्द्र एक मुख्य भूमिका निभाएगा और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, उत्पादक संगठनों और प्रयोगकर्त्ता एवं विस्तारवादी अभिकरणों के बीच आवश्यक संपर्क बनाएगा ।

(ख) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कई प्रोत्साहनों को उपलब्ध कराया है । इन प्रोत्साहनों में संयंत्रों या मशीनरी के मूलह्रास में वृद्धि जिनकी व्यापार और व्यवसाय में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण और प्रयोग के लिए स्थापना, उत्पादन कर की छूट और सौर कुकरों पर राजसहायता एवं जल पम्पन युक्तियों, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के समान लागू होने वाले नियम और शर्तों पर वित्तीय संस्थानों ने संस्थागत ऋण के रूप में स्वीकार कर लिया है । कुछ राज्य सरकारों ने भी बिक्री कर पर छूट दी है और अपनी ओर से राजसहायता योजना प्रारम्भ कर दी है ।

(ग) वर्ष 1984-85 में सौर तापीय प्रणालियों/युक्तियों की स्थापना के लिए निम्न-लिखित लक्ष्य रखा गया है :—

1. सौर जल तापन प्रणालियां	—	100
2. सौर टिंबर भट्टियां	—	30
3. सौर अनाज शुष्कक	—	30
4. सौर विलवणीकरण प्रणालियाँ	—	15

वर्ष 1984-85 के दौरान 17,000 सौर कुकरों को बेचने का लक्ष्य रखा गया है ।

(घ) इस संबंध में 1984-85 के लिए बजट अनुमान में निम्नलिखित प्रावधान बनाए गए हैं।.

मद/शीर्ष	बजट अनुमान 1984-85 करोड़ रुपयों में
I. सौर तापीय ऊर्जा	
(क) अनुसंधान और विकास	0.40
(ख) प्रदर्शन	1.25
(ग) विस्तार	1.00
(घ) प्रशिक्षण परिसंवाद/कार्यशाला विस्तार	0.05
(च) सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र	0.40
(छ) सौर कुकर राजसहायता	0.25
	3.35
II. सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम	
(क) नासपेड कार्यक्रम	2.00
(ख) अनुसंधान और विकास	0.85
(ग) प्रदर्शन	0.05
	2.90

विधि की शिक्षा के स्तर में सुधार

*236. डा० प्रताप वाघ
श्री आर० पी० गायकवाड़ } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने विधि की शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए एल० एल० बी० के वर्तमान त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम में दो वर्ष और जोड़े जाने के पक्ष में अपना विचार व्यक्त किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

ग) देश में विधि की शिक्षा में सुधार लाने के लिए सरकार क्या उपाय करने पर विचार कर रही है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्यमन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी नहीं। सही स्थिति यह है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद ने विधि की शिक्षा की एक नई स्कीम बनाई है। इस स्कीम में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् विद्यमान त्रिवर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम के बजाय, 10+2 की नई प्रणाली की शालेय शिक्षा या समतुल्य पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् विधि अध्ययन के 5-वर्षीय पाठ्यक्रम का उपबंध है।

(ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा सुझाए गए नए 5-वर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम पर सरकार की प्रतिक्रिया को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) नए 5-वर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम पर विचार करने के साथ-साथ, देश में विधि की शिक्षा में सुधार लाने के प्रश्न पर भी सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा।

वर्दमान, पश्चिम बंगाल में तारघर

*237. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वर्दवान नगर के एक अन्धेरी गली के एक मकान में स्थित तार-घर किराये पर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 1500 वर्ग गज फर्श क्षेत्र के आधार पर इसका किराया 3000 रुपया प्रतिमाह निर्धारित किया गया है जिसके बारे में आरोप है कि 1200 वर्ग फीट फर्श क्षेत्र के लिए वह बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है ; और

(ग) क्या यह किराया उस इलाके में इतने ही फर्श क्षेत्र के मकानों के किराए के अनुरूप है ?

संचार मन्त्रालय में मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) यह तार-घर एक तंग गली में किराए की इमारत में है।

(ख) इसका किराया 1668 वर्गफीट, कुल स्थान के आधार पर 3000 रु० प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

(ग) जी हां।

मजदूर संगठनों द्वारा उपभोक्ता सूचकांक की नई क्रम तालिका संकलित करने का विरोध

*238. **श्री एन० ई० होरो** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय प्रचार समिति से सम्बद्ध आठ केन्द्रीय मजदूर संगठनों

नेश्रम मन्त्रालय द्वारा उनसे परामर्श किए बिना 1981-82 के मूल्यों के आधार हुर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की एक नई क्रम तालिका संकलित करने का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों के सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। आठ ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय प्रचार समिति से ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ।

(ख) मांग यह थी कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की एक बैठक शीघ्र बुलाई जाए, ताकि वर्तमान और प्रस्तावित सीरीज को सही करने के लिए किए जाने वाली कार्रवाइयों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

(ग) सरकार ने अभी तक इस बात को अन्तिम रूप नहीं दिया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की नयी सीरीज को कैसे बनाया जाए। श्रम ब्यूरो किसी प्रकार की नयी सीरीज जारी करने से पूर्व ट्रेड यूनियनों, राज्य सरकारों तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल करने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श करने की निर्धारित पद्धति का अनुपालन करेगा।

तपेदिक-निवारक दवाईयों की कमी

*238. **श्री के० मालन्ना** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में तपेदिक-निवारक दवाईयों की कमी है और यह दवाईयां या तो आसानी से उपलब्ध नहीं है अथवा सामान्य लोगों की पहुंच के बाहर हैं;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) क्या आयातित बल्क दवाईयों के घटे मूल्यों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जायेगा ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) तपेदिक-निवारक औषधों की किसी कमी की सूचना नहीं मिली है। तपेदिक-निवारक औषधों के लिए निर्धारित मूल्य उचित तथा उपयुक्त हैं और इन्हें औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(ग) एक महत्त्वपूर्ण तपेदिक-निवारक औषध रिफेम्पिसिन जो आयात की जाती है पर आधारित फार्मूलों के मूल्य फरवरी, 1984 में पुनः कम किए गए। कुछ पैक्स के सम्बन्ध में 20 प्रति-

शत तक की कमी की गई है । अतः मूल्य में कमी का लाभ पहले ही उपभोक्ताओं को प्रदान कर दिया गया है ।

राष्ट्रीय पन-बिजली निगम की टनकपुर परियोजना

*240. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पन-बिजली निगम को टनकपुर परियोजना पर 1983-84 के दौरान कितना व्यय होने की आशा है और इस परियोजना के लिए 1984-85 के लिए कितनी राशि मंजूर की जायेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना से सम्बन्धित कुछ कार्यालय हल्द्वानी में खोले गए हैं और आवास आदि का निर्माण कार्य किसी अन्य स्थान पर जो कि परियोजना स्थल के बहुत दूर है, आरम्भ किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन कार्यालयों को परियोजना स्थल से इतने दूर खोलने का क्या औचित्य है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान परियोजना के लिए डिजाइनों आदि के लिए आंकड़े सुनिश्चित करने पर 25 लाख रुपये व्यय किए जाने की आशा है । निवेश सम्बन्धी अनुमोदनों की प्रत्याशा में परियोजना के लिए वर्ष 1984-85 के लिए पांच करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है ।

(ख) और (ग) : स्थायी परियोजना मुख्यालय के लिए चुने गए स्थान वनबस्सा (टनकपुर के समीप) में किराए पर कोई उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं है । निर्माण पूर्व गतिविधियों का परिवेक्षण करने के लिए जनवरी, 1984 से हल्द्वानी में किराए के आवास में अस्थायी परियोजना मुख्यालय स्थापित किया गया है ।

बोनस अधिनियम/नियमों में संशोधन

*241. **श्री भोलाभाई** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रुपये का मूल्य कम हो गया है और श्रेणी-III-II के कर्मचारियों का वेतन भी मंहगाई भत्ते सहित किसी न किसी स्तर पर 1600 रु० की सीमा से अधिक हो जाता है, बोनस अधिनियम/नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि 1600 रु० से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी इसके अन्तर्गत आ सकें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का ठीक-ठीक प्रस्ताव क्या है और इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा अथवा घोषित कर दिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं। इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महिलाओं को रोजगार के अवसर

*242. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : छठी पंचवर्षीय योजना में ऐसे क्षेत्रों तथा सैक्टरों की शिनाखत जहाँ महिलाओं के लिए रोजगार कम हैं अथवा उनमें गिरावट आ रही है, और उपचारी उपायों पर जोर दिया गया है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण गोदामों, फ्लड-II डेरी विकास और सामाजिक फॉरिस्टरी जैसी योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार के अतिरिक्त अवसरों में वृद्धि हो सके। जिन अन्य बातों पर भी जोर दिया गया है, वे ये हैं— महिलाओं में स्व-रोजगार के संवर्धन और महिलाओं के परम्परागत व्यवसायों जैसे कि कताई तथा बुनाई दियासलाई-विनिर्माण, नारियल जटा, काजू, ग्रामीण मार्किटिंग, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आदि का आधुनिकीकरण; उनके लिए वैकल्पिक रोजगार हेतु कौशलों का विकास; मौलिक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था और कार्य तथा रहन-सहन की दशाओं में सुधार जैसे कि शिशु-गृह, काम-काजी महिलाओं के लिए होस्टल, आवास, अस्पताल तथा चिकित्सा सेवाएं, प्रसूति छुट्टी सम्बन्धी लाभों की व्यवस्था, परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन, आदि।

2. यद्यपि महिलाओं के लिए सृजित किए गए रोजगार अवसरों के बारे में सही-सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं, तथापि अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार में गत हाल में वृद्धि हुई जैसा कि सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र* में महिलाओं के लिए रोजगार में वृद्धि

मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष	संगठन क्षेत्र* में महिलाओं के लिए रोजगार	पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि की प्रतिशतता
1	2	3
	(लाखों में)	
1980	27.02	+3.3
1981	27.93	+3.4
1982	28.99	+3.8
1983@	29.84	+2.9

*सार्वजनिक क्षेत्र की सभी स्थापनाओं और निजी क्षेत्र के ऐसे गैर-कृषि स्थापनाओं को संदार्भत करता है जो 10 या इससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करती हैं।

@अनन्तिम।

सड़कों पर सौर ऊर्जा से प्रकाश

2563. **श्री अमन सिंह राठवा** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़कों पर रोशनी के लिए सौर ऊर्जा प्रकाश का उपयोग करने हेतु कोई परीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इसे ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष कर आदिवासी क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदन उठाए जा रहे हैं ?

उर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) जी हां।

(ख) और (ग) यद्यपि परिणाभ संतोषजनक हैं लेकिन प्रणाली की लागत अत्यधिक है । सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाने वाली रोशनी प्रणालियाँ फिलहाल प्रदर्शन के सीमित चरणों में हैं ।

औद्योगिक स्थापनाओं में कार्य समितियां गठित करने के लिए प्रक्रियाओं में संशोधन

2564. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक स्थापनाओं को व्यापक आधार वाले कार्योन्मुख और औद्योगिक संबन्धों की वर्तमान प्रवृत्तियों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें कार्य समितियों के गठन की प्रक्रियाओं में संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म बीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समाचार-पत्र कम्पनियों के स्वामित्व को कम करने के लिए दूसरे प्रेस आयोग की सिफारिश

2565. **श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे प्रेस आयोग ने स्वामित्व को समाप्त करने के बारे में कम्पनी कार्य विभाग द्वारा तैयार किए परन्तु उसे आगे न बढ़ाये गए एक विधेयक का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विधेयक की एक प्रति सभापटल पर रखेगी और चर्चा के लिए इसे दोनों सदनों के सदस्यों में परिचालित करेगी; और

(ग) क्या दूसरे प्रेस आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि समाचार-पत्र कम्पनियों का स्वामित्व कम किया जाना चाहिए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) द्वितीय प्रेस आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एक ऐसे विधेयक का उल्लेख है जिसे कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने तथा समाचार-पत्र कम्पनियों को बड़े व्यापार-घरानों से असम्बद्ध करने हेतु विशेष उपबन्ध शामिल करते हुए 1971 में तैयार किया गया था किन्तु उस पर अन्तिम रूप में कार्रवाई नहीं की गई।

(ख) इस अवस्था पर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, हाँ।

राज्यों में उर्जा को फिर से उपयोग में लाने के उपायों का विकास

2566. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न राज्यों में ऊर्जा को फिर से उपयोग में लाने के उपायों का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में केन्द्रीय सहायता से उपरोक्त मामलों में कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ;

(ग) उड़ीसा में इस सम्बन्ध में कौन-सा कार्यक्रम शुरू किया गया है ; और

(घ) इस प्रकार के कार्यक्रम को पूरा करने को प्रोत्साहित करने के लिए उस राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है ?

उर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) सभी राज्यों को सम्मिलित किया गया है।

(ग) उड़ीसा में आरम्भ किए गए कार्यक्रमों में बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र, पवन ऊर्जा, उन्नत प्रकार के चूल्हे का कार्यक्रम और सौर प्रकाशवोल्टीय पम्पों व सौर-कुकरों आदि सौर ऊर्जा कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

(घ) उड़ीसा सरकार को अब तक दी गई केन्द्रीय सहायता इस क्रम में है--बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना 54.86 लाख रुपये, सामदायिक/संस्थगत बायोगैस संयन्त्र 8.98 लाख रुपये, पवन ऊर्जा 8.44 लाख रुपये, उन्नत प्रकार के चूल्हे का कार्यक्रम 1.15 लाख रुपये, सौर ऊर्जा 1.70 लाख रुपये।

आवश्यक औषधों की कमी

2567. **श्री अजित बाग** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के बावजूद मलेरिया, फाइलेरिया क्षयरोग, अतीसार रोगों, सामान्य संक्रामक टैटनस, काली खांसी, खसरा, डिप्थीरिया, पोलियो, आन्त्र ज्वर, कुष्ठ रोग, गियार्डिया, मधुमेह, मिर्गी, खून की कमी, घेघा रोग, जीवाणुओं से फैलने वाले रोग, जिगर आदि सम्बन्धी रोगों का मुकाबला करने और उनको रोकने के लिए बहुत सी आवश्यक औषधों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) मेरा मन्त्रालय राज्य औषध नियंत्रकों, केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन से प्राप्त रिपोर्टों और जनता से प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर अनिवार्य और जीवन रक्षक औषधों की बाजार में उपलब्धता पर निगरानी रखता है। दिसम्बर/जनवरी की अवधि से संबंधित उपलब्धता स्थिति से निम्नलिखित का पता चलता है :—

मलेरिया निवारक, पेचिस निवारक, गियारडियल निवारक, एन्टीबायोटिक्स सहित छूत निवारक, इन्टेरिटिक निवारक, मधुमेह निवारक, रक्त कमी निवारक, गोइटरी निवारक, इमोयबिक निवारक, एन्टी इनफैक्टिव हेप्टाटाइज औषधों की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।

केवल पी. ए. एम. ग्रेन्यूलस (मै. फाइजर के) और डेप्सोन (मै. बूरोज वेलकम के) की कुछ स्थानीय कमी की सूचना दी गई थी किन्तु उन क्षेत्रों में उनके समकक्ष उत्पाद उपलब्ध थे।

फेनोबार्बीटोन पर आधारित मिर्गी निरोधी औषध अनुसूचित 'V' औषधों के लिए पृथक लाइसेंस धारी कैमिस्टों के पास उपलब्ध हैं।

जम्मू और काश्मीर में यूरी पन-बिजली परियोजना का निर्माण

2568. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में यूरी पन-बिजली परियोजना के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना से कुल कितनी ऊर्जा पैदा होने तथा कितनी भूमि में सिंचाई होने की आशा है तथा उक्त परियोजना के निर्माण पर कितनी लागत आएगी;

(ग) परियोजना के पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(घ) परियोजना को अब तक शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) जी, हां। उड़ी जल विद्युत परियोजना का अन्वेषण किया जा चुका है। परियोजना में 90% विश्वसनीय वर्ष में 2900 मेगावाट आवर के वार्षिक ऊर्जा उत्पादन के साथ 480 मेगावाट की क्षमता की प्रतिस्थापना की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में सिंचाई का कोई भाग शामिल नहीं है। परियोजना पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। परियोजना के स्थल पर कार्य शुरू होने की तारीख से 7 वर्षों की अवधि में पूरा करने का कार्यक्रम है।

(घ) परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्रीय सेक्टर में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। इसके केन्द्रीय सेक्टर में लेने के बारे में जम्मू और कश्मीर सरकार से अभी तक उनकी औपचारिक सहमति प्राप्त नहीं हुई है। उनकी सहमति प्राप्त होने पर परियोजना पर निवेश निर्णय के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी।

तपेदिक रोगी दवाओं का उत्पादन

2569. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तपेदिक रोगी दवा के निर्माताओं के नाम क्या हैं और उनका वार्षिक उत्पादन और उसका मूल्य कितना है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : संगठित क्षेत्र में क्षय-रोग निरोधी औषधों के निर्माताओं के नाम विवरण में दिए गए हैं। 1982-83 के दौरान राशि के रूप में क्षय-रोग निरोधी औषधों का वार्षिक उत्पादन और मात्रा नीचे दी गई है : —

क्रम सं०	बल्क औषध	मात्रा	मूल्य (रु० लाखों में)
1.	पी० ए० एस० और इसके लवण	288.40	230.72
2.	आई० एन० एच०	125 43	195.67
3.	थियासिटाजोन	25.09	37.77
4.	इथम्बूटोल	97.23	709.78
5.	पाइराजिनामाइड	0.58	7.43

विवरण

क्षयरोग निरोधी औषधों के निर्माताओं के नाम

1. **पी० ए० एस० और इसके लवण :**
    1. वायोकैम और सिन्ध
    2. वायो-ईवन्स
    3. आई० डी० पी० एल०
    4. फाईज़र
    5. टूबर फार्मा
    6. वान्डर
2. **आई० एन० एच० :**
    1. बायो-ईवन्स
    2. केमो-फार्मा
    3. फाईज़र
    4. सुनीता लैब्स
    5. एलबर्ट डेविड
3. **थियासिटाजोन :**
    1. यूनीकैम
    2. वायो-ईवन्स
    3. कैम-वैल
4. **इथम्बूटोल :**
    1. थेमिस कैमिकल्स
    2. साराभाई कैमिकल्स
    3. काडिला लैब्स
    4. लाइफिन कैमिकल्स
    5. ल्युपिन लैब्स
5. **पाइराजिनामाइड :**
    1. यूनी-सांक्यों
    2. स्टेन्डर्ड आर्गनिक्स

विभिन्न स्टाकयार्डों से कोयले की सप्लाई

2570. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला ढोने सम्बन्धी रेलवे की क्षमता में कमी के कारण विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले के लिए सीधे परमिट जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो यह बात उनके इस वक्तव्य से कहां तक भिन्न है कि देश में कोयले की सप्लाई विभिन्न स्टाकयार्डों से की जाएगी;

(ग) क्या सरकार स्टाकयार्ड नीति ही अपनाएगी; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्टाकयार्डों की संख्या क्या है, जिन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है तथा यदि अभी विचाराधीन हैं, तो सरकार उन्हें कब तक अंतिम रूप दे देगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) रेल द्वारा कोयला ले जाने में जितनी कमी रह जाती है उसे सड़क द्वारा स्टाकयार्डों से या निर्दिष्ट कोलियरियों से ले जाने के लिए परमिट दिए जाते हैं।

(ख) से (घ) कोल इण्डिया लि० ने अपने स्टाकयार्डों का क्रिया-कलाप बढ़ा लिया है और स्टाकयार्डों तक अधिक से अधिक कोयला पहुंचाया जा रहा है तथा स्टाकयार्डों से रेल ढुलाई से बच रहने वाली मात्रा का कोयला भी दिया जा रहा है। अब तक देश के विभिन्न भागों में मुख्य उपभोक्ता केन्द्रों में 83 स्टाकयार्ड (इनमें 21 नोशनल स्टाकयार्ड हैं) खोले गये हैं। आशा है कि 1984 में कोल इण्डिया लिमिटेड 21 और स्टाकयार्ड खोल देगा।

भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा काम पर लगाए गये ट्रक और डेम्पर

2571. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा कोयला खानों को रेत पहुंचाने या वहां से कोयला लाने के लिए लगाए गए ट्रकों और डम्परों की 1.1.1984 को कितनी संख्या थी और उनके मालिकों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या उक्त वाहनों में काफी वाहनों की संख्या जाली है;

(ग) क्या भारत कोकिंग कोल लि० के क्षेत्र-VI में गत 6 महीनों के दौरान ठेकेदारों ने झूठे और अधिक राशि के बीजक प्रस्तुत करके कोई अनियमितता की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या उदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

देश में टेलीफोन उपकरणों का उत्पादन

2572. **श्री नवीन रावणी : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टेलीफोन उपकरणों के वर्तमान उत्पादन से आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में टेलीफोन के उपकरण बनाने के और अधिक एकक स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इनके लिए कौन से स्थानों का चयन किया गया है और इन एककों में कितनी संख्या में मदों के उत्पादन की सम्भावना है; और

(घ) देश में टेलीफोन उपकरणों की मांग को पूरा करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के रायबरेली एकक में क्रासबार स्विचिंग उपस्कर की दो लाख लाइनों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने का निर्णय लिया है और उत्पादन अक्तूबर, 1982 से शुरू भी हो चुका है। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के पालघाट एकक में भी 10,000 समतुल्य लाइनों के मौजूदा स्तर को 1.5 लाख समतुल्य लाइनों तक बढ़ाकर उसका विस्तार किया जा रहा है जिसमें ट्रंक स्वचल एक्सचेंज उपस्कर, ग्रामीण स्वचल एक्सचेंज उपस्कर आदि का उत्पादन शामिल है। इसके अलावा, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के अधीन गोण्डा, उत्तर प्रदेश और बंगलौर कर्नाटक में इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर बनाने के लिए दो कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं।

(घ) कुछ मात्रा में स्विचिंग उपस्कर का आयात किया जा रहा है जिससे तत्काल मांग को पूरा किया जा सके।

दवाईयों का आयात

2573. **श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्षवार कितने रुपये मूल्य की दवाईयों का आयात किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आयात किए गए प्रपुंज औषधों का मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1. 1978-79	79.62
2. 1979-80	95.27
3. 1980-81	97.24
4. 1981-82	105.06
5. 1982 83	115.55

श्री नैना देवी और बिलासपुर तथा स्वरघाट और बिलासपुर के बीच टेलीफोन

2574. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में (एक) श्री नैना देवी और बिलासपुर तथा (दो) स्वरघाट और बिलासपुर के बीच टेलीफोन-तारों/माइक्रोवेव/वी० एच० एफ०/यू० एच० एफ० के माध्यम से सीधा टेलीफोन सम्पर्क स्थापित करने हेतु निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा पंजाब के पड़ोसी इलाके में कानून और व्यवस्था के खतरे का सामना करने सम्बन्धी इसके सामरिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए यह निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दो बाहरी चौकियों (स्वरघाट और श्री नैना देवी) को बिलासपुर में जिला-मुख्यालय से किस तारीख तक जोड़ दिया जायेगा तथा क्या तत्सम्बन्धी सामरिक महत्व को देखते हुए ये सम्पर्क शीघ्र स्थापित किए जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) (एक) श्री नैना देवी और बिलासपुर को जोडने की किसी भी योजना की मंजूरी नहीं दी गई है। इस मार्ग के फिजीकल पेयर को पावर की समान्तर लाइनों से बचाने के उद्देश्य से वी० एच० एफ० प्रणाली प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । अगली कार्रवाई इस मार्ग के तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य पाए जाने के पश्चात की जाएगी।

(दो) स्वरघाट और बिलासपुर के बीच वी० एच० एफ० प्रणाली की स्थापना करने की योजना को मंजूरी दी जा चुकी है । यह प्रणाली स्थापित की जा चुकी है और अब इसकी कार्य-प्रणाली का प्रेक्षण किया जा रहा है। इस प्रणाली के शीघ्र ही चालू हो जाने की संभावना है बशर्ते कि इसकी कार्यप्रणाली संतोषजनक रहे ।

कोचीन में एरोमेटिक्स परियोजना की स्थापना

2575. **श्री ए० नीलालोहितदासन नाडार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि इन्जीनियर्स इन्डिया लिमिटेड द्वारा किए गए अध्ययन में कोचीन में ऐरोमेटिक परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो व्यवहार्यता प्रतिवेदन का ब्योरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा परियोजना की स्थापना के लिए स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं।

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गयी सम्भाव्यता रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्रायोजना तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है।

(ख) प्रस्ताव की जांच आरम्भ कर दी गयी है।

गैस तथा कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

2576. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गैस तथा कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की क्षमता का उपयोग बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 से क्षमता के उपयोग का वर्ष-वार और संयंत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 से देश में गैस और कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र भारी घाटा उठा रहे हैं और इस वर्ष भी और घाटा होने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) देश में उर्वरक संयंत्रों की क्षमता का उपयोग बढ़ाने और उनमें हो रहे निरन्तर घाटे को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) कोयले और गैस पर आधारित उर्वरक संयत्रों का क्षमता उपयोग 1980-81 से वर्षवार अग्रलिखित दिया गया है :—

संयंत्र का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान क्षमता उपयोग प्रतिशत में			
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (फरवरी 84 तक)
(क) कोयले पर आधारित संयंत्र				
1. तालचर	7.0	21.1	9.0	14.5
2. रामागुण्डम	27.9	25.8	32.8	31.2
(ख) गैस पर आधारित संयंत्र				
1. ट्राम्बे	95.4	95.5	84.3	93.4
2. ट्राम्बे 5	—	—	60.0	92.2
3. नामरुप-I	56.7	55.3	61.5	45.3
4. नामरुप-II	शून्य	52.7	47.4	38.0
5. कलोल	83.9	88.4	98.2	87.2
6. बड़ौदा (अंशत: गैस पर आधारित)	74.8	84.8	77.0	90.1

उक्त ब्यौरों से देखा जा सकता है कि तालचर और रामागुण्डम में कोयले पर आधारित दो संयंत्रों और नामरुप में गैस पर आधारित संयंत्र में क्षमता उपयोग कम है।

(ग) तालचर और रामागुण्डम में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों और नामरुप में गैस पर आधारित संयंत्र ने 1980-81 से निम्नलिखित हानि उठाई :—

संयंत्र का नाम	हानि (रु० करोड़ों में)		
	1980-81	1981-82	1982-83
तालचर	19.35	37.41	35.36
रामागुण्डम	14.92	25.99	21.96
नामरुप (I और II)	21.31	14.34	15.35

वर्ष 1983-84 के लिए इन एककों के संचालन परिणाम वर्ष समाप्त हो जाने और लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही जाने जा सकते हैं।

(घ) कुछ उर्वरक संयंत्रों में वित्तीय हानियां मुख्यत: कम क्षमता उपयोग के कारण हैं। क्षमता उपयोग में सुधार करने की दृष्टि से नवीनीकरण और कठिनाईयों को दूर करना, रक्षित विद्युत सुविधाओं की स्थापना, सन्तुलन उपकरणों में वृद्धि करना आदि जैसे उपाय प्रारम्भ किए गए हैं अथवा योजना बनाई जा रही है ताकि संयंत्रों के वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार हो सके।

देश में नये टेलीफोनों की मांग

2577. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 28 फरवरी, 1984 को टेलीफोनों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या क्या थी;

(ख) दिल्ली में 27 फरवरी, 1984 को टेलीफोनों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(ग) देश में और विशेषकर दिल्ली में टेलीफोनों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाएं गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) देश में 1.1.84 को टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची मे दर्ज व्यक्तियों की संख्या 7.5 लाख थी। 28.2.84 तक के अखिल भारतीय आंकडे अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) दिल्ली में 28.2.84 तक दर्ज की गई मांग 1.1 लाख थी।

(ग) मांग को उत्तरोत्तर पूरा करने के लिए देश में मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है एवं नए एक्सचेंज खोले जा रहे हैं। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, अगले तीन वर्षों के दौरान लगभग 2 लाख की क्षमता जोड़ने की योजना है।

पिंपरी चिन्चवाड़ डिवीजन पुणे में डाकघरों का खोला जाना

2578. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सर्किल के महा-डाकपाल को कालेवाड़ी (रोहतानी) पिंपरी चिन्चवाड़ डिवीजन पुणे में शाखा डाकघर खोलने-सम्बन्धी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) कालेवाड़ी (रोहतानी) में एक शाखा डाकघर 12.1.1984 को खोल दिया गया है।

गोविन्दपुर से धनबाद बिहार तक सीधी टेलीफोन डायलिंग सेवा

2579. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोविन्दपुर धनबाद (बिहार) का अभिन्न अंग है और उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा कोयला क्षेत्र में ही है ;

(ख) क्या गोविन्दपुर से धनबाद जिला अधिकारियों से टेलीफोन पर बात करने के लिए ट्रंककाल शुल्क लिया जाता है जबकि 20-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोयला क्षेत्रों के लिये बिहार कोल फील्ड टेलीफोन एक्सचेंज से सीधी डायलिंग सुविधा है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भागों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या गोविन्दपुर के निवासियों को धनबाद के लिए सीधी डायलिंग सेवा उपलब्ध की जाएगी क्योंकि वहां के लोग वर्षों से यह मांग कर रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं । गोविन्दपुर धनबाद से 8 किलोमीटर की करीब दूरी पर स्थित है ।

(ख) जी हां, ।

(ग) जी हां ।

फिल्म वित्त निगम द्वारा स्वीकृत किये गये ऋण

2580. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फिल्म वित्त निगम द्वारा वर्ष 1980 से अब तक वर्ष-वार फिल्मों के नाम तथा भाषा सहित दिये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि का ऋण दिया गया ;

(ख) वर्ष 1980 से अब तक वर्ष-वार फिल्मों के नाम तथा भाषा सहित ऋणों की मंजूरी के लिए अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक फिल्म के लिए कितनी धनराशि के ऋण के लिए आवेदन किया गया था; और

(ग) भारतीय फिल्म वित्त निगम द्वारा ऋण की मंजूरी के लिए अपनाए जाने वाले मापदण्ड का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 1980 से लेकर अब तक मंजूर किये गए ऋणों के बारे में ब्यौरा परिशिष्ट-1 में दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए सं० एल० टी०-1918/84]

(ख) 1980 से लेकर अब तक नामंजूर किये गए आवेदन पत्र के बारे में सूचना परिशिष्ट-2 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—7918/84]

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, सामाजिक प्रासंगकिता वाले विषयों पर आधारित सभी भाषाओं में फिल्में बनाने के लिए ऋण प्रदान करता है। प्रत्येक ऋण आवेदन-पत्र पर निर्णय लेते समय आवेदक की पृष्ठभूमि तथा परियोजना से संबधित सदस्यों की पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा जाता है।

न्यायालयों में विचाराधीन श्रम-विवाद

2581. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यवार श्रम न्यायालयों में कितने श्रम विवाद विचाराधीन हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : संलग्न विवरणके अनुसार।

विवरण

31-3-83 को राज्य श्रम न्यायालयों/अधिकरणों में लम्बित पड़े विवाद

राज्य का नाम	कुल लम्बित पड़े मामले
1	2
1. असम	528
2. अंडमान और निकोबार	18
3. आन्ध्र प्रदेश	346*
4. बिहार	4004
5. चंडीगढ़ प्रशासन	255
6. दिल्ली प्रशासन	11495
7. गुजरात	46327
8. गोवा, दमन और दीव	200
9. हरियाणा	1856
10. हिमाचल प्रदेश	103

1	2
11. जम्मू व कश्मीर	25*
12. केरल	2923
13. कर्नाटक	3759
14. महाराष्ट्र	42567
15. मध्य प्रदेश	2072
16. मणिपुर	3
17. उड़ीसा	1379
18. पंजाब	12142
19. पांडिचेरी	20
20. राजस्थान	3046
21. तमिलनाडु	3971
22. त्रिपुरा	6
23. उत्तर प्रदेश	9019
24. पश्चिम बंगाल	2665

* 3Cजून, 1983 की स्थिति के अनुसार आंकड़े ।

राष्ट्रीय औषध नीति

2582. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई ऐसी राष्ट्रीय औषध नीति अपनाने जा रही है जो युक्ति-ग-सं आवश्यकता पर आधारित हो, रोकथामोंन्मुखी बीमारी की रोकथाम और जीवन रक्षा के प्रति उन्मुख हो और जिसके अन्तर्गत औषध आसानी से उपलब्ध हो, तथा हमारे लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के अनुरूप लाभदायक हो, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) 1978 की औषध नीति के मुख्य सिद्धांत और उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :—

1. औषध प्रोद्योगिकी के स्वावलम्बन विकसित करना;

2. सरकारी क्षेत्र को नेतृत्व की भूमिका प्रदान करना,

3. आयातों की मात्रा को कम करने की दृष्टि से औषधों के उत्पादन में तुरन्त स्वावलम्बन का उद्देश्य रखना,

4. भारतीय क्षेत्र को आगे बढ़ाना और प्रोत्साहन प्रदान करना,

5. यह सुनिश्चित करना की देश में औषध काफी मात्रा में उपलब्ध हों ताकि हमारे देशवासियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें,

6. उचित मूल्यों पर औषधें उपलब्ध कराना,

7. उत्पादन के किस्म पर कड़ी निगरानी रखना तथा मिलावट एवं कदाचार को रोकना,

8. अनुसंधान एवं विकास में लगी फर्मों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना, और

9. विदेशी कम्पनियों के कार्यकलापों को राष्ट्रीय उद्देश्य एवं पूर्वताओं के अनुसार संयत्र रखने तथा सरणीबद्ध के करने के विशेष संदर्भ में इस उद्योग को समग्र रूप से नियंत्रित, विनियमित तथा नवजीवन प्रदान करने के लिए अन्य मापदण्डों की व्यवस्था करना।

इस समय राष्ट्रीय औषध एवं भेषज विकास परिषद (एन० डी० पी० डी० सी०) उपरोक्त नीति की पुनरीक्षा कर रही है। एन० डी० पी० डी० सी० की सिफारिशों की प्राप्ति तथा जांच करने के बाद सरकार 1978 की औषध नीति में आवश्यक परिवर्तन यदि कोई हो, करने पर विचार करेगी।

कोटा (राजस्थान) के बिजली सप्लाई किये जाने वाले गांव

2583. **श्री चतुर्भुज** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1984 के दौरान बिजली देने की योजना में राजस्थान में जिला कोटा की तहसील अतरू के एक भी गांव को शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय ऐसे कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं है और इन गांवों में कब तक बिजली पहुंचाई जाएगी तथा इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 1983-84 के दौरान राजस्थान में 1036 गांवों को विद्युतीकृत किया जाना है। गांव विद्युतीकरण के जिलेवार कार्यक्रम की आयोजना राज्य स्तर पर बनाई जाती है। कोटा जिले के अतरू तहसील में 65 गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने एक

स्कीम स्वीकृत की थी और इन सभी गांवों का अब विद्युतीकरण कर दिया गया है। 1983-84 के दौरान अतरू तहसील के लिए राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने कोई अन्य ग्राम विद्युतीकरण स्कीम प्रस्तुत नहीं की है। वर्ष 1984-85 के लिए राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निर्माण के लिए कार्यक्रम अभी तैयार किया जाना है।

(ग) अतरू तहसील में 130 गांवों में से 82 गांवों का पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष 48 गांवों के विद्युतीकरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भेजे गये इस प्रकार के प्रस्तावों पर ग्राम विद्युतीकरण निगम वित्तीय सहायता के लिए विचार करेगा।

असम में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

2584. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 के दौरान असम में कितने दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) प्रस्तावित केन्द्र किन स्थानों पर लगाए जाएंगे ; और

(ग) क्या इन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए कोई लक्षित तारीखें नियुक्त की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) से (ग) : असम में गोहाटी में उच्च शक्ति वाला एक ट्रांसमीटर तथा डिब्रूगढ़ और तेजपुर में अल्प शक्ति वाला एक-एक ट्रांसमीटर 1984 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

वाराणसी में दूरदर्शन रिले केन्द्र

2585. **श्री जैनुल बशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उन्होंने वाराणसी में लोगों को यह आश्वासन दिया है कि वहां पर दूरदर्शन रिले केन्द्र 198- के आरम्भ में काम करना आरम्भ कर देगा ;

(ख) क्या इस हेतु आवश्यक उपकरण लगाने का कार्य आरम्भ हो चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो रिले का काम कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) वाराणसी के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के लिए ट्रांसमीटर भवन का निर्माण कार्य तथा टावर को लगाने का कार्य चल रहा है। केन्द्र के 1984 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करना

2586. **श्री सत्य नारायण जटिया : क्या रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, प्रत्येक सयंत्र के बारे में उसकी उत्पादन क्षमता, कुल लागत अब तक उस पर किया गया कार्य, योजना की प्रगति और उसके पूरा होने में लगाने वाले निर्धारित समय का ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : जहां गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है उन स्थानों के नाम तथा प्रस्तावित परियोजना प्राधिकारियों द्वारा परियोजनाओं की प्रारम्भिक अनुमानित लागत नीचे दर्शायी गई है :—

स्थान	परियोजना की अनुमानित लागत (करोड़ों रुपयों में)
1. विजयपुर, गुना जिला, मध्य प्रदेश	रु० 587.1
2. विलोपा गांव, स्वाई माधोपुर जिला राजस्थान	रु० 699.5
3. ओनला, बरेली जिला, उत्तर प्रदेश	रु० 699.5
4. बबराला, बदाऊं जिला, उत्तर प्रदेश	रु० 600.0
5. शाहजहांपुर जिला, उत्तर प्रदेश	रु० 741.99
6. जगदीशपुर, सुलतानपुर जिला, उत्तर प्रदेश	रु० 662.60

उपर्युक्त परियोजना में, 1350 टन प्रतिदिन का एक अमोनिया संयंत्र तथा 1125 टन प्रतिदिन की क्षमता के दो यूरिया संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इन संयंत्रों में से पहले विजयपुर, गुना जिला, मध्य प्रदेश में स्थित पर 1.4.84 से कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है। शेष परियोजनाओं को छः छः महीनों के अन्तरालों के बाद आरम्भ करने की आशा है।

मैसर्स प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० (पी० आई० सी० यू० पी०) को आशय-पत्र जारी किया गया है। मैसर्स इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोओपरेटिव लि० (इफको), मैसर्स जुआरी एग्रो कैमिकल्स लि०, मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० और मैसर्स श्रीराम फर्टिलाइजर्स लि० से आशय-पत्र के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच की जा रही है।

रेडियो लाइसेंस फीस का समाप्त किया जाना

2587. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेडियो लाइसेंस फीस समाप्त करने का है क्योंकि यह प्रक्रिया विशेषकर दूरस्थ गांवों में रहने वालों के लिए काफी जटिल है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की आशा है ; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सरकार ने एक और दो बैंड वाले रेडियो सैटों पर लाइसेंस शुल्क पहले ही समाप्त कर दिया है। 3 बैंड वाले रेडियो सैटों पर लाइसेंस शुल्क समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संभवतया 3 और इससे अधिक बैंड वाले रेडियो सैटों के मालिक समाज के मध्यम और उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं और जो सामान्यतया शहरी होते हैं। लाइसेंस शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया जटिल नहीं है और इस प्रकार के व्यक्तियों को कोई कठिनाई होने की संभावना नहीं है। यदि लाइसेंस धारक चाहें तो उनको 5 वर्ष का लाइसेंस शुल्क अग्रिम में भुगतान करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल यूनिटों तथा इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लिमिटेड द्वारा कम उत्पादन

2588. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों तथा इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लिमिटेड में उत्पादन कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान उक्त यूनिटों में विभिन्न मद वार कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) उक्त यूनिटों में कम उत्पादन के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) उक्त यूनिटों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में निर्मित औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्य में वृद्धि हुई है। ब्यौरे अग्रलिखित हैं—

(रु० करोड़ों में)

वर्ष	बल्क औषधें	फार्मूलेशन्स
1980-81	240	1,200
1981-82	289	1,431
1982-83 (अनुमानित)	325	1,600

गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि० द्वारा निर्मित औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्य में भी वृद्धि हुई है। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(रु० करोड़ों में)

वर्ष	बल्क औषधें	फार्मूलेशन्स
1980-81	48.32	55.48
1981-82	54.76	70·72
1982-83	60.98	78.18

खाना पकाने की गैस के कनेक्शन के लिये लम्बित आवेदन

2589. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन लम्बित हैं ;

(ख) क्या खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की मांग के अनुपात में कनेक्शन देने वाली एजेंसियों की संख्या काफी कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) और (ग) इस समय एल० पी० जी० कनेक्शनों को देने के लिए एल० पी० जी०

डिस्ट्रीब्यूटरशियों की संख्या पर्याप्त समझी गयी है। तथापि, भविष्य में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, तेल उद्योग की देश मे बड़ी संख्या में नयी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने की योजना है।

ईंधन बचाऊ गोबर मिश्रण का विकास

2590. **श्री के० प्रधानी** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च तापजनक उपयोगिता सहित ईंधन बचाऊ गोबर मिश्रण के कोई अनुसंधान किए गए हैं और एक प्रक्रिया का विकास किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है; और

(ग) इस प्रक्रिया को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) गोबर ईंधन की ऊष्मीय उपयोगिता में सुधार करने की दृष्टि से किया गया एक अध्ययन सरकार के ध्यान में आया है। इसको लोकप्रिय बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने पर उक्त अध्ययन के परिणामों की जांच करनी पड़ेगी।

हल्दिया उर्वरक प्रसार परियोजना

2591. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया उर्वरक प्रसार परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि सातवीं योजना तक बढ़ाने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, नहीं। हल्दिया उर्वरक परियोजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिन्थेटिक फाइबर यार्न पोलिस्टर एक्रिलिक फाइबर तथा नाइलोन की विभिन्न अन्य किस्मों के निर्माण के लिये नये एककों की स्थापना

2592. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों की ऐसी कौन-कौन सी कम्पनियां हैं, जिन्हें वर्ष 1983-84 के दौरान अब तक सिन्थटिक फाइबर यार्न, पोलिस्टर एक्रिलिक फाइबर

तथा नाइलोन धागे आदि की विभिन्न अन्य किस्मों के निर्माण के लिए नए एककों की स्थापना हेतु लाइसेंस प्रदान किए गए हैं/आशय पत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) उनके स्थान, क्षमता, विदेशी सहयोग तत्संबंधी शर्तें तथा विद्यमान एककों के विस्तार से संबंधित ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या क्या है जो अभी विचाराधीन हैं ;

(घ) चालू योजना अवधि के दौरान कुल क्षमता कितनी हो जाएगी ;

(ङ) क्या उन्हें इस उद्योग द्वारा सिन्थटिक यार्न के उत्पादन की अत्यधिक लागत की जानकारी है जो केवल कुछेक लोग के एकाधिकार में है; और

(च) बोंगाईगाँव जैसे सरकारी क्षेत्र के एककों को तरजीह न देकर इसका उत्पादन बढ़ाने और लागत कम न करने के क्या कारण है ?

उर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आवेदन पत्रों के ब्यौरे तब तक प्रकाशित नहीं किये जाते हैं जब तक सरकार उन पर कोई निर्णय नहीं ले लेती है।

(घ)	(मी० टन/वर्ष)
पोलियेस्टर स्टैपल फाइबर	40,000
पोलियेस्टर फिलामेंट यार्न	40,000
नाइलोन फिलामेंट यार्न	32,000
नाइलोन इंडस्ट्रियल यार्न/टायर कॉर्ड	16,500
एक्रिलिक फाइबर	16,000

(ङ) इन फाइबरों/यार्नों की उत्पादन लागत का, हाल ही में, अध्ययन नहीं किया गया है।

(च) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड पहले ही 30,000 मी० टन प्रति वर्ष पोलियेस्टर स्टेपल फाइबर के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रहा है।

विवरण

वर्ष 1983-84 के दौरान जारी किये गये आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्रम सं०	पार्टी का नाम	स्वीकृत क्षमता मी० टन/वर्ष	स्थान	विदेशी तकनीकी सहयोगी
1	2	3	4	5
पोलियेस्टर स्टेपल फाइबर :				
1.	इंडियन पोलो फाइबर्स लि०	15,000	उत्तर प्रदेश	केमटेक्स इंक०, यू० एस० ए०
नाइलोन फिलामेंट यार्न				
1.	बड़ौदा रेयन कार्पो० लिमिटेड	6,000 (2436 मी० टन की पहली क्षमता की तुलना में)	गुजरात	—
2.	सेंचुरी एन्का लि०	6,000 (3640 मी० टन की पहली क्षमता की तुलना में)	महाराष्ट्र	—
3.	गरवारे नाइलोन लि०	6,000 (5216 मी० टन की पहली क्षमता की तुलना में)	महाराष्ट्र	—
4.	जगतजीत काटन टेक्सटाइल मिल्स लि०	6,000 (2000 मी० टन की पहली क्षमता की तुलना में)	पंजाब	—
5.	जे० के० सिंथेटिक्स लि०	6,000 (5376 मी० टन की पहली क्षमता की तुलना में)	राजस्थान	—
6.	मोदीपॉन लि०	6,000 (4760 मी० टन की पहली क्षमता की तुलना में)	उत्तर प्रदेश	
7.	निर्लोन सिंथेटिक फाइबर्स एंड केमिकल्स लि०	6,000 (5308 मी० टन की पहली क्षमता की तुलना में)	महाराष्ट्र	—

1	2	3	4	5
8.	श्री सिंथेटिक लि०	6,000 (3452 मी० टन की पहली क्षमता की तुलना में)	मध्य प्रदेश	—
9.	पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि०	6,000	गुजरात	—
10.	बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पो० लि०	6,000	बिहार	—
11.	हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पो० लि०	6,000	हरियाणा	—
12.	केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पो० लि०	6,000	केरल	—
13.	वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पो० लि०	6,000	पश्चिम बंगाल	—
14.	पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पो० लि०	6,000	पंजाब	—
15.	गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पो० लि०	6,000	गुजरात	लुर्जी कोहले, पश्चिम जर्मनी
16.	कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	6,000	कर्नाटक	—
17.	आंध्र प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पो० लि०	6,000	आंध्र प्रदेश	—
18.	श्री एस० आर० जैन	6,000	उत्तर प्रदेश	—
	नाइलोन इंडस्ट्रियल यार्न/टायर कार्ड			
1.	कनोरिया अल्कलोज एण्ड प्लास्टिक्स लि०	6,000	मध्य प्रदेश	—

2	3	4	5
2. श्री राम फाइबर्स लि०	5,000 (3000 मी० टन को पहली क्षमता की तुलना में)	तमिल नाडु	—
3. गरवारे नाइलोन्स लि०	2,000	महाराष्ट्र	अलाइड कार्पोरेशन, यू०एस०ए०
4. नेशनल रेयन कार्पोरेशन	5,000 (3300 मी० टन की पहली क्षमता की तुलना में)	महाराष्ट्र	—

कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी

2593. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने के लिए विभिन्न राज्यों को मार्ग निर्देश भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो संबंधी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कृषि श्रमिकों के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और उनमें संशोधन का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) यद्यपि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में पांच वर्षों से अनधिक अवधि में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षा करनें और उनमें संशोधन की व्यवस्था है, लेकिन जुलाई, 1980 में हुए राज्य श्रम मंत्री सम्मेलन के 31वें सत्र में यह सिफारिश की गई थी कि कम से कम दो वर्ष में एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइंटों की वृद्धि होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षा करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उनमें संशोधन करना चाहिए। यह निर्णय समय-समय पर सभी राज्यों/प्रशासनों को सूचित किया गया है। यह निर्णय लिए जाने के बाद अधिकांश राज्यों/प्रशासनों ने कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन कर दिया है। हालांकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अभी सिक्किम में लागू नहीं किया गया है, जम्मू और कश्मीर सरकार कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है। लक्षद्वीप में कोई कृषि श्रमिक नहीं है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न राज्यों/प्रशासनों और केन्द्रीय सरकार द्वारा

कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान दरें, और इन दरों की प्रभावी तारीख दर्शाई गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०-7919/84]

आदिवासी क्षेत्रों में डाक तथा दूरसंचार संबंधी कार्य

2594. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी क्षेत्रों में डाक और दूरसंचार सम्बन्धी कार्य की प्रगति अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके मन्त्रालयों ने विशेष कार्यक्रमों के लक्ष्यों और उद्देश्य प्राप्त करने हेतु उक्त कार्यों को शीघ्र करने के लिए क्या उपाय किये हैं और सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए इस सम्बन्ध में क्या मापदण्ड अपनाये हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जहाँ तक दूरसंचार कार्यों का सम्बन्ध है जनजातीय क्षेत्रों सहित समस्त देश में, **विवरण-एक** और **दो** में दी गई उदारीकृत नीति एक समान रूप से लागू है। डाक शाखा में डाकघर खोलने के उदारीकृत मानदंड अपनाये गये हैं जिनके अनुसार सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोले जाने वाले गांवों में उसकी आय प्रत्याशित लागत की 25 प्रतिशत होनी चाहिए, जनजातीय क्षेत्रों के मामले में यह केवल 10 प्रतिशत है। इसी प्रकार सामान्य क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए 15 किलोमीटर के घेरे में गांव या गांवों के समूह की न्यूनतम जनसंख्या 2000 होनी चाहिए किन्तु जनजातीय क्षेत्रों के मामले में यह केवल 1000 है।

विवरण—एक

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने की नीति स्थानों की श्रेणियां

(1) जिला मुख्यालय

(2) उप-मंडलीय मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(4) उप-तहसील मुख्यालय

(5) ब्लाक मुख्यालय

(6) ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तार घर खोलने के लिए शर्तें
घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्तों के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।	घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्तों के बगैर उत्तरोत्तर की व्यवस्था जाएगी।

(7) वे स्थान जहाँ पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज पुलिस उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के पद था पुलिस अधिकारी हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तार घर खोलने के लिए शर्तें
साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत तथा पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(8) आम रास्ते से दूर के स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तार घर खोलने के लिए शर्तें
(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि० मी. से अधिक (अरीय दूरी) होनी चाहिए।	(क) मौजूदा तारघर से 20 कि.मी. से बाहर (अरीय दूरी) होनी चाहिए।
(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाकों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रुपये वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

(9) पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि/सिंचाई/पावर परियोजना स्थल/नगरक्षेत्र

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम-से-कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों मे 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000-रु० वार्षिक तथा पिछड़े-पर्वतीय इलाकों में 5000-रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

(10) सभी अन्य स्थान

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारन्टी के आधार पर।	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर।

टिप्पणी : 1 (क) जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार करते समय, जनजातीय क्षेत्रों के मामलों को छोड़कर जहां किसी केन्द्रीय ग्राम से 40 कि.मी. के घेरे के अंतर्गत आने वाले ग्राम समूह की जनसंख्या पर विचार किया जा सकता है, केवल एक ही नगर या ग्राम की जनसख्या पर ही विचार किया जाना चाहिए न कि नगरों अथवा ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। छूट की इस शर्त के अंतर्गत एक दूसरे से 10 कि.मी. की दूरी के भीतर को सार्वजनिक टेलीफोन नहीं खोले जा सकते।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी :

(एक) जनजातीय विकास खण्ड मुख्यालय।

(दो) जिन स्थानों पर एल. ए. एम. पी. एस. (बड़े आकार की बहुद्देशीय सहकारी समितियां) स्थापित हैं; और

(तीन) ग्रामीण उद्योगों और/अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र।

2. यदि प्रस्तावित तारघर के 8 कि.मी. के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई भी तारघर नहीं खोला जाना चाहिए।

विवरण—दो

ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक-तारघर खोलने से सम्बन्धित नीति

छठी योजना अवधि (अनुबंध-एक) के दौरान घाटे पर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन-घर/संयुक्त डाक-तारघर खोलने से सम्बन्धित मौजूदा नीति पर डाक-तार बोर्ड कुछ समय से विचार कर रहा था। इस सम्बन्ध में किए गए अध्ययन से पता चला है कि यदि हम जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम राजस्व की शर्त का निर्धारण किए बगैर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति को अपनाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर देश के पहाड़ी और बिखरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस सुविधा को बढ़ाने में असमानता की स्थिति पैदा होगी। मौजूदा नीति की सावधानीपूर्वक पुनरीक्षा करने के पश्चात् तथा सेवा की विश्वसनीयता पर अत्यधिक बल देते हुए सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का समान रूप से विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक-तार बोर्ड ने जो निर्णय लिए हैं, वह इस प्रकार है :—

(एक) अनुबंध-एक में बतायी गई मौजूदा नीति जो जारी रहेगी, परन्तु इसके साथ ही देश के आबादी वाले अधिकाँश स्थानों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन 5 कि.मी. के घेरे में सुलभ कराने की नीति को एक नीति लक्ष्य के बतौर अपनाया जाएगा और इस लक्ष्य को चालू वर्ष में आरम्भ करके 1980 तक उत्तरोत्तर प्राप्त किया जाएगा। स्थानिक वितरण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लंबी दूरी के जो सार्वजनिक टेलीफोन घर आवश्यक होंगे उन पर से न्यूनतम राजस्व की पूर्व-शर्त को हटा दिया जाएगा।

(दो) इस क्षेत्र में सेवा की विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मल्टी-एक्सेस रेडियो टेलीफोन प्रणाली की प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए और इसी प्रणाली के तहत पहाड़ी, तटीय, वन्य एवं रेगिस्तानी इलाकों तथा जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों व ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां विद्युत प्रेरण (पावर इंडक्शन) के कारण खुली तार लाइनें इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होतीं तथा मैदानी क्षेत्रों के उन स्थानों में जो सड़क मार्ग से 20 कि.मी. (मार्ग की लम्बाई) से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं और ऐसे अन्य सभी मामलों में जहाँ मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली अपनी लागत

के अनुसार कारगर साबित होती है, लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किए जाएं।

(तीन) गैर-विभागीय ए.डी.पी.टी. एजेंट, डाक-घरों के उपलब्ध न होने अथवा जहाँ डाक-घर के कार्य घण्टे अपर्याप्त हैं, जहाँ आवश्यक होगा नियुक्त किए जाएंगे। गैर-विभागीय एल.डी.पी.टी. एजेंटों का चयन क्षेत्रीय सर्किल के महाप्रबंधक, दूरसंचार द्वारा किया जाएगा।

(चार) गैर-विभागीय एल.डी.पी.टी. एजेंट का पारिश्रमिक 40 (चालीस) पैसे प्रतिकाल होगा लेकिन प्रतिमाह 250-रु. (दो सौ पचास) से अधिक नहीं होगा और एल.डी.पी.टी. के कार्य घण्टे कम-से-कम 8 घण्टे होंगे। विकलांग व्यक्ति के मामले को छोड़कर, इस प्रकार प्राप्त पारिश्रमिक ही, एल.डी.पी.टी. एजेंट की आय का मुख्य स्रोत नहीं होगा।

डाक-तार बोर्ड ने यह भी निदेश दिए हैं कि समूचे देश को विभिन्न ग्राम-समूहों के षठ्भुज-आकार के क्षेत्रों (5 कि.मी. के समान भुजा वाले षठ्भुज क्षेत्र) में विभाजित किया जाए। हां, ऐसा करते समय वे स्थान छोड दिए जाएंगे जो निर्जन हैं जैसे पर्वतीय क्षेत्र, नदियां, झीलें, रेगिस्तान आदि। प्रत्येक ग्राम-समूह में केन्द्र-स्थल के बतौर एक ऐसे ग्राम का पता लगाया जाएगा जहां कि लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किया जा सके। इस सेवा को 5 कि.मी. के भीतर सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन-घर स्थापित करने के लिए ग्राम-समूहों का पता लगाने का कार्य राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एन.सी.ई.आर.) को सौंपा गया है, जिनकी रिपोर्ट विस्तृत नक्शों सहित योजना उद्देश्यों के लिए सर्किलों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

उक्त अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्राम-समूहों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए स्थान-निर्धारण के उद्देश्य से अपेक्षित आंकड़ों के साथ ब्यौरे-वार नक्शे प्राप्त हो जाने पर सर्किलों के अध्यक्ष डाक-तार बोर्ड के उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से खुली-तार प्रणाली और मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली फोनों पर भविष्य में खोले जाने वाले लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए ब्यौरेवार वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था करेंगे।

हालांकि मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली के अन्तर्गत लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए परियोजना प्राक्कलन उपस्कर आदि का आबंटन करने के उद्देश्य से निदेशालय को भेजे जाते रहेंगे।

आकाशवाणी के पोर्ट ब्लेयर केन्द्र से दक्षिण भारत की भाषाओं में संगीत का प्रसारण पुनः आरम्भ किया जाना

229. **श्री डी० एस० ए० शि. प्रकाशम्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह कच है कि आकाशवाणी के पोर्ट ब्लेयर केन्द्र से तमिल, तेलगु और मलयालम जैसी दक्षिण भारतीय भाषाओं में अब तक प्रसारित किये जा रहे भक्ति संगीत का प्रसारण अचानक बन्द किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अचानक इनका प्रसारण बन्द कर देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस भक्ति संगीतों का प्रसारण पुनः आरम्भ करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश देगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। वास्तविक स्थिति यह है कि आकाशवाणी, पोर्ट ब्लेयर सुबह के प्रेषण में भक्ति संगीत के दो अलग-अलग कार्यक्रम, एक सुबह 6.05 बजे से सुबह 6.30 बजे तक और दूसरा सुबह 6.35 बजे से सुबह 7.00 बजे तक प्रसारित करता था। जबकि पहले कार्यक्रम में हिन्दी तथा अन्य उत्तरी भारतीय भाषाओं के गीत होते थे, दूसरे कार्यक्रम में संस्कृत तथा अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं के होते थे। अब इन दोनों कार्यक्रमों को मिलाकर एक कर दिया गया है जिसे, जैसा कि अन्य सभी केन्द्रों पर परिपाठी है, सुबह 6.05 बजे से सुबह 6.40 बजे तक प्रसारित किया जा रहा है। अब एकल चंक में सभी भाषाएं शामिल हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्य-प्रदेश के बस्तर जिले में टेलीफोन सेवा

2596. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बस्तर जिले में दोषपूर्ण टेलीफोन मशीनरी के कारण टेलीफोन हमेशा खराब रहते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बारामूला, सोपोर और अनन्तनाग को दिल्ली के साथ एस. टी. डी. द्वारा जोड़ना

2597. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में बारामूला, सोपोर, अनन्तनाग और अन्य महत्वपूर्ण नगरों को दिल्ली तथा देश के अन्य महत्वपूर्ण नगरों से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें एस० टी० डी०. से कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) (क) इस समय बारामूला, सोपोर और अनन्तनाग से दिल्ली और देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों को एस.टी.डी. सेवाएं, उपलब्ध कराने की योजना है।

(ख) बारामूला, सोपोर और अनन्तनाग से दिल्ली व देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों के लिए एस.टी.डी. सुविधाएं, इन स्थानों को जम्मू ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के साथ जोड़कर उत्तरोत्तर प्रदान की जायेंगी।

(ग) बारामूला, सोपोर औम अनन्तनाग को दिल्ली व अन्य शहरों से एस.टी.डी. द्वारा चालू योजना के दौरान जोड़े जाने की सम्भावना है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

मध्य प्रदेश में खाना पकाने की गैस के कनैक्शन

2598. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सागर में खाना पकाने की गैस के कनैक्शनों के आबंटन के लिए तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में इस समय कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं ;

(ख) इन व्यक्तियों को खाना पकाने की गैस के कनैक्शन कब तक दे दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) समूचे मध्य प्रदेश में खाना पकाने की गैस के कनैक्शनों के आबंटन के लिए प्रतीक्षा-सूची में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं।

उर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 31 दिसम्बर, 1983 को मध्य प्रदेश राज्य में सागर में एल० पी० जी० कनेक्शनों के आबंटन के लिये प्रतीक्षा-सूची में दर्ज लोगों की कुल संख्या 6965 है।

(ख) वर्ष 1985-86 के अन्त तक चरणबद्ध तरीके से एल० पी० जी० कनेक्शन दिये जाने की आशा है।

(ग) 31 दिसम्बर, 1983 को पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एल० पी० जी० कनेक्शनों के आवंटन के लिये प्रतीक्षा-सूची में दर्ज लोगों की सख्या लगभग 1.93 लाख है।

राजभाषा अधिनियम 1983 की धारा 3(3) का क्रियान्वयन

2599. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को क, ख और ग तीनों श्रेणियों के राज्यों के लिए, द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क, ख और ग राज्यों में स्थित उनके मंत्रालय, विभागों संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान धारा 3 (3) की क्रियान्वित की प्रतिशतता का राज्यवार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तीनों श्रेणियों के राज्यों में सभी चौदह मुद्दों को शत-प्रतिशत द्विभाषी करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन क्रमिक ढंग से किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की सतत पुनरीक्षा की जाती है। समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं कि इन सांविधिक अपेक्षाओं का दृढ़ता से पालन किया जाए।

गाजियाबाद में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों के बन्द होने का दिन

2600. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री गाजियाबाद में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों के बंद होने के दिन के बारे में दिनांक 6 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2121 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्यावेदन पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गाजियाबाद में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों को पहले वाले दिन ही बन्द करने में क्या कठिनाई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) जी हां। साप्ताहिक अवकाश के दिन को रविवार से बदलकर मंगलवार करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इससे गणना विषयक (लाजिस्टिकल) असुविधाएं हो जायेंगी।

सिमरी तथा नारांचधरन के डाकपालों के विरुद्ध शिकायतें

2601. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मधुबनी डाक मण्डल के अन्तर्गत सिमरी तथा दरभंगा डाक मण्डल के अन्तर्गत नारोचग्राम के शाखा डाक पालों के विरुद्ध विशिष्ट शिकायतें की गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) इनकी जाँच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी।

दूरदर्शन के कैमरामैनों के लिये सतत् (रनिंग) वेतनमान

2602. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन कैमरामैन संवर्ग को सतत् (रनिंग) वेतनमान दिए जाएगे ;

(ख) ये सतत् (रनिंग) वेतनमान किस प्रकार के होंगे ;

(ग) कैमरामेन ग्रेड। जिन्हें 5 वर्ष की कुल सेवा के अन्दर पदोन्नत किया गया है, इस वेतनमान में किस तरह समायोजित किया जाएगा ; और

(घ) जिन्हें 5 वर्षों की सेवा के अन्दर पदोन्नत हुए कैमरामैन ग्रेड-I की तुलना में कैमरामेन ग्रेड II के जो कि लगभग 12 वर्ष दूरदर्शन की सेवा कर चुके हैं तथा जिन्हें कोई पदोन्नति/चयन ग्रेड अथवा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, उसके सात वर्षों के नुकसान को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के उद्‌प्रवजन प्रभाग में विभिन्न वर्गों के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व

2603. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के उद्‌प्रवजन प्रभाग के मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में, इसके आरम्भ होने के समय से राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों की वर्गवार संख्या क्या है ;

(ख) सीधी भर्ती अथवा संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रोजगार केन्द्र तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से और पदोन्नति द्वारा भरे गए ऐसे पदों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंध व्यक्तियों, तथा भूतपूर्व सैनिकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क)

	क्षेत्रीय	मुख्यालय
ग्रुप—"क"	1	5
ग्रुप—"ख" (राजपत्रित)	7	4
ग्रुप—"ख" (अराजपत्रित)	8	7
ग्रुप—"ग"	41	9
ग्रुप—"घ"	19	4

(ख) क्षेत्रीय और मुख्यालय में पद इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के भाग हैं, जिसमें ग्रुप "घ" के पद और बम्बई में उत्प्रवास संरक्षी-1 तथा कार्यालय अधीक्षक का एक-एक पद शामिल नहीं है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कॉडर में शामिल किए गए पदों को स्थानांतरण द्वारा भरा गया। इनमें बम्बई में आशुलिपिक ग्रेड-"घ" का एक पद और निम्न श्रेणी लिपिक के चार पद शामिल नहीं हैं जिन्हें स्थानांतरण आधार पर नियमित तैनाती के लिए व्यक्तियों के उपलब्ध होने तक स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है। बम्बई के उत्प्रवास संरक्षी-1 और कार्यालय अधीक्षक के पदों को चयन के आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा गया है। ग्रुप-"घ" कर्मचारियों का चयन स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा किया गया है।

(ग) और (घ) आरक्षण संबंधी नियम समग्र कॉडर में नियुक्ति करते समय और न कि डिवीजन में तैनात स्टाफ के बारे में लागू किए जाते हैं। अत: संबंधित डिवीजन में काम कर रहे स्टाफ के मामले में पृथक आरक्षण की जरूरत नहीं है। ग्रुप "घ" पदों के बारे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है।

फिल्मों से निर्यात आय में कमी

2604. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों से निर्यात आय में कमी आई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हां।

(ख) आयात आय में हुई कमी का मुख्य कारण विदेशी बाजारों में वीडियो कैसेटों का वैध तथा चोरी छिपे दोनों प्रकार से तत्परता से उपलब्ध होना है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के रूप में फ़िल्मों का आदान-प्रदान

2605. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सांस्कृतिक आदान प्रदानों के रूप में विदेशों को फिल्में भेज रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की फिल्मों के चयन करने के मानदण्ड क्या हैं ; और

(ग) 1983-84 के दौरान विभिन्न देशों को भेजी गई फिल्मों की, भाषा-वार संख्या और उन देशों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हां।

(ख) सामान्यतया फिल्मों का चयन विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित हमारे दूत वासों के परामर्श से मेजबान देश की सांस्कृतिक विरासत अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में रूझानों तथा उपशीर्षक वाली प्रिन्टों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1983-84 के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न देशों को भेजी गई फिल्मों की सूची।

यूगोस्लाविया :

1. देवी	—	बंगला

2.	नायक	—	बंगला
3.	अरण्येर दिन रात्रि	—	बंगला
4.	राति निवेदम	—	मलयालम
5.	सावित्रि	—	कन्नड़
6.	मन्थन	—	हिन्दी
9.	घटश्राद्ध	—	कन्नड़

अल्जीरिया :

फीचर फिल्में :

1.	एस्थप्पन	—	मलयालम
2.	आक्रोश	—	हिन्दी
3.	सिंहासन	—	मराठी
4.	भूमिका	—	हिन्दी
5.	तन्नीर-तन्नीर	—	तमिल
6.	शतरंज के खिलाड़ी	—	हिन्दी

लघु फिल्में :

1.	अकबर	—	अंग्रेजी
2.	ताजमहल	—	अंग्रेजी
3.	खजुराहो	—	अंग्रेजी
4.	कांक्वेस्ट आफ कचनजुंगा	—	अंग्रेजी
5.	कथाकली	—	अंग्रेजी

सोफिया (बुल्गारिया) :

1.	स्पर्श	—	हिन्दी

2.	जोय बाबा फेलुनाथ	—	बंगला
3.	22 जून, 1897	—	मराठी
4.	आकालेर सन्धाने	—	बंगला
5.	एल्वर्ट पिन्टो	—	हिन्दी
6.	कस्तूरी	—	हिन्दी

मिश्र :

1.	स्पर्श	—	हिन्दी
2.	रामनगरी	—	हिन्दी
3.	ओरमक्कें	—	मलयालम
4.	चमेली मेम साहब	—	बंगला
5.	एक दिन प्रति दिन	—	बंगला
6.	चोख	—	बंगला
7.	कलयुग	—	हिन्दी

बिहार में छोटे उद्योगों के लिए बिजली दरों में वृद्धि

2606. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने 80,000 छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में मई, 1983 से बिजली दरों में 150 प्रतिशत की वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वृद्धि के परिणामस्वरूप छोटे उद्योग बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं जबकि बिहार में बिजली की नियमित सप्लाई में भी कोई सुधार नहीं हैं;

(घ) क्या बिहार में 440 वाल्ट पावर उपभोक्ता संघ ने इस सम्बन्ध में केन्द्र को ज्ञापन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने निम्न वोल्टता वाली औद्योगिक सेवाओं के लिए औसतन बिजली दर (जिसमें ईंधन प्रभार भी शामिल है) को 1.5.83 से 73.43 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 86 पैसे प्रति यूनिट कर दिया था । बोर्ड को अपनी दर में संशोधन, कोयला, ईंधन, अतिरिक्त पुर्जों के मूल्यों में वृद्धि होने तथा महंगाई भत्ते आदि के रूप में मजदूरी में तथा अन्य सामग्री के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण करना पड़ा था ।

(ग) बिजली की दर में वृद्धि लघु उद्योगों द्वारा अन्य सामग्रियों के मूल्यों में की गई वृद्धि अनुपात से अधिक नहीं है । लघु उद्योगों को अधिक से अधिक मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड बिजली की खरीद दामोदर घाटी निगम, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य बिजली बोर्डों से करता है ।

(घ) और (ङ) लघु उद्योग संघ पूर्णिया (बिहार) ने केन्द्र तथा राज्य सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है । बिजली की दरों में वृद्धि करने के बारे में बिहार में 400 वोल्टता वाले विद्युत उपभोक्ता संघ ने भी बिहार सरकार को एक ज्ञापन दिया है । इसके परिणामस्वरूप बिहार राज्य सरकार के निर्देश के आधार पर निम्न वोल्टता औद्योगिक सेवाओं के लिए टैरिफ ढांचे को संशोधित किया गया है । इस संशोधन के बाद निम्न वोल्टता औद्योगिक सेवा वाले उपभोक्ताओं को अब 110 यूनिट प्रति एच० पी० प्रतिमाह के पहले न्यूनतम प्रभार के स्थान पर 67 यूनिट प्रति एच० पी० प्रतिमाह न्यूनतम प्रभार की अदायगी करनी होगी । इसके पश्चात् उपभोक्ताओं को उपभोग की गई यूनिटों के लिए 86 पैसे प्रति यूनिट की दर से अदायगी करनी होगी तथा शेष उपभोग न की गई यूनिटों के लिए 57 पैसे प्रति यूनिट की दर से अदायगी करनी होगी । 67 यूनिट प्रति एच० पी० प्रतिमाह का न्यूनतम आधार प्रभार कोई भी ऐसा उद्योग प्राप्त कर सकता है जो प्रतिदिन औसतन ढाई घण्टे कार्य करता है तथा जो किसी भी जीवंतक्षम उद्योग के लिए आवश्यक होता है ।

दोषपूर्ण योजनायें बनाए जाने के कारण कोयले का कम उत्पादन

2607. **श्रीमती किशोरी सिन्हा**
श्री मनोहर लाल सैनी
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के कम उत्पादन का एक कारण दोषपूर्ण योजनाएं भी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अंतर-मंत्रालय बैठक भी हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त बैठक के क्या निष्कर्ष रहे ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। यह सच नहीं है कि कोयले का उत्पादन कम होने का एक कारण दोषपूर्ण योजनाएं बनाया जाना है। वास्तव में तो कोयले का उत्पादन गत वर्षों में क्रमश: बढ़ता रहा है। कुछ मामलों में, जब खनन योजनाएं कार्यान्वित की जातीं हैं तो हो सकता है कि खानों में वास्तविक दशाएं उन दशाओं से भिन्न हों जिनकी पूर्व कल्पना ड्रिलिंग के द्वारा समन्वेषण के आधार पर की गई हो परन्तु यह तो एक सामान्य बात है और पूर्व कल्पना तथा वास्तविक दशाओं के बीच मामूली अंतर होने की आशा तो की ही जा सकती है।

(घ) और (ङ) ऐसी कार्रवाई के लिए समय-समय पर चर्चा की जाती है कि योजनाएं तैयार करते समय वास्तविक भू-खनन दशाओं का अधिक ध्यान रखा जाए।

कम्पनी अधिनियम में परिवर्तन

2608. **डा० ए० यू० आजमी**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कम्पनी अधिनियम में बड़े और व्यापक परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे रही है जिससे 'कम्पनी लॉ बोर्ड' को और अधिक अधिकार मिल जायेंगे, गुप्त सामूहिक हस्तान्तरण की सम्भावना कम हो जायेगी, कम्पनियों को शेयर हस्तान्तरण के लिए इन्कार करना कठिन हो जायेगा, स्टाक एक्सचेंज में बेनामी सौदों की अवधि बढ़ाई जायेगी, गैर-विमोचनीय वरीयता शेयरों को जारी किया जायेगा और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और उन्हें कार्यरूप कब तक दिया जा रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) ने अपनी रिपोर्ट में कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधनों के लिए अनेक सुझाव दिए थे। कम्पनी विधि बोर्ड को एक स्वतन्त्र अर्द्ध न्यायिक निकाय के पुनर्गठन विषय सहित समिति के इस विषय में सुझावों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। जैसे ही इन सुझावों पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी, अधिनियम में संशोधन के लिए आवश्यक विधायन कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में

व्यापक संशोधनों के लिये प्रस्तावित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक विचार एवं पारित किये जाने के लिए संसद के समक्ष हैं।

मैसर्स वाम आर्गेनिक केमिकल्स लि० दिल्ली

2609. **श्री भीखा भाई : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाम आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, दिल्ली और हिन्दुस्तान वायर्स लिमिटेड दिल्ली एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं और इस प्रकार वे एकाधिकार गृह हैं; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने उद्योग मंत्रालय को सूचित किया है कि इन कम्पनियों के एकाधिकार गृह होने के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैसर्स वाम आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड भारतीय ग्राम, गजरौला, उत्तर प्रदेश और मैसर्स हिन्दुस्तान वायर्स लिमिटेड कलकत्ता को प्रथम दृश्या, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 20 के उपबन्धों को आकर्षित किया जाना, पाया गया था इसलिए उनको अपने उपक्रमों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का परामर्श किया गया था। दोनों ही कम्पनियों ने विभाग के निष्कर्षों का प्रतिरोध किया है और अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं, जिनपर विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) हां, श्रीमान जी, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत उनकी पंजीकरणीयता की तारीख के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना

2610. **श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार ने "प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी" प्रस्ताव को वास्तविकता में बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा हाल ही में इस सम्बन्ध में गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त गोष्ठी के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन औद्योगिक संस्थानों के नाम क्या है, जहां पर पिछले एक वर्ष (1983) के दौरान श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) सरकार ने प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता के सम्बन्ध में एक नई व्यापक योजना, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के संकल्प संख्या एल० 56011/1/83-डेस्क-1 (बी) के जरिये अभी हाल ही में शुरू की है, जो 30 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-1, खण्ड-1, में प्रकाशित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के 192 उपक्रमों में से 124 ने (1975 की या 1977 की) श्रमिक सहभागिता की दो स्वैच्छिक स्कीमों को किसी न किसी रूप में लागू करने के बारे में सूचना दी है। इसी तरह 14 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों ने इन स्कीमों को लगभग अपने 1248 यूनिटों में लागू करने के बारे में सूचित किया है।

गुजरात में बेरोजगार व्यक्ति

2611. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गुजरात में दिसम्बर, 1983 तक कितने शिक्षित, अर्ध-शिक्षित और ग्रामीण बेरोजगार व्यक्ति थे;

(ख) क्या उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1980 से 1983 की अवधि के दौरान गुजरात सरकार को इस अवधि में मांगे गए अनुदान में से कितना अनुदान दिया गया और इसमें से गुजरात सरकार ने कितनी राशि व्यय की ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

बड़े औद्योगिक घरानों की परिसंपत्तियों में वृद्धि

2612. **श्री राम विलास पासवान**
श्री सुभाष चन्द्र यादव : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1984 के 'पेट्रियट' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि देश में बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों में 285 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों की 1972-73 और 1980-81 की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 103 से बढ़ कर 168 हो गई है;

(ग) क्या यह भी बताया गया है कि उक्त अध्ययन के अनुसार 1972-73 और 1980-81 के बीच सभी एम० आर० टी० पी० घरानों की विकास दर 158 प्रतिशत है जोकि गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र को 137 प्रतिशत की विकास दर से बहुत अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हां, श्रीमान् जी। तथापि, प्रेस रिपोर्ट यह उल्लेख नहीं करती है कि देश में बड़े व्यापारिक घरानों की परिसम्पत्तियों में 285% की वृद्धि हुई है।

(ख) हां, श्रीमान् जी। वर्ष 1972-73 और 1980-81 की अवधि में सरकारी क्षेत्र में चल रहे सरकारी उद्यमों की संख्या 103 से 168 हो गई।

(ग) हां, श्रीमान् जी।

(घ) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्यों द्वारा किस प्रकार के ब्यौरों की मांग की गई है।

(ङ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उद्देश्य बड़े औद्योगिक घरानों की वृद्धि को रोकने का नहीं है किन्तु केवल सरकार की विद्यमान औद्योगिक नीतियों और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की प्रस्तावना में यथा प्रस्थापित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उनकी वृद्धि को नियमित करना है।

शीरे के निर्यात के सम्बन्ध में आसवनशाला एसोसिएशन की ओर से अभ्यावेदन

2613. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विभिन्न आसवनशाला एसोसिएशनों की ओर से हाल में इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि शीरे का निर्यात न किया जाए, क्योंकि उपलब्ध शीरे को अल्कोहल में परिवर्तित करने की राज्यों के पास पर्याप्त क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, हां। आल इण्डिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन एवं यू० पी० डिस्टिलर्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि शीरे के निर्यात की अनुमति न दी जाए।

(ख) पिछले दो अल्कोहल वर्षों (दिसम्बर-नवम्बर) 1981-82 और 1982-83 के दौरान शीरे की उपलब्धि देश में इसकी मांग से अधिक थी। राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, अतिरिक्त शीरे के कुछ माँग को निर्यात करने की अनुमति दी गयी थी। निर्यात की जाने वाली शेष मात्रा को वर्तमान अल्कोहल वर्ष के दौरान कम कर दिया गया है। सरकार शीरे की उपलब्धिता तथा इस्तेमाल की आवधिक आधार पर पुनरीक्षा करती है और जब कभी आवश्यक होता है निर्यात के लिए स्वीकृत मात्रा में आवश्यक सम्भव करती है।

देश में नियंत्रित कोयला वितरण डिपो और मिट्टी का तेल वितरण डिपो

2614. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने नियन्त्रित कोयला वितरण डिपो और मिट्टी का तेल वितरण डिपो हैं और वहां से जरूरतमंद लोगों को नियन्त्रित कोयले और मिट्टी के तेल का वितरण किस प्रकार किया जाता है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में कोई मार्ग-निर्देश दिए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो मार्ग-निर्देश कब तक जारी किए जायेंगे ;

(घ) क्या यह सच है कि नियन्त्रित कोयला और मिट्टी का तेल कई क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण, पिछड़े, दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में आज भी नहीं पहुँच पाता है ; और

(ङ) यदि हां तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस और प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

उर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक स्वीकृतियों और मूल्य नीति और प्रक्रिया के बारे में राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद् के कार्यकारी दल की सिफारिश

2615. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद् द्वारा औद्योगिक स्वीकृतियों और मूल्य नीति और प्रक्रिया के बारे में गठित कार्यवाही दल की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद (एन० डी० पी० डी० सी०) के तत्वाधान में गठित उक्त कार्यकारी दलों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर अभी परिषद द्वारा विचार किया जाना है। सरकार एन० डी० पी० डी० सी० की सिफारिशें प्राप्त हो जाने और उन पर विचार करने के पश्चात ही विभिन्न नीति विषयक मामलों पर अपने निर्णयों की घोषणा करने का विचार रखती है।

तेल की खोज में सहयोग के बारे में भारत और रूस द्वारा नयाचार पर हस्ताक्षर

2616. **श्री बिष्णु प्रसाद**
श्री छीतू भाई गमित } क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और रूस ने पश्चिम बंगाल और गुजरात में तेल की खोज और गुजरात में रुग्ण कुओं को नया रूप देने में सहयोग के नयाचार पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) नयाचार की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या असम तेल विकास कार्यों में और अधिक सुधार के लिए इस नयाचार के अन्तर्गत भू-सर्वेक्षण किया जा सकता है।

उर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) दोनों पक्षों ने पश्चिम बंगाल के रागाघाठ-जगूली-कृष्णानगर क्षेत्र में भारतीय-सोवियत दल द्वारा भूकम्पीय कार्य की प्रगति की समीक्षा की थी और वे करारों की अवधि 1985-86 तक बढ़ाये जाने के लिए सहमत थे।

भारत-सोवियत दल द्वारा पश्चिम बंगाल में बादरा-2 कुएं की खुदाई के कार्य की भी समीक्षा की गई थी।

बेकार कुओं के "वर्क ओवर" कार्याचालनों के लिए दो सोवियत "वर्क ओवर" दल गुजरात में काम कर रहे हैं। मौजूदा करार की अवधि बढ़ाने का निश्चय किया गया था। इसके अतिरिक्त सोवियत पक्ष ने भविष्य में चार और "वर्क ओवर" दलों की व्यवस्था करना मान लिया है।

(ग) इस समय, संलेख में असम में भूकम्पीय सर्वेक्षणों के किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 1980 के बाद की अवधि में औद्योगिक दुर्घटनाओं के आंकड़े

2617. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास 1980 के बाद की अवधि के औद्योगिक दुर्घटनाओं के आंकड़े नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की सूचनाओं के आंकड़े प्रतिवर्ष एकत्र न कर पाने के लिए कौन उत्तर दायी है ;

(ग) क्या यह भी सत्र है कि अधिकांश राज्यों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सांविधिक रूप से अपेक्षित सुरक्षा अधिकारियों की वास्तविक संख्या बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो इस रूख में परिवर्तन लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में सांख्यिकीय सूचना का संकलन राज्य कारखाना निरीक्षणालयों द्वारा समय-समय पर भेजी गई रिपोर्टों के आधार पर निदेशक, श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। निदेशक, श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नवीनतम सूचना वर्ष 1980 की है। कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं की वर्ष 1981 और 1982 तथा 1983 की तीन तिमाहियों की सूचना कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशक के पास उपलब्ध है।

(ग) और (घ) जहाँ तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, नियुक्त किए जाने वाले सुरक्षा अधिकारियों की संख्या के बारे में कुछ मानदण्ड विद्यमान हैं, जिन्हें पर्याप्त समझा गया है। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कार्यवाई कर रही है कि सांविधिक तौर पर अपेक्षित संख्या में नियुक्त किए जाने वाले सुरक्षा अधिकारियों को वास्तव में नियुक्त किया जाए।

बड़े औद्योगिक एककों द्वारा अपने लघु एककों को कम दर पर औषधियों की सप्लाई

2618. **श्री सतेन्द्र नारायण सिंह**
श्री मोतीभाई आर० चौधरी
श्री भीम सिंह
: क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक बड़े औद्योगिक एककों द्वारा अपने लघु एककों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कम दरों पर औषधियां सप्लाई की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या परिणाम रहा है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में चिट फंड कंपनियां

2619. **श्री के० लकप्पा**
श्री बाल कृष्ण वासनिक : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रजिस्ट्रार, चिट फंड, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकरण कराने वाली चिट फंड कम्पनियों के मास-वार नाम क्या हैं ;

(ख) किसी चिट फंड कंपनी का पंजीकरण करने के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा कितना न्यूनतम/अधिकतम समय लिया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकरण कराने वाली कुछ चिट फंड कम्पनियां उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहीं हैं और कम्पनी कानून का उल्लंघन कर रही है;

(घ) उन चिट फंड कम्पनियों के नाम तथा ब्यौरा क्या है जिन्होंने अनियमितताएं की हैं ; और

(ङ) दोषी चिट फंड कम्पनियों के विरूद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) वांछित सूचना कम्पनी कार्य विभाग में उपलब्ध नहीं हैं। रजिस्ट्रार, चिट फंड, दिल्ली प्रशासन दिल्ली इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नहीं हैं।

(ग) से (ङ) दिल्ली में इस प्रकार की काफी संख्या में कम्पनियां चल रही हैं तथा और इन सभी कम्पनियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने में काफी समय लगेगा जो शायद किये गये प्रयासों का समानुपातिक नहीं हो सकेगा। तथापि वांछित सूचना किसी विशेष चिट फंड कम्पनी के सम्बन्ध में एकत्र की जा सकती हैं तथा वह प्रस्तुत की जा सकती हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को पुनः गठित करने का प्रस्ताव

2620. **श्री बापू साहिब परुलेकर**
श्रीमती प्रमिला दण्डवते
श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को पुनः गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से मंत्रालय में विचाराधीन है ;

(ग) इस प्रस्ताव को मूल रूप में किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था ; और

(घ) इस पर अब तक कोई निर्णय न लेने के क्या कारण हैं।

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में कुछ संगठनात्म परिवर्तन करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं और इन पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

मैसर्ज प्लाजर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद

2621. **श्री बाल कृष्ण वसनिक, श्री गुफरान आजम** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्लाजर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम चुकता पूंजी, विदेशी इक्विटी तथा इसके स्वामियों की भेजी गई वार्षिक धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि यह कम्पनी विदेशों को भारी मात्रा में धन-राशि भेज रही है और इसके निदेशक धनराशि को अपने निजी लाभों के लिए प्रयोग कर रहे हैं ; और यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा शिकायतों के बारे में जांच कराई गई है और इस विदेशी कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) 27-6-1983 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार, कम्पनी के निर्देशक मंडल में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

श्री मोहिन्दर पाल पुरी

श्री डब्ल्यू० ए० म्यूलेर

डा० वेन्ना कोच

31-12-1982 तक कम्पनी के तुलना पत्र के अनुसार, कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 10,00,000 रु० है, जो 100 रु० प्रत्येक को के 10,000 इक्यूटि शेयरों में विभाजित है। जहां तक मैसर्स प्लाजर एण्ड थारौर बी० यू० एफ० ए० जी०, बडूज लीचटेन्सटीन जो निगमित निकाय है, कि विदेशी इक्युटि का सम्बन्ध है, वह कम्पनी के 7400 इक्युटि शेयरों को धारित करती है। उपरोक्त तुलनापत्र में बाहर भेजी गई यथा दर्शायी विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है :

	सम्पूर्ण	साधन पर कटौती	कुल
लाभांश (1980 के लिये)	74,000 रु०	18,500 रु०	55,500 रु०

(ख) ना तो कंपनी नाही उसके निदेशकों के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

सरीन समिति की सिफारिशें

2622. **श्री चित्त महाटा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार के बारे में एच० सी० सरीन समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर अब तक क्या निर्णय लिए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां, समिति की सिफारिशों में से काफी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है फिर भी कुछ अभी तक विचाराधीन हैं।

(ख) सरीन समिति ने कुल 437 सिफारिशें की। इनमें से 339 सिफारिशे अमल के लिए स्वीकार कर ली गई हैं। अन्य 6 स्वीकार तो कर ली गई हैं लेकिन वित्तीय प्रतिबन्ध के कारण उन पर अमल मुलतवी कर दिया गया है। सिफारिशों में से 38 स्वीकार नहीं की गई और शेष 54 अभी तक विचाराधी हैं।

कारगिल की पाराचिक/सुरू पनबिजली परियोजना

2623. **श्री पी० नामग्याल :** क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में कारगिल को पाराचिक/सुरू पनबिजली परियोजना का सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल का काम कब आरम्भ हुआ और उक्त परियोजना का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जाएगा ;

(ख) इसकी कुल अनुमानित लागत क्या है, और इसके पूरा होने पर इस परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सुरू नदी पर परमाचिक पानीघर की व्यवहार्यता रिपोर्ट राज्य प्राधिकारियों से जुलाई, 1979 में प्राप्त हुई थी व्यवहार्यता रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई थी और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे इन टिप्पणियों के आधार पर विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करें। तथापि, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की राज्य प्राधिकारियों से अभी प्रतीक्षा है।

परियोजना में 7.5—7.5 मेगावाट की चार यूनिटों की प्रतिष्ठापना करना शामिल है तथा इस पर 34.63 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। परियोजना पर कार्यान्वयन के लिए विचार परियोजना प्राधिकारियों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने तथा स्कीम के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित किए जाने के बाद ही किया जाएगा।

तेल का पता लगाने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने का प्रस्ताव

2624. **श्री सतीश अग्रवाल**
श्री राम विलास पासवान
श्रीमती गीता मुखर्जी
: क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में तटदूर और तट-निकट दोनों पर तेल का पता लगाने के लिए देश के गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) पता लगाने का अनुबन्ध देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं और उसकी शर्तें क्या हैं।

उर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

निजी जन संचार सुविधा

2625. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों की समूची विकास गति को तेज करने के लिए स्वयं प्रोत्साहन के रूप में निजी जन संचार सुविधाएं आकर्षक प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही शुरू की है; और

(ख) रेडियो फरीक्युन्सी व्यवस्था में अब तक प्रयोग न किए गए बैंडों के प्रयोग की सुविधा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) इस संबन्ध में किए गए उपायों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :—

(1) आवृत्ति आवंटन की एकीकृत और भावी आवश्यकता के अनुकूल राष्ट्रीय योजना को तैयार कर उसे 1.4.84 से लागू करना। इस योजना में विभिन्न रेडियो आवृत्ति पट्टियों के विशिष्ट हिस्सों के, सरकारी, सार्वजनिक और निजी संचार सेवा की व्यवस्था और प्रचालन के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसके फलस्वरूप आवृत्तियों का सभी उपभोक्ताओं के लिए प्राधिकरण का समन्वय ज्यादा अच्छा और शीघ्रतर सम्भव हुआ है जिनसे संचार उपस्करों के प्रचालन में आने वाले आपसी अन्तराल न्यूनतम हों।

(2) देश में रेडियो संचार उपस्करों के उत्पादन के लिए सरकार का अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ मिला-जुला प्रयास। राज्य सरकार क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के अनेक एककों को विभिन्न रेडियो संचार उपस्कर के उत्पादन के लिए औद्योगिक लायसेंस जारी किए गए। इन उपस्करों में ऐसे उपस्कर भी शामिल हैं जो इस देश में अब तक काम नहीं आ रही आवृत्ति पट्टियों में संचार के लिए प्रयोग में लाये जा सकते हैं।

(3) प्राधिकृत रेडियो संचार सेवाओं को अनुज्ञप्तियां देने के लिए उदार नीति और सहज प्रक्रिया।

(4) रेडियो संचार सेवाओं की लाभप्रद भूमिका के बारे में प्रयोक्ता को अधिक जागरूक करने के प्रयास करते रहना और तकनीकी तथा प्रचालन सम्बन्धी पहलुओं पर सलाह देना।

(5) उन मार्गों और क्षेत्रों के लिए अनुज्ञप्ति देने के मामलों में जहां सार्वजनिक दूरसंचार तन्त्र की स्थापना और विस्तार की योजना नहीं है, डाकतार विभाग का दृष्टिकोण व्यवहारिक रहा है।

अखबारी कागज का आयात

2626. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये विदेशों से अखबारी कागज आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका आयात करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो अखबारी कागज के कब तक आयात किए जाने की संभावना है और तब तक उसकी कमी को कैसे पूरा किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां । सरकार की नीति कुल आवश्यकताओं और देश में स्वदेशी उत्पादन/उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए अखबारी कागज का आयात करने की है।

(ख) जी, हां। इस सम्बन्ध में कार्रवाई एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) 1983-84 के लिए नियत आयातित अखबारी कागज का बहुत बड़ा भाग देश में पहले ही पहुंच गया है और शेष के आने वाले सप्ताहों में पहुंचने की आशा है।

राज्य व्यापार निगम ने अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1984-85 के लिए अखबारी कागज की हकदारियों को पूरा करने में गड़बड़ी को रोकने के लिए 1984-85 की आवश्यकताओं के प्रति 54,000 टन अखबारी कागज का आयात करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

बम्बई और रत्नगिरी-सिंधु दुर्ग जिलों के बीच टेलीफोन संचार

2627. **प्रो० मधु दण्डवते : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोंकण क्षेत्र के बम्बई और रत्नगिरि-सिन्धु दुर्ग जिलों के बीच टेलीफोन संचार सेवा में इसके बरास्ता कोल्हापुर होने के कारण गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई और रत्नगिरि-सिन्धु दुर्ग जिलों के बीच तीव्र टेलीफोन संचार सुविधा के लिए इस प्रणाली में कोई परिवर्तन किए जाने का बिचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) यह सच नहीं है कि बम्बई और रत्नगिरि-सिन्धु दुर्ग जिलों के बीच टेलीफोन संचार प्रणाली को गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों स्टेशनों से बम्बई के लिए बरास्ता कोल्हापुर सीधा ट्रंक सर्किट है। ट्रंक कालों का प्रभावी प्रतिशत काफी सन्तोषजनक है, जो 72 प्रतिशत से अधिक है।

(ख) ट्रंक सेवाओं में और अधिक सुधारे करने के उद्देश्य से डाक-तार विभाग ने एक अत्यधिक विश्वसनीव संचारण माध्यम (रत्नगिरि-बम्बई और सावंतवाडी-पणजी के बीच सूक्ष्मतरंग प्रणाली) प्रदान करने की योजना बनाई है। इसके अलावा 1984-85 के दौरान रत्नगिरि-चिपलुन, कोल्हापुर-कंकावली और चिरलुन-खंड के बीच ओपन वायर कैरियर प्रणालियाँ प्रदान करने की योजना बनाई है।

विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन

2628. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी**
श्री सूरज भान } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में जो मार्च, 1980 में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भेजी गई थीं, न्यायालयों में लंबित मामलों के सम्बन्ध में मुख्य सिफारिश क्या हैं ;

(ख) तब से अब तक सिफारिशों के कार्यान्वयन में राज्यवार क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा के लिए 10वें विधि आयोग की नियुक्ति की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस आयोग के विचारार्थ विषय क्या है और अब तक क्या कार्य किया है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) विधि आयोग की 79 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का संक्षेप, जो उसके अध्याय 21 में है, संलग्न विवरण में दिया गया है। यह रिपोर्ट 29 जनवरी, 1980 को सदन के पटल पर रख दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०-7920/85]

(ख) राज्यों द्वारा दी गई जानकारी संलग्न विवरण 2 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०-7920/85]

(ग) और (घ) जी हां, उसने 8 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विचारार्थ विषय संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०-7920/85]

बंधुआ मजदूरों का पता लगाना और उनका पुनर्वास

2629. **श्री अजय विश्वास** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी भी बन्धुआ मजदूरों की राज्यवार कुल अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से (राज्यवार) कितने बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया है और उन्हें मुक्त कराया गया है ; और

(ग) क्या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु सरकार की कोई योजना है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में 11 राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है। तथापि बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाना और उन्हें मुक्त तथा पुनर्वासित कराना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 31-12-83 को पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों की कुल संख्या 1,61,075 थी जिनमें से 1,19,219 श्रमिकों को पुनर्वासित किया जा चुका है। राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन बन्धुना श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास में राज्य सरकार के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा 1978-79 से केन्द्र द्वारा संचालित एक योजना आरम्भ की गई जिसके अधीन राज्य सरकारों को बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बराबर-बराबर (50 : 20) के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में प्रति बन्धुआ श्रमिक के लिए 4000/- रुपये की अधिकतम सीमा तक पुनर्वास सहायता की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जिसमें से आधी राशि केन्द्रीय हिस्से के रूप में दी जाती है। इस योजना में लाभानुभोगी की कुशलता, अभिरुचि और वरीयताओं के अनुसार, भूमि पर आधारित, गैर-भूमि पर आधारित (पशुपालन) और कौशल/दस्तकारी पर आधारित योजनाओं के अधीन पुनर्वास व्यस्था है।

विवरण

राज्य का नाम	पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या।	पुनर्वासित किए गए बन्धुआ श्रमिकों की
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	13,491	10,305
2. बिहार	8,365	5,604
3. गुजरात	63	63
4. महाराष्ट्र	540	292
5. मध्य प्रदेश	2,020	1,853
6. उड़ीसा	28,869	17,095
7. कर्नाटक	62,699	40,033
8. केरल	829	537

1	2	3
9. राजस्थान	6,244	6,190
10. तमिलनाडु	29,174	28,513
11. उत्तर प्रदेश	8,781	8734
कुल	1,61,075	1,19,219

लघु वृत्तचित्रों का निर्माण

2630. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे फिल्म निर्माता भी हैं जिन्होंने काफी अधिक समय से फिल्मों को पूरा नही किया है यद्यपि लघु वृत्त चित्रों के निर्माण के लिए दिल्ली दूरदर्शन तथा उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र (सेटेलाइट सेन्टर) द्वारा उनको 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशता की अग्रिम राशि दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्माताओं को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है जिनके वृत्तचित्र अभी भी पूरे होने बाकी हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) एक **विवरण संलग्न** है जिसमें वित्तीय वर्ष 1983-84 के शुरू तक अनुमोदित उन फिल्मों का ब्यौरा दिया हुआ है जिनके लिए ऋण दिए गए हैं और जो अभी मुकम्मल होनी हैं।

(ग) निर्माताओं से कहा गया है कि वे अपनी संविदाओं में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, अपनी फिल्में पूरी करें।

विवरण

केन्द्र का नाम	निर्माता का नाम	फिल्म का नाम	दिया गया ऋण
1	2	3	4
	1982-83		
1. दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली।	1. श्री सिसिल कुमार	1. पोनी वाला	1,54,000 रु०

1	2	3	4
	1981-82		
2. उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	1. एम० जी० महेन्द्र	1. अनोखा मेहमान	21,600 रु०
	1982-83		
1. मैसर्स प्रभात मुखर्जी		1. एटर नल सर्च टु अमरनाथ	7,500 रु०
2. श्री अशोक कुमार मैसर्स सिने कांटीनेन्टल, दिल्ली ।		1. छोटा सा अधिकार	15,000 रु०

इण्डेन गैस वितरण एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें

2631. **श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से उपभोक्ताओं ने इस बात की शिकायत की है कि इण्डेन गैस वितरण एजेंसियां असली उपभोक्ताओं को गैस-सिलेंडर सप्लाई न करके परेशान करती हैं जबकि उक्त एजेंसियों के कर्मचारी अधिक लाभ लेकर अनधिकृत लोगों को सिलेंडर बेचते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) वर्ष 1983 के दौरान कितनी इण्डेन गैस एजेंसियां रद्द की गई।

उर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क और (ख) जी हां । ऐसी शिकायतों की जांच की जाती है और जहां भी यह शिकायतें सही पाई जाती हैं, वितरकों को उपयुक्त चेतावनी दी जाती है तथा इनमें शामिल डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं । लगातार ऐसी चूकें होने पर डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तक समाप्त कर दी जाती हैं।

(ग) नौ (9)।

कर्नाटक में बिजली का बन्द होना

2632. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता चला है कि अब कर्नाटक में बिजली में 65% कटौती के अतिरिक्त बिजली बंद होना भी आम बात हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को जिनको भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कुछ राहत प्रदान करेगी ?

उर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कर्नाटक में इस समय औसत उपलब्धता लगभग 21.0 मि० यू० प्रतिदिन है । जबकि आवश्यकता 27.42 मि० यू० प्रतिदिन है। इस प्रकार राज्य में विद्युत की कमी लगभग 23.4 प्रतिशत है। राज्य में मांग और उपलब्धता के बीच के अन्तर को समाप्त करने की दृष्टि से 251 के०वी०ए० और उससे अधिक सम्बद्ध भार वाले उच्च वोल्टता उद्योगों पर 65 प्रतिशत ऊर्जा कटौती लगाई गई है।

(ख) कर्नाटक में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए, जब कभी विद्युत के इस प्रकार के अन्तरण के लिए उनकी प्रणाली की परिस्थितियां अनुमति देती हैं, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से पर्याप्त सहायता दी जाती है। जुलाई, 1983 से फरवरी, 1984 तक आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा कर्नाटक को दी गई महीनेवार सहायता विवरण में दी गई है। तथापि, जनवरी, 1984 में आंध्र प्रदेश में भी विद्युत की उपलब्धता में कमी हो जाने के परिणामस्वरुप आंध्र प्रदेश से कर्नानटक को सहायता में कमी करनी पड़ी थी। महाराष्ट्र जहां तक सम्भव होता है कर्नाटक की सहायता कर रहा है। 1984 में मानसून आ जाने पर कर्नाटक में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार होने की आशा है।

विवरण

आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्डों से कर्नाटक को सहायता

महीना	आंध्र प्रदेश से (मि० यू० में आंकड़े)	महाराष्ट्र से (मि० यू० में आंकड़े)
जुलाई, 1983	4.82	15.94
अगस्त, 1983	24.16	2.97
सितम्बर, 1983	35.31	33.44
अक्तूबर, 1983	46.88	53.79
नवम्बर, 1982	47.36	49.68
दिसम्बर, 1983	23.96	42.95
जनवरी, 1984	3.34	41.96
फरवरी, 1984	5.75	38.40

भारत कोकिंग कोल लि० में पाई गई लेखा संबंधी खामियां

2633. **श्री राजेश कुमार सिंह**
श्री रसीद मसूद : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल लि० में लेखा सम्बन्धी गम्भीर खामियां पाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

उर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि० की वर्ष 1982-83 की लेखा-परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट में कम्पनी के खाते में कुछ कमियां बताई गई हैं, जैसे-खातों के अपर्याप्त ब्यौरे, रिकार्ड न मिलना, अग्रिम राशियों के भुगतान से संबंधित लेखा-क्रियाविधि में दोष, अग्रिम राशियों को देयताओं से न जोड़ना खरीदारियों पर आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली संतोषजनक न होना, आदि। लेखा-परीक्षा के सुझावों को कंपनी के प्रबंध मंडल ने समुचित कारवाई के लिए नोट कर लिया है। सरकार ने भी कंपनी को लेखा-क्रियाविधि/कमियों के सम्बन्ध में सुधार करने की/ठीक करने की कार्रवाई करने का निदेश दिया है।

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के उपाय

2634. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी**
श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भविष्य के लिए उपाय के रूप में गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं और लोगों ने उन्हें कहां तक अपनाया है;

(ख) इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने और तकनीकी जानकारी देने, प्रदर्शन केन्द्र खोलने और आम लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) लोगों को सस्ते दामों पर गैर-पारम्परिक ऊर्जा के गैजिट बेचने के लिए सरकारी क्षेत्र में अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसियों/निर्माताओं के नाम क्या हैं ?

उर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। इनमें राजसहायता टर्न की जाब फीस और संवर्धन नकद प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता सम्मिलित है। ग्रामीण जनता को प्रेरित करने के लिए, प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धता के उद्देश्य से विस्तृत प्रशिक्षण और महिला शिक्षा कार्यक्रमों का प्रबंध किया जा रहा है। लघु-फिल्मों लीफ्लेट्स, पुस्तिकाओं, प्रदर्शनी आदि प्रचार माध्यमों के द्वारा इन कार्यक्रमों के प्रति चेतना जागत की जा रही है। विभिन्न प्रणालियों एवं

युक्तियों को लोकप्रिय बनाने और उनके प्रचार के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी का भी उपयोग किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने पर्याप्त संस्था में वित्तीय प्रोत्साहन दिए हैं जैसे—मशीनरी और संयंत्रों के मूल्यह्रास में वृद्धि, उत्पादन शुल्क में छूट आदि। कई राज्य सरकारों ने भी कुछ विशेष युक्तियों पर बिक्री कर में छूट प्रदान की है। वित्तीय संस्थानों से आसान शर्तों पर ऋण भी उपलब्ध है। इन प्रणालियों की उपयोगिता एवं कुशलता को प्रदर्शित करने के लिए, विभिन्न प्रणालियों के बारे में सभी राज्यों में प्रदर्शन कार्यक्रम प्रारम्भ किए जा चुके हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप देश में गैर-पारम्परिक ऊर्जा का प्रयोग धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहा है। इन सभी कार्यक्रमों को लगातार जारी रखने और भविष्य में इनमें वृद्धि करने का प्रस्ताव है। लोगों के लिए सस्ते मूल्यों पर सौर कुकर बेचने वाली प्रमुख एजेंसियों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

जनता के लिए राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर सौर कुकर बेचने वाली महत्वपूर्ण अनुमोदित एजेंसियों की सूची :

1. राजस्थान राज्य, कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, ओ-1, सुभाष नगर, झोंटवाड़ा रोड, जयपुर।
2. राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
3. गुजरात ऊर्जा विकास अभिकरण, बी. एन. चैम्बर्स, तीसरा तल, आर. सी. दत्त रोड, बड़ोदरा-390005।
4. कर्नाटक औजार एवं मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, मैसूर रोड, बंगलौर-560026।
5. हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम लिमिटेड, सेक्टर 17-डी, चंडीगढ़-160017।
6. मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल।
7. इंजीनियरी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी, 20, चथम लाइन्स, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
8. एग्रो पम्पसेट एण्ड इम्पलिमैंट्स लिमिटेड, 10-2-317/3, विजयनगर कालोनी हैदराबाद-500457।
9. महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम, कृपनिधि, 9, बालचन्द हीराचन्द मार्ग, बेलार्ड स्टेट, बम्बई-400036।
10. शिमला केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड, नया बाजार, शिमला।
11. तमिलनाडु उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, एक्स एन-663, 26 अरकाट रोड, सालिगरामम, मद्रास-600093।

12. सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001।

13. दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, एन. ब्लाक, बम्बई लाइफ बिल्डिंग, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001।

14. सिंडकेट बैंक, 6, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001।

15. सरकारी औजार फैक्ट्री, सत्यनगर, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

16. लखनऊ केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड, (नया बाजार-सुपर मार्केट) दयानिधान पार्क, लखनऊ।

17. गैर-पारम्परिक ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, बी-46, मन्दिर मार्ग, महानगर विस्तार, लखनऊ।

18. पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, एस. सी. ओ. संख्या 315-316, सेक्टर 35-बी, चंडीगढ़।

19. मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, 39 निशात कालोनी, भोपाल-462003।

20. बिहार राज्य हथकर्घा एवं दस्तकला निगम, गांधी मैदान, पटना-800004।

21. असम राज्य सहकारी मार्केटिंग एवं उपभोक्ता संघ लिमिटेड गंगागढ़, गोहाटी-781005।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के एककों को घाटा

2635. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के एककों को 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान कितना लाभ अथवा घाटा हुआ ;

(ख) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इस घाटे को दूर करने के लिये सरकार को कतिपय सुझाव दिये थे; और

(ग) यदि हां, तो इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० द्वारा 1980-81, 1681-82 और 1982-83 के दौरान ब्याज, कर तथा मूल्यह्रास के बाद उठाई गई हानि अग्र प्रकार थी :

(रुपये लाखों में)

1980-81	1981-82	1982-83
1692.05	2743.86	2401.39

(ख) और (ग) कम्पनी के निष्पादन के सम्बन्ध में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लि० के कर्मचारियों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर प्रबन्ध द्वारा सरकार के परामर्श से उचित कार्यवाही की जाती है, जैसे कि विपणन सलाहकार परिषद का गठन, निष्क्रिय संयंत्रों का उपयोग करना, अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था करना आदि।

वीडियो फिल्मों की चोरी

2636. **श्री बृज मोहन महन्ती**
श्री विरदा राम फुलवारिया
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीडियो फिल्मों की चोरी और अश्लील फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए किन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों ने सर्वाधिक विनियमों को लागू किया है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या बड़े पैमाने पर वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन कर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और देश में सिनेमा उद्योग और फिल्म उत्पादन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों, आदि से एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) से (घ) सेंसरशिप को छोड़कर सिनेमा का विषय राज्य विषय है। इसलिए वीडियो फिल्मों और चलचित्रकी फिल्मों के प्रदर्शन को विनियमित करना राज्य सरकारों का काम है। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी किए हैं कि वे वीडियो फिल्मों के लोक प्रदर्शन को चलचित्रकी फिल्मों के लोक प्रदर्शन के समान समझें। इसलिए वीडियो फिल्मों के लोक प्रदर्शन के लिए सेंसर प्रमाण-पत्र आवश्यक है और प्रदर्शकों को राज्य समकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा निर्धारित सभी अपेक्षाओं का पालन करना होगा। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वीडियो फिल्मों को अलग से सेंसर किए जाने

का प्रावधान करने के लिए चलचित्र प्रमाणन नियम, 1983 में संशोधन भी किया है। यह राज्य सरकारों का काम है कि वे वीडियो फिल्मों के अनधिकृत लोक प्रदर्शन को रोकने के लिए आवश्यक नियम बनाएं।

ग्वालियर टी० वी० प्रसारण केन्द्र का उद्घाटन

2637. **श्री के० ए० राजन :** क्या सूचना प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर टी. वी. प्रसारण केन्द्र का उद्घाटन 5 जनवरी, 1984 को किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उद्घाटन समारोह किसने किया;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री और वह उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री राज्य में और अधिक टी. वी. केन्द्र स्थापित करने पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दे रहे थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) इसका उद्घाटन श्री राजीव गांधी, संसद सदस्य द्वारा किया गया था।

(ग) मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री तथा मैं उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे।

(घ) जी, हां।

(ङ) मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने मध्य प्रदेश में और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने का अनुरोध किया था और यह कहा था कि दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए एक लाख जनसंख्या का मानदण्ड मध्य प्रदेश पर लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या बहुत बिखरी हुई है।

अमरीकी तेल कम्पनी द्वारा सौराष्ट्र में तट-दूर क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्य का छोड़ा जाना

2638. **श्री मोहम्मद असरार अहमद**
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी तेल कम्पनी, "छेवरोन" ने सौराष्ट्र में तट-दूर क्षेत्र में

ड्रिलिंग कार्य करना बन्द कर दिया है, जिसके लिये इस कम्पनी को रियायती दरों पर अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

गैस की सप्लाई के लिए पाइप लाइन बिछाना

2639. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में बम्बई हाई की गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों से होकर बम्बई हाई गैस की पाइप लाइन बिछाई जाएगी;

(ग) क्या गैस की सप्लाई के लिए पाइप बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(घ) क्या इसका लाभ मध्य प्रदेश के उन जिलों में, उद्योगों की स्थापना करने और घरेलू खपत के लिए उपलब्ध होगा जिनमें होकर यह लाइन गुजर रही है;

(ङ) यदि हां, तो गैस कितनी मात्रा में उपलब्ध होगी और किन-किन उद्योगों के लिए होगी;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) उन एजेंसियों के क्या नाम हैं, जिन्हें, गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य सौंपा गया है; और

(ज) इन पाइप लाइनों के बिछाने पर कुल कितना खर्चा आएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गैस पर आधारित 6 उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का निर्णय किया गया है।

(ख) गैस पाइप लाइन को मध्य प्रदेश में जिला झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, शजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और दतिया जिलों से होकर बिछाया जायेगा।

(ग) और (छ) उपर्युक्त उर्वरक संयंत्रों के लिए गैस सप्लाई करने के लिए पाइप लाईनें बिछाने का काम अभी शुरू नहीं किया गया

(घ) मध्य प्रदेश में, उर्वरक संयंत्रों को छोड़कर, प्राकृतिक गैस को घरेलू ईंधन के रूप में और उद्योगों द्वारा प्रयोग में लाये जाने के लिए सप्लाई करने की इस समय कोई योजना नहीं है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) दीर्घावधिक आधार पर प्राकृतिक गैस की अनुमानित निरन्तर उपलब्धता को बनाये रखने से भी इस समय गैस को घरेलू ईंधन के रूप में और अन्य औद्योगिक प्रयोजनों के लिए मुहैया करने की संभावना नजर नहीं आती है।

(ज) परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1700 करोड़ रुपये है।

संजय ताप विद्युत संयंत्र

2640. **श्री बलबीर सिंह** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में संजय ताप विद्युत संयंत्र का कार्य वन विभाग द्वारा आपत्ति उठाए जाने के कारण रुक गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे परियोजना की लागत में वृद्धि नहीं होगी और राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने में और विलम्ब नहीं होगा ?

उर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना के लिए लगभग 1347 हैक्टेयर वन भूमि दिए जाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत कृषि मन्त्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कृषि मन्त्रालय ने अभी तक प्रस्ताव के लिए अपना अनुमोदन राज्य सरकार को नहीं भेजा है। इसलिए, उक्त वन भूमि पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है तथापि वण भूमि के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ख) परियोजना को चालू करने में विलम्ब करने से इसकी लागत में वृद्धि होगी तथा विद्युत की उपलब्धता में विलम्ब होगा।

सोडा ऐश के निर्माताओं द्वारा उसके मूल्य में वृद्धि करना

2641. श्री रतन सिंह राजदा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडा ऐश के निर्माता किसी न किसी आधार पर मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं, यदि हां, तो मई, 1983 से 31 जनवरी, 1984 तक प्रत्येक निर्माता द्वारा प्रति दन मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार, 2 अगस्त, 1982 को राज्य सभा में दिए गए एक आश्वासन के अनुसार मूल्यों को एक निश्चित स्तर पर स्थिर रखने के लिए बाध्य है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सोडा ऐश संबंधी एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा उत्पादन लागत का अध्ययन किया जाना है; और

(घ) उच्च शक्ति प्राप्ति समिति के निर्णय के अनुसार दो उप-समितियों के गठन में अनावश्यक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) मई, 1983 और उसके बाद की अवधि के दौरान स्वदेशी उत्पादकों के सोडा ऐश लाइट के कारखाने से बाहर यथा उपलब्ध मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) 2.9.1982 को राज्य सभा के तारांकित प्रश्न सं० 332 के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए, यह बताया गया था कि सोडा ऐश का मूल्य नियंत्रित नहीं है और प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर विचार किया जाएगा कि सोडा ऐश का मूल्य किस ढंग से निर्धारित किया जा सकता है।

उस समय से सरकार ने सोडा ऐश के संबंध में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है जो अन्य बातों के साथ-साथ स्वदेशी रूप से उत्पादित किए जाने वाले सोडा ऐश की लागत और मूल्य ढांचे और उनके मूल्य के निर्धारण की विस्तृत जांच करेगी।

(घ) सोडा ऐश सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दो उप समितियां गठित की जा चुकी हैं जिन्हें उनके गठन और विचारार्थ विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जांच के बाद गठित किया गया ।

विवरण

मई, 1983 और उसके बाद स्वदेशी उत्पादकों के सोडा ऐश लाइट के कारखाने से बाहर यथा उपलब्ध मूल्य उत्पाद शुल्क और बिक्री कर को छोड़कर (दर्शाने वाला विवरण)।

उत्पादक	प्रभावी होने की तारीख	मूल्य (रु०/प्रतिशत
मै० टाटा कैमिकल्स लि०	मई, 1983 से पूर्व	रु० 2024.50
	से 3.2.1984	रु० 2134 25
	से 5.3.1984	रु० 2182.00
मै० सौराष्ट्रा कैमिकल्स	मई, 1983 से पूर्व	रु० 2045.00
	से 4.1.1984	रु० 2060.00
	से 23.1.1984	रु० 2185.00
मै० ध्रागन्धरा कैमिकल्स	मई, 1983 से पूर्व	रु० 2020.00
वर्क्स लि०	से 25.1.1984	रु० 2045.00
	से 25.1.1984	रु० 2175.00
मै० तुतीकोरिन एलकली	मई, 1983 से पूर्व	रु० 2100 00 (लगभग)
कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	जैसा कि 18.2.1984	रु० 2161.00
मै० हरी फर्टिलाइजर्स लि०	मई, 1983 से पूर्व	रु० 2070.00
	7.1.1984 से	रु० 2125.00
	1.2.1984 से	रु० 2245.00

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के लोगों को बेहतर टेलीफोन सेवायें प्रदान करना

2642. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल (मिदनापुर जिला) के हल्दिया दुर्गापुर और तामलुक टेलीफोन

केन्द्रों के अन्तर्गत लोगों को बेहतर टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) हल्दिया दुर्गाचाक और तामलुक एक्सचेंज के उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं :

1. अल्ट्राहाइ फ्रीक्वेंसी प्रणाली पर कार्य कर रहे मौजूदा कलकत्ता-हल्दिया ट्रंक संचार नेटवर्क को नैरो बैंड सूक्ष्मतरंग प्रणाली द्वारा बदला जा रहा है, जिसका संस्थापना कार्य चल रहा है।

2. सूक्ष्मतरंग प्रणाली चालू होने पर, दुर्गाचाक के लिए एस० टी० डी० शुरू कर दी जाएगी।

3. तामलुक में स्वचल एक्सचेंज भवन का निर्माण करने के उद्देश्य से एक भूखण्ड प्राप्त करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और राज्य सरकार के साथ बात-चीत चल रही है।

4. हल्दिया में एस० टी० डी० सेवा प्रदान कर दी गई है।

5. हल्दिया एक्सचेंज के एस० टी० डी० जंक्शनों को नए चैनलों के साथ कलकत्ता स्थित इलेक्ट्रानिक टी० ए० एक्स० से जोड़ने का कार्यक्रम है।

6. हल्दिया में 20 लाइनों का टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित कर दिया गया है।

7. रख-रखाव के दैनिक कार्यक्रमों और निरीक्षण प्रक्रिया को सख्त बनाया जा रहा है।

8. भूमिगत केबिल बिछाकर ओवरहैड एबाइनमेंट कम किए जा रहे हैं।

9. उपभोक्ताओं के अहातों में लगी एल्युमीनियम फिटिंग को तांबे की तारों द्वारा बदलना।

10. उपभोक्ता लूपों के लिए इंस्युलेटिड ड्राप वायर की व्यवस्था।

11. पर्यवेक्षण को सख्त बनाना व आकस्मिक जांच करना।

सितम्बर, 1983 में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें

2643. **श्री सी० टी० दंडापाणि :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21 सितम्बर, 1983 को हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या कोई सिफारिश कार्यान्वित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नही, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें सितम्बर, 1983 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के 34 वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष/सुझाव दर्शाए गए हैं।

(ख) और (ग) सम्मेलन के निष्कर्षों/सुझावों पर केन्द्रीय सरकार और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों दोनों की ओर से कार्यवाही करनी पड़ती है। इनको आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही के लिए उनके ध्यान में लाया गया है। जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उन मदों पर, जो उससे सम्बन्धित हैं, कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराने के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू की गई है।

विवरण

सितम्बर, 1963 में हुए श्रम मन्त्री सम्मेलन के 34वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष/सुझाव।

(एक) औद्योगिक सम्बन्धतंत्र को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। औद्योगिक सम्बन्ध और प्रवर्तन तन्त्र को और मजबूत बनाने और औद्योगिक कार्यों के लिए दस्तकारों के प्रशिक्षण के लिए योजना आयोग द्वारा और अधिक धन आबंटित करने की जरूरत है।

(दो) औद्योगिक न्यायालयों और औद्योगिक न्यायधिकरणों में अतिवृद्धि की जानी चाहिए।

(तीन) रुग्ण एककों के प्रश्न के सम्बन्ध में दिए गए विभिन्न सुझावों में सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों के कामकाज को सीधे अपने नियन्त्रण में लेना और किसी एकक के रूग्ण होने से पूर्व समुचित वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता देना शामिल है। यह महसूस किया गया कि यदि रूग्ण प्रतिष्ठानों को पिछली देनदारी से मुक्त कर दिया जाए और पर्याप्त वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायना उपलब्ध हो जाए, तो श्रमिकों की सहकारी समिति उन्हें चलाने के विरुद्ध नहीं होगी।

(चार) विभिन्न श्रम कानूनों की परिधि में आने के सम्बन्ध में निर्धारण करने वाली मजदूरी की उच्चतम सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।

(पांच) जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए और दण्ड सम्बन्धी प्रावधानों को और निवारक बनाया जाना चाहिए। सरकार के निरीक्षण तंत्र को यह अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए कि मजदूरी का भुगतान न किए जाने के मामलों में वे सीधे अभियोजन दायर कर सकें।

(छः) सभी ट्रेड यूनियनों के लिए यह आदेश दिया जाना चाहिए कि वे अपने पदाधिकारी गुप्त मतदान द्वारा चुनें।

(सात) राष्ट्रीय मजदूरी नीति के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(आठ) उपदान भुगतान की व्यवस्था पांच या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू की जानी चाहिए और साथ ही सभी कर्मचारियों को उपदान लाभ प्राप्त करने का हक होना चाहिए, भले ही उनकी परिलब्धियां कुछ भी क्यों न हों परन्तु इन लाभों को अधिनियम में निर्धारित राशि की उच्चतम सीमा तक सीमित किया जा सकता है। जिन मामलों में नियोजकों ने कानून के अधीन अपेक्षित राशियां जमा न कराई हों, उनमें उपदान के लिए दावे करने पर कोई अभिसीमा नहीं होनी चाहिए।

(नौ) इस विचार का समर्थन किया गया कि उच्च न्यायालयों आदि में विलम्ब को कम करने के लिए श्रम अपील अधिकरण को पुनर्जीवित किया जाए। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन अधिकरणों/न्यायालयों के न्यायधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित की गई अर्हताओं को उदार बनाने का समर्थन किया गया। ऐसे न्यायाधीशों के पृथक काडर को गठित करने का भी सुझाव था।

(दस) इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया कि राज्य स्तरों पर श्रम स्थिति के

बारे में की गई मानिटरिंग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(ग्यारह) राज्य सरकारों को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की स्थापना करने के बारे में विचार करना चाहिए।

(बारह) जहां तक बाल श्रम का सम्बन्ध है, यह तय किया गया कि राज्य श्रम मन्त्रियों का एक उप दल (सब-ग्रुप) गठित किया जाए, जो रोजगार में प्रवेश करने के लिए उच्चतर न्यूनतम आयु निर्धारित कर सकने की सम्भावना के सम्बन्ध में इस समस्या का गहराई से अध्ययन करें और केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करें।

(तेरह) ठेका श्रमिकों को नियमित कार्यों में खपाने के मामलों में ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (ख) जैसा कोई उपबन्ध बनाया जाना चाहिए। वही कार्य या समान प्रकार के कार्य करने के लिए ठेका श्रमिकों को नियमित श्रमिकों के बराबर का पारिश्रमिक मिलना चाहिए।

(चौदह) बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाते रहना एक सतत् प्रक्रिया है, यह बात उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में भी सही है। जहां कहीं जांच समितियां (स्क्रीनिंग कमेटियां) गठित नहीं की गई हैं, वहां उन्हें गठित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिएं। बन्धुआ श्रमिकों को मुक्त कराने के साथ-साथ ही उनका पुनर्वास करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

2644. **श्री कृपा सिन्धु भोई :** क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) गत छः महीनों के दौरान देश में कितने खाना पकाने की गैस के कनेक्शन रिलीज किए गए हैं तथा प्रतीक्षा सूची में अभी कितने व्यक्ति हैं ; और

(ख) प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को रसोई गैस कनेक्शन देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं।

उर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) अगस्त-जनवरी 1983-84 के दौरान 8.60 लाख एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किये गए हैं। 31 दिसम्बर, 1983 को देश में प्रतीक्षा सूची में 30.82 लाख लोग दर्ज थे।

(ख) चरणबद्ध रूप से नाम दर्ज करने के कार्यक्रमों के अनुसार नये गैस कनेक्शन देने के

लिए कदम उठाए गए हैं, जिसमें नये वार्टलिंग संयंत्र खोलना, नये एल० पी० जी० डीलरों की नियुक्ति करना, पर्याप्त संख्या में उपकरणों की प्राप्ति इत्यादि शामिल हैं।

उड़ीसा में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिम्बत आवेदन पत्र

2545. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 31 जनवरी, 1984 तक विभिन्न जिलों में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र लम्बित थे ;

(ख) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में 1984 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है। कटक और भुवनेश्वर तथा कुछ असंभव मामलों को छोड़कर सभी प्रतीक्षारत आवेदकों को 1984 में टेलीफोन उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	31.1.1984 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित आवेदनों की संख्या	1984 के दौरान उपलब्ध कराए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या
1	2	3	4
1.	बालासोर	136	120
2.	बोलनगीर	18	15

1	2	3	4
3.	कटक	1164	500
4.	धेनकनाल	110	100
5.	क्योंझर	30	25
6.	मयूर भंज	100	90
7.	फुलबनी	7	5
8.	गंजम	193	140
9.	कोरापुट	86	75
10.	कालाहांडी	23	20
11.	सुन्दर गढ़	570	520
12.	सम्बल पुर	99	90
13.	पुरी	1529	1000
	योग :	4065	2700

उड़ीसा के लिए योजना आयोग द्वारा मन्जूर की गई विद्युत पारेषण योजनाएं

2646. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों के लिए कुछ अतिरिक्त विद्युत पारेषण योजनाएं मंजूर की हैं ।

(ख) यदि हां, तो 1983-84 में कितनी योजनाएं मंजूर की गई ;

(ग) उनमें से उड़ीसा के लिए कितनी थीं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान, विभिन्न राज्यों में, पांच विद्युत पारेषण स्कीमों को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी गई है ।

(ग) और (घ) कुछ नहीं ।

सिपला लैबोरेट्रीज द्वारा निर्मित औषधों पर मूल्य नियंत्रण

2647. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सिपला लैबोरेट्रीज द्वारा निर्मित औषधों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : जी नहीं। सरकार द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन बल्क औषधों के लिए निर्धारित किए गए मूल्य मैसर्स सिपला (कैमिकल इण्डस्ट्रियल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लैब्स लि०) द्वारा उत्पादित बल्क औषधों पर भी लागू है।

दिल्ली में जाली मतदाता

2648. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग को दिल्ली में तैयार की जा रही मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर जाली मतदाताओं के होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि दिल्ली में 1.1.84 को अर्हता की तारीख मानकर निर्वाचक नामावलियों के पिछली बार किए गए पुनरीक्षण के दौरान और उससे पहले भी उसे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह अभिकथित है कि दिल्ली में संसदीय/महानगर परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ भागों की निर्वाचक नामावलियों में जाली मतदाता वर्ण हैं। इन शिकायतों के ब्यौरे दर्शित करने वाला एक विवरण (विवरण—1) सदन के पटल के पर रख दिया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—7921/84]

(ग) और (घ) आयोग ने जानकारी दी है कि ऐसी शिकायतें मुख्य निर्वाचन आफिसर, दिल्ली को जांच करने और उनकी रिपोर्ट या समुचित/आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं। कुछ मामलों में, जहां आयोग ने आवश्यक समझा वहां उसने मुख्य निर्वाचन आफिसर को अनुदेश/निदेश जारी किए। एक या दो शिकायतें प्राप्त होने पर प्ररूप 6 में नामों को सम्मिलित करने के लिए दाखिल किए गए आवेदनों और प्ररूप 7 में दाखिल

की गई आपत्तियों की, जो संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा स्वीकार किए गए थे, आयोग से नियुक्त किए गए अधिकारियों के एक दल द्वारा सैंपल जांच करवाई थी। जांच के परिणाम दर्शित करने वाले दो विवरण (विवरण—2 और 3) भी सदन के पटल पर रख दिए हैं।

[ग्रथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 7921/84]

राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों के गांवों में डाक सुविधाएं

2649. श्री विरदा राम फुलवारिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में ऐसे गांव हैं, जहां उचित डाक सेवा की व्यवस्था नहीं है ; और विगत में लगाये गये पोस्ट बाक्स टूटी-फूटी हालत में हैं ;

(ख) क्या सरकार ऐसे गांवों का पता लगाएगी और वहां उचित डाक सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करेगी ; और

(ग) यदि हां, तों कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भवानी पटना (उड़ीसा) में दूरदर्शन केन्द्र खोलना

2650. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कौन-कौन से शहरों को दूरदर्शन की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ;

(ख) उक्त क्षेत्रों में दूरर्शन की सुविधाएं कितने समय में शुरू हो जाएंगी ;

(ग) क्या आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्र खोलने की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कालाहांडी जिले के भवानी पटना कस्बे में, जो कि एक पिछड़ा और आदिवासी क्षेत्र है, दूरदर्शन केन्द्र की स्थापन करने का विचार किया जा सकता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सम्बलपुर में मौजूदा ट्रांसमीटर के अलावा उड़ीसा में कटक में उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा राऊरकेला, बहरामपुर और कोरापूट में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं ।

(ख) उक्त केन्द्र 1984-85 के दौरान कार्य शुरू कर देंगे ।

(ग) कोरापुट, गंजम, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज तथा वालेश्वर (बालासोर) जिलों के आदिवासी/पिछड़े भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है ।

(घ) उड़ीसा के जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जाएगा ।

"बेतार" (वायरलैस) विद्युत सप्लाई की व्यवहार्यता

2651. **श्री जी० भूपति** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "बेतार" विद्युत सप्लाई की कथित व्यवहार्यता की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हमारे देश में इस पद्धति को शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

"घोथारू" राजस्थान में पाये गये प्राकृतिक गैस तथा तेल के भण्डार

2652. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में जैसलमेर के निकट "घोथारू" में प्राकृतिक गैस तेल के अपार भण्डार मिले हैं ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में गैस प्राप्त करने के लिए छिद्रण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है यदि हां, तो वहां पर कार्यशील "रिगों" की संख्या सहित उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां छिद्रण कार्य चल रहा है ; और

(ग) वहां पर कितनी मात्रा में गैस तथा तेल के पाये जाने का अनुमान है।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) राजस्थान के जैसलमेर जिले में घोटारू कुएं में परीक्षण कार्य के दौरान प्राकृतिक गैस के बहाव का पता चला था।

(ख) इस क्षेत्र में तेल की और खोज के लिये व्यधन कार्य चल रहा है। इस समय सादे-वाला में एक कूप का व्यधन करने के लिये एक रिग लगाया गया है।

(ग) इस क्षेत्र में तेल की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिये और कुओं की खुदाई करनी पड़ेगी।

बदरपुर तापीय बिजली घर द्वारा राख की बिक्री

2653. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर तापीय बिजली घर बदरपुर—दिल्ली द्वारा राख के भण्डारण पर लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बिजली घर द्वारा बड़ी मात्रा में राख की बिक्री करके भारी लाभ अर्जित किया जा रहा है।

(ग) यदि हां, तो क्या इस राख के खरीदार उक्त बिजली घर से यह राख आसानी से उठाने में असमर्थ है;

(घ) यदि हां, तो क्या बिजली घर के प्राधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है ;

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार उक्त राख की आसानी से उपलब्धता के लिए क्या कदम उठाने का हैं; और

(च) यदि नहीं, तो क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इस के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कोयले पर आधरित विद्युत केन्द्रों में पैदा होने वाली राख के निपटान की प्रक्रिया तथा इसका भण्डार करना ताप विद्युत संयंत्र के प्रचालन संबंधी विभिन्न कार्य-कलापों में एक मुख्य कार्य है तथा केवल राख के भण्डार करने पर किए गए व्यय की मात्रा अलग-अलग कर पाना कठिन है।

(ख) इस समय राख की मांग के लिए कोई नियमित मार्किट नहीं जान पड़ती। तथापि, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए समय-समय पर राख की छोटी

मात्रा में बिक्री की गई है। तदनुसार इससे बहुत अधिक लाभ उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राख खरीदने वाले राख के भण्डार स्थल से राख आसानी से उठा रहे हैं तथा कोई कठिनाई नहीं देखी गई है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

मैसर्स एटलस कम्पनी (इंड़िया) लिमिटेड के विरुद्ध जांच

2654. **श्री निहाल सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पंनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार अवरोधक तथा व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मैसर्स एटलस कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई के विरूद्ध जांच शुरु कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी के विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं; और

(ग) जांच कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य महोदय "मैसर्स एटलस कोपको (इण्डिया) लिमिटेड" के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मैसर्स एटलस कोपको (इण्डिया) लिमिटेड के विरुद्ध निम्नलिखित अवरोधक व्यापारिक प्रथाओं के आरोपों पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 10 (क) (iii) और धारा 37 के अन्तर्गत 2 -12-1983 को जांच गठित की है :—

(1) सामग्रियों की बिक्री और वितरण के उद्देश्य के लिए प्रतिवादी कम्पनी, अपने स्टाकिस्टों को केवल विशेष क्षेत्र में अपनी बिक्री के संचालनों को सीमित करना अपेक्षित करती है तथा प्रतिवादी कम्पनी से खरीदे उत्पादनों को विशेष क्षेत्र के बाहर बेचने से उनको निषेध करती है।

(2) स्टाकिस्टों के साथ किये गये अनुबन्ध का पालन करते हुए, प्रतिवादी कम्पनी ने मात्रा या मूल्य की अादायगी माध्यम द्वारा भिन्न मूल्यों की व्यापारिक प्रथा, परिवर्ती दरों पर वितरकों और स्टाकिस्टों को छूट तथा विभिन्न दरों पर, जिनमें उत्पादन से उत्पादन तक भेद है, सर्विस पर कमीशन देना स्वीकार किया है।

(3) प्रतिवादी कम्पनी ने किये गये अनुबन्ध में इस शर्त का अनुबंद्ध करते हुए, वितरकों/स्टाकिस्टों को प्रतिवादी द्वारा उत्पादित सामग्री की विशिष्ट मात्रा को रखना अपेक्षित किया है।

उपरोक्त जांच प्रारम्भिक स्तर पर हैं।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में अध्यापकों के वेतनमानों में विसंगति

2655. **डा० वी० कुलनदई वेलु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि समान काम करने वाले विभिन्न ग्रुपों के शिक्षकों के वेतन मानों में भारी विसंगति है अर्थात् नेशनल लिग्नाइट कारपोरेशन वेतन ग्रुप और नेवली काम्पलेक्स में राज्य सरकार के नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन स्कूलों के ग्रुप में ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन में लम्बे अर्से से चले आ रहे अध्यापकों के मामले से निबटने में विलंब के क्या कारण हैं ?

उर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के वेतनमानों और राज्य सरकार के वेतनमानों में अन्तर है। इसका कारण यह है कि जब नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने अपने स्कूल शुरू किये तो उन्होंने नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन के वेतनमान दिए। वर्ष 1974 में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने भावी भरती के लिए राज्य सरकार के वेतनमान अपना लिए। यह बात यूनियनों के साथ हुए समझौते में शामिल हो चुकी है और नये भरती होने वाले लोगों ने यह वेतनमान मंजूर करने के लिए सहमति दे दी थी। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा अपनाई गई नीति सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा निर्धारित इस दिशा निर्देश के भी अनुसार है कि राज्य सरकारों के शिक्षा बोर्डों से संबद्ध स्कूलों के मामले में यथासंभव राज्य सरकारों की ही प्रणाली अपनाई जाए और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के मामले में उस बोर्ड के वेतनमान अपनाए जाएं।

वेतनमानों का अन्तर तब कम हो जाएगा जबकि राज्य सरकार या तो अपने वेतनमानों में संशोधन करे या अन्तरिम सहायता प्रदान करे। इसके अलावा यह बात भी है कि नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के वेतनमानों के अधीन आने वाले शिक्षकों की संख्या सामान्य प्रक्रियागत कारणों से ही कम होती जा रही है।

बेंजीन का आयात

2556. **श्री ए० के० बालन** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी एजेंसी को बेंजीन आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) इस समय बेंजीन की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ग) क्या कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड ने बेंजीन के उत्पादन के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी, हां।

(ख) लगभग 1,30,000 मी० टन०।

(ग) और (घ) : कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई संभाव्यता रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

आंध्र प्रदेश में डाकघरों, टेलिफोन एक्सचेंजों और तारघरों का खोला जाना

2957. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में कितने डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज और तारघर खोले गए हैं अथवा खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान उन्हें कहाँ-कहाँ खोला जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या 150 है।

सामान्य इलाकों में	85
पिछड़े इलाकों में	35
जनजातीय इलाकों में	30
कुल	150

खोले गए डाकघरों की संख्या :

सामान्य इलाकों में	81
पिछड़े इलाकों में	30
जनजातीय इलाको में	27
कुल	138

खोले जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	50
अब तक खोले गए एक्सचेंजों की संख्या	31
खोले जाने वाले प्रस्तावित तारघर (संयुक्त डाकतार-घर)	300
अब तक खोले गए	8

(ख) वर्ष 198 -85 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों और तारघरों के स्थान निर्धारण को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । वर्ष 1984-85 के दौरान खोले जाने वाले संभावित टेलिफोन एक्सचेंजों की सूची विवरण में दी गई है । ये एक्सचेंज क्रमिक रूप से खोले जाएंगे, जो उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

विवरण

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज की किस्म	लाइनों की संख्या
1	2	3	4
1..	गुंटूर	स्वदेशी क्रासबार	2000 लाइनें
2.	चारमीनार	जापानी क्रासबार	6000 लाइ
3.	सैफाबाद	इलेक्ट्रानिकक डिजीटल एक्सचेंज (आयातित)	10,000 लाइनें
4.	दोंकेश्वर	स्वदेशी स्ट्रोजर	25 लाइनें
5.	चौटूपल्ले	—वही—	—वही—
6.	काननेकल	—वही—	—वही—
7.	चिन्नकोंतापल्ली	—वही—	—वही—
8.	कम्बादूर	—वही—	—वही—
9.	नरसापुर	—वही—	—वही—
10.	चबला	—वही—	—वही—
11	खल्लूर	—वही—	—वही—
12.	गोगुलापल्ले	—वही—	—वही—
13.	कोटाकोंडा	—वही—	—वही—

1	2	3	4
14.	वेलपेनूर	स्वदेशी स्ट्रोजर	35 लाइनें
15.	वेलगल	—वही—	—वही—
16.	तुंगभद्रा	—वही—	—वही—
17.	तेलकापल्ली	—वही—	—वही—
18.	अमरबाद	—वही—	—वही—
19.	मचेरला	—वही—	—वही—
20.	कोवातल्ली	—वही—	—वही—
21.	नेरवा	—वही—	—वही—
22.	डोमे	—वही—	—वही—
23.	इदुलाबाद	—वही—	—वही—
24.	रायपोर	—वही—	—वही—
25.	अरुतले	—वही—	—वही—
26.	लोयापल्ली	—वही—	—वही—
27.	जब्बेरंगापुर	—वही—	—वही—
28.	शिवमपेट	—वही—	—वही—
29.	रागोडे	—वही—	—वही—
30.	दाचेपल्ली	—वही—	—वही—
31.	केयलहार	—वही—	—वही—
32	चिंतलथेरुअन	—वही—	—वही—
33.	अलीपुर	—वही—	—वही—
34.	इदर कासम	—वही—	—वही—
35.	इलमला	—वही—	—वही—
36	भामुर	—वही—	—वही—
37.	मगिल्लापादु	—वही—	—वही—
38.	अन्नमेदू	—वही—	—वही—
39.	अरमेनीपेदू	—वही—	—वही—

1	2	3	4
40.	वेगुवा	स्वदेशी स्ट्रेजर	25 लाईनें
41.	निदुमुसल्ला	—वही—	—वही—
42.	नारीपादु	—वही—	—वही—
43.	चेरलोपल्लू	—वही—	—वही—
44.	रामसमुद्रा	—वही—	—वही—
45.	सचदांदलपल्ली	—वही—	—वही—
46.	कोनकेंडला	—वही—	—वही—
47.	लक्कनापल्ले	—वही—	—वही—
48.	रेगाले	—वही—	—वही—
49.	बेल्लमकोंडा	—वही—	—वही—
50.	पेराबल्ली	—वही—	—वही—
51.	कांकलगुंटा	—वही—	—वही—
52.	चल्लूर	—वही—	—वही—
53.	रगाली	—वही—	—वही—
54.	कुट्कुलूर	—वही—	—वही—
55.	मल्लकापल्ली	—वही—	—वही—
56.	बी आर रचापल्ली	—वही—	—वही—
57.	यल्लमपेटा	—वही—	—वही—
58.	नेरेदपल्ली	—वही—	—वही—
59.	नवाबपेट	—वही—	—वही—
60.	वेंकटपुर	—वही—	—वही—
61.	चेल्लागरिगा	—वही—	—वही—
62.	तदुवई	—वही—	—वही—
63.	तातीकोंडा	—वही—	—वही—
64.	मुरटियल	—वही—	—वही—
65.	मेल्लमपल्ली	—वही—	—वही—
66.	नंदानम	—वही—	—वही—

1	2	3	4
67.	नरेंद्रुपल्ली	स्वदेशी स्ट्रेजर	25 लाइनें
68.	नगरम	—वही—	—वही—
69.	सिरशाद	—वही—	—वही—
70.	पोतुरेड्डीपल्ली	—वही—	—वही—
71.	गोवर्धनगिरी	—वही—	—वही—
72.	मुल्तानपुर	—वही—	—वही—
73.	कतलापुरम	—वही—	—वही—
74.	चेतेन्द्रा	—वही—	—वही—
75.	सगुरू	—वही—	—वही—
76.	चेरहकोंडा	—वही—	—वही—
77.	चेन्नापुरम	—वही—	—वही—
78.	सुखावरम	—वही—	—वही—
79.	येंगमरुट्टसा	—वही—	—वही—
80.	सरभावरस	—वही—	—वही—

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की कार्यान्विति के बाद से बड़े औद्योगिक घरानों की अस्तियों में वृद्धि

2658. **श्री ईरा अनबारासु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की कार्यान्विति के बाद से बड़े औद्योगिक घरानों की उन्नति सम्बन्धी विशिष्ट बातें क्या हैं जैसा कि कम्पनी कार्य विभाग के अध्ययन दल ने उल्लेख किया है;

(ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा मध्यम और बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के वित्त पोषण के बारे में किए गए अपने अध्ययन में इन बड़े औद्योगिक घरानों की अस्तियों में वृद्धि के लिए मुख्यतया किन बातों का उल्लेख किया है; और

(ग) इस परिप्रेक्ष में कम्पनी कार्य विभाग यह दावा कैसे करता है कि बड़े घरानों में अनुचित रूप से आर्थिक सत्ता केन्द्रित है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्ननाथ कौशल) : (क) 1971 तक के चोटी के दस बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों की वृद्धि पर कम्पनी कार्य विभाग द्वारा किए गए प्रारम्भिक अध्ययन से उदघाटित हुआ है कि इन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार घरानों की 1972-77 की अवधि में वार्षिक वृद्धि दर 1964-71 की अवधि अर्थात् जब एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम प्रवृत्त हुआ, की अवधि से पहले की तुलना में कम था।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक का मध्यम और बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के वित्त पर अध्ययन बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों की वृद्धि से विशेषतः सम्बन्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ईस्टर्न कोलफील्ड लि० के अंतर्गत उत्तर सियरसोल योजना

2559. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स के अन्तर्गत उत्तर सियरसोल 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8 लघु खान योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के पूरा हो जाने के बाद स्थान अनुमानित भंडार, अनुमानित वृद्धि और रोजगार क्षमता जैसी बातों का ब्योरा क्या है और इसके पूरा होने की लक्ष्य तिथि क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि योजना के कार्य की कार्यान्विति शुरू करने में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां केन्द्रीय सरकार ने यह योजना अक्तूबर, 1978 में मंजूर की थी।

(ख) **स्थिति** : आसन्नसोल से 18 किलोमीटर पूर्व में जी० टी० रोड़ के उत्तर की तरफ।

अनुमानित भंडार : 28.64 मिलियन टन

अनुमानित खनन : 1.16 मिलियन टन प्रति वर्ष

पूरा हो जाने पर रोजगार की क्षमता : 1806

पूरा होने की लक्ष्य तारीख : 1992-93

(ग) और (घ) इस योजना को लागू करने के लिए काम शुरू करने में देर होने का कारण यह था कि सितम्बर, 1979 से अगस्त, 1983 के बीच स्थानीय युवकों ने निर्माण कार्य को बलपूर्वक रोक दिया था।

उड़ीसा में तेल की खोज के लिए स्थानों का सर्वेक्षण

2660. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन-किन स्थानों का तट-दूर और तट पर तेल की खोज करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) उड़ीसा में निम्नलिखित स्थानों पर सर्वेक्षण कार्य किया गया है :

अपतटीय क्षेत्र :

बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा समुद्र तट से दूर महानदी बेसिन में

तटीय क्षेत्र :

कटक, पुरी, पारादीप, राजनगर, बिनझारपुर, बाली चन्द्रापुर, केन्द्रापारा, पट्टाभुडयो, चांदवाली तथा बालासौर।

(ख) सर्वेक्षण कार्य में वायु चुम्बकीय, समुद्रीय तथा भू-वैज्ञानिक भू-कम्पीय सर्वेक्षण शामिल हैं।

अपतटीय महानदी बेसिन में अन्वेषी व्यधान का कार्य चल रहा है। अभी तक वाणिज्यक आधार पर उत्पादन योग्य हाइड्रोकार्बनों के मिलने के संकेत नहीं मिले हैं।

तटीय क्षेत्रों से एकत्र किये गये सर्वेक्षण आंकड़ों का संसाधन किया गया है और व्याख्या की जा रही है।

"ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०" द्वारा तीस मंजूर योजनाओं का कार्यान्वयन

2661. **श्री अजित बाग** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा तीस मंजूर योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मंजूरी की तारीखों सहित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योज

नाओं के स्थान, अनुमानित भंडार, योजनाओं के पूरा होने पर अनुमानित वृद्धि, पूरा होने की अनुमति तारीखो तथा रोजगार संभावनाओं के ब्यौरे सहित आज तक कार्यान्वयन के लिए क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) इन योजनाओं को निर्धारित तारीख तक पूरा किए जाने के लिए योजना-वार की जा रही कार्रवाई का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कठारा क्षेत्र की स्वांग कोयला खान के पास उपलब्ध मशीनें

2662. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984 को कठारा क्षेत्र की स्वांग कोयला खान के पास उपलब्ध डम्पर, डासर, शेवेल जैसी खनन मशीनों की संख्या क्या थी तथा प्रत्येक मशीन का मूल्य क्या था;

(ख) काम कर रही मशीनों की संख्या क्या है और बेकार पड़ी अथवा मरम्मत की जा रही मशीनों की संख्या क्या है;

(ग) पिछले 6 मास के दौरान प्रत्येक मशीन की क्षमता के उपयोग संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि भारी कीमत पर खरीदी गई मशीनों का कभी भी ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कठारा क्षेत्र में कोयला भंडार की जांच

2663. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कठारा क्षेत्र में कोयला भंडार की किसी समय वास्तविक जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी जांच की तारीखों सहित ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या कठारा के आसपास गोमिया पी० एस० में कोयला डिपुओ की संख्या के बारे में

सर्वेक्षण कराया गया है और उन डिपुओं को चलाने वालों के नाम क्या हैं तथा पिछले एक वर्ष में उन्होंने कितनी मात्रा में कोयला व्यापार किया;

(घ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन्हें मालूम है कि उस क्षेत्र में प्रबंधकों से सांठ-गांठ करके समाज विरोधी तत्वों द्वारा कठारा के कोयले की खुले आम चोरी की जाती है; और

(च) क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कठारा एरिया की प्रत्येक कोलियरी में कोयला स्टाकों का नियमित भौतिक सत्यापन किया गया है. कोयले के स्टाकों की अत्यधिक सही माप नहीं हो सकती क्योंकि सही माप न हो सकने के कारण हैं, जैसे उस जमीन का ऊंचा-नीचा होना जहां स्टाक रखे हों, कोयले के स्टाक बाद में कितने ठस हो गए हैं आदि और इसीलिए किताबों में दिखाये गए स्टाक से 5 प्रतिशत तक अन्तर को गलती की स्वीकार्य सीमा में माना जाता है। पिछले तीन वर्षों में जो सत्यापन किये गये उनसे पता चला है कि कठारा एरिया में किताबों पर दिखाए गए स्टाक और भौतिक स्टाक में पाए गए अन्तर इस स्वीकार्य 5 प्रतिशत सीमा के भीतर ही थे।

(ग) और (घ) कठारा एरिया के चारों ओर गोमिया पुलिस थाने में चलने वाले कोयला डिपो की संख्या के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परन्तु सुरक्षा कर्मिकों द्वारा गश्त के दौरान कोयले के ढेर पता लगे थे और बाद में कोयला कम्पनी ने गोमिया पुलिस थाने में 17-6-1983, 25-7-1983 और 24-1-1984 को शिकायतें दर्ज करायी थीं। इसके बाद जिला प्राधिकारियों ने इन ढेरों में 178 टन कोयला पकड़ा था और बाद में यह कोयला कम्पनी को दे दिया था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) जिला प्राधिकारियों ने एक समिति बनाई है जो असामाजिक तत्वों द्वारा की गई कोई अनियमितता जब कभी जिला प्राधिकारियों की जानकारी में आएगी तो उस पर समुचित कार्यवाही करेगी।

भारत कोकिंग कोल लि० में मिटटी ले जाने और कोयले की ढुलाई के लिए ठेकेदारों को दी गई धनराशि

2661. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० में पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला खानों के अन्दर मिट्टी ले जाने और कोयले की ढुलाई के लिए ठेकेदारों को दी गई धनराशि, कोयला और मिट्टी की ढुलाई का पृथक-पृथक वर्षवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि में भारत कोकिंग कोल लि० के पहले दस ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक को वर्षवार कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या ढुलाई करने वाले ठेकेदारों का विभागीकरण करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रबंध-मंडल को निर्देश दिए गए हैं कि कोयले और रेत दोनों प्रबन्ध के ही परिवहन का शत प्रतिशत विभागीकरण चरण-बद्ध तरीके से कर दिया जाए। इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा नियत अवधि पर एक समिति द्वारा की जाती है जिसके अध्यक्ष कोयला विभाग के संयुक्त सचिव हैं।

देश में बेकार पड़े कुएं

2665. **श्री नवीन रावणी**
श्री मोहन लाल पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में और देश के अन्य तेल उत्पादक क्षेत्रों में अभी भी कितने कुएं बेकार पड़े हैं;

(ख) तेल के उन कुओं के पुनः उत्पादन करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) वर्ष 1983 के दौरान कितने बेकार पड़े कुएं पुनः चालू किए गए; और

(घ) देश के विभिन्न भागों विशेषरूप से गुजरात और उड़ीसा में तट दूर और तट पर नए तेल क्षेत्रों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) इस समय देश में 470 कुएं बेकार पड़े हैं जिसमें गुजरात के 306 कुएं भी शामिल है।

(ख) उठाये जा रहे कुछ कदम इस प्रकार हैं :

1. वर्कओवर रिगों की संख्या बढ़ाना।
2. वर्कओवर रिगों को दिन-रात की पारियों में लगाना।
3. बेकार कुओं को प्रयोग में लाने योग्य बनाना।
4. कुओं में उत्तरोत्तर कृत्रिम लिफ्टों का लगाना।

5. वर्कओवर कार्य-संचालन के लिए आधुनिक तथा परिष्कृत उपकरणों तथा औजारों का अधिग्रहण ।

(ग) 206 ।

(घ) आने वाले वर्षों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड का तटीय तथा अपतटीय दोनों क्षेत्रों में खोज कार्य तेज करने का प्रस्ताव है । गुजरात तथा उड़ीसा सहित तटीय तथा अपतटीय क्षेत्रों के लिए आने वाले वर्षों का विस्तृत खोज कार्यक्रम सातवीं योजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात् उपलब्ध होंगे ।

गुजरात राज्य के गाँवों में डाकघरों, तारघरों और टेलिफ़ोनों की सेवाएं

2666. **श्री नवीन रावणी :**
श्री अमर सिंह राठवा : } क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में जिला-वार, ऐसे कितने गाँव हैं जिनमें अभी तक डाकघर, तारघर और टेलीफोन की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) वर्ष 1984 के दौरान कितने गाँवों में ये सुविधाएं उपलब्ध करा दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और समूचे गुजरात में उपर्युक्त सभी सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जिन ग्रामों में शाखा डाकघर अथवा काउन्टर सेवा और दूरसंचार सुविधायें नहीं हैं, उनकी संख्या विवरण में दी गई है । तथापि, गुजरात के सभी ग्रामों में दैनिक वितरण और लेटर बाक्स से डाक-निकासी की सुविधा उपलब्ध है ।

(ख) 1984-85 की योजना के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान किए जाने की सम्भावना है :

नए डाकघर खोलना	90 गांव
डाकघर काउंटर सेवा सुविधा की व्यवस्था	100 गांव
लेटर बाक्स लगाना	25 गांव
लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलिफोन/ तारघर खोलना	100 गाँव

(ग) डाक सुविधाएं चरणबद्ध ढंग से उत्तरोत्तर प्रदान की जा रही है । ऐसी सम्भा-

बना है कि मौजूदा नीति के अनुसार गुजरात राज्य सहित समूचे देश में बसे अधिकांश लोगों को क्रमिक रूप से 1990 तक 5 किलोमीटर के भीतर ही दूरसंचार सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी।

विवरण

जिले का नाम	उन ग्रामों की संख्या जहाँ दूरसंचार की सुविधाएं नहीं हैं	उन ग्रामों की संख्या जहाँ काउन्टर सेवा के साथ साथडाकघर की सुविधाएं नहीं हैं
1	2	3
1. अमरेली	435	145
2. भुज	477	258
3. जामनगर	613	211
4. जूनागढ़	970	369
5. राजकोट	716	163
6. सुरेन्द्रनगर	430	203
7. भावनगर	720	270
8. अहमदाबाद	468	131
9. गाँधीनगर	28	16
10. मेहसाना	370	297
11. पालनपुर	1230	743
12. हिमातनगर	507	493
13. डांग	304	232
14. बुलसर	407	127
15. सूरत	1389	228
16. पंचमहल	1830	1096
17. बड़ौदा	1618	733
18. खेड़ा	471	180
19. बड़ौच	1207	466
20. संघ शासित प्रदेश		35

नई दिल्ली में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

2667. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र द्वारा देश में किन-किन शहरों को जोड़ा गया है ;

(ग) उस केन्द्र की वर्तमान क्षमता क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस क्षमता को बढ़ाने का है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो बढ़ाई गई क्षमता क्या होगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) ऐसा समझा जाता है कि प्रश्न इलैक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से संबंधित है जिसे दिल्ली में हाल ही में स्थापित किया गया है ; यदि ऐसा है, तो उत्तर है—जी हां।

(ख) इस तारीख तक कुल 168 स्थान दिल्ली इलैक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल ऐक्सचेंज के साथ जोड़े गए हैं। इन स्थानों की सूची विवरण में दी गयी है।

(न) इस एक्सचेंज की मौजूदा क्षमता 8000 लाइनों की है।

(घ) इस समय दिल्ली ट्रंक स्वचल एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली इलैक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के साथ जुड़े स्थानों की सूची

1. अबोहर	2. आगरा
3 ऐजवाल	4. इलाहाबाद
5. अल्लैपी	6. अलवाय
7. अम्बाला	8. अनाकपल्ली
9. अनन्तापुर	10. अ डाल
11. अंगामल्ली	12. आरोहि
13. आसनसोल	14. अत्तुर

15. औरंगाबाद
16. बगलकोटा
17. बेंगलूर
18. बरकार
19. बाहुला
20. बरेली
20. बड़ौदा
22. बेलगांव
23. बेल्लारी
24. भद्रावती
25. भटिंडा
26. भीमवरम
27. भुवनेश्वर
28. बिलासपुर
29. बम्बई
30. वर्दवान
31. बनपुर
32. कलकत्ता
33. चंडीगढ़
34. चेंगानूर
35. छपरा
36. चिदम्बरम
37. चिंगलेपुट
38. चित्रदुर्ग
39. चलकाकुड़ी
40. कोयम्बतूर
41. कटक
42. दरभंगा
43. दावनगेरे
44. धनबाद
45 धर्मपुरी
46. दिसपुर
47. दुर्गापुर
48. डिंडूगल
49. एर्नाकुलम
50. ईरांड
51. फिरोजपुर
52. गडा
53. गांधीनगर
54 गंगतोक
55. गोरखपुर
56. गुड़ीवडा
57. गुंटूर
58. गुडगांत
59. हरिहर
60. हसन
61. होसुर
52. हल्दिया
63. हुगली
64. हैदराबाद

65. जबलपुर
66. जमशेदपुर
67. जमूरिया
68. जालन्धर
69. काकीनाडा
70. खम्माम
71. खड़गपुर
72. कोहिमा
73. कोसीकलां
74. कोटा
75. कोविलपट्टी
76. कोट्टायम
77. कोजीकोड (कालीकट)
78. कोल्हापुर
79. खंडवा
80. कुन्नमकुलम
81. कोट्टारकारा
82. कोडईकनाल
83. लाम्फलपेट
84. लुधियाना
85. मछलीपटनम
86. मद्रास
87. मदुरै
88. माल्दा
89. मंगलूर
90. मन्नारगुड़ी
91. मेवालीकारा
92. मयूरम
93. मेहसाना
94. मेरकारा
95. मुजफ्फरपुर
96. मैसूर
97. मेट्टूपलायम
98. नडियाड
99. नागपट्टीनम
100. अहमदाबाद
101. नागपुर
102. नागरकोइल
103. नरक्काल
104. नासिक
105. नियामतपुर
106. नेल्लोर
107. नैयाट्टीकारा
108. ओंगोले
109. ऊटी
110. पालकोले
111. पालघाट
112. पलाई
113. पंजिम
114. पटियाला
115. पांडिचेरी
116. पीलीभीत

117. पडुकोट्ठाई
118. पुणे
119. पुत्तुर
120. क्वीलोन
121. रायबरेली
122. राजापलायम
123. राजपुरा
124. रायपुर
125. राजमुंद्री
126. राजकोट
127. रांची
128. रानीगंज
129. राउरकेला
130. रूपनारायणपुर
131. शाहजहांपुर
132. सलेम
133. समस्तीपुर
134. सासाराम
135. सत्तूर
136. शिलांग
137. शिमांगा
138. सिलीगुड़ी
139. सीतापुर
140. सूरत
141. श्रीकाकुलम
142. थैनी
143. त्रिरुचिरापल्ली
144. तिरुपती
145. तिरुपुर
146. तिरुवल्ला
1·7. तिरुवरूर
148. त्रिचूर
149. त्रिवेन्द्रम
150. टुमकुर
151. टूटीकोरिन
152. थाडेपल्ली कुडम
153. तेनाली
154. तिरुमंगलम
125. तिरुरेनेलवेल्ली
156. उदयपुर
157. उडीपी
158. उदमलपेट
159. उज्जैन
160. वाराणसी
161. वेल्लौर
162. विजयवाड़ा
163. विल्लूपुरम
164. विरुद्धनगर
165. विशाखापट्नम
166. विजियानगरम
167. वारांगल
168. यमुनानगर

छठी योजना में औषधियों के उत्पादन का लक्ष्य

2668. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी लघु उद्योग क्षेत्र में औषधियों के उत्पादन के लिए अलग-अलग क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) दस्तावेज में 1084-85 तक प्रपुंज औषधों तथा फॉर्मूलेशनों की वार्षिक अपेक्षाओं के लिए क्रमशः 815 करोड़ रुपए और 2450 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। वह आशा थी कि 1984-85 तक प्रपुंज औषधों तथा फॉर्मूलेशनों का उत्पादन क्रमशः 665 करोड़ रुपये और 2450 करोड़ रुपये का होगा। सरकारी क्षेत्र में, 1984-85 तक प्रपुंज औषधों तथा फॉर्मूलेशनों के उत्पादन के क्रमशः 219 करोड़ रुपये और 330 करोड़ रुपये के होने की आशा थी। इस दस्तावेज में अन्य क्षेत्रों में संभावित उत्पादन नहीं दर्शाया गया था।

तथापि, छठी योजना के लिए औषध एवं भेषज सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा यथा अनुमानित 1984-85 तक विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार था :—

क्रम संख्या	क्षेत्र	1984-85 के दौरान सम्भावित उत्पादन का मूल्य रु० करोड़ में	
		प्रपुंज औषध	फॉर्मूलेशन
1.	सरकारी क्षेत्र	215	330
2.	भारतीय संगठित क्षेत्र	265	910
3.	फेरा कम्पनीज	135	720
4.	लगु उद्योग क्षेत्र	50	490
		665	2450

योजना आयोग ने अपने मध्यावधिक मूल्यांकन के दौरान छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिए प्रपुंज औषधों तथा फॉर्मूलेशनों के स्वदेशी उत्पादन के समग्र लक्ष्यों को संशोधित करके क्रमशः 500 करोड़ रुपये और 1950 करोड़ रुपये कर दिया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

कीमती बल्क औषधों का दुरूपयोग

2669. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि टॉनिक, पिकअप और अल्प रोग निरोधी दवाईयां बनाकर औसतन 65 प्रतिशत कीमती बल्क औषधों का दुरूपयोग किया जाता है जबकि इनसे कहीं अधिक आवश्यक और जीवनरक्षी दवाओं का जिनमें रोग-निरोधी दवायें भी शामिल हैं, मुश्किल से 35 प्रतिशत उत्पादन हो पाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) विश्व के अन्य देशों की भांति भारत में निर्मित दवाईयों में जीवन रक्षक औषधें, सामान्य बीमारियों और घरेलू उपचार के लिए औषधें शामिल हैं। चिकित्सकों द्वारा इन दवाईयों के प्रयोग की सलाह कमजोरी दूर करने और स्वास्थ्य वृद्धि के लिए दी जाती है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि टॉनिक्स और अन्य घरेलू उपचार के प्रयोग से "औषधों के दुरूपयोग' का मामला बनता है। प्रश्न में उल्लिखित दवाईयां बहु-विटामिन हैं जिनके लिए देश में लगभग 10 प्रतिशत बल्क औषध उत्पादन का प्रयोग किया जाता है।

बहुराष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा बल्क औषधियों और फार्मूलेशनस पर नियंत्रण की प्रतिशतता

2670. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कितने प्रतिशत बल्क औषधियां और फार्मूलेशन्स बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के नियंत्रणधीन हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : यह मंत्रालय संगठित क्षेत्र में 86 अनिवार्य बल्क औषधों के उत्पादन पर निगरानी रख रहा है। लघु क्षेत्र में भी बल्क औषधों के उत्पादन पर निगरानी रखने की शुरुआत की गई है। वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान स्वदेशी उत्पादन के कुल मूल्य की तुलना में फैरा कंपनियों द्वारा उत्पादित बल्क औषधों का मूल्य 22 प्रतिशत है।

163 मुख्य कपनियों की खुदरा व्यापार बिक्री पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1983 को समाप्त कलैण्डर वर्ष के लिए फैरा कंपनियों का बाजार अंश 30 प्रतिशत हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा औद्योगिकी अंतरण से मना किया जाना

2671. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियां औषधि औद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के विकास में बाधा डालने के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण से इन्कार कर रही हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने श्रेणी "चार" में शामिल अनेक आवश्यक औषधियों सहित अपने अधिकांश उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दी है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : बल्क औषधों के उत्पादन के लिए बहुराष्ट्रिक कंपनियों, अनुसन्धान प्रयोगशालाओं और संस्थानों के पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जहाँ उपलब्ध नहीं है वहां उपयुक्त शर्तों पर प्रौद्योगिकी का आयात भी किया जा सकता है। मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशनों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। श्रेणी I, II और III फॉर्मूलेशनों पर भी सभी निर्माताओं को चाहे वे बहुराष्ट्रिक अथवा पूर्ण रूप से भारतीय कंपनियाँ हों कारखाने से बाहर लागत पर क्रमश: 40 प्रतिशत, 55 प्रतिशत और 100 प्रतिशत मार्क अप की अनुमति दी जाती है। जो फार्मूलेशन्स तीसरी अनुसूची के निर्दिष्ट नहीं है उन पर मूल्य नियंत्रण नहीं है।

टेलीफोन एक्सचेंजों का स्वचालनीकरण

2672. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला मुख्यालयों में जिन टेलीफोन एक्सचेंजों के स्वचालिनीकरण के लिए उनके भवनों का शिलान्यास कर दिया गया है राज्य-वार उनके स्थान सहित नाम क्या हैं ;

(ख) शिलान्यास करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामों सहित किन-किन तारीखों को शिलान्यास किए गए ;

(ग) इन एक्चेंजों के भवनों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है और इनके किस तारीख तक पूरा हो जाने और एक्चेंजों के स्वचालित बना दिए जाने की आशा है ; और

(घ) प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है।

विवरण

(क)	(ख)		(ग)		(घ)
राज्य/स्थान	शिलान्यास की तारीख	विशिष्ट व्यक्ति का का नाम	प्रगति भवन पूर्ण होने की संभावित तारीख	कब तक स्वचलित हो जाएगा	विलम्ब के कारण
1	2	३	4	5	6
गुन्टूर (आन्ध्र प्रदेश)	9-4-84	श्री एच० के० घोष डाक-तार महानिदेशक	मार्च, 84	मार्च, 85	कोई विलम्ब नहीं
संगारेड्डी (आंध्र प्रदेश)	11-5-80	श्री सी० एम० स्टीफन	मार्च, 84	दिसम्बर, 84	संविदात्मक विलम्ब
निजामाबाद (आंध्र प्रदेश)	15-3-83	श्री टी० एन० चौधरी [महाप्रबन्धक टेलिफोन (आंध्र)]	जुलाई, 84	जुलाई, 85	कोई विलम्ब नहीं
भागलपुर (बिहार)	14-5-82	श्री भगवत झा आजाद	जून, 84	मार्च, ८5	कोई विलम्ब नहीं
गुलबर्गा (कर्नाटक)	22-10-81	श्री सी० एम० स्टीफन	पूर्ण हो गया है	1984 85	कोई विलम्ब नहीं
धुले (महाराष्ट्र)	30-4-81	श्री वी० एन० पाटिल	मार्च, 84	दिसम्बर, 84	कोई विलम्ब नहीं

1	2	3	4	5	
कुल्लु (हिमाचल प्रदेश) हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)	14-5-83 25-6-82	श्री वि० एन० गाडगील श्री योगेन्द्र मकवाणा	दिसम्बर, 84 मार्च, 85	मार्च, 89 मार्च, 86	कंटेनराइज्ड इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज के आघात के मामले पर कार्र की जा रही है।
चित्तौरगढ़ (राजस्थान)	18-9-81	श्री वी० एन० पाटाल	पूर्ण हो गया है	मार्च, 85	कोई विलम्ब नहीं
तंजावुर (तमिलनाडु)	26-9-82	श्री वी० एन० पाटील	जून, 84	दिसम्बर, 85	सीमेंट की भारी कमी के कारण भवन प्रगति धीमी है।

एस० ए० एक्स०/विद्युतीय समान्तरता से प्रभावित क्षेत्र में टेलीफोन/तार लाइनें बिछाना

2673. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युतीय दूर संचार समन्वय सीमित, सम्प्रेषण लाइनों आदि के कारण एस० ए० एक्स०/ विद्युतीय समान्तरता द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में टेलीफोन/तार लाइनों के मामलों को स्वीकृति देने में अनावश्यक विलम्ब करती है तथा विद्युतीय समान्तरता के शिकार लोगों को, जो बिना किसी कसूर के अपनी दूरसंचार सुविधायें गंवाते हैं ; राहत देने में कोई प्राथमिकता नहीं देती।

(ख) यदि हाँ तो उत्तर पश्चिम सर्किल के उन मामलों का ब्यौरा क्या है जो गत (एक) दो वर्षों से (दो) एक वर्ष से और (तीन) छह माहीनों से विद्युतीय दूर संचार समन्वय समिति के पास लम्बित पड़े है और इस विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार, विद्युतीय दूर संचार समन्वय समिति द्वारा उक्त मामलों को जल्दी निपटवाने के लिए, क्या उपाय करेगी क्योंकि यह एक प्रकार की राहत है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) (एक) शून्य

(दो) शून्य

(तीन)— (क) समाक्ष केबिल—एक मामला।

लुधियाना—जगराव—मोगा—जीरा फिरोजपुर का मामला 20-8-83 को पी० टी० सी० सी० के पास भेजा गया था और पावर लाइनें निर्धारित करने तथा इन पावर लाइनों से समान के केबिलों पर उत्पन्न वोल्टेज का परिकलन करने के लिए पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला के सदस्य (पावर) के पास लंबित पड़ा है।

(ख) बिलासपुर-बरसाना एस० ए एक्स० लाइन का मामला 25-10-83 से केन्द्रीय पी० टी० सी० सी० के पास लंबित पड़ा है।

(ग) पी० टी० सी० सी० की प्रक्रिया के अनुसार यदि कोई दूरसंचार लाइन पी० टी० सी० सी० के अनुमोदन के लिए भेजी जाती है तो डाक तार/विद्युत बोर्ड एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की विभिन्न यूनिटों द्वारा उन पर विभिन्न चरणों में कार्रवाई की जानी होती है। उक्त प्रक्रिया में जिन विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जानी होती है उन्होंने विभिन्न कार्रवाइयों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है।

डाकघरों, सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों, सी० ओ० और एस० ए० एक्स० के खोलने और उनका दर्जा बढ़ाने के लिए निर्धारित मानदंड में छूट

2674. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार और डाक सेवाओं के संचालन (प्रबन्ध सहित) को बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए तत्सम्बन्धी मानदंड में कोई छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो (एक) डाकघर खोलने और उनका दर्जा बढ़ाने (दो) सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र/ सी० ओ० खोलने (तीन) एस० ए० एक्स० के लिए निर्धारित मानदंड में दी गई छूट की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार और डाक प्राधिकारियों ने मुख्य डाकघर, डाक और तार उप-मंडलों और मंडलों जैसे नए प्रशासनिक एकक की स्वीकृति के लिए कार्यभार को महत्व दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां, पिछड़े इलाकों तथा जो पहाड़ी क्षेत्र जनजातीय और पिछड़े इलाकों के अन्तर्गत आते हैं, उनके लिए मानदंडों में छूट दी गई है।

(ख) डाकघर, सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक-तारघर और एस० ए० एक्स० खोलने के लिए अपनाए जा रहे मौजूदा मानदंडों की प्रतियां जिनमें दी जा रही छूट का भी उल्लेख है, अनुबंध "एक", "दो", "तीन" और "चार" के रूप में संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी—7922/84]

(ग) और (घ) (एक) इस समय डाक पक्ष को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। जहां तक देश के पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में नई प्रशासनिक यूनिटों जैसे मुख्य डाकघर और डाक मंडलों की मंजूरी के लिए महत्व देने का सम्बन्ध है, इसकी जांच की जा रही है।

(दो) जहां तक तार मंडलों और उप मंडलों से सम्बन्धित मानदंडों का प्रश्न है, इसके लिए भारत सरकार द्वारा कठिन भू-भाग के बतौर घोषित इलाकों को सज्जित क्षमता और कार्य कर रही लाइनों के लिए यूनिटों के स्केल पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त महत्व दिया जाता है। जहां तक पिछड़े इलाकों का सम्बन्ध है, महत्व खोले गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या पर महत्व दिया जाता है।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गैस एजेंसी का आवंटन

2675. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के विलासपुर नगर में गैस एजेंसी के आबंटन के विरुद्ध इस बात को लेकर कोई विरोध प्रकट किया गया है कि इस कार्य के लिए जाली प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं और उन्हें भारतीय तेल निगम को भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकट किए गए विरोध का ब्यौरा क्या है और इस मामले में भारतीय तेल निगम के साथ परामर्श करके तथ्यों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश ने भी उक्त मामले में भारतीय तेल निगम के निष्कर्षों को स्वीकार न करने वाले लोगों की अपील पर जांच के आदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम के अधिकारियों द्वारा जाली प्रमाण-पत्र स्वीकार किये जाने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्यमंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिये जाने के लिये चुना गया उम्मीदवार विलासपुर का स्थानीय निवासी नहीं है और उसकी शारीरिक अपंगता निर्धारित प्रतिशतता से कम है। शिकायत की जांच इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा नहीं की गयी थी। कार्यकारी मजिस्ट्रेट, विलासपुर सचिव, नगरपालिका, और विलासपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात का पुष्टि की है कि चुना गया उम्मीदवार विलासपुर का निवासी है और इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच-पड़ताल करने के बाद उन अधिकारियों द्वारा इस आशय के प्रमाण पत्र दिए गए थे। विलासपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह प्रमाणित किया है कि चुने गये उम्मीदवार की शारीरिक अपंगता निर्धारित सीमा से अधिक है।

(ग) हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा ऐसी किसी जांच के आदेश दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फ़ोमिक-एसिड के आयात का उसके उत्पादन पर कुप्रभाव

2676. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फोमिक-एसिड बनाने वाली इकाइयों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि फोमिक-एसिड के आयात की अनुमति देने सम्बन्धी सरकारी नीति के कारण इन इकांईयों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में दिनांक 8 सितम्बर, 1983 को केरल के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सरकार को पत्र भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो उनके पत्र का ब्यौरा क्या है तथा उसमें दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उन सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) से (ग) संगठित क्षेत्र में फोर्मिक-एसिड का निर्माण करने के लिए मै० पेरियर कैमिकल्स लि० कोचीन और मै० केरल एसिड्स एण्ड कैमिकल्स लि०, कोचीन को क्रमशः 1500 और 1200 टन प्रति वर्ष की क्षमता के लाइसेंस जारी किए गए हैं। मै० गुजरात नर्मदा वेली फर्टिलाइजर कम्पनी, भरुच को भी 10,000 टन प्रतिवर्ष के लिए एक आशयपत्र जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों का पंजीकरण तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास किया गया है।

फोर्मिक-एसिड 2000 से 2500 टन प्रति वर्ष की वर्तमान अनुमानित मांग की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन निम्न प्रकार है :—

1981	1019 टन
1982	818 टन
1983 (जून से सितम्बर 1983 तक)	125 टन

फोर्मिक-एसिड के निर्माण के लिए लाइसेंसीकृत दूसरे एकक ने 1983 से ही उत्पादन प्रारम्भ किया है।

(घ) से (च) जी हां। केरल के मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि (1) फोर्मिक एसिड को आयात नीति के परिशिष्ट 17 से हटाया जाये, (2) मूल आयात शुल्क को 100 प्रतिशत तक और अनुषंगी शुल्क को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाये जो अब क्रमशः 70 प्रतिशत और 35 है, और (3) चूंकि देश में दो एककों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है, फोर्मिक-एसिड के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न की जांच करने के लिए वर्तमान आयात नीति की पुनरीक्षा की जाये। वर्ष 1984-85 के लिए आयात और निर्यात पर सरकार की सामान्य नीति तैयार करते समय केरल के मुख्यमंत्री के सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करना

2677. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह

ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जसवन्त सिंह आयोग कब गठित किया गया था और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की, मामले फाइल किए जाने की शक्ति प्राप्त न्यायपीठ स्थापित करने के प्रश्न को आयोग की जांच सीमा में सम्मिलित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसे सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं ;

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ गठित करने की मांग से उत्पन्न सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए जसवन्त सिंह आयोग का 4 सितम्बर, 1981 को गठन किया गया था। गोहाटी, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना के लिए भी मांग की गई थी और सम्बद्ध राज्य सरकारों ने या तो भारत सरकार से ऐसी न्यायपीठों की स्थापना के लिए सहमत होने का अनुरोध किया था या यह सुझाव दिया था कि ऐसी मांग किसी आयोग को निर्देशित कर दी जाए। जसवन्त सिंह आयोग के विचारार्थ विषयों में 14 दिसम्बर, 1983 को वृद्धि कर दी गई। अब आयोग से यह अपेक्षित है कि वह इन मांगों की समीक्षा करे और उन पर अपनी रिपोर्ट दे तथा साथ ही उच्च न्यायालयों के मुख्य स्थानों से भिन्न स्थानों पर, उनकी न्यायपीठ रखने के सामान्य प्रश्न के सभी पहलुओं की और इस बारे में अनुसरण किए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मापदंडों की समीक्षा करे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकार ने सितम्बर, 197 में त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। उसे जुलाई, 1973 में कुछ कानूनी परामर्श को पूरा करने के लिए लिखा गया था। राज्य सरकार ने जून, 1973 में सूचित किया कि वह अभी मामले पर विचार कर रही है। उसके पश्चात् उससे कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विद्धिक दत्तक नियमों को लोकप्रिय बनाना

2678. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि जनता को हिन्दू स्वीय विधि के अधीन उपलब्धित

दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो विवाहित या अविवाहित या पुत्री/पुत्र वाले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के बारे में विधिक नियमों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगननाथ कौशल) : (क) और (ख) समुदाय के कमजोर वर्ग न केवल हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के अधीन बल्कि अन्य विधियों के अधीन भी अपने अधिकारों और फायदों से साधारणतः अनभिज्ञ होते हैं और उनके पास उनसे अवगत होने के साधन नहीं होते हैं। केन्द्रीय विधिक सहायता समिति ने समुदाय के कमजोर वर्गों के बीच विधि को बढ़ाने के लिए पहले ही कई उपाय किए हैं। इनके अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों के बीच वितरण और प्रसार के लिए ऐसे छोटे ब्रोशर, पैम्पलेट्स और पुस्तिकाओं का प्रकाशन जो सरल सुगमता से बोधगम्य भाषा में लिखी गई हों जिनसे लोग विभिन्न सामाजिक कल्याण विधियों के अधीन प्रदत्त अधिकारों और फायदों को समझ सकें। अन्य बातों के साथ-साथ जनता के कमजोर वर्गों के बीच विधिक जानकारी बढ़ाने के लिए विधिक सहायता शिविरों का आयोजन और समुदाय के कमजोर वर्गों के बीच विधिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए परा-विधिक प्रशिक्षण भी हैं।

देश में औषधि निर्माता एकक

679. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में औषधि निर्माण करने वाले कुल कितने एकक हैं और उनका कुल कितना उत्पादन है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : उपलब्ध सीमा तक प्राप्त ब्यौरों के अनुसार लघु क्षेत्र एककों के अतिरिक्त संगठित क्षेत्र में लगभग 175 औषध उत्पादक एकक हैं। वर्ष 1982-83 में देश में कुल प्रपुंज औषधों के फार्मूलेशनों के उत्पादन के क्रमशः 325 करोड़ रुपये और 1545 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

औषध उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

680. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में औषधि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीयकरण का मामला आर्थिक दृष्टि से अन्य विकल्पों की तुलना में देश को होने वाले प्रासंगिक शुद्ध लाभ पर आधारित है। सरकार का विचार है कि इस स्तर पर राष्ट्रीयकरण

का कोई मामला नहीं है ।

नेशनल ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट काउंसिल की रिपोर्ट

2681. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध उद्योग सम्बन्धी नेशनल ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल डेवेलपमेंट काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध तथा भेषज विकास परिषद् की सिफारिशों पर नियुक्त किए गए तीन कार्यकारी दलों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं । इस रिपोर्ट पर राष्ट्रीय औषध तथा भेषज विकास परिषद् अपनी अगली बैठक में विचार-विमर्श करेगी ।

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों द्वारा इक्विटी को कम किया जाना

2682. **श्री सुनील मैत्रा** :
श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : } क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औषध उद्योग में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा इक्विटी में कमी करके सरकारी मार्ग निर्देशों की लगातार अवज्ञा करने के बारे में जानकारी मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी नहीं । तथापि, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन विदेशी साम्य पूंजी को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के विपरीत 5 विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों की अन्य सरकारी विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।

1983 में बन्द किए गए सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एकक

2683. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उर्वरक एककों के क्या नाम हैं जो वर्ष 1983 के दौरान बन्द कर दिए गए हैं;

(ख) इससे कितने उत्पादन दिवसों की हानि हुई और उत्पादन हानि का क्या ब्यौरा है;

(ग) इनके बन्द होने से कितने मजदूर बेरोजगार हो गए;

(घ) इनको बन्द करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) समस्या को हल करने और निकट भविष्य में इस प्रकार के एककों को बन्द होने से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) (ख) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक एकक जो 1983 के दौरान बन्द रहे, हानि हुए उत्पादन दिवसों की संख्या और उठाई गई उत्पादन हानि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

एकक का नाम	हानि हुए उत्पादन दिवसों की संख्या	नाइट्रोजन के उत्पादन की हानि (1000 मीटर में)	बन्द रहने के कारण
1	2	3	4
भारतीय उर्वरक निगम का तालचर एकक	173	44.5	विद्युत कटोती
मद्रास फर्टिलाइसर्स लि०	193	58.2	पावर और जल की अत्याधिक कमी
फार्टलाइजर्स एण्ड कैमिकल ट्रावनकोर लि०			
1 कोचीन-I	40	6.7	80-100 प्रतिशत विद्युत कटोती
2. उद्योग मण्डल	40	3.5	80-100 प्रतिशत विद्युत कटोती

उपकरणों और अन्य खराबियों के कारण संयंत्रों का बन्द रहना उक्त विवरण में शामिल नहीं है ।

(ग) कोई कामगार बेरोजगार नहीं हुआ । तथापि 12-6-83 से 18-7-83 तक फैक्टरी

में लगभग 2,566 कामगार/अधिकारियों को भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए जबरी छुट्टी दी गई।

(ङ) राज्य सरकारों से एककों को पावर की नियमित और पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है। आंशिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने तालचर और मद्रास उर्वरक एककों के लिए रक्षित विद्युत संयंत्र भी अनुमोदित किए हैं। फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, रक्षित विद्युत सप्लाई में वृद्धि करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं।

इलेक्ट्रिक डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज

2684. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक डिजिटल टेलिफोन केन्द्र लगाने से टेलिफोन कालों में होने वाली धोखा-धड़ी को कम किया जा सकता है;

(ख) इससे धोखाधड़ी को कम करने में किस सीमा तक मदद मिली है; और

(ग) अधिक इलेक्ट्रानिक डिजीटल टेलीफोन केन्द्र लगाने के सम्बन्ध में सरकार का प्रस्ताव क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) इलेक्ट्रानिक डिजीटिल टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू करके कुछ सीमा तक धोखा-धड़ी के मामलों को कम किया जा सकता है।

(ख) अभी तक कोई डिजीटल टेलीफोन एक्सचेंज चालू नहीं हुआ है।

(ग) देश के विभिन्न स्थानों पर संस्थापित करने के लिए लगभग 2 लाख लाईनों के स्थानीय तथा ई-10 बी टाइप के टेंडम इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर का आयात किया जा रहा है। इस उपस्कर का विदेशी सहयोग से भारत में निर्माण करने का भी निर्णय लिया गया है। इस प्रकार इस टाइप के अधिकाधिक एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर संस्थापित किया जायेगा।

बम्बई के सभी टेलीफोनों को सात अंकों में बदलना

2685. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई टेलीफोन के थाणे टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में 1 जनवरी, 1984 तक कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये थे; इसी एक्सचेंज के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में उपरोक्त तिथि तक प्रतीक्षा-सूची (प्रत्येक श्रेणी में) में कितने आवेदन-पत्र थे;

(ख) क्या सरकार के पास थाणे क्षेत्र में प्रस्तावित मुलन्ड एक्सचेंज के अलावा अतिरिक्त लाइनें बिछाने की कोई योजना है; और

(ग) अधिकारीगण बम्बई टेलीफोन के अन्तर्गत सभी टेलीफोनों को सात अंकों वाले नम्बरों में कैसे और कब तक बदलने वाले हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 1-1-84 को थाना टेलीफोन के अन्तर्गत काम कर रहे टेलीफोनों की कुल संख्या 10738 है । प्रत्येक श्रेणी में लम्बित आवेदनों की संख्या इस प्रकार है :

ओ०वाई०पी०	गैर ओ०वाई०टी०/सामान्य	गैर ओ०वाई०टी० विशेष	योग
1390	10659	329	12368

(ख) जी हां।

(ग) बम्बई टेलीफोन में टेलीफोन नम्बरों को आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाए जाने पर सात अंकों वाली प्रणाली में बदल दिया जायेगा ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों का तेरहवां सम्मेलन

2686. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य निधि योजना के क्षेत्रीय आयुक्तों के 13 वें सम्मेलन के क्या परिणाम निकले और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं सम्बन्धी अनेक मद्दों पर 27 ओर 28 जनवरी, 1984 को हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्तों के 13 वें सम्मेलन में विचार किया गया था । संलग्न **विवरण** में विचार की गई कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों और उनके सम्बन्ध में निकलने वाले निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है ।

विवरण

क्रमांक	विषय जिन पर विचार किया गया	निष्कर्ष
1	2	3
1.	क्षेत्रों की निष्पादन रिपोर्ट की पुनरीक्षा	क्षेत्रों की निष्पादन रिपोर्ट को सभी क्षेत्रों तथा उप-क्षेत्रों में परिचालित किया जाना है ।
2.	प्रवर्तन :	

1	2	3
	(क) व्यक्ति	क्षेत्रीय आयुक्तों को यह सलाह दी गई है कि वे अधिनियम की धारा 1(4) के अन्तर्गत स्वैच्छिक रूप से लाये जाने के सम्बन्ध में लम्बित पड़े सभी प्रस्तावों को शीघ्र निपटाएं और अधिनियम की परिधि में अनंतिम रूप से अन्तर्गत लाए जाने के सभी मामलों को अन्तिम रूप से तय करें। क्षेत्रीय आयुक्तों को भी सलाह दी गई कि वे प्रतिष्ठानों को अधिनियम की परिधि में लाने के लिये राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के विभागों का सहयोग प्राप्त करें।
	(ख) देय राशियों का निर्धारण।	क्षेत्रीय आयुक्तों से अनुरोध किया गया कि वे अधिनियम की धारा 7 क के अधीन देय राशियों के निर्धारण के लिए कार्रवाइयों को यथाशीघ्र अंतिम रूप दें, ताकि देय राशियों की वसूली के लिए अविलम्ब वसूली कार्रवाइयाँ की जा सकें।
	(ग) अभियोजन।	क्षेत्रीय आयुक्तों से अनुरोध किया गया कि वे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन तत्काल अभियोजन मामले चलाएं और उनकी तेजी से पैरवी करें। यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन अभियोजन चलाने के लिये राज्य पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने के मामले में आयुक्तों को कई कठिनाईयां अनुभव हुई हों, तो उन्हें केन्द्रीय आयुक्त के ध्यान में लाया जाना अपेक्षित है, ताकि वह उस मामले को उपयुक्त कार्यवाही के लिए श्रम मन्त्रालय के साथ उठा सके। पिछली और वर्तमान बकाया राशि की वसूली तथा हर्जाने के मामले में राहत उपक्रमों के विरुद्ध अभियोजन के मामले तथा राजस्व वसूली कार्रवाइयाँ प्रारम्भ करने से पहले कानून अधिकारी द्वारा जांच की जानी होती है और अनुदेश जारी करने होते हैं।

1	2	3
	(घ) भविष्य निधि की बकाया राशि	आयुक्तों से अनुरोध किया गया है कि वे छूट प्राप्त और छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों से बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए सभी प्रयास करें, क्योंकि हाल ही में इन बकाया राशियों में वृद्धि होती जा रही है।
3.	रिट याचिका	निचले और उच्च न्यायालयों में मामलों पर कार्रवाईयां करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया और फीस की अदायगी सम्बन्धी मामलों सहित अन्य मामलों की पैरवी करने के लिये वकीलों को नियोजित करने सम्बन्धी प्रणाली को सरल बनाना अपेक्षित है। क्षेत्रीय आयुक्तों को भी यह सलाह दी गई कि ऐसे जिन महत्वपूर्ण मामलों में नियोजकों ने वरिष्ठ वकीलों को नियोजित कर रखा है, उनके सम्बन्ध में संगठन के पक्ष की पैरवी करने के लिए विख्यात वकीलों को नियोजित किया जाए।
4.	स्टाफ की स्वीकृति हेतु अंशदाताओं और लेखों की संख्या का सत्यापन	सांख्यिकीय विवरणियों के संकलन के लिये उचित रजिस्ट्रों को रखने के महत्व पर जोर डाला गया, ताकि अनुमोदित मानकों के अनुसार अविलम्ब स्टाफ मंजूर किया जा सके। यह निर्णय लिया गया कि आधारभूत रजिस्ट्रों के रख-रखाव के मामले में विस्तृत अनुदेश जारी किये जायें।
5.	वार्षिक लेखा स्लिपों को जारी करने सम्बन्धी बकाया कार्य का निपटान।	वार्षिक लेखा स्लिपें जारी करने के सम्बन्ध में वर्तमान बकाया पड़े काम के प्रति केन्द्रीय न्यासी बोर्ड तथा सरकार दोनों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता के बारे में आयुक्तों को अवगत कराया गया। उनको सलाह दी कि वे एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें और उसके अनुसार बकाया कार्य को निपटाएं।

1	2	3
6.	दावों का निपटारा।	आयुक्त को सलाह दी गई कि वे सदस्यों से प्राप्त दावों का शीघ्र निपटारा करने के लिए सभी प्रयास करें तथा प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के लिये सुझाव दें ताकि बोर्ड द्वारा गठित समिति उनके सुझावों पर विचार कर सकें।
7.	निरीक्षकों का मैन्युअल।	केन्द्रीय कार्यालय में अधिकारियों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया, ताकि निरीक्षकों के मैन्युअल के मसौदे को, जिसे आयुक्तों के बीच पहले ही परिचालित किया जा चुका है, अन्तिम रूप दिया जा सके।
8.	फार्म 3क में अंशदान कार्ड को समाप्त करना तथा फार्म 6क को फार्म 24 के साथ मिलाना।	सम्मेलन ने सरलीकृत वैकल्पिक पद्धति विकसित करने के बाद फार्म 3क (संशोधित) में अंशदान कार्डों को समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह भी स्वीकार किया गया कि लेखा बन्द करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिये फार्म 6क को फार्म-24 के साथ मिला दिया जाये।
9.	छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में अधिनियम का कार्यान्वयन।	यह निर्णय लिया गया कि सामान्य भविष्य निधि में भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने की वर्तमान पद्धति की जांच की जाए तथा सभी क्षेत्रों में अपनाये जाने के लिये विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि शिथिलीकरण सम्बन्धी आदेश के मामले में अन्तिम छूट की शर्तों का एक सेट भी संलग्न किया जाना चाहिये। आयुक्तों से कहा गया कि वे सितम्बर, 1983 में मनाये गये छूट प्राप्त प्रतिष्ठान माह के दौरान छूट प्राप्त प्रतिष्ठान माह के दौरान छूट-प्राप्त निधियों में पाई गई कमियों के बारे में सूचना दें ताकि अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके।

1	2	3
	10. उप-कार्यालयों का निरीक्षण ।	कार्यालय तथा निरीक्षणालयों और उप-कार्यालयों के सभी अनुभागों के नियमित आवधिक निरीक्षण के महत्व तथा आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया । क्षेत्रीय आयुक्तों से यह भी कहा गया कि वे केन्द्रीय कार्यालय की निरीक्षण रिपोर्ट का अनुपालन करें ताकि कार्यालय के कार्यकरण में सुधार हो सके ।
11.	अनुपालन ।	आयुक्तों से अनुरोध किया गया कि वे सदस्यों की शिकायतों का शीघ्र निपटारा करने की ओर आवश्यक ध्यान दें तथा केन्द्रीय कार्यालय, सरकार तथा संसद सदस्यों से प्राप्त पत्राचार पर विशेष ध्यान दें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्राप्त पत्रों का उत्तर 7 दिनों के भीतर दे दिया जाए ।
12.	प्रवासी श्रमिक योजना ।	यह निर्णय लिया गया कि 6 विशिष्ट क्षेत्रों में "राय सर्वेक्षण" किया जाये तथा इन क्षेत्रों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रवासी श्रमिकों के लिए उदार उपबन्धों वाली एक पृथक योजना बनाने की आवश्यकता की जाँच करने का निर्णय किया गया ।
13.	सतर्कता ।	आयुक्तों को सलाह दी गई कि वे कर्मचारियों के खिलाफ लम्बित पड़ी सभी अनुशासनात्मक कार्रवाईयों के सम्बन्ध में जांचों को पूरा करें तथा उनको यथाशीघ्र अन्तिम रूप से निपटाएं ।
14.	प्रशिक्षण ।	सम्मेलन ने प्रशिक्षण अधिकारियों में वृद्धि करने का सुझाव दिया तथा यह इच्छा व्यक्त की कि वर्तमान योजना में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाये ताकि प्रशिक्षण दो भागों— एक सामान्य तथा दूसरा गहन में दिया जा सके । आयुक्तों ने सभी वर्गों के कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय श्रम संस्थान गठित करने सम्बन्धी प्रस्ताव का भी समर्थन किया ।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार

2687. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार कार्यालयों में राज्य-वार कुल कितने अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नाम पंजीकृत हैं ; और

(ख) राज्य-वार और श्रेणी-वार अनुसूचित जनजाति के ऐसे कितने उम्मीदवार हैं, जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में तीन वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हैं;

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	30-6-1983 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर अ० ज० जा० के आवेदकों की संख्या	कालम 2 में ऐसे आवेदकों की संख्या शामिल है जो 3 वर्ष से अधिक समय तक चालू रजिस्टर पर थे।
1	2	3
राज्य		
1. आंध्र प्रदेश	45324	10947
2. आसाम	25099	4781
3. बिहार	156099	20 47
4. गुजरात	38161	3679
5. हरियाणा	15	1
6. हिमाचल प्रदेश	4344	489
7. जम्मू और कश्मीर	6	—
8. कर्नाटक	8836	2505
9. केरल	6130	1281

1	2	3
10. मध्य प्रदेश	76255	4885
11. महाराष्ट्र	63770	24317
12. मणिपुर	42677	21436
13. मेघालय	5954	510
14. नागालैंड	8113	938
15. उड़ीसा	40056	4407
16. पंजाब	47	—
17. राजस्थान	21730	2671
18. सिक्किम*		
19. तमिलनाडु	5524	501
20. त्रिपुरा	6328	635
21. उत्तरप्रदेश	2886	144
22. पश्चिम बंगाल	51294	12688
संघ शासित क्षेत्र		
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	134	16
2. अरुणाचल प्रदेश**		
3. चंडीगढ़	215	10
4. दादर व नागर हवेली**		
5. दिल्ली	1511	97
6. गोवा	13	—
7. लक्षद्वीप	4749	2325
8. मिजोरम	18252	1559
9. पाण्डिचेरी	48	16
अखिल भारत योग	633570	121085

नोट 1. ** कोई पूर्ण रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है। कुछ रोजगार सेल कार्य कर रहे हैं, जिनके बारे में आकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

2. ** इस संघ शासित क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है परंतु आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

3. * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

4. वह आवश्यक नहीं कि रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले सभी व्यक्ति बेरोजगार हों।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों का भरना

2688. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणी-वार और केन्द्र-वार कुल संख्या और प्रतिशतता क्या है;

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की श्रेणी-वार और केन्द्र-वा कुल संख्या कितनी है और और वे किस तारीख से रिक्त हैं; और

(ग) इसके कारण क्या हैं और रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को प्रदर्शित करने का मानदण्ड

2689. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से अब तक वर्ष-वार हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषा की कुल कितनी फिल्मों को दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया है;

(ख) इस सम्बन्ध में वर्ष 1980 से अब तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय भाषा की फीचर फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए क्या सामान्य मानदण्ड अपनाया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्र (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

(ग) अपनी फिल्मों को टेलीकास्ट करने के लिए निर्माताओं/वितरकों से प्राप्त प्रस्तावों की नवीन और उनका चयन विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर गठित समितियों द्वारा किया जाता है । भुगतान के प्रयोजन के लिए समिति फिल्मों का श्रेणीकरण फिल्मों के निम्न लिखित पहलुओं को उपलक्षघन देते हुए उस क्रम में तीन श्रेणियों अर्थात 'ए" "बी" और "सी" में करती है :—

1. अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त ।
2. विषयात्मक महत्व ।
3. चलचित्रिकी महत्व ।
4. मनोरंजन महत्व ।
5. निर्माण-वर्ष ।
6. दूरदर्शन पर फिल्म कितनी बार दिखाई गई और किन-किन केन्द्रों पर । केवल "ए" श्रेणी वाली क्षेत्रीय फिल्में ही भाषायी क्षेत्र के बाहर के दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट किए जाने के लिए पात्र हैं । समानता बनाए रखने के लिए, प्रमुख दूरदर्शन केन्द्र क्षेत्रीय फिल्मों को बारी-बारी के आधार पर टेलीकास्ट करते हैं ।

राष्ट्रीय औषधि नीति

2690. **श्री एम० एम० लारेंस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय औषधि नीति को राष्ट्रीय स्वास्थय नीति का ही एक अंग मानती है; और

(ख) यदि हां, तो बेकार और मामूली दवाओं का उन औषधों का भारत में उत्पादन करने के क्या कारण हैं, जिनका उनके उदगम के देश तथा अन्य विकसित देशों में भी बाहिष्कार किया जा चुका है;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) दोनों नीतियां एक-दूसरे की पूरक हैं।

(ख) देश में विपणन की जाने वाली दवाईयों की किस्में देश में विद्यमान बीमारियों की किस्मों, डाक्टरी पद्धति, उपलब्ध निदान सुविधाओं, उपभोक्ताओं की खरीद शक्ति आदि पर निर्भर करेगी। क्या कोई दवाई चिकित्सा की दृष्टि से उपयोगी है या नहीं, यह डाक्टरी विचार का मामला है, क्योंकि औषध की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए दवाईयों का अक्सर डाक्टरी सलाह पर मरीज़ों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अतः पुरानी दवाईयों को हमेशा नई दवाईयों से इस आधार पर प्रतिस्थापित करना संगत नहीं होगा कि दूसरे देशों में ऐसा किया है।

बल्क औषधियों का उत्पादन

2691. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विदेशी कंपनियों और लघु उद्योग क्षेत्र में वर्षवार अलग-अलग बल्क औषधियों के उत्पादन के आंकडे क्या हैं,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र, विदेशी तथा लघु उद्योग क्षेत्र में 1979-80 से 1982-83 तक की अवधी में प्रपुंज औषधों के अनुमानित उत्पादन नीचे दिए गए हैं :-

(रु० करोड़ों में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	विदेशी क्षेत्र	लघु क्षेत्र
1979-80	59.00	90.00	53.00	2[illegible].00
1981-82	67.00	120.00	72.00	30.00
1982-83	67.00	121.00	72.00	65.00

सरकारी उपक्रमों द्वारा निर्मित ड्रग फार्मूलेशनों का प्रतिशत

2269. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औषधियों के कितने फार्मूलेशन्स का निर्माण किया जाता है; और

(ख) उनमें से कितने फार्मूलेशन्स का निर्माण सरकारी उपक्रमों द्वारा किया जाता है और ये कुल फार्मूलेशन्स का कितने प्रतिशत है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) इंडियन फार्मास्युटिकल गाइड (1981),

जिसमें लगभग 400 कंपनियां सूचीबद्ध हैं, के अनुसार उनके द्वारा उत्पादित फार्मूलेशनों की संख्या 15,000 से अधिक है।

(ख) उनकी मूल्य सूचियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की औषध कंपनियां 421 फार्मूलेशनों का विपणन कर रही हैं। 1982-83 के दौरान देश में उत्पादित फार्मूलेशनों का कुल मूल्य लगभग 1600 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। मूल्य के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की औषध कंपनियों का अंश 7.0 प्रतिशत है।

विदेशी औषधि कंपनियों को ऋण लाइसेंस प्रदान करना

2693. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति की सिफारिश के विपरीत विदेशी औषधि कंपनियों को ऋण लाइसेंस प्रदान किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे ऋण लाइसेंसों की संख्या क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) 1978 की औषध नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि ओषधों के क्षेत्र में कार्य करने के लिए किसी भी विदेशी कम्पनी को ऋण लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। इस संबंध में नीति का कार्यान्विय सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी औषध नियंत्रकों को एक परिचय-पत्र भी जारी किया गया है। तथापि, तत्काल निर्यात आर्डर को पूरा करने की आवश्यकता की दृष्टि से केवल दो विदेशी कंपनियों के संबंध में कुछ तदर्थ अनुमोदन प्रदान किए गए थे।

क्षमता का कम उपयोग करने वाले उर्वरक कारखानों का पता लगाना

2694. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से उर्वरक कारखाने अभी तक घाटे में चल रहे हैं;

(ख) इन्हें सामान्य स्थित में लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं, जिनके द्वारा विशेष रूप से क्षमता का कम उपयोग किये जाने का पता चला हैं ;

(घ) उसके कारण क्या हैं.

(ङ) उर्वरक उद्योग को दी जाने वाली आर्थिक राज सहायता में भारी वृद्धि को देखते हुए क्या इन यूनिटो को उनके निराशा जनक कार्यानिष्पादन के लिए चेतावनी दी गई है ; और

(च) यदि हाँ, तो उस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन एवं फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०, ऐसी तीन सरकारी क्षेत्र की कम्पनियाँ हैं जो हानि में चल रही हैं।

(ख) से (च) इन तीन उर्वरक कम्पनियो के स्वामित्व वाले विभिन्न एककों में होने वाली हानि के लिए उतरादायी मुख्य पहलू कम क्षमता उपयोगिता है। विशेष रूप से कम क्षमता उपयोगिता करने वाले एकक निम्नलिखित हैं :

1. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (सिन्दरी रेशनलाइजेशन, तालचर, रामागुण्डम और गोरखपुर)।

2. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (नामरूप, बरौनी और दुर्गापुर)।

3. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (उद्योगमण्डल एवं कोचीन—II)।

इसके विपरित, इन संयंत्रों के कम क्षमता उपयोगिता विभिन्न पहलुओं के परिणामस्वरूप हुई, जैसे कि संयंत्रों और उपस्करों का पुराना हो जाना, अस्थिर पावर आपूर्ति, उपस्कर में कमियां और संयंत्रों में अन्य असंतुलन आदि। इन एककों की समस्याओं की शिनाख्त की गई है और उपचारी उपाय, जैसे कि नवीकरण/मार्गविरोधों को हटाने, केपटिव पावर सुविधाओं की स्थापना आदि, जहाँ कहीं आवाश्यक समझे गए या तो आरम्भ किए गए हैं, या आरम्भ करने की योजना है। कार्यान्वित होने पर इन उपायों से संयंत्रों के निष्पादन में काफी सुधार होने की आशा है।

कम क्षमता उपयोगिता वाले संयत्रों सहित सभी उर्वरकों संयंत्रों में उत्पादन पर सतत आधार पर निगरानी रखी जाती है और उत्पादन में होने वाले सामयिक अवरोधों को हटाने के लिए सतत आधार पर उपचारी उपाय भी किए जाते हैं।

प्रतिधारित मूल्य तथा उर्वरकों पर आर्थिक सहायता सम्बन्धी स्कीम उपयुक्त लाभ की स्वीकृति प्रदान करती है बशर्ते कि उत्पादक क्षमता के निर्धारित स्तरों पर प्रचालन करें। इसमें उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन निहित है जो दक्षता के बहुत उच्च स्तर पर प्रचालन करते हैं और उनके लिए दण्ड निहित है जो प्रचालन का संतोषजनक स्तर प्राप्त करने में असमर्थ हैं। प्रतिधारण मूल्य स्कीम के अधीन आर्थिक सहायता न तो किसी उर्वरक कारखानों के प्रचालन परिणामों से प्रभावित होती है और न ही वह निम्न स्तर पर चलने वाले एककों की हानियों को पूरा करने के लिए हैं।

मेरठ में उर्वरक कारखाना लगाया जाना

2695. **श्री जैनुल बशर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित उर्वरक कारखानों में काम आरम्भ किए जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान किन-किन स्थानों पर इन कारखानों को स्थापना से संबंधित कार्य आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) क्या मेरठ में पांचवें उर्वरक कारखाने की स्थापना से संबंधित मामला भी विचाराधीन है।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) मैसर्स प्रदेशीय इन्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमैन्ट कार्पोरेशन आफ यू०पी०लि० (पी०आई०सी०यू०पी०) को जगदीशपुर, जिला सुलतानपुर, उत्तरप्रदेश में गैस पर आधारित एक उर्वरक परियोजना की स्थापना करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है। आशयपत्र जारी करने के लिए मैसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि०, इफको), मैसर्स जुआरी एग्रो कैमिकल्स लि०, मैं० श्रीराम फर्टिलाइजर्स लि० और मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० के आवेदनपत्रों पर कार्यवाही की जा रही है।

(ख) 1.4.84 के पश्चात् अगले 12 महीनों के दौरान यह आशा है कि उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित संयंत्रों में से आँवला और जगदीशपुर में परियोजना कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलिफोन एक्सचेंज लगाना

2696. **श्री जैनुल बशर**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों, जिसको छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर ही पूरा करने का प्रस्ताव है, को लगाने का कार्य कब शुरू होने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : कंटेनराइज्ड इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर प्राप्त करने के लिये जो विश्वव्यापी टेंडर आमंत्रित किए गए थे, उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इस किस्म के एक्सचेंज की स्थापना के लिए जिन स्थानों का चयन किया गया है, गाजीपुर उनमें से एक है। इस स्थल (साइट) पर उपस्कर प्राप्त होने के तुरन्त बाद स्थापना कार्य शुरू कर दिया जाएगा ; जिसके लिए आदेश 1984-85 के दौरान दिए जाने की संभावना है।

देश में बेरोजगार मेडिकल तथा इंजीनियरिंग स्नातक

2697. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बेरोजगार मेडिकल तथा इंजीनियरिंग स्नातकों की कुल संख्या कितनी है जिन

के नाम 31 दिसम्बर, 1983 को विभिन्न राज्यों और संघशासी क्षेत्रों के रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत हैं; और

(ख) उनको शीघ्र रोजगार देने के लिये देश में क्या विशेष योजनायें शुरू किये जाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) संगत सूचना संलग्न विवरण में निर्दिष्ट है ।

(ख) छठी योजना में कृषि, डेरी विकास, मत्स्य पालन, फॉरिस्ट्री, सिंचाई और पावर, लघु तथा बड़े उद्योगों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम शामिल हैं; जो शिक्षित व्यक्तियों के लिये (जिनमें मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर शामिल हैं) रोजगार अवसर सृजित करते हैं। इसका उद्देश्य उच्च वृद्धि दर पर औद्योगिक विकास करना है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों को उच्च स्तर पर खपाने से सम्बद्ध है । समुद्री विकास, मरुभूमि विकास और पर्यावरण नियन्त्रण और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास पर जोर देने के कारण भी वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं ।

2. वाणिज्य बैंकों ने, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रैक्टिस क्लिनिक स्थापित करने के इच्छुक मेडिकल प्रैक्टिशनरों को उदार ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है । इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में इंजीनियरों को अग्रता-प्राप्त सेक्टरों के अन्तर्गत लाये जाने की संभावना है, क्योंकि अब बैंकों द्वारा उन्हें अग्रिम राशियां प्रदान की जा रही हैं ।

3. अनुसंधान और विकास कार्य करने और प्रायोगिक प्लांटों में निवेश और ऊर्जा की बचत करने संबंधी उपाय करने के लिये उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु कई कदम उठाए गये हैं । इनसे वैज्ञानिकों और टेक्नालॉजिस्टों को बेहतर रोजगार अवसर प्राप्त होने की आशा है ।

4. सरकार ने हाल ही में "शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये स्वःरोजगार प्रदान करने संबंधी एक योजना" शुरू की है । इस योजना में मेडिकल और इंजीनियरी स्नातकों को भी लाभ पहुंचेगा ।

विवरण

31-12-1983 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर इंजीनियरी और चिकित्सा स्नातकों (स्नातकोत्तरों सहित) की संख्या (अनन्तिम)

राज्य	इंजीनियरी स्नातक	चिकित्सा स्नातक
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	3844	4462
2. असम	158	153
3. बिहार	1234	1044

1	2	3
4. गुजरात	1281	348
5. हरियाणा	374	238
6. हिमाचल प्रदेश	306	106
7. जम्मू व काशमीर	630	5
8. कर्नाटक	2856	1628
9. केरल	1915	836
10. मध्य प्रदेश	1553	645
11. महाराष्ट्र	1203	1411
12. मणिपुर	244	1
13. मेघालय	8	6
14. नागालैंड	—	—
15. उड़ीसा	448	542
16. पंजाब	397	408
17. राजस्थान	971	519
18. सिक्किम*		
19. तमिलनाडु	2101	1906
20. त्रिपुरा	17	2
21. उत्तर प्रदेश	1383	884
22. पश्चिम बंगाल	1287	1313
संघ शासित क्षेत्र		
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—
2. अरुणाचल प्रदेश**		
3. चंडीगढ़	202	243
4 दादर व नागर हवेली***		

1	2	3
5. दिल्ली	1364	2300
6. गोवा	196	38
7. लक्षद्वीप	—	1
8. मिजोरम	–	—
9. पाण्डिचेरी	267	138
अखिल भारत जोड़ :	24239	19777

नोट : 1. * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. *** कोई पूर्ण रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है। कुछ रोजगार सैल कार्य कर रहे हैं, जिनके बारे में आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

3. ** इस संघ शासित क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है परन्तु आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

4. यह आवश्यक नहीं कि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले सभी इंजीनियरिंग और चिकित्सा स्नातक बेरोजगार हों।

उर्दू समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन

2698. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि देश में आमतौर पर और विशेषकर जम्मू और काश्मीर में जहां लगभग सभी दैनिक पत्रिकायें उर्दू में ही छपती हैं और लोगों के लिये सूचना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उर्दू समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या विशेष उपाय किये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग मे राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : देश के उर्दू समाचार-पत्रों का बाहुल्य तथा विशेषकर जम्मू व काशमीर से प्रकाशित होने वाले इस प्रकार के सभी समाचार-पत्र "लघु" और "मझौले" श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं। ये समाचार-पत्र, लघु और मझौले समाचार-पत्रों के संवर्धन में सहायता देने की सरकार की समान्य नीति के अनुसार, सरकारी विज्ञापन, अखबारी कागज का कोटा, इत्यादि दिये जाने के मामले में अनेक सुविधाओं के लिये पात्र हैं। इसके अलावा, पत्र सूचना कार्यालय में उर्दू के समाचार-पत्रों को उर्दू में प्रेस सामग्री की सप्लाई करने के लिये विशेष व्यवस्थाएं हैं। पत्र

सूचना कार्यालय उर्दू के समाचार-पत्रों को "चर्वा" भी निमित रूप से सप्लाई करता है जिससे फोटों के ब्लाक बनाने का उनका खर्चा बचता है।

तारघरों द्वारा स्वीकार किए जाने और भेजे जाने वाली भाषाएं

2699. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा तारघरों द्वारा किन-किन भाषाओं में तार स्वीकार किए तथा भेजे जाते हैं;

(ख) क्या संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 14 भाषाओं में तार स्वीकार करने और भेजने की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है;

(ग) क्या ऐसा करने में कोई तकनीकी अड़चने हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सभी तारघरों में किसी भी भारतीय भाषा के अंतर्देशीय तारों को यदि ये रोमन लिपि में लिखे गए हों, स्वीकार व वितरित किया जाता है और देवनागरी लिपि में लिखे गए तारों को निर्धारित तारघरों में ही स्वीकार किया जाता है।

(ख) जैसा कि ऊपर (क) में बताया है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 14 भाषाओं में तार स्वीकार व वितरित करने की व्यवस्था विद्यमान है।

(ग) और (घ) प्रशन ही नहीं उठते।

डाक और तार सिविल विंग में विभागीय कर्मचारियों के लिए भर्ती कोटा

2700. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1983 के दौरान, अखिल भारतीय डाक-तार इंजीनियर संघ ने अपने प्रतिनिधियों के साथ मिलकर डाक तार सिविल विंग में विभागीय कर्मचारियों के भर्ती के कोटे के संबंध में विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए मंत्री महोदय के साथ एक बैठक करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के क्या परिणाम निकले;

(ग) उक्त संघ की मुख्य शिकायतें क्या थीं; और

(घ) उस समस्या का हल निकालने और संघ के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर समझौता पूर्ण समाधान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। परन्तु बैठक नहीं हुई।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस संघ की मुख्य शिकायतें विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिये भर्ती नियमों में निर्धारित उपर्याप्तकोटा और विविध ग्रेडों में सीधे भर्ती किये गए उम्मीदवारों की तुलना में उनकी संख्या से संबंधित हैं।

(घ) कुछ विभागीय अधिकारियों ने इसी विषय पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक लिखित याचिका दायर की है। विभाग का यह प्रस्ताव है कि इस लिखित याचिका पर न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही इस मामले में विचार किया जाए।

भारतीय तेल निगम द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए बनाए गए नियम

2701. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में कोई नियम बनाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या 40 व्यक्तियों के मामले में निर्धारित नियमों का उल्लंघन किये जाने की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी व्यौरा क्या है ;

(ङ) निर्धारित नियमों का उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(च) नियमों का उलंघन करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी, हां।

(ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन के निदेशक मण्डल ने प्रबन्ध की सुविधा के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्तों को स्वीकृति दी है जिसके अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तर

युक्तिसंगत रूप से किया जा सके। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में मोटे तौर पर यह व्यवस्था है कि इंडियन आयल कार्पोरेशन के रिफाइनरी और पाइपलाइन प्रभाग के अधिकारियों के स्थानांतरण पर 5 6 वर्षों के बाद और विपणन प्रभाग के अधिकारियों के स्थानान्तरण पर 4-5 वर्षों के बाद विचार किया जाए। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के आगे यह परिकल्पना है कि ऐसे स्थानान्तरण करने के समय संबंधित अधिकारी के कार्य के स्वरूप और उसकी विशेष समस्याओं को ध्यान में रखा जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) श्री राम अवतार शास्त्री, संसद सदस्य ने ऊर्जा मंत्री को लिखा था जिसके साथ उन्होंने आई०ओ०सी० के विपणन प्रभाग के 41 अधिकारियों की एक सूची दी थी जिनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने एक ही स्थान पर चार वर्षों से अधिक सेवा कर ली है। अतः उनका यह आरोप है कि समान स्थानान्तरण नीति को लागू नहीं किया गया है।

(ङ) निर्धारित नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। मार्गदर्शी सिद्धांत प्रबन्ध की सुविधा के लिए तैयार किये गये हैं ताकि अधिकारियों का स्थानान्तरण अधिक युक्तिसंगत रूप से किया जा सके। पहले तो इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को उच्च तकनीकी किस्म के कुछ पद के संबंध में सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरे, एक बड़े संगठन में सभी स्थानान्तरणों को किसी एक वर्ष में नहीं किया जा सकता। चूंकि स्थानान्तरण नीति को केवल हाल ही में लागू किया गया है इसलिए स्थानान्तरण को चरणों में किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त, इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा स्थानान्तरण का अगला दौर अप्रैल-मई 1984 में लागू किया जायेगा, तब (ग) और (घ) में उल्लिखित मामलों की भी जांच की जायेगी। (च) उपरोक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अभ्रक बाजार झुमरी तिलैया (बिहार) में टेलेक्स लगाया जाना

2702. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने विश्व प्रसिद्ध अभ्रक बाजार, झुमरी तिलैया (बिहार) में 1983 तक 'टेलेक्स' लगाने का आश्वासन किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने और भारतीय अभ्रक व्यापार निगम और अन्य निर्यातकों के बीच बातचीत में टेलेक्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इमारत का निर्माण कार्य पूरा हो जाने और मशीनों और उपकरणों के उपलब्ध हो जाने के बाद, संबंधित व्यापारियों को टेलेक्स न देने के क्या कारण हैं और इसमें विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) झुमरी तिलैया में टेलेक्स एक्सचेंज चालू करने के बारे में 1-12-1980 को लोकसभा में संचार राज्य मन्त्री द्वारा यह बताया गया था कि यह एक्सचेंज 1982-83 के दौरान चालू किए जाने की सम्भावना है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) झुमरी तिलैया के लिये उपस्कर 1982-83 की अंतिम तिमाही में सप्लाई किया गया था परन्तु भवन तैयार न होने के कारण यह स्थापित नहीं किया जा सका। अतः यह उपस्कर बिहार में अन्य स्टेशन पर भेज दिया गया था। झुमरी तिलैया टेलेनस एक्सचेंज के प्रतिस्थापन के लिये उपस्कर अब मैसर्स आई० टी० आई० के पास तैयार है और उसको भेजा जा रहा है। संस्थापन कार्य के लिए भवन भी तैयार हैं और इसे कलकत्ता जौनल टेलेक्स के साथ जोड़ने के लिये एक स्थाई संचारण माध्यम की स्थापना की जा रही है। परन्तु दूरसंचार सर्किल में केवल दो स्थाई माँग रजिस्टर की गई है जबकि कम से कम 8 स्थाई मांग होने पर ही एक टेलेक्स एक्सचेंज आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होता है और तभी उसे चालू किया जाता है।

तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग द्वारा दक्षिण ध्रुव पर तेल के भंडारों के बारे में सर्वेक्षण

270 . **श्री ई० बालानंदन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार दक्षिण ध्रुव पर कुछ तेल भण्डार की सुनिश्चितता के लिये एक सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तेल का उत्पादन बढ़ाने में इस सर्वेक्षण से किस प्रकार का लाभ मिलेगा;

(ग) दक्षिण ध्रुव पर इसी प्रकार के सर्वेक्षणा करने वाले अन्य देशों के नाम क्या है; और

(घ) तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग द्वारा किये जाने वाले इस सर्वेक्षण पर कितनी धनराशी खर्च होने की संभावना है, और सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार नार्वे, जर्मन संघीय गणराज्य, सोवियत संघ, फ्रांस, आस्ट्रेलिया तथा जापान ने विभिन्न प्रयोजनों के लिये दक्षिण-ध्रुव में सर्वेक्षण कार्य किये हैं।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बायो-गैस कार्यक्रम

2704. **श्री हरिहर सोरन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायो-गैस कार्यक्रम, जो 20-सूत्री कार्यक्रम का एक अंग है, एक "राष्ट्रीय परियोजना" के रूप में चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो कब से और बायो-गैस कार्यक्रम का छठी योजना का लक्ष्य (राज्य-वार) कितना है;

(ग) विभिन्न राज्यों में बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना के संबंध में अब तक की उपलब्धि क्या है; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री(श्री पी० शिव शंकर) (क) जी : हाँ ।

(ख) से (घ) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अनुसार छठी योजना के लिये केवल नवम्बर, 1981 में 400,000 बायो-गैस संयंत्रों का लक्ष्य स्वीकृत हुआ था । अस्थायी तौर से उस स्तर पर लिये गये राज्यवार लक्ष्य बाद में वार्षिक आधार पर स्थायी बन गये । उनकी राज्यवार एवं उपलब्धि के साथ-साथ लक्ष्य सहित एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बायो-गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अधीन राज्यवार एवं वर्षवार उपलब्धि के साथ-साथ लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य/कें० प्र० प्रदेश	(1981-82)		(1982-83)		(1983-84)	(जनवरी, 1984 तक)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,000	515	5,000	3324	6,000	3612
2.	असम	70	23	200	180	200	50
3.	बिहार	2,400	2064	6,000	5312	9,500	3927
4.	गुजरात	3,000	1807	6,700	5217	8,000	3966
5.	हरियाणा	700	47	2,500	2259	2,500	1721
6.	हिमाचल प्रदेश	2	10	15	270	300	629
7.	जम्मू और कश्मीर	100	3	200	2	100	61
8.	कर्नाटक	3,500	1282	5,000	3037	5,500	5164
9	केरल	500	262	2,500	392	1,000	611
10.	महाराष्ट्र	3,000	3061	7,000	8615	10,000	6596
11.	मध्य प्रदेश	2,000	468	7,000	5154	7,000	3963

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	उड़ीसा	1,000	280	3,000	1,152	2,000	750
13.	पंजाब	700	505	2,500	1,082	2,500	963
14.	राजस्थान	2,000	1,220	5,000	2,404	3,000	2,012
15.	तमिलनाडु	3,500	1,275	5,000	5,005	6,000	5,872
16.	त्रिपुरा	47	4	100	6	10	—
17.	उत्तर प्रदेश	10,000	12,188	14,000	12,502	12,000	8074
18.	पश्चिमी बंगाल	400	274	3,000	1,315	2,000	922
19.	गोआ	20	46	100	109	200	162
20.	पांडिचेरी	10	10	100	87	100	53
21.	अन्य राज्य/के० प्र० प्रदेश	51	25	80	74	90	37
	योग	35,000	25,369	75,000	57,498	75,000	49,145

केरल में कैपरोलेक्टम संयंत्र की स्थापना

2705. **श्री वी० एस० विजय राघवन**
श्री पी० जे०कुरियन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक कैपरोलेक्टम संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस स यंत्र का कुल परिव्यय क्या है और इसकी वर्षिक क्षमता कितनी होगी; और

(घ) यह कब तक पूरा हो जायेगा।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क जी हाँ।

(ख) प्रायोजना की अनुमनि लागत : लगभग 148 करोड़

संयंत्र की क्षमता. : 50,000 मी० टन प्रति वर्ष

(ग) लगभग चार वर्षों में।

खाड़ी देशों के लिए नर्सों आदि की भर्ती पर रोक

2706. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी देशों में काम करने के लिये नर्सों और अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों की भर्ती पर नये प्रतिबन्ध लगा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिबन्ध किस किस्म के हैं;

(ग) क्या इन प्रतिबन्धों से उन्नत देशों में रोजगार प्राप्त करने के अवसर बहुत कम हैं; ओर

(घ) क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी उपक्रमों द्वारा प्रतिबंधित औषधों का उत्पादन

2707. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 1981 में प्रतिबंधित की गई औषधों का उत्पादन और बिक्री करते हैं; और

(ख) क्षय-रोग निरोधी औषधों के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के औषध उपक्रमों ने सूचित किया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 1981 में प्रतिबन्धित किसी भी औषध का उनके द्वारा निर्माण अथवा विक्रय नहीं किया जा रहा है।

(ख) स्ट्रेप्टोमाइसिन, आई०एन०एच०, पी०ए०एस०, पाइराजिनामाइड और थियासिटाजोन जैसी क्षय-रोग निरोधी बल्क औषधों का देश में पहले से ही निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने रिफेम्पिसिन बल्क औषध के निर्माण के लिए सात औद्योगिक अनुमोदन भी जारी किए हैं। सरकार की नीति के मानदण्डों से अनुरूप पाए गए विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया गया था।

पोलियेस्टर स्टेपल फाइबर उद्योग के समक्ष विपणन की समस्या

2708. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलियेस्टर स्टेपल फाइबर उद्योग को इस समय विपणन की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) क्या यह समस्या सिन्थेटिक कपड़े का भारी मात्रा में आयात किये जाने के कारण पैदा हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग राज्य में मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

थीन बांध परियोजना

2709. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थीन पन-बिजली-परियोजना (रावी नदी पर) बांध, जिसके द्वारा जम्मू तथा कश्मीर

में रावी सिंचाई योजना को काफी पानी दिया जायेगा तथा राज्य में हरित क्रांति आयेगी, के निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केन्द्र के बीच हुए समझौते के अनुसार राज्य को जल की कितनी मात्रा के दिए जाने की संभावना है; और

(ग) परियोजना के कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) थीन जल विद्युत परियोजना पर कार्य में विलम्ब मुख्य रूप से राज्य सरकार के पास निधियों की कठिनाई के कारण हो रहा है।

(ख) विभाजन से पूर्व इसके 0.04 मिलियन एकड़ फुट के उपयोग के अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर राज्य को रावी-व्यास के फालतू जल का 0.65 मिलियन एकड़ फुट स्थाई भाग आबंटित किया गया है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 1983-84 के वार्षिक योजना प्रस्ताव के अनुसार थीन बांध 1989-90 में पूरा करने का कार्यक्रम है।

जनवरी, 1983 से जनवरी 1984 तक महाराष्ट्र को मिट्टी के तेल और डीजल का मासिक आबंटन

2710. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी, 1983 से जनवरी, 1984 तक प्रत्येक महीने के लिए केन्द्रिय सरकार से कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल और डीजल के आबंटन की मांग की थी;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक महीने में महाराष्ट्र सरकार को उपर्युक्त वस्तुओं का कितना कोटा आबंटित किया; और

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक महीने के दौरान वास्तव में कितना उपर्युक्त वस्तुओं की कितनी मात्रा उठाई ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) तदर्थ अनुरोधों के अलावा, किसी विशिष्ठ मासिक आबंटन के लिए कोई अनुरोध नहीं है। तथापि राज्यों और क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकताएं, उनके विगत के आवंटनों/बिक्री तथा उस पर 5 प्रतिशत की वृद्धि-दर के आधार पर निर्धारित की जाती है और उसी के अनुसार आवंटन किये जाते हैं। नियमित आबंटनों के अतिरिक्त तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की कमी, बाढ़ों, आदि जैसी विशेष परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जब उचित समझा जाता है, तदर्थ आबंटन भी किए जाते हैं।

हाई स्पीड डीजल तेल (एच०एस०डी०) के आबंटन केवल विभिन्न स्थानों को उत्पाद भेजे जाने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से किये जाते हैं। एच०एस०डी० की बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और मांग को पूरा किया जा रहा है।

जनवरी, 1983 से जनवरी, 1984 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र को मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल तेल के महीने-वार आवंटन तथा बिक्री दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

जनवरी, 1983 से जनवरी, 1984 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य को मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल तेल के मासिक आबंटन तथा बिक्री दर्शाने वाला विवरण

आंकड़े मी० टनों में

माह/वर्ष	मिट्टी का तेल			हाई स्पीड डीजल तेल	
	आवंटन	तदर्थ आधार पर जारी	बिक्री	आवंटन	बिक्री
जनवरी, 83	83250	—	83093	138200	115558
फरवरी, 83	83520	—	76965	129000	113321
मार्च, 83	78100	—	74879	140100	136329
अप्रैल, 83	78100	2000	76609	130400	124938
मई, 83	78100	—	72608	138500	121946
जून, 83	78100	—	72156	123200	113225
जुलाई, 83	76700	—	75929	108050	94904
अगस्त, 83	81210	—	80710	99700	91403
सितम्बर, 83	81210	1556	82265	107050	92223
अक्तूबर, 83	81210	1000	82662	115000	104532
नवम्बर, 83	88000	—	87126	118000	117022
दिसम्बर, 83	88000	—	88121	136900	130222
जनवरी, 84	88000	—	88128	135800	126112

छठी योजना के दौरान उड़ीसा में बंधुआ मजदूरों का पता लगाया जाना और उनका पुनर्वास

2711. **श्री हरिहर सोरेन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनके पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्यों ने क्या उपाय किए हैं ;

(ख) उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उन राज्यों में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वियनाधीन हैं

(ग) छठी योजनावधि के दौरान अब तक उड़ीसा राज्य में कितने बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया है और उनका पुनर्वास किया है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म बीर) : (क) और (ख) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास का उत्तरदायित्व सम्पूर्णतः संबधित राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए अपनी वर्तमान एजेंसियों के द्वारा सामयिक सर्वेक्षण करती हैं और इसके पश्चात् बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती है। इस प्रयोजन हेतु, राज्य सरकारें, जिला और उप-मंडलीय स्तरों पर सतर्कता-समितियां पहले ही गठित कर चुकी हैं। गठित करने की कार्यवारी कर रही है। इन सतर्कता समितियों में बंधुआ श्रमिकों का पता लगाना और उन्हें मुक्त कराना तथा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास शामिल है.। राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे तुरन्त और कारगर कार्यवाही करें। वे अति संवेदनशील क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण भी करें ताकि बंधुआ श्रमिकों को जहां कहीं भी वे पाए-जाएं, शीघ्र मुक्त कराया जा सके और उनके पुनर्वास को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकारें एरिया विकास और पिछड़े वर्गों के विकास से संबंधित अपनी वर्तमान योजनाओं और 1978-79 से लागू केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत भी बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित कर रही हैं जिसके अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को बराबर-बराबर (50 : 50) के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बंधुवा श्रमिक के लिए 4,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक पुनर्वास सहायता देने की परिकल्पना की गई है, जिस में से आधी राशि केन्द्रीय हिस्से के रूप में दी जाती हैं। इस योजना में भूमि पर आधारित, गैर-भूमि (पशु-पालन) पर आधारित और कौशल/दस्तकारी पर आधारित योजना के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की व्यवस्था है, जो लाभानुभोगियों के कौशल, उनकी अभिरुचि और पसन्द पर निर्भर करता है। कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र द्वारा संचालित योजना का आई०आर०डी०पी०, एन०आर०ई०पी०, अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक प्लान और आदिवासी उप-प्लान

तथा राज्य सरकार की अन्य चालू योजनाओं के साथ समाकलन/सामंजस्य स्थापित किया है ताकि बंधुआ श्रमिकों का प्रभावी तथा स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके ।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार से प्राप्त रिपोटो के अनुसार, पहली जनवरी, 1980 से 15-2-1984 तक की अवधि के दौरान कुल 28,945 बंधुआ श्रमिकों का पता लगाया गया और उन्हें मुक्त कराया गया । इनमें से इस अवधि के दौरान 16,984 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया है । जिन जिलों में इन बंधुआ श्रमिकों का पता लगाया गया है, और उन्हें पुनर्वासित किया गया है, वे कोरापुट कालाहांडी, फूलबानी, गंजम, मयूरभंज, कटक, पुरी, सुन्दरगढ़, बोलनगीर, बालासोर, धेनकाल, क्योन्झार और सम्बलपुर हैं । उड़ीसा सरकार बंधुआ श्रमिकों को मुख्यतः राज्य के "ग्रामीण निर्धनों का आर्थिक पुनर्वास" (ई०आर०आर०पी०) नामक कार्यक्रम के विभिन्न खण्डीय कार्यक्रमों के अंतर्गत भूमिपर आधारित, मछली पालन और गैर कृषि रोजगार योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वासित कर रही है ।

औषधियों का उत्पादन करने के लिए भारत द्वारा मैसर्स चेमकानप्लवस ट्रेडिंग कंपनी से मांगी गई सहायता

2712. **श्री रेणु पद दास :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत हंगरी आर्थिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता संयुक्त आयोग की बैठकों के दौरान हंगरी की सरकार से यह पता किया है कि मैसर्स वेमकोन-प्लक्स ट्रेडिंग कंपनी, बुडापेस्ट, क्लोरामफेनीकोल के अतिरिक्त कलकत्ता के डे०सी० चेम संयंत्र में कुछ उपयोगी औषधियों को तैयार करने में प्रौद्योगिकी सहायता की पेशकश करने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) मैसर्स डे०सी० चेम के कलकत्ता संयंत्र में क्लोरमफेनीकोल के अतिरिक्त उपयुक्त औषधं उत्पादित करने के लिए हंगरी द्वारा प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने के प्रश्न को भारत हंगरी संयुक्त आयोग की बुडापेस्ट में नवम्बर, 1982 में हुई बैठक में उठाया गया था । नवम्बर,1983 में इस मामले पर मैसर्स मोडिम-पेक्स, हंगरी के साथ और विचार-विमर्श किया गया । हंगरी की ओर से आगे की प्रतिक्रिया की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

हल्दिया पेट्रो-परियोजना प्राधिकारियों के साथ चर्चा

2713. **प्रो. रूप चन्द पाल :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया पेट्रो-परियोजना प्राधिकारियों से अन्य बातों के साथ-साथ

परियोजना के उत्पाद मिश्रण के संबंध में कोई बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि कोई बातचीत नहीं हुई है तो क्या सरकार का विचार परियोजना प्राधिकारियों से बातचीत करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) एक संशोधित सम्भाव्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करना

2714. **श्री अमर रायप्रधान**
श्री राम प्यारे पनिका
श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में संसद के आगामी साधारण निर्वाचनों के दौरान मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले साधारण निर्वाचनों में कुछ राज्यों में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र दिए गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या परिणाम निकले ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम सिक्किम, नागालैंड राज्यों और मेघालय राज्य के कुछ निर्वाचक-क्षेत्रों में लागू की गई थी।

निर्वाचक आयोग ने सूचित किया है कि उसके द्वारा भेजे गए अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने विनिश्चय किया है कि अभी हम स्कीम को अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तब तक लागू न किया जाए जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि मेघा-

लय, नागालैण्ड और सिक्किम में इसे पूरी तरह लागू करने के लिए उठाए गए कदमों से समाधान-प्रद परिणाम प्राप्त होंगे। आयोग के अनुसार कई बातें जैसे व्यावहारिक और प्रशासनिक कठिनाइयाँ, पर्याप्त रूप से लागू करने में असफलता, कार्यान्वियन का प्रतिषेधात्मक खर्च, निर्वाचकों की उदासीनता ऐसी बातें हैं जिनका इस विनिश्चय पर पहुंचने में प्रभाव पड़ा है।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि

2715. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के मूल्य में की गई वृद्धि का रेलवे, विद्युत तथा इस्पात उद्योग, जैसे अनेक सार्वजानिक उपक्रमों पर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कोयले की कीमतों में 8-1-1984 से हाल ही में किए गए संशोधन के कारण रेलवे, बिजली, इस्पात जैसे प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा। रेलवे, बिजली और इस्पात पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान निम्नलिखित है :

उद्योग	कुल लागत के प्रतिशत के रूप में भार
रेलवे	1.86%
इस्पात	3.5%
बिजली	1.5% से 1.7%

(ग) कोयले की कीमतों में हाल ही में किया गया संशोधन पर विचार करते समय प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों पर और संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसके भार को ध्यान में रखा गया था।

मल्टी विटामिन का मूल्य नियत करना

2716. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मल्टी विटामिन के मूल्यों के बारे में कितनी कम्पनियां न्यायालय में गई हैं; और

(ख) इस मामले में न्यायालय में क्या निर्णय लिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) मल्टिविटामिन मूल्यों के विषय पर छः औषध उत्पादक कंपनियों ने न्यायालयों में मामले दायर किए। तीन कम्पनियों के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिए हैं जिनके अन्तर्गत संबंधित कम्पनियों से कहा गया कि वे निर्णय

देने से एक महीने की अवधि के अन्दर सभी वास्तविक तथ्य सरकार के समक्ष रखें और सरकार को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि कम्पनियों को सुनवाई प्रदान करने के बाद नए आदेश जारी करें। शेष तीन कम्पनियों के मामले में, अन्तरिम स्थगन स्वीकृत किए गए हैं परन्तु निर्णय अभी दिए जाने हैं।

मल्टी विटामिन उत्पादकों का अधिक मूल्य

2717. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का विचार न्यायालयों द्वारा दिए गए प्रतिकूल निर्णय को ध्यान में रखकर मल्टी-विटामिन उत्पादों के मूल्यों के बारे में पुनर्विचार करने और इन उत्पादों का मूल्य बढ़ाने की अनुमति देने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : न्यायालय ने मल्टिविटामिन फार्मूलेशनों के "मार्क-अप" के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं दिया है। केवल उन मामलों को छोड़कर जिन में उत्पादकों की लाभप्रदता के आधार पर उच्चतर "मार्क-अप" प्रदान करना उचित है, मल्टिविटामिन तथा अन्य बहु-संघटक फार्मूलेशनों के कारखाने से बाहर लागत पर उच्चतर "मार्क-अप" स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तपेदिक निवारक तथा कुष्ठ निरोधी औषधियों के मूल्यों में कटौती की माँग।

2718 **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री नित्यानन्द मिश्र } : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने प्रमुख तपेदिक निवारक तथा कुष्ठ निरोधी औषधियों के मूल्यों में कटौती की है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितने प्रतिशत कटौती की गई है; और

(ख) क्या कैंसर, मस्तिष्क फोड़ा आदि अन्य अचानक बीमारियों की अन्य प्रमुख औषधियों के मूल्यों में भी कमी का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) रिफैम्पीसिन पर आधारित क्षय-रोग निवारक और कुष्ठ निरोधी महत्वपूर्ण फार्मुलेशनों के मूल्यों में दिनाक 13 फरवरी, 1984 से कमी की गई है। अग्रलिखित तालिका में रिफेम्पिसिन फार्मूलेशनों के विभिन्न लीडर पैकों के पहले के मूल्य और संशोधित मूल्य तथा कमी की प्रतिशतता दर्शाई गई है।

क्रम० सं०	शक्ति सहित फार्मुलेशन का नाम	पैक आकार	विषमान मूल्य	संशोधित मूल्य	प्रतिशत कमी
1.	रिफैम्पीसिन कैप 150 मिग्रा/कैप	4 का पैक	5.84	4.98	14.72
2.	—वही—	12 का पैक	15.34	12.76	16.82
3.	रिफैम्पिसिन कैप्स 150 मिग्रा/कैप	100 का डब्बा	121.14	96.68	17.71
4.	—वही— 300 मिग्रा	4 का डब्बा	10.00	8.28	18.98
5.	—वही—	100 का डब्बा	226.02	183·10	18.98
6.	—वही— 450 मिग्रा	3 का पैक	10·10	8.16	19.20

(ग) सरकार उपभोक्ताओं को उचित और तर्कसंगत मूल्यों पर दवाईयाँ उपलब्ध करने के लिए वचनबद्ध है। मूल्यों में कमी तभी की जा सकती है जब यह आयातों की अवतरित लागत अथवा स्वदेशी उत्पादन के सम्बन्ध में लागत अध्ययन के आधार पर न्यायसंगत हो।

नई औषध नीति

2720. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री मोहन टुडु : } : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के लिए नई औषध नीति की घोषणा करने पर विचार कर रही है; और

(ख) इसके कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है तथा उक्त नीति की क्या मुख्य बातें हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध और भेसज विकास परिषद (एन०डी०पी०डी०सी०) इस समय 1978 की औषध नीति के प्रावधानों की पुनरीक्षा कर रही है। सरकार एन०डी०पी०डी०सी० की सिफारिशें प्राप्त हो जाने और उन पर विचार करने के पश्चात ही उक्त नीति में आवश्यक परिवर्तनों, यदि कोई हो, की घोषना करने का विचार रखती है। यह अगले कुछ महीनों में किए जाने की आशा है।

छोटे उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

2721. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने छोटे उर्वरक संयंत्र हैं और इन एककों का उर्वरक का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) देश में छोटे संयंत्र स्थापित करने में लगभग कितनी धनराशि खर्च होती है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होती है;

(ग) छोटे संयंत्र स्थापित करने के लिए कितने आवेदन पत्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) देश में उर्वरक की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में और अधिक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में सरकार के 1984-85 की नीति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) यह समझा जाता है कि लघु अमोनिया संयंत्रों का हवाला दिया गया है।

कुछ पुराने लघु अमोनिया संयंत्र इन्नौर, उद्योग मण्डल और वाराणसी में चालू हैं। 1982-83 में उनका कुल उत्पादन 41,000 टन नाइट्रोजन था। ऐसे लघु संयंत्रों की स्थापना करने के लिए सरकार के पास कोई भी आवेदन पत्र लम्बित नहीं है। अलाभप्रद आकार के कारण ऐसे अमोनिया संयंत्रों पर कोई विचार करने का भी प्रस्ताव नहीं है। इसलिए नए लघु उर्वरक संयंत्रों की लागत, क्षमता और उत्पादन का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उर्वरकों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि इस समय पर्याप्त अतिरिक्त उर्वरक क्षमता की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त, गैस पर आधारित 6 नए उर्वरक संयंत्रों पर 1984-85 से आगे चरणबद्ध तरीके से कार्य प्रारम्भ होना निर्धारित है। इन संयंत्रों में से एक-एक संयंत्र सार्वजनिक, सहकारी और राज्य-सहायता प्राप्त क्षेत्र में तथा तीन गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे।

बल्क औषधों तथा फार्मुलेशन के कम क्षमता उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किया गया अध्ययन

2722. **श्री एन० के० शेजवलकर**
श्री फूल चन्द्र वर्मा
: क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए *अध्ययन* के अनुसार बल्क औषधों तथा फार्मूलेशनों दोनों के मामले में क्षमता का कम उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्षमताओं का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां। तथापि, क्षमता उपयोगिता पर एन. सी. ए. ई. आर. के अध्ययन व्यापक नहीं हैं और 54 बल्क औषधों तथा देश में चुनिंदा कम्पनियों द्वारा निर्मित फार्मूलेशनों तक ही सीमित हैं।

(ख) औषध उद्योग में क्षमता उपयोग, मांग, औषधों का पुरानापन, औषध के मूल्यों, औद्योगिक सम्बन्धों आदि जैसे अनेक पहलुओं पर निर्भर करता है। इन अनिवार्य पहलुओं की राष्ट्रीय औषध विकास परिषद् द्वारा जांच की जा रही है। सरकार पहले ही कई उपाय कर चुकी है जैसे कि

1. आयात नीति में खामियों को दूर करना।
2. बल्क औषधों और फार्मूलेशनों की मूल्य निर्धारण पद्धति को व्यवहार्य सीमा तक सुव्यवस्थित करना।
3. सुधरी हुई प्रौद्योगिकी का प्रारम्भ करने के लिए अनुमोदन देना।
4. चूनिदा मामलों में मध्यवर्तियों पर सीमा शुल्क में परिवर्तन।

राष्ट्रीय औषध विकास परिषद् की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो सरकार नीति में और परिवर्तन करने पर विचार करेगी।

अनावश्यक औषधियों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु अधिक लाभांतर देना (हाई मार्क अप)

2723. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के अन्तर्गत अत्यावश्यक औषधियों के लिए अनुमानतः लाभांतर नेशनल काउन्सिल फार एप्लाईड इकानामिक रिसर्च द्वारा आंकलित लाभ-हानि रहित स्तर के लिए लाभांतर से भी काफी कम है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार अत्यावश्यक औषधियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाभांतर में और वृद्धि करने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) श्रेणी I और II में

निर्दिष्ट फार्मूलेशनों पर कारखानों से बाहर लागत पर क्रमश: 40 प्रतिशत और 55 प्रतिशत मार्क अप की अनुमति है जो कि एन०सी०ए०ई०आर० द्वारा अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिए गए 62 प्रतिशत के ब्रेक इवन मार्क अप से कम है। श्रेणी III के फार्मूलेशनों पर 100 प्रतिशत तक मार्क अप की अनुमति है और शेष फार्मूलेशनों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। इसलिए समग्र आधार पर मार्क अप निर्माताओं के उत्पाद मिश्रण पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद् द्वारा गठित कार्यकारी दल ने मार्क अप के सुव्यवस्थीकरण के लिए कुछ सुझाव दिए हैं और इन सुझावों पर अब राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

दिल्ली स्वर्णकार द्वारा भेजे गये सोने का रास्ते में गायब होना

2724. **श्री एन० के० होरो**
श्री निहाल सिंह } : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1984 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली के स्वर्णकारों तथा जौहरियों द्वारा आभूषण बनाने के लिए डाक-घरों के जरिए देश के विभिन्न भागों में भेजा जाने वाला सोना रास्ते में ही गायब हो जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) कुल मिलाकर 1982 में ऐसे 15 मामले ध्यान में आए हैं।

(ग) इन मामलों की पुलिस केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच की जा रही है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं।

चम्पावत जिला पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश के टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यकरण

2725. **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के चम्पावत, जिला पिथौरागढ़ में हाल ही में खोला गया टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इस एक्सचेंज पर कुल कितनी एस० टी० सी० कालें बुक की गईं और कितनी कालें मिल पाईं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का

विचार है जितनी कालें बुक कराई जायें वे मिल जायें; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) बुक की गई एस० टी० डी० (ट्रंक) कालों और एस० टी० डी० (ट्रंक) कालें मिल गई, उनका विवरण नीचे दिया गया है :

माह	बुक की गई कालों की संख्या	मिलने वाली कालों की संख्या
अगस्त, 83	150	134
सितम्बर, 83	75	63
अक्तूबर, 83	153	118
नवम्बर, 83	123	117
दिसम्बर, 83	200	156
जनवरी, 84	134	126

(ग) जी नहीं, क्योंकि प्रणाली संतोषजनक रूप कार्य कर रही है और यह निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में एक टी० वी०
केन्द्र स्थापित करना

2726. **श्री हरीश रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि चीन का विचार भारत सीमा की से लगे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान पर एक टी० वी० टावर केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी मालूम है कि उपरोक्त प्रस्ताविक स्थान उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ के सीमावर्ती जिले से लगे सीमा क्षेत्र में है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उनका मंत्रालय विदेशी प्रचार का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की दृष्टि से इस सीमावर्ती जिले में भी एक टी० वी० रिले सेंटर खोलना जरूरी मानता है; और

(घ) यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक खोला जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह केन्द्र स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं और क्या राष्ट्रीय

हित को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में उपचरात्मक उपाय किए जाना आवश्यक नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। सरकार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने की आवश्यकता से सजग है। पिथौरागढ़ जिले में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के बारे से विचार किया जा रहा है।

रिहन्द बांध का विलम्ब से पूर्ण होना

2727. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह**
श्री मोतीभाई आर० चौधरी
श्री भीम सिंह
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिहन्द बांध का निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण होने का कारण "नादर्न इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज" और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच असामंजस्य था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके कारण कितनी वित्तीय हानि हुई; और

(ग) इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम रहे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि० यू०के० की सहायता से रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण का कार्यान्वियन कर रहा है। परियोजना का पहला चरण 1988 में पूरा करने का कार्यक्रम है। उपस्कर की सप्लाई और उत्थापन के लिए प्रमुख ठेकेदार यू० के० के मैसर्ज नार्दर्न इन्जीनियरी इंडस्ट्रीज है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और मैसर्ज नार्दर्न इन्जीनियरी इण्डस्ट्रीज के बीच इस प्रयोजन हेतु एक ठेके पर हस्ताक्षर सितम्बर, 1982 में किए गए थे। नार्दर्न इन्जीनियरी इण्डस्ट्रीज द्वारा डिजाइनों और ड्राइंगों के प्रस्तुत करने में प्रारम्भ में विलम्ब हुआ था। इसलिए, इन मामलों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और नार्दर्न इन्जीनियरी इण्डस्ट्रीज शेष बचे मामलों को सहयोग के साथ अन्तिम रूप देने पर सहमत हो गए हैं ताकि परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल का कम मापा जाना

2728. **श्री के. लकप्पा**
श्री धर्मदास शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि अधिकांश पेट्रोल पम्पों पर उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जाने वाला पेट्रोल कम मापने का आरोप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कारण कितने पेट्रोल पम्पों के लाइसेंस रद्द कर दिये गए हैं; और

(घ) सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। तेल कम्पनी के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से निरीक्षण किए जाने के दौरान, यह देखा गया है कि कुछ पेट्रोल पम्प, पेट्रोल और डीजल की कम मात्रा दे रहे हैं। अप्रैल से दिसम्बर, 1983 की अवधि के दौरान, लगभग 120 ऐसे मामलों का पता चला है। विपणन अनुशासन मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार, इन पम्पों को सप्लाई 15 दिनों के लिए रोक दी गई है और बाट और माप विभाग को दोषों को दूर करने का अनुरोध भी किया गया है।

(ग) इस कारण किसी पेट्रोल पम्प की डीलर शिप को रद्द नहीं किया गया है।

(घ) बाट और माप विभागों को पेट्रोल पम्पों में सप्लाई करने की इकाइयों के व्यासमापनों की समय-समय पर जांच करने के लिए अनुरोध किया गया है। तेल कंपनियों द्वारा भी कड़ी सतर्कता बरती जा रही है।

बिहार में खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मंजूरी अधिनियम का उल्लंघन करने के मामलों का निपटान

2729. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में, खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मंजूरी अधिनियम का उल्लंघन करने के विरुद्ध जिलावार कुल कितने मामले दायर किए गए और कितनों का निपटान किया गया;

(ख) क्या मधुबनी जिले के खाजोली, बेकुईवपट्टी और जय नगर और अन्य खण्डों के निपटाये गए कई मामलों को अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए किसी की जिम्मेदारी निश्चित की गयी है और तदनुरूप कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) यह मामला बिहार सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही हैं और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन की ओर से ज्ञापन

2730. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन (गैर-सरकारी कामगार यूनिट) दिल्ली की ओर से दिनांक 26 दिसम्बर, 1983 का ज्ञापन मिला है;

(ख) क्या श्रम कानूनों आदि के अन्तर्गत सुरक्षा की माँग करते हुए कामगार 3 दिसम्बर, 1983 से धरने पर बैठे थे; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां, पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन (गैर-सरकारी कामगार यूनिट, दिल्ली से दिनांक 26 दिसम्बर, 1983 का एक मुद्रित ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) यह पता चला है कि गैर-सरकारी डीलरों/ एजेंटों तथा पेट्रोलियम उत्पादकों के गैर-सरकारी परिवहन ठेकेदारों द्वारा लगाये गये श्रमिक 3 दिसम्बर, 1983 से श्रम कानूनों के अन्तर्गत सुरक्षा दिये जाने की मांग के लिए आन्दोलन/धरने पर थे;

(ग) क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों के एजेंटों/डीलरों तथा परिवहन ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाये गये कामगार, जो अन्य ग्राहकों के लिए भी कार्य करते हैं, तेल कम्पनियों के कर्मचारी नहीं हैं बल्कि वे गैर सरकारी कामगार हैं, इसलिए तेल कम्पनियों द्वारा उनकी शिकायतें दूर करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। फिर भी दिल्ली प्रशासन को इस समस्या की जानकारी है।

गैस एजेंसी मालिक संघ और गैस सिलेंडर उपक्रमों के बीच समझौता

2731. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैस एजेंसी मालिक संघ और गैस सिलेंडर उपक्रमों के बीच इस आशय का समझौता हुआ है कि उपभोक्ता गैस सिलेंडरों को स्वयं अपने घर ले जायेंगे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपभोक्ता के लिए गैस सिलेंडर को उठा कर ले जाना और स्वयं चूल्हे के साथ जोड़ना खतरनाक है; और

(ग) यदि हां, तो सुरक्षा की दृष्टि से इस नयी प्रणाली के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं। तथापि, तेल उद्योग द्वारा कुछ वितरकों के माध्यम से कुछ बाज़ारों में "भुगतान करो और ले जाओ" की एक पद्धति शुरु की गई है, जिसके अन्तर्गत ग्राहक को डीलर के गोदाम से सिलेंडर लेने/एकत्र करने की स्वतंत्रता होती है और उसे मूल्य में एक रुपये की छूट दी जाती है।

(ख) जी नहीं; यदि उपभोक्ता निर्धारित सुरक्षा संबंधी आवश्यकता का ध्यान रखता है।

(ग) इस योजना के सुरक्षा पहलू सहित सभी पहलूओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जा रहा है।

उर्दू सेवा के विस्तार हेतु कदम

2732. **श्री जैनुल बशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के किन-किन केन्द्रों पर उर्दू सेवा के लिए समय आबंटित किया है;

(ख) उर्दू सेवा के लिए इस प्रकार के प्रत्येक केन्द्र पर कितना समय नियत किया गया है; और

(ग) उर्दू सेवा के और विस्तार के लिए क्या कदम उठाये जाते का विचार है ?

सूचना और प्रसारण उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) **आकाशवाणी :**

आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से उर्दू में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आवर्ती और अवधि के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उर्दू के इन विशिष्ट कार्यक्रमों के अलावा, ऐसे भी बहुत से अन्य कार्यक्रम होंगे जिनमें सेवा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार उर्दू, हिन्दुस्तानी या सरल हिन्दी का प्रयोग किया जाता है और जो उर्दू भाषी लोगों द्वारा समझे जाते होंगे। इस प्रकार का ब्यौरा संकलित किए जाने योग्य नहीं है।

दूरदर्शन :

दूरदर्शन केन्द्र एकल चैनल पर काम करते हैं। प्रेषण समय भी सीमित है। इसलिए, दूरदर्शन केन्द्र प्रत्येक केन्द्र के सेवा क्षेत्र की प्रमुख भाषा में कार्यक्रम टेलीकास्ट करते हैं और प्रत्येक केन्द्र की इस प्रकार की भाषा से भिन्न भाषाओं के विशिष्ट अवधि के कार्यक्रमों को स्थान देने की न

तो गुंजाइश है और न ही समय । तथापि दूरदर्शन केन्द्र श्रोताओं की रूचि, प्रेषण समय और अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रतिभा की उपलब्धता के अनुसार, अन्य भाषाओं के कार्यक्रमों को समय-समय पर स्थान देने का प्रयास करते हैं । यद्यपि कोई नियत आबर्ती नहीं है, फिर भी लगभग सभी दूरदर्शन केन्द्र उर्दू में कुछ कार्यक्रम अवश्य टेलीकास्ट करते हैं ।

(ग) **आकाशवाणी :**

विदेश सेवाओं में उर्दू सेवा, जो व्यापक रूप से सुनी जाती है के अलावा, उर्दू में इस समय आकाशवाणी के 40 केन्द्रों से प्रसारित कार्यक्रमों को पर्याप्त समझा जाता है । और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दूरदर्शन :

एकल चैनल और प्रेषण के लिए उपलब्ध सीमित समय को देखते हुए, उर्दू के टेलीकास्ट में और वृद्धि करने की इस समय कोई गुंजाइश नहीं है ।

विवरण

आकाशवाणी केन्द्रों से उर्दू में नियमित रूप से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण

तीन प्रेषणों में विभाजित उर्दू में प्रतिदिन 12 घंटे 15 मिनट की सेवा उच्च शक्ति वाले मीडियम वेव और शार्ट वेव ट्रांसमीटरों पर प्रसारित की जाती है । इस सेवा के सीमा पार पर्याप्त श्रोता हैं और यह पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और कुछ हद तक मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के राज्यों में काफी श्रोताओं की आवश्यकताओं को भी पर्याप्त रूप से पूरा कर रही है ।

उपरोक्त के अलावा, विभिन्न राज्यों में स्थित आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से उर्दू के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं । इनका ब्यौरा निम्नवत है :

दिल्ली : उर्दू में 40 मिनट का कार्यक्रम (उर्दू मजलिस) हर रोज मूल रूप से प्रसारित करता है ।

: 5 मिनट के ("तबसरा") सहित उर्दू में तीन केन्द्रीय समाचार बुलेटिन मूल रूप से प्रसारित करता है ।

उत्तर प्रदेश :

लखनऊ : हर रोज 20 मिनट का कार्यक्रम मूल रूप से प्रसारित करता है । हर रोज 5 मिनट का प्रादेशिक बुलेटिन मूल रूप से प्रसारित करता है ।

: प्रात: 8.50 बजे और रात्रि 9.15 बजे के केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है ।

इलाहाबाद	:	यह हर रोज लखनऊ से प्रसारित होने वाले 20 मिनट के कार्यक्रमों को रिले करता है और पखवाड़े में एक बार इन कार्यक्रमों में से एक को मूल रूप से प्रसारित करता है।
	:	प्रातः 8.50 बजे और रात्रि 9.15 बजे के केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है।
वाराणसी	:	हर रोज लखनऊ से प्रसारित होने वाले 20 मिनट के कार्यक्रम को रिले करता है।
	:	लखनऊ से प्रसारित होने वाला प्रादेशिक बुलेटिन रिले करता है।
	:	प्रातः 8.15 बजे और रात्रि 9.15 बजे के केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है।
गोरखपुर	:	यह शुक्रवार को छोड़कर शेष सभी दिन लखनऊ से प्रसारित होने वाले 20 मिनट के कार्यक्रम को रिले करता है। शुक्रवार को 20 मिनट का कार्यक्रम मूल रूप से प्रसारित करता है। इसके अलावा, महीने में एक बार 30 मिनट का साहित्यक पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित करता है।
	:	प्रातः 8.50 बजे और रात्रि 9.15 बजे के केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है।
रामपुर	:	यह शुक्रवार को छोड़कर शेष सभी दिन लखनऊ से प्रसारित होने वाले 20 मिनट के कार्यक्रम को रिले करता है।
	:	शुक्रवार को 20 मिनट का कार्यक्रम मूल रूप से प्रसारित करता है। इसके अलावा, 15 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम मूल रूप से प्रसारित करता है।
	:	लखनऊ से प्रसारित होने वाला प्रादेशिक बुलेटिन रिले करता है।
	:	प्रातः 8.50 बजे तथा रात्रि 9.15 बजे के केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है।
मथुरा	:	प्रति मास औसतन 30 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करता है।
बिहार		
पटना	:	हर रोज उर्दू में 55 मिनट का कार्यक्रम मूल रूप से प्रसारित करता है।

: प्रातः 8.50 बजे तथा रात्रि 9.15 बजे के केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है।

दरभंगा : यह हर रोज पटना से प्रसारित होने वाले 55 मिनट के कार्यक्रम को रिले करता है।

: प्रातः 8.50 बजे तथा रात्रि 9.15 बजे के केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है।

भागलपुर : प्रातः 8.50 बजे तथा रात्रि 9.15 बजे के केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है।

रांची : रात्रि 9.15 बजे का केन्द्रीय बुलेटिन रिले करता है।

कर्नाटक :

बंगलौर : हर सप्ताह 30 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसके अलावा, उर्दू पाठ प्रसारित करता है।

धारवाड़ : गुलबर्गा के साथ वैकल्पिक रूप से आधे घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम मूल रूप से प्रसारित करता है।

गुलबर्गा : धारवाड़ के साथ वैकल्पिक रूप से आधे घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम मूल रूप से प्रसारित करता है। ये एक दूसरे के कार्यक्रम रिले करते हैं।

मैसूर और भद्रावती : सप्ताह में बंगलौर से प्रसारित होने वाला 30 मिनट का कार्यक्रम तथा उर्दू पाठ रिले करता है।

महाराष्ट्र :

बम्बई : हर रोज 30 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करता है।

औरंगाबाद : हर रोज 30 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करता है। अपराह्न 1.50 बजे तथा रात्रि 9.15 बजे के केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है।

परभनी : अपराह्न 1.50 बजे तथा रात्रि 9.15 बजे के केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है।

नागपुर : 30 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम।

पुणे : औसतन 10 मिनट का मासिक कार्यक्रम।

रत्नागिरी : औसतन 30 मिनट का मासिक कार्यक्रम प्रसारित करता है।

जम्मू व कश्मीर :

श्रीनगर : उर्दू में लगभग 2 घंटे के लिये रोजाना कार्यक्रम प्रसारित करता है। उर्दू में 3 प्रादेशिक बुलेटिन तथा 30 मिनट का धीमी गति वाला बुलेटिन मूल रूप से प्रसारित करता है।

: सभी तीनों केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है।

जम्मू : उर्दू में रोजाना 1 घंटा 45 मिनट की औसत अवधि के लिए नियमित कार्यक्रम प्रसारित करता है।

: श्रीनगर से सायं 7.45 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक बुलेटिन रिले करता है।

: प्रात: 8.50 बजे तथा रात्रि 9.25 बजे के केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है।

लेह : प्रात: 8.50 बजे, अपराह्न 1.50 बजे तथा रात्रि 9.15 बजे के केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है।

: श्रीनगर से सांय 7.45 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक बुलेटिन रिले करता है।

आन्ध्र प्रदेश :

हैदराबाद : रात्रि 9.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक एक घंटे की सेवा रोजाना प्रसारित करता हैं।

(इस चैनल में हिन्दी नाटकों तथा रूपकों के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को भी स्थान दिया जाता है।

: युववाणी सेवा में नियत बिन्दु आधार पर उर्दू कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाता है।

: औद्योगिक कर्मकारों, महिलाओं तथा बच्चों के लिए कार्यक्रम में उर्दू मदे भी प्रसारित की जाती है।

: 10 मिनट का प्रादेशिक बुलेटिन मूल रूप से प्रसारित करता है।

: सभी तीनों केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है।

विजयवाड़ा : 15 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करता है।

विशाखापतनम : मास में औसतन 15 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करता है।

गुजरात :

अहमदाबाद : 30 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करता है।

मध्य प्रदेश :

इन्दौर : 30+15 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करता है।

भोपाल : 30+15 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करता है।

: रात्रि 9.15 का केन्द्रीय बुलेटिन रिले करता है।

उदयपुर : मास में औसतन 30 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करता है।

पश्चिम बंगाल :

कलकत्ता : 30 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करता है।

पंजाब

जालन्धर : 20 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। दोपहर 1.50 बजे और रात्रि 9.15 बजे के केन्द्रीय बुलेटिनों को रिले करता है।

हिमाचल प्रदेश :

शिमला : मास में औसतन 150 मिनट के कार्यक्रम प्रसारित करता है। प्रातः 8.50 बजे का केन्द्रीय बुलेटिन रिले करता है।

राजस्थान :

जयपुर : 15 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम तथा तिमाही में मुशायरा प्रसारित करता है।

उदयपुर : 15 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम तथा तिमाही में मुशायरा प्रसारित करता है।

जोधपुर : 15 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम तथा तिमाही में मुशायरा प्रसारित करता है।

बीकानेर : मास में औसतन 80 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करता है।

हरियाणा

रोहतक : मास में औसतन 45 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सप्लाई किए गए कोयले की मात्रा और किस्म के संबंध में बी. सी. एल. को मिली शिकायतें

2733. **श्री ए. के. राय** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को सप्लाई किए गए कोयले की मात्रा और किस्म के संबंध में भारत कोकिंग कोल लि० को गत एक वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सप्लाई किए गए कोयले की मात्रा में कमी और किस्म में खराबी के लिए कोई कटौती की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के लिए तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इनमें से किसी मामले की कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में उद्योगों को बिजली की सप्लाई में कटौती

2734. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में उड़ीसा में उद्योगों को बिजली की सप्लाई में कटौती किये जाने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) से (ख) उड़ीसा में विद्युत की कमी है और राज्य प्राधिकारियों ने उद्योग समेत उपभोक्ताओं पर कटौतियां/प्रतिबंध लागू की हैं। उड़ीसा में विद्युत कमी का मुख्य कारण यह है कि तलचेर में ताप विद्युत केन्द्र को विद्युत उत्पादन करने में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जलग्रहण क्षेत्र में कमजोर मानसून होने के कारण जलाशय में जल का स्तर कम हो गया है जिसका कुप्रभाव राज्य में विद्युत उत्पादन पर भी पड़ा है।

तलचेर ताप विद्युत केन्द्र के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं। केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरण के इंजीनियरों के भ्रमणशील दलों ने विद्युत केन्द्र का दौरा किया है

ओर भेल द्वारा निर्मित 110 मेगावाट के यूनिटों में आशोधन करने के लिए एक कार्यवाही योजना तैयार की है। भेल के साथ पारस्पारिक कार्रवाई से इन यूनिटों के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है। तलचेर में जी० ई० द्वारा निर्मित चार आयातित यूनिटों की पुनः पुरी मरम्मत करने के लिए मुख्य सप्लाईकर्ताओं के परामर्श से एक कार्यवाही योजना भी तैयार की गई है। आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों का आयात करने के लिए भी प्रबंध किया जा रहा है।

तारों का वितरण

2735. **श्री मूल चन्द डागा : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारों के शीघ्र वितरण के लिए टेलीग्राफ सर्किटों का सीधे ही संप्रेषित करने के बजाए उन्हें वाहनों द्वारा स्थानीय तार-घरों में भेजे जाने के क्या कारण हैं;

(ख) अक्तूबर, 1983 से दिसम्बर, 1983 तक की अवधि में बम्बई कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, लखनऊ तथा जयपुर में स्थानीय टेलीग्राफ कार्यालयों को सन्देशवाहकों द्वारा कितनी तारें स्थानांतरण की गईं; और

(ग) तारों के सन्देशवाहक द्वारा स्थानांतरण को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जब भी किसी तार के टेलीप्रिंटर सर्किटों पर भेजने की बजाय हाथ से भेजने/हस्तांतरित करने से स्थानीय तारघर में शीघ्र पहुंचने की संभावना हो, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी पद्धति ही अपनाई जाती है :

(1) तार परियात का व्यस्त समय 17·00 एवं 21.00 बजे के बीच पड़ना जिसके कारण डाक एकत्र हो जाती है।

(2) स्थानीय तारघरों में बिजली की कटौती और पावर फेल हो जाना।

(3) प्रचालन स्टाफ की अनुपस्थिति।

(4) स्थानीय तार लाइनों में कभी-कभी अवरोधक उत्पन्न होना।

(ख) अपेक्षित आँकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) तारों के पुनः संचारण में होने वाले विलंब में पर्याप्त कमी करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग करते हुए तार परिपथ-जाल को आधुनिक बनाने के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

अक्तूबर, 1983 से दिसम्बर, 1983 तक विभिन्न केन्द्रिय तारघरों के स्थानीय तारघरों में हाथ द्वारा अंतरित तारों के निपटान को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	केन्द्रिय तारघर का नाम	विभागीय तारघरों की संख्या	अक्तूबर से दिसंबर, 1983 तक की अवधि में हाथ द्वारा अंतरित संदेशों की संख्या
1.	बम्बई	18	6,14,789
2.	कलकत्ता	11	2,65,499
3.	नई दिल्ली	18	4,67,506
4.	मद्रास	14	1,33,466
5.	हैदराबाद	11	87,700
6.	लखनऊ	4	1,058
7.	जयपुर	2	32,384

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्म उद्योग को दिए गए ऋण की वसूली के लिए कदम

2736. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा अपने स्थापन से अब तक फिल्म उद्योग को कितना ऋण दिया गया तथा इसमें से कितनी धनराशि अब तक फिल्म निर्माताओं को वितरित की गई है;

(ख) ऋण की कितनी धनराशि को अब बट्टे खाते में डाला गया है तथा नियमों के अनुसार अब तक कितनी धनराशि की वसूली कर ली जानी चाहिए थी लेकिन अब तक वसूली नहीं की जा सकी; और

(ग) इसकी वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और यह कार्यवाही कब से की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने फिल्म वित्त निगम की स्थापना से लेकर फरवरी, 1984 तक ऋण के रूप में 496.84 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। इसमें से 420.43 लाख रुपये की राशि फिल्म निर्माताओं में वितरित की गई है।

(ख) 125.37 लाख रुपये की राशि ऋणों के रूप में बट्टे खाते में डाली गयी है। दिसम्बर, 1983 की स्थिति के अनुसार वसूली के लिए बकाया राशि मूलधन तथा ब्याज की बाबत क्रमश: 93.07 लाख रुपये तथा 33.97 लाख रुपये है।

(ग) ऋण की वसूली भारत तथा विदेशों के विभिन्न क्षेत्रों में फिल्मों के वितरण, प्रदर्शन तथा उपयोग से की जाती है। ऋण वापस न करने वालों से ऋण वसूली करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाती है।

दिल्ली में सितम्बर, 1983 में आयोजित श्रम मंत्री सम्मेलन

2737. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन 24 सितम्बर, 1983 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और क्या उन निर्णयों को सभा पटल पर रखा जाएगा;

(ख) क्या सरकार ने उत्पादन में गिरावट को ध्यान में रखते हुए राज्यों को इस बात का संकेत दिया है कि वे श्रमिक अशांति, तालाबन्दी, जबरन छुट्टी और छंटनी तथा श्रम-कानूनों और औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करें;

(ग) यदि हां, तो तालाबंदी, छंटनी और मजदूरों की जबरन छुट्टी को रोकने के लिए उठाये गये कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि इस प्रकार के कोई कदम नहीं उठाये गए हैं तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 24 सितम्बर, 1983 को हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष/सुझाव दिए गए हैं।

(ख) श्रम मंत्री सम्मेलन के दौरान, राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया कि वे जबरी-छुट्टी और छटनी से सम्बन्धित अपने संशोधन करें।

(ग) और (घ) अब तक महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने कामबन्दी से सम्बन्धित औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंशों में संशोधन किए हैं। केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव है कि औद्योगिक विवाद (संशोधित) अधिनियम, 1982 द्वारा यथा संशोधित कामबन्दी से सम्बन्धित मुख्य अधिनियम की धारा 25-ग के उपबन्धों की तरह, जबरी-छुट्टी और छटनी से सम्बन्धित औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा क्रमश: 25-ड और 25-ढ में संशोधन करने के लिए विधान लाया जाए।

विवरण

कार्य सूची की विभिन्न मदों के बारे में श्रम मंत्री सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष/सुझाव

(1) औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। औद्योगिक सम्बन्ध और प्रवर्तन तंत्र को और मजबूत बनाने और औद्योगिक कार्यों के लिए दस्तकारों के प्रशिक्षण के लिए योजना आयोग द्वारा और अधिक धन आबंटित करने की जरूरत है; और

(2) औद्योगिक न्यायालयों औद्योगिक न्यायधिकरणों में अतिवृद्धि की जानी चाहिए।

(3) रुग्ण एककों के प्रश्न के संबंध में दिए गए विभिन्न सुझावों में सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों के कामकाज को सीधे अपने नियंत्रण में लेना और किसी एकक के रुग्ण होने से पूर्व समुचित वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता देना शामिल है। यह महसूस किया गया कि यदि रुग्ण प्रतिष्ठानों को पिछली देनदारी से मुक्त कर दिया जाए और पर्याप्त वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध हो जाए, तो श्रमिकों की सहकारी समिति उन्हें चलाने के विरुद्ध नहीं होगी।

(4) विभिन्न श्रम कानूनों की परिधि में आने के सम्बन्ध में निर्धारण करने वाली मजदूरी की उच्चतम सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।

(5) जहां तक प्रक्रिया का संबंध है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए और दण्ड संबंधी प्रावधानों को और निवारक बनाया जाना चाहिए। सरकार के निरीक्षण तंत्र को यह अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए कि मजदूरी का भुगतान न किए जाने के मामलों में वे सीधे अभियोजन दायर कर सकें।

(6) सभी ट्रेड यूनियनों के लिए आदेश दिया जाना चाहिए कि वे पदाधिकारी गुप्त मतदान द्वारा चुनें।

(7) राष्ट्रीय मजदूरी नीति के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(8) उपदान भुगतान की व्यवस्था पांच या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू की जानी चाहिए और साथ ही सभी कर्मचारियों को उपदान लाभ प्राप्त करने का हक होना चाहिए, भले ही उनकी परिलब्धियां कुछ भी क्यों न हों परन्तु इन लाभों को अधिनियम में निर्धारित राशि की उच्चतम सीमा तक सीमित किया जा सकता है। जिन मामलों में नियोजकों ने कानून के

अधीन अपेक्षित भुगतान न किया हो या अपेक्षित राशियां जमा न कराई हों, उनमें उपदान के लिए दावे करने पर कोई अभिसीमा नहीं होनी चाहिए ।

(9) इस विचार का समर्थन किया गया कि उच्च न्यायालयों आदि में विलम्ब को कम करने के लिए श्रम अपील अधिकरण को पुर्नजीवित किया जाए । औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन अधिकरणों/न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित की गई अर्हताओं को उदार बनाने का समर्थन किया गया। ऐसे न्यायाधीशों के पृथक कॉडर को गठित करने का भी सुझाव था ।

(10) इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया कि राज्य स्तरों पर श्रम स्थिति के बारे में की गई मानिटरिंग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ।

(11) राज्य सरकारों की प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना करने के बारे में विचार करना चाहिए ।

(12) जहां तक बाल श्रम का सम्बन्ध है, यह तय किया गया कि राज्य श्रम मंत्रियों का एक उपदल (सब-ग्रुप) गठित किया जाए, जो रोजगार में प्रवेश करने के लिए उच्चतर न्यूनतम आयु निर्धारित कर सकने की संभावना के सम्बन्ध में इस समस्या का गहराई से अध्ययन करें और केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करें ।

(13) ठेका श्रमिकों को नियमित कार्यों में खपाने के मामले में ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (ख) जैसा कोई उपबन्ध बनाया जाना चाहिए । वही कार्य या समान प्रकार के कार्य करने के लिए ठेका श्रमिकों को नियमित श्रमिकों के बराबर का पारिश्रमिक मिलना चाहिए ।

(14) बंधुआ श्रमिकों का पता लगाते रहना एक सतत प्रक्रिया है, यह बात उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में भी सही है । जहां कहीं जांच समितियां (स्क्रनिंग कमेटियां) गठित नहीं की गई हैं, वहां उन्हें गठित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिएं। बन्धुआ श्रमिकों को मुक्त कराने के साथ-साथ ही उनका पुनर्वास करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए ।

वर्ष 1983-84 के दौरान राज्यवार विद्युत सप्लाई के औसत घंटे

2738. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान राज्य-वार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने औसत घंटे विद्युत सप्लाई की गई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य-वार शहरी क्षेत्रों में कितने औसत घंटे विद्युत सप्लाई की जाती है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) और (ख) कृषि उत्पादन के महत्व को ध्यान में रखते हुए कृषकों को विद्युत सप्लाई के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। कृषि कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई की अवधि देश के विभिन्न भागों में तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में, कृषि के चल रहे कार्यों पर निर्भर करते हुए अलग-अलग होती है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई की वर्तमान औसतन अवधि विवरण में दी गई है।

विद्युत की कमी की अवधि के दौरान विद्युत कटौतियाँ प्रतिबन्ध शहरी क्षेत्रों में भी लगाए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में लोड शैडिंग की अवधि विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग होती है अलग तथा ऐसे प्रत्येक शहरी क्षेत्र के लिए से मानीटरिंग नहीं की जाती।

विवरण

विभिन्न राज्यों में कृषि को विद्युत सप्लाई

राज्य का नाम	प्रति दिन घंटों की संख्या
1	2
हरियाणा	8/10 घंटे/प्रतिदिन
पंजाब	6/8 घंटे/प्रतिदिन
जम्मू और कश्मीर	11 घंटे/प्रतिदिन
उत्तर प्रदेश	7 घंटे/प्रतिदिन
हिमाचल प्रदेश	कोई प्रतिबन्ध नहीं
राजस्थान	9 घंटे/प्रतिदिन
मध्य प्रदेश	फेज 3 में 15 घंटे, फेज 1 में 9 घंटे
महाराष्ट्र	कोई प्रतिबन्ध नहीं
गुजरात	11/16 घंटे/प्रतिदिन
तमिलनाडु	14 घंटे/प्रतिदिन
आंध्र प्रदेश	कोई प्रतिबन्ध नहीं

1	2
केरल	कोई प्रतिबन्ध नहीं
कर्नाटक	15 घंटे/प्रतिदिन
बिहार	8 घंटे/प्रतिदिन
उड़ीसा	कोई प्रतिबन्ध नहीं
पश्चिम बंगाल	12 घंटे/प्रतिदिन
असम	कोई प्रतिबन्ध नहीं
मणिपुर	कोई प्रतिबन्ध नहीं
त्रिपुरा	कोई प्रतिबन्ध नहीं
मेघालय	कोई प्रतिबन्ध नहीं
नागालैण्ड	कोई प्रतिबन्ध नहीं

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० मुजफ्फरपुर, बिहार यूनिट में विस्फोट की जाँच

2739. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **रसायनिक और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० मुजफ्फरपुर में हुए एक विस्फोट की जाँच पूरी कर ली गई है जिसमें कि एक करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई थी; और

(ख) यदि हां; तो जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां; तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) इण्डियन ड्रग्स फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा गठित जांच समिति ने लगभग 115 लाख रु० की हानि होने का अनुमान लगाया है ।

(ख) समिति ने किसी तोड़-फोड़ की सम्भावना से इन्कार किया और पाया कि संचालन मानदण्डों का अनुसरण नहीं किया गया है।

(ग) जाँच समिति की उपलब्धियों के आधार पर कम्पनी के प्रबन्ध ने महाप्रबन्धक, स्थानापन्न कार्य प्रबन्धक, उप अधीक्षक (उत्पादन) और संयंत्र के अन्य तीन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों को भरा जाना

2740. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विभिन्न श्रेणियों में श्रेणी 1 से 4 तक के पदों में पिछले रिक्त स्थानों को अभी तक नहीं भरा गया है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति,/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इन पदों को भरने के लिए कोई प्रयास किये गए हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों,/अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले से भरे और आरक्षित रिक्त स्थान कब तक भर लिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा निर्मित फिल्में

2741. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल फिल्म सोसाइटी का एक तिहाई बजट, इसके कर्मचारियों पर खर्च किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों की फिल्में बनाने हेतु सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सोसाइटी द्वारा बनाई जा रही बच्चों की फिल्मों की संख्या कुल फिल्मों पर होने वाले व्यय की दृष्टि से संतोषप्रद है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस सोसाइटी में परिवर्तन करने का विचार है ताकि इसकी कार्य की गति को तेज किया जा सके; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) विभिन्न भाषाओं में बाल फिल्मों का निर्माण करने, उन्हें प्राप्त करने और उनको डब करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बाल फिल्म सोसाइटी के लिए 2 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा निर्मित फिल्में

2742. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा एक वर्ष में कितनी फ़िल्मों का निर्माण किया जाता है;

(ख) क्या यह संख्या बच्चों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बाल फिल्मों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई उपाय करेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 1982-83 के दौरान बाल फिल्म सोसाइटी ने हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में 4 फीचर फिल्मों तथा 2 लघु फिल्मों का निर्माण कार्य मुकम्मल किया। तथापि, औसतन 3 फीचर फिल्में बनाई जाती हैं।

(ख) जी नहीं। तथापि, फिल्में स्वयं बनाने के अलावा, सोसाइटी विदेशी फिल्में भी प्राप्त करती है और उनको विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में डब करती है। इसके अलावा, निजी निर्माता भी बाल फिल्में बनाते हैं।

(ग) और (घ) अगली पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान यह प्रस्ताव है कि बाल फिल्म सोसाइटी हिन्दी तथा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में और फिल्में बनाएगी।

बाल फिल्म सोसाइटी का कार्यक्रम

2743. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल फिल्म सोसाइटी सन्तोषजनक ढंग से नहीं चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसके कार्यचालन को तेज करने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पत्रकारों और सम्पादकों की सुरक्षा

2744. **श्री बी० बी० देसाई**
श्रीमती किशोरी सिन्हा } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, बम्बई और कर्नाटक में अनेक पत्रकारों की हत्याएं की गई हैं और देश के विभिन्न भागों में भी बड़ी संख्या में पत्रकारों की हत्याएं की गई हैं और उन पर हमले किए गए है;

(ख) यदि हां, तो सम्पादकों और पत्रकारों की हत्याओं के कारण पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार पत्रकारों और सम्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो कन्नड़ सम्पादक और पंजाब में पत्रकारों की हत्या के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार को कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा तेल की खोज और उत्पादन

2745. **श्री बी० बी० देसाई**
श्री के० प्रधानी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा मंत्रालय ने गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए देश में तेल की खोज और उत्पादन के प्रयास में विशिष्ट भूमिका की परिकल्पना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय महसूस करता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को इस व्यापक कार्यक्रम में लाने से उसे दोनों दृष्टियों से मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मूल्य निर्धारित करने और उन्हें दिये जा रहे छिद्रण के अनेक ठेके से लाभ होगा;

(ग) यदि हां तो क्या सरकार तेल की खोज में गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक विशिष्ट भूमिका देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार इसे कार्यान्वित करने के लिए कहां तक सहमत हुई;

(ङ) देश में तेल की खोज में सहायता के लिए आगे आने वाली गैर-सरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र में उनकी क्षमता को कैसे सुनिश्चित किया गया है;

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (च) इस समय तेल की खोज के कार्य में निजी कम्पनियों को लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार की नीति तेल तथा संबद्ध उपकरणों के निर्माण में स्वदेशी क्षमताओं के विकास को प्रोत्साहन देने की तथा तेल की खोज तथा उत्पादन से सम्बन्ध विभिन्न कार्यों में सेवाएं उपलब्ध कराने की है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डियन लिमिटेड उनको संविदा के आधार पर कार्य देंगे। बड़ी संख्या में भारतीय कम्पनियों ने इस संबन्ध में रुचि दिखायी है तथा वे इस निर्माण के क्षेत्र तथा सेवा उद्योग में प्रवेश पाने के लिए अपने आप को संगठित कर रहे हैं।

देश में बिजली की सप्लाई संबंधी स्थिति

2746. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में बिजली की सप्लाई संबंधी स्थिति लगातार गम्भीर बनी रहती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दिनांक 4 फरवरी 1984 के "इकानामिक टाइम्स रिसर्च ब्यूरो" द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि बिजली उत्पादन में कमी की निश्चित प्रवृत्ति दिखाई देती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिजली उत्पादन की विकास दर 1981-82 में 1.02 % से घटकर 1982-83 में 7% हो गई है और चालू वर्ष के नौ महीने में (अप्रैल-दिसम्बर, 1983) और कम होकर 5 प्रतिशत रह गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान आवश्यकता की तुलना में बिजली की सप्लाई सम्बन्धी स्थिति बदतर हो गई है;

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच कहां तक की है और तत्संबंधी यथार्थ स्थिति क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) इस समय देश के विभिन्न भागों में विद्युत की कमी भिन्न-भिन्न है।

(ख) 1982-83 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल, 1983 से फरवरी 1984 की अवधि के दौरान देश में विद्युत उत्पादन में 7% की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) जी हाँ।

(ङ) सरकार ने 14 फरवरी, 1984 के इकनामिक टाइम्स में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट देखी है। वास्तविक स्थिति नीचे दिये अनुसार है।

(च) विद्युत के उत्पादन और उपपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं। इनमें ये शामिल हैं :

(1) निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करना। 1984-85 में 4156 मेगा० अतिरिक्त उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित करने के लक्ष्य की तुलना में 3600 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त क्षमता चालू/रोल की गई है तथा लक्ष्य को पूरा कर लिए जाने की आशा है।

(2) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें हाथ में लेने के लिए रा०बि० बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता दी जा रही है।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों की बन्दी की अवधियों को कम करने के लिए बेहतर निवारक अनुरक्षण तकनीक अपनायी जा रही है।

(4) विद्युत केन्द्रों की शीघ्र मरम्मत करने के लिए स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से हिस्से-पुर्जों की व्यवस्था की जा रही है।

(5) अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा में कोयले की व्यवस्था की जा रही है।

(6) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और भेल के इन्जीनियरों को मिला कर बनाए गए कुतिक बल विद्युत केन्द्रों का, विशेष रूप से 110/120 मेगा० तथा 200/220 मेगा० के यूनिटों का दौरा कर रहे हैं तथा उनका शीघ्र स्थिरीकरण करने के लिए उपायों का परामर्श दे रहे हैं।

(7) अपनायी गई प्रचालन सम्बन्धी प्रक्रियाओं की मानीटरिंग करने तथा रा० बि० बोर्डों को परामर्श देने के लिए के० वि० प्रा० के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दल विद्युत केन्द्रों का दौरा कर रहे हैं।

(8) विद्युत केन्द्रों के इन्जीनियरों तथा प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया गया है।

(9) विद्युत केन्द्रों के स्टाफ को प्रोत्साहित करने तथा पहले से उपलब्ध क्षमता का बेहतर समुपयोजन करने के लिए एक प्रोत्साहन स्कीम आरम्भ की गई है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए निवेश सम्बन्धी अनुमोदनों का चार परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन और उनके समय से पूरा होने के साथ जोड़ा जाना

2747. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार विद्युत परियोजनाओं में निवेश सम्बन्धी अनुमोदनों को चार परियोजनाओं के कार्य निष्पादन, उनमें समय से पूरा होने और बोर्डों के कुशल कार्यचालन के साथ जोड़ने का है;

(ख) क्या आयोग ने यह कहा है कि कुछ बोर्डों ने विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बहुत सी परियोजनाएं हाथ में ले ली हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आयोग ने कहा है कि ऊर्जा विभाग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिड से विद्युत की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करके, सामर्थ्य से अधिक परियोजनाएं हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए;

(घ) यदि हाँ, तो योजना आयोग द्वारा अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ङ) सरकार द्वारा कितने सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है; और

(च) इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (च) विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भारत सरकार बहुत अधिक इच्छुक है तथा

इनकी विस्तृत मानीटरिंग के लिए उपायों को गहन किया गया है। यूटिलिटीज के बेहतर कार्यकरण के लिए भी पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। विद्युत परियोजनाओं के लिए निवेश स्वीकृति, परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, प्रणाली की विद्युत आवश्यकता, संसाधन उपलब्धता, परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए संगठन की क्षमता आदि जैसे कई तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। जैसा कि संसाधनों का वितरण कुछ हद तक एक समान नहीं है, इसलिए कुछ युटिलिटीज की प्रणाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षतया बड़े कार्यक्रम हाथ में लेने होंगे। संसाधनों के इष्टतम समुपयोजन तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में सभी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में बड़े साइज की परियोजनाएं भी प्रतिस्थापित की जा रही हैं एक राज्य तथा क्षेत्र से दूसरों राज्य और क्षेत्र को विद्युत का अन्तरण करने की सुविधा के लिए क्षेत्रीय ग्रिडों की भी स्थापना की जा रही है।

पत्रकारों की हत्या/छुरा घोंपना

2748. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते**
श्रीमती किशोरी सिन्हा
श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में पत्रकारों पर अनेक हमले किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले छः महीनों के दौरान अगस्त, (1983 के बाद) पत्रकारों की हत्या छुरा घोंपना और हमला/मार-पीट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र और-गैर सरकारी क्षेत्र के बिजली संयंत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षमता का उपयोग

2749. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सरकार/राज्यों सरकार के नियंत्रणाधीन पन बिजली घरों के नाम क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कितनी क्षमता का उपयोग किया गया और इस अवधि के टाटा पन बिजली घर के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) देश में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन तापीय बिजली-घरों के नाम क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष में कितनी क्षमता का उपयोग किया गया और इस अवधि में गैर-सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े पांच तापीय बिजली-घरों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या क्षमता उपयोग बढ़ाने का कोई विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) जल विद्युत केन्द्र सामान्य रूप से रन-आफ--दी रिवर किस्म के या स्टोरेज पर आधारित परियोजनाएं होती हैं। रन-आफ-दी रिवर किस्म के जल विद्युत केन्द्रों से विद्युत का उत्पादन मुख्य रूप से दिन-प्रतिदिन के अन्तर्वाह और स्थल पर शीर्ष उपलब्धता पर निर्भर करता है। स्टोरेज पर आधारित जल विद्युत केन्द्र के मामले में विद्युतका उत्पादन उपलब्ध अन्तर्वाह के अतिरिक्त स्टोरेज की परिस्थितियों विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी की आवश्यकता, जलाशय प्रचालन नीति, सिंचाई के लिए पानी छोड़ने आदि पर निर्भर करता है। स्टोरेज पर आधारित केन्द्र सामान्यतः व्यस्ततकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं तथा इस प्रकार से इनका कम भार अनुपात पर प्रचालन किया जाता है। जल विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन सामान्यतः ऊर्जा के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन से आंका जाता है। तदनुसार जल विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन को आंकने के लिए क्षमता समुपयोजन कोई पैरामीटर नहीं है। तथापि, टाटा सहित जल विद्युत केन्द्रों के नाम, तथा 1980-81 से 1983-84 तक के दौरान उनका संयंत्र भार अनुपात उपाबंध-1 में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—7913/84]

(ख) सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में पांच-पांच ताप विद्युत केन्द्रों के नाम तथा 1980-81 से 1983-84 तक के लिए इनका क्षमता समुपयोजन नीचे दिया गया है :

सरकारी क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्र	संयंत्र भार अनुपात—			
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (अप्रैल जून)
1	2	3	4	5
1. नेवेली	60.0	64.0	73.0	73.7
2. विजयवाड़ा—1	45.0	72.0	87.9	81.4
विजयवाड़ा—2	34.4	74.0	70.3	84.4

1	2	3	4	5
3. सिंगेरौली —1	—	—	64.2	84.6
4. पारली 1--2	85.0	81.0	86.0	91.9
5. धुवारण	75.0	71.0	75.3	66.0
प्राइवेट क्षेत्र :				
1. टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी	69.7	77.0	75.1	74.0
2. कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी	57.0	57.0	57.6	50.8
3. अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कम्पनी	55.0	57.0	63.7	77.7
4. साबरमती	59.0	67.0	77.0	77.0
5. रेणुसागर	92.0	95.0	93.4	उ०न०

केन्द्रीय/राज्य सरकार के स्वामित्व वाले ताप विद्युत केन्द्रों तथा निजी क्षेत्र में 5 बड़े ताप विद्युत केन्द्रों के लिए 1980-81 से 1983-84 की अवधि के क्षमता समुपयोजन के आंकड़े उपबन्ध-2 में दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०—7923-84]

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार करने के लिए बहुत से उपाय आरम्भ किए गए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :

(1) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और इन्हें हाथ में लेने के लिए रा० बि० बोर्डों विद्युत केन्द्रों को सहायता दी जा रही है।

(2) ताप विद्युत केन्द्रों की बन्दी की अवधियों को कम करने के लिए बेहतर निवारक अनुरक्षण तकनीक अपनायी जा रही है।

(3) विद्युत केन्द्रों की शीघ्र मरम्मत करने के लिए स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से हिस्से पुर्जों की व्यवस्था की जा रही है।

(4) अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा में कोयले की व्यवस्था की जा रही है।

(5) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और भेल के इन्जीनियरों को मिलाकर बनाए गए कृतिक

बल विद्युत केन्द्रों का, विशेष रूप से 110/120 मेगा० तथा 200/210 मेगा० के यूनिटों का दौरा कर रहे हैं तथा उनके शीघ्र स्थिरीकरण करने के लिए उपायों का परामर्श दे रहे हैं ।

(6) अपनायी गई प्रचालन सम्बन्धी प्रक्रियाओं की मानीटरिंग करने तथा रा० वि०बोर्डों के इन्जीनियरों को परामर्श देने के लिए के० बि० प्रा० के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दल विद्युत केन्द्रों का नियमित रूप से दौरा कर रहे हैं ।

(7) विद्युत केन्द्रों के इन्जीनियरों तथा प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है ।

(8) विद्युत केन्द्रों के स्टाफ को प्रोत्साहित करने तथा पहले से उपलब्ध क्षमता का बेहतर समुपयोजन करने के लिए एक प्रोत्साहन स्कीम आरम्भ की गई है ।

विदेशी कम्पनियों की पूंजी, परिसम्पत्तियां और लाभ

2750. **श्री अजय विश्वास :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब कितनी विदेशी कम्पनियां कार्य कर रही हैं तथा उन कम्पनियों की (देश वार) पूंजी परिसम्पत्तियां और लाभ क्या हैं; और

(ख) विदेशी कम्पनियों (देश-वार) की भारतीय सहायक कम्पनियों द्वारा अपनी मूल कम्पनियों को 1980, 1981, 198 और 1983 के दौरान लाभ और रायल्टी की कुल कितनी धनराशि विदेश भेजी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल): (क) भारत में 31-3-1982 तक विदेशी कम्पनियों की 311 शाखायें तथा 101 सहायक कम्पनियां कार्यरत थीं । देशवार उनके नामों, पूंजी, परिसम्पतियों तथा लाभों के विवरण को ब्रांचेज आफ फारेन कम्पनीज इन इण्डिया एज ऑन 31-3-1962 तथा इन्डियन सब्सिड्रीज आफ फारेन कम्पनीज एज ऑन 31-3-1982 नामक कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाओं में उपलब्ध हैं । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) 31 मार्च, 1980, 1981 और 1982 को समाप्त तीन वर्षों के विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायकों द्वारा लाभों तथा रायल्टी में से घोषित लाभांशों की भेजी गई राशि और नवीनतम अवधि, जिसकी सूचना उपलब्ध है, के सम्बन्ध में देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

लाभांश तथा रायल्टी का भेजना

(लाख रुपयों में)

देश	लाभांश			रायल्टी		
	1979-80	1980-81	1981-82	1979-80	1980-81	1981-82
1. कनाडा	334.45	131.29	196.28	—	—	—
2. डेनमार्क	0.31	—	—	1.46	1.52	—
3. इटली	18.54	—	—	—	—	—
4. पनामा	90.72	124.74	105.48	—	—	—
5. स्वीडन	91.14	67.35	82.09	—	14.85	11.96
6. स्विटजरलैण्ड	108.19	95.69	116.70	—	...	—
7. यू० के०	1457.36	1486.46	1488.58	29.98	40.87	72.00
8. यू० एस० ए०	364.91	362.91	343.65	—	—	—
9. पश्चिमी जर्मनी	181.38	165.30	159.58	5.70	6.22	1.18
योग	2647.00	2133.74	2492.36	37.14	63.46	85.14

भारत को तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की योजना

2751. **श्री अजय विश्वास :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की कोई दीर्घावधि योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार इस सम्बन्ध में विदेशी कम्पनियों से सहायता लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने हाईड्रोकार्बनों की खोज तथा दोहन के लिए बीस वर्षीय योजना (1985-2005) का एक प्रारूप तैयार किया है। इसके आधार पर, 5 वर्षों की योजना तैयार की जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए हाइड्रोकार्बनों का अन्तिम वर्ष का प्रस्तावित उत्पादन 36.93 मि० मी० टन है। प्रस्तावित सातवीं पंचवर्षीय योजना की विशेष बातों में एक यह है कि तेल अन्वेषण उद्यमों में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा भाग लिए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) जी, हां। योजना लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तथा प्रौद्योगिकी अन्तराल को पाटने के लिए गुणा व गुणों के आधार पर विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशी कम्पनियों से वाणिज्यिक शर्तों पर सहायता प्राप्त करने की तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की योजना है। ऐसी सहायता के ब्यौरे बताना सम्भव नहीं है क्योंकि सामान्य रूप से इन पर निर्णय कार्यान्वियन के समय किया जाता है।

कोरिया में होने वाले प्रसारण पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के चयन का मान दण्ड

2752. **श्री आर० एम० राकेश** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कोरिया में आयोजित किये जाने वाले प्रसारण पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के चयन का क्या मानदंड है;

(ख) उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए यदि किसी व्यक्ति/किन्हीं व्यक्तियों का चयन कर लिया गया है, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो यह निर्णय कब तक ले लिया जायेगा; और

(घ) सरकार द्वारा चुने गए व्यक्तियों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से अक्तूबर, 1983 में प्राप्त यूनेस्को के एक परिपत्र के अनुसार, कोरिया गणराज्य की सरकार अन्तर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम के ढांचे के अन्दर तथा कोरियन ब्राडकास्टिंग सिस्टम के प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की प्रायोजकता के अन्तर्गत, सिओल में 2 अप्रैल से 31 मई, 1984 तक नीचे निर्दिष्ट क्षेत्रों में दो-दो महीने की अवधि के चार पाठ्यक्रमों का आयोजन करेगी :—

पाठ्यक्रम "ए"	टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण
पाठ्यक्रम "बी"	रेडियो कार्यक्रम निर्माण
पाठ्यक्रम "सी"	टेलीविजन इन्जीनियरी
पाठ्यक्रम "डी"	रेडियो इन्जीनियरी

आपेक्षित अर्हताएं निम्नानुसार हैं :

(1) प्रसारण से सम्बन्धित विशिष्ट क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव;

(2) धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलने और लिखने की योग्यता;

(3) अधिक से अधिक 40 वर्ष की आयु;

(4) अच्छा स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से (चिकित्सा जांच रिपोर्ट द्वारा विधिवत् सिद्ध जिसे मुख्यालय में यूनेस्को की चिकित्सा सेवा से स्वीकृत कराना होगा)।

(ख) और (ग) अन्तिम चयन यूनेस्को द्वारा किया जाना है। इस प्रकार के अन्तिम चयन के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह बताना भी संभव नहीं है कि यूनेस्को अन्तिम चयन कब तक कर पाएगा।

(घ) यदि किसी उम्मीदवार का चयन हुआ तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जाएगा।

समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन

2753. **श्री राजा नाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में स्वचालन (आटोमेशन) शुरू करने से समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए एक नया वेतन आयोग गठित करने का है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

वाराणसी और मुगलसराय रेलवे डाक सेवा में पार्सलों की चोरी

2754. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुगलसराय और वाराणसी रेलवे डाक सेवा के कार्यालयों के कुछ कर्मचारियों द्वारा जनरल रेलवे पुलिस के कुछ कर्मचारियों की सांठगांठ से, प्रतिदिन गम्भीर किस्म की चोरियां की जाती हैं;

(ख) क्या हाल ही में, 4 डाउन बम्बई मेल द्वारा वाराणसी भेजी गई 12 किलोग्राम चांदी 25 नवम्बर, 1983 को रेलवे डाक सेवा के इन कर्मचारियों द्वारा चोरी कर ली गई थी;

(ग) क्या रेलवे पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में 29-30 जनवरी, 1984 को रेल डाक सेवा के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप दो दलों के बीच भीषण लड़ाई हुई थी; और

(घ) क्या सरकार, वाराणसी और मुगलसराय के रेल डाक सेवा के कुछ कर्मचारियों की इस गुंडागर्दी, अराजकता और आपराधिक प्रवृति को रोकने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) मुगलसराय में 25/26-11-83 को 11050 ग्राम चांदी वाले एक पार्सल के गुम हो जाने का मामला ध्यान में आया है।

(ग) जी०आर०पी० मुगलसराय द्वारा मुगलसराय रेल डाक सेवा के चार कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। इस सम्बन्ध में दो दलों के बीच झगड़ा होने की कोई खबर नहीं है।

(घ) पर्यवेक्षण में सख्ती लाने के अतिरिक्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा रही है।

वाराणसी और मुगलसराय रेलवे डाक सेवा में पार्सलों की चोरी

2755. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी और मुगलसराय रेलवे डाक सेवा में कीमती पार्सलों, बीमाकृत पार्सलों आदि की चोरी और गायब होने की घटनाओं में दिनों-दिन काफी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे डाक सेवा के बहुत से कर्मचारियों को वाराणसी और मुगलसराय रेलवे स्टेशनों पर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की कुल कितनी घटनाओं का समाचार मिला है, कितने कर्मचारियों को पकड़ा गया है और कितनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अभी तक ऐसे दो मामले ध्यान में आए हैं : मुगलसराय आर० एम० एस० में एक बीमाकृत पार्सल खो जाने के मामले में मुगलसराय रेल डाक सेवा के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। दूसरे मामले में जी० आर० पी० मुगलसराय द्वारा रेल डाक सेवा "ओ" डिवीजन लखनऊ का ग्रुप "घ" कर्मचारी गिरफ्तार किया गया था और उससे 19 बीमाकृत पत्र बरामद हुए। पुलिस द्वारा इन मामलों की जांच की जा रही है।

उड़ीसा को मिनी पन-बिजली परियोजना की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता

2756. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कुछ राज्यों में मिनी पन-बिजली परियोजनायें लगाने के प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनायें लगाने के लिए किन राज्यों में प्रयास किए गए हैं;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में कितनी पन-बिजली परियोजनायें लगाने का विचार है;

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में मिनी पन-बिजली परियोजनायें लगाने के लिए कितनी धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां। प्रचालनाधीन, कार्यान्वयनाधीन तथा अन्वेषणाधीन माइक्रो/मिनी/लघु जल विद्युत स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा **विवरण एक दो और तीन** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत स्कीमों का ब्यौरा **विवरण चार और पांच** में दिया है।

(ग) और (घ) उड़ीसा की पोट्टेरू मिनी जल विद्युत स्कीम (2×3 मेगा०) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दी गई है तथा राज्य योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग को सिफारिश कर दी गई है।

इस समय मिनी/लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है।

विवरण-एक

प्रचालनाधीन माइक्रो/लघु/मिनी जल विद्युत परियोजनायें

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केन्द्रों की संख्या	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता (किलोवाट)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र :			
1.	हरियाणा	—	—
2.	हिमाचल प्रदेश	9	6,520
3.	जम्मू और कश्मीर	6	26,280
4.	पंजाब	—	—
5.	राजस्थान	—	—
6.	उत्तर प्रदेश	23	32,530
पश्चिमी क्षेत्र :			
1.	गुजरात	—	—
2.	मध्य प्रदेश	—	—
3.	महाराष्ट्र	2	13,800
4.	गोवा, दमन और द्वि	—	—
दक्षिणी क्षेत्र :			
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	10,000
2.	कर्नाटक	—	—
3.	केरल	—	—
4.	तमिलनाडु	—	—

1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र :			
1.	बिहार	—	—
2.	दा० घा० नि०	1	4,000
3.	उड़ीसा	—	—
4.	सिक्किम	3	3,296
5.	पश्चिम बंगाल	7	19,908
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र :			
1.	असम	1	1,000
2.	मणिपुर	2	900
3.	मेघालय	2	12,710
4.	नागालैण्ड	1	1,500
5.	त्रिपुरा	1	15,000
6.	अरुणाचल प्रदेश	18	10,320
7.	मिजोरम	—	—
8.	नीपको	1	6
	जोड़	78	1,57,770

विवरण-दो

कार्यान्वियनाधीन माइक्रो/मिनी/लघु जल विद्युत परियोजनायें

क्रम संख्या	राज्य केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	केन्द्रों की संख्या	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
उतरी क्षेत्र :			
1.	हरियाणा	—	—
2.	हिमाचल प्रदेश	7	42,750
3.	पंजाब	1	1,575

1	2	3	4
4.	जम्मू और कश्मीर	7	10,175
5.	राजस्थान	2	9,000
6.	उत्तर प्रदेश	9	2,670
पश्चिमी क्षेत्र :			
1.	गुजरात	1	5,000
2.	मध्य प्रदेश	—	—
3.	महाराष्ट्र	1	1,000
4.	गोवा, दमन और द्वियु	—	—
दक्षिणी क्षेत्र :			
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—
2.	कर्नाटक	1	9,000
3.	केरल	—	—
4.	तमिल नाडु	4	17,000
पूर्वी क्षेत्र :			
1.	बिहार	1	15,000
2.	दा० घा० नि०	—	—
3.	उड़ीसा	—	—
4.	सिक्किम	—	—
5.	पश्चिम बंगाल	2	2,000
उत्तर पूर्वी क्षेत्र :			
1.	असम	1	1,000
2.	मणिपुर	7	6,400
3.	मेघालय	—	—
4.	नागालैण्ड	1	1'000
5.	त्रिपुरा	2	1010
6.	अरुणाचल प्रदेश	12	4,105
7.	मिजोरम	1	1,000
8.	नीपको	—	6
	जोड़	60	1,29,691

विवरण-तीन

अन्वेषणाधीन माइक्रो/मिनी/लघु जल विद्युत परियोजनायें

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्कीमों की संख्या (अनन्तिम)	कुल सम्भावित क्षमता (किलोवाट)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र :			
1.	हिमाचल प्रदेश	1	300
2.	जम्मू और कश्मीर	29	58,375
3.	पंजाब	10	61,725
4.	उत्तर प्रदेश	5	9,750
पश्चिमी क्षेत्र :			
1.	मध्य प्रदेश	8	16,600
2.	महाराष्ट्र	11	26,000
3.	गुजरात	5	5,400
दक्षिणी क्षेत्र :			
1.	कर्नाटक	3	9,000
2.	केरल	2	11,000
3.	तमिलनाडु	18	29,550
4.	आन्ध्र प्रदेश	1	1,000
पूर्वी क्षेत्र :			
1.	बिहार	27	78,555
2.	उड़ीसा	8	27,715
3.	दा० घा० नि०	2	1,200

1	2	3	4
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र :			
1.	असम	2	6,500
2.	मणिपुर	7	10,450
3.	नागालैन्ड	1	4,000
4.	त्रिपुरा	2	15,500
5.	अरुणाचल प्रदेश	6	2,650
	जोड़	148	3,72,270

विवरण-चार

के० वि० प्रा०/के० ज० आ० में जांच की जा रही माइक्रो/लघु/मिनी जल विद्युत परियोजनायें

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या	प्रतिष्ठापित क्षमता. (किलोवाट में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	25,090
2.	बिहार	1	3,300
3.	गुजरात	4	8,200
4.	हरियाणा	1	6,500
5.	हिमाचल प्रदेश	3	11,250
6.	जम्मू व कश्मीर	15	65,760
7.	केरल	1	2,500
8.	मध्य प्रदेश	6	25,050
9.	महाराष्ट्र	4	17,000
10.	मणिपुर	2	8,100
11.	मेघालय	1	1,000
12.	पंजाब	7	12,44)
13.	राजस्थान	7	26,300

1	2	3	4
14.	सिक्किम	2	10,050
15.	तमिलनाडु	1	3,000
16.	प० बंगाल	2	9,000
17.	गोआ	1	2,200
18.	अरुणाचल प्रदेश	1	1,500
	जोड़	67	2,38,290

विवरण-पांच

माइक्रो/मिनी/लघु जल विद्युत स्कीमें जो के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्कीम की संख्या	प्रतिष्ठापित क्षमता किलोवाट में
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1,500
2.	असम	1	1,995
3.	बिहार	1	6,600
4.	हरियाणा	1	6,000
5.	जम्मू व कश्मीर	2	5,750
6.	कर्नाटक	3	1,150
7.	केरल	2	4,500
8.	मध्य प्रदेश	2	13,000
9.	मणिपुर	1	1,000
10.	उड़ीसा	1	6,000
11.	राजस्थान	3	12,000
12.	सिक्किम	2	3,500
13.	अरुणाचल प्रदेश	1	4,500
	जोड़:	21	67,495

घाटे में चल रही कोयला खानें

2757. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय घाटे में चल रही कोयला खानों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) ये कोयला खानें किस वर्ष से घाटे में चल रही हैं;

(ग) घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन कोयला खानों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) लाभ और हानि खाते पूरी कम्पंनी के लिए बनाए जाते हैं । कोयले की उत्पादन और लाभकारिता हर खान में अलग-अलग होती है और जिन बातों पर निर्भर करती हैं वह हैं भू-वैज्ञानिक और भू-खनन दशाएं, खान ओपेनकास्ट है या भूमिगत, उत्पादित कोयले की किस्म, आदि । कुछ कोथला खानें विशेष रुप से ईस्टर्न कोड्लफील्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० की खानें घाटे पर चल रही हैं। वर्ष, 1982-83 में भा. को. को. लि. और ई. को. लि. को क्रमशः रु. 3.64 करोड़ और रु . 55.32 करोड़ का घाटा हुआ ।

कोल इंडिया लि०और उसकी सहायक कम्पनियों के 1982-83 के कुल कार्यकारी परिणामों से कोमल, कीमत विनिमय खाते को अंशदान के समंजन से पहले, रु. 37.45 करोड़ का मुनाफे का पता लगता है ।

(घ) : कोल इंडिया लि० में उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनमें यह बातें शामिल हैं : नई खानों में विशाल पूंजीनिवेश, पहले ही बना ली गई खनन क्षमता का पूर्णतर उपयोग, समुन्नत तकनालोजी को शीघ्रता से लागू करना, उपकरणों का अधिक कुशल प्रयोग और बेहतर अनुरक्षण, सामग्री सूची पर अधिक कड़ा नियंत्रण और भंडारों का किफायती इस्तेमाल, जनशक्ति के बेहतर उपयोग के लिए अनुपस्थितियों की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना ओर अनुशासन कड़ाई से लागू करना और बेशी कामगारों का पता लगाकर उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण के बाद फिर काम पर लगाना, बिजली विस्फोटक पदार्थ लकड़ी आदि दुर्लभ उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि, कोयले की अधिक तेज ढुलाई और अधिक सही वितरण के जरिए खान मुहाना स्टाक घटाना, नई परियोजनाओं को तेजी से और समय पर पूरा करना तथा बंगाल बिहार कोयला क्षेत्रों में कानून और अव्यवस्था की स्थिति में सुधार तथा माफिया गिरोह की गतिविधियों पर नियंत्रण ।

उड़ीसा में तालचेर के विभिन्न कोयला क्षेत्रों की वार्षिक उत्पादन क्षमता

2758. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तालचेर के विभिन्न कोयला क्षेत्रों की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी सुपर-ताप परियोजना के रक्षित विद्युत संयंत्र तथा अन्य ऐसी ही मांगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना के दौरान कोयले के उत्पादन की कितनी आवश्यकता होगी;

(ग) उपरोक्त मांग की पूर्ति के लिए वर्तमान क्षमता को बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए ; और

(घ) क्या उड़ीसा में तालचेर कोयला क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने तथा इब वैली कोयला क्षेत्रों में विकास के ऐसे ही कार्यक्रमों को देखते हुए सरकार का विचार उड़ीसा के विभिन्न कोयला क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक स्वतंत्र कम्पनी गठित करने का है, जैसा कि राज्य सरकार ने समय-समय पर अनुरोध किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के तालचेर कोयला क्षेत्र की वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.70 मिलियन टन है।

(ख) तालचेर कोयला क्षेत्र से संयोजित विभिन्न उपभोक्ताओं की सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार जरुरत का अनुमान नीचे दिया गया है :—

(मिलियन टनों में)

वर्ष	जरूरत
1985-86	4.62
1986-87	6.04
1987-88	7.15
1988-89	7.80
1989-90	8.66

(ग) विभिन्न उपभोक्ताओं की उपर्युक्त जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गये विभिन्न कदमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(1) भरतपुर ओपेनकास्ट खान का विकास ।

(2) जगन्नाथ ओपेनकास्ट खान का विस्तार ।

(3) तालचेर कोलियरी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नये वैज्ञानिक अध्ययन शुरू करना।

(4) नादिरा कोलियरी की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फ्रांस का विशिष्ट तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना।

(5) उपर्युक्त के अलावा, अनंत और कलिंग की नयी खानें खोलने और साउथ बलंडा ओपेनकास्ट खान का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं ?

(घ) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थानों द्वारा बिजली उत्पादन किया जाना

2759. **श्रीमती किशोरी सिन्हा**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी
श्री मनोहर लाल सैनी } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के "फेडरेशन आफ चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री" ने सरकार से गैर-सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बिजली पैदा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके अनुरोध का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मांग को मानने में उनको क्या कठिनाई हो रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य श्री आरिफमोहम्मद खां मंत्री : (क) और (ख) भारतीय वाणिज्यक तथा उद्योग मण्डल संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ ये सुझाव दिए है :

(1) निजी उद्योगों को अपनी आवश्यकताओं को लगभग 10% की पूर्ति करने के लिए केप्टिव विद्युत उत्पादन सुविधाओं की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(2) मुख्यत: सार्वजनिक युटिलिटी ग्रिड की सहायता के लिए विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों की अनुमति देने के अतिरिक्त, निजी क्षेत्र द्वारा या तो सहकारिता के आधार पर या समुदायिक आधार पर मुख्य रूप से केप्टिव खपत के लिए बड़े आकार के विद्युत केन्द्रों की स्थापना के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए।

(3) उन स्थलों के पास जहां पर मिनी जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा सकती है औद्योगिक यूनिटों के ऐसे जल विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

(ग) औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अन्तर्गत विद्युत का उत्पादन और वितरण सार्व-

जनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। तथापि यदि राष्ट्रहित में आवश्यक हो तो मौजूदा निजी स्वामित्व वाली मौजूदा यूटिलिटीज के विस्तार पर अथवा नई यूनिटों की स्थापना पर रोक नहीं है। उपर्युक्त नीति के अनुसार निजी क्षेत्र में यूटिलिटीज के अलावा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए अनुमति उन मामलों में दी जाती है, जहां विद्युत की आवश्यकता बहुत अधिक होती है तथा विद्युत की सतत और विश्वसनीय सप्लाई आवश्यक होती है; निजी क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन से संबंधित अन्य प्रस्तावों का मूल्यांकन, तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से तथा सृजित किए जाने के लिए प्रस्तावित कुल अतिरिक्त साधनों और राष्ट्रीय विद्युत योजना के अन्तर्गत उनकी उपयुक्ता और अनिवार्यता के संदर्भ में किया जाना अपेक्षित होता है।

कोयला क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव को स्वीकार करना

2760. **श्रीमती किशोरी सिन्हा**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी
श्री मनोहर लाल सैनी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ; तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे ही एक प्रस्ताव को पहले नामंजूर किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) कोयला क्षेत्र में विदेशी पूंजीनिवेश की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अंकलेश्वर में कुआँ संख्या 15 में आग लगने की घटना के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच

2861. **श्री दया राम शाक्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 26 सितम्बर, 1982 को अंकलेश्वर में कुआं संख्या 15 में आग लगने की घटना की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच कराई है;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी;

(ग) उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने 26 सितम्बर, 1982 को अंकलेश्वर में कूप संख्या 15 में लगी आग की दुर्घटना के बारे में जांच की है। इसके निष्कर्षों के आधार पर 12 व्यक्तियों के विरुद्ध जिनमें तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के 5 अधिकारी शामिल हैं, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नारोल, अहमदाबाद की अदालत में अभियोग पत्र दायर कर दिये गये हैं। मामला अदालत में विचाराधीन है; तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पांच अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है।

(घ) उठाये गये कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(1) अलग-थलग पड़े सक्रिय कुओं को बन्द कर देना/कम करना।

(2) ऐसे कुओं के वाल्वों के पहिये हटा लेना।

(3) ट्रंक पाइपलाइनों के वाष्प स्थलों में प्लग लगाना।

(4) पुलिस की गश्त तेज करना।

(5) ग्राम रक्षक दल द्वारा गश्त लगाना।

(6) गांव के सरपंचों के माध्यम से स्थानीय निवासियों द्वारा सुरक्षा प्रबन्ध करना।

(7) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य-संचालन क्षेत्र में सी० आई० एस० एफ० को नियुक्त करना।

फर्रुखाबाद में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

2762. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वर्ष 1983 के अन्त तक फर्रुखाबाद में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित हो जाएगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस दिशा में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा वहां स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कब तक हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) इस प्रकार के आश्वासन का हमारे पास कोई रिकार्ड नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस एक्सचेंज के 7वीं योजना के दौरान चालू होने की संभावना है।

सिंगापुर सरकार की नई भर्ती नीति का भारतीय श्रमिकों पर बुरा प्रभाव

2763. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि सिंगापुर द्वारा परम्परागत स्रोतों से कुशल और अकुशल, दोनों प्रकार के कर्मचारियों की भर्ती करने की नई नीति से भारतीय श्रमिकों के हितों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त नई नीति के परिणामस्वरूप कितनी संख्या में भारतीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीयों के लिए परम्परागत स्रोतों को बन्द करने के बारे में सिंगापुर सरकार से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सिंगापुर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सिंगापुर श्रम मंत्रालय ने 31-1-1984 को जारी किए गए वक्तव्य में घोषित किया कि हांगकांग, तैवान, मकाऊ और दक्षिणी कोरिया को 1-2 1984 से पारम्परिक श्रमिक स्त्रोतों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाना है। अभी तक केवल मलेशिया को ही पारम्परिक श्रमिक स्रोतों के रूप में समझा जाता था। इसके अतिरिक्त इन आदेशों से पोत कारखानों (शिपयार्डों) निर्माण और घरेलू सेवाओं में नियोजित श्रमिक प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए सिंगापुर सरकार की नीति भारतीय श्रमिकों के हितों को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली नहीं है।

(ख) यह नई नीति विद्यमान भारतीय श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(ग) यह मामला सिंगापुर सरकार के साथ नहीं उठाया गया है क्योंकि यह सिंगापुर सरकार का पूर्णतः आन्तरिक मामला है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

रायगढ़ जूट मिल्स के मजदूरों द्वारा हड़ताल

2764. **श्री के० ए० राजन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायगढ़ जूट मिल के मजदूर 16 जनवरी, 1984 से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी माँगे क्या हैं;

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मजदूरों को 15वें श्रम सम्मेलन द्वारा स्वीकृत फार्मूले के अनुसार, मंजूरी नहीं दी जा रही है और अनेक मजदूरों को केवल 5-6 रुपये प्रतिदिन अदा किए जाते हैं और प्रशिक्षार्थियों के रूप में कार्य कर रहे मजदूरों से 3-4 वर्षों तक नियमित कार्य लिया जाता है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार, रायगढ़ जूट मिल्स के श्रमिक एक माँग-पत्र के संबंध में पटसन उद्योग की केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए सामान्य हड़ताल के आह्वान पर 16-1-1984 से हड़ताल पर हैं। इस माँग पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी में और आगे संशोधन, ग्रेडों और वेतनमानों तथा कार्य भार के पुनरीक्षण के के बारे में पश्चिम बंगाल श्रम मंत्री के निर्णयों का कार्यान्वयन, परिवर्ती मंहगाई भत्ते की वर्धित दर तथा पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांगेशामिल हैं।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन उपयुक्त सरकार है विवाद को निपटाने तथा हड़ताल को समाप्त कराने के लिए इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन तथा श्रमिक यूनियनों के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श कर रही है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने, जो कि पटसन उद्योग के मामले में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन उपयुक्त सरकार है, पटसन उद्योग में रोजगार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची में शामिल नहीं किया है। इन परिस्थितियों में भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें अधिवेशन द्वारा निर्धारित मानकों को लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के थाणे और रायगढ़ जिलों में टेलीफोन सुविधायें

2765. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुरबाद, पालघर शाहपुर, बदलावर, बोएसर, तारापुर, दाहानु, भिवंडी, तारावली, कल्याण, दोम्बीवली, मुम्बरा (सभी महाराष्ट्र के थाणे जिले में) और तलोजा, पनवेल (महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में) किस प्रकार के टेलीफोन केन्द्र हैं और उनकी क्षमतायें कितनी-कितनी हैं;

(ख) उपर्युक्त स्थानों पर इस समय अलग-अलग कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं और कितने लोग प्रतीक्षा-सूची में है;

(ग) उक्त स्थानों पर आधुनिक और पर्याप्त टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने की क्या योजना है; और

(घ) उक्त स्थानों पर और उसके आसपास तेजी से हो रही औद्योगिक वृद्धि और जन-संख्या में भारी बढ़ोतरी को देखते हुये, क्या सरकार उक्त स्थानों पर उक्त सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता देगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जानकारी विवरण एक में दी गई है।

(ख) जानकारी विवरण-दो में दी गई है।

(ग) और (घ) जानकारी विवरण-तीन में दी गई है।

विवरण-एक

एक्सचेंज का नाम	टाइप	क्षमता (लाइनें)	टिप्पणी
1	2	3	4
1. मुरबाद	एमएएक्स-II	100	
2. पालघर	सीबीएम	600	
3 शाहपुर	सीबीएनएम	100	
4. बदलपुर	एमएएक्स-III	100	
5. बायसार	एक्सचेंज नहीं		तारापुर एक्सचेंज से फिलहाल पूरा किया जा रहा है।
6. तारापुर	एमएएक्स-II	500	
7. दाहनू	एमएएक्स-II	700	
8. भिवांडी	एमएएक्स-II	2000	
9. सारावाली	एक्सचेंज नहीं		कल्याण एक्सचेंज से फिलहाल पूरा किया जा रहा है
10. कल्याण	एमएएक्स-I	2700	
11. (क) दोम्बीवाली	एमएएक्स-II	1400	

1	2	3	4
(ख) दोम्बीवाली (एमआईडीसी)	एमएएक्स-11	600	
12. मुबारा	एमएएक्स-111	100	
13. तालोजा	एमएएक्स.11	400	
14. पानवेल	एमएएक्स-11	1200	

संक्षिप्त

एमएएक्स : मेन अटोमेटिक एक्सचेंज

सीबीएम : सेंट्रल बैट्री मल्टीपल

सीबीएनएम : सेंट्रल बैट्री नॉन मल्टीपल

विवरण दो

एक्सचेंज का नाम	दिए गए कनेक्शन की संख्या	प्रतीक्षा सूची	टिप्पणी
1	2	3	4
1. मुरबाद	44	84	
2. पालघर	557	60	
3. शाहपुर	75	74	
4. बदलपुर	88	111	
5. बायसार	एक्सचेंज नहीं		
6. तारापुर	459	258	
7. दाहनू	670	96	
8. भिवंडी	1883	1297	
9. सारावली	एक्सचेंज नहीं		
10. कल्याण	1883	1821	
11. (क) दोम्बीवाली	1304	1443	

1	2	3	4
(ख) दोम्बीवाली (एमआईडीसी)	535	113	
12. मुम्बारा	365	113	
13. तालोजा	295	08	
14. पानवेल	1156	472	

विवरण-तीन

1. मुरबाद : 1985-86 के लिए 200 लाइनों के एम० ए० एक्स०-II का आवंटन किया गया है।

2. पालघर : 1984-85 के कार्यक्रम में 600 से 729 लाइनों तक इस एक्सचेंज का विस्तार करना शामिल है।

3. शाहपुर : 1983-84 के कार्यक्रम में 100-150 लाईनों तक इस एक्सचेंज का विस्तार करना शामिल है ।

4. बदलपुर : 1983-84 के लिए 300 लाइनों का एम०ए०एक्स०-II आवंटित किया गया है।

5. बायसर : कोई एक्सचेंज नहीं ।

6. तारापुर : 1984-85 के कार्यक्रम में 500 से600 लाइनों तक इस एक्सचेंज का विस्तार करना शामिल है।

7. दाहनू : 1982-83 में 100 लाइनों के उपकरण का आबंटन किवा गया है।

8. भिवांही : (1) 1980-81 में 580 लाइनों के उपकरण का आवंटन किया गया है।
(2) 1983-84 के सप्लाई कार्यक्रम में 4500 लाइनों के क्रासबार एक्सचेंज उपकरण का आबंटन किया गया है तथा एक्सचेंज के 1986-87 तक चालू होने की संभावना है।

9. सारावाली : कोई एक्सचेंज नहीं ।

10. कल्याण

(एक) 1981-82 में विस्तार के लिए 300 लाइनों के उपस्कर का आबंटन किया गया है।

(दो) 1982-83 में विस्तार के लिए 300 लाइनों के उपस्कर का आबंटन किया गया है।

(तीन) 1983-84 में विस्तार के लिए 600 लाइनों के उपस्कर का आबंटन किया गया है।

(चार) 1984-85 में विस्तार के लिए 600 लाइनों के उपस्कर का आबंटन किया गया है।

11. **दोम्बीवाली** :

(एक) 1978-79 में विस्तार के लिए 200 लाइनों के उपस्कर का आबंटन किया गया है।

(दो) 1979-80 ,, 200 ,,

(तीन) 1980-81 ,, 400 ,,

(चार) 1983-84 ,, 200 ,,

12. **डोम्बीवाली** (एम. आई. डी. सी.)

(एक) 1983-84 में विस्तार के लिए 3500 लाइनों के क्रासबार उपकरण का आबंटन किया गया है।

(दो) 1984-85 ,, 1500 ,, ,,

(तीन) 1985-86 ,, 2000 ,, ,,

13. मुवारा : 1983-84 में इस एक्सचेंज में 100 से 200 लाइनों के विस्तार करना शामिल है।

14. तालोजा : 1984-85 में 100 लाइनों के एक्सचेंज उपस्कर आबंटन किया गया है।

15. **पानवेल** (एक) 1980-81 में विस्तार के लिए 200 लाइनों के एक्सचेंज उपस्कर का आबंटन किया गया है।

(दो) 1980-81 में विस्तार के लिए 200 लाइनों के एक्सचेंज उपस्कर का आबंटन किया गया है।

(तीन) 1982-83 के लिए 2000 लाइनों का कनटेनराइज्ड एक्सचेंज का आबंटन किया गया है।

(चार) 1985-86 के सप्लाई कार्यक्रम में 3000 लाइनों का क्रासबार उपस्कर का आबंटन किया गया है तथा एक्सचेंज के 1987-88 तक चालू होने की संभावना है।

विधवाओं/अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को एल. पी. जी./ पेट्रोल पम्प/डीजल और पम्प मिट्टी के तेल की एजेंसियों का आबंटन

2766. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की नीति के अनुसार खाना बनाने की गैस, डीजल और पेट्रोल पम्प एजेंसियों का कुछ प्रतिशत विधवाओं/अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों/ भूतपूर्व सैनिकों को आबंटन करने हेतु आरक्षित रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार इसका कितना प्रतिशत आरक्षित किया जाता है;

(ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन और इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा 1 जनवरी, 1983 के बाद से महाराष्ट्र राज्य में (एक) आबंटित (दो) विज्ञापित खाना बनाने की गैस, पेट्रोल पम्पों, डीजल पम्पों/मिट्टी का तेल सप्लाई करने की एजेंसियों की संख्या कितनी है ;

(घ) उल्लिखित श्रेणियों के लिए उक्त आरक्षित एजेंसियों की (स्थान सहित) संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अनेक मामलों में उपरोक्त विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों द्वारा मात्र माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि गरीब व्यक्तियों के पास अपेक्षित धनराशि का अभाव होता है; और

(च) सरकार का विचार इस कमी को किस तरह दूर करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) : जी हां। विभिन्न श्रेणियों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों को डीलरशिप/डिस्ट्री-ब्यूटरशिपों के आबंटन में आरक्षण प्रतिशत निम्न प्रकार है :

(1)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियां	25%
(2)	बेरोजगार इंजीनियरी स्नातक सहित बेरोजगार स्नातक	25%
(3)	शारीरिक रूप से अपंग हुए व्यक्ति, जिनमें कार्य करते समय असमर्थ हुए सरकारी कार्मिक और कार्य के दौरान मारे गये सरकारी कार्मिकों की विधवाएं शामिल हैं	15%
(4)	स्वतन्त्रता सेनानी	5%
(5)	अन्य	30%

(ग) 1-1-1983 से 29-2-1984 तक महाराष्ट्र राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की आबंटित (आशय-पत्र जारी किया गया)/विज्ञापित की गई डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या इस प्रकार हैं :—

	आबंटित (आशय-पत्र जारी किया गया)			विज्ञापित		
तेल कंपनी का नाम	एल. पी. जी.	एस. के. ओ/ एल. डी. ओ.	रिटेल आउटलेट (डीजल/ पेट्रोल पम्प	एल. पी. जी.	एस. के. ओ/ एल.डी. ओं	रिटेल आउटलेट (डीजल पेट्रोल पम्प)
आई. ओ. सी.	4	4	3	18	21	41
एच. पी. सी.	2	3	5	40	22	29
बी. पी. सी.	3	1	5	50	23	27
योग :	9	8	13	108	66	98

(घ) स्थान-वार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) और (च) यद्यपि अभी तक ऐसा कोई मामला प्रमाणित नहीं हुआ है परन्तु सामाजिक उद्देश्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के पास वित्त को संभावित अपर्याप्तता की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने चुने गये डीलर/डिस्ट्रीब्यूटरों को उनकी आवश्यकता (अर्थात् कार्य-चालन पूंजी तथा सावधिक ऋण) को 75% सीमा तक देश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, अभी हाल ही में, एक योजना आरम्भ की है।

एफ०ए०सी०टी० की केप्रोलेकटम परियोजना

2767. **श्री ए० नीलालोहितदसन नादार**
श्री ए०के० बालम
: क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एफ. ए. सी. टी. की केप्रोलेक्टम परियोजना को मंजूर करने के बारे में कोई फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो किए गए निर्णय मंजूरशूदा परियोजना का ब्यौरा क्या है और निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) फैक्ट के कोचीन प्रभाग में 32·4 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित 147.94

करोड़ रुपये की लागत पर एक केप्रोलेक्टम परियोजना की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा अप्रैल 1982 में अनुमोदन दिया गया था। विदेशी परामर्शदाताओं के साथ विदेशी करार अनुमोदित किया जा चुका है और परियोजना का कार्यान्वियन प्रारम्भ कर दिया गया है।

बिहार के जिलों में शाखा डाकघरों का खोलना

2768. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार गिरडीह जिले के पर्वतपुर (मैन डी ब्लाक), जामदार (घनवाड़ ब्लाक), खाजमुन्डा चिकनाडीह (तेवरी ब्लाक), मन्शाडीह (तीसारी ब्लाक), पिन्डाडांड (गिरडीह ब्लाक) और हजारी बाग जिले के मानैया (बंड काठा ब्लाक) में शाखा डाक-घर खोले जाने थे; और

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों में स्थित इनमें से प्रत्येक गांव की जनसंख्या 2000 से 4000 के बीच है और इनमें संचार सुविधायें अपर्याप्त हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) डाकघर खोलने के निर्धारित मानदण्डों पर्वतपुर (गांडे ब्लाक) जामदार (घनवाड़ ब्लाक) और मंशाडीह (तिसारी ब्लाक) में डाकघर खोलने का औचित्य बनता है परन्तु खाजमुंडा (देवरी ब्लाक) पिंडाटांड (गिरिडीह ब्लाक) और मनैया (बरकाथा ब्लाक) में डाकघर खोलने का औचित्य नहीं ठहरता। चिकनाडीह (देवरी ब्लाक) में पहले से ही डाकघर हैं।

(ख) इनमें से किसी भी स्थान की जनसंख्या 2000 से 4000 नहीं है। ये स्थान पिछड़े क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और यहां पर्याप्त डाक सुविधाएं हैं।

हजारीबाग जिले में टामासिन कोयला क्षेत्र

खोज क.

2769. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० के अधीन बी० एण्ड के० क्षेत्र में हजारीबाग जिले में इटखोरी ब्लाक में टामासिन कोयला खान, जहां उच्च ग्रेड के कोयले का विशाल भंडार है; बन्द पड़ी हुई है; और

(ख) क्या कोयले की कमी दूर करने और स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से टामासिन कोयला क्षेत्र में एक परियोजना आरम्भ की जाएगी और यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) टामासिन कोयला खान का नाम न तो बन्द खानों की सूची में है और न ही अधिग्रहण की गई खानों की सूची में है। परन्तु, सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० का इटखोरी कोयला ब्लाक हजारीबाग

जिले में हैं किन्तु यह बी० एण्ड के० एरिया के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। चूंकि इटखोली ब्लाक में भू-वैज्ञानिक समन्वेषण अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए इस ब्लाक में कोयले की किस्म और भंडारों का पता नहीं लगाया जा सकता और इस ब्लाक में एक परियोजना शुरू करने की बात अभी तक नहीं सोची गई है।

देश के सभी भागों में काश्मीर के असंगठित श्रमिकों का सर्वेक्षण

2770. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि काश्मीर के श्रमिक समूचे देश के गैर-सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि ये श्रमिक पूर्णत: असंगठित हैं तथा इनमें मोलतोल करने की शक्ति नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन श्रमिकों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

संसद सदस्यों को सीधी ट्रंक डायल टेलीफोन सुविधा

2771. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि कई संसद सदस्यों ने उनके विभाग को कहा है कि उनके टेलीफोनों पर सीधी डायल सुविधा समाप्त कर दी जाए क्योंकि उसके काफी गलत बिल बनते हैं जिनकी अदायगी उनके लिए संभव नहीं हैं;

(ख) क्या उन्हें यह भी मालूम है कि टेलीफोनों पर सीधी ट्रंक डायल सुविधा समाप्त करने पर संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सम्पर्क में रहने के लिए साधारण के साथ-साथ तत्काल काल बुक करानी पड़ती है लेकिन वे काल भी आवश्यक समावधि के भीतर नहीं मिल पातीं ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हाँ। कुछ सदस्यों ने अपने टेलीफोनों से एस० टी० डी० सुविधा कटवा ली है। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मामले में टेलीफोन से एस० टी० डी० सुविधा तभी काटी जाती है, जब ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है। जब कभी भी अधिक राशि के गलत बिल प्राप्त होने की शिकायत मिलती है, तो उसकी सावधानी से जांच की जाती है।

(ख) जी हां। ट्रंक कॉल में तभी विलंब होता है जब किसी विशेष मार्ग पर परियात काफी अधिक होता है। जिन स्थानों के लिए ट्रंक कॉल दो या उससे अधिक सम्पर्कों (लिंक) के मार्फत लगाई जाती है, उसमें कभी-कभी विलम्ब हो जाता है।

डा० भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में डाक टिकट

2772. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के संविधान के निर्माता डा० भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह टिकट कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी स्मृति में अब तक डाक टिकट जारी किए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) स्वर्गीय डा० अम्बेडकर पर पहले ही दो स्मारक डाक-टिकट 14-4-66 और 14-4-73 को जारी किए जा चुके हैं। इस विशिष्ट व्यक्ति के सम्मान में कोई और डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जिन विशिष्ट व्यक्तियों पर अब तक स्मारक डाक-टिकट जारी किए गए है, उनके नामों की सूची अनुबंध में दी गई। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—7924/84]

गुजरात के खम्बात बेसिन में तट पर विशाल तेल की खोज की वृहत परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

2773. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के खम्बात बेसिन के तट पर तेल की खोज की वृहत परियोजना के वित्त पोषण हेतु विश्व बैंक से एक बहुत बड़ी राशि का ऋण देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा तथा कुल लागत क्या है; और इस सम्बन्ध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को केम्बे बेसिन पेट्रोलियम परियोजना को वित्त व्यवस्था के लिए विश्व बैंक के सामने रखा है।

(ख) इस परियोजना में उत्तरी गुजरात क्षेत्रों में लगभग 530 विकास कूओं, 4 प्रचलीय (पैरामेट्रिक) 4 अन्वेषी कूओं का व्यधन, पिछले क्षेत्रों में लगभग 1750 किलो मीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा केम्बे बेसिन के कुछ क्षेत्रों में तेल प्राप्त करने की योजनाओं में वृद्धि करने की परिकल्पना है। परियोजना पर, जिसे 1985-90 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा, 503 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा घटक सहित 920 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गयी है। इस परियोजना का आंशिक रूप से वित्त पोषण करने के लिए विश्व बैंक से इस समय बातचीत चल रही है।

असम में जोराजन क्षेत्र में तेल का पता चलना

2774. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर असम के जोराजन क्षेत्र में तेल होने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में तेल का कितना भंडार होने का अनुमान है और उसे निकालने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) अनुमानित वसूली योग्य भण्डारों के बारे में सूचना देना जनहित में न होगा। अतिरिक्त विकास कूओं की खुदाई करके तथा सतही सुविधाएं स्थापित करके 0.55 एम०टी०पी०ए० के उत्पादन के वर्तमान स्तर को 1986-87 तक धीरे-धीरे बढ़ाकर 1.22 एम०टी०पी०ए० कर दिया जाएगा।

डब्लू०सी०एल० और सी०सी०एल० के अधीन सभी कोयला खानों का एक संगठन में विलय करने का प्रस्ताव

2775. **श्री दलबीर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के अधीन सभी कोयला खानों का एक संगठन में विलय करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है और इसका मुख्यालय कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

ऊर्जा मंत्रालय द्वारा "नामिनल बोर डी० एस० टी० टूल" का आयात स्वीकृति न दिए जाने के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को हुआ घाटा

2776. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 4 फरवरी, 1984 के नवभारत टाइम्स में "पौने चार करोड़ रुपये डूब गए" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय में हुए विलम्ब के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को 3 करोड़ 70 लाख डालर का घाटा उठाना पड़ा क्योंकि उनका मंत्रालय तेल के कुओं में उपलब्ध तेल की किस्म और मात्रा का पता लगाने वाले नए उपकरण "नोमिनल बोर डी० एस० टी० टूल" को आयात के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को स्वीकृति नहीं दे सका;

(ख) इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं और क्या इस बीच उपरोक्त स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) इस विलम्ब और घाटे के लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

हल्दिया तेल शोधन कारखाने का विस्तार

2777. **श्री सत्य गोपाल मिश्र**
श्री अमर राय प्रधान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने छठी योजना अवधि के दौरान हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विस्तार का विचार छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विस्तार के लिए निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) हल्दिया को भारतीय तेल निगम यूनिट के लिए उनके मंत्रालय को क्या योजना और कार्यकम़ हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रायोजनाओं की तुलनात्मक प्राथमिकताओं की माँग प्रक्षेपणों तथा वित्तीय साधनों को ध्यान में रखकर, समीक्षा की जा रही हैं।

(घ) और (ङ) प्रस्ताव मौजूदा रिफाइनरी की 2.5 मि० मी० टन प्रतिवर्ष की वर्तमान क्षमता का विस्तार करके 5.5 मिली मीटर प्रतिवर्ष करने के बारे में है और इसमें गौण संसाधन सुविधाएं भी शामिल है।

कोयाली रिफाइनरी द्वारा गैस सिलेन्डरों का उत्तर भारत में भेजा जाना

2778. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कड़ा अभ्यावेदन दिया है कि कोयाली रिफाइनरी को उत्तर भारत को गैस सिलेण्डर भेजने की अनुमति न दी जाए क्योंकि इसके कारण गुजरात में गैस सिलैण्डरों की कमी हो गई;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल में कोयाली रिफाइनरी में राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों को गैस सिलेण्डर भेजना शुरू किया था;

(ग) क्या सरकार को पता है कि गैस सिलेण्डरों को अन्यत्र भेजने के परिणामस्वरूप गुजरात के कई भागों में प्रयोक्ताओं के लिए सिलेण्डर प्राप्त करने की प्रतीक्षा अवधि बढ़कर 20 दिन या इससे भी अधिक हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक रिफाइनरी बाटलिंग संयंत्र अपनी समीपवर्ती राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोयाली स्थित एल. पी. जी. बॉटलिंग संयंत्र की क्षमता गुजरात राज्य की एल. पी. जी. की मांग से अधिक है, यह समीपवर्ती मध्यप्रदेश तथा राजस्थान राज्यों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां, गुजरात के कुछ शहरों में कुछ बैकलॉग है। जिन शहरों में बैकलॉग हैं उनमें सामान्य स्थिति लाने के लिए पहले ही गुजरात की सप्लाई में वृद्धि कर दी गयी है।

गुजरात शोधक कारखाने में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों का भरा जाना

2779. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात शोधक कारखाने में गत वर्ष जनवरी की तुलना में जनवरी, 1984 के दौरान प्रतिदिन खाना पकाने की गैस के कितने सिलेण्डर भरे गए; और

(ख) क्या उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की सप्लाई के लिए प्रतीक्षा अवधि को कम करने हेतु अधिक गैस सिलेण्डर भरने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) गुजरात रिफाइनरी में जनवरी, 1984 महीने तथा पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान प्रतिदिन भरे गए सिलेण्डरों की संख्या नीचे दी गई है :

जनवरी, 1984	जनवरी, 1983
16,496 प्रतिदिन	11,047 प्रतिदिन

(ख) जी, हां।

लंबित मामलों की समस्या की समीक्षा के लिए समिति

2780. **श्री नवीन रावणी**
श्री अर्जुन सेठी } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लंबित मामलों की समीक्षा के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) इस समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) सरकार ने उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या की समीक्षा करने और उसके समाधान के उपाय सुझाने के लिए तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठित की है।

(ख) समिति में निम्नलिखित हैं :—

(1)	श्री न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र, मुख्य न्यायमूर्ति, कलकत्ता उच्च न्यायलय।	अध्यक्ष
(2)	श्री न्यायमूर्ति एस. एस. सन्धावालिया, मुख्य न्यायमूर्ति, पटना उच्च न्यायालय।	सदस्य
(3)	श्री न्यायमूर्ति डी. पाठक, मुख्य न्यायमूर्ति, उड़ीसा उच्च न्यायालय।	सदस्य

(ग) जी, नहीं।

राजकोट और अमरेली में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

2781. **श्री नवीन रावणी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में राजकोट में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) उक्त दूरदर्शन केन्द्र के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आएगा;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस दूरदर्शन केन्द्र से गुजरात के अमरेली जिले को दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के ग्रामीण और पिछड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अमरेली में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। राजकोट में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं

सहित उच्च शक्ति वाले एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना की जा रही हैं। केन्द्र के लिए स्थान का अधिग्रहण कर लिया है तथा भवन निर्माण कार्य हाथ में ले लिया गया है। ट्रांसमीटर तथा अन्य आवश्यक उपकरणों की सप्लाई के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। कुछ उपकरण प्राप्त हो गए हैं। 150 मीटर ऊंचे स्टील टावर के निर्माण का काम भी हाथ में ले लिया गया है। केन्द्र के 1984 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ग) राजकोट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की सेवा परिधि लगभग 120 किलोमीटर होने की उम्मीद है।

(घ) और (ङ) राजकोट में लगाए जा रहे दूरदर्शन ट्रांसमीटर से अमेरेली जिले के बड़े भाग में सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। अमरेली में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

आसन्न तेल संकट के बारे में अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा चेतावनी

2782. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय तेल स्थिति के बारे में लगभग यथार्थ निर्धारण के लिए सुप्रसिद्ध अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा आसन्न तेल संकट के बारे में विश्व को चेतावनी दी गई है;

(ख) क्या प्रतिवेदन के अनुसार नये तट दूर क्षेत्रों से भारत के लिए अधिक तेल मिलने की संभावना नहीं है तथा भविष्य में भारत को तेल केवल असम, गुजरात तथा बम्बई तट दूर जैसे सुविख्यात तेल प्रदेशों से ही प्राप्त होगा न कि कावेरी, गोदावरी, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान जैसे क्षेत्रों से, जहां कि भारत की तेल उत्पादक एजेंसियां अत्यधिक केन्द्रित होने जा रही हैं; और

(ग) अमरीकी विशेषज्ञों के उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या नये तट दूर क्षेत्रों के तेल खोज कार्यक्रम की समीक्षा करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) एक अंग्रेजी दैनिक में इस संबंध में अभी हाल में एक समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ग) एजेंसी के विचारों को नोट कर लिया गया है। तथापि गोदावरी, कावेरी तथा अंडमान अपतटीय तथा राजस्थान में हाइड्रोकार्बन के संकेत पहले से ही प्राप्त हो चुके हैं। इन क्षेत्रों में तेल की और अधिक खोज के कार्य को जारी रखा जा रहा है।

पेट्रोलियम तथा अशोधित तेल का अध्ययन करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गठित संस्थायें

2783. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पेट्रोलियम तथा अशोधित तेल का

अध्ययन करने तथा सम्बन्धित मशीनों तथा उपकरण के रख-रखाव के लिए कोई संस्थान गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने पेट्रोलियम अन्वेषण, व्यधन औद्योगिकी तथा रिजर्वायर इन्जीनियरी के लिए पहले ही तीन संस्थानों की स्थापना की है ।

केवल पेट्रोलियम तथा कच्चे तेल का अध्ययन करने तथा सम्बन्धित मशीनों तथा उपकरणों के रख-रखाव के लिए अलग से कोई संस्थान नहीं है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का सातवीं योजना के लिए योजना परिव्यय

2784. **श्री बाला साहिब बिरवे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का सातवीं योजना के लिए योजना परिव्यय क्या है;

(ख) क्या तेल के नए क्षेत्रों की खोज के लिए कोई व्यापक योजना बनाई गई थी;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा "हाइड्रो-कार्बन" के अनुसंधान के लिए कोई योजना चालू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के खोज कार्यक्रम के बारे में सही परिव्यय तथा अन्य ब्यौरे सातवीं योजना को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे ।

निर्वाचन आयोग द्वारा 1985 में होने वाले निर्वाचन के लिए सुझाए गए मार्गदर्शक सिद्धान्त

2785. **श्री चित्त महाटा** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने 1985 में होने वाले लोक सभा और विधान सभा साधारण निर्वाचनों के संबंध में कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्तों का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय लिए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) (क) : निर्वाचन आयोग ने जिससे स्थिति का पता लगाया गया है, इस बात की पुष्टि की है कि उसने ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल निकालने के कार्य का विस्तार करने और शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए देश में क्षमता

2786. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल निकालने के कार्य का विस्तार करने और तेल शोधक कारखानों की शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए देश में क्षमता का विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) **तेल की खोज** :

कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जिनमें स्वदेशी क्षमता विकसित की गयी है/विकसित की जा रही है; इस प्रकार है :

(1) तटीय व्यधन के लिए ड्रालिंग रिगों तथा वर्क ओवर रिगों का निर्माण;

(2) पंपिंग यूनिट, जिनमें सकर रॉड पम्प, कूप-शीर्ष तथा एक्स मास ट्रीज, केसिंग पाइप और ड्रिलिंग बिट्स इत्यादि शामिल हैं;

(3) उत्पादन, प्रतिष्ठापन तथा अपतटीय प्लेटफार्म, अपतटीय जैक-अप रिग ड्रिलशिप, ओ. एस. वी. तथा एम. एस. वी. इत्यादि; और

(4) तेल तथा गैस के परिवहन के लिए पाइप लाइन डालना, पाइपों की कोटिंग तथा रेपिंग इत्यादि ।

तेल शोधन क्षमता :

परामर्शदात्री संस्थान, मैसर्स इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने नये तेल शोधक कारखानों के डिजाइन तथा निर्माण के लिए और मौजूदा तेल शोधक कारखानों के विस्तार के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास किया है । तथापि, लाइसेंसशुदा प्रक्रियाओं, जैसे फ्लूइड कैटेलिटिक क्रेकर (एफ० सी० सी०) के सम्बन्ध में प्रक्रिया जानकारी का आयात करना पड़ता है ।

लिग्नाइट का भंडार और उसका उत्पादन

2787 **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लिग्नाइट का कुल कितना भंडार है;

(ख) वर्ष के दौरान लिग्नाइट का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) लिग्नाइट का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में लिग्नाइट के भंडार लगभग 3570 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ख) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने 1983-84 (29.2. 1984 तक) 6.25 मिलियन टन लिग्नाइट का उत्पादन किया है। गुजरात में दिसम्बर 1983 तक कच्छ जिले में 0.472 मिलियन टन लिग्नाइट का उत्पादन हुआ था।

(ग) लिग्नाइट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनमें यह बातें शामिल हैं। खानों का यंत्रीकरण, वर्तमान खानों का विस्तार और नई खानें खोलना।

दिल्ली में टेलीफोन खराब होने की शिकायतें

2788. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन महीनों के दौरान टेलीफोन खराब होने की कितनी शिकायतें मिली; और

(ख) शिकायतों को दूर करने में कितना समय लगता है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) दिल्लीटेलीफोन में पिछले तीन महीनों के दौरान प्राप्त टेलीफोन के दोषों से सम्बन्धित शिकायतों की कुल संख्या इस प्रकार है :

नवम्बर, 1983	1,39,791
दिसम्बर, 1983	1,47,261
जनवरी, 1984	1,43,667

(ख) शिकायतों को दूर करने में लगा औसत समय नीचे दिया गया है :

नवम्बर, 1984	7.3 घन्टे
दिसम्बर, 1983	7.3 घन्टे
जनवरी, 1984	6.3 घन्टे

अत्यावश्यक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

2789. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि निर्माता अत्यावश्यक दवाओं के मूल्यों में बार-बार वृद्धि कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1986 के अधीन उत्पादकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे अपने मूल्य नियंत्रण फार्मूलेशनों, जिनमें आवश्यक औषध भी शामिल हैं; के मूल्यों को संशोधित करने से पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त करें। अनुमति प्राप्त किए बिना कुछ फार्मूलेशनों के मूल्यों को बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे मामलों में, कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं या मूल्यों की जांच की जा रही है।

"हैदराबाद एस्बेस्टोस सीमेंट प्रोडक्ट्स" रोरो (बिहार) को बन्द किया जाना और छंटनी किए गए कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति

2790. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सिंहभूम जिले में रोरो में बिड़ला स्वामित्व वाली हैदराबाद एस्बेस्टोस सीमेंट प्रोडक्ट्स के बन्द होने के कारणों का पता लगा लिया गया है;

(ख) रोरो एस्बेस्टोस खानों में नियुक्त 1500 आदिवासी मजदूरों का क्या हुआ;

(ग) क्या वे छंटनी किए जाने और सर्वाविदित रूप के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक एस्बेस्टोस डस्ट में कार्य करने पर प्रतिपूर्ति के हकदार हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म बीर) : (क) से (घ) बिहार के सिंहभूम जिले में स्थित रोरो एस्बेस्टोस माइन्स को वित्तीय हानियों और अलाभकारिता के कारण दो वर्ष पहले बन्द किया गया था। यह बताया गया है कि उक्त खानों में नियोजित सभी कर्मकारों का देय छंटनी मुआवजा आदि की अदायगी कर दी गई है।

सिलिकोसिस को खान अधिनियम, 1952 की धारा 25 के अधीन व्यावसायिक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है और जो व्यक्ति व्यवसाय के दौरान इस बीमारी से प्रभावित

होते हैं वे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन प्रतिकर (मुआवजे) के हकदार हैं, बशर्ते कि वे अधिनियम के अधीन निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

स्वनियोजन के लिए केन्द्रीय योजनाएं

2791. **श्री. के मालन्ना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि रोजगार कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय योजना लागू करने हेतु कुछ जिलों का चयन करें, और

(ख) यदि हां, तो देश में ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां। स्वः रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार कार्यालयों/विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शक केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण करने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत, 24 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 30 जिलों का चयन करने का निर्देश दिया गया है; जहां 1983-85 की अवधि के अन्तर्गत प्रायोगिक चरण में स्वः रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाना है। छठी योजना के अन्त में इस स्कीम के मूल्यांकन के पश्चात ही स्कीम के और अन्य क्षेत्रों पर विस्तार करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट योजना के अन्तर्गत, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार रोजगार कार्यालय स्व-रोजगार कार्यकलापों के लिए शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को प्रेरित करेंगे, मार्ग-दर्शन देंगे और उनका पंजीकरण करेंगे। रोजगार कार्यालयों के कुछ कर्मचारी स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के अभिप्राय से ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे।

(2) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने सम्बन्धी एक अन्य योजना उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत 10 लाख से अधिक जन संख्या वाले शहरों को छोड़कर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को लाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 18-35 वर्ष के आयु-ग्रुप के शिक्षित युवकों को उद्योग सेवा या व्यापार क्षेत्रों में स्व-रोजगार सम्बन्धी कार्यकलापों को शुरू करने के लिए सहायता का पैकेज प्रदान किया जाएगा जिसमें वित्तीय सहायता शामिल है। इस योजना से प्रति वर्ष 2.5 लाख शिक्षित युवकों को लाभ पहुंचने की आशा है।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) और स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण (ट्राइसेम) सम्बन्धी योजनाओं को 1979 से कार्यान्वित कर रहा है। 2 अक्टूबर, 1980

से आई. आर. डी. पी. और ट्राइसेम को एक संयुक्त योजना में मिला दिया गया है और यह अब देश के सभी ब्लॉकों पर लागू होती है।

औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में धन संकेन्द्रण को रोकने हेतु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन

2792. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में धन संकेंद्रण को रोकने के लिए एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के बावजूद एकाकार बढ़ता जाता है;

(ग) एक समतावादी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इसे आर्थिक प्रभावी बनाने के लिए उक्त कानून को बदलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) उच्चाधिकारी विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) जिसने एकाधिकारी तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण किया था, ने आर्थिक प्रणाली औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में सम्पत्ती के संकेन्द्रण पर अंकुश की दृष्टि से उसे अधिक प्रभावशाली तंत्र बनाने की दिशा में अनेक सुझाव दिये थे। इन सुझावों की दृष्टिगत करते हुए तथा अधिनियम के कार्य व्यवहार के दौरान प्राप्त अनुभवों को भी दृष्टिगत करते हुए सरकार के सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर साम्यता स्थापित करने पर दी जा रही प्रमुखता को ध्यान में रखकर सरकार ने पहले ही एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1983 राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिया है जिस पर संसद में चर्चा किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के संचालन ने निश्चित रूप से एकाधिकार की वृद्धि पर तथा आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोकने का कार्य किया है। बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों में वृद्धि की दर में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के लागू होने के पश्चात् से कमी हुई है।

उद्योग में तालाबन्दी, जबरन छुट्टी तथा उनका बंद किया जाना

2793. **श्री अजय विश्वास** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कारखानों की संख्या कितनी है जिनमें वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान तालाबन्दी, जबरन छुट्टी तथा बन्द किये जाने की घोषणा की गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान तालाबन्दी, जबरन छुट्टी तथा बन्द किए जाने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन कारखानों को चालू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) तथा (ख) तालाबन्दियों, जबरी छुट्टियों तथा काम बन्दियों संबंधी सूचना केवल केलैंडर वर्षों के किए रखी जाती है। श्रम ब्यूरो तथा राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर, वर्ष 1982 तथा वर्ष 1983 के दौरान हुई तालाबन्दियों, जबरी-छुट्टियों तथा कामबन्दियों और उनसे प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या सम्बन्धी एक **विवरण** संलग्न है।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन, राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में तालाबंदियों को समाप्त कराने तथा बन्द पड़े हुए कारखानों को पुन: चालू कराने के लिए प्राधिकरण हैं तथा आवश्यक कदम उठाने के लिए समुचित केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के संबंध में, इस प्रकार की कार्यवाहीं समुचित सरकार होने के नाते केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है।

विवरण

1982-83 के दौरान तालाबन्दियों की संख्या जबरी-छुट्टी तथा कामबन्दी करने वाले एककों की संख्या और उनके कारण प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	ताला बंदियों की संख्या	जबरी-छुट्टियों संख्या	काम-बंदियों की संख्या	निम्नलिखित के कारण प्रभावित होने वाले श्रमिकों की संख्या		
				ताला बंदियां	जबरी—छुट्टियां	काम—बंदियां
1982 (अ)	454	1521	307	278,475	306,400	16,871
1983 (अ)	374	1156	192	226,424	231,086	42,822

(अ) = अनंनतिम

उपभोक्ता और थोक मूल्य सूचकांक

2794. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) दिनाँक 10 जनवरी, 1980 को उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक कितना था और यह 10 जनवरी, 1982, 10 जनवरी, 1983 और 10 जनवरी, 1984 तक कितने-कितने अंक बढ़ा/घटा ;

(ख) उल्लिखित तारीखों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक कैसे प्रतिबिम्बित हुआ ; और

(ग) दिनाँक 10 जनवरी, 1980 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किन-किन वस्तुओं का संयोजन शामिल किया गया तथा उनका भार कितना था ; उत्पादों का भार सहित संयोजन और क्या इस बीच उक्त संयोजन में परिवर्तन किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रति माह 1960=100 आधार पर संकलित किए जाते हैं न कि किसी विशिष्ट तारीख के आधार पर 1 दिसम्बर, 1979 का सूचकांक, जो 10 जनवरी, 1980 के निकटस्थ है, 374 था। इसमें 34 प्वांइट्स की वृद्धि होने पर दिसम्बर, 1980 में यह 408 हो गया और 52 प्वांइट्स की और वृद्धि होने पर दिसम्बर 1981 में यह 460 हो गया। इसमें 37 प्वाइन्ट्स की वृद्धि होने पर दिसम्बर 1981 में यह 497 तथा 62 प्वाइन्ट्स की वृद्धि होने पर दिसम्बर, 1983 में यह 559 हो गया।

(ख) चूंकि थोक सूचकांकों के लिए प्रयुक्त वस्तुओं की बास्केट की मद्दों के घटक तथा उनके वेटिंग पेटर्न उपभोक्ता सूचकांकों के लिए प्रयुक्त वस्तुओं की बास्केट से भिन्न है। अतः इन दो सूचकांकों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती। इस कारण इन दो सीरीज में समान मद्दों के सम्बन्ध में अलग-अलग सूचकाँक उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल की गई वस्तुओं तथा सेवाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

वर्ग	भार
(1) खाद्य पदार्थ	60.92
(2) पेन, सुपारी तथा नशीले पदार्थ	4.79
(3) ईंधन तथा प्रकाश	5.77
(4) कपड़ा, बिस्तर तथा जूते	8.54
(5) आवास	6.26
(7) विविध	13.72

उपभोक्या मूल्य सूचकांक की पूरी अवधि के दौरान मद्दों का संघटन वही रहता है।

12.00

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० के० के० तिवारी

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह हमने कर्नाटक में हो रहे भाषायी दंगों पर चर्चा का नोटिस दिया था। भाषायी दंगे बढ़ रहे हैं और व्यापक रूप से फैल गए हैं। 10 व्यक्ति मारे गए हैं। हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आपने आसाम तथा गुजरात पर भी चर्चा करने की अनुमति दी है अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बढ़ रहे भाषायी दंगों और भाषायी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों तथा राज्य सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में असफलता पर चर्चा करने की अनुमति दें।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं पहले ही स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैंने प्रो० के० के० तिवारी को बुलाया था।

प्रो० मधु दंडवते : वे सब लोग बिना प्रस्ताव रखे निवेदन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मेरी बात सुनिए। यह क्या हो रहा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, आपको क्या हो गया है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नही। मैं नहीं जानता कि आप सब क्यों चिल्ला रहे हैं ? मैं क्या कर सकता हूं ? क्या मेरे पास सबकी बात सुनने के लिए बहुत से कान हैं ?

मेरी आपसे अर्ज यह है कि कल बिजनस एडवायजरी कमेटी में हमने इस पर डिस्कशन किया था और वहां यह फैसला हुआ था कि अभी नहीं कल के हालात देख लें।

(व्यवधान)

मैं इस पर पुनः विचार करूंगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजी पुर) : हम उत्तर प्रदेश और बिहार का मामला उठाते हैं जिसको आप स्टेट सबजेक्ट कहते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा आवश्यक है । आपने गुजरात पर चर्चा करने की अनुमति दी। कर्नाटक पर क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, आप गलत निष्कर्ष क्यों निकाल रहे हैं । पूरे सदन ने मुझसे पूछा है कि क्या हमें भाषायी अल्पसंख्यकों पर चर्चा करनी चाहिए अथवा नहीं । पूरे सदन ने कहा था । मैंने सदन में वचन दिया था कि मैं यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा । कल शाम हमारी चर्चा हुई थी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं ? यह क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । प्लीज सिट डाऊन ।

प्रो० के० के० तिवारी : हमने नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । अगर आप में से बीस इधर से और बीस उधर से बोलने लगेंगे तो उससे क्या फायदा होगा । इससे किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ता है । मैंने तो आपको इजाजत दी थी, लेकिन मैं क्या करूं । मैं तो सब की बात सुनना चाहता हूं, लेकिन इस तरह से कैसे किसी की बात सुन सकता हूं ।

श्री राम विलास पासवान : हमें बिहार और उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कहना है ।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : यह कर्नाटक के संबंध में है । स्थिति बहुत गंभीर है ।

श्री राम विलास पासवान : बिहार में क्या हुआ है ? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरख पुर) : उत्तर प्रदेश में कई लोगों को मारा जा रहा है और विपक्षी नेता श्री मुलायम सिंह पर भी हमला किया गया ।

श्री अबदुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : हमारी कोई नहीं सुनता । अभी प्राइम मिनिस्टर ने एम०पीज० और एम०एल०एज० की मीटिंग में कश्मीर और हमारी गवर्नमैंट को मेलाईन किया है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारी जबान दबाई जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

अध्यक्ष महोदय : शाउट करने से क्या फायदा मिलता है । मैंने कहा है कि मैं किसी स्टेट सबजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं और ना ही की है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा, उसी की बात कर रहा हूं। आपने मुझे यह करने का निर्देश दिया था। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप इस तरह से काम करते हैं जैसे कोई तूफान आ रहा हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके प्यार से बात करिए। उससे मुझे भी सुनाई देगा। मैंने अर्ज किया है कि लिंग्विस्टिक मामलों पर कुछ झगड़ा हुआ है। उसके लिए हाउस ने मुझ से कहा था। मैंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा था। फिर झगडा हुआ है। फिर आपसे सलाह कर लूंगा। यही कहा और कुछ नहीं कहा है।

प्रो० के० के० तिवारी : कर्नाटक पर क्यों नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह कर्नाटक का प्रश्न नहीं है।

मैंने सुन लिया है। कर्नाटक की कोई बात नहीं है।

कार्यवाही वृतांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप भी मौजूद थे।

(व्यवधान)**

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय हम आपके डायरेक्शंस से और रूलिंग से बिल्कुल सहमत हैं। आप कहते हैं कि प्यार से बात करनी चाहिए। इनको पहले प्यार करना तो सिखाइए। वे तो प्यार करना ही नहीं जानते। (व्यवधान) आपने कहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये मसला रखेंगे। आप अथवा कार्य मंत्रणा समिति जो भी निर्णय देगी, हम उस का पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : एक बात आप लोग समझ क्यों नहीं लेते। हमने बार-बार यह कहा है और रोज कहता हूं और हाथ जोड़ कर बताना चाहता हूं। जो कुछ भी आप डिसकस करना चाहते हैं, उसके लिए सारे दरवाज़े खुले हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : एडजर्नमेंट मोशन को छोडकर।

अध्यक्ष महोदय : एडजर्नमेंट मोशन जब होता है तो वह भी आता है। बाकी काम मैं आपकी सलाह से करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : वहां केवल आपके और हमारे बीच स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई है।

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं सलाह करता हूं। आपसे सलाह करने के बाद सारा काम करता हूं। मगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो बाहर लोग क्या सोचेंगे।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या प्रो० तिवारी नहीं जानते कि कार्य मंत्रणा समिति समय निर्धारित करने के अतिरिक्त प्रत्येक सप्ताह यह निर्णय भी लेती है कि किस विषय पर चर्चा की जायेगी ? क्या वह यह नहीं जानते ?

प्रो० के० के० तिवारी : यह बताना अध्यक्ष महोदय का काम है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय की घोषणा हमेशा सदन में की जाती है।

श्री राम विलास पासवान : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर को यह राइट नहीं कि वह यहां पर मामला उठाए।......(व्यवधान)

(व्यवधान)**

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, आप उनको रोकिए।

अध्यक्ष महोदय : उनकी जुबान तो रुकती नहीं, मेरी कलम रुकी हुई है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : कर्नाटक में पहले भी इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जैसी अब हुई है।......(व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी : हरियाणा में रेल की पटरियां बम से उखाड़ी जा रही हैं और वहां के स्पीकर पर हमला हुआ है।......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी विचाराधीन है। इसमें एडजार्नमेंट मोशन की कोई बात नहीं है। इस पर डिसकस करवा दूंगा।

श्री मनी राम बागड़ी : हमारे बच्चों की हालत वहां क्या है, हमारे घरों पर हमले हो रहे हैं।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। हम इस पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)...

श्री मनी राम बागड़ी : रेल गाड़ी की पटरी उखाड़ दी जाए, क्या यह गंभीर बात नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या पंजाब के उग्रवादियों की गतिविधियां हरियाणा तक नहीं फैल रही हैं ?......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ न कुछ तरीका निकालूंगा। बाद में बता दूंगा।

...(व्यवधान)...

प्रो० मधु दंडवते : कल आपने इस सदन में आश्वासन दिया था कि हमने कल जो मामला उठाया था आप उस संबंध में जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर रहे हैं। कृपया मुझे इसे पूरा करने की अनुमति दीजिए। हम आपका आदर करते हैं तथा आपको भी हमारा आदर करना चाहिए। मैं आपका विनिर्णय उद्धृत कर रहा हूं। आपने कहा है "मैं सरकार से जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर रहा हूं और तब इसे प्रस्तुत किया जायेगा। केवल तभी मैं विचार करूंगा कि इस मामले में क्या किया जाना है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बीच सदन के समक्ष लंबित पड़े मामले के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री की ओर से श्री राजीव गांधी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था......(व्यवधान) इसीलिए मैंने प्रधान मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। (व्यवधान) सिर्फ एक सैकंड......मैंने प्रधान मंत्री तथा श्री राजीव गांधी के विरुद्ध संसद की उपेक्षा करने पर विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा है। (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि मैंने प्रधान मन्त्री.........के विरुद्ध जो विशेषाधिकार प्रस्ताव दियाथा, उसका क्या हुआ। (व्यवधान) मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये और मेरी बात सुन लीजिए। इसमे आपका कोई केस नहीं बनता। होम मिनिस्टर अगर कुछ कहें ....

.......(व्यवधान) .....

आप बैठ क्यों नहीं सकते ? आपको क्या हो गया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : हमने आपकी बात नहीं सुनी है।.......(व्यवधान) हम आपकी बात नहीं सुन सकें।.......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं है।.......(व्यवधान)

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गृह मन्त्री महोदय या विधि मन्त्री महोदय कोई वक्तव्य देने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। सरकार का इसमें कभी भी हाथ नहीं था। यदि सरकार का इसमें हाथ होता तो वे ऐसा करने में सक्षम थे और यह अलग ढंग से ही होता। परन्तु उसका कोई प्रश्न ही नहीं है। यह एक दल का निर्णय था। श्री राजीव गांधी पार्टी के सचिव हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने सार्वजनिक तौर पर बताया कि प्रधान मंत्री उनसे संशोधन लाने के लिए कह रही थीं।.........

अध्यक्ष महोदय : उसका प्रश्न ही नहीं उठता है।........

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे पहले के नोटिस का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

12.14 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति) उपत्यानियम 1983, तेल उद्योग विकास बोर्ड नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु एवं सेवानिवृति) उत्पादन नियम, 1983, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 26 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 919 (अ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—7889/84]

(2) (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए । संख्या एल० टी०—7890/84]

अध्यक्ष महोदय : गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गवर्नमेंट करती कुछ तो मैं देख सकता था ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्होंने जो कुछ बाहर किया है उसे सभा में करके देखें ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न ही नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : वे आप की और संसद दोनों की उपेक्षा कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको कहा था कि मैं पता करूंगा । पता कुछ लगता तो करवा देता । यहां डिसकशन करवा देता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गवर्नमेंट ने बाहर कुछ नहीं कहा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी पार्टी में कास करते हैं, यह भी कहते हैं । अगर सरकार करती तो मैं करता ।

अब पत्र सभा-पटल पर रखे जायेंगे । श्री जगन्नाथ कौशल ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत, 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के निष्पादन से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7891/84]

भारतीय तार (संशोधन) नियम, 1984

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1884 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, भारतीय तार (संशोधन) नियम, 1984 जो 18 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 190 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7892/84]

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : कोई पार्टी वाला एटर्नी जनरल को क्या बुला सकता है—

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि यह कनकरट सबजैक्ट है। गवर्नमेंट चाहती तो कानून बना सकती थी, उसको यहां ला सकती थी और उस पर एतराज कर सकते थे। बहुत सिम्पल है। वे नहीं लाना चाहते। नहीं लाते तो मैं क्या कर सकता हूं।

इसका प्रश्न ही नहीं है।

अब मन्त्री महोदय बोलेंगे।

गृहमंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, ऐसा कोई संशोधन यहाँ नहीं लाया जा रहा है और महाराष्ट में भी नहीं।

चलचित्र (प्रमाणीकरण) (संशोधन) नियम, 1984

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री) : श्री गुलाब नबी आज़ाद) : मैं चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, चलचित्र (प्रमाणिकरण) (संशोधन) नियम, 1984 जो 28 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 83 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—7893/84]

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना भेजी है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है ।

श्री रतन सिंह राजदा : यह कि एक पुलिस अधिकारी ने एक संसद-सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि मुझे आपकी सूचना मिल गई है और मेरे विचाराधीन है । मैंने जांच-पड़ताल पहले ही आरंभ कर दी है । मैंने आपकी शिकायत पर पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है ।

श्री रतन सिंह राजदा : केवल बात यह है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है । मैंने कार्यवाही करनी पहले ही आरंभ कर दी है ।

श्री रतन सिंह राजदा : उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मेरा आपसे यह निवेदन है कि यहां मामले आपकी अनुमति से उठाए गये हैं और इनको निपटाया जाना चाहिये, अधर में नहीं छोड़े जाने चाहिएं । उस 'वीडियो टेप' के बारे में जो कि मैंने आपको दिया है, मुझे प्रतिदिन बहुत से पत्र और दूरभाष भी मिल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को वचन दे चुका हूं कि मुझे पता चल जाने के बाद ही—मैंने पूर्ण ब्यौरा भेजने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को लिखा है मैं आपको बताऊंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने आपको जो वीडियो फिल्म दी है आप उसे अन्य सदस्यों को क्यों नहीं देखने देते हैं ? इसमें संकोच की क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय : आपका हर समय स्वागत है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने इसे देखा है । आप दूसरों को इसके लिए क्यों मना कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : राजापुर आप हमें भी विडियो फिल्म क्यों नहीं देखने देते है, फिर चाहे वह 'ब्ल' फिल्म ही क्यों न हो ?

अध्यक्ष महोदय : मैं भला इंकार क्यों करूंगा ? आप कुछ भी देखने के लिए सक्षम हैं । आज देखो, कल देखो, जब चाहे देखो । आओ देखो । मैंने कब इंकार किया है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मेरा पर्सनल एफेयर नहीं है, प्राइवेट एफेयर नहीं है ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इंकार नहीं करता हूं। जरूर देखिये।

" अब, राज्य सभा से प्राप्त सन्देश पढ़ा जायेगा, महा सचिव।

राज्य-सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य-सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है।

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य-सभा को 12 मार्च, 1984 को अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा 3 मार्च, 1984 को पारित किये गये उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण पर विचार किया जायेगा। प्रो० अजित कुमार मेहता।...(व्यवधान)

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, मैंने मंहगाई भत्ते की देय चार किश्तों के बारे में स्थगन प्रस्थाव की सूचना दी है। वित्त मन्त्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : बजट आ रहा है आपका। डिसक्स कर लेना।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री अबदुल रशीद काबुली खड़े हुए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

उन्हे बोलने की अनुमति नहीं है। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं विरोध में सदन त्याग करता हूं।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तत्पश्चात् श्री अब्दुल रशीद काबुली सभा भवन से बाहर चले गये ।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : महोदय दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरूद्ध गत कुछ समय से लम्बित विशेषाधिकार सूचना की स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, कोचिन तेल-शोधनशाला का मामला बहुत ही गंभीर मामला है । इसकी चर्चा में बहुत से सदस्य भाग लेना चाहते हैं । अतः हमारा आपसे निवेदन यह है कि आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 163 के अधीन चर्चा में बदल दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कर सकता हूं । यह मेरी शक्ति से बाहर है । केवल नियम समिति ही इसे बदल सकती है । नियम तो नियम है ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, इसकी शोर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में बदल दीजिये । इस हफ्ते में और कोई विषय नहीं ले रहे हैं । केरल में जो आग लगी है उसके बारे में काल अटेंशन के बजाय अगर आप को अल्पकालिक चर्चा कर लें तो मंत्री जी को कोई एतराज है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : हाउस की राय से हो सकता है । अगर सब लोग मानते हैं त ठीक है ।

श्री पी० शिव शंकर : आप उस पर कैसी भी चर्चा कराएं, मुझे कोई अपत्ति नहीं है ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, हमें यह पता नहीं है कि हो क्या रहा है । आपने ध्याना कर्षण प्रस्ताव पर विचार शुरू किया और उसी के साथ ही साथ आपने चर्चा शुरू कर दी और मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि आप इसे अल्पावधि चर्चा में बदल दें वह अल्पावधि चर्चा क्या है, जिसके लिए आप सहमत हो गये हैं ?

अध्यक्ष मोहदय : मैं तो केवल यह कह रहा था कि यदि समस्त सदन का यह विचार हो तो मुझे तो सदन की सर्वसम्मति के अनुसार चलना है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : आपने किस बारे में स्वीकृति प्रदान की है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सदन के समक्ष रख रहा हूं । यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो तभी यह किया जायेगा । मैं तभी सहमति हूंगा जबकि समग्र सदन का यह मत हो कि इसे अल्पकालीन चर्चा में बदल दिया जाए ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय प्रोफेसर रंगा को बता दीजिए कि मन्त्री महोदय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की बजाय हमारा यह विचार है कि इसे अल्पकालीन चर्चा में बदल दिया जाए।

प्रो० पी० शिव शंकर : मैं संसदीय कार्य मंत्री की विवशताओं को नहीं जानता हूं। उस स्थिति में, जहां तक मेरा संबंध है, अपनी ओर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बजाय आधा घण्टे की चर्चा आदि चाहते हैं तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी विवशता यही है कि यदि सारा सदन मानता है तो ऐसा किया जा सकता है और वह मुझे स्वीकार्य है परन्तु यदि सहमति नहीं है तो मैं सहमत नहीं होऊंगा ? यह बहुत सरल सी बात है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रो० रंगा ने अपनी उचित कठिनाई व्यक्त कर दी है। इस विषय से सम्बद्ध दक्षिण के कुछ सदस्यों ने यह अनुभव किया है कि यदि यह केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है तो उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। सभा में दोनों ही ओर के सदस्य हैं जो कि चर्चा में भाग लेने के इच्छुक हैं और यह निवेदन किया गया है कि इसे अल्पकालीन चर्चा में बदल दिया जाए, मंत्री महोदय तैयार हैं। मेरा प्रो० रंगा से निवेदन है कि वे इसमें रोड़ा न अटका कर इसे चलने दें।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : रात में डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है। अगर करना है तो अभी करो।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री श्री एच० के० एल० भगत) : यदि आप कोई चर्चा करना चाहते हैं तो यह 6 बजे के बाद होनी चाहिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

12.26 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कोचीन तेलशोधक कारखाने में विनाशकारी आग लगने, जिसके परिणाम स्वरूप भारी नुकसान हुआ और कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, का समाचार

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) महोदय मैं ऊर्जा मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें :

"कोचीन तेल शोधक कारखाने में लगी विनाशकारी आग के लगने, जिसके परिणाम-स्वरूप भारी नुकसान हुआ कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, का समाचार तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : महोदय, कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के अम्बाला-मुगल, कोचीन स्थित रिफाइनरी टैंकेज में एक विस्फोट और आग लगने की रिपोर्ट 8 मार्च, 1984 को मिली थी। आग 8 मार्च, 1984 वीरवार को प्रातः 5.45 बजे लगी थी। प्रभावित क्षेत्र विमानन टर्बाइन ईंधन टैंक तथा उपयोगिता क्षेत्र थे। वायलर नियंत्रण कक्ष में काम करने वाले चार श्रमिक बुरी तरह जल गये थे और इनमें से अब तीन की मृत्यु हो चुकी है। वायलर हाउस के साथ टर्बो-जैनरेटर भवन में नियुक्त एक ठेकेदार के एक चौकीदार की सदमे से मृत्यु हो गई। एक कर्मचारी अभी भी हस्पताल में है और उसकी हालत सुधर रही है। दो अन्य व्यक्तियों को भी मामूली चोटें आई थीं। एक और दैनिक श्रमिक, को जो आग बुझाने के काम में लगा हुआ था, बाद में चोट आ गई है और उसे हस्पताल में दाखिल करा दिया गया है।

मुख्य यूनिट तथा निर्माणाधीन फ्लूइड कैटेलेटिक यूनिट, इससे प्रभावित नहीं हुआ है। परन्तु पुराने यूनिटों के उपयोगिता सेवा अनुभाग और एफ० सी० सी० यू० के लिये निर्माणाधीन उपयोगिता सेवा अनुभाग को भी व्यापक क्षति पहुंची है। प्रशासनिक भवन की कच्ची छतों, खिड़कियों, दरवाजों आदि को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। परन्तु कोई संरचनात्मक क्षति पहुंचने का पता नही चला है। उपकरण, सामग्री और उत्पादों की हानि सहित 9 से 12 करोड़ रुपये की हानि होने का प्रारम्भिक अनुमान लगाया गया है।

मुख्य आग को अलग-थलग कर दिया गया था और आग बुझाने की कार्यवाही को शीतलन (कूलिंग) और उसके पास वाले टैंकों में केन्द्रित रखा गया था। आग पर शनिवार अपराह्न तक पूरी तरह काबू पा लिया गया था। कई संगठनों, नागरिक संस्थाओं, नौसेना के अग्निशमन यूनिटों को प्रयोग में लाया गया था और आग को नियन्त्रित करने के उनके प्रयास प्रशंसनीय थे।

आठ तारीख के पूर्वाह्न को घटना की जानकारी प्राप्त होने के तत्काल बाद भारत सरकार ने पेट्रोलियम विभाग के परामर्शदाता (रिफाइनरीज) और इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रधान महाप्रबन्धक (दोनों तकनीकी विशेषज्ञ) को स्थिति का मौके पर जायजा लेने, आग के कारणों का पता लगाने और आग पर नियंत्रण पाने के लिये किये जाने वाले उपाय आदि सुझाने के लिये नियुक्त किया था।

तेल शोधक कारखाने को बन्द कर दिया गया है। तथापि, यहां इस बात का उल्लेख कर दिया जाता है कि कोचीन रिफाईनरी को 15 मार्च, 1984 से लगभग 75 दिनों की अवधि के लिये विस्तार कार्यों को पूरा करने के लिए बन्द किये जाने का कार्यक्रम था। अतः उस क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई तात्कालिक कमी नहीं होगी। फिर भी, कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने टैंक वैगनों और टैंक ट्रकों में लदान का कार्य शनिवार 10 मार्च, 1984 को फिर से चालू कर

दिया था। आसपास के क्षेत्रों से आवश्यक उत्पादों को ले जाने के लिये आवश्यक कदम भी उठाये गये हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन और उपलब्धि को बनाए रखने के कार्य की सुनिश्चित व्यवस्था करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

मरने वाले और क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के परिवारों के साथ मेरी हार्दिक सहानुभूति है। सरकार ने एक जांच समिति गठित कर दी है जिसमें तेल उद्योग और भारत सरकार का मुख्य विस्फोटक नियंत्रण शामिल है। यह समिति इस घटना के कारणों और स्वरूप पर विचार करेगी और इससे बचने के लिये किये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में सरकार को रिपोर्ट देगी। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि न केवल उन क्षेत्रों की, जिन्हें कोचीन रिफाइनरी लि० द्वारा सप्लाई की जाती है, उत्पादों की सामान्य उपलब्धता को सुनिश्चित रखने के सभी प्रयास किए जायेंगे बल्कि संयंत्र को यथा सम्भव जल्दी से जल्दी चालू कर दिया जायेगा।

जायनल अबेदिन : अध्यक्ष महोदय, कोचीन तेलशोधक कारखाने में जैसे आग लगी है, वैसी केरल में कभी नहीं लगी। 300 से अधिक अग्निशमन कर्मचारियों को लगभग 24 घण्टे तक आग पर काबू पाने के लिए लपटों के साथ जूझना पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप जन धन की काफी हानि हुई है।

प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस विनाशकारी आग से बचा जा सकता था अथवा कम से कम काफी हद तक नुकसान को कम किया जा सकता था बशर्ते समुचित सुरक्षा के उपाय किए गए होते। समाचार-पत्रों में प्रकाशित 'फायर' अधिकारी के ब्यान के अनुसार यदि 'एयर-क्रेश टेंडर और तेलशोधक कारखानों में आमतौर पर पाया जाने वाला 'फोम पाउडर' तत्काल उपलब्ध हो जाने तो आज आग पर 30 मिनटों में काबू पाया जा सकता था परन्तु 'एयरक्रेश' शाम के समय पहुंचा और 'फोम पाउडर' तत्काल उपलब्ध नहीं हुआ।

2 .32 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कोचीन तेलशोधक कारखाने को पिछले कुछ वर्षों से सर्वोत्तम सुरक्षा उपायों के लिए पुरस्कार मिलते रहे हैं। परन्तु आग बुझाने वाली इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं है। यदि सर्वोत्तम सुरक्षा उपायों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले तेलशोधक कारखाने की यह स्थिति है तो अन्य तेलशोधक कारखानों में आग बुझाने की सुविधाओं की कमी की कल्पना आसानी से की जा सकती है।

सरकार ने दुर्घटना के कारणों को पता लगाने के लिए जांच समिति नियुक्त की है। यह कहा जाता है कि यह समिति भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु उठाये जाने वाले उपायों के बारे में सरकार को प्रतिवेदन देगी। इससे तेलशोधक कारखानों में काम करने वाले तथा उनके आस-पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के प्रति सरकार की लापरवाही का स्पष्ट पता चलता है। केवल तीन महीने पहले इसी क्षेत्र में एक छोटी सी घटना हुई थी परन्तु। उसके बाद सरकार ने

कोई भी एहतियाती उपाय करने की आवश्यकता नहीं समझी केवल इतना ही नहीं महोदय, सरकार ने प्रारम्भ में लोगों की सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था नही की। सरकार ने ये उपाय पहले क्यों नहीं किए? अब इतनी देर बाद इस प्रकार की विपदाओं को रोकने हेतु समिति द्वारा उपाय सुझाने पर सरकार क्यों निर्भर है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने तेलशोधक कारखाने के निकट एल० पी० जी० यूनिट के आस-पास आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए हैं? मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि इस दुर्घटना के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के नुकसान को पूरा करने हेतु वह कौन से ठोस कदम उठायेंगे अर्थात् क्या वह इनकी कमी आयात से पूरी करेंगे अथवा देश में अधिक उत्पादन करेंगे।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या देश के सभी तेलशोधक कारखानों में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं? कोचीन तेलशोधन कारखाने की दुर्घटना हम सभी के लिए आंखें खोल देने वाली है। माननीय मन्त्री महोदय को सभा को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बारे में अवश्य ही आश्वासन देना चाहिए।

देश के तेलशोधक कारखानों में विस्फोट की सम्भावनाएं रहती है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन कर रही है।

तब सरकार को दुर्घटना के कारण जानने में अधिक समय क्यों लगता है?

यह देखा गया है कि अधिकांश टैंक तेलशोधक कारखाने के निकट हैं। इन टैंकों की सुरक्षा को खतरा रहता है। क्या सरकार इन को अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए कदम उठाएगी।

मन्त्री महोदय के वक्तव्य के पैरा 6 में शोकसन्तप्त परिवारों के प्रति अत्याधिक सहानुभूति प्रकट की गई है परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या इन परिवारों को कोई मुआवजा दिया जाएगा? यदि इन परिवारों को कोई मुआवजा दिया जाना है तो उसका स्वरूप क्या है और कितना दिया जाएगा? स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा की जाती है।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, माननीय सदस्य ने दुर्घटना के सम्बन्ध में विभिन्न प्रश्न पूछे हैं। वास्तव में मैंने अपने वक्तव्य में उन सभी विशिष्ट मुद्दों को सम्मिलित किया है जिन्हें किया जाना चाहिए था।

जहां तक 'फोम पोरर्स' का सम्बन्ध है मैं यह निवेदन करूंगा कि इन टैंको की सभी छतों पर फोम पोरर्स थे परन्तु इस दुर्घटना के समय उन्हें नहीं चलाया जा सका क्योंकि टैंक तक नहीं पहुचा जा सकता था क्योंकि यह 'डाइक' में था।

जहां तक आग बुझाने वाली यूनिट का सम्बन्ध है मैं अवश्य ही यह निवेदन करूंगा कि कोचीन तेलशोधक कारखाने में अपने कर्मचारियों में से ही प्रशिक्षण देकर आग बुझाने वाले दस्ते का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त उनकी साप्ताहिक ड्रिल भी होती है।

श्री नीलालोहितादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : इस घटना के बाद ?

श्री पी० शिवशंकर : इससे पहले इस घटना के बाद किसी को भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। मैं कह रहा था इससे पहले।

कोचीन तेलशोधक कारखाने के प्राधिकारियों द्वारा यह पर्याप्त समझी जाती है।

जहां तक जांच समिति का सम्बन्ध है, वह नियुक्त कर दी गई है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि इस तेलशोधक कारखाने के बारे में कुछ रिपोर्टें मिली थी और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कार्यवाही की गई थी। परन्तु इस घटना के अपने आयाम हैं। नियुक्त की गई जांच समिति को विस्तार में छानबीन करने का निर्देश दिया गया है। और इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि हम क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि यह सब उस प्रतिवेदन पर निर्भर करता है जो इस जांच समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

माननीय सदस्य ने एक टिप्पणी और भी की है और यह पूछा है कि क्या हम सभी तेल-शोधक कारखानों की सुरक्षा हेतु कदम उठाने जा रहे हैं। वास्तव में, सभी तेलशोधक कारखानों में ऐसे कदम उठाये गए हैं। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। परन्तु ऐसे सभी मामलों में इनसे नहीं बचा जा सकता।

माननीय सदस्य ने टैंकों के स्थान के बारे में भी प्रश्न पूछा है। मैं यह निवेदन करता हू कि कोचीन तेलशोधक कारखाने के प्राधिकारियों द्वारा इस पर पहले विचार किया गया था। निसंदेह सांविधिक दूरी रखी गइ है। सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा इस मामले को स्वीकृति दे दी गई है। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं पहले यह निवेदन करता हूं कि विस्तार में जाने के बाद मैं यह अनुभव करता हूं कि सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा इन टैंकों के स्थान का मामला निपटा दिये जाने के बाद किसी को भी उनके तकनीकी पहलुओं पर नहीं अड़ना चाहिए। वास्तव में मैं जांच के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। परन्तु मैंने प्राधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि इस तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ यदि यह आवश्यक हुआ कि हमें विभिन्न स्थानों पर स्थित इन टैंकों का ध्यान रखना पड़ा तो हम रखेंगे। यह इस पर निर्भर करता है कि तकनीकी प्राधि-कारियों की इस सारी स्थिति के बारे में क्या प्रतिक्रिया होती है, यद्यपि मैं इस ओर यथार्थवादी और समझदारी की दृष्टि से देख रहा हूं। और परन्तु इस मामले पर तकनीकी प्राधिकारियों द्वारा विचाार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

जहां तक उत्पादों की हानि से सम्बन्धित प्रश्न का सम्बन्ध है, अपने वक्तव्य में यह कह कर कि इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप विभिन्न उत्पादों की पूर्ति के मामले में लोगों को कोई कष्ट नहीं होने दिया जाएगा मैं स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। वास्तव में इस क्षेत्र का अन्य स्थानों से चाहे वह मुद्रा, विशाखापतनम या बम्बई क्यों न हो। ध्यान रखने के लिए आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। चाहे कहीं से भी क्यों न करनी पड़े हम किसी उत्पाद विशेष की सप्लाई इस क्षेत्र को करते रहेंगे। इसका अवश्य ही ध्यान रखा जायेगा।

[श्री पी० शिवशंकर]

मेरे विचार में इस घटना के कारण उत्पादों की जो कमी हो जायेगी उनकी पूर्ति हेतु वर्तमान अनुमान के अनुसार आयात की कोई आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु यदि आवश्यक हुआ तो उस पर उसी समय विचार किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा है कि इस स्थिति से निपटने के लिए सहायता हेतु अन्य कई स्रोतों को सावधान किया गया है।

माननीय सदस्य ने मुआवजे के बारे में भी पूछा है। वास्तव में सभी व्यक्तियों का बीमा होता है। वास्तव में मुझे पता चला है कि इन सभी लोगों का बीमा था।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : अन्य नुकसान के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री पी० शिवशंकर : कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्री जेवियर अराकल : यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है।

श्री पी० शिवशंकर : यह आपका निर्वाचन क्षेत्र है, परन्तु मैं पूरी सभा को तथा सम्पूर्ण राष्ट्र को जवाब दे रहा हूं।

मुआवजे के बारे में मेरे मन्त्रालय ने प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है, कि इसके कारण चाहे जन की चाहे धन की हानि हुई हो चाहे कुछ लोग घायल हुए हों, उन सब का ध्यान रखा जाना चाहिए और प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में जो कुछ हो सकता हो, करना चाहिए। अतः मुआवजे देने के सम्बन्ध में, चाहे वह बीमा के माध्यम से हो, चाहे कम्पनी द्वारा दिया जाए मुझे कोई शंका नजर नहीं आती है। मेरे लिए इस समय यह बताना संभव नहीं है कि नष्ट हुई सम्पत्ति के लिए ठीक कितना मुआवजा दिया जाएगा।

श्री ए० के० बालन (औट्टापलम) : 750 रुपये। मैं स्पष्ट कर चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार के पास आपसे अधिक जानकारी होगी। वह क्या है ? वह सरकार की ओर से बोल रहे हैं।

(व्यवधान) **

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानकर्षण प्रस्ताव के दौरान कृपया किसी भी हस्तक्षेप को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न कीजिए।

(व्यवधान)**

श्री पी० शिवशंकर : संभवतः मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कह पाया हूं। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि इस नुकसान का अनुमान लगाया जायेगा और मुआवजा दिया जाएगा।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

750 के हिसाब से या इसी प्रकार से जो कुछ दिया गया है वह तदर्थ आधार पर दिया जाता है। मैं इस समय इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं जैसा कि कह चुका हूं इस मामले पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। मैं जैसा कि कह चुका हूं यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वास्तव में मैं स्वयं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि हुआ क्या है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित न कीजिए।

(व्यवधान)**

श्री पी० शिवशंकर : क्या आप कारण समझ पाए हैं ? आप उसी क्षेत्र से हैं। आपने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा ? मैं बता रहा हूं कि मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं और इसी कारण एक जांच समिति की नियुक्ति की गई है। हमें वास्तव में दुःख है। क्या हमें इस प्रकार की दुर्घटनाओं से कोई फायदा उठाना है ? इस प्रकार की दुर्घटना से कोई भी किसी प्रकार का फायदा नहीं उठाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपको कारणों का पता है तो आप उन्हें लिखिए।

श्री पी० शिवशंकर : कारणों का पता चल जाने के बाद यदि मैं आवश्यक कदम नहीं उठाता हूं तब आप मुझे दोष दीजिए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

श्री पी० शिव शंकर : मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे विपक्षी मित्र इस मामले को राजनीतिक रंग न दें। यदि कोई त्रुटि है तो उन्हें आशवस्त रहना चाहिए कि मैं इतना ईमानदार हूं कि मैं त्रुटि को मान लूंगा यदि कोई है और यदि किसी का पता चलता है तो मैं अपना अनुचित बचाव भी नहीं करूंगा। मैं सभा को सब कुछ बताने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होंगी, और मैं उन्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं। अतः स्थिति यह है कि इस समय जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं अवश्य ही उनका उत्तर दूंगा चाहे, वे मेरे लिए रूचिकर न भी हों। मैंने इस सभा से कुछ भी नहीं छिपाया है, यहां तक कि पहले भी मैंने उन मामलो क संबंध में सभा से कुछ नही छिपाया है जो मेरे विचार में सभा को और राष्ट्र को बताने लायक रहे हैं। अतः इस समय तक मुझे जो भी सूचना प्राप्त हुई, मेरे अधिकारी मुझे बताने का प्रयास कर रहे हैं, कि उपयोगिता के मामले में 'वेपर्स' उत्पन्न हो गए हैं। मैंने जब उनसे विस्तार में बताने के लिए कहा, तो मैं स्वयं नही समझ पाया, क्योंकि मैं कभी भी विज्ञान का

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी० शिवशंकर]

विद्यार्थी नहीं रहा हूं। अतः मैं नहीं समझ सका। इसलिए, जब तक विशेषज्ञ आग के कारण तथा क्षति के अनुमान के बारे में अपनी राय दें तथा यह बताएं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें क्या करने चाहिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा ताकि भविष्य में सरकार कार्यवाही कर सके।

श्री राम विलास पासवान (हाजी पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही दुखद और गम्भीर घटना है और माननीय मंत्री जी काफी गम्भीरता से इसको ले रहे हैं और लेंगे ऐसी मुझे आशा है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय होता यह है कि मैं पिछले सात-आठ वर्षों से जब से मैं इस सदन में आया हूं कि सरकार द्वारा जो आश्वासन दिया जाता है कि एक्शन लिया जा रहा है। फिर वह एक्शन क्या लिया गया है, यह हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। आपको याद होगा, आपने ही अपने मंत्रालय में आज से तीन साल पहले 'डेसू' के बारे में इस सदन को आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक वह जांच चल रही है एक्शन लिया जा रहा है, क्या परिणाम निकला हमें कुछ मालूम नहीं है। इस लिये मेरा आग्रह है कि जब भी इस तरह की घटनायें हों तो क्या एक्शन लिया गया या लिया जा रहा है, वह सभा के पटल पर रख देना चाहिए, इस से यह होता है कि बिना मांगे हुए सब जानकारी मिल जाती है। अगली बार हम मेम्बर रहें या न रहें, आप मिनिस्टर रहें या न रहें, कम से कम सदन को तो जानकारी मिल जाएगी कि फलां एक्शन लिया गया। कुछ दिनों के बाद लोग उस घटना को भूल जायेंगे लेकिन जांच रिपोर्ट निश्चित रूप से सदन के पटल पर रखी जाय।

आपने अपने जवाब में दो तीन बातें कही हैं। उस घटना में चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, 9-10 करोड़ रुपये की क्षति हुई है, वहां जो संगठन थे जिन्होंने आग बुझाने में मदद की आपने उनको धन्यवाद देने का काम किया है, मरने वालों के परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट की है। यह तो ठीक है—जो लोग मर गये उन को फिर से जिंदा तो नहीं किया जा सकता, उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति ही प्रकट की जा सकती है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय हमारे देश की जो आयल रिफाइनरीज हैं, ये हमारे देश के आर्थिक ढांचे की सब से प्रमुख स्तम्भ हैं, चाहे कोचीन की आयल रिफाइनरी हो या मद्रास की हो, आसाम की हो, बरौनी की हो, मथुरा की हो, हलदिया की हो, या जो हरियाणा में बन रही हैं - ये सब के सब हमारे स्तम्भ हैं। आप इस बात को भी जानते होंगे—जब भी कहीं युद्ध होता है, चाहे हिन्दुस्तान के साथ हो या कहीं भी कोई विदेशी आक्रमण होता है तो उनका पहला एटेम्प्ट यह होता है कि सब से पहले एअरपोर्ट को खत्म करो, उसके बाद आयल रिफाइनरी को उड़ा दो जिस से उस देश की सारी अर्थ-व्यवस्था चौपट हो जाय, कम्युनिकेशन का साधन बन्द हो जाय। मैं मंत्री महोदय से सब से पहले यह जानना चाहता हूं—आपने अपने बयान में जो कुछ बतलाया है उससे यह जाहिर नहीं होता है कि इनके पास अपनी सेफ्टी की कोई व्यवस्था है या नहीं है? जैसे रेलवे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है —जब आप के पास इतना बड़ा साधन है जो देश के आर्थिक बुनियाद की नींव है, तो क्या उसकी सुरक्षा के लिए आपके पास उस तरह की कोई परा मिलिट्री फोर्स है जो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर सके।

हमें यह भी नही मालूम है कि इस में स्टेट गवर्नमेंट का क्या सम्बन्ध है। अगर कोई आदमी मिसचिफ करेऔर शरारत कर के बाहर निकल जाय, तो आपकी जो भीतर की फोर्स है वह बाहर जाकर कल्प्रिट को पकड़ने में कितनी सक्षम है ? इसी तरह से यदि कोई शरारत कर रहा है और अन्दर है तो स्टेट फोर्स को अन्दर जाकर उसको पकड़ने की कितनी पावर है ? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उन में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है, न बाहर की फोर्स अन्दर आकर अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकती है और न अन्दर की फोर्स बाहर जाकर उनको पकड़ सकती है। इसलिये सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके पास इनकी सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है ? आपके पास आयल-डवलपमेंन्ट-फन्ड है जिस में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा आपके पास है—क्या आप उसका इस्तेमाल "पैरामिलिट्री आर्गेनिजेशन" डवैलप करने में नहीं कर सकते हैं ?

आपने अपने जवाब में यह भी नहीं बतलाया कि वहां पर फायर-फाइटिंग फैसिलिटीज कितनी थीं ? जो जांच कमेटी जांच करने के लिये वहां गई है क्या वह इस बात का भी पता लगायेगी कि वहां पर जो फायर-फाइटिंग फैसेलिटीज थी उनका उपयोग हुआ या नहीं हुआ, वे सक्षम थी या नहीं थी, यदि सक्षम थी तो कितनी दूरी तक उनका उपयोग हुआ ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है—पिछले दिनों शकूरबस्ती की घटना घटी थी, यद्यपि वह सिलिण्डर्स से सम्बन्धित थी, लेकिन अन्ततोगत्वा उसका स्वरूप भी किसी हद तक इस घटना से मिलता-जुलता है। भविष्य में इस तरह की घटना न घटे, इसके लिये सरकार को सचेष्ट रहना चाहिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं—आपने वहां जो जांच अधिकारी भेजे हैं, उनमें वहां इण्डियन आयल कारपोरेशन के जनरल मैनेजर या चेयरमैन गये हैं, मिनिस्टर ने भी दौरा किया है, लेकिन वहां पर जो हमारी पार्टी के लोग थे, पब्लिक वर्क्स थे या आपकी पार्टी के भी वर्क्स थे, उन लोगों की राय है कि इसकी जांच जो सम्बन्धित विभागीय अधिकारी हैं उन पर मत छोड़िये।

मेरा यह कहना है कि इसकी आप जूडिशियल इंक्वायरी करवाइए क्योंकि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, उस में नीचे से लेकर ऊपर तक एक चेन रहती है और लोगों को बचाने की कोशिश होती है। मैं ब्योरोक्रेट्स पर कोई उगंली नहीं उठाना चाहता और न कोई शिकायत करना चाहता हूं लेकिन यह स्वाभाविक हो जाता है कि यह मैक्सीमम कोशिश होती है कि अधिकारियों का बचाव किया जाए और अपनी जवाबदेही से निकला जाय। इसलिए आपको इस के लिए जूडिशियल इंक्वायरी करानी चाहिए।

मेरा लास्ट प्वाइन्ट यह है कि आपने कम्पेंसेशन देने की बात कही है और इसके लिए कितनी क्षति हुई है, उसके आँकड़े आप बाद में लेंगें लेकिन अभी जो कम्पेंसेशन के रूप में कुछ मदद देने की बात है, तो जो अखबारों में निकला है, वह 750 रुपया है लेकिन इसके साथ ही साथ पेपरों में यह भी निकला है कि जो अगल-बगल में और बाहर के लोग हैं, उनकी प्रोपर्टी को क्षति पहुंची है, और लोग जख्मी भी हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन लोगों के सम्बन्ध में भी क्या आपके पास कोई आँकड़े हैं और उन लोगों को आप

[श्री राम विलास पासवान]

क्या सहायता देने जा रहे हैं और यदि कोई कम्सेपेंशन दिया गया है तो वह कितना दिया गया है ?

श्री पी० शिव शंकर : उपाध्यक्ष महोदय , माननीय सदस्य ने.........

श्री मनीराम बागडी (हिसार) : आप तो अच्छी हिन्दी बोल लेते हैं ।

श्री पी० शिव शंकर : आप अनुवाद सुन रहे हैं । इसलिए अंग्रेजी में बोल रहा हूं ।

श्री मनी राम बागडी : मैं अनुवाद नही सुन रहा हूं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : सदस्य को यह जिद नहीं करनी चाहिए कि मंत्री किसी भाषा विशेष में बोलें । यह बात मंत्री पर छोड देनी चाहिए कि वे हिन्दी में उत्तर दें या अंग्रेजी में । वास्तव में, मैं उनके हिन्दी में बोलने का स्वागत करता हूं । यदि वह हिन्दी में उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन, उन्हें उसी भाषा में उत्तर देने दें जिसमें उन्होंने उत्तर देना आरम्भ किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भाषा का मामला नही है । वह आग्रह नहीं कर रहे हैं ।

श्री मनी राम बागडी : यह बात सही नहीं है देखिए, अगर किसी मंत्री को हिन्दी न आती हो और सवाल हिन्दी में पूछा जाए , तो जो भाषा उसे आती है, वह उसमें बोले लेकिन अगर मंत्री वह भाषा आती हो जिस भाषा में सवाल किया गया हैं, तो मंत्री को उस भाषा में जबाव देना चाहिए , यह कायदा है । इसलिए कायदे की बात होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष मोहदय : इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य न केवल अंग्रेजी तथा हिन्दी में बल्कि भारत की अन्य छह भाषाओं में भी बोल सकता है तथा उत्तर भी अंग्रेजी या हिन्दी में दिया जा सकता है । कोई भी माननीय सदस्य मंत्री को किसी भाषा विशेष में उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता । वे अपनी सुविधानुसार अंग्रेजी या हिन्दी में उत्तर दे सकते हैं यह उनके ऊपर छोड दिया जाता है ।

श्री पी० शिव शंकर : डिप्टी स्पीकर साहब, इस वाद-विवाद से मुझे यह फायदा हुआ कि कुछ प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछे थे , उनका मसाला देखने के लिए मुझे वक्त मिल गया ।

1.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि किसी रिपोर्ट पर कोई एक्शन लिया जाता है और उस एक्शन के लिए जाने के बारे के बाद में संसद को मालूम नहीं पड़ता है कि क्या एक्शन लिया गया, उसके बारे में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरे डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है, हमने इस बात की चेष्टा की है कि जब भी कोई प्रश्न इस सम्बन्ध में पूछा जाता

है तो हम विस्तार से उसके सम्बन्ध में बताने का प्रयास करें कि क्या एक्शन लिया गया है, क्या एक्शन नहीं लिया गया है। जब भी यहां इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये हैं, हमने उनके विस्तार से उत्तर दिये हैं। मुझे मालूम है कि मेरे मित्र डेसू के विषय में काफी प्रश्न उठा चुके हैं। मैं खुद चाहूंगा कि इस मसले पर एक अच्छा सा विवाद यहां हो जाये जिससे कि हम तमाम बातों के बारे में बता सकें कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कोशिश की जा रही है।

एक बात पासवान जी ने सिक्योरिटी के सम्बन्ध में पूछी। मैं इतना बताना चाहता हूं कि कोचीन रिफाइनरी में खुद उनका सिक्योरिटी स्टाफ है और उस इलाके को प्रोटेक्टेड स्थान करार दिया है। यह भी कोशिश की जा रही है कि सेन्ट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की वहां नियुक्ति की जाए।

एक माननीय सदस्य : अब नहीं है ?

श्री पी० शिवशंकर : अब नहीं है। लेकिन अब तक ऐसा समझा जा रहा था कि जो भी हमारी रिफाइनरीज हैं उनमें उनकी आवश्यकता के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स लगा दी गई हैं। जहां तक पैरा मिलिट्री फोर्स का ताल्लुक है, उससे बाद में मुश्किल पैदा हो सकती हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी फोर्स का होना बिल्कुल जरूरी है। अगर दुश्मन हमला कर दे तो क्या हो, यह भी शंका व्यक्त की गई है। मैं नहीं समझता कि उतनी फोर्स वहां रह सकती है। उस सुरत में होता यह है कि अगर हालात इतने बिगड़ गये हैं कि वहां पर मदद की जरूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट से कहा जाता है कि वह मदद भेजे। आम तौर पर जब भी स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है तब ही उन्होंने फोर्स दी है।

एक प्रश्न यह पूछा गया कि आयल डवलपमेंट फंड से इसके लिए खर्च किया जायेगा या नहीं। यह जो आयल फंड है, इससे हम आयल के उत्पादन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के लिए पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस रकम में से इस काम के लिए भी खर्च किया जाएगा। अभी तक इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि आग बुझाने के लिए इक्विपमेंट वहां है या नहीं। इस विषय में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कोचीन रिफाइनरी में दो फायर ट्रक मौजूद थे। लेकिन एक बात सही है कि उनमें से एक ट्रक काम नहीं कर रहा था। दो में से एक ट्रक काम नहीं कर रहा था, दूसरे ने काम किया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, यदि आप, जो कुछ उन्होंने कहा है, उससे सहमत नहीं है तो

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सुनने के पश्चात आप मन्त्री को पत्र भेज सकते है। आप तुरन्त खड़े क्यों हो जाते हैं ? आप बाद में मन्त्री को लिख सकते हैं।

श्री पी० शिवशंकर : मेरे साथी उस चुनाव क्षेत्र से आते हैं, मुझसे शायद ज्यादा मालूम हो। मुझे जितना मालूम है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

मैंने अपने स्टेटमेंट के अन्दर इस बात को साफ कर दिया है कि न सिर्फ हमारे फायर इक्विपमेंटस के द्वारा बल्कि सिविक पार्टी और नेवी से भी हमने मदद ली है और आग बुझाने का प्रयास किया गया है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि जो दो ट्रक हमारे वहां हैं वे पर्याप्त थे अगर छोटी-मोटी कहीं पर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए।

एक बात जो आपने कही इनक्वारी कमीशन की। जो इनक्वारी कमेटी बैठाई गई है उसमें ऐसे लोग हैं जिनका कोचीन रिफायनरीज से कोई सम्बन्ध नहीं है। ज्यूडिशियल इनक्वारी में इसको परिवर्तित किया जा सकता है बाद में। पहले इनक्वारी कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ी ···।

श्री रामविलास पासवान : ये कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब एक इन्क्वारी कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री पी० शिवशंकर : ज्यूडिशियल इन्क्वारी इस स्टेज पर मुनासिब नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : क्या आपने तत्कालिक रिपोर्ट मांगी है ?

श्री पी० शिवशंकर : अभी तो कमेटी बनी है। अगर वह तात्कालिक रिपोर्ट दे दे तो बहुत अच्छा है।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के बारे में ज्यूडिशियल इन्क्वारी बैठायी गई थी ?

श्री पी० शिवशंकर : उसके लिए मैंने आदेश दिया था। मैंने स्वयं चिट्ठी लिखी थी कि आप ज्यूडिशियल इन्क्वारी करवाएं। उसमें भी पहले इन्क्वारी कमेटी बैठी थी और उससे कुछ इस तरह की बातें सामने आई थीं जिसके लिए मैंने खुद महसूस किया कि ज्यूडिशियल इन्क्वारी कराना ठीक रहेगा। पहले इन्क्वारी कमेटी उसमें भी बैठी थी। उसकी रिपोर्ट आई थी।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो इन्क्वारी कमेटी बैठी है अगर उसमें कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं तो मैं हाउस को बराबर कान्फीडेंस में लूंगा।

जहां तक स्टेट ने जो कुछ दिया है वह कोई यार्ड स्टिक नहीं है, जितना कंपंसेशन दिया है ।

श्री रामविलास पासवान : कितना दिया है ?

श्री पी० शिवशंकर : इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है । मेरे मित्र ने बताया है कि 750 रुपए दिए हैं, लेकिन मेरे पास इनफरमेशन नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या दिया है ।

श्री रामविलास पासवान : कितना देना चाहिए ?

श्री पी० शिवशंकर : जो कानूनी रूप से मिलना चाहिए उसमें कमी का कोई सवाल नहीं है ।

श्री रामविलास पासवान : कितना कानूनी है ?

श्री पी० शिवशंकर : जैसे ग्रुप इंश्योरेंस के तहत नाम काफी हैं, आपको बताऊं श्री शमसुद्दीन जो अविवाहित हैं, बायलर आपरेटर थे, 76800 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस के तहत मिलना चाहिये । ग्रेच्युटी 7690 रुपये, काफी लम्बी जानकारी है । लेकिन इतना मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि उनको जितना मिलना चाहिए उसमें कमी आने का कोई सवाल नहीं है । अगर ऐसी बात है तो मैं अवश्य देखूंगा । इससे हटकर उनके परिवार के लोगों को ज्यादा देना चाहिए, यह अलग बात है । उसमें किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं ।

श्री मनीराम बागड़ी : (हिसार) उपाध्यक्ष महोदय, श्री शिव शंकर जी, कानून के पण्डित, अच्छे वक्ता और लेखक होने के बाद भी ऐसा लिखित ब्यान दें, यह मेरी बुद्धि मानती नहीं । यह प्रत्यक्ष है कि इन्होंने इस ब्यान को पढ़ा है लेकिन अप्रत्यक्ष है कि इससे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह किसी सेक्रेटरी या किसी नौकरशाह या जो कम्पनियों के चेयरमैन हैं, जिनको मैं चोरमैन कहता हूं, यह उनका है । इतनी बड़ी घटना, जिससे राष्ट्र का नुकसान हो और उसको इतने सीधे ढंग से लेना, यह कुछ समझ में नहीं आता । पेट की आग चूल्हे और हवाई जहाज की आग इस आग को बुझाने की प्रक्रिया को रिफाइनरी कहते हैं । इसका मतलब क्या है ? यह जो चेयरमैन है, वह यहां का शहनशाह है । वह मिनिस्टर से बड़ा । मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कहां के शहनशाह हैं ? न कोई कायदा और न ही कोई कानून है । डा० कर्ण सिंह, यहां बैठे हुए हैं । ये तो अब नाम के राजा रह गए हैं । लेकिन, दूसरे राजा बैठा दिए गए हैं जिनका कायदे-कानून से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं, शिव शकर जी से कहना चाहूंगा कि इन राजाओं की नाक में नकेल तो डालनी चाहिए । ये लोग मस्त हाथी की तरह हैं । जो ट्रक वहां खराब था, क्या उसके खराब होने की जिम्मेदारी किसी चेयरमैन पर डाली गई ? उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ? उसे जेल में क्यों नहीं भेज दिया गया ? सब कुछ जलकर राख हो जाए तब कहा जाए कि मशीन खराब है । यह लोगों के साथ मजाक है । वह चेयरमैन अभी तक क्यों है ?...(व्यवधान)...

श्री मनी राम बागड़ी

इस कालिंग अटेन्शन और देश के साथ मजाक किया गया है। जब ट्रक खराब था तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? जांच करने से पहले उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपने एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि चेयरमैन ने आपको इत्तिला नहीं दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल तभी बहुत सुन्दर लगते हैं जब आप मुस्कराते हैं तथा बोलते हैं।

श्री मनी राम बागड़ी : मुझे मिनिस्टर से गिला है। क्यों पहले से उपाय नहीं किए। किसी तरह से पौने छः बजे आग बुझाने के लिए पहुंचा गया? इसको बताया नहीं गया है। किस वक्त दूसरी मदद उनके पास पहुंचाई गई। आग बुझाने वालों की मदद किस समय पहुंची और कितने दिन से ट्रक खराब था। ट्रक खराब होने की इत्तिला किस को देनी चाहिये थी, उसके लिए रिसपांसिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है? सब से ज्यादा मेरे मन में एक दूसरा दर्द है। गरीब जो हैं, हरिजन जो हैं, पिछड़े हुए जो हैं, क्या आपको मालूम है कि सब से ज्यादा नुकसान उनको पहुंचा है। आप बारह करोड़ का नुकसान बताते हैं। मैं कहता हूं कि बारह नहीं बाईस करोड़ का नुकसान हुआ है। वहाँ पर जो झुग्गी-झोंपड़ी वाले हैं जिन के अपने घर नहीं हैं, मकान नहीं हैं, कारखाने के पास और जो चाय की दूकान चलाते हैं या दूसरी छोटी-मोटी दुकानें चलाते हैं उनकी करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हुई है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदार आपके चेयरमैन हैं जो बैठे हुए हैं। इनकी गफलत की वजह से यह हुआ है। मेरा बस चले तो पता नहीं मैं क्या कर दूं। राम विलास भी बड़ी इन नौकरशाहों की मदद कर रहे हैं। लेकिन यही एक मात्र मुजरिम हैं, कातिल हैं, का मुकदमा इन पर चलाया जाए, उस चेयरमैन पर चलाया जाए जो इसके लिए जिम्मेदार है और जिस की वजह से यह आग लगी है। आप देखें कि गाँव बाद में बसता है, पानी पहले आता है। उसी तरह से रिफाइनरी बाद में चलाई जाती है पहले आग बुझाने के साधन मुहैया किए जाते हैं। गैस का चूल्हा बाद में दिया जाता है पहले आग लगने के खतरों से लोगों को सावधान किया जाता है।

मैं दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं। सभी सवाल एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। डेसू का मामला भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। कंज्यूमर के साथ यह मामला जुड़ा हुआ है। आप देखें कि क्या कुछ करने की जरूरत है। ये लोग कानून के साथ भी मजाक करते हैं। चेयरमैन को आप काबू करो। ये राजाओं की तरह बैठे हैं। ये मस्त सफेद हाथियों की तरह हैं। नौकरशाह जो आई. ए. एस. में हैं या दूसरे हैं सैक्रेटरीज उनको आप काबू करो। आप से काबू में नहीं आते हैं तो मुझे तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। यह आपको मैं साफ बताए देता हूं। मेरे पास बहुत सी इनकी शिकायतें आ रही हैं कि किस तरह की ये हेराफेरी कर रहे हैं। सारी लिस्ट मेरे पास है। मुझे ऐसा करने पर जेल काटनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। इनके दफ्तर में जा कर धरना देना पड़े तो वह भी करूंगा। मैं नौकरशाहों के दिमागों को दुरुस्त करूंगा। ये आपकी शराफत का नाजायद फायदा उठाते हैं मैं चाहता हूं कि आप चेयरमैन के खिलाफ एक्शन ले, मैनेजर के खिलाफ लें। दूसरी बात यह है कि ग्रेचुइटी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इनश्योरेंस और ग्रेचुइटी का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। रेल एक्सीडेंट में कोई मरता है तो उसको एक लाख

मिलता है। यहां भी जो उसका हक है वह उसको मिलना चाहिये। तनख्वाह दे दोगे बकाया तो कोई एहसान नहीं होगा। यह कुछ नहीं है। मुझे तो इनका जबाब बड़ा ही अनबैलैंस्ड लगा है। इनको तैयार हो कर आना चाहिये था। ये कहते हैं कि इनको मालूम नहीं है। इनको मालूम नहीं है तो नत्थ नाई को मालूम होगा ? आपको मालूम होना चाहिये था।

यहां हम पब्लिशिटी के लिये नहीं बोल रहे हैं। बोलते हैं पब्लिसिटी के लिये भी, लेकिन केरल के लोगों के दिल दुखे हैं 15 करोड़ रु० की मामूली सम्पत्ति नहीं है, और जिनके घर जले हैं, जिनके बच्चे, बच्ची जले हैं उनकी हालत को देखो। और चेयरमैन, तथा जनरल मैनेजर ने गलती की है तो उनको सजा दो। और उस वक्त बिजली के मजदूरों ने हड़ताल की थी और बिजली कम आ रही थी। आग लगने का कारण यह भी था। उस काम को जब आप 15 तारीख को बन्द करने जा रहे थे उससे पहले बिजली की हड़ताल हो गई। हड़ताल के वक्त भी ज्यादा काम को पूरा कर के, और आप 15 तारीख तक करना चाहते थे, तो चेयरमैन और मैनेजमेंट की वजह से लोड ज्यादा था, और बिजली कम आयी। वह भी आग का एक कारण हो सकता है।

मैं जुडिशियल इनक्वायरी की बात नहीं करता। इसमें तो जो मुजरिम है, अगर चाहो तो चेयरमैन और मैनेजर के खिलाफ पर्चा दर्ज करो। लेकिन अगर जांच करना ही चाहते हो तो पार्लियामेंट के सदस्यों की एक कमेटी बनाओ, उसमें चाहे कांग्रेस के मैम्बर ही हों केरल राज्य के, वह कमेटी जांच करे। आखिर जिसके हल्के में यह दुर्घटना हुई है, यह ठीक है कि माननीय शिव शंकर जी मुझ से ज्यादा जानते हैं, लेकिन तकलीफ होते हुए भी उन्होंने कुछ कम किया है। यह राष्ट्र की चीज है। दाई और मां में फर्क होता है। दाई ज्यादा पालती है बच्चे को, लेकिन मां की ममता अलग होती है। इसलिये जिनके हल्के का मामला है वह मां है और आप दाई हैं। इस फर्क को न भूलो। चाहूंगा कि तीन बातों को साफ करें। अगर चेयरमैन आपके काबू में नहीं है तो यह कमान मेरे हाथ में दे दो, मैं उसको ठीक करता हूं। मैं जानता हूं कि चेयरमैन और सैक्रेटरी आपको नहीं मानते हैं मैं इनकी चलाकियों को समझता हूं। चेयरमैन बम्बई में बैठा हुआ था, वहां से कितनी देर में आता है? आपको कब इत्तला दी ? चेयरमैन को कब इत्तला हुई और आपको कब इत्तला हुई, और चेयरमैन कब पहुंचा यह देखने की बात है। मजाक है जैसे कोई जिम्मेदारी ही नहीं है चेयरमैन की ? और एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी पर दोष डाल दो। चोर-चोर मौसेरे भाई। वह उस पर परदा डालेगा और दूसरा पहले पर डालेगा। इसलिये इन बातों का आप जबाब दें।

श्री पी० शिवशंकर : लगता है कि माननीय सदस्य ने जो भी विचार व्यक्त किए हैं उनकी तथ्यता का पता की जाने वाली जांच द्वारा लगाया जा सकता है।

श्री मनी राम बागड़ी : मेरा जवाब तो हिन्दी में दे दो मंत्री जी ?

श्री पी० शिवशंकर : अब तो जवाब इंगलिश में ही होगा, नहीं तो वह बुरा मानेंगे।

मैंने यह इस लिए कहा है कि माननीय सदस्य ने ऐसे अनेक मामलों के बारे में बहुत से

श्री पी० शिवशंकर

ब्यौरों का उल्लेख किया है जो कि इस प्रकार हैं। आग बुझाने वाला एक ट्रक अप्रयुक्त क्यों पड़ा था, इसी प्रकार बिजली कर्मचारियों, अधिकारियों का हड़ताल पर होना आदि। ये ऐसे मामले हैं जिनका साफ-साफ पता जांच के दौरान लगेगा।

श्रीमन्, इन को शामिल करने के उद्देश्य से जांच को व्यापक बनाने के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि वास्तव में मैं चाहूंगा कि प्रत्येक पहलू की जांच की जाये न केवल इस बारे में ही जांच की जाये कि आग कैसे लगी बल्कि इससे सम्बद्ध पहलू जैसे कि ट्रक अप्रयुक्त क्यों था, आदि, ताकि व्यापक जांच से यह पता चल सके कि आग बुझाने में क्या त्रुटियां थीं तथा जो परिणाम निकले हैं वे वास्तव में क्यों निकले हैं।

मुझे पता है कि उपकरणों आदि को काफी क्षति पहुंची है। वास्तव में, जो अनुमान लगाया गया है तथा जो जानकारी मैंने सदन को दी है वह अधिकारियों द्वारा लगाए गए उस अनुमान पर आधारित है, जो कुछ निष्कर्षों पर पहुंचने के बाद लगाया गया था। लेकिन ब्यौरे जाँच पूरी होने के बाद ही मिलेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : यह आप सिर्फ अपनी कम्पनी का नुकसान बता रहे हैं या इसमें झुग्गी-झोंपड़ी और दूसरे लोगों के नुकसान को भी शामिल कर रहे हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : वास्तव में मेरे वक्तव्य पर ध्यान देना होगा। मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैंने कहा था : "उपकरणों सामग्री तथा उत्पादों की क्षति सहित नुकसान के प्रारम्भिक अनुमान 9 से 12 करोड़ रुपए के लगाए गए हैं।" अर्थात् कम्पनी में जो कुछ हुआ है, मैंने बता दिया है। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि इसमें कम्पनी से बाहर हुआ नुकसान भी शामिल है। सुरक्षित क्षेत्र के भीतर जो कुछ हुआ है, वह स्पष्ट है, क्योंकि इतने कम समय में विभिन्न स्थानों पर हुए नुकसान का अनुमान लगाना अधिकारियों के लिए सम्भव नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि इस बात की जांच की जा सकती है। मैं मामले को बन्द नहीं कर रहा हूं। इसलिए, समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी होगी—मुझे विश्वास है यह समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अधिक समय नहीं लेगी। मेरे लिए यह कल्पना करना सम्भव नहीं है कि यह समिति निष्पक्षता से रिपोर्ट नहीं देगी। यह इस बारे में इस समय अपनी राय देना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए मैंने यह समिति नियुक्त की है, वही विफल हो जाएगा। इसलिए, इसकी बजाए मैं समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना चाहूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो रिपोर्ट में अधिक देर लगने की स्थिति में अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कहूंगा, ताकि हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंच सकें।

वास्तव में, कानूनी परिणामों के अतिरिक्त कम्पनी को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें कम्पनी अनुग्रह राशि का भी भुगतान करे। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि कितनी राशि दी जाती है या आगे और कितनी राशि दी जाएगी, लेकिन उन्हें टेलीफोन पर यह सूचना दी गई थी कि अनुग्रह राशी का भी भुगतान किया जाए।

यह सम्भव है कि इस पर कार्यवाही की जा चुकी हो। यदि कार्यवाही नहीं हुई है, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही अवश्य की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम केवल कानूनी मुआवजे पर भरोसा रख रहे हैं।

माननीय सदस्य ने एक यह सुझाव भी दिया है कि संसद सदस्यों या अन्य जन-प्रतिनिधियों की एक पृथक समिति नियुक्त की जानी चाहिए। लेकिन यह ऐसा मामला है जिसे मैंने नोट कर लिया है तथा मैं समिति की प्रतीक्षा करना चाहूंगा जिसकी नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। और यदि यह आवश्यक महसूस किया गया कि यह सार्वजनिक हित में है चाहे यह कोई भी समिति हो—तो हम यह भी करेंगे। मेरा तात्पर्य यह है कि मैं इस मामले को यहीं बन्द नहीं कर रहा हूं।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि आवश्यक हुआ तो सम्भवतः हम इसकी न्यायिक जांच करवाने की बात भी सोच सकते हैं लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमें पहले रिपोर्ट क्या मिलती है और जिसकी जांच की जानी है उसका आयाम क्या है। यह उस जांच पर निर्भर करता है जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। यही कारण है कि मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता। मैं विकल्प की गुंजाइश रख रहा हूं, ताकि बाद में जो भी आवश्यक हो किया जा सके।

मैं माननीय सदस्यों तथा सदन को आश्वासन देता हूं कि यदि कोई अधिकारी भूल या त्रुटि के लिए दोषी पाया गया तो इस सम्बन्ध में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

श्री मनीराम बागडी : वह गिल्टी है या नहीं ?

श्री पी० शिवशंकर : इस वक्त कहना मुश्किल है।

श्री मनीराम बागडी : दो ट्रकों में से सिर्फ एक काम के लायक था। इस हालत में चेयरमैन और अधिकारियों के खिलाफ फौरन एक्शन लेना चाहिए।

श्री पी० शिवशंकर : मैंने खुद कहा है कि एक ट्रक काम में इस्तेमाल होने के काबिल नहीं था। इस पर एक मित्र ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन जो बात सही है, वह मैंने आपके सामने रखी। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो उसको कैसे छोड़ा जाए ? उसको बराबर देखेंगे।

(व्यवधान)

1.32 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

(57 वाँ प्रतिवेदन)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 12 मार्च, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गये कार्य मंत्रणा समिति के 57 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

महोदय, ऐसा करते समय मैं यह उल्लेख कर दूं कि जहां तक सम्भव होगा हम विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की अनुदानों की मांगों से सम्बिन्धित प्राथमिकता क्रम का पालन करेंगे। तथापि अन्तिम समय-सारणी सम्बद्ध मन्त्रालयों से परामर्श करने के बाद तैयार की जाएगी तथा माननीय सदस्यों को परिचलित की जाएगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रस्ताव में ;

अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

"इस संशोधन के अध्यधीन कि निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगो पर चर्चा तथा मतदान के लिये निर्धारित समय—

(1) रक्षा मन्त्रालय के सम्बन्ध में 8 घंटे से 9 घंटे तक बढ़ा दिया जाये; तथा

(2) विदेश मन्त्रालय में 8 घंटे से 11 घंटे तक बढ़ा दिया जाये।"

मैं इसका कारण स्पष्ट करना चाहूंगा। अध्यक्ष ने मुझे बताया था मैं ऐसा कर सकता हूं।

सर्वप्रथम एक समाचार प्रकाशित हुआ है—यह सदन लारकिंस के सी० आई० ए० के साथ मामले पर पहले ही चर्चा कर चुका है—कि सोवियत संघ दूतावास के सहायक सैनिक अताशे को अपना सामान बांधकर सोवियत संघ जाने को कहा गया है, क्योंकि उसे भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी से मिलते हुए पकड़ा गया...... ।

श्री बूटा सिंह : यह माननीय सदस्य के संशोधन की विषय वस्तु कैसे बनती है। ज्यादा से ज्यादा वह यह सुझाव दे सकते हैं कि समय बढ़ा दिया जाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री बूटा सिंह : महोदय, मुझे विश्वास है कि यदि आप उनकी बात सुनेंगे तो आप जो वे कुछ कह रहे हैं सारा निकाल देंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह कह रहा हूं कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए, और उनके लिए कुछ समय आवश्यक है। हम जानते हैं कि मारकिन्स के मामले में भी सरकार अनिच्छुक थी। हमें इसे सामने लाना पड़ा और तब कहीं जाकर वे सहमत हुए। इसी तरह यह भी हुआ है। सरकार ने इसका खंडन नहीं किया है। मैं के० जी० बी० योजना बनाम भारतीय वायु सेना के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूं। क्या देश सुरक्षित है? एक ओर सी० आई० ए० है तथा दूसरी ओर के० जी० बी० है। हम सच्चाई जानना चाहते हैं। मैं नियत समय में केवल एक घंटे की और वृद्धि चाहता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसुकरा) : किसके बारे में····· ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। उन्होंने एक संशोधन का नोटिस दिया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप हमें केवल मूलपाठ पढ़ने की ही अनुमति देते हैं। यह क्या है?

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : मैं यह जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को जिस विषय पर बोलने की अनुमति दी थी, उसके अतिरिक्त भी उन्होंने कुछ कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। डा० स्वामी इसे पूरा करिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय इसके बारे में सभी कुछ जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी जानते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सभा इसके बारे में नहीं जानती है। अध्यक्ष महोदय जानते हैं। मैंने सभी सामग्री दी है।

दूसरा मुद्दा यह है कि पिछली बार मैं विश्वशांति परिषद् के बारे में बोला था और सभा में बड़ा हल्ला हुआ था और अब वह दस्तावेज पेश किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है कि विश्व शान्ति परिषद् को सोवियत संघ की गुप्तचर एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। अतः मैं चाहता हूं कि विदेश मन्त्रालय पर चर्चा तीन घण्टे बढ़ा दी जाये······।

उपाध्यक्ष महोदय : वह ठीक है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ताकि यह सभा यह संकल्प कर सके कि कोई भी सदस्य या विधायक के० जी० बी० संगठन जो कि विश्व शांति-परिषद् कहलाती है, से अपने आपको सम्बद्ध न कर सके।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। किसी बात का उल्लेख करके······।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह विश्व शान्ति-परिषद् की सदस्य हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय न लीजिए। माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : आप मुझे अनुमति नही देंगे। डा० स्वामी को अनुमति दी जाएगी।

श्री बूटा सिंह : कृपया बैठ जाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक यह अपमानजनक या निन्दाजनक या असंसदीय नहीं है तब तक हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसमें क्या है ? जब आप बोलें हैं, तब आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। आप इस बात की ओर ध्यान दिला सकते हैं कि उन्होंने अपमानजनक भाषण दिया है हम देखेंगे कि क्या इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाला जा सकता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा अधिकार है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। कोई भी माननीय सदस्य किसी भी विषय पर अपनी राय व्यक्त कर सकता है बशर्ते कि यह असंसदीय या अपमानजनक आदि न हो।

(व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : क्या कार्य ······ ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी इच्छा के अनुसार राय नहीं दे सकता। जी, हां।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक। श्री नीलालोहितदसन नाडार, आपको यह सहन करना होगा। अपनी राय व्यक्त करके क्या आपका कहने का मतलब है कि हमारी स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ते हैं।

श्री बूटा सिंह : मैंने डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा उठाए गए उन महत्वपूर्ण मुद्दों को बड़े ध्यान से सुना है कि जिन दो मदों का उन्होंने अभी-अभी उल्लेख किया है, उनके लिए समय निकाला जाना चाहिए या बढ़ाया जाना चाहिए। मैं अपने वक्तव्य में यह पहले ही कह चुका हूं कि सम्बन्धित मंन्त्रालयों से परामर्श करके अन्तिम समय तालिका माननीय सदस्यों को

जारी और परिचालित की जायेगी। अतः कार्य मंत्रणा समिति ने व्यापक निर्णय दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस निर्णय में उनका हाथ है।

श्री बूटा सिंह : यह सत्य है। जैसा कि आपने देखा है कि हमारा लोकतान्त्रिक देश है और सभी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है। इस सभा की कुछ परम्पराएं हैं और उन परम्पराओं के अनुसार डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जो भी असंगत मामले लाएं, उन्हें कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यमण्यम स्वामी : कुछ भी असंसदीय नहीं है। यह उन्होंने पश्चिम बंगाल से सुना है और वह वापस आ गए हैं।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह पश्चिम बंगाल गए हैं। और वह यहां पर इस तरह की बात लाए हैं।

श्री बूटा सिंह : आप नियम जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी, हम हर बात को कार्यवाही वृत्तांत से नहीं निकाल सकते हैं। श्री बूटा सिंह तो केवल धमकी दे रहे हैं। मैं रिकार्ड पढ़कर ही निर्णय लूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि यह असंसदीय है तो इसे कार्यवाही से निकाला जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा पेश किये गए संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 12 मार्च, 1983 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 57वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आज से मध्याह्न काल भोजन के दौरान भी बैठेंगे और जब भी आवश्यक होगा हम 6.00 म० प० के बाद देर तक भी बैठेंगे।

————

1.40 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्य-मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन है। जिसे आपने अभी स्वीकृत किया है। मेरे विचार में आप भी इसमें शरीक हैं।

अब नियम 377 के अधीन मामले।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष जी, नियम 377 के अन्तर्गत मैंने जो नोटिस दिया था वह तो यह है और लोक सभा सेक्रेटेरियट से जो मैटर मुझे प्राप्त हुआ है वह यह है— अब आप ही फैसला कीजिए कि मैं दोनों में से किस को पढ़ूं ? इसमें मेरी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। जो मैंने लिखकर दिया था वह इसमें नहीं है। अब आप ही बताइये मैं किसको पढ़ूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको लोक सभा सचिवालय ने जो दिया है, आप केवल उसे ही पढ़ें ?

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैं लोक सभा सेक्रेटेरियट का मुलाजिम नहीं हूं। जो मेरी भावनायें हैं उसके अनुरूप मैंने नोटिस दी थी लेकिन आप इसको कम्पेयर करके देख लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शैलानी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। लोकसभा सचिवालय ने आपको जो वक्तव्य दिया है वही अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृत किया है। आप केवल उसे ही पढ़ सकते हैं और यदि आपको कुछ और कहना है तो आप उसके बारे में चर्चा अध्यक्ष के साथ कर सकते हैं। आप उनके कक्ष में जाकर उसके बारे में बता सकते हैं। अब आप उसे पढ़ें।

(एक) नया प्रसारण केन्द्र चालू किये जाने के पश्चात् लखनऊ में दूरदर्शन कार्यक्रमों का धुंधला दिखाई देना

श्री चन्द्रपाल शैलानी : उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ टी०वी० स्टेशन ने हाल ही में लखनऊ-हरदोई मार्ग पर एक नया उच्च शक्ति का ट्रांसमीशन स्टेशन चालू किया है।

नया ट्रांसमीशन स्टेशन चालू होने के बाद सारे लखनऊ में टेलिविजन सेटों में साफ तसवीरें आनी बन्द हो गईं। ये धुँधली दिखाई देने लगीं; आवाज भी ठीक नहीं आने लगी।

टी०वी० एनाउन्सरों ने टी०वी० ग्राहकों को एन्टीना नए ट्रांसमीशन स्टेशन की दिशा में करने के लिए कहा। लखनऊ में टी० वी० मालिक ऐसा कर रहे है लेकिन कार्यक्रम धुंधले दिखाई देने लगे। 'उच्च शक्ति ट्रांसमीशन' से टी० वी० सेटों को भी क्षति पहुंची है। कुछ सेट जल गए हैं।

यह घोषणा की गई थी कि उच्च शक्ति के स्टेशन से राष्ट्रीय कार्यक्रम स्पष्ट दिखाई

देंगे । परन्तु राष्ट्रीय कार्यक्रम भी और धुंधले दिखाई देने लगे । बार-बार व्यवधान होने लगा है ।

लखनऊ टी० वी० स्टेशन के अधिकारी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे है।

लखनऊ स्टेशन के समाचारवाचक (न्यूज रीडर्स) समाचार पढ़ने से पहले और बाद में टी० वी० दर्शकों को नमस्कार नहीं करते हैं जैसा कि दिल्ली दूरदर्शन द्वारा किया जा यहा है

श्री चन्द्रपाल शैलानी खड़े हुए ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस समय जो कुछ कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है । आप अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं । आप बजट पर बोल सकते हैं । इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

श्री चटर्जी ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय वह एक बात उठा रहे हैं । उनका कहना है कि लखनऊ के लोगों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है, क्योंकि लखनऊ सांस्कृतिक विरासत का एक स्थान है । समूचे विश्व के लोग जानते हैं लखनऊ के आदाब बहुत नफीस हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहा है उसे मैं समझ गया हूं । अब श्री चटर्जी ।

(दो) सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा बड़े उद्योगों को अपनी खरीद लघु उद्योग एककों से करने के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का कार्यान्वित न किया जाना

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उस माल की सूची का पता लगाएं जिनका लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन किया जा सकता है और उनकी आवश्यकता के बारे में अनुमान लगाएं, उन लघु एककों का भी पता लगाएं ओर उनकी सूची बनायें जो इस माल का उत्पादन कर सकते हैं और ऐसे एककों को उनकी क्षमता के अनुसार मूल्य निर्धारण समितियों द्वारा निर्धारित मूल्यों पर क्रयादेश दें । यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि ईस्टर्न कोल फील्ड्स, दुर्गापुर स्टील प्लांट एम. ए. एम. सी., एम. सी. एल. आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रम जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर-आसनसोल क्षेत्र में स्थित हैं, इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं । ये बड़े-बड़े एकक अपनी मालसूची बनाए रखने और मरम्मत के छोटे छोटे कामों के लिए प्रतिवर्ष 30.00 करोड़ से अधिक धनराशि कम करते हैं । परन्तु इन बड़े एककों में से कोई भी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार खरीद नहीं करता है । दूसरी ओर बिचौलियों को क्रयादेश प्राप्त करते हैं और लघु क्षेत्र के एककों से काम कराते हैं और इस

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री सोमनाथ चटर्जी

प्रकार से उन्हें इनके उचित लाभ से वंचित करते हैं। छोटे पैमाने के एककों को भी जिनको कुछ क्रमादेश दिए जाते हैं, उस कार्य की जानकारी नहीं होती है जिसकी एक विशेष वर्ष में आशा की जाती है। ऐसी स्थिति में लघु पैमाने के एकक कर्मचारियों को स्थायी रूप से नहीं रख सकते हैं। और लगभग 15000 कर्मकार मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं और उन्हें स्थायी राजगार के विशेषधिकार से वंचित किया जाता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह समुचित आदेश और निर्देश जारी करें ताकि सरकारी क्षेत्र के एकक सरकारी उद्यम ब्यूरो के मार्गदर्शी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करें और छोटे पैमाने के एककों से अपनी खरीद करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मीरवाभाई। वह अनुपस्थित हैं। श्री बापूसाहिब परुलेकर। वह अनुपस्थित हैं। श्री पी० के कोडियन।

(तीन) केरल में कल्लड़ बांध के आयाकट क्षेत्र में रहने वाले किसानों को पुर्नवास की योजना को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : मैं केरल के आयाकट क्षेत्र के कल्लड बन्ध के उन 300 अधिवासी किसान परिवारों की दयनीय स्थिति की ओर इस सभा और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो कि उनके पुनर्वास की राज्य सरकार की योजना को केन्द्र से स्वीकृति न मिलने के कारण हुई है।

कल्लड सिंचाई योजना केरल द्वारा प्रारम्भ की गई एक बडी सिंचाई योजना है। इस योजना का कार्य समापन अवस्था में है। बांध के आयाकट क्षेत्र से 300 से भी अधिक किसान परिवारों को खाली करवा कर दूसरी जगह बसाया जाना था। अधिवासियों के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के बीच इन किसान परिवारों के पुनर्वास के बारे में एक समझौता हुआ था। समझौते के अनुसार इन किसान परिवारों को कुलाथुपुझा गांव में जंगल को साफ करके, कल्ल वेन कुन्नु में 335 एकड भूमि पर फिर से बसाया जाना था। भूमि को दो वर्ष पूर्व साफ कर दिया गया है, परन्तु इसे किसानों में नहीं बांटा गया है क्योंकि केन्द्र ने पुनर्वास योजना को स्वीकृति प्रदान करने से इस आधार पर इंकार कर दिया है कि साफ की गई भूमि वनों की है और राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लिए बिना, वन भूमि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।

किसानों के पुनर्वास पर मानवीय की समस्या के रूप में विचार किया जाना चाहिए। किसानों के पुनर्वास के मार्ग में तकनीकी और कानूनी कठिनाइयों को नहीं आने दिया जाना चाहिए।

मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कि जैसी राज्य सरकार ने सिफारिश की है किसानों के पुनर्वास की योजना को तुरंत स्वीकृति प्रदान की जाय।

(चार) मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज इलाहाबाद में हृदय रोग केन्द्र खोलने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद स्थित मोती लाल नेहरु मेडिकल कालेज न केवल इलाहाबाद जनपद के बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के तथा जनपद से लगे हुए मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र के गरीब रोगियों की सेवा करता है। आजकल अनेकों प्रकार के हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। हृदय रोगों की जांच उनके इलाज एवं शल्य चिकित्सा में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। परन्तु इसका लाभ सुसज्जित कार्डिअक केन्द्र के माध्यम से ही उठाया जा सकता है। उक्त मैडिकल कालेज में आधुनिक सुविधायें न होने के कारण उपर्युक्त क्षेत्र के हृदय-रोगियों को कभी-कभी गम्भीर संकट का सामना करना पड़ता है। रोगी की गम्भीर स्थिति में अन्य दूरस्थ स्थानों को ले जाने में उसकी जान का खतरा हो जाता है। हृदय-रोगियों की विशेष परिस्थिति तथा इलाहाबाद की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां के मेडिकल कालेज में एक कार्डिअक केन्द्र की अति आवश्यकता है। इस संबंध में कई माध्यमों द्वारा प्रान्तीय एवं भारत सरकार से सम्पर्क किया जा चुका है, परन्तु अभी कुछ नही हो सका है। चूंकि इस पर काफी खर्च पड़ सकता है, इसलिए भारत सरकार का सहयोग अपेक्षित है।

अतएव, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रुचि लें और मोती लाल नेहरू मैडिकल कालेज, इलाहाबाद में कार्डिअक केन्द्र खोलने के लिए प्रान्तीय सरकार को आवश्यक सहयोग दें।

(पांच) जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच भदरवाह-चंबा सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करने की आवश्यकता

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के बीच भदरवाह-चम्बा नाम की एक महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय सडक, एक दशक से भी अधिक समय से निर्माणाधीन है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इसके पूरा होने में इतना विलम्ब हुआ, क्योंकि जब यह पूरी हो जायेगी तो यह उत्तर भारत की सड़क प्रणाली की एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। व्यापार, पर्यटन और पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास की दृष्टि से यह सड़क दोनों दूरस्थ राज्यों की जनता के कल्याण हेतु मूल्यवान योगदान दे सकती है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है—वित्त मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं—कि वह यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के बजटों में पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करें जिससे कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान बिना और विलम्ब के इसे पूर्ण किया जा सके। इन राज्यों की जनता लम्बे समय से इस सड़क के पूरा हो जाने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है और वे अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षारत नहीं रह सकते हैं।

(छः) बाढ़ों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक अविलम्ब-

[श्री चिन्तामणि जेना]

नीय लोक महत्व के मामले को लेकर खड़ा हुआ हूं । समस्त प्राकृति विपदाओं में से, प्रतिवर्ष बाढ़ों से सर्वाधिक जन-धन की हानि होती है और बाढ़ नियन्त्रण हेतु किए गये अनेकों उपायों के बावजूद भी 320 लाख हेक्टेयर ऐसी भूमि में से जिसे जलमग्न होने से बचाया जा सकता है अभी तक केवल 120 लाख हेक्टेयर भूमि को ही बचाया जा सका है । गत 30 वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि बाढ़ से प्रति वर्ष लगभग 90 लाख हेक्टेयर भूमि पर विनाश होता है, जिससे 225 करोड़ रुपये की फसलें नष्ट हो जाती हैं और लगभग 290 लाख जनसंख्या प्रभावित होती है, जिनमें से 1४ हजार लोग जान से हाथ धो बैठते हैं और औसतन एक लाख पशु बह जाते हैं । बाढ़ से न्यूनतम औसत वार्षिक क्षति 400 करोड़ रुपये आंकी गई है और गत तीन दशकों में बाढ़ से प्रति वर्ष हुई न्यूनतम औसत क्षति 400 करोड रुपये की आंकी गई है और कुल 12,500 करोड रूपये की क्षति का अनुमान लगाया गया है । परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि इस क्षेत्र को, केन्द्र अथवा राज्यों दोनों ने ही आवश्यक धन का आवंटन करने में कोई महत्व नहीं दिया है, जिसका सम्भवतया यह कारण हो सकता है कि इससे राजकोष में कोई राजस्व नहीं आता है और इसके परिणाम स्वरूप राजकोष को प्रति वर्ष करोडों रुपये की क्षति होती हैं । यद्यपि संघ सरकार ने 1974 में राज्यों के पास इस विषय पर एक आदर्श विधेयक राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित करने के लिए परिचालित किया था किन्तु राज्यों ने इसे पास कर कानून का रूप देने में कोई उत्साह नही दिखाया ।

ऐसी परिस्थितियों में, मैं संघ सरकार से निवेदन करता हूं कि वह उपयुक्त कदम उठाए जिससे कि इस सर्वाधिक भयानक विपदा को रोका जा सके और हर वर्ष फसलों की भीषण क्षति, मानव एव पशुओं के बड़े पैमाने पर विनाश को, हमेशा के लिए रोका जा सके ।

बहुत धन्यवाद ।

1.52 म० प०

सामान्य बजट—1984-85—सामान्य चर्चा

—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर अर्थात् 1984-85 के बजट (सामान्य) और आगे सामान्य चर्चा करेंगे ।

श्री चिन्ना स्वामी ।

***श्री सी० चिन्ना स्वामी** (गोबिचेट्टिपलयम्) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्रकषगम की ओर से, मैं 1984-85 के सामान्य बजट पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

हमारे देश में समाज के सभी वर्गों ने इस बजट की व्यापक रूप से सराहना की है । मेरे पूर्व वक्ताओं ने बजट में किए गये कर प्रस्तावों की बात की है और मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर

* तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

टिप्पणियां करने नहीं जा रहा हूं। बजट प्रस्तावों का गहराई से अध्ययन करने के बाद खेद है कि मुझे ये शब्द कहने पड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरी टिप्पणियों के गलत अर्थ न लगायें, जिससे मन्त्री महोदय की उदारता और बुद्धिमता पर सन्देह हो। जहां तक मैं समझ सकता हूं इस बजट से आवश्यक वस्तुओं के दाम कम नहीं होंगे। इस बजट में 1760 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। कराधान प्रस्तावों से 273 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय बचत योजना से 500 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र करने की संभावना है। इससे घाटा पूरा नहीं होगा। यहां तक कि गैर-योजनागत व्यय को कम करने से भी घाटा कम होने की संभावना नहीं है। इस बजट में गैर-योजनागत खर्च में 5000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। जब तक गैर-योजनागत व्यय में भारी कटौती नहीं की जाती है, हम आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करने में असमर्थ रहेंगे।

1.56 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

यदि हम अपने बजट से राज सहायता को निकल देंतो घाटे को समाप्त किया जा सकता है। खाद्यान्नों के लिए दी जाने वाली राज सहायता 850 करोड़ रुपये की है, उर्वरक के लिए राज सहायता 1080 करोड़ रुपये की है। निर्यात के लिये 530 करोड़ रुपये की राज सहायता रखी गई है। कुल मिलाकर 2460 करोड़ रुपये की राज सहायता बनती है। राज सहायता की इतनी बड़ी राशि को किस खाते में दर्शाया जा सकता है? यदि हम खाद्यान्न और उर्वरक राज सहायता को बन्द कर दें, तो कृषकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेंगे। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जायेंगी, जिससे आम जनता प्रभावित होगी। योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार पहले ही 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। राज सहायता को समाप्त करके हम और अधिक लोगों को गरीबी रेखा से नीचे नहीं ला सकते हैं।

इस समस्या को हल करने का एक और भी तरीका है। ऐसा अनुमान है कि उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क और आयकर की 300 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। इस बकाया को एकत्र करने हेतु कठोर उपायों की मांग करना निरर्थक है। ये सभी मामले न्यायालयों, आयकर न्यायाधिकरणों और उत्पाद और सीमा शुल्क न्यायाधिकरणों के विचाराधीन हैं। हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने उत्पाद शुल्क के प्रश्न का अध्ययन करने हेतु जो कि 1953-54 में 100 करोड़ से बढ़कर 1983-84 में 10,100 करोड़ रुपये हो गया है. एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है। मुझे विश्वास है कि जब भी इस समिति की सिफारिशें प्राप्त होंगी, वह उन्हें कार्यान्वित करेंगे और उत्पाद शुल्क के ढांचे में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। अनेक आयोगों और समितियों ने आयकर तथा अन्य निगम-कर ढांचे में सुधार की आवश्यकता के बारे में प्रतिवेदित किया है। दुर्भाग्य से इन सिफारिशों को अभी लागू नहीं किया गया है। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से ऐसा कानून बनाने का निवेदन करूंगा जिससे वित्त विधेयक के उपबन्धों को किसी भी न्यायालय या न्यायाधि-

[श्री सी० चिन्नास्वामी]

करण में ले जाने की मनाई हो। केवल तभी आर्थिक स्थित सुधार सकती है। गैर योजनागत व्यय में, जो कि कुल व्यय का लगभग 61% है, पर्याप्त कमी की जानी चाहिये।

1984-85 के बजट में, विद्युत परिव्यय में 44 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। विद्युत पर से शुल्क वापिस लिया गया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब ताप-बिजलीघरों को पर्याप्त मात्रा में अच्छे कोयले की सप्लाई की जायेगी, केवल तभी विद्युतोपादन में सुधार होगा तथा स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सकता हैं। उदाहरण स्वरूप, तूतीकोरिन सुपर ताप बिजलीघर और इन्नोर ताप बिजली घर केवल 40 प्रतिशत स्थापित क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इन इकाईयों को अधिक राख पैदा करने वाला कोयला सप्लाई किया जाता है। कोयले में राख की अधिक मात्रा होने के कारण कई बार बिजली भी बन्द हो जाती है। और यह कोयला भी समय पर नहीं सप्लाई किया जाता है। उनके पास 15 दिन के लिए भी कोयले का स्टाक नहीं होता है। हल्दिया बन्दरगाह पर जमाव हो जाने के कारण दक्षिण को कोयले के परिषण में विलंब हो जाता है। तमिलनाडु के इन ताप-बिजलीघरों का गुजारा बड़ी कठिनाई से चल रहा है। बन्दरगाह में उतारा गया कोयला बिजली उत्पादन के लिए बिजलीघर तुरन्त भेजा जाता है। तमिलनाडु सरकार केन्द्र से इन ताप बिजलीघरों के लिए आस्ट्रेलिया से अच्छी किस्म का कोयला आयात करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन करती रही है। केन्द्र ने इस मांग को मंजूर नहीं किया है।

तमिलनाडु के विद्युत मंत्री बार-बार दिल्ली आ रहे हैं और कोयले को उत्तर से दक्षिण ले जाने के लिये वह केन्द्र सरकार ने पोतों के आयात की मंजूरी देने के लिये अनुरोध कर रहे हैं। हमें भी स्वीकार नहीं किया गया हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा वे इस बारे में अपने प्रभाव का प्रयोग करें ताकि तमिलनाडु में विद्युत की कमी को दूर किया जाये। दिसम्बर, 1983 में बेमौसम की वर्षा तथा फरवरी, 1984 में लगभग 15 दिन तक लगातार भारी वर्षा में 22 लाख एकड़ भूमि में फसल नष्ट हुई हैं और मनुष्य तथा मवेशियों की जो हानि हुई वह इसके अतिरिक्त है हमारे रक्षा मंत्री श्री आर०वेकटरमन तथा केन्द्रीय दल ने जिन्होंने तमिलनाडु का दौरा किया, डा० पुराची थालाइवार एम० जी रामाचन्द्र के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार द्वारा किये गये सुरक्षा उपायों की सराहना की है। राज्य सरकार ने केन्द्र से बाढ़ राहत कार्यों के लिये 128 करोड़ रुपये की माँग की है मैं वित्त मन्त्री जी से इस राशि को तुरन्त प्रदान करने की अपील करता हूं।

7 मार्च 1984 को एक ध्यानाकर्षक प्रस्ताव के जवाब में माननीय रक्षा मन्त्री ने तमिलनाडु में सेतुसमुद्रम् परियोजना के सामरिक महत्त्व पर जोर दिया है। बहुत सी समितियों ने इसकी सिफारिश की है जिसमें हम सदन की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति भी शामिल है। केन्द्र को जल्दी ही इस परियोजना को शुरू कर देना चाहिए। इसी प्रकार से परमाणु उर्जा विभाग के स्थलगत इंजीनियरों ने तमिलनाडु में दूसरा परमाणु ऊर्जा केन्द्र बनाने के लिये

तिरूनेलवेलि जिले में कोडानकुलम स्थान का चयन किया है। तमिलनाडु में विद्युत की कमी दूर करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। मैं मांग करता हूं कि हम इस परियोजना को 1984-85 में ही हाथ में ले लिया जाये। कलपक्कम में उत्पादन बिजली पूर्ण रूप से तमिलनाडु को दी जानी चाहिये। कलपक्कम द्वारा उत्पादित परमाणु ऊर्जा का कर्नाटक के साथ बंटवारा नहीं होना चाहिए। कावेरी नदी के थाले तथा पाक जल डमरू मध्य में तेल के लिए खोज के कार्य को तेज किया जाना चाहिए। मद्रास में मद्रास तेल शोधक करखाने के समीप एक पैट्रो रसायन काम्लैक्स स्थापित किया जाना चाहिये। मद्रास नगर की पेय जल समस्या को हल करने के लिये केन्द्र के तेलगु-गंगा परियोजना के लिये लगभग 636 करोड़ रुपये मुहैया करने चाहिए। अन्त में मैं मांग करूंगा कि डा० पुराची थालाइवार की अध्यक्षता में तमिलनाडु की दिन का पौष्टिक भोजन योजना को पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना चाहिए तथा इसका खर्च पंचवर्षीय योजना के आवटन से ही पूरा किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

2.00 म० प०

श्री आर० प्रभु (नीलगिरि) : माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1984-85 के लिए प्रस्तुत बजट की समाज के सभी वर्गों ने प्रशंसा और स्वागत किया है। सदन में व सदन के बाहर इसकी कुछ अलोचना हुई है कि यह बजट चुनाव को ध्यान में रखते हुये बनाया गया है। इस वित्त वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुआ है यह एक अच्छी वर्षा से अथवा अचानक ही नहीं हुआ है। यह गत पांच वर्षों में अच्छी नीति बनाने और उसके ठीक प्रकार से लागू करने के परिणामस्वरूप हुआ है। यह जन संसाधनों में निवेश, बुनियादी सुविधाओं का प्रावधन, बाह्य वित्त की सक्षम प्रबंध व्यवस्था नवीन वित्तिय और कराधान नीतियों तथा अधिक बचत और निवेश का वातावरण बनाने आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नये नीति संबंधी निर्णयों को लेने तथा क्रियान्वित करने के कारण हुआ है।

1979-80 में हमारी अर्थ-व्ययस्था अस्तव्यस्त थी और पिछली सरकार ने योजना की नींव को ही जो भारत में विकास का आधार है, मिटाकर इतनी भारी क्षति पहुंचाई है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने रोलिंग योजना को अपनाया किंतु जनता ने उन्हें ही अपदस्य कर दिया। इस बजट पर विचार करने के लिए हम पांच वर्ष की अवधि को लेना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिये। वर्तमान सरकार का प्रथम कार्य यह था कि अर्थव्यवस्था को पुनः सुव्यवस्थित किया जाये और छठी पंचवर्षीय योजना तैयार कर उसे एक नई गति प्रदान की जाये। इस प्रकार छठी योजना के संबंध में एक महत्वांकांक्षी कार्यक्रम की शुरूआत की गई। 97.500 करोड़ रुपये लागत की परियोजना तैयार की गई। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि उसे लागू किया गया है और अकेले इस चालू वर्ष में हमारे पास 30,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था चालू योजना के अंत तक छठी योजना पर हम 110,000 करोड़ रूपये खर्च कर चुके होंगे। यह नियोजित योजना व्यय से 12 प्रतिशत अधिक है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय

[श्री आर० प्रभु]

में निरंतर 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई मुझे विश्वास है कि यह विकास दर इस वर्ष भी जारी रहेगी। अर्थ-व्यवस्था में सुधार कोई चुनाव की चाल नहीं है। यह दीर्घकालीन कठिन परिश्रम तथा बीस सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित जन संसाधन विकास कार्यक्रम के यथा प्रस्तावित क्रियान्वयन का ही परिणाम है हमारे देश में जनसंसाधन सबसे बड़ा संसाधन हैं जो अन्य पूंजी संसाधनों से रहित है जन संसाधनों का विकास ही भारतीय अर्थ-व्यवस्था का विकास है हमारे देश की अपार जनसंख्या एक परि सम्पत्ति नहीं अपितु एक देनदारी है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वही मौलिक व्यवस्था है जिसके परिणामस्वरुप ही प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के विकास को नया दृष्टिकोण मिला है। 20-सूत्री कार्यक्रम अब तक किसी देश में लागू किये गये जन संसाधन कार्यक्रमों में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह जनता में राष्ट्रीय की आस्था को सुदृढ़ करता है। तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत बड़े जनसमूह की क्षमता में परिवर्तन एवं सुधार करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। देश में से गरीबी दूर करने और लोगों को आवाश्यक सुविधायें जैसे स्वास्थय, शिक्षा, पानी बिजली तथा अन्य मूल भूत सुविधायें दिलाने के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम सबसे अधिक सक्षम कार्यक्रम है। 20-सूत्री कार्यक्रम की आधारभूत नीति तथा अंततः उद्देश्य देश से गरीबी हटाना है। विभिन्न योजनाओं, जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगारों के लिये स्वरोजगार योजना, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, इन सभी पर जो भारी योजना व्यय हो रही है वह 20-सूत्री कार्यक्रम के परिणामस्वरूप हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्वरूप में धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा सुविधायें पहुंच रही हैं। देश में साक्षरता दर बढ़ रही है। अधिकाधिक ग्रामों में पानी की आपूर्ति हो रही है। पांच वर्ष तक के बालकों और दूध पिलाने वाली माताओं को पोषक भोजन सप्लाई योजनाओं द्वारा भावी पीढ़ी के बौधिक विकास के लिये कार्य किये जा रहे हैं। दलित वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिये विभिन्न कार्यक्रम और विशेष योजनाओं के परिणामस्वरुप सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। जन संसाधन विकास के लिये किये इन नूतन कार्यक्रमों का आगामी वर्षों में व्यापक और बहुविधि प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमें इन योजनाओं पर होने वाले व्यय से अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहूंगा। सिर्फ चालू वर्ष के दौरान ही इन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये लगभग 932 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। विभिन्न कार्यक्रमों पर केन्द्र तथा राज्यों द्वारा कुल योजना व्यय 1800 करोड़ रुपये होगा। 424 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर खर्च की जायेगी। कुल मिला कर 2200 करोड़ रुपया विभिन्न कार्यक्रमों पर इस वर्ष खर्च किया जायेगा। महोदय, अगर इस भारीखर्च पर पर्याप्त लाभ नहीं मिलता है तो यह व्यय अनुत्पादक तथा अपव्यय साबित होगा तथा अंततः इससे मुद्रास्थित होगी। इस समय राज्य सरकार इस व्यय को राजस्व खाते में करती हैं। रोजगार प्रधान कार्यक्रमों और ग्रामों में विशिष्ट कार्य जैसे सिचाई साधन, खेतों में नालियों का

निर्माण, सड़कें, स्कूल, भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि में परस्पर कोई संबंध नहीं है। दस्तावेज में इस खर्च के अंतर्गत किन्हीं विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें केवल कार्य दिवस तथा रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में ऐसी योजनाओं, में किये जाने वाले उपायों का ही उल्लेख है। योजना में इस कमी को दूर किया जाना चाहिए। इन योजनाओं को लागू करने के तरीके में भी कुछ मौलिक परिवर्तन की जरूरत है। वर्तमान में इन योजनाओं पर खर्च राज्य सरकारों द्वारा वर्ष के अन्त में राजस्व खाते के अन्तर्गत किया जाता है, वर्ष के अन्त में वे केवल कागज के लक्ष्यों को ही देखते हैं न कि वास्तविक पूरे किये गये लक्ष्यों को देखते हैं। इनमें निरंतरता, और उत्तरदायित्व का अभाव है।

महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी की कृपा चाहता हूं। तथा मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मेरा पहला सुझाव है कि यह व्यय संस्थागत होना चाहिये। इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्र में एक शीर्ष निकाय तथा राज्यों में ग्रामीण विकास निगम की स्थापना की जानी चाहिये। इसका हमें अनुभव भी है और ग्रामीण विद्युत निगम तथा डेरी विकास निगम जैसे निगम बनाकर इनके माध्यम से योजना का क्रियान्वयन करके ग्रामीण विद्युतीकरण तथा डेरी विकास में हमें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

इसी प्रकार से जल आपूर्ति, समन्वित ग्रामीण विकास, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजनाओं तथा राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए भी निगम बनाये जाने चाहिएं।

वित्त मन्त्री ने अपने भाषण के पैरा 16 में सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक क्षमता के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं कि उद्यम को जीवित रखने के लिये मुख्य कसौटी आर्थिक क्षमता होनी चाहिये। भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिकक्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। 1982-83 में सार्वजनिक क्षेत्रों में लगी पूंजी 27,000 करोड़ रुपये थी और इसका कारोबार 42,000 करोड़ रुपये था। कर तथा ब्याज के पहले सकल मुनाफा 3, 00 करोड़ रुपये था और कर से पहले शुद्ध लाभ 1,500 करोड़ रुपये था। कर के पश्चात शुद्ध लाभ 618 करोड़ रुपये था, आंतरिक संसाधन उत्पत्ति 2,756 करोड़ रुपये की थी। सार्वजनिक क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं में 200 लाख व्यक्ति नियोजित हैं। 1982-83 में सार्वजनिक क्षेत्र के श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन का विभिन्न क्षेत्रों से पर्याप्त सराहना नहीं की गई। किन्तु 1983-84 में सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ प्रदता तथा कार्य-निष्पादन में कुछ कमी आई है। संभवत इसी कारण से वित्त मन्त्री जी ने सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता के बारे में कहा है।

मैं वित्त मन्त्री जी से पूर्णतया सहमत हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को जीवित रखने के लिए इन उद्यमों की क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र का कोई भी उद्यम आरम्भ करने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण घटक है।

इस प्रसंग में, कुछ विवाद है और मेरे चुनाव क्षेत्र नीलगिरि, तमिलनाडु में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के विस्तार के सम्बन्ध में काफी आंदोलन किया जाता रहा है। जैसा कि आप जानते हैं यह कम्पनी श्वेत-श्याम पोजिटिव फिल्म और एक्स-रे फिल्म बनाती है। फोटोग्राफिक सामग्री के निर्माण के लिए अपनी महान तकनीकी कुशलता और जानकारी के लिए यह कम्पनी

[श्री आर० प्रभु

वर्षों से प्रसिद्ध है। इसके साथ-साथ इस क्षेत्र में इस कम्पनी ने अगाध प्रतिभा का भी विकास किया है और फिल्मों के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री की पूर्ति करने वाले बहुत से पोषक उद्योग भी वहां हैं। यह कम्पनी लाभ भी कमा रही है।

जब रंगीन फिल्म परियोजना के प्रस्ताव को लिया गया था तो यह सुझाव दिया गया था कि यह परियोजना किसी और राज्य में स्थापित की जा सकती है। यदि यह परियोजना तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में स्थापित नहीं की गई तो इसके कारण, इस परियोजना पर होने वाला व्यय उस दर से लगभग दो-तीन गुना अधिक होगा। समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से ज्ञात हुआ है कि योजना आयोग ने कहा है कि यदि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के वर्तमान स्थल पर स्थापित की जाती है तो आर्थिक रुप से सक्षम नहीं होगी। मैं माननीय वित्त मंत्री और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इसके बारे में पुनर्विचार करें क्योंकि इस पर होने वाला व्यय 250 करोड़ रुपये के आसपास होने जा रहा है। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरी बात से यह अभिप्राय लगाने की भूल नहीं करनी चाहिए और नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा है कि अन्य राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जाना चाहिए किन्तु मेरा मुद्दा यह है कि यह विशेष उद्योग, जिसका विस्तार किया जाना है। अन्य किसी स्थल की बजाय नीलगिरि में स्थापित किया जाना चाहिए। मैं यह निवेदन करता हूं कि इस परियोजना के बराबर आयाम वाली या दुगनी या तिगनी आयामों वाली कोई और परियोजना, अन्य राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित की जाए। जैसा कि मैंने कहा, यदि यह परियोजना नीलगिरि में स्थापित की जाती है जो आर्थिक रुप से सक्षम होगी तथा लाभ भी कमाएगी और आरम्भ से ही एक स्वस्थ इकाई होगी इससे सारे राष्ट्र को ही लाभ प्राप्त होगा और किसी को भी हानि नहीं होगी।

चाय उद्योग भी काफी संकटग्रस्त उद्योग रहा है यद्यपि इसके माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। मैं माननीय वित्त मन्त्री को चाय उद्योग को दी गई रियायतों तथा करों में छूट लिए, जो उन्होंने क्षेत्रों की चकबंदी और नवीकरण के लिए प्राप्त आर्थिक सहायता के संबन्ध में दी है, धन्यवाद देता हूं तथा इन योजनाओं को चाय-झाड़ियों के पुनःरोपण और प्रतिस्थापन के समकक्ष रखने का मैं स्वागत करता हूं। चाय उद्योग का सही तकनीकी मूल्यांकन करने के बाद यह किया गया है। मैं इसके लिए माननीय वित्त मन्त्री को धन्यवाद देता हूं।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि इस बजट को यह कह कर कि यह सभी को राहत पहुंचाने वाला और चुनाव पूर्व बजट है, आलोचना करना न्यायोचित नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यह बजट छठी योजना का अन्तिम बजट है और यह बजट 6ठी योजना में किए गए विशाल पूंजी निवेशन के परिणाम स्वरुप राष्ट्र को क्या प्राप्त हुआ है इसका सार प्रस्तुत करता है। इस वर्ष छठी योजना का व्यय पहले से 25,000 करोड़ से बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये हो गया है। एक वित्तीय वर्ष

में 5,000 करोड़ रु० की वृद्धि का अर्थ किसी प्रकार से भी नगण्य उपलब्धि नहीं है। 7वीं योजना में भी यदि हम विकास की यही दर बनाए रख सकें, तो हमें 1990-91 में आर्थिक सम्पन्नता के शिखर को प्राप्त कर लेना चाहिए। एक योजनावधि यानी छठी योजना में योजना व्यय को 46,700 करोड़ रु० से बढ़ाकर 110,000 करोड़ करना सम्भव हुआ इसी दर पर, तीव्र उपलब्धि को अपना मार्गदर्शी मानकर और हमारी माननीया प्रधान मन्त्री के प्रेरणात्मक नेतृत्व तथा आर्थिक आयोजना करने में हमारे वित्त मन्त्री की कुशलता से हमें 7वीं योजना, जिसकी कुल योजना राशि 200,000 करोड़ रु० है के बारे में भी कल्पना करने में समर्थ होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह कोई कल्पनामय बात नहीं है हम इसे प्राप्त करेंगे।

जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है :

"आता है ज्वार एक बार अवश्य,
हर व्यक्ति के जीवन में;
बहा कर उसे जो ले जाता है,
सफलताओं के शीर्ष पर।"

यह अवसर हमें खोना नहीं चाहिए।

धन्यवाद।

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : माननीय वित्त मन्त्री द्वारा इस सभा में प्रस्तुत किए गए बजट प्रस्तावों का मैं समर्थन करता हूं। उनके बजट ने समाज के बहुत से क्षेत्रों को बहुत सी राहतें पहुंचाई हैं।

जहां तक व्यक्तिगत कराधान का सम्बन्ध है, कर योग्य आय अब 15,000 की बजाय 0,000 हो गयी है कराधान की दर को 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत करने में भी वह काफी उदार रहे हैं। कराधान की अधिकतम सीमा को भी घटाकर 60 प्रतिशत से 55 प्रतिशत किया गया है।

जहां तक निगमित क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां भी उन्होंने बहुत अच्छी राहतें प्रदान की हैं। शेयरधारियों और ऋणधारियों को, कर में कोई कटौती किए बिना, अब लाभांश और ऋणपत्र ब्याज दिये जाएंगे बशर्ते कि वे किसी और ढंग से अंशदान करें।

जहां तक सम्पत्ति कर का सम्बन्ध है, वहां भी बजट ने काफी राहतें दी हैं। अब हम 2 लाख रु० मूल्य के मकान के स्वामी हो सकते हैं और हमें सम्पत्ति कर देने की आवश्यकता नहीं है।

व्यापार और व्यवसाय के लिए बजट प्रस्तावों में बहुत सी रियायतें और सुविधायें दी गयी हैं। कागज उद्योग को कच्ची सामग्री अर्थात् लकडी की छिरियां और लुगदी पर से सीमा शुल्क हटाकर रियायतें प्रदान की गयी हैं। अन्य राहतें भी प्रदान की गयी हैं।

[श्री आर० आर० भोले]

इसके बाद खंडसारी जो निर्धन आदमी की चीनी है, को भी उत्पाद-शुल्क में छूट दी गई है। बिजली, पालिएस्टर, सूती-धागा, छपाई का कागज, और क्राफ्ट दस्तकारी वाले कागज को भी उत्पाद-शुल्क से विमुक्त किया गया है। सूती कपड़ों और अन्य कपड़ों पर भी उत्पाद-शुल्क में छूट दी गयी है। पंखों और चीनी-मिट्टी के बर्तनों पर भी उत्पाद-शुल्क में राहत दी गयी है। इसीलिए, अब, मेरे विचार से ये बहुत अच्छी राहतें हैं और इससे मध्यवर्गीय तथा उच्चमध्य-वर्गीय व्यक्ति की आर्थिक दशा में सुधार आयेगा। मेरे विचार से इन चार वर्षों में, पहली सरकार द्वारा छिन्न-भिन्न की गयी अर्थव्यवस्था के बाद, हमारी सरकार ने बहुत आश्चर्यजनक रूप से कार्य किया। आर्थिक विकास का अब बहुत मजबूत आधार है। औद्योगिक विकास, यद्यपि यह हमारी औद्योगिक क्षेत्र की क्षमता से नीचे है, बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गया है। हम सब कामना करते हैं कि अच्छी परिस्थितियों में हम 7 से 8 प्रतिशत तक पहुंच सकते थे। किन्तु हमें और देश की जनता को जिसकी चिन्ता है वह है मूल्य? मूल्यवृद्धि निर्धन व्यक्ति से लेकर, उच्च-मध्यवर्गीय व्यक्ति तक सभी को परेशान कर रही है। निस्संदेह, नवधनाड्य व्यक्तियों को इसका कोई भय नहीं है क्योंकि वेप्रतिदिन बहुत सा पैसा कमा रहे हैं किन्तु 90-95 प्रतिशत लोगों को मूल्यवृद्धि से कष्ट हो रहा है। जहाँ तक बम्बई—जहां से मैं आया हूं—जैसे नगरों का सम्बन्ध है, दूध, परिवहन अर्थात् रेलगाड़ी, टैक्सी, तिपहिया स्कूटर, अंडा, डबलरोटी, दाल, वनस्पति तेल आदि वस्तुओं के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है वास्तव में, दो बच्चे वाले परिवार को मूल्यवृद्धि के कारण अब 200 रु० प्रतिमाह अधिक खर्च करना पड़ता है। यह स्थिति केवल बम्बई की नहीं है वरन् बंगलोर, मद्रास, अहमदाबाद, कलकत्ता और अन्य स्थानों की भी है। यह कह कर सांत्वना देने का कोई उपयोग नहीं है कि मूल्यवृद्धि केवल 6 प्रतिशत है क्योंकि थोक और खुदरा मूल्यों में बहुत बड़ा अन्तर है।

बम्बई की टाटा आर्थिक परामर्श सेवा (टाटा इकोनोमिक कंसल्टेटेंसी सर्विसेज) ने सर्वेक्षण के बाद बताया कि भोजन, दूध, फल, सब्जी, चीनी, तेल, इत्यादि वस्तुओं के थोक मूल्य में 14 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी बहुत ऊंचा हो गया है, वास्तव में यह अक्टूबर 1983 में 558 था नवम्बर और जनवरी में भी इसमें वृद्धि हुई है।

मैं जानता हूं कि सरकार इस प्रवृत्ति पर नियन्त्रण का प्रयास कर रही है किन्तु लगता है कि व्यापारी छोटे विक्रेता सब्जी-मंडी में, अण्डा मंडी में निर्धन लोगों और सरकार की नीतियों के साथ सहयोग करना नहीं चाहते हैं। यद्यपि थोक मूल्य पर नियन्त्रण है किन्तु खुदरा मूल्य वही है जो मंडियों में विक्रेताओं द्वारा बताया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में भी कुछ किया जाए।

मैं बम्बई से आया हूं। हम सभी जानते है कि कपड़ा-श्रमिक हड़ताल पर थे। मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं समझता हूं कि सभा भी बहुत प्रसन्न है कि 13 कपड़ा मिलों का अधिग्रहण कर लिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : किन्तु वे बन्द पड़ी हुई हैं।

श्री आर० आर० भोले : हड़ताल समाप्त प्रायः ही है। वे सभी बंद नहीं है किन्तु इन मिलों में, उन सभी श्रमिकों को जो हड़ताल से पहले वहाँ काम करते थे, अभी काम पर नहीं लिया गया है। उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। मिलें बन्द नहीं पड़ी हैं। इसलिए जब तक उन सभी को काम पर वापस नहीं लिया जाता तब तक श्रमिक भी बहुत प्रसन्न नहीं हैं। इसलिए हमारी सरकार के लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि वे श्रमिक जो हड़ताल करने से पहले उन मिलों में काम करते थे, उन सभी को उन्हीं शर्तों पर जो हड़ताल से पहले थीं। काम पर वापस लिया जाए।

इन्द्रजीत गुप्त : अच्छा, बहुत अच्छा, श्री भोले।

श्री आर०आर० भोले : एक और बात है जिसे श्रमिक और हम में से भी कुछ पंसद नहीं करते हैं, और वह यह है कि बहुत सी मिलें रुग्ण बनी हुई हैं। रुग्ण मिल, बहुत से मामलों में मिल रुग्ण नहीं है। किन्तु उन्हें एक उद्देश्य से रुग्ण बनाया गया है तथा अन्य मामलों में कुप्रबन्ध रुग्णता के लिए जिम्मेदार हैं। दुर्भाग्यवश, अब हम देखते है कि इन मिलों, जिनका अधिग्रहण किया गया हैं, का प्रबन्ध उन्हीं लोगों के हाथों में है, जिन्होंने इन्हें रुग्ण किया है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जो प्रबन्ध इन मिलों को रुगणता की स्थिति में और इस व्यापार को दिवालियेपन की स्थिति में लाने के लिए उत्तरादायी है उन्हें अब कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब कार्यकुशलता आनी चाहिए। मिलों में तथा नया प्रबन्ध मंडल आना चाहिए और इसलिए कार्मिकों को भी बदलना पड़ेगा

मैं एक प्रस्ताव और करना चाहता हूं कि कम से कम एक या दो मिलों को सहकारी आधार पर चलाया जाना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि उद्योग, विशेषकर कपड़ा उद्योग के कार्यकरण में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। सहकारी चीनी मिलों को सरकार, बैंक, वित्तीय संस्थाएं सभी करोड़ों रुपये दे रही हैं। वास्तव में, बहुत थोडी राशि के साथ सहकारी दिग्गज जो अब महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में हैं, सब के सब, मेरे विचार से, सभी अच्छी प्रकार से कार्य कर रहे हैं।

इसलिए सरकार सूती कपड़ा उद्योग में सरकारी क्षेत्र बनाने पर विचार क्यों नहीं करती? वे बम्बई की एक-दो मिलों को सहकारी आधार पर जलाकर प्रयोग कर सकते हैं। श्रमिक तैयार हैं। वे चीनी उद्योग और अन्य उद्योगों को जो धन दे रहे हैं वह धन एक-दो मिलों को सहकारी आधार पर चलाने के लिए दिया जा सकता है।

मैं सरकार का ध्यान एक अन्य मुद्दे की ओर भी दिलाना चाहता हूं। यह हमारे समाज के एक ऐसे बड़े वर्ग के संबंध में है, जिन्होंने अपने प्रति हिन्दुओं के रुख से निराश होकर बौद्ध धर्म अपना लिया है। यद्यपि वे मजहबी सिखों, इसाइयों और कुछ मुस्लिमों की भांति बौद्ध बन गये हैं, फिर भी उन्हें उसी अनादार, विपत्तियों और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका सामना उन्हें पहले करना पड़ता था। अतः बौद्ध भी कुछ ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं जो अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जन

[श्री आर० आर० भोले]

जातियों को प्राप्त हैं। वास्तव में, महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें वे सभी सुविधायें दी हैं। महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानों पर जिस एक सुविधा दिए जाने के लिए बौद्ध लड़ रहे हैं वह है भारत सरकार की नौकरी। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि इससे पहले कि इनका आन्दोलन तेज हो, वह महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानों पर संघर्ष कर रहे बौद्धों की समस्या पर विचार करें तथा उन्हें वे साधारण रियायतें प्रदान करें। यह करोड़ों का नहीं वरन् कुछ लाख रुपये का मामला है। वे अन्य लोगों के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेंगे। वे अपने पुराने खोए हुए अधिकारों को वापिस लेना चाहते हैं। अतः मैंने सोचा कि इस बजट पर चर्चा के दौरान मुझे सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना ही चाहिए।

हमारी प्रधान मंत्री, कांग्रेस पार्टी ने 20-सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। यह 20-सूत्री कार्यक्रम सभी जनसमूहों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने में अच्छा आधार साबित हुआ है। ऐसे कई कार्यक्रम हैं जैसे-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गन्दी बस्तियों में सुधार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर देना, भूमिहीन अथवा सीमांत कृषकों को अतिरिक्त भूमि दी जाना। ये सब काम हो रहे हैं। करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री महोदय द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। केन्द्र तथा राज्यों के योजना-व्यय में समुचित वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय योजना कार्यक्रम भी बनाए गए हैं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए भी 605 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम में भी 47 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हम सब चाहते हैं कि यह 20-सूत्री कार्यक्रम सफल हो तथा निर्धन व्यक्ति मध्यम वर्ग के व्यक्ति, श्रमिक कृषक और प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसके लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है, को इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त हो। अतः हमें इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि क्या 100 रुपये खर्च करने पर निर्धन व्यक्ति को 100 रुपये का लाभ या सुविधा या वस्तुएं मिलती हैं।

एक संसदीय समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैंने पूरे देश का दौरा किया तथा स्वयं देखा कि ये परियोजना तथा 20-सूत्री कार्यक्रम कैसे चल रहा है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है, और कई सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि जहां इस कार्यक्रम पर 100 रुपये खर्च किए जा रहे हैं वहां लाभार्थियों को मुश्किल से 50 रु० का लाभ मिल रहा है। क्या यह उचित है ? क्या हम इन परियोजनाओं के कार्यकरण में सुधार नहीं ला सकते हैं ? निसन्देह हम सुधर सकते हैं इसमें अभी तक सुधार न हो पाने का कारण यह है कि यह अत्याधिक औपचारिक हो गया है। हम पूर्णतः दफ्तरशाहों पर निर्भर है। हमें विधान सभा के सदस्यों, संसद सदस्यों, जिला परिषदों के सदस्यों, पंचायत सदस्यों जैसे गैर-सरकारी अधिकारियों को इससे संबंध करना चाहिए तथा उन्हें कहना चाहिए कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाएं और पता लगाएं कि क्या सरकार द्वारा हमें या कहीं और जो कागजात दिए गए हैं वह ठीक हैं या नहीं। मैं सोचता हूं कि वह बहुत आवश्यक है।

मुझे फैलते हुए भ्रष्टाचार के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं लेकिन मैं जानता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार हटाने का प्रयत्न कर रही है।

अब मैं कुछ ऐसी परियोजनाओं का उल्लेख करूंगा जिनमें महाराष्ट्र सरकार तेजी लाना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से केन्द्रीय क्षेत्र में चन्द्रपुर क्षेत्र में एक सुपर तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना करने का अनुरोध किया है। इन परियोजना प्रस्तावों, विशेषकर खपरखेड़ा विस्तार तथा पारली इकाई 5 परियोजना प्रस्तावों में यथासंभव तीव्रता लानी चाहिये क्योंकि महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की अभी भी आवश्यकता है।

जहां तक इलेक्ट्रानिक स्विचिंग फैक्टरी का प्रश्न है। राज्य सरकार ने सांगली, पूना, औरंगाबाद तथा नासिक में कुछ स्थलों का सुझाव दिया है। हमारे पास इन स्थानों में इस परियोजना का मूलभूत ढांचा है। केन्द्रीय सरकार को इसे महाराष्ट्र को देने का प्रयत्न करना चाहिए।

रायगढ़ जिले में नागोथना में एक पैट्रो-कैमिकल्स काम्पलैक्स है। हमने उस पर काफी धन खर्च किया है तथा 1983-84 के दौरान भी हमने सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2.28 करोड़ रुपये देने का प्रावधान रखा है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसमें तेजी लाएं।

महाराष्ट्र सरकार ने कुछ अन्य परियोजनाओं का भी सुझाव दिया। मुझे आशा है कि भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध मानेगी। इन टिप्पणियों के साथ मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी मुलतान सिंह (जलेसर) : सभापति महोदय, सन् 1984-85 का जो बजट इस वर्ष आया है उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हू। यह बजट जन-विरोधी बजट है, यह बजट नौकरशाही और शहरियों को लाभ देने वाला बजट है। यह बजट गरीब लोगों के लिए नहीं है। नौकरशाही को रिश्वत दी गई है जिससे कि कांग्रेस (आई) अपने चुनावों में उनसे नाजायज काम करा सके।

आजादी के 38 साल बाद 2 लाख 30 हजार गांवों में समस्या जूझ रही है, वहां पानी पीने के लिए भी नहीं है या लोग पानी एक किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक दूर से लाते हैं। क्या यह गरीब गांवों के लिए बजट है? दूसरी तरफ 1 करोड़ रुपया प्रति दिन दिल्ली में सुन्दरता के लिए खर्च किए जाते हैं। लेकिन आप गांवों के लिए क्या कर रहे हैं? वहां पर शिक्षा है न स्वास्थ्य है, न अस्पताल है, न सड़क है और न पानी है—यह बड़े शर्म की बात है इस सरकार के लिए।

आपका बीस सूत्री कार्यक्रम देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन वह विकास की रूपरेखा नहीं है, यह भ्रष्टाचार की रूपरेखा है। आई०आर०डी०पी०, ग्रामीण राष्ट्रीय योजनाओं के

[चौधरी मुलतान सिंह]

अन्तर्गत बैंक मैनेजर, आफिसर, बी०डी०ओ०, अंचल अधिकारी और सरकारी एजेन्ट 70 फीसदी रुपया खा जाते हैं और 30 फीसदी पैसा लोगों पर खर्च किया जाता है। देश का विकास नहीं, विनाश हो रहा है। हाल ही में रामलीला ग्राउन्ड में जो 16 करोड़ के ऋण बांटे गए हैं वह 40 हजार आदमियों को दिए गए बताए जाते हैं। वह गरीबों को न देकर कांग्रेस आई के दलाल और एजेन्टों को दिए गए हैं। (व्यवधान) आप खामोश रहिए। जैसे आपके कारनामे हैं वैसे बता रहा हूं। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो यही कहता है। मैं यह कह रहा था कि बाई दि कांग्रेस, आफ दि कांग्रेस, फार दि कांग्रेस केवल आई के लिए हैं भाई के लिए नहीं हैं, जनसाधारण के लिए नहीं है।

**······वर्तमान बिहार मुख्यमंत्री श्री चन्द्र शेखर सिंह ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र पर आरोप लगाया है कि सवा चार अरब रुपया आई०आर०डी०पी०, वृद्ध पेंशन, बेरोजगारी भत्ता और बेकारी के नाम पर खा गए हैं। यह आरोप 27, 26 जनवरी, 1984 को लगाया गया है···(व्यवधान)···यह चन्द्रशेखर जी ने जो कि आपके मुख्यमंत्री हैं, कहा है। यह बात 27 जनवरी, 1984 को एक दैनिक समाचार पत्र 'आर्यव्रत' में छपी है और इस बारे में प्रधान मंत्री को भी लिखा गया है। इस बारे में आपके पास क्या जवाब है?

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर एक अरब रुपया हर साल खर्च करते हैं और विकास के नाम पर परिषद् में 30 हजार लोग काम करते हैं, फिर भी 1983-84 में 335 करोड़ रु० का अनाज आयात किया गया है। यह बात सरकार के लिए और देश के लिए और बड़ी शर्मनाक बात है। वैज्ञानिकों को बढ़ावा न देकर सरकार के चमचों को बढ़ावा मिल रहा है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने आत्म हत्या कर ली है। श्री एम० पी० जोजफ ने 1980 को आत्म हत्या की है। इसी तरह डा० एस० एस० बत्रा और डा० विद्या सागर द्वारा आत्म हत्या की गई हैं। भ्रष्टाचार के कारण उज्ज्वल भविष्य मर रहा है और बेकार लोग आगे बढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय : बजट के साथ जो रिलेवेंट हैं, वह बात कहिए।

······(**व्यवधान**)······

चौधरी मुलतान सिंह : हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने श्री गुप्ता के केस में कहा है कि उनकी हत्या के पीछे भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अन्याय के कारण हुई है। यहां करोड़ों का घोटाला हो रहा है। इसके लिए जांच आयोग बनाया जाए जिससे वैज्ञानिकों को बढ़ावा मिल सके। मेरी राय है कि सांसदों और हाई कोर्ट के लोगों का एक कमीशन बनाया जाए, जिससे कि इस घोटाले का पता लग सके।

···**उत्तर प्रदेश में सुरक्षा-कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है। सात बजे के बाद कोई व्यक्ति खेत में नहीं रह सकता है। यदि रहता है, उनकी ही क्या उनके परिवार के सदस्यों

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

की जान नहीं बच सकती है। इस प्रकार की बातें काफी दिनों से चल रही हैं। लेकिन अब तो राजनैतिक हत्यायें भी होने लगी हैं। अभी-अभी चौ० मलायन सिंह यादव, अपोजीशन नेता विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, पर गोलियां चलाई गई। सही मायनों मे कांग्रेस-आई वालों ने उनको मरवाना चाहा था। एक आदमी मर भी गया और एक घायल भी हो गया। अगर पुलिस गार्ड नहीं होता तो शायद वे भी नहीं बच पाते। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। आगे आने वाले इलेक्शन को अभी एक-डेढ़ साल रह गया और अभी से इस प्रकार से आदमी मरने शुरू हो गए हैं।

जहां तक कृषि का सवाल है—सरकार की तरफ से बहुत सी बातें कही गई हैं कि इस में यह राहत दी गई है, वह राहत दी गई है, लेकिन मुझे तो यह दिखाई दे रहा है कि किसान को कोई राहत नहीं दी गई है, आज किसान को पीसा जा रहा है और शहर को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो भी रियायत दी गई वह बड़े आदमियों को दी गई हैं, किसान या मजदूर के लिए कोई रियायत नहीं है। आप दुनिया में कोई ऐसा देश बतला दें—जहां ऐसा होता हो कि किसान गांव में गल्ला पैदा करे लेकिन उसका भाव दिल्ली में तय हो और भाव तय करने वाले वे लोग हों जिनके बाप-दादाओं को भी बाजरे और गेहूं की बाल में फर्क का पता न हो। आज अगर किसान के गल्ले की कीमत सही मायनों में लगाई जाए तो 500-600 रुपये से कम नहीं आती है, लेकिन उस को कुल डेढ़ सौ रुपल्ली देते हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : चौधरी साहब ने गन्ने के क्या दाम दिए थे, आपको मालूम है ?

चौधरी मुलतान सिंह : गन्ना न हो, चीनी न हो तो चल सकता है, वह तो हम आपके लिए छोड़ देते हैं, हमें तो सूखी रोटी चाहिए लेकिन वह भी नहीं मिलती है, उसको भी हमसे छीन लिया गया है। कहते थे सबको बराबर करेंगे, गरीबों को ऊपर उठायेंगे, 38 साल कहते-कहते बीत गये, नतीजा क्या निकला, अमीर बढ़ते जा रहे हैं और गरीब मरते जा रहे हैं। टीला काटकर जब तक गड्डे में न डालेंगे वह बराबर नहीं हो सकता। बड़े-बड़े सरमायेदारों से छीन कर जब तक गरीबों में नही बांटोगे कुछ नही बनेगा। मैं आपसे पूछता हूं—जब अंग्रेज हिन्दुस्तान से गये, बिड़ला की सम्पत्ति कितनी थी और आज कितनी है ? गरीबों को रात-दिन पीसा जाय—यह नीयत कांग्रेस सरकार की रही है। गरीबों को ज्यादा से ज्यादा गरीब बनाओ ताकि दो रु० और चार रु० में उनकी वोट खरीद लो और हमारी गद्दी बनी रहे। इन को अपनी गद्दी की फिक्र है, देश की फिक्र नहीं है, लेकिन एक दिन वह आयेगा जब इस लोक-सभा में कुल्हाड़े चलेंगे, बस 5-10 साल की बात है।

एक माननीय सदस्य : यह तो पार्लियामेंट है।

चौधरी मुलतान सिंह : अगर ऐसे कर्म करोगे तो यहां भी बजेगा।

आज बिजली की हालत यह है कि हमारे उत्तरप्रदेश में जनता पार्टी के टाईम में 12 रुपये हार्सपावर लेते थे, लेकिन आपने साढ़े बाइस रुपये प्रति हार्स पावर कर दिया। इतना ही नहीं

[चौधरी मुलतान सिंह]

हम आठ-दस घण्टे बिजली देते थे, लेकिन इस वक्त एक-डेढ़ घण्टे भी नहीं मिलती है। क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि पैसा ले लो लेकिन उसके बदले में सौदा न दो ? आप साढ़े बाइस रुपये हार्स पावर का भाव ले रहे हैं, लेकिन 24 घण्टे बिजली दीजिए, लेकिन बार-बार यह कह रहे हैं कि 8 घण्टे दे रहे हैं, 6 घण्टे दे रहे हैं लेकिन मिलें आधा घण्टे भी नहीं चल रही हैं। मेरे क्षेत्र में डेढ़ महीने से नहर नहीं आई है। फसलें सूख गई हैं। अगर नहर का पानी लग जाये तो आबपाशी के पूरे पैसे वसूल करते हैं। आप जानते हैं—गेहूं 6 पानी से पकता है, तो एक पानी से कैसे पकेगा ? हमसे जो पैसा लिया जाता है उसका पूरा सौदा नहीं दिया जाता । जब साढ़े बाइस रुपये हार्स पावर बिजली का पैसा लेते हैं तो हमको 24 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि वह सरकार नालायक सरकार है जो गरीबों का खून चूस कर अमीरों को दे रही हैं।

भ्रष्टाचार का कोई ठिकाना नहीं है—कहीं भी बिना पैसे के न तो कागज चलता है और न बिना पैसे के कोई काम होता है। बड़े कामों की बड़ी रिश्वत और छोटे कामों की छोटी रिश्वत। रिश्वत लेने की एक आदत सी पड़ गई है। मैं तो यह कहूंगा—आप हिन्दुस्तान का कोई ब्लाक लीजिए या कोई तहसील छांट लीजिए और मुझे बतला दीजिए कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है। एक ही बता दें, सामने बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार के बारे में रोते-रोते 38 साल हो गए लेकिन वह बजाए घटने के बढ़ता ही जा रहा है।

स्वास्थ्य की हालत यह है कि सारे अस्पताल बम्बई में हैं या दिल्ली में हैं या कलकत्ता में में हैं। मेरा सुझाव यह है कि कम से कम एक अस्पताल तहसील लेविल पर बनाया जाए और हर जिले में एक ऐसा अस्पताल बना दिया जाए, जिससे किसानों को और गांव वालों को दिल्ली में न आना पड़े। यहां आकर 10-10 दिन तक इधर उधर डोलते रहते हैं और महीनों-महीनों तक उनको वह जगह नहीं मिलती है और यह पता नहीं चलता है कि आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट कहां है और अगर मिल भी गया तो उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती । अगर बाहर पेशाब करते है, तो सिपाही आ कर पकड़ लेता है। आज हालत यह है कि 80 फीसदी व्यक्तियों को शहरों में पेशाब करने की भी आजादी नहीं है और ये खड़े होकर हमारे सिर पर मूत रहे हैं। इसके अलावा जो अस्पताल हैं, वहां पर दवाइयां नही मिलती हैं । ईमानदारी से आप देखें, तो डिस्पेन्सरीज में दवा नहीं मिलती है और व्यास जी के राजस्थान में दवाइयां अस्पतालों और डिस्पेन्सरीज में नहीं मिलती हैं बिना पैसे के आखिर यह सब क्या है और कब तक फैशन बदल कर और धोखा देकर वोटों पर डकैती करते रहेंगे।

सड़कों का जहां तक सवाल है, दिल्ली में सड़कों पर डेढ़ लाख रुपया रोज खर्च होता है लेकिन गावों में सड़कें नहीं हैं। हमारे यहां बहुत से गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं और सरकार ने वहां पर सड़कें नहीं बनाई हैं। जनता पार्टी के जमाने में कुछ मिट्टी डाली गई और सड़कें बनी थी लेकिन वह मिट्टी भी बह गई। यह ठीक है कि सड़कें बनाने से कुछ गरीब लोगों को रोजगार मिल जाता है लेकिन वे सड़कें नहीं बन रही हैं और अगर बन रही हैं, तो यह देख कर बनाई जा रही हैं कि कांग्रेस को वोट कहां से मिलेगा। वहीं के बनाई जा रही हैं और दूसरों जगहों पर नहीं बन रही हैं। मेरा सुझाव यह है कि हर गांव को शहर की पक्की सड़कों से जोड़ा जाए।

यहां हम देखते है कि दिल्ली में एक-एक हजार फुट चौड़ी सडकें हैं और हमारे यहां 8 फुट और 6 फुट चौड़ी भी सड़कें नहीं हैं और हम अपनी लड़कियों की शादी भी नहीं कर सकते । चम्बल में यह कायदा है कि जब लड़की की शादी होती है, तो रास्ते न होने के कारण उसे बैल पर बैठा विदा किया जाता है । यह कितने शर्म की बात है । यहां पर 50-50 गाड़ियां बराबर-बराबर चलती हैं और वहां पर सड़कें इतनी कम चौड़ी हैं कि लडकी को सही तरीके से विदा भी नहीं कर सकते और फिर ये कहते हैं कि सब को बराबर करके छोड़ेंगे । कब तक ऐसा किया जायेगा । सारे नेता बराबर होते जा रहे हैं, लेकिन वे बराबर नहीं होते । कहते-कहते ज्यादातर तो मर गए पर गरीब को राहत नहीं ।

डाकतार और टेलीफोन की बात सुनिए । आज हालात यह है कि टेलीफोन हम मिला रहे हैं कलकत्ता को और मिल गया बम्बई और शिकायत करते है तो कहते है कि चूक गए । एक दिन मैं रेलवे बोर्ड गया । वहां एक मीटिंग बुलाई थी । जा कर बैठ कर बात करने लगा, तो कहने लगे कि आप इस जोन के नहीं हैं, ऊपर जाओ । इसी तरह गाड़ियों में होता है । बैठते हैं कलकत्ता की गाड़ी में और पहुंच जाते हैं कहीं और । एक दफा इलाहाबाद स्टेशन पर बैठे थे, तो गाड़ी आई पटना की । हमारे एक साथी थे, उनको अमृतसर जाना था । अब जैसे ही गाड़ी आई, वे भाग कर गाड़ी में चढ़ गए । सुबह को जब पटना में खड़बड़ होने लगी, तो उन्होंने पूछा कि यह कौन-सा स्टेशन है उन्हें बताया गया कि यह तो पटना है । वे कहने लगे वाह रे नेहरू तेरी प्लानिंग, नीचे वाला पटना और, ऊपर वाला अमृतसर और एक ही गाड़ी, और एक ही डिब्बा । हुआ यह कि उसमें गलत बोर्ड लगा हुआ था । अब वे क्या करते । ऐसा ही बजट है, छूट दिखाई गरीबों को मैंटा गया है ।

3 00 म० प०

इसी तरह से आप देखें कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसके लिए इधर वाले भी रोते हैं और उधर वाले भी रोते हैं और उस पर कार्यवाही न इधर करते हैं और न उधर करते हैं । वह मुर्दों की तरह सड़ाई जा रही हैं ।

मेरा सुझाव यह है कि अगर देना है तो दीजिए । और रिपोर्ट को लागू कीजिए । वैसे तो दुनिया में अपने आप कोई नहीं देता है, लिया जाता है । हम हीजड़े हो रहे हैं, अगर सारे बेकवर्ड इकट्ठे हो जाएं तो धराशायी कर दें, सरकार को भी, और रिपोर्ट लागू हो जाए । सरकार मौका देख रही है कि कब चुनाव हों, कब बहम रिपोर्ट लागू करें और कब हम जीतें ।

रेलवे में यह हालत हैं कि फर्स्ट क्लास में एक आदमी को 18 वर्ग फीट जगह मिलती है और किराया चौगुना लगता है । थर्ड क्लास में जिसको अब सेकिंड क्लास कहते हैं एक आदमी खड़े-खड़े चलते हैं कुछ को एक वर्ग फीट जगह मिलती है । वह भी पूरी नहीं मिलतो है । कुछ तो रेल की छत पर व टट्टी पर चलते हैं । वे टिकट पूरा लेकर चलते हैं । जो छत पर चलते हैं उनकी आप कौन-सी क्लास कहेंगे ।

एक माननीय सदस्य : ऊपरी क्लास कहेंगे ।

चौधरी मुलतान सिंह : गोमती में एयर कंडीशन कम्पार्टमेंट खाली जाता हैं गोमती को वहां से चलाकर अलीगढ़ में रोक लिया गया। इसलिए रोक दिया गया कि मन्त्री जी का वहां की यूनिवर्सिटी में स्वागत किया गया था। आज तक के इतिहास में यह नहीं हुआ कि कोई गाड़ी टूंडला पर तो रुकी न हो लेकिन अलीगढ़ पर रुकी हो। अब वह गाड़ी टूंडला में तो रुकती नहीं हैं, अलीगढ़ में रुकती है। मैं भी मधु दंडवते जी को पहली बार टूंडला ले गया था तो उन्होंने टूंडला में गाड़ी रुकवा दी थी। तब से वहां गाड़ी रुकती आ रही थी लेकिन अब वहां का स्टोपेज काट दिया है। 25 एम० पी० ने इस बारे में लिख कर दे दिया कि गोमती को टूंडला में रोका जाए; लेकिन नहीं रोका जा रहा है।

बसों की हालत यह है कि दिल्ली में बीस किलोमीटर तक सफ़र करने पर 40 पैसे लगते हैं और गांव में बसों में बीस किलोमीटर सफर करने के तीन रुपए लगते हैं। यह सौतेला व्यवहार क्योंकि गरीबों के लिए बस का सफर मंहगा और अमीरों के लिए सस्ता ? क्या अमीरों के लिए सरकार चलती है, गरीबों के लिए सरकार नहीं चलती है ?

3.03 म० प०

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए।)

मेरे क्षेत्र में एक मीट प्लांट मिलिट्री ने लगाया था। वह 15 साल तक चला, अब 12 साल से बन्द है। अरबों रुपया उसमें लगा हुआ है। कई दफा वहां हमारे मन्त्री जी भी गए लेकिन अब तक कोई भी काम उसको खोलने का नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस उम्मीद में बैठी है कि कब एक अरब की प्रापर्टी बिरला या टाटा लेले और 50 करोड़ रुपया दे दे ? मेरा सुझाव है कि आपको उस प्लांट को चालू करना चाहिए जिससे कि वहां के गरीब लोगों को रोजगार मिले। उसमें 100 बीघा जमीन है। आप उस प्लांट में कोई भी काम करवाओ जिससे कि उस प्रापर्टी का उपयोग हो सके और लोगों को काम मिल सके।

मेरे क्षेत्र जलैसर और निजोरी में सिरसा, सेंगर और ईसर नदी है। जो कहीं एक हो जाती है और कहीं तीन हो जाती हैं। इसको एक नाले का रूप देने के लिए जनता पार्टी के टाइम में ढाई अरब रुपये मंजूर हो चुके थे जिससे की इस में आसपास का पानी चला जाए। यह बुलन्दशहर से ले कर इटावा में जमना में पड़ती है और इसमें करोड़ो बीघा जमीन बेकार पड़ी है। मेरे क्षेत्र जलैसर में ही कम से कम एक लाख बीघा पुख्ता जमीन जमीन बेकार पड़ी है। उसमें या तो पानी भर जाता है या गरकी आ जाती है। इस पुख्ता जमीन को फसल के काम में लाया जा सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि बुलन्दशहर से ले कर इटावा तक खुदाई करा कर इसको एक नहर का रूप दिया जाए।

दूसरा मेरा सुझाव है कि रोजगार जो दिया जाता है वह आबादी के लिहाज से दिया जाए गांव वालों को। इस देश का 83 फीसदी पैसा वेतन में जाता है और 17 फीसदी विकास कार्यों में जाता है। ये सरकारी आंकड़े हैं। इसमें 14 फीसदी पैसा शहरों के विकास में खर्च होता है और 3 फीसदी गांव के विकास कार्यों पर खर्च होता है। 85 फीसदी के लिए 3 प्रतिशत और

15 फीसदी के लिए 14 प्रतिशत। यह हाल वेतन का है। दस फीसदी वेतन 83 प्रतिशत गांव वाले लोगों को मिलता है। शहर वाले खा-खा कर भैंसे बन गए हैं और हम मर रहे हैं सूखी रोटी के लिए। रात-दिन यहां बहस होती है कि रंगीन टी० वी० होना चाहिए यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। गरीब रोटी के लिए भूखों मर रहे हैं और ये इसके लिए चिल्ला रहे हैं। खैर यह ठीक है कि आप गरीबी की वजह से दलालों को खरीद लेते हैं और वोट उनके जरिये डलवा लेते हैं लेकिन एक दिन कुल्हाड़ी चलेगी जैसे चाइना में हुआ था। चांग काई शेंख ने यही किया था। वहां पर एक पलड़े में नोट और एक पलड़े में सब्जी मिलती थी। आप समझ लीजिए कि नोटों की यही कीमत है जो आप स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं।

एक सुझाव और है कि लोकल बाडीज के चुनाव इलेक्शन कमीशन को सौंप दिए जाने चाहिएं क्योंकि गवर्नमेंट चुनाव नहीं कराती है। 20-20 साल जिला परिषद, ब्लाक प्रमुख और ग्राम पंचायतों का चुनाव नहीं होता। म्युनिसपेलिटीज का और कारपोरेशन का चुनाव नहीं होता। जब देखते हैं कि दूसरी गवर्नमेंट आ गई, हमारे फेवर में है तो चुनाव करवा लिए। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इसको इलेक्शन कमीशन के जिम्मे कर देना चाहिए ताकि इनके चुनाव समय पर हो सकें।

एक सुझाव और है कि किसानों की फसल और जानवरों का बीमा तुरन्त करा दिया जाए वैसे तो 20 साल से कह रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। किसान के यहां ओला पड़ जाए, सर्दी पड़ जाए, आग लग जाए तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कोई समझदार आदमी हुआ तो लगान माफ कर देगा। कारखाना जल जाय तो पूरा मुआवजा मिलता है। मेरा 50 हजार का गेहूं जल गया और 120 रुपया लगान माफ कर दिया गया। इसलिए बीमा आवश्यक है। जानवरों की नस्ल सुधारने की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नस्ल तभी सुधर सकती है जब अच्छे किस्म के सांड मगाए जाएं।

तीसरी बात यह है कि किसानों के लिए तो आपने सीलिंग कर दी लेकिन इन कारखानेदारों के लिए सीलिंग क्यों नहीं की। या तो इनके लिए भी सीलिंग की जाए या किसानों के लिए भी सीलिंग समाप्त कर दी जाए। ये तो 50 कारखाने खोल सकते हैं, 500 अरब रुपया रख सकते हैं लेकिन किसान 12 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर किसान के चार बच्चे हैं तो आगे चलकर वह क्या करेगा। मिल चला नहीं सकता, मकान खरीद नहीं सकता। अगर खरीद भी लेगा तो दूसरा उसको निकाल देगा। इसलिए या तो उन पर भी सीलिंग लगाइए या किसान पर भी समाप्त कीजिए। हां यह बात है कि किसान आपको पैसा नहीं दे सकता और ये आपको चुनाव के लिए पैसा देते हैं। लेकिन यह कब तक चलेगा।

आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह चुनाव का बजट है। इसमें जितनी भी राहत दी गई है वह शहरों के लिए ही दी गई। यह कहा जा सकता है कि गांव वालों की रोटी छीन ली गई है। पंखों, कूलर, टी०वी० और टूथपेस्ट पर दाम कम कर दिए गए लेकिन इससे किसानों का कोई मतलब नहीं है। इन्कम टैक्स में तो बीस हजार की छूट दे रहे हैं लेकिन किसानों

[चौधरी मुलतान सिंह]

को कितनी छूट दे रहे हैं ? जिस किसान के पास एक बीघा जमीन भी है, उससे भी लगान लिया जा रहा है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : सभापति जी, मेरे उस तरफ के मित्रों ने इस बजट की मुखालफत की है, लेकिन मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज सारे देश के अंदर जिस तरह की स्थिति चल रही है उसको देखते हुए इससे अच्छा बजट कभी हो ही नहीं सकता। विपक्ष के लोगों ने कहा कि चुनाव का बजट है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको इससे क्या तकलीफ है ? इससे उनकी भी तो चुनाव में जीत होगी। फिर भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सारे देश की पोजीशन को मंत्री जी ने सामने रखकर यह बजट बनाया है। जो लोग कहते हैं कि सरकार गरीबों का शोषण करना चाहती है, वह ठीक नहीं है। आज सबसे बढ़ी जरूरत बीस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की है। उसको क्रियान्वित करने के लिए सरकार तत्परता से लगी हुई है। जिस काम को आज तक कोई नहीं कर सका; उसको प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी जी कर रही हैं। ......(व्यवधान)

मेरे मित्र सभी किसानों के शोषण की बात कर रहे थे। उन्होंने गांवों और शहरों का बहुत फर्क बताया है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। माननीय सदस्य पार्लियामेंट चुनाव जीतकर आते हैं इसलिए उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि पैसे से वोट नहीं खरीदे जाते। बिरला, टाटा कोई भी जीतकर नहीं दिखा सकता। वोट तभी मिलते हैं जब सरकार की नीतियों में विश्वास होता है। जहां तक खेती-बाड़ी के कम प्रोडक्शन होने का सवाल है, इसका कारण यह है कि देश में सूखा पड़ा। मैं अपने हिमाचल प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां पन बिजली के प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। वहां बिजली पैदा करने के साधन भारी तादाद में उपलब्ध पेड़ कटने और बारिश अधिक होने की वजह से जो भूमि का कटाव हो रहा है, इसके बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इसको रोकने में प्रबन्ध किया जाना चाहिए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का भी इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, इसलिए इसको रोका जाना चाहिए।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इस वैली में जो निचली वैली है और जिस के बारे में पन बिजली योजनायें बना कर हिमाचल सरकार ने आपके पास भेजी हैं और बहुत सा पैसा उन पर खर्च किया है और उत्तर प्रदेश ने भी भेजी हैं उनको आप देखें और इसका भी ध्यान रखें कि मिट्टी की कटाई पहाड़ों से इसी तरह से होती रही तो जो बड़े-बड़े डैम हैं, भाखड़ा डैम है, खादरी माजरी वगैरह हैं जो उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के साथ लगते हैं या पोंग डैम जो कांगड़ा से हिमाचल में है वे भर जाएंगे मिट्टी से। इस वास्ते हिमाचल को आपकी ज्यादा मदद करनी चाहिये ताकि वहां पर वन लगाए जा सकें, बिजली पैदा करने के जो साधन हैं, उनको उपयोग में लाया जाना चाहिए। वहां पर ज्यादा पन बिजली योजनायें बनाकर तैयार की जाएंगी तो इससे सारे देश का भला होगा।

हमारे प्रदेश में जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों का ताल्लुक है वहां पर विकास खंड कहीं पर तो

19,000 की आबादी पर एक है और कहीं-कहीं पर लाख-डेढ़ लाख की आबादी पर एक है। जहां से मैं चुन कर आता हूं उस में सतरह विधान सभाई क्षेत्र आते हैं। मेरा क्षेत्र कालका से तिब्बत के बार्डर तक चला जाता है। मेरा सुझाव है कि अस्सी हजार से एक लाख की आबादी जहां है वहां दो विकास खंड होने चाहियें। मैं अभी शिमला दौरे पर गया था। शिमला के साथ कुसुम्टी है। हमारा कुछ इलाका पटियाला स्टेट में था। कुछ पुराना हिमाचल में था। पुरानी पटियाला स्टेट का जो इलाका है और जो हिमाचल में शामिल हुआ उस वक्त की वहां की पंचायतें उस विकास खण्ड में चली गई हैं। सतरह के करीब पचायतें उस में चली गई हैं, मशोंबरा ब्लाक में चली गई है। वहां के लोगों की मांग है कि पंजाब की जो पंचायतें थीं और पुराने हिमाचल में जो आ गई हैं इन सब का, पूरे विकास खंडों का दुबारा सर्वेक्षण कराया जाए और सर्वेक्षण के बाद वहां पर अधिक विकास खंड खोले और चोपाल क्षेत्र में भी दो विकास खंडों में हिमाचल में तेल की खुदाई का नाम शुरु हुआ था। रामशहर के अन्दर और ज्वालामुखी के अन्दर वह शुरू हुआ था। उस पर लाखों-करोड़ों खर्च हुआ। उस काम को अधूरा छोड़ दिया गया है। जनता पार्टी ने शुरू किया था और इन्होंने ही मशीनरी वहां से उठा ली थी, उसको निकाल कर ले गए थे। मेरी प्रार्थना है कि उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और खुदाई का काम फिर शुरू किया जाए।

हिमाचल में आप रेलों का हाल देखें। अंग्रेजों ने कालका से शिमला तक एक लाइन बिछाई थी और वही चली आ रही है। उसके बाद कोई रेलवे लाइन हिमाचल को नहीं दी गई है। पिछली बार भी मैं ने यहां पर इस प्रश्न को उठाया था। हमारे यहां एक रेलवे लाइन बिछी हुई थी रोपड़ से नालागढ़ तक। इसको 1925 या 1926 में उखाड़ दिया गया था। यह कह दिया गया था कि अब यहां से रेल से ले जाने के लिए कोई पत्थर वगैरह नहीं हैं। यह पुरानी रेलवे लाइन थी। यह बहुत अन्याय हिमाचल के साथ किया गया था। इस रेलवे लाइन को बिछा देने के लिए मैंने एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने भी मुझे एक पत्र 24 मार्च 1981 संसद में मांग की थी जिस को मैं पढ़ देता हूं। अपने पत्र में उन्होंने लिखा :

प्रिय सुलतानपुरी जी,

आपको याद होगा कि 24-3-81 को लोक सभा में बहस के दौरान आपने यह सुझाव दिया था कि तहसील नालागढ़, हिमाचल प्रदेश में रेल सम्बन्धी सुविधायें सुलभ करवाई जाएं। मैंने मामले की जांच करवाई है और स्थिति इस प्रकार है :

यह सही है कि कुछ वर्ष पहले सतलुज और पंजनद नदी पर नहर से सम्बन्धित निर्माण कार्यों (हैडवर्क्स) के लिए अपेक्षित अधिक मात्रा में पिचिंग पत्थर की ढुलाई के लिए रोपड़ के रास्ते शेराहा स्टेशन को नालागढ़ खान से जोड़ने वाली एक बड़ी रेल लाइन की व्यवस्था पहले से ही थी। ऐसा मालूम होता है कि 1928-29 में सरहिन्द रोपड़ रेलवे लाइन का निर्माण करते समय नालागढ़ तक इस अस्थायी बड़ी रेल लाइन को उखाड़ दिया गया था क्योंकि इसकी व्यवस्था केवल निर्माण कार्यों के लिए पत्थर की ढुलाई के प्रयोजन के लिए की गई थी।

गनोली-नालागढ़ रेल लाइन के निर्माण के लिए विगत में कोई जाँच-पड़ताल नहीं की गई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार यदि गनोली और नालागढ़ के बीच बड़े आमान की इस लाइन

[श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी]

का निर्माण किया जाए तो वह लगभग 14 कि०मी० लम्बी होगी और इसके निर्माण पर लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत आएगी……

आज नालागढ़ की स्थिति यह है कि वहां बहुत बड़े-बड़े उद्योग लग रहे हैं। जब जनता पार्टी का राज्य हुआ तो उस समय के उप-प्रधान मंत्री बाबू जगजीवन राम ने एक उद्योग मिल का उद्घाटन किया और विश्वास दिलाया कि यह रेलवे लाइन लगायी जायेगी। इस रेलवे लाइन की पटरी बिकी हुई थी जिनको अंग्रेजों ने उखाड़ा और ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहाड़ी लोग अंग्रेजों के खिलाफ ऐजीटेशन करते थे। मेरी आप से मांग है कि इस रेलवे लाइन के लिए प्रावधान करें ताकि वहां के लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

बजट में कालका से परवानू रेलवे लाइन और जगाधरी से पांवटा साहब रेलवे लाइन का जिक्र था जिनका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है मेरी प्रार्थना है कि आप इन साधनों की तरफ ध्याध दें।

टी०वी० रीले केन्द्र कसौली में लगाने के लिये भारत सरकार ने विश्वास दिलाया था और माननीय साठे साहब ने जाकर देखा और कहा कि जल्दी काम शुरू होगा। लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ, केवल एक चोकीदार रहता है। हम चाहते हैं कि जो मामले हम यहां उठाते हैं उनका जवाब इस तरह से नहीं होना चाहिए, कोई काम मौके पर नहीं होता है। यह काम हमारे सब के लिए बुनियादी है और जब हम चुनाव में जायेंगे और यहां से रिटायर हो जायेंगे तो लोग पूछेंगे कि तुम मंत्री थे या संतरी थे तुमने क्या काम किया? इसका हमारे पास कोई जबाब नहीं होता। इसलिए जो आपस की लड़ाई में हम बुनियादी काम भूल जाते हैं यह नहीं होना चाहिए और लोगों के मसलों को हल कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए तभी देश आगे जा सकता है।

जंगलात के बारे में आपने कानून बनाया कि कोई भी राज्य सरकार तब तक किसी जंगल में जमीन नहीं दे सकती, सड़क नहीं बना सकती जब तक कि भारत सरकार की अनुमति न हो। इसकी वजह से हमारे हिमाचल में समस्या पैदा हो गई है क्योंकि 20 सूत्री प्रोग्राम में ट्राइबल और हरिजनों को जो जमीनें दे रहे हैं उसमें यह प्रौब्लम आ रही है कि पहाड़ी क्षेत्र में जहां जंगल है वहां तो जंगल काट कर ही जमीन दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। और जंगल बिना भारत सरकार की अनुमति के कट नहीं सकते। इसके लिए आप विचार करें और जो मुनासिब हो वह कार्यवाही करने की कोशिश करें ताकि पहाड़ के लोगों का फायदा हो।

मैं जानता हूं कि फूड कार्पोरेशन में भ्रष्टाचार है। जितनी भी फ्लाअर मिल्स हैं उनको न तो फूड कार्पोरेशन से गेहूं दिया जा रहा है, लेकिन जो चक्की वाले हैं और उन चक्कियों को चलाना चाहते हैं उनको फूड कारपोरेशन से गांवों में गेहूं नहीं मिलता है। इस मामले की आपको जांच करनी चाहिए और जो दोषी हों उनको सजा दी जानी चाहिये।

हिमाचल प्रदेश में परवानू, नालागढ़, इन्दौरा और फतहपुर में उद्योग लग रहे हैं जो कि पंजाब के बोर्डर पर हैं। आज पंजाब में क्या हो रहा है वह सब को मालूम है। अगर वहां हालात खराब ही बने रहे तो उसका असर हिमाचल में भी पड़ सकता है। इसलिए आपको बोर्डर एरिया पर उद्योग नहीं लगाने चाहिएं क्योंकि इससे पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का कोई भला होने वाला नहीं

है। आपको बीच के एरिया में उद्योग लगाने चाहिये ताकि तमाम पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को उन उद्योगों में कार्य करने का मौका मिले।

हमारे यहां बिजली बहुत है, केरल की तरह हिमाचल में बिजली बहुत है लेकिन जहां बिजली और इलैक्ट्रानिक इंडस्ट्री लग सकती है क्योंकि वहां एयर-कंडीशन की जरूरत नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा उद्योग पहाड़ी क्षेत्रों में लगायें और यह हिमाचल प्रदेश के भीतरी भागों में लगने चाहिए।

हमारे क्षेत्र से जो सब्जी, सेव, आलू जब आजादपुर की मार्केट में आता है तो यहां पर आढ़तियों ने धर्मखाता और दूसरे कई खाते खोल रखे हैं। आजादपुर से कोई चिट्ठी नहीं जाती लोगों को, सेव और टमाटर की पेटी डाक से नहीं जाती है, यहां जो ट्रक वाला आता है, उसी के हाथ भेज देते हैं। उसमें वह माल खा जाते हैं, कमीशन मारी जाती है धर्मखाते के नाम पर पैसा खा जाते है। इस बारे में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर व वित्त मंत्री को भी देखना है। आपलोगों पर ही किसान निर्भर करता है, लेकिन आज किसान लूटा जा रहा है और दिल्ली के आजादपुर में उनका शोषण होता है। इसके लिए मार्केटिंग एक्ट लागू किया जाना चाहिये। खुली ओपन बोली होनी चाहिये ताकि कोई आदमी उसका गलत फायदा न उठा सके। आज यहां इन लोगों की तिजोरियां भर रही हैं, इसको बन्द करने के लिए आपको कोई उपाय करना चाहिये।

हमारे दोस्त जो अपोजिशन वाले भाई हैं, इनका काम तो हमें गालियां देना है, बुरा-भला कहना है। ये कोई अच्छी बात नहीं करते हैं। इनको हर बात ऐसी ही नजर आती है। कल तक हमारे यहां एक भाई थे, पहले डिप्टी फाइनेन्स मिनिस्टर थे श्री मगन भाई अब वह**...... उधर चले गये और कहते हैं कि चन्दा खा गये, यह कर गये, वह कर गये। हमारी पार्टी देश के हित के लिए काम करती है और करती रहेगी। हमारी नीतियों को कोई फेल नहीं कर सकता है। यह सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों का भला चाहती है। गरीबों का उत्थान करना चाहती हैं। लेकिन आपका काम मौज लेना है और हमें यहां गालियां देकर भला-बुरा कहना है। कुछ सिसियर लोग जरूर सोचते हैं जैसे वाजपेयी जी हैं, क्योंकि उनके बाल-बच्चे नहीं हैं, वह सबको बाल-बच्चा समझते हैं, मधु दंडवते जी अपनी सरकार को बचाने के लिए सोचना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अपोजिशन की सरकार कहीं कामयाब नहीं है चाहे जहां आप देख लें। हिन्दुस्तान में इनका कोई धर्म-कर्म नहीं। ये सेंटर को उलटाना चाहते है। लेकिन जब ये सेंटर को उलटायेंगे तो देश कहां खड़ा रहेगा? हम कोई भी पार्लियामेंट में नहीं होंगे तो आपको विधान-सभा में जाना होगा।

मेरा कहना है कि नेशनल पार्टी के तौर पर आप सोचें, मुल्क को आगे ले जाने के लिए काम करें। श्री हरिकेश बहादुर भी कल तक हमारे ही थे लेकिन अब आपोजिशन में चले गये हैं क्योंकि अपोजिशन में आकर आदमी लीडर बन जाता है, चाहे एक आदमी की पार्टी हो या दो आदमी की पार्टी हो। जो सुविधाएं सरकार अपोजिशन को देती है, उसी का यह फायदा उठा रहे हैं। इस बारे में हमारी सरकार को सतर्क होना पड़ेगा कि इनकी नीतियां इकट्ठा करने वाली नहीं हैं, न इकट्ठे होंगे। देश को धोखा होगा अगर इन पर कोई विश्वास करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और इस बजट के बनाने वाले फाइनेन्स मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सभापति महोदय, सभा इस समय माननीय वित्त मंत्री द्वारा 29 फरवरी, 1984 को सांय 5 बजे किए गए 1984-85 के बजट पर वाद-विवाद कर रही है आपको याद होगा कि पिछले वर्ष मैंने वित्त मंत्री की, अपने बजट प्रस्तावों में लोक-लेखा समिति तथा अन्य वित्तीय समितियों द्वारा की गई सिफारिशों तथा परामर्शदात्री समिति में हमारे द्वारा वित्त मंत्रालय के लिए दिए गए सुझावों को जोड़ने के लिए खुले आम प्रशंसा करने में संकोच नहीं किया था और मैं इस वर्ष भी उनके द्वारा बजट प्रस्तावों में कुछ छोटे सुझाव सम्मिलित करने पर पुनः उनकी प्रशंसा करने में संकोच अनुभव नहीं करता। मैं चाहता था कि वह श्रृंखला को और आगे ले जाते तथा लोक लेखा समितियों के प्रतिवेदनों तथा अन्य वित्तीय समितियों विशेषकर-प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों से संबद्ध समितियों के प्रतिवेदनों में की गई मुख्य सिफारिशों को भी उसमें शामिल कर लेते।

सभापति महोदय, उनके बजट पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है। उसमें कुछ असामान्य नहीं है। हर बजट में ऐसा होता है। मुझे याद नहीं कि 1947-48 में संसद का पहला बजट पेश किए जाने के समय से अथवा उसके बाद कोई भी वित्त मंत्री ऐसा रहा है, जिसके बजट पर इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई हो। स्वभावतः प्रत्येक वित्त मंत्री ने कुछ राहत दी है और कुछ शुल्क लगाए हैं। अतः उनने दोनों तरह की प्रतिक्रिया का सामना किया है। यह वित्त मंत्री के लिए एक प्रकार से अप्रीतिकर काम है चाहे योजना क्षेत्र हो या रसायन, उर्वरक या कृषि क्षेत्र अथवा ग्रामीण विकास, जब कभी किसी मंत्रालय में कोई कमी रह जाती है वह सब वित्त मंत्री के लिए रख दी जाती है। वह एक दादी मां के समान है और यदि बच्चे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो दादी को हर बात सुननी पड़ती है।

इस विशेष संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री, मुझे कहा गया है और मैंने समाचार-पत्रों में भी पढ़ा है, एक प्रोफेसर थे, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या वह कभी दर्जी भी रहे हैं। उन्होंने इतनी चतुराई से बजट का घाटा उसी स्तर पर लाकर दिखा दिया है जो पिछले वर्ष था। वित्त मंत्री महोदय, पिछले वर्ष आपने वर्ष 1983-84 का बजट पेश करते समय पूंजी शीर्ष तथा अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत 563 करोड़ रुपये की साख ली। अब आपका बजट घाटा 6000 करोड़ रुपये के लगभग था और आपने बड़ी योग्यता बड़ी बुद्धिमता से, बड़े कलापूर्ण ढंग से 100 करोड़ रुपये अधिक दिखाकर घाटे को उसी स्तर पर लाकर दिखा दिया। आपने योजना व्यय में 5% कटौति की है, गैर योजना-व्यय में 3% कमी की और उससे आप 1500 करोड़ रुपये प्राप्त कर रहे है और उसके बाद आपने अन्य प्राप्तियां शीर्ष के अन्तर्गत 2674 करोड़ रुपये अर्थात् 200 करोड़ रुपये अधिक की ली तथा इस तरह से बड़ी नियंत्रणीय सीमाओं में घाटा दिखाया गया।

आपको 2200 करोड़ रुपये कहां से प्राप्त हुए। आपने यह राशि तेल क्षेत्र से प्राप्त किए तथा यहां तक कि हमें जो कागजात उपलब्ध कराए गए, उसमें दिए गए स्पष्टीकरण में आपने मात्र तीन लाइनों में जिक्र किया है कि यह अतिरिक्त राशि तेल क्षेत्र से प्राप्त हुई है। इस तरह आपने सब किया और इसी कारण मैं कहता हूं कि यह शिल्पकारिता की कला है क्योंकि इस वर्ष वह राष्ट्र को यह नहीं कह सकते थे कि बजट घाटा 3000 या 4000 करोड़ रुपये है। आपने वित्तीय

वर्ष की भांति कुछ अन्य छोटी-छोटी घोषणाएं भी की हैं। आपने एक समिति गठित की है। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने कल इस विचार का समर्थन किया था। मैंने साप्ताहिक हिन्दुस्तान के दीवाली अंक में एक लेख लिखा है जिसमें मैंने इसका समर्थन किया है, अर्थात् वित्त वर्ष में परिवर्तन किया जाना चाहिए और मैंने इस सदन में भी कई अवसरों पर इस बारे में चर्चा की है।

तदुपरान्त आपने कपड़ा क्षेत्र से कुछ छोटी-मोटी विकृतियां तथा विषमताएं दूर कर दिए हैं। इसके बाद भारित कटौतियां आती हैं यह ठीक है कि व्यक्तिगत रूप से मैं भारित कटौतियों के सिद्धान्त से कभी भी सहमत नहीं हुआ हूं। अतएव, इस सम्बन्ध में भी आपने कर ढांचे की कुछ विकृतियां तथा असंगतियां दूर कर दी हैं। लेकिन वित्त मंत्री महोदय, आपने अपने भाषण में स्वयं यह कहा है कि यह बजट केवल अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्च का लेखा-जोखा मात्र नहीं है बल्कि हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्रशंसनीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक प्रबल साधन है।

श्रीमन्, समूचे बजट के दो पहलू हैं। एक प्राप्ति पक्ष है और दूसरा खर्च पक्ष। मैं पहले प्राप्ति पक्ष की चर्चा करूंगा। प्राप्ति पक्ष में आपके कर राजस्व अत्यधिक बढ़ रहे हैं। जहां तक उत्पादन शुल्कों का सम्बन्ध है, वे सौ गुणा बढ़ गए हैं। सीमा शुल्कों के मामले में भी यही बात है। अब, जहाँ तक इस प्राप्ति पक्ष का सम्बन्ध है, मैं आपसे यह बल देकर कहूंगा कि समूचे कर ढांचे के सरलीकरण, योक्तिकीकरण तथा पुनःकल्पन की दिशा में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। इससे पहले भी मैं कई अवसरों पर इसके लिए निवेदन कर चुका हूं। बहुत से वरिष्ठ कांग्रेस (आई) सदस्यों ने भी यह निवेदन किया है कि मौजूदा कर ढांचा बहुत असंगत है। यह गरीबों के खिलाफ है तथा अमीरों के पक्ष में है। यह असंगत है। संक्षेप में, यह सही ढंग से कार्य नहीं करता है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रो० कालडोर की सिफारिशों के आधार पर देश में एकीकृत-कर व्यवस्था लागू की गई थी जिसके अंतर्गत आयकर के अलावा सम्पत्ति-कर, सम्पदा-शुल्क और उपहार कर लागू किए गए थे। जो कुछ भी आप अर्जित करते हैं, उस पर आय-कर दीजिए, जो कुछ भी आप बचत करते हैं, उस पर सम्पत्ति कर दीजिए, जो कुछ भी आप खर्च करते हैं, उस पर खर्च-कर दीजिए। जो कुछ आप भेंट देते हैं, उस पर उपहार-कर दीजिए। यदि आप इनमें से कुछ भी नहीं देते और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आय सम्पदा शुल्क दीजिए यह प्रो. कोलडोर द्वारा अनुशंसित कर लगाने की एकीकृत प्रणाली थी। आपने यह सभी कानून सम्पत्ति-कर, सम्पदा-शुल्क, उपहार-कर 1957 में लागू किए थे। उस विधेयक विशेष के उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में एक उद्देश्य था 'समतावादी समाज की स्थापना, आर्थिक सत्ता को कुछ ही हाथों में केन्द्रित होने से रोकना।' मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पिछले 25 वर्षों में इन सभी कर कानूनों से कुल आय केवल 110 करोड़ रुपये हुई है। सम्पत्ति कर केवल 97 करोड़ रुपये, सम्पदा-शुल्क 20 करोड़, उपहार कर 8.5 करोड़ रुपये है। मेरे विचार में इन तीनों कानूनों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। या यदि मैं यह कहूं कि जिस उद्देश्य के लिए ये बनाए गए थे, उनकी पूर्ति नहीं हुई है अर्थात्, समतावादी समाज की स्थापना। अब, आप सम्पत्ति कर का विशेष उदाहरण लें। आप सम्पत्ति कर के अंतर्गत 97 करोड़ रुपए प्राप्त कर रहे हैं। करदाताओं की कुल संख्या लगभग 4 लाख है। इन 4 लाख करदाताओं में से 17,000

[श्री सतीश अग्रवाल]

ऐसे हैं जिनकी सम्पत्ति 10 लाख रुपये से अधिक है। कुल सम्पत्ति का अर्थ है, मकान सम्पत्ति, कारें, बैंक में जमा राशि, सोने के गहने, सभी कुछ एक साथ जोड़कर। समूचे देश में उनकी संख्या केवल 17,000 है। 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के मकान आपको महानगरों में ही मिलेंगे, चाहे वह दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो या मद्रास। यह है स्थिति। 95% सम्पत्ति करदाता उस श्रेणी से सम्बन्ध रखते हैं जिनकी सम्पत्ति 10 लाख रुपये से कम है। अब आप कम आय श्रेणी वाले इन लोगों से सम्पत्ति कर ले रहे हैं जिनकी सम्पत्ति दस लाख रुपये से कम की है। उनके बारे में क्या है जिनकी सम्पत्ति 10 लाख रुपये से अधिक की है? वे सम्पत्ति कर के जाल से परे हैं। यदि किसी व्यक्ति से सम्पत्ति कर नहीं लिया जा रहा है, तो उसके बच्चों को सम्पदा शुल्क नहीं देना पड़ता। अब, सदन को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। श्री जी. डी. बिरला का देहान्त हो गया। उनके नाम में एक पैसे की भी सम्पत्ति नहीं है। वह सम्पत्ति कर-दाता नहीं थे। और भी कई हैं, मैसर्ज जे० आर० डी० टाटा, सिंघानिया, मोदी, बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति, उनमें से किसी ने भी अपने नाम में कोई सम्पत्ति नहीं रखी। वास्तविक रूप में वे सम्पत्ति कर नहीं देते। यदि वे सम्पत्ति कर नहीं देते, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों से सम्पदा-शुल्क नहीं लिया जा सकता। क्या यह तर्कसंगत है? मैं सम्पत्ति कर दे रहा हूं, मैं आयकर दे रहा हुं तथा अन्य कई कर दे रहा हूं। यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे बच्चों को सम्पदा-शुल्क देना पडेगा लेकिन उनके बच्चों को नहीं जो 2500 करोड़ रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियों पर नियंत्रण किए बैठे हैं। क्या यह तर्क संगत है? बिल्कुल नहीं। इन कर कानूनों ने समतावादी समाज की स्थापना तथा आर्थिक सत्ता के कुछ ही हाथों में केन्द्रित हो जाने से रोकने के उद्देश्य की कहां तक पूर्ति की है? ये इसकी पूर्ति नहीं कर पाए हैं। ये कर कानून असंगत हैं। 110 करोड़ रुपये कुछ भी नही होते। उपहार कर कितना है? 8·5 करोड़ रुपये और सीमा केवल 5,000 रुपये है जो 25 वर्ष पहले निर्धारित की गई थी। आपने वही सीमा रखी हैं। 5,000 से अधिक के उपहारों के लिए आपको उपहार कर देना पड़ता है। यह बहुत अन्यायोचित है। इन सभी तीन कानूनों को रद्द क्यों नहीं कर देते? आप कर ढांचे को सरल क्यों नहीं बनाते? आप 110 करोड़ रुपये की अपनी हानि केवल सीमा शुल्क में वृद्धि करके ही पूरी कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहां किया है, आपने काफी अच्छी रकम प्राप्त की हैं। आप यह कर सकते हैं तथा उन्हें अधिक यथार्थवादी बना सकते हैं। यदि आप इन सभी कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो विकल्प के रूप में आय 10 लाख रुपये तक के लोगों को कर-मुक्त कर सकते हैं और उन सभी लोगों को कर-जाल में ला सकते हैं जिनकी आय 10 लाख रुपये से अधिक है। आपको ऐसे और लोगों को इस घेरे में लाना होगा जिनके पास कर देने की क्षमता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि 1957 में इसी सरकार ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर सम्पत्ति कर लगाया। यह 1957 में लगाया गया था। 1960 में इसे निलम्बित कर दिया गया था। केवल निलम्बित किया था, उपबन्धों को अभी निरस्त नहीं किया गया है।

औद्योगिक घरानों पर सम्पत्ति कर लगाने के प्रावधान कानून में पूरी तरह विद्यमान हैं। लेकिन, 1960 से यह निलम्बित हैं। मैंने इस सदन में निरंतर यह मांग उठाई है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष वित मंत्री ने प्राइवेट लिमिटेड (क्लोज़ली हैल्ड) कम्पनियों

पर न्यूनतम दर से सम्पति कर लगाया और उस समय मैंने कहा था कि 1957 में जिन कम्पनियों को कर के अन्तर्गत लाया गया था, उन सभी पर यह कर लागू क्यों नहीं करते ? मुझे उनसे आशा थी कि वे इस योजना को और आगे लागू करेंगे। यह अतिरिक्त संसाधन जुटाने की बात है जिसका कोई भी विपक्षी सदस्य इस प्रकार सुझाव नहीं देगा। लेकिन यह अनिवार्य है क्योंकि आपका, समाजवादी समाज की स्थापना का ध्येय, जिसकी घोषणा आपने 1954 में अवाडी अधिवेशन में की थी और जिसे आपने 30 साल बाद 30 दिसम्बर1983 को कलकत्ता में दोहराया है कि आप समाजवादी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश समाजवाद इससे बहुत परे है—यह कलकत्ता से आरम्भ हुआ लेकिन यह अभी कहीं शाहदरा के आस-पास है तथा यह दिल्ली, नार्थ ब्लाक तथा साउथ ब्लाक तक नहीं पहुंचा है। इसलिए, मैं समझता हूं कि इन तीनों को या तो समाप्त कर दिया जाए या इन्हें अधिक यथार्थवादी बनाया जाए। ऐसा करना अधिक सुसंगत होगा। उपहार कर की दर में छूट की सीमा कम से कम 25,000 कर देनी चाहिए और सम्पदा शुल्क को युक्ति संगत बनाया जाना चाहिए तथा सम्पदा शुल्क कानून के अन्तर्गत मूल्य-निर्धारण का तरीका सम्पत्ति कर से काफी भिन्न है। उन्हें एक समान बनाइए, उन्हें एक बनाइए ताकि यह मध्यम वर्ग के लोगों के विरुद्ध साम्याहीन ढंग से कार्य न कर सके।

अब, इस विशेष संबंध में मैं अप्रत्यक्ष करों के बारे में कुछ विसंगतियों का उल्लेख करना चाहूंगा। आप अप्रत्यक्ष करों के रूप में बहुत बड़ी राशि वसूल कर रहे हैं। लेकिन सूची में मैंने देखा है कि आपके व्याख्यापक विवरण-पत्र में 17 मद हैं और इसमें आपने प्रत्येक वस्तु तथा उस श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले राजस्व की मात्रा का उल्लेख किया है। अब, पहले आप कल्पना कीजिए 23,000 करोड़ रुपए के कर राजस्व में लगभग 60% मामले उत्पाद-शुल्क के हैं। अब, एन. ई. एस. लाइटर्स, कौशल की क्रीड़ाओं के लिए इलैक्ट्रोनिक मशीनें, जिप या स्लाइड-बांधने वाले, मैंथोल, सूती कपड़े, लिनोलियम रेशमी वस्त्र, हुक्के का तम्बाकू आदि जैसी कई चीजें हैं और इनसे आपको कितनी प्राप्ति होती है ? यह 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए है। आप बेकार में 15 या 20 वस्तुएं उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत रखे हुए हैं मैं कहता हूं कि यदि आप उन सभी चीजों को सूची में से निकाल दें जिनसे 5 करोड़ रुपए से कम उत्पाद-शुल्क प्राप्त होता है तो आपको इससे कई प्रकार से सहायता मिलेगी। आप यह हानि कहीं भी पूरी कर सकते हैं। आप अपने उत्पाद-शुल्क जाल को कम कीजिए। ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क राजस्व लगाने की क्या तुक है जिनसे केवल 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख रुपए की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरी मांग यह है कि आप उन सभी वस्तुओं को निकाल दीजिए जिनसे आपकी राजस्व प्राप्ति 5 करोड़ रुपये से कम है, आप कई वस्तुओं को निकाल सकते हैं और इससे भ्रष्टाचार घटेगा, इससे आपको अधिक राजस्व प्राप्त होगा और इन हानियों की पूर्ति आप किसी और वस्तु विशेष से कर सकते हैं।

इसी प्रकार, मद संख्या 68 के अन्तर्गत कर की प्रारम्भिक दर 2% है, जिसे बढ़ाकर 4%, फिर 8% तथा अब 10% किया गया है। मद संख्या 68 है "अन्यत्र कहीं विनिर्दिष्ट नहीं।" इससे 600 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं और इससे दुधारु पशु की भांति और अधिक प्राप्त होगा। इस मद संख्या 68 के अन्तर्गत आप उत्पाद-शुल्क के अन्तर्गत आने वाली उन विभिन्न

[श्री सतीश अग्रवाल]
वस्तुओं को विनिर्दिष्ट क्यों नहीं कर देते जिनके बारे में आप महसूस करते हैं कि उत्पाद-शुल्क राजस्व काफी है? इसे मद संख्या 68 के अन्तर्गत न रखें। इसे उत्पाद-शुल्क वस्तु के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट वस्तु के रूप में रखें। अब, इससे काफी परेशानी हो रही है। मुझे पता है कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है यह मुख्य राजस्व अर्जन मद है। लेकिन, तब भी आपको ऐसा ही कुछ करना होगा। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस है। मैं आपसे यह अपेक्षा कर रहा था कि आप समूचे कर ढांचे में सरलीकरण तथा योक्तिकीकरण के सशक्त सुधार लायेंगे क्योंकि सारी सरकार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके सम्मुख दल की सर्वोच्च नेता, देश की प्रधान मंत्री को भी अपनी संवीक्षा के लिए आना पड़ता है। आपको इतने अधिक अधिकार प्राप्त हैं। यदि आप यह नहीं कर सकते तो और कौन करेगा? आपको यह कर देना चाहिए था; आप चीजों को समझते है; आप सभी कुछ समझते हैं, सलाहकार समिति में भी आप बेहतर स्थिति में हैं; ऐसा लगता है कि आपको कुछ उत्सुकता भी है। मैं नहीं जानता कि किन कारणों से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।

अतएव, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में आपको कुछ कड़े कदम उठाने होंगे और जब तक कुछ कड़े कदम नही उठाए जाते, आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। चाहे यह विदेशी ऋण का प्रश्न हो; हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भर्त्सना कर रहे है, या यह विश्व बैंक या अन्य ऋणों का प्रश्न हो। आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के बिना काम चलाया है, अच्छी बात है; लेकिन आप एशियन विकास बैंक से ऋण लेने जा रहे हैं, आप वाणिज्यिक मंडियों में जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप बिना ऋणों के गुजारा कर रहे हैं। इस बजट प्रस्ताव में भी आपने लगभग 2,000 करोड़ रुपए की विदेशी ऋण सहायता दर्शाई है। कुछ मूलभूत उपाय करने होंगे और उनके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता वित्त मंत्री महोदय, यदि आप विमान को 50 मील प्रति घंटे की गति से 100 मील तक भी दौड़ायें तो यह कभी नहीं उड़ पाएगा, लेकिन यदि आप विमान को 200 मील प्रति घंटे की गति से एक मील तक भी हवाई पट्टी पर दौड़ायेंगे, तो यह उड़ान भर लेगा। यदि भारतीय अर्थ-व्यवस्था को उड़ान भरनी है तो इसे ऊंचाइयां प्राप्त करनी होंगी, आपको हवाई पट्टी पर केवल आधे मील के लिए 200 मील प्रति घंटे की गति रखनी होगी।

उसके बिना आपका गुजारा नहीं। आप हर एक के भले नहीं बन सकते हैं और यदि आपको कोई अप्रिय निर्णय भी राष्ट्र के हित में लेना पड़ता है तो आपनो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।

कल श्री ब्रह्मा नन्द रेड्डी ने बहुत सही सुझाव दिया :

व्यय पक्ष पर हमारा कुल बजट 42,000 करोड़ रुपए है, हमें 23,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ पूंजी प्राप्तियां, आंतरिक ऋण, बाहरी ऋण और अन्य बहुत सी मदों के संबंध में प्राप्तियां हुई हैं। जहां तक इस संसद का संबंध है, व्यय की हर मद का क्या मद-वार विश्लेषण और संवीक्षा नहीं होनी चाहिए? समितियों के गठन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए गए थे और 7 मार्च को मुझे बताया गया था कि सारा बजट नौ समितियों को दिया जायेगा,

जो व्यय की हर मद की समीक्षा करेगी तथा एक महीने के बाद वे समितियां सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी इत्यादि-इत्यादि। मैं नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। आप उस विचार पर पहले भी वाद-विवाद कर सकते थे समिति बना सकते थे। आपने विपक्ष के नेताओं के साथ कोई चर्चा नहीं की थी और यहां तक विभिन्न दलों के सचेतकों के साथ भी चर्चा नहीं की थी और अचानक एक सुबह हमें पता चला कि समिति इस प्रश्न पर विचार करेगी इसको स्थगित होना स्वभाविक ही था आप तीन महीने पहले यह कर सकते थे जैसा कि आप छह महीने पहले ही बातों की आयोजना कर लेते हैं। सितम्बर के लिए आप अभी से आयोजना कर रहे हैं। इस मामले में भी आप ऐसा कर सकते थे। यदि सारा बजट एक समिति को दिया जाता तो अच्छी संवीक्षा होती। विभाग संसद-सदस्यों के प्रति जवाबदेह है किन्तु गत बत्तीस वर्षों के दौरान प्राप्तियों और व्यय की सभी मदों की विस्तृत समीक्षा नहीं हुई है। ऋणों के लिए कोई सीमा नहीं है। यह अच्छा है कि आप कहते है कि हम सीमाओं के भीतर ही काम कर रहे हैं। किन्तु संविधान कहता है कि आपको संसद द्वारा नियत की गई ऋण की अधिकतम सीमा को मानना होगा किन्तु आप सहमत नहीं हो रहे हैं और मैं नहीं जानता हूं कि क्या कोई अन्य वित्त मन्त्री इस बात से सहमत होगा या नहीं। यह स्थिति है, आपने उस विचार को स्वीकार ही नहीं किया।

पिछले अनुभवों के आधार पर, मैं बहुत अच्छी प्रकार से कह सकता हूं कि समितियों में हम दलगत विचारों से ऊपर उठकर कार्य करते हैं और इसीलिए लोक लेखा समिति के बढ़े हुए कार्य की मात्रा को देखकर सुझाया कि दो लोक-लेखा समिति होनी चाहिएं ! एक राजस्व प्राप्तियों की परीक्षा के लिए और दूसरी व्यय की परीक्षा के लिए क्योंकि हमारी राजस्व प्रातियाँ 23,000 करोड़ रुपए तक हो चुकी हैं। राजस्व लेखा परीक्षा पर हम पांच करोड़ रुपए व्यय कर रहे हैं। किन्तु हम लेखा परीक्षा संगठन के माध्यम से राजकोष के सैकड़ों करोड़ रु० बचा भी रहे हैं क्यों नहीं दो लोक-लेखा समितियां बनाई जाएं ? इसी प्रकार, हमारे पास एक सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति है, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति भी दो होनी चाहिएं ! एक निर्माणी उद्योगों के लिए और दूसरी अनिर्माणी-उद्योगों के लिए अथवा एक ऐसे उद्योगों के लिए जिनमें सौ करोड़ तक का पूंजी निवेश हो तथा दूसरी ऐसे उद्योगों के लिए जिनमें सौ करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश न हों ? आज मुश्किल इस समिति द्वारा सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रमों की परीक्षा हो पाती है जबकि 200 से अधिक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं तथा कुल पूंजीनिवेशन 30,000 करोड़ रुपए के आसपास है। सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम जिसकी इस वर्ष परीक्षा की गयी, उसकी बारी बीस वर्ष के बाद आएगी। हम यह क्यों नहीं करते हैं ? जब तक संसद पूरी कार्य-प्रणाली में कुछ नवीकरणलाने के लिए आवाज नहीं उठाती तब तक मेरे विचार से हम पूरा काम करने में समर्थ नहीं होंगे। बिल्कुल भी नहीं।

बहुत से मुद्दे हैं जहां हमारा मतैक्य है; मैं अनुभव करता हूं कि उन मुद्दों पर हमारा कांग्रेस (इ) के सदस्यों के साथ भी मतैक्य रहा है, किन्तु कुछ पहलुओं में वे बहुत असहाय प्रतीत होते हैं और वहां वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते हैं।

[श्री सतीश अग्रवाल]

आपनें सरलीकरण की बात कही, और आपने अपने भाषण में भी इसका उल्लेख किया कि संक्षिप्त कर मूल्यांकन योजना शुरू कर दी गयी है, जिसके अनुसार 1 लाख रुपए तक, विस्तृत संवीक्षा नहीं होगी सरसरी जांच होगी। श्री उत्तम राठौर और श्री नरसिम्हा रेड्डी मेरी बात पुष्ट करेंगे ! लोक-लेखा समिति में दो वर्ष पूर्व हमने इस प्रश्न पर विचार किया था। 90% संक्षिप्त मूल्यांकन तीन साल से भी अधिक समय से लंबित हैं, 90% मामले वहां अनिर्णित हैं। वे निपटाए नहीं जा रहे हैं। अतः संक्षिप्त मूल्यांकन योजना शुरू करने का क्या लाभ हुआ ? वे आयकर अधिकारियों के पास जा रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ईमानदार लोगों को आयकर अधिकारियों के सामने उपस्थित होना पड़ता है मैं इस विशेष मुद्दे पर ही अड़ना नहीं चाहता हूं। आप एक अध्ययन कराइए कि इस विभाग में कितने लोग राजपत्रित पदों पर पहुंचकर 5 वर्ष के भीतर ही कार, बंगले खरीद लेते हैं, उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, वे विदेश जाते हैं आदि, आदि ऐसा अध्ययन अवश्य करवाया जाना चाहिए। अतः संक्षिप्त (कर) मूल्यांकन योजना से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। आपकी ईमानदारी वहां है। आप आयुक्तों के वार्षिक सम्मेलन में प्रतिवर्ष भाषण दे रहे हैं और कार्य योजनायें बना रहे हैं। किन्तु इस कार्य-प्रदर्शन से तो आप स्वयं भी बहुत अधिक असंतुष्ट है। अतः इस बारे में आपको अवश्य कुछ न कुछ करना होगा।

जैसा कि श्री भोले बताया था, 50% रुपया बेकार जा रहा है। इस देश में, यह सारा कर ढांचा, अन्य कारकों के अलावा, काला धन पैदा करने में मूल रूप से एक उत्तरदायी कारक है; और इस देश में काले धन की मात्रा के बारे में भी, आप एक जांच करवा रहे हैं। आपने यह जांच का काम लोक वित्त राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान को सौंपा है उनके द्वारा कोई अंतरिम अध्ययन भी किया गया। इससे सम्बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा मुझे एक समाचार मिला। उस विशेष सूचना को मैं सभी ो बताना चाहूंगा क्योंकि यह बहुत चिन्ताजनक है; और मैं इससे चिंतित हूं। उस अध्ययन के अनुसार 1971-72 में इस देश में काले धन की मात्रा सकल राष्ट्रीय उत्पाद की 16% थी और 1981-82 में यह बढ़कर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की 50% हो गयी। यह बहुत चिन्ता की बात है, और सरकार को कड़े उपायों द्वारा इसे कम करना होगा। केवल यहाँ छापे और तलाशी करने से कोई लाभ नहीं होगा। हम जानना चाहते हैं कि राजस्व में क्या वृद्धि हुई है। आप खोज और जब्त करते रहते हैं किन्तु राजस्व में शुद्ध वृद्धि क्या है ? व्यवहार में यह शून्य है। सभी मामले रिकार्ड में भेज दिए जाते हैं।

अतः, जहां तक इस विशेष पहलू का सम्बन्ध है। काला धन अर्थव्यवस्था का सर्वनाश कर रहा है। तस्कर देश का सर्वनाश कर रहे हैं। काला-बाजारिए और विदेशी मुद्रा ठग समूची अर्थव्यवस्था का सर्वनाश कर रहे हैं। सिर्फ यह करना कि यदि कोई किसी से 10,000 रुपए उधार लेना चाहता है तो उसे चैक के माध्यम से भुगतान करना चाहिए। काफी नहीं है। यह सुझाव मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री श्री आर. वेंकटरमण को कुछ वर्ष पहले दिया था। किन्तु आप बैंक के पास जा सकते हैं। 50 लाख रुपये जमा कीजिए आपको आवधिक निक्षेप रसीद मिलेगी; रसीद को नष्ट कीजिए और घर चले जाइए। चाहे तलाशी और छापे मारे जाएं। कोई रसीद

नहीं मिलेगी कोई धन के बारे में पता नहीं लगेगा जब राशि देय हो तो बैंक वापस जाइए, शपथ-पत्र तैयार कीजिए दूसरी आवधिक निक्षेप रसीद लीजिए और धन लीजिए तथा घर वापिस आइए। बैंककारी संस्थाएं और बैंककारी उद्योग काले धन के सुरक्षा और अभिरक्षा के लिए एक वाहक और मार्ग बन गया है।

कुछ किया गया है किन्तु कुछ और कड़ा उपाय करना होगा आपको कर-प्रशासन में भ्रष्टाचार के क्षेत्रों का पता लगाना होगा। आपको उन मार्गों का पता लगाना होगा कि काला धन कैसे पैदा किया जाता है। कर अपवंचन इत्यादि की मात्रा क्या है, दरें बहुत ऊंची होने के कारण कर-अपवंचन होता है। यदि अनुचित प्रतिस्पर्धा है, यदि आपकी अर्थव्यवस्था में और विदेशी बाजारों में मूल्य अन्तर अधिक है, लोगों में विदेशी सामान के लिए ललक होती है तस्करी होती रही है और भविष्य में भी रहेगी। आप इसे रोकने में समर्थ नहीं होंगे। विशेषकर इस बारे में आप अपने प्रावधानों को बहुत कठोर बना सकते हैं।

इस सम्बन्ध में एक बात और ! स्टाक एक्सचेंज के कार्यों पर कभी आपने ध्यान दिया है। आपके निदेशक वहां हैं, स्टाक एक्सचेंज पर आपका कुछ नियंत्रण भी है—शेयर कैसे 12 रुपए के खरीदे जाते हैं और 14 रुपए के लिए हस्तांरित किए जाते हैं। कमीशन शुल्क केवल 50 पैसे है और शेष धन जेब में चला जाता है और सौदे कहीं भी दर्ज नहीं किए जाते हैं ! सारे देश के स्टाक एक्सचेंजों में ऐसे लेन-देन होते हैं। किन्तु वहां कोई विशेष विनियम नहीं है। उन सौदों को रजिस्टर में दर्ज करने की वहां कोई बाध्यता नहीं है। किन्तु यह भी एक क्षेत्र है जहां मैं इस विशेष मामले के संबंध में कुछ पता लगाने में समर्थ हूं।

सरकारी क्षेत्र की लाभदायकता के सम्बन्ध में आप इसके लिए श्रेय लेते रहे हैं। मैं विस्तार में इसकी चर्चा करना नहीं चाहता हूं। यह एक अन्य क्षेत्र हैं जहां हम 30,000 करोड़ रु० का निवेश कर चुके हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या लगभग 200 है। निस्संदेह इनमें से कुछ को लाभ हो रहा है। किन्तु शेष के बारे में क्या है ? आपके अधिकारियों के बारे में क्या है ? वे कैसा कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन के संबंध में प्रधान मंत्री ने चिंता व्यक्त की है; आप भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हम रोज़ाना अखबार पढ़ रहे हैं। किन्तु आप अच्छे कार्य-निष्पादन के लिए पुरस्कार और बुरे कार्य-निष्पादन के लिए दण्ड की आंतरिक व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं ? यदि हमारे सरकारी क्षेत्र का कार्य अच्छा नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीयकरण और सरकारी क्षेत्र से लोगों का विश्वास उठ जायेगा। आप सारे क्षेत्र का उपकार कर रहे हैं, आप औद्योगिक रुग्ण इकाइयों की बात करते हैं। एक रुग्ण इकाई वर्ष भर में रुग्ण नहीं बन जाती। रुग्ण इकाइयों के स्वामियों के लिए आप यह अनिवार्य क्यों नहीं कर देते कि वे इकाई के रुग्ण होने की आशंका होने पर कम से कम एक वर्ष पहले सरकार को यह नोटिस दे दें कि हमारा लाभ कम होता जा रहा है और इस इकाई के रुग्ण हो जाने की सम्भावना है, कृपया इसका ध्यान रखिए ? उस इकाई के वास्तव में रुग्ण हो जाने से पहले कुछ निवारक उपाय किए जाने चाहिएं। केवल जब वह रुग्ण हो जाती है। जब वहां काम-बंदी या वहां ताला-बंदी हो जाती है या जब श्रमिक सड़कों पर पहुंच जाते हैं तब आप उनके बचाव के लिए आगे आते हैं रुग्ण इकाइयों के स्वामियों के

[श्री सतीश अग्रवाल]

लिए यह शासना देश होना चाहिए कि इकाई के रुग्ण होने अथवा उसके लाल क्षेत्र में आने से पहले उन्हें सरकार को यह अवश्य बताना चाहिए कि इस विशेष इकाई के वित्त का ह्रास हो रहा हैं और इसके रुग्ण होने की संभावना है, हम आपको इसकी अग्रिम सूचना दे रहे हैं। अन्यथा सरकार को उस व्यक्ति की एक रुग्ण इकाई और साथ ही एक स्वस्थ इकाई का भी अधिग्रहण करना चाहिए। कुछ तो करना ही होगा। आप इसे केवल श्रमिकों के नाम पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक संगठित क्षेत्र है, आप बस रुग्ण इकाइयों का अधिग्रहण कर रहे हैं और उनमें सार्वजनिक धन—जो इस देश में कंगालों और भिखारियों तक से इकट्ठा किया जाता है—बर्बाद कर रहे हैं। इस नीति के बारे में आपको पुर्नविचार करना होगा।

योजना परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के सम्बन्ध में, आप हमेशा योजना के लिए आबंटित राशि को बढ़ाए जाने की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है। किन्तु उनके क्रियान्वयन के बारे में क्या है ? उनकी उपलब्धियों के बारे में क्या है ? सिर्फ आवंटन से ही कोई परिणाम नहीं निकलता है। योजना के गत 31 वर्षों के दौरान, इस देश में योजना के ऊपर हम लगभग 300,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं किन्तु फिर भी इस देश में निर्धन व्यक्ति तक कोई लाभ नहीं पहुंचा है। आपने स्वयं यह बात स्वीकार की है। 4000 लाख लोग निर्धन रेखा से नीचे रह रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। आर्थिक विषमता बढ़ रही है; क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय भी नहीं बढ़ रही है। समूचे राष्ट्र मंडल में अधिकतम निर्धन देशों की श्रेणी में भारत का नाम अब भी बना हुआ है। अंततः हमारी योजनाओं के ये प्रशंसनीय उद्देश्य हैं और यदि योजनाओं के कोई परिणाम नहीं निकलते हैं, यदि उनका लाभ निर्धन लोगों जिनके लिए वे बनाई गई हैं तब तक नहीं पहुंचता है तो फिर इसका दोष किसे दिया जाये ?

योजना की प्रक्रिया दोषपूर्ण है इसमें सामंजस्य का अभाव है, योजनायें अयथार्थ हैं और क्रियान्वयन तंत्र निर्धारित समय में कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं करता। अतः जहां तक परियोजनाओं के प्रभारी अधिकारियों का संबंध है उनके लिए प्रोत्साहन और दण्ड की आंतरिक व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित समय, निर्धारित रकम और मुद्रास्फिति की सामान्य दर का प्रावधान किया जा सकता है। सम्पूर्ण परियोजना निश्चित समय और संसद द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार पूरी होनी चाहिये। 10 अथवा 12 या 15 गुना वृद्धि का प्रश्न उत्पन्न नहीं होना चाहिये। जैसे कि कोसी, गंडक अथवा नागार्जुन सागर—इस प्रकार की योजना में किया गया है। 20 वर्ष से अधिक गुजर चुके हैं किन्तु यह योजनायें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। देश में एक भी ऐसी परियोजना नहीं है जो नियत समय अथवा अनुमोदित रकम में पूरी हो गई हो। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं इनमें हर बार वृद्धि की जाती है। इनसे कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें इस विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार कर कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप राज्यों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं।

4.00 म. प.

श्री सतीश अग्रवाल : मैं अभी उस विशेष विवाद में नहीं पड़ना चाहता... (**व्यवधान**)

आप स्वयं ही उदाहरण रखिए। जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र में परियोजनाओं का संबंध है आप इसे करिए और जैसा कि अच्छे कार्य निष्पादन के लिए आप राज्यों को पुरस्कार दे रहे हैं, यह सदन भी अच्छे कार्य-निष्पादन के लिए आपको सर्व-सम्मति से पुरस्कार देगा बशर्ते कि आप इसे कर दिखायें।

20-सूत्री कार्यक्रम के संबंध में, मुझे 20-सूत्री कार्यक्रम से कोई झगड़ा या मुटाव नहीं है परन्तु आपने आवंटन की राशि बढ़ा दी है। बहुत ही अच्छा है। सभी व्यक्ति 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उपलब्धियों के संबंध में कम्पयूटर से कुछ जानकारी प्राप्त होगी मैं उस जानकारी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं सदन यह जानकर स्तंभ्ति होगा कि यह जानकारी रोकी जा रहा है 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 1983-84 के लक्ष्यों को योजना आयोग द्वारा निश्चित किया गया था। विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से रिर्पोटों (प्रतिवेदनों) को मूल्यांकन हेतु मंगाया गया था। और मूल्यांकन किया गया था और उस मूल्यांकन के आधार पर कार्य-निष्पादन क्या है? श्री सुल्तानपुरी अथवा कोई और सदस्य पक्ष अथवा विपक्ष से, पिछड़े क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के बारे में बोल रहे हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है परन्तु उपलब्धि क्या है? अप्रैल 1983 से सितम्बर 1983 की छह महीने की अवधि के आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं। अप्रैल 1983 से सितम्बर 1983 तक 50 प्रतिशत (प्राप्ति) उपलब्धि होनी चाहिए थी किन्तु 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी मद अथवा क्षेत्र में 50 प्रतिशत उपलब्धि नहीं हुई है।

4.01 म. प.

(श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

यह 45 प्रतिशत भी नहीं है यहां तक की 40 अथवा 35 प्रतिशत भी नहीं है, यह 35% से कम है। विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े इस प्रकार है :

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	34 प्रतिशत
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	27 प्रतिशत
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष संघटक योजना	25 प्रतिशत
गंदी बस्ती में रहने वाली आबादी	25 प्रतिशत
पम्प सेटों का प्रावधान तथा उन्हें उर्जित करना	24 प्रतिशत
नसबंदी	21 प्रतिशत
निर्माण सहायता	20 प्रतिशत

[श्री सतीश अग्रवाल]

बंधुआ मजदूरों की मुक्ति तथा पुर्नवास	18 प्रतिशत
गांवों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के घरों में बिजली प्रदान करना	17 प्रतिशत
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के घर	9.5 प्रतिशत

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मकानों के लिए यह सिर्फ 9.5 प्रतिशत है। मैं पूरी सूची नहीं पढ़ना चाहता। योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की 1983-84 के पहले छह महीनों के दौरान अगर यह उपलब्धि है और योजना आयोग द्वारा मूल्यांकन किये जाने पर, जो तथ्य माननीय संसद सदस्य को इस दस्तावेज में या अन्य किसी भी दस्तावेज में उपलब्ध नहीं कराये गये, तो आप किस प्रकार स्थिति में सुधार करने जा रहे हैं ? मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप ऐसा करने में समर्थ नहीं होंगे।

सभापति महोदय : आप पहले ही अपने समय से ज्यादा वक्त ले चुके हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय आपने अनजाने में घन्टी बजा दी है।

सभाप्रति महोदय : नहीं, नहीं मैंने जानते हुये घंटी बजाई है क्योंकि वह पहले ही अपने समय से ज्यादा वक्त ले चुके हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : ठीक है महोदय, मैं बहुत शीघ्र ही समाप्त करूंगा। आप भली-भांति जानते हैं कि मैं हरेक विषय पर नहीं बोलता मैं सिर्फ लोक वित्त बजट तथा वित्तिय विषयों पर ही बोलता हूं........(**व्यवधान**)। कांग्रेस (आई) के सदस्य बहुत ही इच्छुक हैं और वे मेरे अच्छे मित्र हैं।

महोदय, यह विशिष्ट जानकारी कोई भी माननीय सदस्य किसी भी बजट के दस्तावेज में नहीं पायेंगे। संसद सदस्यों को यह सभी जानकारी क्यों नहीं बतायी गयी ?...(**व्यवधान**) श्री सन्तोष मोहन देव, सामान्यतः मैं इस सदन में कम से कम दल नीति पर नहीं बोलता। इसलिए चाहे वह कांग्रेस (आई) हो अथवा गैर कांग्रेस (आई) वह विशेष विवाद शून्य काल के लिए छोड़ दिया है। क्या मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या वर्ष 1982-83 के प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर संबंधी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन उन्हें प्राप्त हो गया है ? उन्हें यह दो सप्ताह पूर्व प्राप्त हो गए हैं तो फिर उन्होंने सभा पटल पर इसको क्यों नहीं रखा ? आपने उन लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखा जो कि अप्रासंगिक (विसंगत) क्षेत्रों से संबन्धित है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है किन्तु आपने 1982-83 के उन प्रतिवेदनों को प्रस्तुत नहीं किया जो कि प्रत्यक्ष तथा

अप्रत्यक्ष कर से संबंधित हैं जो कि संभवत् सरकारी राशि के दुरुपयोग, गबन, ख्यानत, संक्षिप्त मूल्यांकन संबंधी मामलों में अनिर्णयता या बकाया आयकर आदि मामलों पर कुछ सही जानकारी प्रदान करते। किन्तु मैं नहीं जानता किस कारण से आपने इन सभी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखना उचित नहीं समझा। आखिरकार आपको इन सभी मामलों में अत्यधिक विवेकपूर्ण होना चाहिए। संसदीय इतिहास में आपका नाम होगा अगर आप सभी कुछ संसद सदस्यों को बताने की कोशिश करेंगे तथा उनको विश्वास में लेंगे।

हमारे पास पंचवर्षीय योजना है हमें संसाधन तथा व्यय की स्थिति मालूम हैं, हमें आवंटन की स्थिति भी ज्ञात है। इसके पश्चात् हमारे पास योजना की वार्षिक समीक्षा है। क्या हम कर सम्बन्धी ढांचा, सूची तैयार करने के सामान्य प्रावधान के साथ और उस विशेष आधार पर बढ़ोत्तरी अथवा कटौती आदि की गुंजाइश पर पाँच वर्ष के लिए नहीं बना सकते ? आप पांच वर्ष के लिए योजना क्यों नहीं बनाते हैं कि योजना का आकार यह होगा, ये संसाधन होंगे जिनकी आवश्यकता होगी, पांच वर्षों के लिए यह कर ढाँचा होगा जिस पर हमें अमल करना होगा; जब तक कि कोई अन्तंवर्ती (मध्यस्थ) स्थिति हमें कुछ और करने के लिए बाध्य नहीं करती ? जहां तक प्रत्यक्ष कर का सम्बन्ध है, इसके लिए कोई अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आखिरकार आप सदन में थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ आ सकते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं। वास्तव में आप अभी भी इसे कर रहे हैं। आपके पास सीमा शुल्क अधिनियम के धारा 25(1) तथा (2) एवं उत्पादन शुल्क नियमों के अन्तर्गत कार्यकारी शक्ति है आपके प्रत्यक्ष कर अधिनियम भी आपको शक्ति देते हैं आप जब तब करों में छूट रियायतें तथा राहत दे रहे हैं। और आप उन्हें सभा-पटल पर रख रहे हैं। तो आप इस पर क्यों नहीं विचार करते ? जैसा कि हम सातवीं योजना को बना रहे हैं साथ ही साथ हम अपनी कर नीति को भी अगले पांच वर्षों के लिए तैयार कर सकते हैं। ताकि सम्पूर्ण कर प्रणाली में एक प्रकार की यौक्तिकीकरण हो।

मैं सभी प्रकार के रियायतों को स्वेच्छा से वापस लेने के विरुद्ध हूं। मैं स्वेच्छा से रियायतें देने के विरुद्ध हूं। यह हर वर्ष की भांति नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित ही, आप कुछ रियायतों के (निवर्तन) वापस लेने को न्यायसंगत कह सकते हैं आप कुछ राहत कार्यों को उचित ठहरा सकते हैं किन्तु यह ठीक नहीं है, कर शुल्क, सहायता अथवा रियायत का कुछ वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए तथा उसको वापिस लेने के लिए भी कोई औचित्य होना चाहिए। मैं गंभीरतापूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि आप को पिछले 30 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के कर नियमों के अन्तर्गत सभी संसाधनों रियायतों तथा जो राहतें दी गयी। उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई भी मूल्यांकन नहीं किया गया है, यह रियायत अथवा राहत क्यों दी गई थीं अथवा यह रियायत या राहत क्यों वापस ले ली गयी। आखिरकार रियायतें प्रदान करने से पहले आपने जरूर कोई उद्देश्य सोचा होगा। एक बार यदि आप रियायत अथवा राहत देते हैं तो आपको उसके प्रभाव का भी मूल्यांकन करना चाहिए। चाहे वह उद्देश्य की पूर्ति करे अथवा नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सम्पूर्ण कर ढांचे में एक प्रकार का स्थायित्व आ जायेगा और यह काफी अच्छा होगा।

इसी प्रकार से आपने सभी को आयकर पर पांच प्रतिशत की राहत दी है। मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूं। आपको आय की सीमा 15,000 से 25000 तक कर देनी चाहिए थी। यह काफी बेहतर होता। आपने निम्नतम आय वर्ग तथा अधिकतम आय वर्ग पर भी 5 प्रतिशत कटौती की है। अतः आप सभी को प्रसन्न कर रहे हैं। जब आप सभी को प्रसन्न कर रहे हैं तो इसमें विशेष क्या है? अगर आप वेतनभोगी वर्ग, निश्चित आय वर्ग की सहायता करना चाहते हैं तो मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि आपको कर सीमा 15,000 से 25000 कर देनी चाहिए तथा एक ऐसा सूचकांक तैयार करना चाहिए ताकि वही राहत हर वर्ष स्वयंमेव ही दे दी जाए और आप जब तक संसद पर विभिन्न कर प्रस्तावों का भार नहीं डालेंगे जो कि बहुत ही बोझिल कार्य है।

अब मैं योजना और गैर-योजना मदों पर आता हूं। आपने सम्पूर्ण बजट प्रस्तावों को योजना व्यय गैर-योजना व्यय में विभाजित कर दिया है। मैं इससे पूर्णतय असहमत हूं। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जब आपके पास योजना व्यय इस वर्ष के लिए है तो वह अगले वर्ष गैर-योजना व्यय हो जायेगा। आखिरकार, एक विकास परियोजना, विकास परियोजना है। अगर उसे इस वर्ष समाप्त नहीं किया जाता है। अगर अगले वर्ष उस विशेष परियोजना पर कुछ राशि खर्च की जाती है; अगर यह गैर-योजना व्यय होगा तो यह गुमराह करना होगा। योजना एवं गैर-योजना व्ययों के बजाय आपको विकास एवं गैर-विकास क्षेत्र बनाने चाहिएं। उस आधार पर सारे मसले को विभाजित करना ज्यादा बेहतर होगा। गैर-विकास व्यय लगभग 42 प्रतिशत है तथा कुल विकास व्यय लगभग 58 प्रतिशत है।

कुल मिलाकर मामूली से फेर-बदल के साथ आप इस वर्ष या उस वर्ष इस सामन्यता को बनाए रखतें आ रहे हैं। अतः मैं सविनय निवेदन करता हूं कि आपको गैर-विकास व्यय की मदों की जांच पड़ताल करने के लिए एक समिति बनानी चाहिए।

जहां तक छठी पंच-वर्षीय योजना का सम्बन्ध है। वास्तविक आवंटन 97,500 करोड़ रुपये का था और आप इसको बढ़ाकर 110,000 करोड़ रुपये करने जा रहे हैं, जो कि 12,500 करोड़ रुपये की वृद्धि है। परन्तु गत चार वर्षों की मुद्रास्फीति पर दृष्टिपात कीजिए। गत चार वर्षों के दौरान संयोजित आधार पर कीमतों में 45% से भी अधिक की वृद्धि हुई है। अतः 97,500 करोड़ रुपये की योजना का आयकर जो कि आपके अनुसार 110,000 करोड़ रुपये का है, यदि आप 1980 की कीमतों को आधार बनाएं तो वास्तव में धटकर 75,000 करोड़ रुपये हो जायेंगे।

अतः केवल आबंटन में वृद्धि करने से मामले हल नहीं हो जायेंगे। आपको मुदास्फीति को रोकना होगा।

एक बहुत बड़ा वायदा भी किया गया था, जो कि न केवल चुनावों के दौरान किया गया था, बल्कि श्री वेंकटरामन महोदय ने जून, 1980 में बजट प्रस्तुत करते समय इस सदन में दिया था कि इस सरकार की प्राथमिक चिंता मुद्रास्फीति को रोकना और कीमतों में वृद्धि को रोकना होगा,

और यदि गत पचास महीनों में 100 अंक से भी अधिक मंहगाई बढ़ जाए—जो कि 2 अंक प्रति मास है—तो यह ऐसी बात है जिससे लोगों का दम घुट रहा है। वे इस कीमतों में वृद्धि के कारण वास्तव में ही कष्ट में हैं। अतः उन्हें और विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ राहत देनी चाहिए।

अब, मैं अन्तिम बात पर आता हूं। सभापति महोदय, सम्भवतया तब आप सभा-समिति के सदस्य थे और एक सदस्य होने के नाते मैं आपके पास मकान आबंटन के लिए आया था और मेरे विचार से आपको याद होगा कि श्री वेंकटरामन ने उस समय कहा था कि 1979-80 में 2700 करोड़ रुपये का घाटा एक रिकार्ड था। घाटा बुरा है, चाहे वह जनता सरकार का हो या कांग्रेस (आइ) सरकार का। परन्तु 1980-81 में कुल घाटा 3,451 करोड़ रुपये का था और 1982-83 में संशोधित आंकड़े 2712 करोड़ रुपये के थे। अतः कुल व्यवस्था में, ये घाटे कहीं अधिक कीमतों में वृद्धि की ओर ले जाते हैं, क्योंकि सरकारी खर्च खुला होता है और उस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। महोदय श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी और श्री भोले ने यह ठीक ही कहा था कि 50% कर अपवंचन होता है और 50% सार्वजनिक व्यय पानी की तरह बहा दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप, हमारे संविधान में और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में निहित प्रशंसनीय उद्देश्य यथा—गरीबी मिटाना, बेरोजगारी का उन्मूलन, आर्थिक असमनताओं को हटाना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि—अभी भी बहुत दूर की बातें हैं। इसलिए इस सभा के सदस्य—यह वर्ग या वह वर्ग—सदैव कुछेक आवंटनों और उपलब्धियाँ प्राप्तियों के बारे में शिकायतें करते रहे हैं, क्योंकि आबंटनों और उपलब्धियों के बीच चौड़ी खाई है, विशेषकर, क्योंकि कोई समय—बद्ध कार्यान्वयन-तन्त्र नहीं है तथा पुरस्कृत और दण्डित करने का प्रावधान नहीं हैं। अतः जब तक हम देश के समग्र ढांचे में यह कर ढांचा हो या फिर व्यय ढांचा हो—मूलभुत परिवर्तन नहीं करते हैं, राजस्व में घाटा अविरल बढ़ता जायेगा। इस वर्ष भी गत 32 वर्षों का रिकार्ड राजस्व घाटा है। लगभग 2600 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा है, जो कि रिकार्ड घाटा है। निसन्देह, स्वदेशी ऋणों, विदेशी ऋणों, भविष्य निधियों, राष्ट्रीय बचतों या अन्य बचतों, तेल क्षेत्र से, इस क्षेत्र से या उस क्षेत्र से, कुल घाटे में कमी आ सकती है, परन्तु राजस्व-घाटा कुल अर्थ-व्यवस्था का वास्तविक बेरोमीटर (वायुदाब माप) है। और 2600 करोड़ रुपये राजस्व का घाटा जो कि बहुत ही चिन्ताजनक है। हमारा राजस्व खर्च बढ़ता ही जा रहा है। हमारी राजस्व आय उतनी नहीं है। हमारा गैर-कर राजस्व उतना दुधारू नहीं है जितनी कि हम आशा करते हैं। हम तेल क्षेत्र से, हिन्दुस्तान एलम्यूनियम से, इस या उस विशेष क्षेत्र से, ऋण या बचत अथवा स्वदेशी ऋणों और विदेशी ऋणों से और अधिक पूंजी आवक द्वारा समग्र घाटे को अकृत्रिम रूप से परिसीमित कर रहे हैं। परन्तु इससे कोई लाभ नहीं होगा अतः राष्ट्र के समक्ष ये चुनौतियां हैं।

जहां तक बजट की बात है मैं इसके बारे में फिर से नहीं बोलना चाहता हूं। बजट के रूप में इसमें पर्याप्त आँकड़ेगत बाजीगरी दिखाई गई है। बजट क्या है। आंकड़ों का जाल है। आँकड़ों का जाल है, आंकड़ों की जादूगिरी है, आंकड़ों की धोखाधड़ी है। सारे मामले में अजीब स्थिति है अतः मैं वित्त मन्त्री महोदय से और यहां कांग्रेस (इ) सदस्यों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस मामले-विशेष में वे अवसरके अनुरूप कार्य करें और जहां तक इसका सम्बन्ध है। सरकार पर कुल

[श्री सतीश अग्रवाल]

कर ढांचे और व्यय की पद्धति में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए दबाव डालें। मैं वित्त मंत्री महोदय से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि सारे मामले को संसद सदस्यों की एक समिति को सौंप दें जिससे कि आय और व्यय का एक मदवार विश्लेषण किया जा सके। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो वह आपके लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सहायक होगा। बजट में मदवार विश्लेषण का अभाव है।

महोदय, यह बजट आंकड़े जन्य वाजीगरी से भरा पड़ा है। अतः मुझे खेद है कि मैं इस बजट को आंख मूंद कर समर्थन नहीं दे सकता हूं। अत: मैं इसका विरोध करता हूं।

***श्री एस० एस० रामास्वामी पदायाची** (तिंडीशनम) : सभापति महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1984-85 का यह सामान्य बजट चुनाव-मूलक न होकर कृषि मूलक बजट है। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बहुत से प्रोत्साहन और बहुत सी राहतें प्रदान करके कृषि को प्रमुख स्थान प्रदान किया है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि देश में उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से ही मिलता है। स्वभाविक है कि कृषि को, बजट बनाते समय विशिष्ट स्थान प्रदान किया जाए। हमारे वित्त मंत्री ने इस पर ध्यान दिया है।

महोदय, कृषि के विकास में हमने जो विस्मयकारी, अत्यधिक प्रगति के बावजूद भी 60% कृषि योग्य भूमि मौनसून पर निर्भर करती है। यह सभा मौनसून की दया और उसके परिणाम स्वरूप हमारे किसानों द्वारा जो कि हमारे समाज की रीढ़ हैं। झेले जा रहे भाग्य के उतार-चढ़ाव से भली-भांति परिचित हूं। मैं तमिलनाडु में किसानों की दयनीय दशा से परिचित्त हूं। तमिलनाडु लगातार दो वर्ष तक सूखे की चपेट में रहा। जनता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनको पीने का पानी नहीं मिला था। इस सभा को पता है कि मद्रास की जनता की प्यास बुझाने के लिए रेल गाड़ियों से कृष्णा और गोदावरी से जल ढ़ोया गया था।

और अब, दिसम्बर, 1983 से अनवरत वर्षा से तमिलनाडु परेशान है। कृषिजन्य भूमि का विशाल क्षेत्र जलमग्न है और बाढ़ों में खड़ी ननीभ्राई फसल बह गई है। तमिलनाडु सरकार किसानों के कष्टों को कम करने का भरसक प्रयास कर रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि प्रभावित जनता के पुनर्वास हेतु जितनी भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, उतनी तमिलनाडु सरकार को दी जानी चाहिए। महोदय 2.5 लाख हेक्टेयर कृषि-भूमि बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गई है। बहुत से गांव चारों ओर से पानी से घिरे द्वीप से दृष्टिगत होते हैं। बाढ़ में घिरे लोगों के लिए खाद्य-पदार्थ गिराने के लिए हेलीकोप्टर की सेवाएं ली गई हैं। अन्धकार एवं धुन्ध के कारण यह भी संभव नहीं हो पा रहा है तमिलनाडु की मुसीबत में फंसी जनता को राहत के लिए केन्द्र को आगे आना चाहिये।

आज हमारी जनसंख्या 70 करोड़ है और कृषि योग्य कुल भूमि 14.3 करोड़ हेक्टेयर है, इसका अर्थ है कि खाद्यन्नों की पूर्ति के लिए, प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि केवल 1/5 हेक्टेयर

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पड़ती है। गत तीन दशकों में जनसंख्या में तो 74% की वृद्धि हुई है। उसी अनुपात में सिंचित भूमि के क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है। विश्व भर में हमारे देश की हरित-क्रांति की प्रशंसा की गई है और हमने खाद्यन्नों के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि की है। अनिश्चित मानसून वर्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार खाद्यन्नों का आयात कर रही है जिससे कि किसी भी प्रकार की भयंकर स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो सके। अपने यहाँ खाद्यन्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और उनका आयात बन्द करने हेतु, हमें सिंचित भूमि के क्षेत्र में कई गुना वृद्धि करनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ऐसा अवश्य करेगी।

महोदय, मेरा यह कहना है कि उत्तरी राज्यों में नदियों के जल के केवल 15% का उपयोग सिंचाई कार्यों के लिए किया जा रहा है। शेष 85% जल बेकार समुद्र में चला जाता है। नदियों में उपलब्ध जल के पूर्ण उपयोग का हल है, गंगा और कावेरी को जोड़ना केवल जिससे हरित-क्रांति भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थायी विशेषता बन जायेगी। इस परियोजना पर दशकों से बात चल रही है फिर भी अभी तक कोई ठोस बात सामने नहीं आई है। यदि इस परियोजना को कार्यरूप दिया जाए तो, इससे देश भर में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपये की बचत होगी जो कि प्रति वर्ष उत्तरी राज्यों में आने वाली बाढ़ों से नष्ट हो जाती है। इससे दक्षिणी राज्यों के आवर्ती सूखे से होने वाली 800 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि से बचा जा सकेगा, विशेषकर तमिलनाडु में देश की भलाई के लिए इस योजना को लागू किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में सूखे से बहुत समय से ग्रस्त चले आ रहे जिले हैं, रामानाथपुरम, तिरुनावेलि और मदुरई। यदि सरकार उन्हें तमिलनाडु का अन्नभन्डार बनाना चाहती है तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का जल, जो कि तमिलनाडु से निकलती हैं, परन्तु उनका जल अरब सागर में बेकार चला जाता है, उनको पूर्वोन्मुख कर दिया जाना चाहिए। सिंचाई आयोग ने बहुत पहले यह सुझाव दिया था। दो तकनीकी समितियों ने भी इस परियोजना की सिफारिश की है। मैं मांग करता हूं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी का बहाव बदलने की परियोजना को केन्द्रीय सरकार को कार्यरूप देना चाहिए।

कावेरी जल-विवाद अभी भी अधर में लटका हुआ है। इस जटिल समस्या का कोई स्थायी हल नहीं ढूंढ निकाला गया है।

संबंधित राज्य के मुख्य मंत्रियों की बैठक दिल्ली में होती हैं। वार्ताएं लम्बे समय तक जारी रखी जाती हैं। मुख्य मंत्री अपने राज्यों में वापस जाते हैं। इसी बीच केन्द्रीय आयोग की स्वीकृति के बिना ही कर्नाटक सरकार ने कावेरी की सहायक नदियों पर तीन बांधों का निर्माण किया है। केन्द्रीय योजना आयोग जिसने कर्नाटक सरकार के इस कार्य पर कोई टिप्पणी नहीं दी है—तमिलनाडु राज्य के साथ अन्याय किया है कावेरी जल विवाद जल्दी ही हल करना चाहिए क्योंकि तमिलनाडु का अस्तित्व इस पर निर्भर है।

मार्च 7, 1984 को माननीय रक्षा मंत्री श्री आर० वेंकटरमन ने इस सदन में ध्यानकर्षण

[श्री एस० एस० राधास्वामी]

प्रस्ताव का जवाब देते हुए देश के दक्षिण तटवर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सेतुसमुंद्रम परियोजन के सामरिक महत्व पर जोर दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह अपने रक्षा मंत्री के पद की कार्यविधि में ही सेतुसमुंद्रम परियोजना की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे।

इस बजट में, विद्युत पर योजना व्यय 44% तक बढ़ा दिया है। यह सम्पूर्ण देश में बिजली के अभाव की चिरस्थायी समस्या को हल करने में केन्द्र का गम्भीर रवैया प्रकट करती है। कपड़े पर उत्पादन शुल्क कम कर दिया गया है ताकि जनसाधारण को सस्ते दामों पर कपड़ा मिल सके। इसीलिये मैंने इसे जनसाधारण का बजट कहा है।

महोदय मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र टिन्डीवनम के पास, पाँड्चेरी का संघ राज्य है। पाँडिचेरी में एंग्लो-फ्रेंच कपड़ा मिल पिछले कई महीनों से बन्द पड़ी हैं और 7500 श्रमिकों की भीख मांगने की नौबत आ गई है। एंग्लो-फ्रेंच कपड़ा मिलों के लगातार बन्द रहने से इस 3-4 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या वाले इस राज्य की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है। मेरे सहयोगी श्री शानमुगम पाँडिचेरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित संसद सदस्य तथा उपराज्यपाल इस समस्या को हल करने के लिए अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। वे केन्द्र पर दबाव डाल रहे हैं कि हर मिल का अधिग्रहण किया जाए मैं पांडचेरी के श्रमिकों की दयनीय स्थिति को व्यक्तिक रूप में जानता हूं। केन्द्रीय सरकार को इस एंग्लो-फ्रेंच कपड़ा मिलों का अधिग्रहण करने के आदेश देने चाहिएं।

समाप्त करने से पहले मैं कहूंगा कि पिछड़े वर्गों का उत्थान सुनिश्चित करने के प्रशंसनीय उद्देश्य से बहुत सी समितियां बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए, मण्डल आयोग सदन में एक चर्चा का विषय है। इस प्रकार के आयोग की सिफारिशें प्रभावी रूप में कार्यन्वित नहीं की जाती हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में वानियर समुदाय राज्य की कुल जनसंख्या का चौथाई है। वे पीढ़ियों से पिछड़े हुए हैं जबकि अन्य समुदायों ने तरक्की की है। उनके कल्याण के लिए कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। हम समुदाय के लिए अलग से 15% आरक्षण चाहते हैं। डा० कलहिगनार करुणानिधि जब वे मुख्य मंत्री थे, इस पिछड़े समुदाय की समस्याओं को देखने के लिए एक आयोग स्थापित थीरू एस०जी०आर० ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद इस उद्देश्य के लिए एक अन्य आयोग की स्थापना की थी, जबकि इस समुदाय की पीढ़ियां धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि इनके उत्थान के लिए कुछ ठोस कार्य करना चाहिए। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोज़ाबाद): सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि इस बजट के द्वारा माननीय वित्त मंत्री ने बहुत ही सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये एक प्रयास किया है। इसमें हर तबके को इन्होंने राहत की बात कहकर अंधेरे में या झाँसे में रख दिया है। बजट सही मायनों में योजनाओं के लिये धन जुटाने और आर्थिक व्यवस्था को नियोजित ढंग से चलाने के लिये होता है लेकिन इस बजट में इन्होंने कहीं तो उत्पादन शुल्क में छूट देकर यह दिखाया है

कि इससे मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी और आयकार में छूट देकर यह दिखाया है कि इससे कुछ धनवानों को फायदा होगा। कुछ रुपया इन्होंने वीकर सैक्शन के नाम पर देकर यह दिखाने की कोशिश की है कि इससे उन लोगों को भी खुशहाली हासिल होगी।

सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण से ही साफ जाहिर हो गया था कि माननीय वित्त मंत्री को पैसा जुटाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। आप जानते हैं कि उत्पादन शुल्क और सीमा-शुल्क पहले से ही बढ़े हुए हैं। सम्पत्ति कर लगाने की बात आने वाले कुछ दिनों को मद्देनजर रखते हुए शायद उन्हें अच्छी नहीं लगती होगी। पिछले सालों में उन्होंने राष्ट्रीय बचत योजनाओं के माध्यम से आर्थिक ढांचा मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन आर्थिक ढांचे को अपने राष्ट्रीय बचत योजना ओं और छोटी बचत योजनाओं के तहत लेकर हथिया लिया है और अब आप यह उम्मीद किये हुए हैं कि इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेरा ख्याल है इससे आपका आर्थिक ढाँचा डगमगायेगा। यह निश्चित रूप से साफ है कि आप राष्ट्रीय बचत के नाम पर लोगों से रुपया लेंगे तो उस कर्ज पर ब्याज देने के लिये भी आपको दर बढ़ानी पड़ेंगी और उसके लिसे भी पैसा आपको चाहिए। अन्ततोगत्व आपकी आर्थिक स्थिति बन नहीं पायेगी। अगर आप सही मायनों में आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने का कोई प्रयास करते तो मैं कहता कि आपने कहीं न कहीं लोगों को राहत दी है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नजर नहीं आता।

टैक्स लगाकर उगाहे जाने वाले राजस्व में 175.अरब रुपये में 71 अरब रुपये सीमा-शुल्क और 65 अरब रुपये उत्पादन शुल्क से मिलेगा और दूसरी तरफ पूंजी मद में 2325 अरब रुपये आयेंगे जिसमें 83 अरब रुपये पुराने करों की वसूली से आये 39 अरब रुपये टैक्स के अलावा दूसरी मदों से और 65 अरब रुपये और 18 अरब रुपये विदेशी सहायता से आयेंगे। उसके बाद भी 1762 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

आप गौर करें, 458 करोड़ रुपये के इन्होंने टैक्स लिये और 264 करोड़ रुपये की रियायत दी हैं इस तरह से 200 करोड़ रुपये लोगों की जेब से निकालने में आप सफल होंगे। 114 करोड़ का अतिरिक्त बोझ रेलवे से ही लोगों पर पड़ेगा जिसमें 70 करोड़ का रेलवे वालों के यहां घाटा है और 1762 करोड़ का घाटा यहां पर है।

ऐस्टीमेटेड इनकम लगाने के बाद, अगर यह कहीं गड़बड़ हो जाये तो निश्चित रूप से यह घाटा 2800 करोड़ रुपये के करीब बैठता है। ऐसी परिस्थितियों में आप देखें कि यह डैफिसिट बजट है। अब विकास की बात आप करते हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इस डैफिसिट बजट को किस तरह से पूरा करेंगे?

इसके दो तरीके हैं, या तो लोगों पर टैक्स लगाया जाये या नोट छापे जायें। अभी बम्बई के किसी एक इकनामिस्ट ने कहा कि शायद सरकार को 700 करोड़ के नोट छापने पड़ेंगे।

घाटे को पूरा करने का एक तरीका यह है कि सरकार अपने खर्च में कटौती करे। पिछले

[श्री राजेश सिंह]

साल प्रधान मंत्री ने योजना खर्च में 5 प्रतिशत और गैर-योजना खर्च में 3 प्रतिशत का कट लागू किया था। इसके बावजूद योजना खर्च 13,870 करोड़ से बढ़ कर 14,059 करोड़ और गैर-योजना खर्च 21,984 करोड़ से बढ़ कर 24,773 करोड़ रुपये हो गया है। वास्तव में सरकार ने खर्च में कमी करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं।

सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ते की चार किस्तों की अदायगी में 300 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। मुद्रा-स्फीति बढ़ने से लोगों की क्रय-शक्ति कम होगी और चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। सरकारी कर्मचारीयों को बार-बार महंगाई भत्ता देने से महंगाई बढ़ेगी और उसका असर अन्य लोगों पर भी पड़ेगा। आज रुपये की कीमत 1289 पैसे रह गई है। पिछले चार सालों में 50 परसेंट की वृद्धि हुई है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने गरीब तबके को क्या राहत दी है।

इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की पैदावार को बढ़ा कर भी स्थिति में सुधार हो सकता है। देश में करोड़ों एकड़ भूमि आज भी असिंचित है। सरकार को आशा है कि इस साल फ़सल अच्छी होगी। लेकिन अगर मौसम ने साथ न दिया, तो उसके सारे अनुमान ग़लत सिद्ध होंगे। इंडस्ट्री का ग्रोअथ केवल 4.5 परसेंट हुआ है, जबकि अनुमान 7 परसेंट का लगाया गया था। जहां तक सरकारी इंडस्ट्रीज का सम्बन्ध है, 1983-84 के पहले छः महीनों में 72 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जबकि पिछले छः महीनों में 113 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। आशंका है कि इस घाटे में और वृद्धि होगी।

आयकर की दर में 5 प्रतिशत की रियायत दी गई है और रिहायशी मकानों पर सम्पदा-कर की छूट बढ़ा दी गई है। मैं गन्ना और खंडसारी पैदा करने वाले क्षेत्र से आता हूं। खडसारी को उत्पादन-शुल्क से छूट दे दी गई है। खंडसारी पर उत्पादन-शुल्क 7 प्रतिशत है। लेकिन अब सेल्ज़-टैक्स के नाम पर 10 परसेंट देना पड़ेगा। इस कर-वृद्धि का भार किस पर डाला जाएगा। जाहिर है कि वह कनज्यूमर पर पड़ेगा।

राज्य सरकारों को इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में से 80 करोड़ रुपया मिलता। अब वे उससे वंचित हो जायेंगी। लेकिन उन्हें अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क में से 52 करोड़ रुपए मिलेंगे।

एलुमिनियम के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने जो छूट सीमा शुल्क बड़ा दी है, उससे बिड़ला साहब को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हिन्दालको का कारखाना उनका है। मंत्री महोदय यह व्यवस्था भी करें कि वहां पर जो 60 परसेंट प्रोडक्शन होता है, वह बाजार में उपलब्ध हो, वरना वह ब्लैक में बेचा जाएगा।

टेकस्टाइल इंडस्ट्री सिक चल रही थी, आप ने कोई खास कदम उसके लिए नहीं उठाया। मैं कुछ कम्पनीज के बारे में न कहना चाहूंगा। आप वेल्थ टैक्स के अन्दर देखिए, 1 लाख 62 हजार से शेयर के ऊपर 2 लाख 62 हजार उसकी लिमिटेशन कर दी है। हमारा तो इसमें यह

कहना है कि कहीं इन्वेस्टमेंट की बात आती है या कहीं ऐसे टैक्सेज की बात आती हैं जहां प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात आती है, वह सारे एग्जम्पट कर देना चाहिए।

यह नान-रेजीडेंट इंडियन्स का झगड़ा चलता रहता है आये दिन यहां के लोग उसमें लगाएंगे, उनके दिमाग में यहीं बात बनेगी तब इसका हल होगा वरना तो यह झमेला बना रहेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, मेरी यह समझ में नहीं आया कि आपने इनकम-टैक्स में 180 करोड़ का जो रिलीफ देकर घाटा कर दिया, यह चीज कुछ समझ में नहीं आ रही है। आपने समाज कल्याण की बात की है और ग्रामीण विकास की बात की है, आपको जानकारी होगी कि 245 करोड़ आप खर्च करेंगे जब कि 1983-84 में 275 करोड़ रुपये आपने इस पर खर्च किए। 5 हजार गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं। आज 1 लाख 30 हजार 761 गांवों में पीने का पानी नहीं है। पांच हजार गांवों में पीने का पानी देकर यह साबित करना चाहते हैं कि हम ग्रामीण उन्नति की बात कर रहे हैं। बहुत-सी ऐसी बस्तियाँ हैं उन गांवों में जहां हरिजन गन्दा पानी और नाले का पानी पी रहे हैं। आप किस मुंह से यह बात कह रहे हैं, कि आप ग्रामीण विकास करने जा रहे हैं, जबकि 1 लाख 30 हजार 761 गांवों में पीने का पानी नहीं है ?

भूमिहीनों को रोजगार देने की बात आपने की थी। इस मद में 5 अरब रुपये रखने की बात थी, 4 अरब रुपये दे दिए और कह रहे हैं कि हम बहुत कर रहे हैं।

सेल्फ एम्पलायमेंट के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। मैं आप पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहूंगा लेकिन लोग जो कहते हैं कि आपने चुनावी तौर-तरीके के ऊपर यह स्कीमें बनायी हैं, उसमें मुझे सत्यता नजर आती है। आप देखें मेरे क्षेत्र में, पंजाब नेशनल बैंक की कई शाखाओं से यह शिकायत मिली है कि लोग पैसा मांगते है, 5 हजार से 2 हजार तक माँगते हैं और यह उसके मैनेजर और अन्य लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यह धन्धा बना लिया है। यदि इसी तरह सेल्फ एम्पलायमेंट की बात में आपके बैंक फाइनेंसिंग करेंगे तो स्थिति बड़ी भयानक बनने वाली है। इससे कुछ बनने वाला नहीं है, कुछ चन्द लोगों को पैट्रोनाइज करने की बात भले ही हो सकती है कोई देश का भला इस से होने वाला नहीं है। वह पैसा किसी कांस्ट्रक्टिव काम में नहीं आयेगा।

मैं इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में एक बात खास तौर से कहना चाहूंगा। जमीन हमारे पास इतनी ही है। वैसे ही हमारे सिंचाई वगैरह के साधन गड़बड़ हैं। जितनी जमीन है उस पर इतना अति भार है कि चलना मुश्किल है। बेरोजगार और बेकार लोग जिस देश में 34 मिलियन हों और 4.7 मिलियन एजूकेटेड साइंटिस्ट्स बेकार हों, उस मुल्क के लोगों के लिए आपने यह कौन सी योजना दी है ? बेरोजगारी को खत्म करने का कौन सा प्रयास किया है। यह तो सिर्फ लोगों को भुलावे में रखने का प्रयास कर रहे हैं। लोग जो कहते हैं कि यह चुनावी बजट है तो इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों को भुलावे में रखने की बात कर रहे हैं। बेरोजगारों को काम देने की यदि योजना बनती तो कुछ उनका भला होता। आपने अपने टार्गेट्स को कभी पूरा नहीं किया।

[श्री राजेश सिंह]

कुछ लोगों ने कहा कि टेन मिलियन मोमार जाब्स फार दि सिक्सथ फाइव ईयर प्लान ।

योजना में जो उम्मीद की वह भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो नतीजा यही होगा कि बेरोजगारी बढ़ेगी, मंहगाई बढ़ेगी ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मानक व्यक्ति वर्ष (एस० जी० वाई०) अर्थात् 8 घंटे प्रति दिन कार्य और वर्ष भर में 273 कार्य दिवस के आधार पर संभावना है : 3420 लाख मानक व्यक्ति वर्ष विकास पर 4.17% आंकी की गई थी ।

1980-81	1570 लाख (एस. जी. वाई.)
1981-82	1620 लाख (एस. जी. वाई.)

इस बजट से आप देश को क्या आर्थिक दिशा दे रहे हैं ? मैं कहना चाहूंगा कि आपका ग्रामीण उद्योग धन्धों की तरफ विशेष तवज्जह देनी चाहिए और कम से कम 15 परसेंट की दर से हर वर्ष इण्डस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए कृषि के साथ-साथ, लेकिन आपने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया । पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में जो बात कही थी । उसकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । 11 मई, 1963 को नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की बैठक में उन्होंने कहा था कि मैंने यह कहकर बड़ी भूल की कि बड़े-बड़े उद्योग धन्धे लगाए जायें, मुझे काटेज इण्डस्ट्रीज-ग्रामीण उद्योग-धन्धों की बात कहनी चाहिए थी । आज भी यदि वैसी स्थिति नहीं लाई जाती है तो देश का विकास सम्भव नहीं है । किसी भी बजट का लक्ष्य योजनाओं के लिए पैसा एकत्रित करना तथा नियोजित ढंग से देश का विकास करना होता है लेकिन इस बजट में हमें कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है । इसका मतलब है कि आप जनता को धोखा दे रहे हैं और आने वाले दिनों में आप फसेंगे । आपको नियोजित ढंग से आर्थिक ढांचा तैयार करने वाला बजट लाना चाहिए जिससे लोगों का भला हो सके । आपको अपने तौर-तरीकों में परिवर्तन करना होगा, गैर-योजना खर्च में कटौती करनी होगी वरना इस देश का आर्थिक ढांचा कुछ दिनों के बाद चर्मरा जायेगा । इसलिए मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि इस देश के आर्थिक ढांचे में कृषि और उद्योग दो ही चीजें हैं और इससे कृषि के ऊपर आपको पूरी तवज्जह देनी चाहिए ।

अन्त में मैं फ्लड कन्ट्रोल कमीशन का रेफ्रेन्स अवश्य देना चाहूंगा । मैं समझता हूं आपने जरूर देखा होगा कि अभी तक आपने कितनी जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था की है और कितनी भूमि हर साल बाढ़ और सूखे से प्रभावित होती है । यदि आप इसकी तरफ तवज्वह नहीं देंगे और हिंडालकों को ही फायदा पहुंचाने की बात करते रहेंगे तो न तो लोगों को कोई राहत मिलेगी और न ही उनको कोई रोशनी दिखाई देगी । इस कृषि प्रधान देश में फर्टिलाइजर तथा एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी चीजों की जरूरत होती है उनकी तरफ खास तवज्जह देनी होगी क्योंकि इस देश के 80 प्रतिशत लोग उसी पर निर्भर करते हैं । साथ ही साथ छोटे-छोटे उद्योग धन्धे स्थापित करने का महात्मा गाधी का जो सपना था उसको भी साकार करना होगा । आज कांग्रेस के लोग कहते तो हैं लेकिन उसको अमल में नहीं लाते हैं । आज शहरों से गावों की तरफ लोगों को ले

जाना होगा न कि गावों के लोगों को शहरों की तरफ आने के लिए मजबूर किया जाए। इतना हीं कहकर मैं पूरे जोर से इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहट) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने एक बहुत हीं महत्वपूर्ण आगामी घटना का विशिष्ट रूप से जिक्र किया और उन्होंने कहा इससे सदन में सभी लोग प्रभावित होंगे। मैं देखता हूं कि वित्त विधेयक को पारित होने तथा उस घटना जिसकी उन्होंने पूर्व सूचना दी है, की बीच की अवधि मौटे तौर पर 9 महीने की होगी वे तो यह गर्भावस्था की अवधि·········

सभापति महोदय : आपका मतलब चुनावों से है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जिसका परिणिति नई सरकार अथवा नई संसद के जन्म में होगी— यह उनका पूर्वाभास है और इस बजट के द्वारा वह गर्भवती माता के लिए दाई का कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दाई का बजट है, जानबूझ कर ऐसा बनाया गया है ताकि मरीज को शांति से सुलाया जा सके। क्योंकि उसका जागना कठोर एवं कर्कश होगा और मुझे विश्वास है कि परिणाम यही होगा, फिलहाल वह उसे शांत करने की सोने की दवा देने की कोशिश कर रहे हैं सुखाभास दे रहे हैं ताकि मां उनकी पसंद के बच्चे को जन्म दे सके······

सभापति महोदय (श्री एम. एच. मोहसिन) : हम आशा करते हैं प्रसूति निर्विघ्न होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं भी यही आशा करता हूं कि प्रसूति कम से कम निर्विघ्न होनी चाहिए।

श्री सी. टी. दण्डापाणि (पोल्लाची) : कभी-कभी यह सीजेरियन भी हो जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आशा करता हूं कि इसकी समाप्ति गर्भपात में नहीं होगी।

बित्त मंत्री जी से मेरी मुख्य शिकायत यह है कि उन्होंने हमारी अर्थ व्यवस्था की मुख्य समस्याओं को पूरी तरह अनदेखा कर दिया है जिसे वे अच्छी तरह जानते हैं और मैं कहूंगा कि इस **इकानामिक सर्वे (आर्थिक सर्वेक्षण)** 1983-84 के अन्तिम अध्याय 9 के अन्तर्गत 'फ्यूचर प्रोस्पेक्टस एण्ड प्रॉबल्मस, (भावी संभावनाएं और समस्याएं) नामक शीर्षक में भली-भांति उन्हें प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप में मुझे कहना चाहिए कि उन्होंने बड़ी सावधानी से भाषा का प्रयोग किया है। परन्तु इसने सम्भावनाओं तथा समस्याओं के वास्तविक रूप को बहुत ही अच्छी तरह संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है जिसका इस अर्थ-व्यवस्था को सामना करना पड़ रहा है। और मैं कहूंगा कि मैं बजट से कम से कम अकेले एक वर्ष के बजट से अर्थ-व्यवस्था की सभी कमजोरियों को दूर करने की अपेक्षा नहीं रखता और ना ही यह मुमकिन है किन्तु मैं यह भी नहीं चाहता कि **इकनामिक सर्वे** में बतायी गयी मुख्य समस्याओं को उसमें पूर्णतया उपेक्षित कर दिया जाये। मेरे पास उद्धृत करने के लिए समय नहीं है; अन्यथा अगर आप मुझे स्वीकृति दें तो मैं 'इकानामिक

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

सर्वे' में से उद्धृत करना चाहूंगा। किन्तु मैं जानता हूं कि समय बिल्कुल भी नहीं है। किन्तु मैंने 10 मुख्य समस्याओं को संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है जो कि 'इकानामिक सर्वे' 'आर्थिक सर्वेक्षण') में दर्शायी गयी है और यह समझ में नहीं आता कि किस प्रकार कोई भी नियोजक अथवा वित्त मंत्री सदन में बजट प्रस्तुत करते समय इनकी उपेक्षा कर सकता है। ये दस समस्यायें हैं :

(1) कर अपवंचन (2) काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था (3) अप्रयुक्त कर योग्य क्षमताओं का उन्होंने उल्लेख किया, कि कृषि क्षेत्र—मेरा मतलब है कि कृषक समुदाय के धनी वर्ग अभी भी कर जाल से मुक्त हैं। (4) कम हो रहे संसाधन इकानामिक सर्वे ने इसका बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है—किस प्रकार से आय के संभावित संसाधन हर समय कम होते जा रहे हैं। (5) ऋण सेवा अनुपात बढ़ रहा है। यह प्रत्येक वर्ष निरन्तर बढ़ रहा है। (6) भारत में संरचनात्मक कमियां। मुझे बहुत ही आश्चर्य है कि उन्होंने इस प्रकार की सैकड़ों रुग्ण औद्योगिक ईकाईयों का उल्लेख नहीं किया जो कि हमारे यहां हैं। (7) एक अन्य बहुत ही चिन्ता का विषय है। यद्यपि हम सभी इस बात से प्रसन्न हैं कि हमारे तेलीय क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य हुआ है और वास्तव में यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसने अपना लक्ष्य पूरा किया है। किन्तु इकानामिक सर्वे से पता चलता है कि हमारे देश में तेल उत्पादन के कार्य में कमी आनी शुरू हो गई है। यही कार्य विकास पर था अब इसमें भी कमी आ रही है। (8) उन्होंने निर्भरता का उल्लेख किया है। रियायती ऋण पर भारी निर्भरता जो कि वह जानते हैं कि इस समय गम्भीर कठिनाइयों के दौर में है तथा कुछ व्यक्ति इस व्यावसायिक ऋणों को लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं। (9) निर्यात में बाधायें जो की अंशतः अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिति के कारण हैं किन्तु सच तो यह है कि निर्यात में बाधायें हैं।

दसवीं, सरकारी क्षेत्र में कार्यदक्षता कम है। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के बारे में कुछ बोला है और इसकी दक्षता को है, इसकी उत्पादकता को, मुनाफे को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम उनसे सहमत हैं। किन्तु उन्होंने इसे बढ़ावे का कोई तरीका नहीं सुझाया है ओर न ही कोई व्यक्ति सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में बात कर रहा है किस प्रकार से इस उद्देश्य के लिए उनका सहयोग और सहायता प्राप्त की जाये। वह इसे अच्छी तरह जानते हैं। हमने इस विषय पर कई बार वार्ताएं की हैं। परन्तु आप सरकारी क्षेत्रों के श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत क्यों नहीं करते हैं क्यों आप अर्थपूर्ण वार्ता की तैयारी नहीं करते ? सरकारी क्षेत्र की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने के लिए वे आपको बहुत से अच्छे उपाय एवं सुझाव दे सकते हैं। क्या आप इस बारे में गम्भीर हैं ? मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ यही एक तरीका है। किन्तु यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों के सहयोग एवं सक्रिय वचनबद्धता की भावना के बिना आप इन क्षेत्रों में कभी सुधार नहीं कर पायेंगे। मेरी मुख्य शिकायत यह है। यह 10 बहुत ही गहन प्रकृति की समस्यायें हैं जो की इकानामिक सर्वे के अध्याय 9 में बताई गई है, जिनको पूरी तरह छोड़ दिया गया है। उनके बजट भाषण एवं बजट प्रस्तावों में उन्होंने इन समस्याओं की गहराई में जाने का प्रयत्न नहीं किया है जैसा की मैंने पहले बताया है इसका मतलब एक तरह से लोगों को अफीम की एक खुराक दे देने के समान है ताकि वह उस महत्वपूर्ण घटना के घटित होने अर्थात् नौ

महीने तक नई संसद का जन्म होने तक खामोश एवं सोते रहें यही उनका उद्देश्य है। इसीलिए इस देश में प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि यह एक चुनावी बजट है। स्पष्ट रूप में यह एक चुनाव बजट है। किन्तु मुश्किल तब होगी जब सभी समस्यायें स्थायी हो जायेंगी तो हमें बहुत ही अधिक मुश्किल एवं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद लोगों पर और भी अधिक कड़ा बोझ डाला जायेगा जिन्हें कि चुनाव तक लागू नहीं किया जा रहा है।

महोदय, मंत्री जी ने अपने भाषण में चार बड़े दावे किये हैं। पहला दावा है कि हमने सरकारी सहायताओं को कम नहीं किया है, दूसरे हमने मजदूरी में कमी नहीं की है, तीसरे हमने योजना पर कोई समझौता नहीं किया है; चौथे, हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के कारण कर्ज जाल में नहीं फंसे हैं। हम इन कार्यों को करने नहीं जा रहे हैं। परन्तु, महोदय, दुर्भाग्यवश, हमारे पास विस्तार में जाने के लिए समय नहीं है। किन्तु यदि आप उनके दावों पर गहराई से विचार करें तो देखेंगे की वे निराधार हैं। वह कहते हैं कि हमने सरकारी सहायता में कमी नहीं की है निश्चित रूप में कुछ सरकारी सहायतायें हैं जिसे कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कम नहीं करना चाहेगा। किन्तु वास्तव में वे उन सहायताओं का जारी रखने अथवा बढ़ाना चाहते हैं उदाहरण के लिए, निर्यात पर सरकारी सहायता को ही लीजिए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष उर्वरकों पर ही जाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती नहीं चाहता है क्योंकि उनकी पूरी रणनीति यह है कि हमें कृषि पर निर्भर कृषि प्रधान देश ही बना रहना चाहिए और अपने देशीय उद्योगों के बारे में कोई अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए।

श्री ग्रार० ग्रार० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : आप इस पर आर्थिक सहायता नहीं चाहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह यह क्यों कह रहे हैं ? मैं यह नहीं कह रहा हूं। कृपया समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद वहां कमजोर वर्ग के लोगों जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली परनिर्भर माने जाते हैं के लिए भोजन हेतु आर्थिक सहायता का प्रश्न आता है। श्रीमन् इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि उनके इस दावे, कि बहुत सी राशन की दुकानें, कंट्रोल दरों की दुकानें खोल दी गयी हैं अथवा उनकी संख्या में वृद्धि कर दी गयी है, के बावजूद भी यह पता चलता है कि अनाज की मात्रा में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जा रही है, अवरुद्धता क्यों है ? कुल खरीद में अवरुद्धता क्यों है ? इसका कारण यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाने वाली सप्लाई उन मदों पर आर्थिक सहायता कम करने के लिए जानबूझ कर सीमित रखी जा रही है ।

उनके द्वारा किया गया दूसरा दावा यह था कि मजूरी नहीं काटी जा रही है। जबकि यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में तो मजदूर कम से कम अपनी मजूरी की सुरक्षा और उसमें वृद्धि कराने में समर्थ हैं—मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि वास्तविक मजदूरी के बारे में क्या हो रहा है ? यहां पर हर एक व्यक्ति ने अत्यधिक मुद्रास्फीति की बात की है, जिस पर नियंत्रण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहां पर हर एक व्यक्ति ने काले धन की अनेक बुराइयों की बात की है। अतः मेरा मुद्दा यह है कि वास्तविक मजूरी पर क्या प्रभाव होता है.? आप पायेंगे कि उन लोगों की वास्तविक मजूरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है जो निम्नतम स्तर पर हैं।

इसके बाद मंहगाई भत्ते—मजूरी पैकेट की सबसे बड़ी मद—को लीजिए—मूल्य वृद्धि की अवधि में सबसे महत्वपूर्ण बात विभिन्न मंहगाई भत्ते ही हैं। सरकार इस बारे में भी अपना कठोर रवैया दर्शा रही है। वह बहुत अच्छी तरह जानती है कि एक बड़े संघर्ष के पश्चात् सरकार अन्ततः एक समिति बनाने के लिए सहमत हुई जो इस प्रश्न पर विचार करेगी कि क्या मंहगाई भत्ता प्रति बिंदु 1.30 रु० की परिवर्तनशील दर से बढ़ाया जाना चाहिए जो वह स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि यह अपर्याप्त है और यह किस सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए और अब इस समिति में पूरी तरह से गतिरोध आ चुकी है। यह किसी सहमति वाले हल को निकालने में समर्थ नहीं है। इस अवधि में मूल्य बढ़ते रहते और वास्तविक मजूरी घटती रहती है। यहाँ किसी ने उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की चार किश्तें अभी लंबित हैं। अतः यह कहना सच नहीं है कि मजूरी में कटौती नहीं की गई है।

तीसरे, वित्त मंत्री के अनुमार योजना में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया है। पहले उन्हें हमें बताना होगा कि योजना नीति का उद्देश्य क्या है? यह केवल अंकगणित नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के लिए कितना परिव्यय आवंटित किया गया है।

4.56 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्रीमन् यदि आप मुद्रास्फीति के लिए गुन्जाइश छोड़कर आज के मूल्यों को लेते हैं, तो छठी योजना के परिव्यय के लक्ष्य 97 हजार करोड़ रुपये की बजाय 110 हजार करोड़ की बड़ी राशि, वास्तव में मूल्य स्तर को ध्यान में रखते हुए, नियोजित लक्ष्य का केवल 75 प्रतिशत के लगभग होगी।

वह केवल इतना ही नहीं है। योजना के कुछ उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है घरेलू बाजार का विस्तार। इस बारे में कोई उपाय नहीं किए गए हैं और मैं नहीं जानता हूं कि क्या उत्पाद शुल्क को घटाने से घरेलू बाजार का विस्तार होगा। वास्तव में सभा में बजट पेश किए जाने के अगले दिन मैंने पाया कि मंत्रालय के अधिकारियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि कुछ कदम उठाने के बारे में उन्हें सोचना होगा ताकि इन कम उत्पाद शुल्कों का लाभ लोगों को कम मूल्यों के रूप में मिल सके। यह स्वतः नहीं होता है। इसके विपरीत, कच्चे तेल के आयात पर सीमा-शुल्क में वृद्धि की गयी है। जिसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इस शुल्क का भार तेल-कम्पनियों पर पड़ेगा और उनसे यह आशा नहीं की जाती है कि इसका भार उपभोक्ताओं पर डालने के लिए मूल्यों में वृद्धि करेंगे और इस बारे में किसी को भी भरोसा नहीं है कि वे क्या करने जा रहे हैं। उनके ऊपर अपना क्या नियंत्रण है? कुछ नहीं। अतः इस उपाय से घरेलू बाजार में कोई विस्तार नहीं हो सकता है। इसका आशय है कि रोजगार पैदा नहीं हो सकता है। जहां तक मैं देख सकता हूं। भूमि सुधार का कार्य व्यवहार में बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है। यहां तक कि बड़े घराने के अतिक्रमण के विरुद्ध छोटी इकाइयों को कोई संरक्षण भी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इस बारे में लोक प्रशासन संस्थान की हाल ही में प्रकाशित प्रतिवेदन को उन्होंने पढ़ लिया होगा कि एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मकारी व्यापार व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनिय-

मन अधिनियम कम्पनी सहित बड़े घराने किस प्रकार लघु उद्योग क्षेत्र—जो लघु उद्योग इकाइयों के लिए सुरक्षित समझा जाता है—मैं बेनामी नामों से घुस जाते हैं या कभी-कभी बड़े घरानों की सहायक इकाइयों के रूप में लघु इकाइयों का अधिग्रहण कर लेते है। इसका वास्तविक प्रभाव यह होता है कि वह क्षेत्र, जो लघु इकाइयों के लिए सुरक्षित माना जाता है, उसमें बड़े घरानों की घुसपैठ हो जाती है।

5.00 म. प.

इसे रोकने का प्रस्ताव नहीं है। उनका अन्तिम दावा यह था कि हम किसी ऋण जाल में नहीं फंसे हैं। मैं नहीं जानता कि यह कैसे समझा जा सकता है, क्योंकि देश का कुल विदेशी ऋण जिसको डालरों में चुकाना है, 31-12-83 को 1193 मिलियन डालर था। हमने अभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण को चुकाना शुरू नहीं किया है। वह पुनर्भुगतान भी अभी शुरू होना है। विश्व बैंक के ऋण का पुनर्भुगताम शुरू हो चुकी है। विश्व बैंक के ऋण की वापसी 1984 में 286 मिलियन डालर होगी; 1986 में यह 292 मिलियन डालर तक पहुंच जायेगी। अत: मैं नहीं जानता कि यह कहने कि हम ऋण जाल में नही फंसे हैं, से उनका क्या आशय है। वास्तव में आर्थिक सर्वेक्षण ने इस बात पर गहरी चिंता प्रकट की है कि ऋण सेवा अनुपात में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है कि अन्ततः उसका प्रबन्ध नहीं किया जा सकेगा, विशेषकर जब विदेशी रियायती सहायता क्रमश: अधिक से अधिक सीमित होती चली जायेगी। अत: मैं नहीं सोचता हूं कि ये दावे प्रमाणित होने वाले हैं।

मेरे पास बस दो मुद्दे और हैं। अब इस आने वाले चुनाव के कारण, हमें एक चीज की छूट दे दी गयी है। कोयले के सिवाय अन्य आवश्यक वस्तुओं पर बजट से पहले मूल्य वृद्धि नहीं हुई जैसा कि पहले वर्षों में हुआ था। किन्तु शायद इस समय से पहले ही वह निश्चय कर चुके थे। कोयले के मूल्य में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय वह ले चुके थे। यह निर्णय पहले ही घोषित किया जा चुका था।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : 225 करोड़ रुपया श्रमिकों को देने होंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं प्रसन्न हूं कि आपने यह बात कही। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं

श्री राम प्यारे पनिका : हस्ताक्षरियों में से आप भी एक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पनिका ने केवल वह राशि मंजूर की।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। खान श्रमिक मजूरी विधेयक अनुमानतया 200 करोड़ रु० बढ़ा दिया गया और कोयले के मूल्यों में 25 से 30% तक की वृद्धि करने से सरकार के पास 500 करोड़ रु० की वृद्धि करने के नाम पर उन्हें यह बचत होगी। आप करोड़ 300रु० अतिरिक्त क्यों मांग रहे हैं? आप इसे अपनी जेब में रखेंगे। किसके नाम में? मेरा मुद्दा यह नहीं है। कोयले की खपत करने वाले प्रमुख उद्योग-स्टील, सीमेंट, विद्युत, रेलवे को या तो कोयले के इस मूल्य को स्वयं वहन करना होगा ऐसी

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

दशा में वे भारी घाटा दिखायेंगे अथवा उन्हें इसको उपभोक्ताओं के सिर पर डालना होगा। और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। इस नीति पर निर्णय करने से पहले आप ने कोयले के मूल्य में वृद्धि कर दी। अब ये प्रभावित उद्योग इसके बारे में आपसे आंतरिक रूप से शिकायत कर सकते हैं। मैं नहीं जानता, किन्तु वे बाहर इसके बारे में अधिक शोर मचाने में समर्थ नहीं हैं। किन्तु या तो यह मूल्य वृद्धि उन्हें स्वयं वहन करनी होगी, जिसका आशय है कि वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम होने के नाते इस बीच भारी घाटा दिखायेंगे अथवा उन्हें वह मूल्य-वृद्धि उपभोक्ता पर थोपनी होगी। जिससे फिर से मुद्राफीति और मूल्य वृद्धि होगी।

श्रीमान् मैं भारतीय रिजर्व बैंक का वर्ष 1982-83 का प्रविवेदन देख रहा था। मुझे कुछ बातों का उल्लेख करने दीजिए। उस प्रतिवेदन के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय की विकास दर पिछले वर्ष की तुलना में 60% कम है। यह मेरा दावा नहीं है। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक ने कही है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि 1982-83 में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर केवल 35% थी जबकि पिछले वर्ष यह 7.3% थी उन्होंने संकेत किया है कि अनाज का रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद भी अनाज के मूल्यों में कोई गिरावट नहीं आई थी। क्या यह सब गंभीर रुणता के लक्षण नहीं हैं? वह इससे बिल्कुल भी नहीं निपट रहे हैं। उन्होंने कुछ रियायतें दी हैं। जहां तक जन उपभोग की वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क कम करने सम्बन्धी रियायतों का सम्बन्ध है। मैंने पहले ही संकेत किया है कि पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे क्या उपभोक्ता को वास्तव में लाभ होगा विभिन्न प्रकार के कपड़ों सम्मिश्रित कपड़ा, पालिएस्टर मिश्रित सूती कपड़ों तथा अन्य बहुत से कपड़ों पर बहुत सी रियायतें दी गयी हैं।

मैं आशा करता हूं कि इसी के अनुरूप मूल्यों में गिरावट आयेगी और यह एक ऐसा उद्योग —कपड़ा उद्योग—है जो आज वही ताला-बंदी से बुरी तरह से प्रभावित है। कपड़ा मिलों के मालिक अब इस उद्योग में रुचि नहीं ले रहे हैं। वे इसमें से पैसा निकाल कर अयन्त्र स्थानों पर उसका निवेश कर रहे हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन रियायतों से उपभोक्ता को भी लाभ होगा और यह बात देखने की होगी। मुझे इसमें गहरा संदेह है कि इस प्रकार की कोई बात होगी।

अब, सभी आय खंडों—उच्चतम खंड तक भी—के लिए आय कर में रियायतें दी गयी हैं। यह बात मैं नहीं समझ सकता हूं। निसन्देह आने वाले चुनाव को ध्यान में देखते हुए इसे समझा जा सकता है। अन्यथा, यह बात कोई नहीं समझ सकता हैं। मैंने वित्त मंत्री से भी तर्क किया था और बजट से पहले इस बारे में कुछ वर्गों के साथ उनके वार्ताओं के कई दौर भी चले थे कि मुख्य बात कर-अपवंचन पर नियंत्रण करता है। मुख्य परेशानी कर अपवंचन की है। जिससे न केवल-काला धन पैदा होता है अपितु देश करके हजारों करोड़ रु० के राजस्व का भी नुकसान होता है। इस पर विचार कीजिए। उन्होंने क्या किया है? मैं कहता हूं कि आप आयकर के सम्बन्ध में नियत मजूरी, नियत वेतन में से कर-राशि काट कर ली जाती है, को आप उन लोगों के बराबर नहीं रख सकते हैं जिनकी कोई नियत आय नहीं है किन्तु उनकी आय कर योग्य होती है यानी

लाखों—लाख रुपयों में होती है, जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है, उनके प्रकटीकरण के सम्बन्ध में उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता हैं, उनका कर नहीं काटा जा सकता है। अब आप उन सभी लोगों को एक ही बात पर रखना चाहते हैं अर्थात् यदि कम आय वर्ग वाले लोगों, जिनका नियत वेतन है को राहत दी जाती है, जो दी भी जानी चाहिए, मैं प्रसन्न हूं कि कम से कम उन्हें 5% की राहत दी गयी है, यह उन सभी लोगों को भी दी गयी हैं। जो 50,000 रुपये और उससे भी अधिक पा रहे हैं तथा हर एक को राहत दी गयी है।

क्यों ? किस लिए ? और यही लोग हैं जो हमेशा कर-अपवंचन करते हैं।

अब निजी क्षेत्र के लिए राज्य ऋणों पर कम ब्याज रखा गया है। संपरिवर्तीयता को कम किया गया है न केवल कम किया गया है बल्कि संपरिवर्तीयता खण्ड में भी भेदभाव हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक और छूट दी जा सकती थी। वह है मंहगाई भत्ते पर आयकर। इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एक नया विचार है जो कि उनको पता नहीं लगा। बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : वह मंगाई भत्ते पर भी आयकर वसूल कर रहे हैं।

इन्द्रजीत गुप्त : इस तरह गैर—एम०आर०टी०पी० कम्पनियों के मामले में संपरिवतीयता सीमा 26% रखी गई है। एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के मामले में यह सीमा 40% है। निश्चय ही बढ़े औद्योगिक घरानों ने इसका स्वागत किया है। वे एम. आर. टी. पी. कम्पनियों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब वे बहुत खुश हैं। अब गैर-एम. आर. टी पी. कम्पनियों के बारे में थोड़ी सी शिकायत की जा रही है। उन्होंने कहा है कि प्रबधकों के वेतन 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिये गए हैं। ये वृद्धि, कम्पनी विधि विभाग द्वारा दिए गए निदेशों के तरह बढ़ाये गए वेतन के अलावा है। वे निदेश क्या हैं ? क्या आप हमें उन कार्यकारी आदेशों, परिपत्रों के बारे में बतायेंगे जिनके तक्ष्य ये वृद्धियां की गई हैं ? लेकिन मेरा विश्वास है कि बड़े औद्योगिक घरानों में बड़े प्रबंधकों और अधिकारियों के प्रबन्ध वेतन में काफी भारी वृद्धि की गई है, इसके अतिरिक्त आपने इस सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया है।

श्रीमन् यहां सभी ने काले धन की बात की है। एक अनुमान के अनुसार, इस समय, यह हमारी अर्थव्यवस्था में अब यह शायद लगभग 60,000 करोड़ रुपये है अब सारी समस्या यह है कि, आजकल बजट प्रक्रिया प्रतिवर्ष की जाती है जो कि सफेद धन, जो कि अर्थव्यवस्था का एक भाग ही है, को ही लेती है। अर्थव्यवस्था दो भागों में विभाजित है—सफेद धन वाला भाग और काले धन वाला भाग। बजट काले धन वाले भाग जो कि सफेद धन की अर्थव्वस्था कम से कम आधा या इससे अधिक है, के बारे में कुछ नहीं करता है। विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय विशेषज्ञों के हिसाब से भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 50% मूल्य का काला धन है। आप इस

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

समस्या को कैसे सुलझाने जा रहे हैं। कुछ समय पहले इससे निपटने के लिए तथाकथित धारक दण्डों को शुरू किया था अब उन्होंने राष्ट्रीय जमा योजना चालू की है। मैं नहीं जानता कि क्या इससे वह काला धन समाप्त कर पायेंगे। यह तो पिस्सू के काटने के समान है, और इसका समांतर चल रही अर्थव्यवस्था के व्यापक और फैल रहे क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

इसके अलावा आयकर की दरों में 5% की कमी से विशेष लाभ नहीं होगा। केवल स्रोत पर आयकर देने वाले ही इसके अन्तगर्त आयेंगे। जहां तक अन्य लोगों का सम्बन्ध है, पांच प्रतिशत की छूट से कोई अच्छे परिणाम सामने नहीं आने वाले, क्योंकि वे तो पेशे से ही कर अवंचक बन गये हैं। और दुर्भाग्यवश आपका कर-प्रशासन, देश में इतना शिथिल है इतना गलत संगठित है, इतना भ्रष्ट है कि इन लोगों को पकड़ने की कोई सम्भावना ही नहीं है।

मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा प्रदर्शित किया गया है कि यह सत्वना वाला बजट जैसा कि दाई देश को भरोसा दिलाना चाहती है कि बच्चा आसानी से होगा जो कि उनसे मिलता-जुलता होगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं हैं। लोगों को इन बातों से बहलाया नहीं जा सकता।

सररकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की किश्त जो कि एक हजार करोड़ रु० की थी, न लेने के पीछे का वास्तविक कारण हैं। जो भी कारण हों इससे छुटकारा पाने पर मैंने इस कार्य के लिए उन्हें बधाई दी थी। इसके कारण हैं तेल की स्थिति में सुधार, इसमें कोई शक नहीं है कि तेल आयात खर्च में लगातार कमी आ रही है। दूसरे, यह सत्य है कि अनिवासी भारतीय उनकी सहायता के लिए आगे आये। इसमें कोई शक नहीं है। सितम्बर, 1983 तब अनिवासी भारतीयों ने बैंकों में विशेष खातों में 2320.70 करोड़ रुपये जमा कराये हैं। ये राशि अनिवासी भारतीयों से प्राप्त हुई है, इसमें से एक बड़े भाग पर हो-हल्ला मचाया जा रहा है, वह है अनिवासी भारतीयों द्वारा पत्राधान (पोर्टफोलियो) निवेश; यानि कि स्वराज पाल, एक्कोर्टस् डी. सी. एम. आदि। यही भाग पत्राधान निवेश द्वारा प्राप्त हुआ था। लेकिन इसके अलावा, देश में बैंकों के विशेष खातों में 2320 करोड़ रुपये जमा किये गये हैं। उसी की वजह से वह यह कर सके और कह सके कि उन्हें अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की अन्तिम किश्त की आवश्यकता नहीं है।

अन्त में, हमें बताया जाना चाहिए कि आयकर और उत्पाद शुल्क में कटौती से राज्यों पर कितना असर पड़ने वाला है। जहाँ तक विभाज्य पूल का सम्बन्ध है। राज्य के अशंदान में भी कमी आयेगी, जबकि उन्होंने राज्यों के ऊपर और दबाव डाला है। यह मांग की गई थी कि वे अधिक योजना परिव्यय के लिए योजना बनायें और साथ ही साथ वे ज्यादा स्रोतों को पैदा करें और वित्तीय अनुशासन का पालन करें। लेकिन इसके साथ ही विभाज्य पूल जिसमें से उन्हें हिस्सा मिलता था आयकर और उत्पादन शुल्क में कटौती के कारण, उसमें कमी की गई है।

मैं जांच के लिए एक बात कहना चाहता हूं। राज्य/सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 442 के उत्तर में कहा गया था कि गरीबी रेखा से नीचे करीब 293.9 मिलियन लोग, यानि कुल जनसंख्या का 42.2% लोग हैं। उसी राज्य-सभा में, अतारांकित प्रश्न संख्या 450 के उत्तर में यह संख्या 263·9 मिलियन न होकर 301.6 मिलियन बताई गई है और 46.2 प्रतिशत न होकर 48.2 प्रति-

शत बताया गया है। कम से कम संसद को मालूम होना चाहिए कि इनमें से कौन से आंकड़े सही हैं। अभी हाल ही में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया गया था और हमारा इस प्रकार का सांख्यिकीय संगठन है। मैं केवल इसलिए इन्हें उद्धृत कर रहा हूं, कि पता लग सके कि सरकारी आंकड़ों पर कितना विश्वास किया जा सकता है।

हम नहीं जानते कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। जहां तक बड़े औद्योगिक घरानों का संबंध है, कई प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया है कि एम० आर० टी० पी० कम्पनियों की परिसम्पत्तियों में वृद्धि हुई है—1980 में यह 14,409 करोड़ रु० थी, 1981 में 17,443 करोड़ रुपये हो गई और 1982 में यह बढ़कर 21,688 करोड़ रु० हो गई। इस तरीके से हम आय में असमानता दूर करने जा रहे हैं; हालांकि हमारे संविधान के निदेशक सिद्धांतों में कहा गया है कि कुछ हाथों में आर्थिक सत्ता को अवश्य रोका जाना चाहिए। लेकिन यह सब हो रहा है: बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया हो रही है।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि बजट पेश होने में छह सप्ताह पहले एक सरकारी आदेश था, जैसा कि आपको भी याद होगा कि—योजना परिव्यय में 5 प्रतिशत की कटौती और गैर-योजना परिव्यय में 6 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। ऐसा क्यों किया गया? स्पष्ट है क्योंकि वे घाटे को कम करना चाहते थे। उन्होंने दावा किया था कि योजना परिव्यय में 1,000 करोड़ रुपये और गैर-योजना परिव्यय में 500 करोड़ रुपये की बचत की है, और इस प्रकार कुछ हद तक बजट घाटे को कम किया है। लेकिन इस कटौती से होने वाले अन्य प्रभावों को नहीं बताया गया है अर्थात् उनसे क्या असर पड़ेगा।

उन्होंने अपने बजट भाषण, पृष्ठ 26 में कर अपवंचन के बारे में कुछ उपायों का जिक्र किया है: उन्हें वहां अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया गया है: नकली अनुसंधान संस्थायें और धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट और संस्थायें, निजी ट्रस्ट जो कि व्यापार करते हैं और निगमित निकायों का कल्याण कोष। उन्होंने इन सभी उपायों का जिक्र किया है, जिनसे कर-अपवंचन होता है; लेकिन कर-अपवंचन को रोकने के लिए उन्होंने वास्तव में कोई उपाय नहीं सुझाये हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि कर दर में वृद्धि की जाएगी अधिकतम संभव दर लगाई जायेगी। अधिक दर लगाई जाएगी; लेकिन पहली बार ही उन्हें कैसे पकड़ेंगे; आप इनको कैसे रोकने जा रहे हैं; आप इनको कैसे दण्ड देंगे? इन सबके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

हाल ही में, बजट से कुछ सप्ताह पहले, उन्होंने देश के कई एक भागों में भाषण दिए जो समाचार-पत्रों में भी छपे हैं, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में अपवंचन के बारे में शिकायत की थी। यह सबको मालूम है। यह अपवंचन प्रतिवर्ष करीब 7,000 करोड़ रुपए का है। उन्होंने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि यहां तक कि बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा भी उत्पाद शुल्क की अदायगी न किये जाने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। इसलिए कर-अपवंचनों को जीवित रखने के लिए इस देश के लोग कर क्यों अदा करें? इस देश के लोगों को यह भार वहन करने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है, क्योंकि सरकार इन बड़ी शार्क मछलियों, बड़े एकाधिकार घरानों, बड़े कर-अपवंचकों से बकाया राशि वसूल नहीं कर पाती? वे कर-अपवंचन

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

करके मजा उड़ाते रहेंगे और लोगों से कहा जायेगा कि वे ज्यादा भार सहें और ज्यादा कर अदा करें। हम किसी भी हालत में बजट की यह विचारधारा स्वीकार नहीं कर सकते।

अन्त में, क्योंकि आपकी प्राप्तियां अनुमान से कहीं ज्यादा हुई हैं अर्थात् सभी प्रकार की विभिन्न बचत योजनाओं से, अनुमान से कहीं अधिक आपकी प्राप्तियाँ हुई हैं, फिर भी आप अब इस अनिवार्य जमा योजना को क्यों जारी रखना चाहते हैं? अब समय आ गया है, जब आप इसको समाप्त कर दें, क्योंकि जमा योजनाओं से आपको अनुमान से कहीं अधिक प्राप्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसलिए, कृपया इन साधारण, मध्यम श्रेणी के वेतन भोगी लोगों को मुश्किलों का सामना करने से रोकें—कई बार इन लोगों को अपनी अनिवार्य जमा योजना (सी० डी० एस०) की राशि जमा कराने के लिए उधार लेना पड़ता है। शायद वह इस बात को नहीं जानते। उन्होंने कई वर्षों तक यह भार उठाया है। आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, यदि आप उन्हें इस बोझ अर्थात अनिवार्य जमा योजना से मुक्त कर दें तो यह बहुत अच्छी बात होगी। यदि मंत्री महोदय ऐसा करते हैं तो निश्चय ही मैं उन्हें बधाई दूंगा।

अभी मैं अपने मित्र श्री सतीश अग्रवाल की भांति राजनयिक के समान रचनात्मक और नष्पक्ष भाषण नहीं दे सकता; वे वित्त मंत्रालय में रह चुके हैं और उन्हें अनुभव है वह यह काम कर सकते हैं। मैं विपक्षी दल के, दल का नेता हूं; और इसलिए मैं यह समझ नहीं पा रहा कि इस बजट का समर्थन कैसे किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री पुजारी अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे इससे पहले कि वह आरम्भ करें, मैं कहूंगा कि इस चर्चा के लिए 15 घंटे की मंजूरी दी गई हैं। हमने चर्चा में केवल 6-7 घंटे समाप्त किए हैं। 8 घंटे अभी भी शेष हैं अतः संसदीय कार्य मंत्री ने भी यह सुझाव दिया है, जैसा कि कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा निर्णय किया गया है, कई सदस्य बोलने के लिए इंतजार कर रहे हैंही। उनसे इतना अनुरोध है कि स्वयं बोलने के बाद उन्हें चला नहीं जाना चाहिए।

हम 6 बजे के बाद समय बढ़ायेंगे (**व्यवधान**) 15 घंटे के अंदर ही, हमें इसे पूरा करना है। कई सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि कल वे कहीं जा रहे हैं। अतः हम समय आगे बढ़ाने जा रहे हैं और यह पूरा समय होगा, तथा जो सदस्य बोलना चाहते हैं, उन्हें इन्तजार करना चाहिए; उन सबको बुलाया जा सकता है। अब श्री पुजारी बोलेंगे।

श्री नवल किशोर शर्मा : (दौसा) : उन सदस्यों के बारे में क्या विचार है जो बोलना नहीं चाहते? क्या वे जा सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह आप पर निर्भर है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य प्रतिदिन समाचार-पत्र पढ़ता है। मैं आपको जाने की अनुमति नहीं देना चाहता।

श्री राम प्यारे पनिक (राबर्टसगंज): यदि आप मुझे आश्वासन दें कि आप मुझे बोलने के लिए बुलायेंगे तो मैं यहां बैठने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पक्ष या विपक्ष के जो भी सदस्य बोलना चाहते है, मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा बशर्ते कि यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। मैं बैठने के लिए तैयार हूं लेकिन आप सब को भी यहाँ बैठने के लिए तैयार रहना होगा। आपको अधिक संख्या में उपस्थित रहना चाहिए। मैं कम सदस्यों से सभा का संचालन नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सत्तारुढ़ दल की ओर से हमें विपक्ष से यह आशा नहीं थी कि वे 1984-85 के बजट की सराहना करेंगे। यह कहा गया है कि बजट चुनाव के उद्देश्य से बनाया गया है; यह भी कहा गया है कि कपटपूर्ण बजट है, यह भी कहा गया है कि यह बजट अस्थिर मनोदशा में बनाया गया है।

सदन में अभी कहा यह भी कहा गया है हम अगले 9 महीनों तक इन्तजार करेंगे और फिर नव संसाररूपी शिशु का जन्म होगा। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह बालक हो सकता है अथवा कुछ और भी।

मैं महसूस करता हूं कि यदि ब्रह्मा भी यहां आकर बजट प्रस्तुत करें तो मैं नहीं समझता कि हम विपक्षी दल के सदस्यों को संतुष्ट कर सकते हैं। यहां तक की 9 महीने के बाद भी हमें पता लगाना होगा कि क्या ब्रह्मा.........

उपाध्यक्ष महोदय : धन की देवी लक्ष्मी है।

श्री जनार्दन पुजारी : लेकिन स्रष्टा ब्रह्मा है। यह कहा गया है कि यदि हम 9 माह इन्तजार करें तो क्या हमें अच्छा बालक मिलेगा या बुरा या कुछ और। हम नहीं बता सकते कि विपक्षी सदस्य उसकी भी आलोचना ही करेंगे।

हमें देखना यह है कि इस देश के माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद विपक्षी दलों की क्या धारणा हैं। यदि ब्रह्मा भी यहां आ जाते हैं और 9 माह बाद एक अच्छी सन्तान देने का प्रयत्न करते हैं तो विपक्षी सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : हमें बच्चे की चिंता है, वह लड़का होगा या लड़की।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन्तजार कीजिए मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्री जनार्दन पुजारी : संसद में बजट प्रस्तुत किए जाने के तुरन्त बाद आम आदमी की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई ? सभी लोग संतुष्ट थे। आम आदमी के चेहरे पर खुशी और मुस्कान थी।

श्री राम प्यारे पनिक : विपक्षी नेताओं को छोड़कर।

श्री जनार्दन पुजारी : बजट पेश किए जाने के तुरन्त बाद मैंने विपक्षी सदस्यों की प्रतिक्रिया देखी थी। हमारे दल के सदस्यों के साथ कुछ विपक्षी सदस्य भी दूरदर्शन पर उपस्थित थे। वे बजट पेश किए जाने के तुरन्त बाद से इसकी आलोचना करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब उस रात वे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में आये, वे भी आलोचना करने की स्थिति में नहीं थे, जैसा कि माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि वे विपक्षी दल के सदस्य हैं। उन्होंने

कहा कि आलोचना करना उनका कर्त्तव्य है और हर कीमत पर उन्हें आलोचना करनी ही चहिए। उन्हें समर्थन नहीं करना होगा, और वे आलोचना कर रहे हैं।

अब हमें अपनी संसाधनों संबंधी बाधाओं पर ध्यान देना हैं। हर दल के, पक्ष के सभी सदस्यों ने सदन के समक्ष अपनी मांगें रखी हैं और हमारे सामने देश की जनता की मांगे हैं। प्रश्न है कि क्या इन परिस्थितियों में हम सब लोगों को संतुष्ट करने की स्थिति में हैं तथा क्या इस देश के वित्त मंत्री ने राष्ट्र के समक्ष संतुलित बजट पेश किया है।

मैं कहता हूं यह बजट रचनात्मक तथा कल्पनात्मक है। यह बजट एक राजनीतिज्ञ द्वारा ही नहीं अपितु इस देश के प्रबुद्ध अर्थशास्त्री द्वारा पेश किया गया है। हमें इस यथार्थ को समझना है यहां यह नहीं समझा जाए कि मैं एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित मित्र की प्रशंसा कर रहा हूं। ऐसा विचार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

यदि हम वास्तविकता जानना चाहते हैं तो यह देखना होगा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया है ? उन्होंने कहा कि यह बजट चुनाव के उद्देश्य से बनाया गया है, यह चुनाव बजट है। उनका यह कहना है लेकिन उनके तर्क क्या हैं ? इस तर्क का आधार क्या है ? जब वे बजट का विश्लेषण करते हैं, तो वे देखते हैं कि समाज के सभी वर्गों से संबंधित लोगों को कुछ राहत मिली है इसी कारण वे कहते हैं कि यह लोकप्रिय बजट है, क्योंकि यह चुनाव वर्ष है इसी कारण समाज के सभी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं हैं, उनका यही तर्क है।

अब हमें अपनी ओर से देखना है। जहां तक सरकार का, हमारी नीति का सम्बन्ध है। हमें बहुत खुशी है क्योंकि वित्त मंत्री समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने वाला लोकप्रिय बजट प्रस्तुत करने में समर्थ हुए हैं और यह कहा गया है कि इसकी एक दिशा है, जो कि स्थायी अर्थ-व्यवस्था की ओर अग्रसर करने वाली है बजट के संबंध में मेरा यही निवेदन है। जहां तक अन्य मुद्दों का सम्बन्ध है मेरे माननीय मित्र उनका उत्तर देंगे।

मैं बैंकिंग क्षेत्र तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की देख-रेख कर रहा हूं। इस बारे में बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं, मैं अपने आपको केवल उन तक ही सीमित रखूंगा। मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा।

बैंकिग क्षेत्र के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है यह कहा गया है कि इसकी सेवा में गिरावट आई है तथा हम समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं है। ये शिकायतें की गई हैं। यह भी कहा गया है कि हमें सरकारी उद्यमों के कार्यकरण में सुधार लाना होगा। सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में बोलते हुए, आगे यह कहा गया हैं कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है तथा प्रशासन प्रभावशाली नहीं है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने ये तर्क दिए हैं। पक्ष के कुछ सदस्यों ने भी हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

बैंकिग क्षेत्र के संबंध में, राष्ट्रीयकरण से पूर्व समूचे देश में 8,262 शाखाएं थीं। जबकि आज समूचे देश में 42,738 शाखाएं हैं। प्रश्न है कि क्या हमने ग्रामीण जनता की सहायता के

लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ किया है, क्या हमने ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की सहायता के लिए कुछ किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना विस्तार हुआ है ? 1969 से पहले केवल 1,832 शाखाएं थी, अर्थात कुल शाखाओं का 22.2 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थी।

जैसे कि मैंने कहा है सारे देश में बैंकों की 42.738 शाखाए हं। उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 23,216 शाखाएं हैं, अर्थात् 54.3%। जनसंख्या को बैंकों के अन्तर्गत कैसे लाया गया ? यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। राष्ट्रीयकरण से पहले 65,000 की जनसंख्या के लिए एक शाखा थी। आज 17,000 की जनसंख्या के लिए एक शाखा है। इसका प्रमाण कि क्या बैंकों का विस्तार हुआ है या बैंकिंग क्षेत्र में कोई सुधार हुआ है, यह है कि राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकों में जमा राशि 4646 करोड़ रुपये थी तथा 24 फरवरी, 1984 को जमा राशि 60,148 करोड़ रुपए है। 24 फरवरी, 1984 को अग्रिम राशि प्रतिशत 39,548 करोड़ रुपये पहुंच गई है। बैंकिंग क्षेत्र में यह विस्तार हुआ है। इसमें शानदार विस्तार हुआ है। अब, इसमें कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं। मैं इससे इन्कार नहीं करता। ये त्रुटियां हैं क्योंकि विस्तार तीव्र गति से हुआ है। बैंकिग क्षेत्र में लगभग छः लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि बैंकों में कार्य-दक्षता नहीं है तो मैं उनसे सहमत हूं। ऐसी शिकायतें हैं कि इस क्षेत्र में कुछ भ्रष्टाचार भी है। हमें इसे दूर करना है। हमें कैसे कार्य करना है ? यह ऐसा मुद्दा है जिस पर माननीय सदस्यों को विचार करना है। विपक्षी सदस्य आलोचना करते हैं तथा बैंकिंग क्षेत्र के कार्यकरण में त्रुटियां ढूंढते हैं। सरकार का क्या कर्तव्य है ? क्या हमें बैंकिंग क्षेत्र में कार्य-दक्षता नहीं लानी चाहिए। लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत, आप 20-सूत्रीय कार्यक्रम की आलोचना कर रहे हैं। 20-सूत्रीय कार्यक्रम का 20वां सूत्र सरकारी उद्यमों से दक्षता लाना है। हमने इसे काफी महत्व दिया है। सरकार की यह मन्शा है। तभी तो इसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। हमें इसे पूरा करना है। हमारी इसलिए भी आलोचना की गई है कि इसमें कुछ त्रुटि है। उस दिन यह बात कही गई थी। आज भी श्री मुलतान सिंह तथा तमिलनाडु के एक माननीय सदस्य ने हमारे सामुहिक ऋण उत्सवों की आलोचना की है। जब आप यह कहते हैं इसमें कुछ त्रुटि है, कि लाभ कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंच रहे हैं और इसमें कुछ भ्रष्टाचार है तो सरकार का क्या फर्ज बनता है। हमें यह देखना हैं कि लाभ कमजोर वर्गों तक पहुंचे। ये कार्यक्रम कौन-कौन से हैं। हमारे पास एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) तथा अन्य कार्यक्रम हैं। वे कमजोर वर्गों के लिए हैं। विपक्षी सदस्य हमें यह लिखते रहते हैं कि कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है तथा इनके लाभ कमजोर वर्गों को नहीं मिल रहा है तथा इसमें कुछ भ्रष्टाचार है। तब हमें क्या करना चाहिए ? हमें कार्य-दक्षता लानी है। हमें उपचारी कदम उठाने हैं। हम किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। हमें किसके लिए लड़ना है ? अपने उद्देश्य के लिए नहीं। हमें किसके विरुद्ध लड़ना है ? सभी कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं, बल्कि उनके विरुद्ध जो प्रशासन में कुल-कलंक है। जैसे कि श्री सतीश अग्रवाल ने अभी-अभी कहा है, हमें इन लोगों को पहचानना होगा। हमें ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना होगा। हमें इसमें सुधार करना होगा। हमें उपचारी कदम उठाने होंगे। इस उद्देश्य से हम यह कर रहे हैं। मैंने स्वयं यह देखा है मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया था और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के भला उन तक नहीं पहुंच रहा है। बीच में बिचौलिए हैं। इतना ही नहीं, वे हमें यह भी

[श्री जनार्दन पुजारी]

बताते रहे हैं कि कमजोर वर्गों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है, वह भी उन तक नहीं पहुंच रही हैं। ये हैं शिकायतें। आप भी कार्यक्रमों को नहीं जानते, समाचार पत्र भी कार्यक्रमों को नहीं जानते तथा हम, इस सदन के माननीय सदस्य भी कार्यक्रमों को नहीं जानते हैं। इनका कोई प्रचार नहीं है। इसका प्रचार बढ़ाया जाना चाहिए तथा हमें लोगों को यह बताना है कि ये कार्यक्रम क्या हैं। यह सरकार का कर्त्तव्य है। इसलिए, हम लोगों को इन सामूहिक ऋण समारोहों का आयोजन करके आपके सामने, जनता के सामने ला रहे हैं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि ये लाभभोगियों तक पहुंच रहे हैं या नहीं। लाभभोगी आपके सामने हैं तथा आप अपनी आंखों से यह देख सकते हैं कि ये लाभ कमजोर वर्गों तक पहुंच रहे हैं या नहीं। यदि इसमें कोई त्रुटि है तो आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं ताकि हम उपचारी कदम उठा सकें यदि आप विपक्षी दल या समाचार-पत्र की कमियां ढूंढने में रुचि रखते हैं तो लाभभोगी आपके सामने हैं क्योंकि यह कहा गया है कि यह पता नहीं चल रहा है कि लाभ सही लोगों को मिल रहे हैं या नहीं, तभी तो हम लाभभोगियों को आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम न केवल लाभभोगियों को जानकारी दे रहे हैं बल्कि हम उनकी निगरानी कर रहे हैं तथा उनको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं हम उन्हें बता रहे हैं कि उनके लिए यह आर्थिक सहायता है, यह उन तक पहुंचनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, किसी बिचौलिए को नहीं। हमें बिचौलियों से बचाना है। यह हमारा इरादा है तथा हम लोगों को भी इसे समझा रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के ये दिशा-निर्देश हैं। रिजर्व बैंक का दिशा निर्देश यह है कि कमजोर वर्गों के लिए 5000/ रुपये तक के ऋण के लिए प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शिकायत यह है कि इस दिशानिर्देश का उल्लंघन किया जा रहा है अब हमें क्या करना चाहिए ? हमें कार्यान्वित करना चाहिए या नहीं ? क्या हमें यह दिशानिर्देश लागू करना चाहिए या नहीं ? उत्पादनकारी कार्यों के लिए 5000/रुपए तक के लिए किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है तथा हम इस दिशा निर्देश को पूरी तरह कार्यान्वित करने में सफल नहीं हो पाए हैं। अतएव, हमने यह किया है कि हम लोगों को समझा रहे हैं और हम उन्हें बता रहे हैं कि यह सरकारी कार्यक्रम है और आप लोगों को इस बारे में शिक्षित किया जाना है तथा आपको 5000 रुपए तक के लिए प्रतिभूति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यह भी देखना चाहिए कि उसका उल्लंघन न हो। और जब सारी चीजें की जा रही हैं तो राज नेता क्या कह रहे हैं। कुछ दिन पहले राज्य-सभा में मैंने यह सुना था तथा यहां भी मैं सुनता आ रहा हूं कि यह राजनीतिक हस्तक्षेप है। जब हम कुछ करते हैं तो यह कहा जाता है कि यह राजनीतिक हस्तक्षेप है। यदि हम उपचारी कदम न उठाएं तो हम क्या करें ? केवल इसी उद्देश्य के लिए हम यह करते आ रहे हैं। दुर्भाग्यवश, यह कहा जाता है कि यह एक राजनीतिक दल के लिए किया जा रहा है उस दिन भी मैंने यह कहा था कि यह राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपना आवेदन पत्र भेज सकता है। अब एक निश्चित राशि दी जा रही है। हमें इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है।

आई० आर० डी० पी० के बारे में हम मान चुके हैं कि हम वर्ष 1980-81 में इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित 604 करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हम केवल 289 करोड़ रुपए ही दे पाए हैं। वर्ष 1981-82 में हम 600 करोड़ रुपए में से 467 करोड़ रुपए दे

पाए हैं। हुआ क्या ? 1982 में कार्य भार सम्भालने के बाद हमारे वित्त मंत्री ने मेरा मार्गदर्शन किया तथा मैंने भी प्रशासन को बताया तथा परिणाम यह हुआ कि वर्ष 1982-83 में एक वर्ष के भीतर हम 714 करोड़ रुपए देने में सफल हुए हैं। क्या यह उपलब्धि नहीं है ? क्या हम यह नहीं कह सकते कि हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ? हमने लक्ष्य पूरा कर लिया है। हमने कार्यकुशलता बढ़ाई है। वर्ष 1980 में हमने ओवरटाइम के रूप में 36 करोड़ रुपए का भुगतान किया। हमने इसे पूरी तरह बन्द नहीं किया। कदाचार की शिकायतें मिली थी, लेकिन हमने इसे पूरी तरह बन्द नहीं किया; हमने इसे कम कर दिया। परिणाम क्या है ? 1980 में 36 करोड़ से इस वर्ष हम इसे कम करके 10 करोड़ तक ले आए हैं, यह कमी दो वर्ष के भीतर की गई है। क्या यह कार्य-कुशलता नहीं है। क्या हम नहीं कह सकते कि यह कार्य-कुशलता है ?

आज एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या बैंकिंग क्षेत्र को कोई हानि हुई है। कोई हानि नहीं हुई है। इसके विपरीत लाभ बढ़ता जा रहा है। गत वर्ष 1982 में हम 77.86 करोड़ रुपए का लाभ कमा पाए थे। जीवन बीमा निगम क्षेत्र में 31-3-83 को समाप्त दो वर्षों में हमने 789 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जहां कि सरकार की हिस्सेदारी 39 करोड़ रुपए है सामान्य बीमा तथा उसकी नियंत्रित कम्पनियों में, जिनका नियंत्रण भी वित्त मंत्रालय के अधीन है, हमने 190 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है, जहां आयकर घटकर 103 करोड़ रुपए हैं। सामान्य बीमा ने अपने इतिहास में कभी इतना लाभ नहीं कमाया है।

इसलिए, यदि हम कार्य-कुशलता लाना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रचानात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है लेकिन जब हम कार्यवाही करते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि कोई भी कार्यवाही को पसन्द नहीं करता। जब हम कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए कुछ अप्रिय कदम उठाते हैं तो सभी दिशाओं से हम पर आक्रमण किया जाता है। यह हमारी नियति है। हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि बैंकिंग क्षेत्र में तथा बीमा क्षेत्र में एक लड़ाकू यूनियन है। यदि हम किफायत करना चाहें या कार्य-कुशलता बढ़ाना चाहें तो इसे कोई भी पसन्द नहीं करेगा। दरअसल, कुछ राजनेता असंतोष का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं जब भी हम कोई छोटी-मोटी कार्यवाही करते हैं तो यह समस्या सदैव हमारे सामने आती है। बैंकिंग क्षेत्र में हम एक व्यक्ति को एक सीट से दूसरी सीट पर स्थानांतरित नहीं कर सकते। मद्रास में एक बैंक में अतिरिक्त कर्मचारी थे। हमने उन्हें दूसरी शाखा में स्थानांतरित कर दिया। जो लगभग 100 गज के फासले पर है केवल तीन भवन छोड़कर। जब उन्हें स्थानाँतरित किया गया तो सारे दक्षिण भारत में स्थानांतरिण के विरोध में हड़ताल हो गई। हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कुछ राजनेता तथा अन्य व्यक्ति भी उन्हें उत्साहित करते हैं।

यदि हम ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करेंगे तो इसका राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा। इसे उत्साहित करने से पूर्व हमें इस बारे में सोचना होगा। हमें ऐसे कदमों को कार्यान्वित करना चाहिए तया इसके प्रभावों पर निगरानी रखनी चाहिए। मैं जानता हूं कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों के लिए श्री अग्रवाल के पास प्रशंसा के शब्द हैं। लेकिन, दुर्भाग्यवश सभी लोग श्री अग्रवाल जैसे नहीं है। हम राजनीतिज्ञों को ऐसे कदमों का विरोध करने की आदत है, विशेषकर उन्हें जो विपक्ष में बैठते हैं : वे महसूस करते हैं कि उन्हें सभी कदमों का विरोध करना है, चाहे ये अच्छे हैं या बुरे, क्योंकि वे विपक्ष में बैठे हुए हैं।

[श्री जनार्दन पुजारी[

इसी कारण यह कहा जाता है कि रचनात्मक विरोध होना चाहिए। केवल इसी तरीके से देश की अर्थ-व्यवस्था का विकास किया जा सकेगा। अन्यथा कोई प्रगति नहीं होगी।

हमें इस बात का पता है कि कई कमियां हैं। हमें उनका पता लगाना होगा। उसके बाद हमें कार्यवाही करनी होगी जिसमें सभी लोगों को सहयोग देना चाहिए। हम विभिन्न क्षेत्रों में केवल तभी सुधार ला सकेंगे। अन्यथा, मेरे विचार में इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं कर सकते।

महोदय, मेरे विचार में मैंने उन सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है जो यहां उठाए गए थे। परन्तु मैं एक बात पर जोर दूंगा कि समाज के वर्गों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का लाभ उन तक पहुंचे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बिचौलिया व्यक्ति बीच में इनका लाभ न उठाए और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। परन्तु मैं यह भी अवश्य कहूंगा कि उस उद्देश्य के लिए हमें विपक्ष की सहायता की आवश्यकता होगी।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया गया जिसके लिए मैं आभारी हूं परन्तु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री द्वारा दी गई सहायता के कारण तथा मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री द्वारा दी गई सहायता के कारण मैं यह सब करने में समर्थ हुआ हूं।

श्रीमती शालिनी पाटिल (सांगली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को एक व्यावहारिक और यथार्थवादी बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देती हूं। उन्होंने विपक्ष को, जिसने बजट को चुनावी बजट कहा है, रोकने का पहले ही प्रबन्ध कर लिया है। मैं बलपूर्वक यह कहती हूं कि यह बजट आम आदमी का बजट है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित रियायतों के द्वारा समाज के कमजोर वर्ग की अत्यधिक सहायता की गई है। यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जबकि आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ गई है और उस पर मौजूदा बोझ का एक भाग कम हुआ है।

ऐसा सभी खण्डों पर व्यक्तिगत आयकर दरों में कमी के कारण हुआ है। यह सद्भाव, सहानुभूति और स्थायी सहायता का द्योतक है। वित्त मंत्री की कृपा गांवों में रहने वाले उन लोगों पर भी हुई है, जिन्हें खांडसारी पर उत्पाद शुल्क की कमी का लाभ मिलेगा। इसका आशय है कि अधिकांश ग्रामीण जनता का जीवन मिठास से भर जाएगा।

वास्तविक मूल्यों में मुद्रास्फीति के कारण होने वाली गिरावट को ध्यान में रखते हुए धन कर ढांचे में प्रस्तावित परिवर्तनों का भी स्वागत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाकर एक नई शुरूआत की है। बुनियादी शुल्कों में बिक्री कर केन्द्र के बजाए पूरा का पूरा राज्यों को जाता था। इससे राज्य पर्याप्त प्रसन्न होंगे और वे आलोचक चुप हो जाएंगे जो सदा यह कहते रहते हैं कि केन्द्र राज्यों के मूल्य पर लाभ उठा रहा है। विद्युत उत्पादन में उत्पाद शुल्क में कमी भी महत्वपूर्ण है। इससे महाराष्ट्र जैसे राज्य को और अधिक संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी।

यह बजट मूलत: मुद्रास्फीति विरोधी है। ये बजट प्रस्ताव, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किए गए हैं अपितु ये प्रस्ताव हमारे दल की सामाजिक-आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन को, विशेषरूप से हमारी प्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20-सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। वित्त मंत्री ने पददलितों और शोषितों की सहायता करने हेतु तथा अन्य सभी को, विशेषरूप से मुद्रास्फीति से प्रभावित एक निश्चित आय वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने हेतु विभिन्न वित्तीय नीतियों का बड़ी कुशलता

उपयोग किया है। आम आदमी, स्थानीय लोगों को निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष में सहायता प्रदान की गई है और एक निश्चित आय वर्ग के लोगों की दशा के सुधार करने हेतु दृढ़ निश्चय से प्रयास किया गया है ताकि वे सम्मान से जीवन-यापन कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं इस अवसर पर इस पुनीत सदन का अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा कई वर्षों से अनुभव की जा रही पानी की कमी की गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित कर सकती हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के छः ताल्लुकों और साँगली जिले के पूर्वी भाग अर्थात तासगांव और मिराज पूर्वी भाग, जाट, कावठे मिहांकल, खानापुर और अटपडी में हमेशा औसतन 15 इंच से कम वर्षा होती है और वर्ष प्रतिवर्ष इसमें भी कमी हो रही है। कुंओं में पानी लगभग सूख गया है। पिछले 20 वर्षों में लगातार सूखे के कारण भूमिगत जल स्रोत सूख गए हैं, आपको आश्चर्य होगा कि 300 से 400 फुट तक गहरे जल स्रोत सूख गए हैं। पिछले वर्ष सांगली जिले के पूर्वी भागों की छः तहसीलों के 350 गांवों को टैंकरों के द्वारा पानी सप्लाई किया गया था।

महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण जनता को पेय जल उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक धन व्यय किया है। इस वर्ष पेय जल की उपलब्धता की स्थिति और भी खराब हुई है और इससे लगभग 400 गांव और 10 लाख की आबादी प्रभावित होगी।

पेय जल की समस्या ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सूखे से प्रभावित इलाके में विकराल रूप धारण कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण जनता को एक सुगम्य दूरी के भीतर पेय जल उपलब्ध कराना अपना अनिवार्य कर्त्तव्य समझा है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डी०पी०ए०पी० और डी०डी० पी० की 1982 की टास्क फोर्स के प्रतिवेदन के पृष्ठ 61 पर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पिछले कई वर्षों से सांगली जिले के मिराज, तासगांव और पूरा खानापुर, अटपडी, कवाठे मिहांकल और जाट ताल्लुके काफी समय से सूखे से प्रभावित क्षेत्र रहे हैं।

ग्रामीण जनता को पेय जल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सम्पूर्ण महाराष्ट्र की ग्रामीण जनता को पेय जल उपलब्ध कराने हेतु 1984 85 के लिए लगभग 100 करोड़ व्यय किए जायेंगे। इससे आप पेय जल समस्या की गम्भीरता का अनुमान लगा सकते हैं।

इन परिस्थितियों में, ग्रामीण जनता द्वारा स्थान परिवर्तन करना अनिवार्य है और जब तक पानी की सप्लाई का कोई स्थायी, भरोसेमन्द और बारहमासी प्रबन्ध नहीं कर दिया जाता यह प्रवृत्ति ज्यामीतिय अनुपात से बढ़ती रहेगी।

यह प्रोत्साहनकारी बात है कि महाराष्ट्र सरकार इस समस्या से गम्भीरता से निपट रही है और कृष्णा जल न्यायधिकरण के निर्णय के अनुसार मानसून के दौरान कुछ भरोसेमन्द जल स्रोतों को दूसरी ओर मोड़ने और शिवसागर से कुछ पानी कोयना नदी में छोड़ने के बारे में विचार किया है।

[श्रीमती शालिनी पाटिल]

स्थलाकृतिक तथ्यों के कारण कृष्णा नदी के जल को केवल लिफ्ट द्वारा इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर मोड़ने की आवश्यकता है । ऐसा समझा जाता है कि महाराष्ट्र सरकार कृष्णा नदी से 20 टी० एम० सी० जल लिफ्ट करने के बारे में सोच रही है। इस जल को सांगली जिले के पूर्वी भाग के जरूरतमन्द ग्रामीण लोगों में अत्यन्त समझदारी से वितरित किया जाएगा ताकि पूरा-पूरा न्याय किया जा सके ।

कृष्णा नदी पर बनने वाली इन लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर सरकार के कई करोड़ रुपये खर्च होने जरूरी हैं। महाराष्ट्र सरकार को पेय जल, जो कि मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है उपलब्ध कराने की चुनौती को स्वीकार करना होगा।

फिर भी समस्या अत्यन्त गम्भीर है और इसमें धन और वह भी निकट भविष्य में लगाना आवश्यक होगा। इसके लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करना जरूरी होगा ।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह इस समस्या को ग्रामीण जनता के पुनर्वास की समस्या के रूप में लें और परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत का योगदान करें।

इसी अनुरोध के साथ, इस प्रगतिशील बजट के लिए मैं वित्त मन्त्री को पुनः बधाई देती हूं। धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री पेंचालैया बोलेंगे ।....(**व्यवधान**)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मुझे आशंका है कि हम कल तक इस बजट पर वाद-विवाद पूरा नहीं कर पायेंगे । अतः दी गई समय-सूची के अनुसार वित्त मंत्री को कल अवश्य ही उत्तर दे देना चाहिए। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज की बैठक और दो घंटे के लिए बढ़ा दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी अनुपस्थिति में मैं इन्हें पहले ही सूचित कर चुका हूं।

श्री बूटा सिंह : महोदय, एक और अनुरोध है। कल के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है। (**व्यवधान**) मैं अत्यन्त अनिश्चित स्थिति में हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको गम्भीर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

श्री बूटा सिंह : मैं तैयारी का कामकर चुका हूं। और मेरे लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि कल के लिए दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर सभी महिला सदस्यों ने किए हैं और मैं······

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर शुक्रवार को चर्चा हो जाएगी जो कि एक शुभ दिन भी है।

श्री बूटा सिंह : परन्तु महोदय, मेरी स्थिति अत्यन्त नाजुक है। मैं श्रीमती प्रमिला दण्डवते से बात नहीं कर सका। अतः मैं अपना अनुरोध प्रो० दण्डवते के माध्यम से प्रेषित करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं अपनी पत्नी और संसदीय कार्य मन्त्री के बीच मध्यस्थ नहीं बन सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। वह चाहते हैं कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें।

श्री बूटा सिंह : आप कृपया मुझे सहयोग दीजिए। और मुझे विश्वास है कि माननीय महिला सदस्य गण सहमत होंगी कि कल के लिए निर्धारित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर परसों चर्चा की जा सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, जब वे इस वाद-विवाद की अवधि दो घंटे और बढ़ाने के लिए कह रहे हैं तो क्या वे यह अनुरोध कुछ समय पहले नहीं कर सकते थे। अब छः बजने में पांच मिनट हैं और अब वे यह प्रस्ताव रख रहे हैं। आपको सम्पूर्ण बजट वाद-विवाद के समय का पता है। अभी यहां कोई भी नहीं होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, विपक्ष के लगभग सभी सदस्य इस वादविवाद में भाग ले चुके हैं और सत्ता पक्ष को आबंटित समय शेष है और वे बोलने जा रहे हैं और यदि हम इस सूची को आज पूरा कर लेते हैं तो कल मन्त्री महोदय के लिए उत्तर देना आसान होगा और तब हम समय-सूची के अनुसार होंगे।

(व्यवधान)

जैसा है हम समय-सूची से पिछड़ गए हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : लोक लेखा समिति में यह सहमति हो गई थी कि हम मध्याह्न अवकाश नहीं करेंगे। परन्तु मेरे विचार से मन्त्री महोदय द्वारा सभा की कार्यवाही प्रतिदिन 6 बजे से बढ़ाकर 8 बजे कर देना एक ज्यादती है।

(व्यवधान)

यदि आप चाहते हैं कि यह ऐतिहासिक न होकर फलदायी हो तो इसे छः बजे के बाद बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप वहां उपस्थित रहकर माननीय सदस्य क्या कहते हैं यह सुनना चाहते हैं। यदि सभा खाली हुई तो……

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों की उपस्थिति में यदि यह अनुरोध किया जाता तो मैं समझता यह ठीक था। परन्तु सभी सदस्य उन्हें सूचित किए बिना चले गये हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इसके बावजूद भी······

श्री बूटा सिंह : मैं आगामी बजट में इसे याद रखने का प्रयास करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थिति यह है कि अभी सत्ता पक्ष के सभी सदस्य नहीं बोले हैं। मैं केवल आज बोलने वाले सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं। उन्हें कल कोई काम हो सकता है और वे कल जाना पसन्द कर सकते हैं। ऐसे सदस्यों से बैठे रहने और बोलने का अनुरोध किया जाता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती। विपक्ष के बहुत से सदस्य बोल चुके हैं। केवल एक या दो सदस्य रह गए हैं। अत: सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को समय मिल सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके अनुसार आबंटित समय के आठ घंटे शेष हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल पांच घंटे होंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय द्वारा कब उत्तर दिये जाने की आशा है।

श्री बूटा सिंह : कल चार बजे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों की सूची को आज पूरा करा दूंगा। कल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य और सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य बोलेंगे और तत्पश्चात् वित्त मन्त्री।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं इस मुद्दे पर सरकार से सहयोग करने के लिए तैयार हूं परन्तु मेरी शिकायत एक बार फिर दर्ज कर ली जाए। यह शिमला समझौते का पुन: उल्लंघन है। संसदीय कार्य मन्त्री ने विपक्षी दलों के विभिन्न ग्रुपों को विश्वास में नहीं लिया और इस मुद्दे पर उनसे सलाह नहीं ली। उन्हें चाहिए था कि वे हमें दोपहर बाद बुलाते और स्थिति से अवगत कराते हम उन्हें कोई रास्ता बताते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल जी, यदि आप से बैठने के लिए कहा जाए तो आप संसदीय कार्य मन्त्री यह अनुरोध कर सकते हैं कि जब कभी सभा 6-00 बजे के बाद बैठे तो वह आपके लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था करें क्योंकि आपको जाने में देर हो जाएगी।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि क्या हमें काठ के घोड़े समझ रखा है। ह्विप से पूछते नहीं और जब चाहा टाइम बढ़ा दिया। काठ के घोड़े हम नहीं हैं, बूटा सिंह जी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बीमार हैं। बेहतर होगा आप चले जाएं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं जाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुचालापल्ली पेंचालैया।

6.00 म० प०

***श्री पुचालापल्ली पेंचालैया** (नेल्लोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री द्वारा वर्ष 1984-85 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट का विरोध करता हूं।

इस वर्ष का बजट प्रधानतया चुनावी बजट है। यह आम आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है।

इस बजट में कृषकों को बिल्कुल भुला दिया गया है। यह बजट समाज के उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही अभिप्रेत है। अतः मैं इस बजट का विरोध करने के लिए बाध्य हूं।

महोदय, यह चुनाव वर्ष है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान मौजूदा सरकार की असफलताओं को छिपाने का प्रयास किया गया है। सत्ता पक्ष का मुख्य उद्देश्य कुछ रियायतें देकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना है और आगामी चुनावों में वोट प्राप्त करना है। इसी कारण उन्होंने 20-सूत्री कार्यक्रम को विशिष्ट स्थान दिया है। इस बजट में रियायतें देने का प्रयोजन केवल किसी भी प्रकार वोट प्राप्त करना है। ये रियायतें लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से नहीं दी गई हैं।

इस वर्ष 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक आबंटन किया गया है। यदि सरकार ने इस कार्यक्रम को ईमानदारी से तैयार किया होता और बदकिस्मत लोगों के उद्धार के लिए इसे लागू किया होता तो सम्पूर्ण विपक्ष इसका स्वागत करता। इस अच्छे काम के लिए हमने सरकार से स्वेच्छा से सहयोग करते। परन्तु दुर्भाग्यवश सत्ता पक्ष इसे अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह उनका प्रमुख चुनाव घोषणा-पत्र होगा। सत्ता पक्ष के प्रचार हेतु सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? उपलब्ध आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के लिए भी आबंटित पूरी राशि को सरकार इस्तेमाल कर पाने में असफल रही है। यदि ऐसी बात है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष सरकार इतनी बड़ी राशि को कैसे इस्तेमाल कर पायेगी। पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी शिवरामन् समिति ने पिछले वर्ष यह कहा था कि इन योजनाओं के लिए धन का उपयोग करने हेतु प्रशासनिक स्तर पर कोई अच्छी तैयारी नहीं की गई थी। इस वर्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति ने 8 मार्च, 1984 को संसद में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में यह शिकायत की है कि केवल 7 मंत्रालयों और विभागों ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए हैं। अतः यदि यह सोचते हैं कि पर्याप्त पृष्ठभूमि के बिना आप बदकिस्मत लोगों की तरक्की के लिये इतनी बड़ी राशि उपयोग कर सकते हैं तो यह आपकी भूल है। पहले अपने प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ कीजिए। पहले वे कार्यक्रम बनाइये जिन्हें आप सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं। तब इन योजनाओं पर धन व्यय कीजिए। केवल तभी आप इन योजनाओं के लिए विशाल आबंटन के

*तेलगू में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पुचालापल्ली पेंचालैया]

प्रति न्याय कर सकते हैं। अन्यथा मुझे आशंका है, कि इतने बड़े आबंटनों से केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस मुद्दे पर गौर करेंगे।

देश में लगभग सभी राज्यों को प्रतिवर्ष या तो गम्भीर सूखे का या अनियन्त्रणीय बाढ़ का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष इन राज्यों को जान और माल की अपार क्षति उठानी पड़ती है। राज्यों के लिए अपने अल्प स्रोतों से प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना और साथ ही विकास के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करना असम्भव होता जा रहा है। यह विशेषरूप से आन्ध्रप्रदेश के मामले में अक्षरशः सच है। एक ओर रायलसीमा और तेलंगाना निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्र में तथा दूसरी ओर सदा बाढ़ की चपेट में रहने वाले तटीय क्षेत्र में राहत कार्यों पर हमें प्रतिवर्ष काफी धन व्यय करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने, जिसने पिछले 35 वर्षों तक हमारे राज्य पर शासन किया है, राज्य को इन प्राकृतिक विपदाओं से बचाने के लिए वास्तव में कुछ नहीं किया है। उन्हें केवल यह जानकारी थी कि किसी को मुख्य मंत्री कैसे बनाया जाए और फिर उसे कुर्सी से कैसे हटाया जाए। राज्य को निरन्तर सूखे और बाढ़ की स्थिति से बचाने के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करने का उनके पास समय नहीं था। परिणामस्वरूप श्री एन० टी० रामाराव के नेतृत्व में वर्तमान सरकार को एक नाजुक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष बाढ़ के कारण हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। मानो यही पर्याप्त नहीं था, इस वर्ष 12 से 18 फरवरी तक भारी वर्षा हुई और पहले से ही पंगु अर्थव्यवस्था पूर्णतया ढह गई। इस भारी वर्षा के कारण नेल्लोर, कुडुप्पा, चित्तूर जिलों में भारी नुकसान हुआ। लगभग एक सौ करोड़ रुपये की हानि हुई। यह केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे नाजुक समय में हमारी राज्य सरकार की सहायता करे। परन्तु केन्द्र में कोई भी राज्य की स्थिति के प्रति चिन्तित दिखाई नहीं देता। यहां तक कि इन परिस्थितियों में राज्यों को जो थोड़ी-सी सहायया दी जाती है, वह ऋण के रूप में दी जाती है। यदि केन्द्र इस नीति को नहीं त्यागता तो आप राज्यों की विवशतापूर्ण स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रकार के दृष्टिकोण को छोड़ दें और तत्काल आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएँ।

महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि राज्यों की संसाधन स्थिति कमजोर है। इस बजट में दी गई छूट से उनकी वह अल्प धनराशि भी छीन ली गई है, जिसे वे इन करों के माध्यम से प्राप्त किया करते थे। इस वर्ष घोषित की गई छूट से राज्य सरकारों पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब वे और भी गरीब हैं। जनता के समक्ष स्वयं को एक अच्छा आदमी सिद्ध करने के लिए, वित्त मंत्री महोदय ने, ये कर छूट और कमी की घोषणा करके, राज्य सरकारों को धक्का पहुंचाया है। अपनी कूटनीति के लिए वह 'आधुनिक कौटिल्य' का सम्मान पाने के अधिकारी हैं। इस कदम से राज्यों की वित्तीय स्थिति और भी कमजोर हो गई है, जबकि केन्द्र एक बड़ी सीमा तक अप्रभावित रहेगा। हमारे संघीय ढांचे को यह एक बहुत गहरा आघात है।

हाल ही में, बड़े पैमाने पर ऋण वितरण कार्यक्रम एक विडम्बना बन गया है। ऋण प्रदान करने की पात्रता निश्चित करना बैंक अधिकारियों का कर्तव्य है। इसके लिए एक निश्चित तरीका

अपनाना होता है। परन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि सत्तारूढ़ दल इस कार्यक्रम को अपने प्रचार हेतु प्रयोग में लाने का प्रयास कर रहा है। कुछ दिन पूर्व ही हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने 21 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों को आगामी दो मास के भीतर 200 करोड़ रुपये वितरित करने के निर्देश लिए हैं। सरकार के इस रवैये की निन्दा की जानी चाहिए। कांग्रेसी नेतागण अपने प्रचार हेतु इन समारोहों में उपस्थित होते हैं। इन "ऋण वितरण" कार्यक्रमों के प्रबन्ध पर पर्याप्त धनराशि व्यय की जा रही है। महोदय, यदि कुछ और समय तक इन ऋण मेलों का आयोजन चलता रहा तो, मुझे आशंका है कि रुग्ण मिलों की तरह, जिन्होंने पहले से ही हमारी अर्थ-व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ दिया है, शीघ्र ही रुग्ण बैंक भी सामने आ जायेंगे।

दुर्भाग्य से हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में हमारे किसानों की उपेक्षा की है। उर्वरक और कीटनाशक आदि में, जो कि हमारे किसानों के लिए अति आवश्यक हैं, किसी प्रकार की छूट अथवा शुल्क में कमी प्रदान नहीं की गई है। उस बजट का कौन समर्थन करेगा, जो कि हमारे गरीब किसानों की उपेक्षा करता है।

2035 करोड़ रुपये के पूरा न किये गये घाटे में से 1762 करोड़ रुपयों का अभी भी कोई लेखा नहीं है। इससे कालाधन पनपेगा और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि होगी। धनकर लगाने की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख करके तथा कूलरों और पंखों पर उत्पाद शुल्क में कमी की घोषणा करके, वित्त मंत्री महोदय ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि उनका बजट केवल अमीरों के लिए है। ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय को इस बात का पता ही नहीं है कि ग्रामीण भारत के गरीब लोगों को यह पता ही नहीं है कि कूलर या पंखा क्या होता है?

अतः महोदय, यह बजट जो कि केवल अमीरों के लिए है न कि गरीबों के लिए, जो कि केवल धनिक उद्योगपतियों के लिए लाभकारी है, गरीब किसानों के लिए नहीं, राज्यों के विरुद्ध केन्द्र का प्रचार करता है, जो केवल आगामी चुनावों के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के भविष्य को बनाता है और जिसे राष्ट्र की प्रगति के लिए नहीं बनाया गया है, वह केवल रद्द करने योग्य है। अतः, मैं तेलगु देशम पार्टी की ओर से इस बजट का विरोध करता हूं।

महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाई० एस० महाजन।

श्री कुंवर राम (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरा नाम कल की लिस्ट में था। मैं आज खाना खाने भी नहीं गया। यह कैसे होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो हम आज देर तक बैठ रहे हैं। आपको आज अवसर मिलेगा, धीरज रखिए। मैं आप सभी को बुलाऊंगा। श्री कुंवर राम जी, कल की सूची में श्री महाजन का

नाम आपसे ऊपर था। आप मुझमें कभी भी गलती नहीं निकाल सकते हैं मैं यह तो नहीं कहता हूं कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी तो एक इन्सान हूं और मुझसे गलती हो सकती है। परन्तु इसमें मैंने कोई गलती नहीं की है। श्री महाजन का नाम आपसे ऊपर है। आप आकर सूची देख सकते हैं। मेरे लिए सभी सदस्य बराबर हैं। मैंने श्रीमती शालिनी पाटिल को इसलिए प्राथमिकता दी थी क्योंकि वह महिला हैं और वह बोलकर के जाना चाहती थीं। किसी और सदस्य को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी। श्री रामावतार शास्त्री सहित, मेरे लिए तो सभी सदस्य बराबर हैं।

श्री वाई० एस० महाजन।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी उस प्रशंसा वृन्धगान में अपनी आवाज मिलाने की अनुमति दीजिए, जिसने 1984-85 के बजट के प्रस्तुतीकरण का ठीक ही स्वागत किया है।

हमारे समाज का एक भी वर्ग या भाग ऐसा नहीं है, जिसने इसका स्वागत नहीं किया हो। एक छोर पर निगमित क्षेत्र है जो कि आयकर, और उत्पाद शुल्क में कटौती करके जो राहतें प्रदान की गई हैं उनसे प्रसन्न हैं। दूसरे, विनिमेयता खण्ड के अधीन एक करोड़ रुपये से लेकर पांच करोड़ तक की भारी छूट बढ़ाना और तीसरे 4 करोड़ रुपये तक के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ऋण पर ब्याज की दर में एक प्रतिशत की कमी करना।

इन परिवर्तनों से मांग का पुनर्जीवन सशक्त होगा। व्यवसायी समुदाय ने इसका रचनात्मक और काल्पनिक बजट के रूप में स्वागत किया है। दूसरी ओर, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जैसे गरीबी कम करने वाले कार्यक्रमों के लिए भारी आबंटन के परिणामस्वरूप गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं का हल करने के निश्चित आसार हैं। ग्रामीण विकास मन्त्रालय का कुल आवंटन 932 करोड़ रुपये का होगा जो कि 1983-84 में प्रदान की गई राशि से लगभग दो गुना होगा। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ही लाभ उठाने वालों की संख्या लगभग 30 लाख आंकी गई है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम वर्ष 1984-85 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 550 कार्य दिवस प्रदान करेंगे तथा बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में लाभदायक रोजगार के अवसर पैदा करेंगे तथा गरीब ग्रामीणों में क्रय शक्ति हस्तांतरित करेंगे। इन कार्यक्रमों से हमारे देश के लाखों लोगों के जीवन-स्तर में सुधार होगा, उत्पादक आस्तियां पैदा होंगी और इस प्रकार विकास की गति को मजबूत बनायेंगे। वेतनभोगी लोगों सहित, मध्यम-वर्ग भी हमारे समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग है और आयकर में, मंहगाई भत्ता दरों में तथा सम्पदा शुल्क में परिवर्तन जैसे बजट उपबन्धों के बारे में प्रसन्न होने का उनका अवसर है।

इस वर्ष की 6 से 7% की वृद्धि दर के साथ समाप्ति की सम्भावना है, जो कि संतोषजनक वृद्धि दर है। खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है, और 1983-84 में कुल कृषिजन्य उत्पादन में लगभग 9% की वृद्धि दर्शायी गई है। औद्योगिक उत्पादन में लगभग 4.5% वृद्धि के साथ छठी योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान कुल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 5.2% के लक्ष्य को छू

लेगी। इस तथ्य को देखते हुए यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है कि विश्व के अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में वृद्धि की दर अपेक्षाकृत कम है। विकसित देशों में मंदी की गम्भीर प्रवृति से अत्यन्त प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिसने सामान्य वृद्धि और विकास के विरूद्ध मोर्चा जमाया था। इसके साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई गई वे संरक्षणवादी नीतियां भी हैं, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्जागरण की संभावनाओं को कम कर दिया था।

भारत को गत वर्ष गंभीर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा था जिसके कारण 1330 लाख टन के पिछले उत्पादन की तुलना में 1280 लाख टन उत्पादन ही हुआ।

योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 5.2% की वृद्धि दर की यह उपलब्धि, सिंचाई, विद्युत, कोयला, तेल, इस्पात उर्वरक और परिवहन जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में भारी निवेशों के कारण हुई थी। हमारा न केवल आधारभूत ढांचे के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है, अपितु भावी चुनौतियों से निपटने के लिए इस क्षेत्र को सफल बनाने हेतु, इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की है।

योजनागत विकास की हमारी नीति सफल रही है। अनुभव ने यह दिखा दिया है कि कृषिजन्य विकास की हमारी नीति सशक्त रही है। इसनें हमें वर्ष 1979-80 और 1982-83 में गंभीर सूखे की स्थिति से निपटने में हमें सफल बनाया। इस वर्ष हम लगभग 1420 लाख टन खाद्यान्न की नई ऊंचाई को छूने वाले हैं जो कि लगभग 12% की वृद्धि है। इससे पता चलता है कि सिंचाई का विस्तार करके, उत्पादकों को लाभकारी कीमतें देकर अधिक उपज देने वाले बीजों की क़िस्मों तथा रसायन उर्वरकों तथा अन्य आदानों की व्यवस्था के जरिए निर्भर रहने वाली हमारी नीति से कृषक समुदाय के उत्पादन और समृद्धि का विस्तार सुनिश्चित है। यद्यपि सूखे की स्थिति के कारण कुछ वर्षों से इस अतिरिक्त पैदावार पर रोक लग गई थी, यदि आप प्रत्येक पांच वर्षीय अवधि का औसत लें, तो हम देखते हैं वृद्धि दर निरन्तर बढ़ती रही है।

श्री सुनील मैत्रा यहां नहीं हैं। मैं उनके तर्क का खण्डन करना चाहता हूं। इन्होंने यह तर्क दिया है कि इस सरकार के पास कृषि विकास के लिए कोई नीति नहीं है। मैं कहता हूं कि यह गलत है। श्री सुनील मैत्रा ने इस बात से इन्कार किया है कि सरकार की कृषि विकास सम्बन्धी कोई नीति थी तथा इस गलत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्होंने आंकड़ों में हेर फेर की है। कृषि विकास सम्बन्धी हमारी नीति है और यह एक ठोस नीति है। इस बात को तीन तथ्यों से सिद्ध किया जा सकता है। पहला, वर्ष 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन 50.8 मिलियन टन था जबकि 1983-84 में उत्पादन 144 मिलियन टन अर्थात् आयोजना के प्रथम वर्ष की अपेक्षा तीन गुना अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है। दूसरे, केवल इस देश में ही नहीं, अपितु विश्व के अन्य सभी देशों में भी कृषि उत्पादन में आवश्यक रूप से उतार चढ़ाव हो रहा है। उत्पादन में उतार-चढ़ाव होने का अर्थ यह नहीं है कि नीति का आस्तित्व ही नहीं है यदि आप प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की अवधि का औसत उत्पादन लेकर ग्राफ बनाएं, तो आप देखेंगे कि उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। तीसरे, अपनी कृषि नीति के कारण ही संकट की अवधि के दौरान हम घाटे को न्यूनतम स्तर पर रखने में समर्थ हो सके

[श्री वाई० एस० महाजन]

हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मैं योजना आयोग का कथन क्यों उद्धत कर रहा हूं—"नया शिखिर पिछले शिखर से निश्चित ही ऊंचा है। अभी हाल में उत्पादन में हुई कमी को छोड़कर उत्पादन हमेशा गत वर्ष की तुलना में अधिक रहा है। जब से देश ने विनियोजित विकास का मार्ग अपनाया है कृषि क्षेत्र में प्राप्त नवशक्ति और ललीचेपन का यह एक अधिक यथार्थवादी उपाय है।"

अब मैं कुछ शब्द औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद 4 वर्ष की अवधि में, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर औसतन 5 प्रतिशत रही है। यह छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित 8 प्रतिशत लक्ष्य से काफी कम है। निश्चय ही चालू वर्ष में 4·5 प्रतिशत कार्य-निष्पादन हुआ जोकि बहुत ही कम है और इस तथ्य के बावजूद कि हमारी औद्योगिक नीति बेहतर क्षमता उपयोग पर बल देकर उत्पादन बढ़ाने की है, ऐसा हुआ है। मांग में कमी के कारण उद्योग विशेष की जिन समस्याओं का समाधान के लिए इस वर्ष के दौरान कदम उठाए गए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंकों ने राज्य विद्युत बोर्डों और सड़क परिवहन नियमों को उपकरण खरीदने के लिए बिलों में कटौती करने वाली योजना के अन्तर्गत अच्छी सुविधाएं प्रदान की तथा टिकाऊ वस्तुएँ बनाने वाले कई उद्योगों से कम उत्पाद-शुल्क लिया गया। अभी इस वर्ष भी उत्पादन-दर कम है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे इस्पात, कागज और पेपर बोर्ड, पटसन और बेगन निर्माण आदि में काफी कमी होने के कारण इस वर्ष वृद्धि दर काफी कम रही है। हमारे औद्योगिक ढांचे की समस्याओं का समाधान योजना आयोग द्वारा बनाए गए तीन उपायों में निहित है। ये निदान हैं--प्रौद्योगिकी का सुधार, बढ़िया किस्म के उत्पादों की आयोजना तथा अधिक प्रभावकारी प्रबन्ध प्रणाली। औद्योगिक ढांचे निराशा का एक कारण यह है कि हमारे सरकारी क्षेत्र में इस वर्ष पुन: भारी घाटा होना शुरू हो गया है। 1982-83 के दौरान इसे 600 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। लेकिन सरकारी क्षेत्र की कतिपय इकाइयों में हुई भारी हानि इस लाभ के कारण सामने न आ सकी। यह घाटा मुख्यत: ओ.एन.जी.सी. तथा तेल उत्पादक इकाइयों ने ही पूरा किया। इस वर्ष भी हमें भारी घाटा होने जा रहा है। इस सम्बन्ध में विशेष रूप से इस्पात उद्योग जिम्मेदार हैं। लेकिन हम इस्पात मंत्रालय को दोष नहीं दे सकते क्योंकि इस्पात मंत्रालय को मांग में मंदी का सामना करना पड़ रहा है और परिणामस्वरूप भंडारों का ढेर लग गया है। हम इस्पात का निर्यात करने पर विचार कर रहे थे। अत: कुछ बाहरी परिस्थितियां हैं जिनका संभवत: हम सामना नहीं कर सकते सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में, सरकार ने बहुत चिंता व्यक्त की है और इसका कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र हमारे औद्योगिक ढांचे का प्रतीक है। आर्थिक क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा यह बहुत रचनात्मक काम किया गया है। इससे 35,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है और उस क्षेत्र में 20 लाख लोग काम कर रहे हैं। और इस समूचे औद्योगिक ढांचे पर ही उद्योग तथा हमारे आर्थिक जीवन में विकास दर निर्भर है।

मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा विषय है—मैं इसी पर विस्तार से नहीं कह सकता। हुआ यह है कि सरकारी स्वामित्व तथा प्रबन्ध अकार्य कुशलता छिपाने तथा अनावश्यक रूप से लोगों का रोजगार बढ़ाने के साधन बन गए हैं जिसके कारण प्रबन्ध व्यवस्था सही नहीं रहती

है। आप रोजगार का मामला लीजिए कुछ उद्योग ऐसे हैं जहां 50 प्रतिशत लोग फालतू हैं तथा दूसरे उद्योग में 30 प्रतिशत लोग फालतू हैं। हम जनता को सड़क पर नहीं फेंक सकते और इसलिए हमारे सरकारी क्षेत्र में घाटा होना स्वाभाविक है। जब तक हम उन उद्योगों को वाणिज्यिक आधार पर नहीं चलाते अथवा उनका ढांचा लचीला नहीं बनाते अर्थात् यदि मांग कम है अथवा उत्पादन में कमी आती है अथवा क्षमता का कम उपयोग हुआ है, तो आपको श्रमिकों की संख्या कम करनी होगी। और ऐसा हम कर नहीं सकते। जब तक हम वैसा नहीं करते, जब तक हम सरकारी क्षेत्रों में लचीलापन नहीं लाते, हमारे लिए घाटे की समस्या का सामना करना कठिन होगा।

हमारे वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि वे इकाइयाँ जीवनक्षय होनी चाहिए। और यदि वे इकाइयाँ जीवनक्षय नहीं हैं तो उन्हें बन्द क्यों न कर दिया जाए। हम उन्हें बन्द नहीं कर सकते क्योंकि वे सरकारी इकाइयाँ हैं और जैसे उनकी सामाजिक जिम्मेदारी है वैसे ही हमारा भी सामाजिक दायित्व है। यह एक राजनैतिक समस्या है। इसी कारण मैं कहता हूं कि हमारे लिए इस समस्या का सामना करना कठिन है।

दूसरा कारण भुगतान शेष का है। कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि तथा अन्य वस्तुओं के आयात में कमी आने के परिणामस्वरूप भुगतान शेष की स्थिति अच्छी बनी रही। जनवरी, 1984 के अन्त तक विदेशी मुद्रा साधन वित्तीय वर्ष के आरंभ की अपेक्षा 431 करोड़ रुपये अधिक थे। इससे सिद्ध होता है कि सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में अपनाई गई बाह्य समायोजन नीति सही थी। इस कारण हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.1 बिलियन डालर की अन्तिम किश्त नहीं लेनी पड़ी। मुझे याद है तथा आपको भी याद होगा कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के सम्बन्ध में वाद-विवाद किया था। सदन में कितनी गड़बड़ी की गई थी और उन्होंने सदन में कितना शोर मचाया था। उन्होंने कहा कि यह ऋण लेना साम्राज्यवाद के हाथों बिकने वाली बात है, कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष झुक रहे हैं। उन्होंने इस मामूली तथ्य को भी समझने से इंकार कर दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय है जिसका कार्य देशों की भुगतान-शेष की अस्थायी कठिनाइयों का सामना करने में सहायता देना है। हमारे मामले में भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऐसा ही किया है और सहायता के कारण ही हम अपने उद्योगों में कुछ मूलभूत परिवर्तन कर पाए हैं और इसी से हमें आई०एम०एफ० से 1.1 बिलियन डालर की अन्तिम किश्त न लेने में भी सहायता मिली है तथा उस समय विपक्षी सदस्यों ने कुछ अर्थशास्त्रियों का समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने कलकत्ता में बैठक की। उन्होंने राई का पहाड़ बना दिया। उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तिकायें सदन के सदस्यों में भी वितरित की गईं।

इस सम्बन्ध में मैं दो-तीन टिप्पणियाँ करना चाहता हूं। यद्यपि भुगतान शेष की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि मेरा विश्वास है कि विदेशी मुद्रा के लिए अप्रवासी खातों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता जैसा कि अतीत में होता था। आप निश्चित नहीं हो सकते। दूसरे, आई.डी.ए. तथा इस वित्त के स्रोत, विश्व बैंक से हमें जो रियायती वित्त उपलब्ध कराया जाता है, उसमें कमी हो रही है। अब पहले की अपेक्षा इन निकायों से इससे अधिक लोग ऋण लेना चाहते हैं।

[श्री वाई० एस० महाजन]

जहाँ तक उद्योग का सम्बन्ध है, हम आयात में कमी करने पर जोर दे रहे हैं अर्थात् हम देश में ऐसे उद्योग का समर्थन कर रहे हैं जो उन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जो हमने पहले आयात की थी तथा उन उद्योगों का विकास संरक्षण के वातावरण में हुआ है जिसके परिणामस्वरूप वे सफल नहीं हुए। अतः मैं कहूंगा हमें पहले की ही भांति आयात में कमी करने पर जोर देना होगा क्योंकि हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते लेकिन साथ ही हमें निर्यात संवर्धन पर भी बल देना चाहिए। यदि हम निर्यात संवर्धन पर बल देते हैं तो उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना होगा उन्हें स्वभाव से प्रतियोगी बनना होगा और उसी से हमारा औद्योगिक ढांचा स्वस्थ हो पायेगा।

हमारे उद्योगों का विकास हुआ है लेकिन केवल बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की ही प्रगति हुई है। हमें अपनी नीति में धीरे-धीरे परिवर्तन करना होगा ताकि उन्हें विदेशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

महोदय, बजट की महत्वपूर्ण आलोचना इसीलिए भी हुई है कि राज्यों को करों में परिवर्तन का बोझ वहन करना होगा। यह गलत है। यद्यपि कराधान प्रस्तावों के परिणामस्वरूप राज्यों को 709 करोड़ रुपये का घाटा होगा, केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्यों को दी जाने वाली सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में 600 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा, उसे हमें ध्यान में रखना होगा।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। अभी पंजाब के अन्दर भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री दरबारासिंह पर फायरिंग हुआ है। आज सुबह उन पर गोली चलाई गई है। हरयाणा में जो रेल काटी गई है, उसके बारे में सुबह आपके सामने बात रखी गई थी। होम मिनिस्टर ने पार्लियामैंट में कतई इसकी चर्चा ही नहीं की। यह व्यवस्था इस देश में होती जा रही है, मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर इस बारे में बयान दें, सदन को इत्तिला दें। श्री दरबारा सिंह को गोली मारी गई है, उन पर फायरिंग हुआ है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप सरकार को वक्तव्य देने के लिए कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को वक्तव्य देने या ऐसा ही कुछ करने के लिए निदेश नहीं दे सकता। आपने कुछ कहा है और उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कर लिया गया है। अब ऐसा करना सरकार का काम है। मैं सरकार को हर बार जब भी कोई व्यक्ति यहाँ बोलता है, वक्तव्य देने के लिये नहीं कह सकता।

श्री रामावतार शास्त्री : यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह आगे आए···

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मुद्दा स्पष्ट कर दिया है। यह अध्यक्षपीठ का कर्त्तव्य नहीं है। हमारा ऐसा कोई कर्त्तव्य नहीं है। कृपया हमें अतिरिक्त कर्त्तव्य न सौंपें। मैं सरकार को वक्तव्य देने के लिए नहीं कह सकता।

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, वहां स्थिति बहुत गम्भीर है। पंजाब और हरियाणा में क्या स्थिति है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कर लिया गया है।

श्री मनीराम बागड़ी : संसद देश की संरक्षक है।

उपाध्यक्ष महोदय : महाजन जी, आप जारी रखिए।

श्री वाई० एस० महाजन : यहाँ मैं राज्यों के बारे में बात कर रहा हूं। वित्त मंत्री को ऐसे क्षेत्रों में वित्तीय प्रस्ताव रखने पड़े जहाँ मौजूदा आर्थिक स्थितियाँ इस कार्यवाही की माँग करती थीं। योजना अवधि के दौरान राज्यों को मिलने वाली कुल सहायता राशि, योजना दस्तावेज़ में अनुमानित 15,350 करोड़ रुपए की तुलना में 17,790 करोड़ रुपए होगी। गम्भीर कठिनाइयों के बावजूद केन्द्र सरकार ने राज्यों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जहां तक सम्भव हो सका है, अधिक से अधिक किया है।

इसलिए, यदि राज्य अपने वित्तीय मामलों को ठीक से नहीं सम्भाल पाते तो भविष्य में उन्हें रिजर्व बैंक से बिना ओवरड्राफ्ट लिए काम चलाना सीखना चाहिए। आपको सरकार की राजनीतिक दृष्टिकोण से आलोचना बन्द कर देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वाई० एस० महाजन : सदन में माननीय सदस्यों ने बढ़ते हुए मूल्यों पर चिन्ता प्रकट की है। माननीय मंत्री ने भी इस बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की है। अब इस वर्ष के दौरान मूल्य 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं। हमने इसे रोकने में सफलता पाई। जब हम सत्ता में वापस आए तो मूल्य वृद्धि की दर 21.6 प्रतिशत थी। अब सरकार मुद्रा-स्फीति की दर को नगण्य मात्रा तक कम करने में सफल रही है। केवल पिछले वर्ष कुछ अप्रत्याशित बातें हुईं और मूल्य फिर चढ़ने आरम्भ हो गए हैं। खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद, अधिक औद्योगिक उत्पादन के बावजूद मूल्य चढ़ रहे हैं। लेकिन, मैं समझता हूं कि यह पिछले वर्ष के सूखे के देरी से हुए प्रभाव के कारण है। दूसरे, मेरा विचार है कि इस वर्ष के अच्छे उत्पादन के परिणामस्वरूप वित्त मंत्री द्वारा बजट में छोड़े गए बहुत बड़े घाटे को पूरा करना सम्भव हो सकेगा जिसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

महोदय, हमारे पास ऐसे उपाय हैं जिनसे हम मुद्रा-स्फीति पर काबु पा सकते हैं। हम बैंकों के नकद आरक्षी अनुपात (कैश रिजर्व रेशो) को बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसे 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया है। हम इसे और भी बढ़ा सकते हैं तथा बैंकों के पास पड़ी बड़ी धन-राशि को गतिहीन बना सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण अब समाप्त करें।

श्री वाई० एस० महाजन : महोदय, मेरा विचार है कि इस देश में हमारी अधिकतर सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएं हमारी जन-संख्या की वृद्धि दर में बढ़ोतरी के कारण दुर्दमनीय हैं। जब एक तुलन-पत्र तैयार किया जाता है तो देयताएं और परिसंपत्तियां दोनों दिखानी पड़ती हैं, लेकिन जब देयताएं अनिश्चित रूप से बढ़ रही हों तो आप गुजारा कैसे कर सकते हैं ? जन-संख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के हमारे प्रयासों के बावजूद 1982-83 के दौरान सारे विश्व में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हमारे देश में हुई। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में अग्रणी है तथा महाराष्ट्र में मेरा जिला प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए हमें 30 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। आन्दोलन जनता के सभी वर्गों—हिन्दुओं तथा मुसलमानों में फैल रहा है तथा इस कार्यक्रम का प्रभारी व्यक्ति एक मुसलमान है। मेरा विचार है कि यद्यपि हमारा कार्यक्रम विश्वासोत्पादक तथा प्रेरणात्मक प्रयासों पर निर्भर करता है, स्थिर जन-संख्या के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें और सख्त उपाय अपनाने होंगे। जन-संख्याविदों का कहना है कि मौजूदा दर से जन-संख्या वृद्धि केवल प ास वर्ष बाद ही स्थिर हो पाएगी और तब तक यह 120 करोड़ हो चुकी होगी। कोई भी सरकार इतनी बड़ी जनसंख्या की मांगों को सही ढंग से कैसे पूरा कर सकती है ? अतएव, मेरा विचार है कि यह कार्यक्रम सशक्त प्रोत्साहनों तथा अनुत्साहनों पर आधारित होना चाहिए। यदि यह कर दिया जाए तो हम प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ सकेंगे।

महोदय, मैं वित्त मंत्री का एक ऐसा बजट पेश करने के लिए जिसका सभी वर्गों ने स्वागत किया है, एक बार फिर धन्यवाद करता हूं।

श्री कुंवर राम (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विरोधी पक्ष के सदस्यों ने जिन मुद्दों को उठाया था, वित्त उपमंत्री महोदय ने उन्हें स्पष्ट किया है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इस तरह की आलोचना करना एक फैशन बना लिया है। श्री पुजारी ने कहा है कि अगर विरोधी पक्ष सहयोग करे, तो यह बजट देश की जनता के हित में होगा। यह सच है। मैं इस का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह बजट प्रस्तुत होने के बाद लोगों में एक स्थिरता से सांस लेने का माहौल हम ने देखा। मध्यम वर्ग के लोगों को यह कहते हुए देखा कि इस बार के बजट ने हम लोगों को एक अच्छे भविष्य की कल्पना करने लायक रखा है। मध्यम वर्ग के लोग जब इस बात को कह रहे हैं तो विरोधी पक्ष के लोग भी इस बात को सुनते होंगे। लेकिन उन की इस बात को न कह कर वे इस बजट को एलेक्शन बजट कहते हैं या और कई रिमार्क्स उन्होंने बजट के बारे में रखे जिस का जवाब पुजारी जी ने दिया। इस समय तो विरोधी पक्ष के सदस्य यहां पर नहीं हैं लेकिन मेरी यह बात रेकार्ड पर जाएगी और अगर वह रेकार्ड पढ़ेंगे तो उन को पता चलेगा। हो सकता है कि उन को यह जंच गया हो कि हिन्दुस्तान के तमाम लोगों ने इस बजट का स्वागत किया है। आज जैसा सतीश अग्रवाल जी कह रहे थे,

उन के शब्दों से यह पता चलता था कि इस बजट की प्रस्तुति से उन को संतोष हो रहा था। समझ रहे थे कि यह बजट एक ऐसा बजट है कि जिस से गरीब तबके और मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा सहूलियत मिलेगी।

यह बजट विकास के लिए है और भारत की जनता के विकास के लिए है। यह चुनावी बजट नहीं है। इसमें बहुत से उद्योगों को छूट भी दी गई है और सब से बड़ी बात यह है कि 20-सूत्री कार्यक्रम जो है उस की बुनियाद पर यह बनाया गया है। ये सूत्र भारत सरकार की राष्ट्रीय स्तर की पालिसी, इस देश के आर्थिक विकास के लिए बुनियाद बन गए हैं और उस सन्दर्भ में इस बजट को बनाया गया है। उसी सन्दर्भ में भारत की भूमि के एक एक इंच एवं भारत जैसे विशाल देश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह बजट पेश किया गया है।

हम लोग अभी पिछली बार जब अपनी कांस्टीच्यूएंसी में घूम रहे थे तो हम ने वहां जो विकास का काम देखा और जो लोगों की भावना देखीं उस से यह स्पष्ट था कि इस 20-सूत्री कार्यक्रम का फलाफल देश की जनता को मिल रहा था, रोड्स बन रहे थे, ट्यूबवेल्स लग रहे थे, सिंचाई की सुविधाएं दी जा रही थी, उद्योग के लिए कार्य चल रहा था। आई० आर० डी० पी० का काम चल रहा था, बेरोजगार लोगों को पैसे दिए जा रहे थे, एन० आर० ई० पी० में ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो रही थी। इस प्रकार यह कार्यक्रम देश के जन-जीवन को टच कर रहा था और हम ने देखा कि एक प्रकार का उत्साह और विश्वास, इस सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो रहा था। ऐसी हालत में जब कि इतनी तेजी के साथ लोगों का विश्वास सरकार में पैदा हो रहा था राष्ट्रीय नीतियों के कारण तो ऐसे माहौल में विरोधी लोगों को देश के हित में साथ देना चाहिए। आज वह सत्ता की बात करते हैं, इस कोशिश में लगे हैं किसी तरह सत्ता हासिल कर लें। लेकिन जब तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील नीतियों के साथ हुकूमत श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में है और खासकर उन के नेतृत्व में यह जो बजट आया है, लोगों के हृदय में एक बात विश्वास की जाग रही है और इस भावना को विपक्ष हटा नहीं सकेंगे। भगवान करे श्रीमती इन्दिरा गांधी की उम्र बहुत लम्बी हो। वे जब तक इस देश की बागडोर सम्हाल रही हैं और जिन राष्ट्रीय नीतियों को लेकर चल रही हैं उनके चलते ये लोग न तो कभी सत्ता हासिल कर सकेंगे और न ही इस देश को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। और अगर यही माहौल बना रहा तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ समय के बाद वह दिन अवश्य आयेगा जब श्री राजीव गांधी भी इस देश के प्रधान मन्त्री बन सकेंगे। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज जो माहौल है उसमें देश की आर्थिक दशा को, देश के बुनियादी ढांचे को परिवर्तित करने में यदि विरोध पक्ष साथ नहीं देगा तो वह जनता में अपना विश्वास खो देगा। आज श्री सतीश अग्रवाल ने यहां पर जो पक्ष रखा है उसी के अनुरूप यदि दूसरे लोग भी आचरण करने लगें तो यह दिखलाई पड़ने लगेगा कि सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष दोनों ही वास्तव में इस देश की प्रगति चाहते हैं। और इस तरह से इस देश की डिमोक्रैसी पुख्ता होगी।

इस बार जो बजट यहां पर प्रस्तुत हुआ है वह बीस-सूत्री कार्यक्रम की जान है। इनमें गरीबी

[श्री कुंवर राम]

मिटाने के सम्बन्ध में बहुत सी बातें रखी गई हैं। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ कमजोरियां भी हैं जिनको सामने रखते हुए हमारी सरकार को आत्म चिन्तन करना होगा तभी वास्तव में जो हमारी राष्ट्रीय नीतियां हैं उनको कार्यान्वित किया जा सकेगा। ऐसी कमजोरियां चाहे बैंकिंग सिस्टम में हों या सिंचाई के मामले में हों या अन्य किसी भी क्षेत्र में हों उनके सम्बन्ध में समय-समय पर कांग्रेस (आई) के सदस्य अपनी रिपोर्ट देते हैं। जहां पर दूसरे दलों की सरकारें हैं उन राज्यों के सम्बन्ध में भी कांग्रेस (आई) के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट दी हैं और बताया है कि वहां पर कमजोरी है। उन कमजोरियों के प्रति सजग रहते हुए बजट के माध्यम से यदि सरकार हमारी राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करेगी तो मैं समझता हूं किसी की ताकत नहीं है कि वह हमारी ओर ऊंगली भी उठा सके। हमारी राष्ट्रीय नीतियों का एक प्रमुख अंग है गरीबों का उद्धार लेकिन विरोध पक्ष के लोग गरीबों का विकास नहीं होने देते हैं।

18.45 म०प०

(श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

ये नक्सलाइट्स क्या हैं, इनमें बड़े लोग घुसे हुए हैं, अमीर तबके के लोग घुसे हुए हैं, जो गलत नीतियों के बारे में प्रचार करते हैं। जो सही-सही नीतियां हैं, उनकी सही रूप में चर्चा न करके उल्टे रूप में चर्चा करते हैं। जमीन के सेटलमेंट की बात करते हैं, वे डिसैटलमेंट की बात करते हैं। गरीब लोगों के दिमागों को खराब करते हैं। खराब करके वहां एक तरह से क्रान्ति लाई जाती है। जो गरीबों के बारे में विकास की बात होती है, उसका गलत प्रचार करके अशांति पैदा की जाती है और सारा काम ठप्प कर दिया जाता है। चाहे लाल झण्डे वाले सी० पी० आई० या सी० पी० एम० के लोग हों। गरीब लोगों को वहां से लाकर शहरों में डांस करवाया जाता है नारे लगवाए जाते हैं। इस प्रकार पुजारी साहब, हरिजनों और देहात के गरीब लोगों को शहर में लाकर पोलिटिकल फायदे के लिए लाभ उठाते हैं। यहाँ लाकर उनसे नारे लगवाए जाते हैं।

18.46 म०प०

(श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

जब वह लौट कर अपने गांव वापिस जाता है, तो उसके घर में पांच ईंट तक नहीं लगती हैं। उसकी मजदूरी नहीं मिलती है, उस की आर्थिक शक्ति नहीं बढ़ती है। जब इस तरह से ये पोलिटिकल पार्टीज अपने लाभ के लिए उन गरीबों के साथ खिलवाड़ करेंगी, तो क्या हालत होगी। इस पर सरकार यदि सतर्क नहीं रहेगी, तो करोड़ों-करोड़ रुपए जो आप हरिजनों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए खर्च कर रहे हैं, वह सब बेकार चला जाएगा। उसका विकास नहीं हो सकेगा। श्री भोले ने ठीक कहा कि योजना का पचास प्रतिशत पैसा आपका बेकार चला जाता है। कुछ तो अफसरों की सांठ-गांठ से जाता है, कुछ ऐसे लोगों द्वारा जाता है जो देश का हित नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको गरीबों के आर्थिक उत्थान की ओर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो करोड़ों-करोड़ रुपया जो आप गरीबों के आर्थिक विकास के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए रखते हैं बजट में, उसका कोई लाभ उनको नहीं मिलेगा। उन गरीबों के नाम गाय-भैंस ले ली जाती है और

फायदा और कोई उठाता है। उन गरीबों के नाम तीन-पहिया स्कूटर ले लिया जाता है, लेकिन चलाता कोई और है और वह फायदा उठाता है। जब उसके भुगतान की बात आती है तो उनको भुगतान करना पड़ता है। ऐसे बहुत से केसेज मैंने देखे हैं, जो कि हमारी सरकार की नीति के खिलाफ हैं। इन देश के गद्दारों के साथ सरकार को सजग रहने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी बराबर एक बात कहती हैं कि हमने हरिजन आदिवासियों को राष्ट्रीय स्तर पर नीतिरूपी बैसाखी दे दी है, अब उनको अपनी शक्ति लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपने कमजोर लकड़ी की बैसाखी दी है, तो वह बेचारा गरीब क्या कर सकता है। अब मैं अपने क्षेत्र की दो तीन बातों की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिंचाई आदि के लिए अपर सकरी, फुलवरी या जलाशय योजना और तिलैया ढाढर योजना को शीघ्रता से पूरा करना चाहिए। पथरीली जमीन वाले क्षेत्र में योजना दृढ़ता से लागू करनी चाहिए। जहां पर पेयजल नही मिलता है, इसलिए वहां पर रीग बोरींग होना चाहिए।

सभापति महोदय : ये बातें आप डिमांड्स पर कह लीजिएगा।

श्री कुवंर राम : पता नहीं बाद में मौका मिले या न मिले। वैसे भी मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मैं कल से भूखा-प्यासा बैठा हुआ हूं और अब जाकर मुझे मौका मिला है।

नवादा में कागज का कारखाना खोलने के लिए कच्चा माल उपलब्ध है। बार-बार मैंने भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि वहां पर कागज का कारखाना खोला जाय। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कारखाना नहीं है। वह हमेशा से पिछड़ा हुआ इलाका रहा है, अब उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज हर तरफ टाउन-डवेलपमेंट हो रहा है, लेकिन ऐसे पिछड़े हुए इलाके डवेलप नहीं हो रहे हैं। हमने पालिसी तय की है कि लिंक-रोड़ बनायेंगे, लेकिन जहां पर सड़कें ही नहीं हैं वहां प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। नवादा में कोई उद्योग नहीं है, इसलिए वहां उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए।

किसानों का मिलों की तरफ ईख का पैसा बकाया है। भारत सरकार कहती है कि हमने राज्य सरकार को पैसा भेज दिया है, लेकिन किसानों को फिर भी पैसा नहीं मिलता है। किसानों के अन्दर पैसा न मिलने से त्राहि-त्राहि मची हुई है, वे अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर पा रहे हैं। बीमार पड़ते हैं तो दवा नहीं खरीद पाते हैं। हम लोग वहां जाते हैं तो किसान कहता है कि हमारा ईख ले लिया, लेकिन पैसा नही मिल रहा है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरकार की नीति है कि हर ब्लाक में रेफरल अस्पताल बनाए जायेंगे लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि इन अस्पतालों के निर्माण की तरफ तुरन्त ध्यान दिया जाय।

बिजली के बारे में काफी शिकायतें हैं—इन शिकायतों को दूर किया जाना चाहिए।

[श्री कुंवर राम]

खास तौर से जहां ट्रांसफार्मर खराब हो वहां उसको तुरन्त बदला जाना चाहिये। हम सब गांवों को तुरन्त बिजली नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इतना तो करें कि जहां बिजली पहुंची हुई है, वहां खराबी पैदा न हो। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री बी० के० नायर (क्विलीन) : मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे वित्त मन्त्रीं को यह बजट पेश करने के लिए बधाई देने का अवसर मिला है।

अभी हाल में 29 फरवरी, 1984 का दिन सारे देश के लिए एक स्मरणीय दिन रहा है। उस दिन से पहले वाले दिनों में हम आने वाले बजट के बारे में कई प्रकार की चौंका देने वाली बातें सुन रहे थे। समाचार-पत्र उनसे भरे हुए थे। समूचे देश को यह आशंका थी कि बजट प्रस्तावों में कोई बहुत अप्रिय चीज सामने आएगी। हमारे आशंकित होने के कारण थे, क्योंकि बजट पेश किए जाने से कुछ दिन पहले मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। जीवन निर्वाह सूचकांक खंड प्रति खंड चढ़ रहा था। सरकारी कर्मचारियों की ओर से मंहगाई भत्ता बढ़ाने की बहुत मांगे थी और वे सीधी कार्यवाही करने के नोटिस दे रहे थे। बहुत सी राज्य सरकारों ने मंहगाई भत्ते में काफी वृद्धि कर दी है। इस लिए हमें आशंका थी कि देश की अर्थ-व्यवस्था में एक भयानक धमाका होने वाला है।

लेकिन बजट से कुछ दिन पूर्व वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कायाकल्प का प्रथम संकेत सरकार की इस घोषणा से मिला कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उपलब्ध 1.1 बिलियन डालर एस० डी० आर० का उपयोग नहीं करना चाहती क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। इसलिए, इस पर और आगे निर्भर रहने का कोई प्रश्न नही था। यह एक अच्छा शकुन था और जनता ने समझा कि हालात बेहतर हो रहे हैं।

अगली खुशी की घटना रेल बजट था। यह जनता की आशाओं से भी आगे था क्योंकि जनता किसी भयानक चीज की अपेक्षा कर रही थी। जब भाड़े आदि में मामूली वृद्धि की गई तो उन्होंने राहत का सांस लिया। इसलिए, 1984-85 का यह सामान्य बजट वास्तव में जनता की अपेक्षाओं से परे था क्योंकि पूर्व संकेतों के बावजूद हमें विश्वास था कि बजट में कम-से-कम कोई ऐसी चीज होगी जिसे सह पाना हमारी क्षमता से परे होगा। लेकिन बजट एक सुखद आश्चर्य के रूप में सामने आया है तथा सभी वर्गों द्वारा किया गया इसका स्वागत इस बात का संकेत है कि यह एक रचनात्मक दस्तावेज है तथा यह और अधिक उत्पादन तथा विकास में सहायक होगा।

बजट में कुछ शुल्क—सीमा शुल्क आदि लगाए गए हैं। इसके साथ-साथ उसमें की गई आय-कर दाताओं को राहत देने सम्बन्धी घोषणा के बारे में हमें खुशी है। यह एक बहुत स्वागत योग्य सुझाव है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि दरों में कुछ भिन्नता रखी जानी चाहिए थी। 5 प्रतिशत की

समान दर इस अर्थ में आकर्षक नहीं है कि यह सभी को समान रूप से प्रभावित करती है। बेहतर होता यदि उन्होंने निम्न श्रेणी के लिए अधिक तथा उच्च श्रेणी के लिए कम दर रखी होती, अर्थात् 10 प्रतिशत से शुरू करके 5 प्रतिशत पर खत्म करते—निचली श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत तथा उच्चतम श्रेणी के लिए 5 प्रतिशत। यदि योजना में दरें श्रेणी के अनुसार बढ़ती तो यह और अधिक प्रदेय होती और इसमें सामाजिक न्याय का अंश भी आ जाता। लेकिन यह निर्णय करना सरकार का काम है। मैं फिर भी अनुभव करता हूं कि उस स्थिति में यह और भी आकर्षक तथा जनता के सम्मुख रखने योग्य होगी।

पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। कृषि में बहुत सुधार हुआ है। उत्पादन बढ़कर 142 मिलियन टन तक पहुंच गया है जो कि अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। यह उत्पादन प्राप्ति इस तथ्य के बावजूद हुई है कि पिछले एक वर्ष के दौरान हमने बहुत भयंकर सूखे का सामना किया है, ऐसा सूखा जो कई दशकों में अभूतपूर्व है। कृषि के नए तरीके अपनाकर तथा नई टैक्नोलोजी तैयार करके तथा किसानों के सहयोग से हम यह सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त कर पाए हैं। हमारा कृषि उत्पादन अभी भी मानसून पर आधारित है। लेकिन हम इस बाधा को सिंचाई-सुविधाओं में वृद्धि करके पार कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमने देखा है कि सिंचाई की दर लगभग 2.5 या 2.3 या 2.2 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष है। अब, इस दर से हमें अपनी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में कम से कम 15 वर्ष लगेंगे। हम इतनी देर तक इन्तजार नहीं कर सकते। क्या हम इस क्षेत्र में कुछ और पूंजी निवेश नहीं कर सकते तथा अपने सिंचाई साधनों को गहन नहीं बना सकते, ताकि न केवल हमारा कृषि-उत्पादन बढ़ सके बल्कि इससे हमारे गांवों में हमारे अकुशल कामगरों का रोजगार मिल सके, गांव में लाखों-करोड़ों लोग बेरोजगार हैं ? उन्हें सिचाई के इस मूल कार्य में रोजगार मिल सकता है।

हमारे देश के विशाल क्षेत्रों में पेय-जल उपलब्ध नहीं है। यदि हम अपनी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर सकें तो इससे कई ओर की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इसका बहुमुखी प्रभाव होगा। मैं महसूस करता हूं कि हमें अपनी सिंचाई योजना को 2.5 या 3 मिलियन हेक्टेयर से भी आगे बढ़ाना चाहिए, और यह कार्य हमारी क्षमता के दायरे में है तथा यह वांछनीय भी होगा।

कृषि उत्पादन के संबंध में हमारे कृषकों को अधिक कीमतों के रूप में प्रोत्साहन दिए गए हैं। यह कदम बहुत स्वागत योग्य है। मैं स्वयं इस संसद में जोर देता रहा हूं कि ग्रामीण जनता का जीवन-स्तर सुधारने का एकमात्र तरीका कृषि को प्रोत्साहन देना है, जिससे सारे देश में उद्योग बढ़ेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ेगी, और यह केवल कृषि मूल्यों में वृद्धि करके ही किया जा सकता है। हो सकता है शहरी लोग इस बारे में शिकायत करें, हो सकता है वेतन-भोगी लोग इस बारे में शिकायत करें। लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक धन पहुंचाने का एकमात्र तरीका कृषि-मूल्यों में वृद्धि करना है, जो कि सरकार पिछले कुछ सालों से कर रही है, सरकार कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करके यह जानबूझ कर तथा नियमित रूप से कर रही है और इसी कारण हमारे ग्रामीण लोगों की जीवन पद्धति में परिवर्तन आ रहा है तथा इसे और आगे जारी रखा जाना चाहिए।

[श्री वी. के. नायर]

सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि और कृषि उत्पादन में वृद्धि से मैं समझता हूं कि उद्योगों को सुधारा जा सकता है, और भारी मात्रा में लाभ हो सकता है और सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को भी काफी हद तक लाभ मिल सकता है।

सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है और सरकारी क्षेत्रों में हमारी लगभग 209 इकाईयां हैं।

7.00 म. प.

उनके रुग्ण होने के नाम पर हम उनका अधिग्रहण कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि 'रुग्णता' की परिभाषा क्या है।

सभापति महोदय : कृप्या अब आप अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री वी. के. नायर : मुझे कुछ समय की ओर जरूरत है। आमतौर पर मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं।

सभापति महोदय : यह मुझे मालूम है।

श्री वी. के. नायर : रुग्णता के बहाने हम अनेकों औद्योगिक इकाईयों का अधिग्रहण कर रहे हैं जो कि सिर्फ सिद्धांत रूप में रुग्ण हैं। अगर छह अथवा सात वर्षों तक रुग्ण इकाईयों ने क्षमतावार तथा कार्य-निष्पादनवार अच्छा कार्य नही किया तो उनका अधिग्रहण किया जा रहा है। यह एक मृत इकाई है। मृत व्यक्ति को मृत क्यों नहीं कहते? यहां तक कि उनके उत्पादन के अन्तिम चरण पर अथवा आय अर्जित न होने के कारण कुछ इकाईयां 'रुग्ण इकाईयां' कहलाती हैं और इसके पश्चात इनका अधिग्रहण कर लिया जाता है। उन्हें मृत कहिए; इसे स्वीकार कीजिए। इसके लायक इसे उचित नाम दीजिए। उनके कार्य संचालन के लिये एक योजना निकाली जा सकती है अन्यथा 'रुग्णता' के नाम पर ये आगे ही आगे बढ़ती जायेंगी। सच तो यह है कि इनमें से बहुत सी इकाईयां जनसाधारण के पैसों पर कार्य कर रही है। सार्वजनिक निधियों से पैसा निकाल कर इन इकाईयों को ऋण अथवा सरकारी सहायता के रूप में यह पैसा दिया जाता है। इनके अधिग्रहण करने तथा इन्हें रुग्ण कहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमें यह विषय गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए।

सभापति महोदय : अगर मृत चीज को पुर्नजीवित किया जा सकता है तो इसमें आपत्ति क्या है?

श्री वी. के. नायर : हमारा देश इन सरकारी उपक्रमों में विशाल मात्रा में पूंजी निवेश कर रहा है। किन्तु उनके नुकसान का मुख्य कारण है वर्तमान प्रणाली।

सभापति महोदय (श्री एफ. एच. मोहसीन) : अब आप अपना भाषण जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री वी. के. नायर : वर्तमान प्रणाली किसी आर्थिक लिहाज पर आधारित नहीं है। उत्पादन लागत पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रबन्ध की वर्तमान व्यवस्था उत्पादों के मूल्यों को निर्धारित अथवा जारी रखने में समर्थ नहीं है। लागत मूल्य पर ध्यान नहीं रखा जाता है। किन्तु सरकारी मूल्य को निश्चित करने के लिए बाजार भाव तथा लागत मूल्यों को ध्यान में रखना होता है। इनके अभाव में सिर्फ काला बाजारियों को ही फायदा होगा। इस कार्य में आप सिर्फ काले धन की उत्पत्ति कर रहे हैं। जब आप सरकारी मूल्यों को निश्चित करते हैं मैं समझता हूं कि बाजार भाव वसूले जायेंगे और इन इकाईयों के रुग्ण होने का एक कारण यह है कि हम उनमें उत्पादन क्षमता के इस्तेमाल पर निगाह नहीं रखते। बहुत से सरकारी उपक्रम 30, 40 अथवा 50% क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए किस पर दोष लगाया जाए? क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया है? क्या सरकार ने कोई कदम उठाया है? क्या हम उनके कार्य संचालन पर उचित निगरानी नहीं रख सकते हैं? प्रबन्ध व्यवस्था में खामियां हैं। बहुत से सरकारी उपक्रमों के लिए एक विस्तारित पूंजी निवेश किया गया है। हम ऐसा कर देश को कोई लाभ नहीं पहुँचा रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। इस समय आप सिर्फ मुद्दे ही गिनवा सकते हैं।

श्री वी. के. नायर : विरोधी पक्ष की शिकायत है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋणों को उचित रूप में संचालित नहीं किया जा रहा है। वे कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के क्षेत्रों को लाभ नहीं मिलता है, अथवा जिनके लिए लक्ष्य निश्चित किया गया था उन्हें लाभ नहीं मिलता है।

माननीय मन्त्री श्री पुजारी, असाधारण रूप से कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सरकार में कोई व्यक्ति असाधारण रूप से कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि लाभ-भोगियों को लाभ प्राप्त हो तो विरोधी दलों को सहयोग करना चाहिए। उन्हें लोगों के लिए कुछ अर्जियां भी प्रवर्तित करनी चाहियें और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कार्यक्रम सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों के ही बनकर न रह जाए। यह पूरे देश के लिए है। यह उन पर निर्भर है कि वे मामलों को लें तथा अर्जियों को प्रवर्तित करें। उन्हें इसमें सहयोग करना चाहिए। किन्तु उनकी आलोचना रचनात्मक नहीं है। यह सिर्फ राजनैतिक प्रचार है।

आयात के लिए हम आधुनिकीकरण करते हैं और आधुनीकीकरण से हमारा मतलब होता है नवीनतम तकनीक। हर व्यक्ति नवीनतम तकनीक अपनाना चाहता है और उसके लिए हमें अमरीका, जर्मनी अथवा जापानी उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनका उद्देश्य क्या है?

[श्री वी. के. नायर]

उनका उद्देश्य है मानव घटक को दूर करना। जापानी उद्योग स्वत: कार्य करते हैं। अगर क्वालिटि के नाम पर हम उस तकनीक को मांगते हैं तो वह हमारे देश के लिए आत्मघाती होगी। हमें नवीनतम तकनीक के आयात के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इससे हमारे देश की रोजगार सम्भावनाएं कम हो जाएगीं। उच्च तकनीक तथा पूर्ण रोजगार एक साथ कार्य नहीं कर सकते। भारत की जनता को रोजगार देने के लिए हम नवीनतम तकनीक को नहीं अपना सकते। 2,000 करोड़ रुपए की लागत के जहाजों का आयात किया जा रहा है। क्या हम महसूस करते हैं कि अतिरिक्त पुर्जों के लिए भी हमें उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। हम इन जहाजों के लिए अतिरिक्त कलपुर्जे बनाने में भी समर्थ नहीं होंगे। इसीलिए हमें हर वक्त उन्हीं पर निर्भर रहना होगा। इस कार्य में हम पश्चिम के तकनीकी साम्राज्यवाद में एक तरह से गुलाम की तरह होंगे। क्या हम मध्यम स्तर की तकनीक से स्वयं को सन्तुष्ट नहीं कर सकते ? इस तरह आधुनिकतम तकनीक पर आधारित आयात नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए।

कृषि क्षेत्रों पर निश्चय ही कर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी संसाधनों का विकास गांवों में हुआ है उससे किसको लाभ हुआ है ? किसानों को ही इससे अधिकतम लाभ हुआ है। क्या हम उन पर कर नहीं लगा रहे हैं ? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते ? आप क्यों नहीं राज्य सरकारों के साथ मिलकर कृषि पर थोड़ा बहुत कर लगाते ?

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जो बजट पेश किया गया है मैं उसका समर्थन कर रही हूं। सब लोग कहते हैं कि यह इलेक्शन बजट है लेकिन यह इलेक्शन बजट नहीं है। यह पीपुल वेलफेयर बजट है, ऐसा मैं मानती हूं। उनको जो सुविधाएं दी गई हैं उसके लिए मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं।

इस बजट के बारे में मैं चार-पांच बातों पर प्रकाश डालना चाहती हूं। पहली बात एग्रीकल्चर से सम्बन्धित है। आज हम नेचुरल कैलामिटीज के समय टेंपरेरी सहायता उनको देते हैं लेकिन हमें परमानेंट रिलीफ के बारे में विचार करना चाहिए। एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए और क्राप इंश्योरेंस कंपलसरी किया जाना चाहिए। इससे उनको सुविधा मिलेगी। इसलिए मेरा वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि वे क्राप इंश्योरेंस जरूर लागू करें। नेचुरल कैलामिटीज के समय जो लोन पर इंटरेस्ट लेते हैं, उसको हटा देना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक विपदा के समम सारी फसल खराब हो जाती है। उसके बाद किसानों को लोन वापिस करने में काफी दिक्कत होती है। इसलिए, मैं कहना चाहती हूं कि इंटरेस्ट फ्री लोन किसानों के लिए नेचुरल कैलामिटीज के समय पर कर देना चाहिए। डीजल ऑयल के रेट्स भी काफी बढ़ गए हैं। 1979 में एक रुपया पचास पैसे, 1982 में तीन रुपए 11 पैसे और 1983 में तीन रुपए पचास पैसे हो गया। अभी भी इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। किसान इसका उपयोग करते

हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके दाम कम करने चाहिए। डीजल ऑयल के पैसे बढ़ने से रोड ट्रांसपोर्ट पर भी असर पड़ा है। ट्रक वालों ने भी अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं। इसकी वजह से किसानों को अपना उत्पादन ट्रांसपोर्ट करने में काफी मुश्किल हो रही है। डीजल ऑयल में जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसको भी रेड्यूस कर देना चाहिए। इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरियाज में ए, बी, सी, कैटेगिरी बनाई गई थी। "सी" कैटेगिरी में जो डिस्ट्रीक्टवाइज सुविधा देते हैं, वह ताल्लुकवाइज होनी चाहिए। आपने जो नोटिफिकेशन इश्यू किया था उसका नम्बर आपको बता देना चाहती हूं। उसका नम्बर है 4/एल/81/बी.ए.डी.-वाल्यूम-3 दिनांक 27.4.83। मैं समझती हूं, आप 80-एच. एच. इन्कम टैक्स एक्ट का इंसेटिव दे सकते हैं। यह प्रोत्साहन उन उद्योगों को दिए गए हैं जो आयकर अधिनियम की अनुसूची 8 में अधिसूचित जिलों में स्थापित किए गए हैं। 8वीं अनुसूची के तहत आंध्र प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था।

आंध्र प्रदेश में भी कुछ एरिया इंकल्यूड किया गया था। मैं बता देना चाहती हूं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पानी भी मुहैया नहीं होता है और किसानों को खेती करने में दिक्कत है। इसलिए वह इंडस्ट्रीयल बैकवर्ड ऐरियाज हैं। ऐसे ताल्लुकों में इन्कम टैक्स और वैल्थ टैक्स में आप रिडक्शन दे दें, इससे उनको राहत मिलेगी।

इन्कम टैक्स ऐक्ट का जो 8वां शेड्यूल है उसको भी चेंज करना चाहिए। इससे हमारी कांस्टीट्यूऐंसी के चार ताल्लुकों को नादिगामा, कांचीकचेरला, तिरूवूर, विसनापेट जो कृष्णा जिले में हैं, उनको लाभ मिलेगा। यह ताल्लुके इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हैं उनको आप आठवें शेड्यूल में शामिल कर दें और वहां केटेगरी 'सी' में इंडस्ट्रीज दे दें।

बैंकिंग सिस्टम के बारे में मेरा निवेदन है कि बैंक काफी लोन देते हैं वीकर सेक्शन को। बिलो 5,000 रुपए जो लोन दे रहे हैं उस पर उनसे 4% इंटरेस्ट लिया जाय। 10, 15 परसेंट इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है जो वह नहीं दे सकते। और 1978 के पहले जो लोन दिया था उसका ब्याज 1,000 रु० तक हो गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि 1978 के पहले जो वीकर वीकर सेक्शन्स को लोन दिया था उसका इंटरेस्ट निकालकर प्रिन्सिपल लोन ही उनसे लिया जाए।

अनऐम्प्लायड यूथ को आप लोन दे रहे हैं, और ग्रुप गारन्टी लोन में 5 आदमियों को आपने लोन दिया और उसमें से 4 ने रीपेमैन्ट कर दिया लेकिन अगर 1 आदमी न करे तो उन 4 लोगों को भी लोन नहीं मिलेगा। मेरी मांग है कि जो लोन रीपे कर देते हैं उनको लोन फिर मिलना चाहिए। अनऐम्प्लायड यूथ को जो लोन दे रहे हैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में आपके बैंक अफसर रहते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाय कि उस स्कीम में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में ऐसी इंडस्ट्री होनी चाहिए जो ऐम्प्लायमेंट ओरियेंटेड हों। इससे उनको राहत मिलेगी।

[श्रीमती विद्या चेन्नुपाति]

बैंक्स में लोन देने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन दिक्कत यह है कि बैंक्स में स्टाफ अधिक नहीं है। तरह तरह के लोन्स दिए जा रहे हैं, लेकिन स्टाफ नहीं बढ़ाया गया जिसके कारण काम जल्दी नहीं होता। इसलिए बैंक्स का स्टाफ बढ़ाना चाहिए। साथ ही वीकर सेक्शन्स को लोन्स भी बढ़ाना चाहिए। 20-पौइंट प्रोग्राम में जो लोन दे रहे हैं वह जल्दी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके पास स्टाफ काफी नहीं है। यद्यपि अपोजीशन वाले कहते हैं कि रूलिंग पार्टी कुछ काम नहीं करती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं वित्त मन्त्री से कहना चाहती हूं कि बैंक्स ऐम्प्लाईज तो कम हैं इसलिए वह नहीं दे सकते। उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए। नहीं तो 20 पोइंट प्रोग्राम में वीकर सेक्शन्स के लिए अलग से सेक्शन बैंक्स में बना दीजिए। उसके लिए एम्पलाईज के और रिक्रूट कर लिया जाय ताकि वीकर सेक्शन्ज के लिए जो लोन इन्ट्रोड्यूस किए गए हैं, वह उन्हें सहूलियत से दिए जा सकें।

इसके साथ मैं आपके बजट का समर्थन कर रही हूं।

श्री रामनाथ दूबे (बांदा) : सभापति महोदय, मैं बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मन्त्री ने देश के समक्ष इस सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। देश के तमाम लोगों ने इसका करतल ध्वनि से स्वागत किया है। इससे हमारे देश के सर्व साधारण और गरीब व्यक्ति को लाभ व राहत मिली है लेकिन हमारे विरोध पक्ष के लोगों को इससे तकलीफ हुई है। केवल उन्होंने ही इसकी कटु आलोचना की है। देश की आम जनता ने इसका स्वागत किया है।

विरोध-पक्ष का आलोचना करने का एक लक्ष्य था। मैं समझता हूं कि उन्होंने बजट की स्पिरिट को नहीं समझा। उन्होंने 20-सूत्री कार्यक्रम को कभी एप्रीशियेट नहीं किया, देश में बैंक के माध्यम से जो ऋण वितरण की व्यवस्था हो रही है, उसकी स्पिरिट को कभी नहीं समझा, जिसके माध्यम से गरीब का उत्थान हो सकेगा। यह ऐसी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति धन के अभाव से अपने विकास को नहीं रोक सकेगा।

मेरे तमाम पूर्व-वक्ताओं ने बजट का समर्थन किया है और मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं और अन्य विषयों पर अपनी बात कहना चाहता हूं।

हमारा कृषि-प्रधान देश है, यहां की 80% जनता ग्रामों में रहती है। मैं माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धन के आबंटन की आवश्यकता है। सारे देश में कृषि और ग्रामीण अंचलों की एक जैसी समस्याएं हैं और इसी आधार पर बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय को मानकर उन क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता अधिक है। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए माननीय इंदिरा जी ने 20-सूत्री कार्यक्रम का पहला सूत्र है। इससे जुड़ी हुई कृषि है और कृषि से जुड़ा किसान और मजदूर है। जब कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो कोई भूखा आदमी नहीं मरेगा।

मैं कहना चाहूंगा कि इन समस्याओं को पूरा करने के लिए अधिक धन देने की आवश्यकता है, जिससे हर खेत को पानी, हर पेट को पीने के लिए पानी और भोजन आश्वस्त हो जाए तथा कृषि, पीने के पानी और सिंचाई का विकास हो सके।

हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पीने के पानी का बड़ा संकट है। आज भी लोग नदी और गन्दे नालों से पानी पीते हैं। वहां पर हैंड-पम्प लगाकर कुछ व्यवस्था की गई है, लेकिन बड़े-बड़े हैंड-पम्प लगाये गये हैं जिनकी कीमत 13 हजार रु० है। मेरा निवेदन है कि छोटे हैंड-पम्प भी लगाये जायें। जहां पानी का स्तर नजदीक हो वहां हजार-डेढ़ हजार रुपये के हैंड-पम्प भी लगाए जा सकते हैं।

कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, जहां गांव के जबर्दस्त लोग हरिजनों को कुओं से पानी नहीं भरने देते हैं। उनके लिए भी पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। छोटे सस्ते पम्प लगाकर उनके लिये पानी उपलब्ध किया जा सकता है, जिससे वे नदी-नालों का गंदा पानी पीने के लिए विवश न हों।

ग्रामीण अंचलों की प्रमुख समस्या—और गांवों की पुकार तथा मांग है—कि लोगों के आने-जाने के लिए सम्पर्क मार्ग बनाए जायें। पक्के मार्ग बनाने के वादे तो बहुत हुए हैं, लेकिन देश बहुत बड़ा है, इस काम के लिये बहुत धन की आवश्यकता है। इस स्थिति में बजट में यह व्यवस्था की जाये कि पुल-पुलियों सहित गांवों के लिए कम से कम निर्विघ्न कच्चे मार्गों का निर्माण किया जाये और अगली योजना में उन्हें पक्का कर दिया जाये। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिये, जिससे गांवों के लोगों का मुख्य मार्गों के साथ सम्बन्ध स्थापित हो सके, वे अपना गल्ला अनाज आदि बेचने के लिये ले जा सकें और हर दृष्टि से लाभ उठा सकें।

गांवों में बिजली की विशेष मांग है, इसलिए नियोजित ढंग से गावों के विद्युतीकरण के लिए विशेष धन-आवंटन की आवश्यकता है।

हमारे देश मे शिक्षा की भी मांग बहुत जोरों से है। ग्रामीण अंचलों में प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। ग्रामीण अंचलों की विशेष तौर पर यह भी मांग है कि वहां पर लड़कियों के स्कूल खोले जायें। समाज के समन्वित तथा संतुलित विकास के लिए पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है। इसलिए वहां पर लड़कियों के स्कूल खोलने के लिये विशेष योजना बनाई जायें।

बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, जहां हरिजन और अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं। उनके विकास में गति लाने की आवश्यकता है। यदि इन बुनियादी विकास के लिये धन व्यय किया जायेगा, तो देश का विकास तेजी के साथ हो सकेगा।

[श्री राम नाथ दुबे]

मैं संक्षेप में अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। मैं लोक सभा में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद का प्रतिनिधित्व करता है, जो बुन्देलखण्ड संभाग में स्थित है। बुन्देलखण्ड का समूचा क्षेत्र कम सौभाग्यशाली क्षेत्र है। आज भी वह अत्यधिक पिछड़ा, अभावग्रस्त, उपेक्षित, धनहीन, साधनहीन, भूखा और प्यासा है। पिछले 35 वर्षों से वह गरीबी और पिछड़ेपन से जूझता हुआ बड़ी सहनशीलता का परिचय दे रहा है।

हम लोगों ने मांग की थी—और इस बारे में प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को पत्र लिखा था—कि हिल डेवेलपमैंट बोर्ड की भांति बुन्देलखण्ड बोर्ड का गठन किया जाये। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस बारे में कहा। इसके जवाब में प्रदेश सरकार ने बुन्देलखन्ड सलाहकार परिषद् का गठन किया, लेकिन धनाभाव के कारण उसने कोई कार्य नहीं किया और उस पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास नहीं हो सका। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि राज्य सरकार के सहयोग से बुन्देलखण्ड के विकास के लिये बुन्देलखण्ड डेवेलपमेंट बोर्ड का गठन किया जाये, जिसके लिये केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता दे। बजट में ऐसा प्रावधान किया जाये, जिससे इस तरह के पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास हो सके।

इन क्षेत्रों की मुख्य समस्यायें सिंचाइ, पेय-जल, विद्युत, सड़कों और स्कूलों का अभाव है। मेरे क्षेत्र में आज तक कोई उद्योग नहीं लगा है, जबकि वहां पर बहुत मात्रा में बाक्साइट पाया जाता है। वहां पर ऐलुमिनियम और सीमेंट के कारखाने लग सकते हैं। उस क्षेत्र में गरीबों और हरिजनों की बहुत बड़ी आबादी है। उन के भी उत्थान की आवश्यकता है। देश में प्रगति हो रही है। हमारा देश प्रगतिशील देशों में है। इन पिछड़े क्षेत्रों में प्रगति नहीं है। विकास के असंतुलन को रोकने की आवश्यकता है तथा बुन्देलखण्ड के पिछड़े क्षेत्र को आवश्यकता के आधार पर अन्य क्षेत्रों की भांति विकासशील क्षेत्रों की श्रेणी में लाने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद दूंगा और बजट का समर्थन करूंगा।

श्री एन० डेनिस (नागर कोइल) : बजट का समर्थन करते हुए मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं।

देश में इतनी कठिनाईयां होने के बावजूद भी वित्त मन्त्री जी ने देश की उन्नति एवं विकास के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही सन्तुलित बजट प्रस्तुत किया है।

इस बजट से सभी वर्गों के लोगों, कृषकों, आम व्यक्ति, गृहणियों, निर्धन वर्ग तथा पददलित व्यक्तियों सभी इससे अत्यधिक लाभान्वित होंगे। इस बजट से बचत, पूंजीनिवेश को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा और मुद्रा स्फीति काबू में आयेगी। उद्योगपतियों को जो रियायतें दी गई हैं उसके जवाब में उन्हें अपना सामान अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना चाहिये और इसके परिणामस्वरूप मांग बढ़ेगी तथा अधिक उत्पादन होगा। इस बजट को उदार बजट कहना उचित होगा।

1762 करोड़ रुपये का घाटा कोई समस्या नहीं होनी चाहिये यदि कृषि और औद्योगिक वृद्धि आशा के अनुरूप हों और सप्लाई पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे।

निजी आय पर प्रयत्क्ष कर के मामलों में 15,001 से 20,000 रुपये तक की आय के पहले वर्ग पर आय-कर में 20 प्रतिशत की कमी तथा 20,000 रुपए से ऊपर सभी आय वर्गों में आय कर में कमी तथा एक लाख से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर 55 प्रतिशत की कम दर से आय कर लगाने से निश्चित आय वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी इससे कर-अपवंचन व कर न देने की घटनाओं में कमी होगी और कर सम्बन्धी नियमों का पालन करने में प्रोत्साहन मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप निश्चित आय वालों व वेतनभोगी वर्गों के पास अधिक धन बचेगा और इससे बचत के लिए अधिक प्रोत्साहन मिल सकेगा।

निर्गमित क्षेत्रों को काफी रियायतें दी गयी हैं ताकि उत्पादन बढ़ सके। खाण्डसारी, चीनी, कपास, सम्मिश्रित कपड़ा, लिखने एवं छपाई कार्यों का कागज, टेबल पंखों तथा छत के छोटे पंखों, स्टेनलैस स्टील, बर्तनों (पात्रों), छातों, वस्त्र एवं जवाहरात पर प्रस्तावित उत्पादन शुल्क कम करने से इन चीजों के मूल्यों में गिरावट आयेगी। इससे मांग बढ़ेगी, फल-स्वरूप उत्पादन तथा उद्योग के विकास में सहायता मिलेगी। इन चीजों के मूल्यों में कमी होने से आम व्यक्ति बहुत ही ज्यादा लाभान्वित होगा। इससे मुद्रा स्फीति नियन्त्रित होगी।

खण्डसारी चीनी पर उत्पाद शुल्क में कमी के प्रस्ताव से इस उद्योग को बढ़ने में मदद मिलेगी तथा रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इससे गन्ना उत्पादकों को भी लाभ पहुँचेगा।

इसी प्रकार से कपड़ा उद्योग को दी गई राहत से कपड़ा सस्ता मिलेगा और गरीब लोगों को इससे बहुत ही राहत मिलेगी।

कर-व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने तथा सरलीकरण के सम्बन्ध में, कराधान प्रक्रिया में कमियों तथा अनावश्यक जटिलताओं, कर प्रशासन को तर्कसंगत बनाने तथा सरलीकरण की जानकारी से कर-अपवंचन रुकेगा।

20 लाख से अधिक का कुल वार्षिक व्यापार करने वालों तथा व्यवसाय द्वारा 10 लाख से अधिक सकल प्राप्त करने वालों के लिये अनिवार्य लेखा-परीक्षा होना चाहिये। यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। यह उन्हें लेखों को सही रूप में रखने को बाध्य करेगा और इससे नियमों का पालन भी ठीक प्रकार से होगा। योजना परिव्यय में काफी बढ़ोतरी की गई है। केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिये योजना परिव्यय में भारी वृद्धि की गई है। वर्ष 1984-85 के लिए 30,132 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता चालू वर्ष की 4462 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में 5050 करोड़ रुपये होगी। यह देश के विकास की दिशा में अग्रसर होने का द्योतक है।

[श्री एन. डेनिस]

जहां तक ग्रामीण विकास का सम्बन्ध है, वास्तविक भारत ग्रामीण भारत है। देश की 70% जनता ग्रामों में बसती है। भारत को तभी विकसित देश माना जाएगा जब देश के गांवों का विकास होगा। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होता कृषि का विकास नहीं होता और ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था नहीं होती तब तक ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का सुधार नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्र में पानी का अभाव है। देश के लोगों का एक विशाल वर्ग गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-यापन कर रहा है और बच्चों सहित उनकी बड़ी प्रतिशत संख्या कुपोषण के शिकार हैं। ग्रामों में बेरोजगारी, गरीबी और अस्वास्थ्यकर वातावरण है। इसे देखते हुए ग्रामीण विकास के लिए 932 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है जो कि चालू वर्ष की तुलना में लगभग दुगनी है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और स्वनियोजन कार्यक्रम के द्रुत और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बजट में अधिक ध्यान दिया गया है और अधिक राशि की व्यवस्था की गई है।

जहां तक पेय जल का सम्बन्ध है देश के ऐसे कई गांव हैं जिनमें स्वच्छ पेयजल का अभाव है। इन गांवों के लिए शीघ्र ही पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। त्वरित जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 243 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा भी 354 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाती है। आशा है इस वर्ष 50,000 अभावग्रस्त गांवों के लिए पेय जल की व्यवस्था की जाएगी।

जहां तक 20-सूत्रीय कार्यक्रम का सम्बन्ध है इस योजना के महत्व को समझते हुए वर्ष 1984-85 के लिए 4033 करोड़ रुपए की राशि की और व्यवस्था की गई है जो कि वर्तमान वर्ष के प्रावधान से 4.7% अधिक है। यदि इस कार्यक्रम का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाता है और आवंटित राशि का उचित उपयोग होता है तो स्थिति और दृढ़ होगी और देश की समूची अर्थ-व्यवस्था का विकास होगा तथा सभी वर्गों के लोगों को इससे काफी लाभ होगा। कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन खण्ड स्तर पर करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कितने स्थानों पर कितने जरूरतमंद लोगों को इससे लाभ हुआ है। समितियों का गठन करना होगा और उन्हें कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन करना होगा।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। अन्य बातें आप वित्त विधेयक पर चर्चा के समय प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री एन. डेनिस : जहां तक कार्यक्रमों और प्रस्तावों के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, आवंटित धन देश के कोने-कोने तक पहुंचना चाहिए और जरूरतमन्द लोगों तथा स्थानों को उसका लाभ प्राप्त होना चाहिए। प्रस्तावों का क्रियान्वयन उसी भावना से किया जाना चाहिए जिस भावना से यहां बजट प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रमों की सफलता बहुत कुछ उन लोगों पर निर्भर करती है जो इनका क्रियान्वयन करते हैं। कुछ लोग, जिन पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व होता है, कार्यक्रम के क्रियान्वयन से अपने आप को अन्तर्ग्रस्त नहीं करते। कुछ बैंक प्राधिकारी

भी योजनाओं के क्रियान्वयन और ऋण देने में बिल्कुल भी सहायता नहीं करते। प्राधिकारियों द्वारा ऋण के लिए स्वीकृति देने के बावजूद भी वे ऋण देने में नाना प्रकार की आपत्तियां करते हैं।

जहां तक विद्युत क्षेत्र का संबंध है, कन्याकुमारी जिले में राजाकमंगलम में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ताप विद्युत संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। इस योजना के संबंध में जांच की जा रही है। इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में न तो सरकारी क्षेत्र में और न ही निजी क्षेत्र में एक भी उद्योग स्थापित किया गया है। अतः इस क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।

पत्तनों के विकास के लिए 201 करोड़ रुपये का आवेदन किया गया है। छोटे पत्तनों के विकास की उपेक्षा की गई है। छोटे पत्तनों का विकास राज्य सरकारों की दया पर निर्भर है। किन्तु राज्य सरकारें छोटे पत्तनों के विकास में रूचि नहीं ले रही है उदाहरण के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम तट पर एक पुराना ऐतिहासिक कोलाचल पत्तन है। इसकी उपेक्षा की गई है और कई वर्षों से इसका विकास नहीं किया जा रहा है। इसका विकास किया जाना चाहिए।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उपरोक्त सभी मुद्दों पर ध्यान दें।

श्री जयराम वर्मा (फैजाबाद) : अधिष्ठाता महोदय, मैं बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी ने बजट में निर्बल अंगों के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जो विशेष व्यवस्था की है, उससे उनको रोजगार मिलेगा और उनकी हालत में सुधार होगा। इस बजट से हर वर्ग को कुछ न कुछ सहायता मिलेगी और बोझ कम होगा। इस बजट के पेश करने में आम जनता में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। इसलिए इस बजट को आम जनता का, गरीबों का जनप्रिय, अच्छा और संतुलित बजट कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। यद्यपि इस बात के होते हुए भी विपक्ष के लोगों ने और कुछ माननीय सदस्यों ने इसमें तरह-तरह की बातें, अपनी-अपनी भावनाओं के अनुसार देने की कोशिश की है और अपनी-अपनी भावनाओं के अनुरूप संज्ञा देने की कोशिश की है। किसी ने इस को संविधान पर धोखा कहा। किसी ने इसको पूंजीवादी बजट कहा है। किसी ने यह कहा कि इसमें गरीबों के के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वोट बटोरने हेतु हवा बनाने की नाकाम कोशिश की गई है। गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। इस तरह की बातें कही गई हैं। इन सब बातों को देखते मैं कहना चाहता हूं :

जाकी रही भावना जैसी।
हरि मूरत देखी तिन तैसी॥

[श्री जय राम वर्मा]

भगवान सम्पूर्ण है, कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग अपनी-अपनी भावनाओं के अनुरूप उसे भिन्न-भिन्न रूप में देखते हैं। मानव और मानव कृत्यों में कमियां होती हैं। हम अगर अपनी भावनाओं के अनुरूप कमियों को देखने की कोशिश करें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

श्रीमन्, वित्त मंत्री जी की आशाओं के अनुरूप यह बजट उत्पादन निवेश बढ़ाने, कीमतों को कम करने, मुद्रास्फीति को रोकने और आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में सहायक सिद्ध होगा। इस साल कृषि उत्पादन के क्षेत्र में रिकार्ड-उत्पादन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। 1420 लाख टन की पैदावार से ज्यादा होने की आशा है। यह सरकार की कुशल कृषि नीति और किसानों के परिश्रम का फल है, लेकिन फिर भी उधर के लोग कहते हैं कि यह महज संयोग की बात है कि इतना उत्पादन हो गया, क्योंकि पिछले सालों में कम पैदावार बढ़ी और कभी घटी है। इस तरह से अच्छी बात में भी वे ईबिल-डिजाइन या बुरी बात देखने की कोशिश करते हैं।

इस साल औद्योगिक क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है। पिछले साल 3.9 की हुई थी जब कि इस साल 4.5 की वृद्धि हुई है और यदि चार सालों की औसत ली जाय तो यह वृद्धि 5 परसेन्ट से ज्यादा होगी। यद्यपि औद्योगिक क्षेत्र जो क्षमता है, उसके अनुरूप यह वृद्धि नहीं है, इससे ज्यादा होने की जरूरत थी और अगर हमको आन्तरिक घरेलू उत्पाद में ऊंची दर को कायम रखना है और आगे आने वाले श्रमिकों के लिये रोजगार पैदा करना है तो हमको अपनी वृद्धि की दर को कम से कम 7 और 8 परसेन्ट के बीच में लाना होगा। हमारी राष्ट्रीय आय में भी इस साल काफी वृद्धि हुई है जो 662 करोड़ के लगभग है और चार वर्षों की औसत ली जाये तो यह 5.4 प्रतिशत आती है जो किसी भी योजना काल के चार वर्षों की वृद्धि के मुकाबले ज्यादा है। इस के लिये भी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

गांवों में जो विभिन्न योजनायें चलाई जा रही हैं उनके लिये 932 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो पिछले साल की व्यवस्था के मुकाबले करीब-करीब दुगनी है। इस तरह से गरीबों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, किसानों तथा अन्य पिछले वर्ग के लोगों को काफी सहायता देने की कोशिश की गई है तथा उनको इस से काफी राहत मिलेगी। इतना होने के बावजूद भी यदि यह कहा जाये कि किसानों के लिये या गरीब लोगों के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है तो यह बात सत्य से कितना परे है।

कृषि क्षेत्र में भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा व्यवस्था की गई है—इस बजट साल में 758 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जब कि चालू साल 600 करोड़ रुपये से कुछ कम की व्यवस्था थी। विद्युत उत्पादन में भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा व्यवस्था की गई है। विद्युत में पिछले साल के मुकाबले 44 प्रतिशत बढ़ाया गया है। इस व्यवस्था से किसानों को,

गांवों में रहने वालों को काफी राहत मिलेगी और उनका काम बढ़ेगा, उनके काम में आसानी पैदा होगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं—गांवों में जो विभिन्न योजनायें चलाई जा रही हैं, चाहे बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हों या दूसरी योजनायें हों, उनमें हमारे बैंकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और इस दृष्टि से बैंक-सुविधायें काफी बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी इस बात की जरूरत है कि वहां इस तरह का इन्तजाम किया जाये जिस से लोगों को वे बैंक सुविधायें आसानी से मिल सकें। आज विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लोगों को जो ऋण मिलता है वहां उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बैंकों के लोग सही तरीके से उनके साथ सहयोग नहीं करते। वहां ज्यादा मानिटरिंग की जरूरत है, ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है। स्टेट गवनमेंटस पर भी ज्यादा जोर देने की जरूरत है कि वे इस चीज को अच्छी तरह से देखें कि जो रुपया आज लोन या सहायता की शक्ल में जा रहा है वह सब ठीक से इस्तेमाल हो और उसका पूरा-पूरा लाभ उठा सके।

श्रीमन्, हमारा जो प्रदेश है उत्तरप्रदेश, वह उद्योगों के मामले में काफी पीछे है और बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे हमारे उत्तर प्रदेश का कुछ ध्यान रखें। वहां पर ज्यादा उद्योग लगाने की जरूरत है और हमारा जिला फैजाबाद जो है, वह उन जिलों में हैं, जिनमें बहुत कम उद्योग हैं और वह पिछड़े हुए जिलों में माना जाता है। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे जिले में वे कुछ उद्योग लगाने की व्यवस्था करें, तो बहुत अच्छी बात होगी।

हमारे जिले में माननीय प्रधान मंत्री जी कई वर्ष पहले गई थी और वहां पर उन्होंने सहकारी क्षेत्र में एक गन्ना मिल लगाने की घोषणा की थी और उसके लिए लाइसेंस भी मिल गया था और किसानों ने करीब 16 लाख रुपया उसके लिए इकट्ठा भी कर लिया था लेकिन जब जनता सरकार आ गई, तो वह लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अकबरपुर में हम लोगों ने मिल लगाने की मांग रखी थी। इसलिए मेरा कहना यह है कि वह लाइसेंस फिर से रिन्यू किया जाए, जिससे उधर का जो विकसित क्षेत्र है और जहां पर काफी गन्ना उपलब्ध है, वह मिल को दिया जा सके और किसानों को कुछ राहत मिले।

मैं एक बात और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में एक मडहा नदी है, जिसमें बाढ़ आ जाने से बहुत नुकसान होता है। उसको गहरा कराया जाए और उसकी सफाई कराई जाए। पश्चिम से पूरब को बह जाती है और फैजाबाद और बाराबंकी के दोनों जिले उससे प्रभावित हैं। मेरा कहना यह है कि मडहा नदी को गहरा कराया जाए और उसकी सफाई कराई जाए, जिससे बाढ़ से जो नुकसान होता है और जिसके लिए सरकार को बड़ी सहायता देनी पड़ती है, वह न देनी पड़े। एक दफा ऐसा कर दिया जाएगा, तो बार-बार जो सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और जो नुकसान होता है, वह भी नहीं होगा।

[श्री जय राम वर्मा]

मैं फिर मंत्री जी को उनके अच्छे बजट और जन-प्रिय तथा सन्तुलित बजट के लिए बधाई देता हूं। इससे गरीब और आम आदमी को फायदा होगा। उनको इस बजट से प्रसन्नता हुई है और मैं फिर वित्त मंत्री जो को हार्दिक बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विरदा राम फलवारिया (जालोर) : चेयरमैन साहब, इस वर्ष का जो बजट पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जालोर जिला राजस्थान में बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जालोर और सिरोही जिले में ग्रेनाइट, फ्लोरस्पार, सीमेंट, टंग्सटन और कोपर के बड़े उद्योग लगाने की कृपा करें। वहां पर वाजिब मात्रा में सीमेंट और ग्रेनाइट का भंडार है और काफी मात्रा में ये वहां मिलते हैं। इसलिए सरकार वहां पर इनसे संबंधित उद्योग लगाने की कृपा करें। हमारे यहां के लोग मजदूरी के लिए हर साल बाहर जाते हैं और जब अकाल पड़ जाता है, तो आस-पास के प्रदेशों में बहुत भारी संख्या में लोग चले जाते हैं। अगर सरकार वहां पर उद्योग लगा देगी, तो हमारे यहां के मजदूर बेकार नहीं रहेंगे और वहीं पर मजदूरी करेंगे।

बिजली की हमारे यहां कठिनाई है। बिजली की कठिनाई के कारण हमारे यहां उद्योग भी नहीं लग सके। उद्योगों के लिए बिजली की जरूरत होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां ज्यादा से ज्यादा बिजली मिलनी चाहिए।

जालोर जिला एक ऐसा जिला है जो सोना उगलने वाला जिला है। जालोर जिले की जमीन ऐसी है कि वहां राजस्थान का सबसे ज्यादा अनाज पैदा होता है। इसलिए जालोर और सिरोही जिलों में बिजली की बहुत जरूरत है।

पिछले चार सालों में काश्तकार अकाल की वजह से फसल नहीं बो सके। पानी की बड़ी कमी थी। पानी की कमी इसलिए थी कि बिजली की कमी थी। बिजली की कमी की वजह से कुछ जोती हुई जमीन को उन्हें जोतना पड़ा, कुछ जमीन जोती ही नहीं। इससे काश्तकारों को फसल में काफी हानि हुई। बिजली से पानी न पहुंचने के कारण फसल भी नहीं हुई।

वहां जो बिजली मिलती है उसमें भी वोल्टेज की काफी घट-बढ़ होती रहती है। इससे काश्तकारों का मोटर जल जाता है और फिर दुबारा मोटर बनवाने पर उनका हजार से डेढ़ हजार रुपया लग जाता है। मोटर खराब रहने की वजह से फसल को भी बहुत हानि होती है। यह नहीं होना चाहिए, बिजली का वोल्टेज ठीक रहना चाहिए।

हमारे जिले में बहुत से कुएं हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा कुएं जालोर जिले में हैं। मेहरबानी कर के जालोर जिले में क्रूड डीजल का डिपो खोलें क्योंकि वहां सबसे ज्यादा डीजल

की खपत होती है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां डीजल का डिपो खोलने की कृपा करें।

साथ-साथ वहां नहरी सिंचाई के साधन नहीं हैं। वहां पर ज्यादा कुएं होने से जमीन के अन्दर पानी घटता चला जाता है, यहां तक कि कुएं खाली हो जाते हैं और जीमन का सत नहीं रहता है। वहां छोटे-छोटे और बड़े-बड़े बांध बनाये जाएं, तालाब बनाये जाएं ताकि उनमें बारिश का पानी रुक जाए। उनमें पानी रुकने से पानी जमीन के अन्दर धीरे-धीरे चला जाता है और कुएं सूखते नहीं हैं। इसलिए वहां बांध और तालाब बनाना बहुत जरूरी है।

राजस्थान सरकार का गुजरात सरकार से 1966 में एक समझौता हुआ था। उसके मुताबिक माही नदी का पानी जालौर, सिरोही और बाड़मेर तीन ज़िलों में आना था। यह समझौता 1966 में हुआ था जबकि मैं राजस्थान विधान सभा का एम० एल० ए० था। वह समझौता अभी तक लागू नहीं हुआ है और इन जिलों में माही नदी का पानी अभी तक नहीं आया है। नर्मदा का पानी भी आना था। पता नहीं वह पानी भी कब तक आयगा। हमारा पिछड़ा जिला है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस तरफ ध्यान दे।

8.00 म० प०

रानीबाग, जालौर जिले में एक डेरी लगाई गई थी जो अब बंद कर दी गई है। इस डेरी पर 50 हजार पशु निर्भर थे। किसानों ने और गरीबों ने कर्ज लेकर गाय-भैंस खरीदे हैं, लेकिन अब डेरी बंद है। इसको शीघ्र ही चालू किया जाना चाहिए। इसका प्रबंध सरकार अपने हाथ में ले या इसको कोआपरेटिव के अंतर्गत चलाए।

पेयजल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे जिले में कुछ जगह तो पेयजल की व्यवस्था है लेकिन कई गावों में नहीं है। जिन गावों में है वहां भी गरीबों के मोहल्ले में पानी नहीं पहुंचता। इन बातों की ओर ध्यान दिया जाए।

जोधपुर से भीलड़ी 266 एक्सप्रेस गाड़ी भीलड़ी तक जाती है और उसके 7 डिब्बे कट कर अहमदाबाद तक जाते हैं। इस गाड़ी को अहमदाबाद तक चलाया जाना चाहिए। रेल विभाग से अनुरोध किया लेकिन जबाव आया कि 7 डिब्बे अहमदाबाद तक जाते हैं इसलिए इसको अहमदाबाद तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां से काश्तकारों को अपना गेहूं, सरसों आदि लेकर ऊंझा मंडी जाना पड़ता है। कई लोगों की जेब कट जाती है और दो-तीन लोग तो लापता हैं। इसलिए यह गाड़ी जोधपुर से अहमदाबाद तक जानी चाहिए।

अभी एक मारवाड़ जंक्शन से अहमदाबाद एक्सप्रेस गाड़ी चलाई गई है। इसको सिरोही रोका जाना चाहिए और स्वरूपगंज सीमेंट फैक्ट्री है वहां पर भी इस गाड़ी को रोका जाना चाहिए। इसके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है।

[श्री विरदाराम फुलवारिया]

मैं, 27 तारीख को प्रधान मंत्री जी से माउन्ट आबू मे टेलीविजन सेन्टर खुलवाने हेतु मिला था। उन्होंने कहा है कि मैं इसकी सिफारिश करने के लिए तैयार हूं। यह टूरिस्ट स्थान है। इसके लगने से पालनपुर, डीसा, कस, जालौर, पाली और उदयपुर तक दिखायी देगा। मैं सिफारिश करता हूं कि सिरोही में एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जाए। इसके बन जाने से व्यापारियों और अन्य लागों को काफी फायदा होगा। यह बजट बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और बूटा सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : सभापति महोदय मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं........

सभापति महोदय : श्री वैराले आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

8.08 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 14 मार्च 1984/24 फाल्गुन, 1905 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सनलाइट प्रेस, दिल्ली।

P.L.S.-48/45/15/84 (एन०)
210

© 1983 लोक सभा सचिवालय ।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबन्धक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित ।